निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

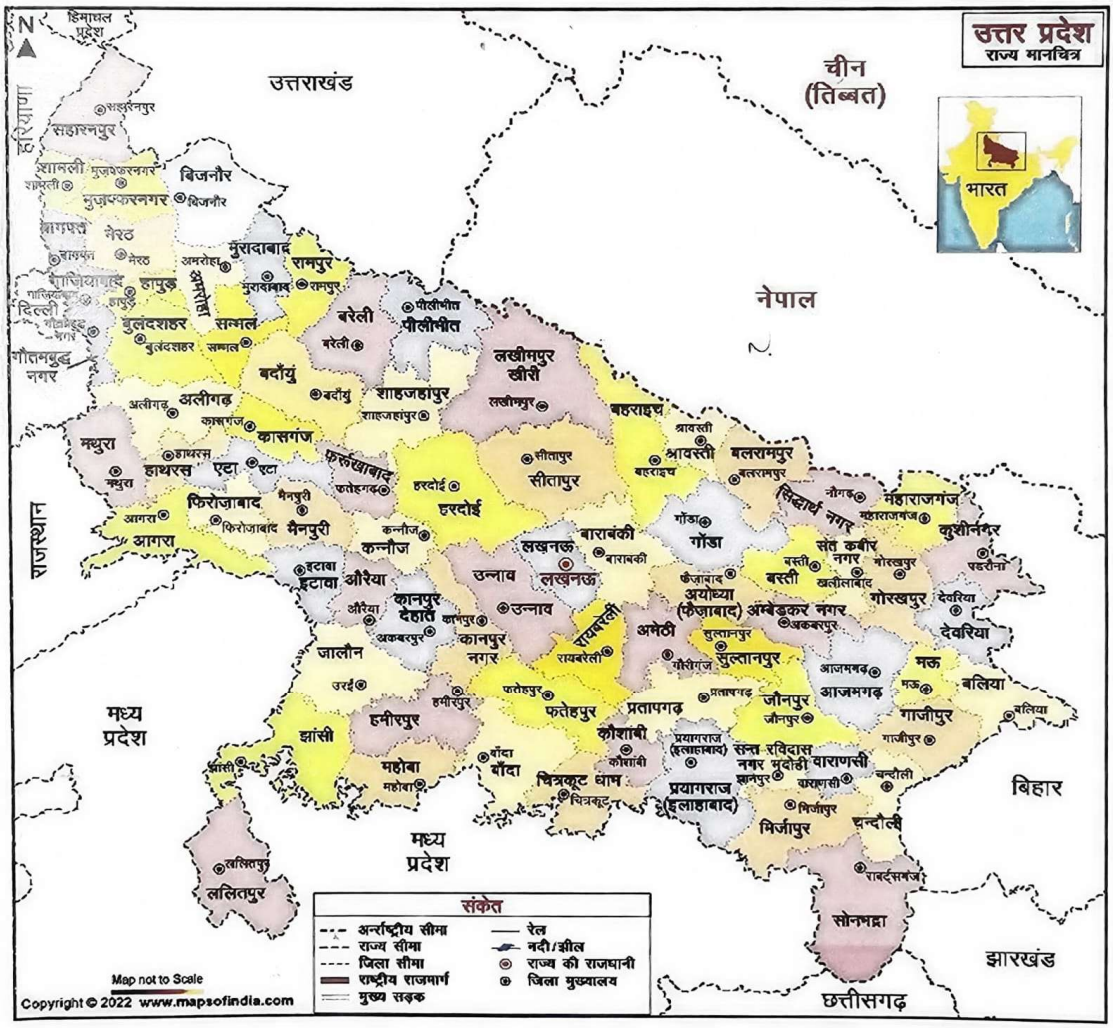

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-1

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (भाग 1 से 13 तक) को मा0 राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का कारण।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम–186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम–176 में संशोधन दिनांक 30 मार्च 2011 के अनुसार निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और उसे मा0 राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजा जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (भाग 1 से 13 तक) को मा0 राज्य विधान मण्डल के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 द्वारा निम्नवत् अवगत कराते हुये इस प्रतिवेदन को सदन में रखने का अनुरोध किया गया है–

(क) मा0 पंचायती राज समिति का गठन 24 मार्च, 2014 को हुआ था। तत्पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मा0 राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

(ख) प्रमुख सचिव, पंचायती राज द्वारा प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 दिनांक 25.11.2014 को एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 दिनांक 20.12.2017 को लगभग तीन वर्ष बाद मा0 राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया।

(ग) वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 19.02.2020 को, वर्ष 2013–14 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2021 को, वर्ष 2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 24.05.2022 को, वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2023, वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.11.2023, वर्ष 2017–18 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2024, वर्ष 2018–19 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2024, **वर्ष 2019–20 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2025, वर्ष 2020–21 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2026 को** मा0 राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया।

तत्क्रम में वित्त विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (भाग 1 से 13 तक) को मा0 राज्य विधान मण्डल के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकरण में वित्त विभाग के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(सुरेश कुमार खन्ना)
वित्त मंत्री

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

विषय सूची

प्राक्कथन

अध्याय-1

प्रस्तावना

क्र0 सं0	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	6
2	लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	7
3	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	7
4	निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उ0 प्र0 के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	7
5	लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	8
6	लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति विभाग का रूझान	1.6	8
7	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.7	9

अध्याय-2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य,आय/प्राप्ति के स्त्रोत,क्रियाकलापों के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण

1	सामान्य विवरण	2.1	9
2	जिला पंचायत	2.2	10
3	क्षेत्र पंचायत	2.3	11
4	ग्राम पंचायत	2.4	13

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

1	जिला पंचायत	3.1	17
2	क्षेत्र पंचायत	3.2	17
3	ग्राम पंचायत	3.3	17

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	**जिला पंचायत**	**4.1**	**पृष्ठ संख्या**
1	आगरा मण्डल		**19-26(1)**
2	अलीगढ़ मण्डल		**27-156(1)**
3	अयोध्या मण्डल		**157-206(1)**
4	आजमगढ़ मण्डल		**206-234(1)**
5	बरेली मण्डल		**234-365(1)**
6	बस्ती मण्डल		**366-397(1)**
7	चित्रकूटधाम मण्डल		**397-404(1)**
8	देवीपाटन मण्डल		**405-430(1)**
9	गोरखपुर मण्डल		**431-518(1)**
10	झाँसी मण्डल		**519-551(2)**
11	कानपुर मण्डल		**551-637(2)**
12	लखनऊ मण्डल		**638-759(2)**
13	मेरठ मण्डल		**759-886(2)**
14	मुरादाबाद मण्डल		**887-913(2)**
15	प्रयागराज मण्डल		**914-936(2)**
16	सहारनपुर मण्डल		**936-946(2)**
17	वाराणसी मण्डल		**946-991(2)**
18	विन्ध्याचल मण्डल		**991-999(2)**

क्र0 सं0	**क्षेत्र पंचायत**	**4.2**	**पृष्ठसंख्या**
1	आगरा मण्डल		**1000-1028(3)**
2	अलीगढ़ मण्डल		**1028-1146(3)**
3	अयोध्या मण्डल		**1147-1220(3)**
4	आजमगढ़ मण्डल		**1220-1262(3**
5	बरेली मण्डल		**1262-1305(3)**
6	बस्ती मण्डल		**1306-1353(3)**
7	चित्रकूटधाम मण्डल		**1353-1355(3)**

8	देवीपाटन मण्डल		**1356-1414(3)**
9	गोरखपुर मण्डल		**1414-1428(3)**
10	झाँसी मण्डल		**1429-1453(3)**
11	कानपुर मण्डल		**1453-1551(3)**
12	लखनऊ मण्डल		**1552-1659(4)**
13	मेरठ मण्डल		**1659-1708(4)**
14	मुरादाबाद मण्डल		**1708-1812(4)**
15	प्रयागराज मण्डल		**1812-1914(4)**
16	सहारनपुर मण्डल		**1914-1975(4)**
17	वाराणसी मण्डल		**1976-2063(4)**
18	विन्ध्याचल मण्डल		**2063-2103(4)**

क्र0 सं0	**ग्राम पंचायत**	**4.3**	**पृष्ठसंख्या**
1	आगरा मण्डल		**2104-2229(5)**
2	अलीगढ़ मण्डल		**2229-2366(5)**
3	अयोध्या मण्डल		**2366-2689(5)**
4	आजमगढ़ मण्डल		**2690-2847(6)**
5	बरेली मण्डल		**2847-2962(6)**
6	बस्ती मण्डल		**2962-3078(6)**
7	चित्रकूटधाम मण्डल		**3079-3125(6)**
8	देवीपाटन मण्डल		**3126-3376(7)**
9	गोरखपुर मण्डल		**3376-3581(7)**
10	झाँसी मण्डल		**3581-3595(7)**
11	कानपुर मण्डल		**3596-4096(8)** **4097-4344(9)**
12	लखनऊ मण्डल		**4345-4856(10)**
13	मेरठ मण्डल		**4857-4903(11)**
14	मुरादाबाद मण्डल		**4903-5374(11)** **5375-5487(12)**
15	प्रयागराज मण्डल		**5487-5676(12)**
16	सहारनपुर मण्डल		**5677-5744(12)**
17	वाराणसी मण्डल		**5744-5837(12)** **5838-5993(13)**
18	विन्ध्याचल मण्डल		**5993-6130(13)**

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/अधिभार प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण

1	जिला पंचायत	5.1	6130
2	क्षेत्र पंचायत	5.2	6130
3	ग्राम पंचायत	5.3	6130

अध्याय-6

निष्कर्ष व सुझाव

1	निष्कर्ष		6.1	6131
2	सुझाव		6.2	6131

पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था

जिला पंचायत

⇧

क्षेत्र पंचायत

⇧

ग्राम पंचायत

पंचायती राज संस्थागत ढांचा

केन्द्र सरकार

⇩

राज्य सरकार

⇩

पंचायती संस्थाएं

⇩

जिला पंचायत

⇩

अध्यक्ष　　उपाध्यक्ष　　सदस्य

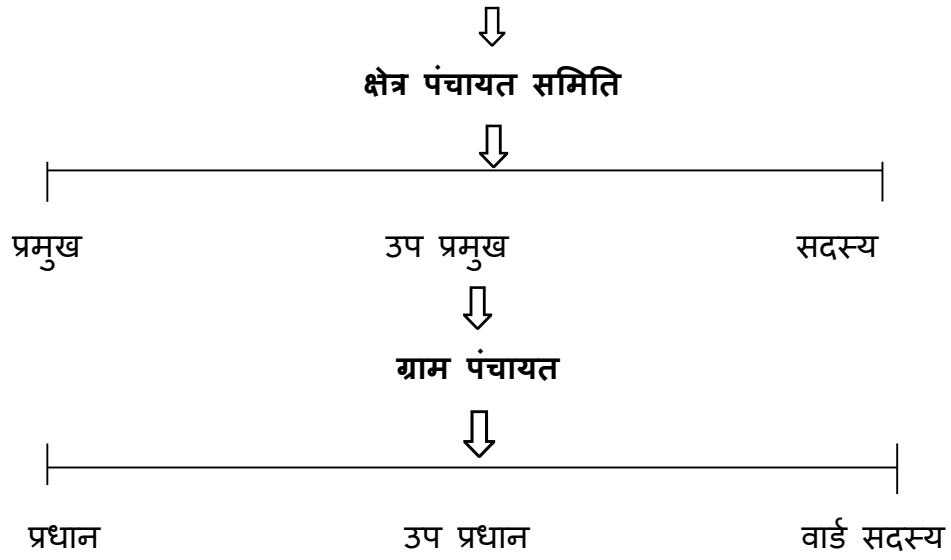

प्राक्कथन

निदेशालय सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा उ0प्र0(पूर्व में सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा संगठन, उ0प्र0) वित्त विभाग उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1951-52 से कार्यरत है। इस विभाग द्वारा उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 में निहित व्यवस्थान्तर्गत प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की लेखापरीक्षा की जाती है। उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) अधिनियम 1961 एवं नियमावली 1965 में दी गयी व्यवस्थानुसार इस विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित की जाती है।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के लेखों की लेखापरीक्षा राज्य सरकार के अधीन निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा, उ0प्र0 द्वारा सम्पन्न कराते हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन व अधिभार प्रतिवेदन जारी किया जाता है। अनिस्तारित प्रस्तरों को सम्मिलित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा, उ0प्र0 का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तैयार करके उ0प्र0 पंचायती राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली 2011 के नियम- 186 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा)(छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम- 176 के अन्तर्गत मा0 राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

जिला लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा जारी संस्थावार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन में सम्मिलित गम्भीर प्रकृति की ऐसी आपत्तियाँ(यथा अपहरण, दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितिता से सम्बन्धित), जिनका अनुपालन प्रशासनिक विभागों द्वारा नहीं किया जाता है अथवा अनुपालन संतोषजनक नहीं होता है, उन्हें निदेशालय द्वारा संकलित करके त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा उ0प्र0 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन में वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2021-22 के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये गम्भीर प्रकरणों के साथ-साथ विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा वर्ष 2022-23 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में उद्घाटित आपत्तियों में सन्निहित धनराशि अपहरण/अपक्षय इत्यादि का संस्थावार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र0	संस्था का नाम	गबन, अनियमित भुगतान, अग्राह्य भुगतान, अधिक भुगतान, अनानुमोदित भुगतान, राजकीय राजस्व क्षति व अन्य विविध अनियमितताएं(सम्मिलित प्रस्तर)	सन्निहित धनराशि (करोड़ रु0 में)
1. 2. 3.	जिलापंचायत क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत	1208 1789 6326	1261.29 714.20 661.12
	योग	**9323**	**2636.61**

वर्ष 2022-23 के दौरान 2021-22 के उपलब्ध अभिलेखों के सापेक्ष लेखापरीक्षित लेखों का विवरण निम्नवत् हैः-

क्रमांक	संस्था का नाम	कुल संस्थाओं की संख्या	लेखापरीक्षित संस्थाओं की संख्या
1. 2. 3.	जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत	75 826 58194	75 826 58189
	योग	**59095**	**59090**

इस वार्षिक प्रतिवेदन में कुल छः अध्याय सम्मिलित हैं तथा तेरह भागों (भाग एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह तेरह) में तैयार किया गया है।-

अध्याय- 1. प्रस्तावना से सम्बन्धित इस अध्याय में विभाग का परिचय व संगठनात्मक ढांचा का वर्णन है।

अध्याय- 2. इस अध्याय में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, आय/प्रप्ति के स्त्रोत, एवं क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण है।

अध्याय-3. इस अध्याय में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा प्रगति संबन्धी विवरण है।

अध्याय-4. इस अध्याय में क्रमशः जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा के उपरान्त जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन में उद्घाटित गंभीर प्रकृति की आपत्तियों का विवरण है।

अध्याय-5. इस अध्याय में निर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण है।

अध्याय-6. इस अध्याय में निष्कर्ष व सुझावों का उल्लेख है। इसमें आपत्तियों व वित्तीय अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा इनमें सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ भी की गयी है।

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे जाने के पश्चात मा0 विधान सभा की पंचायती राज समिति द्वारा साक्ष्य बैठकों में प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की समीक्षा करके अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1-इस प्रतिवेदन के संबंध में रूपरेखा-

1. निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश का यह प्रतिवेदन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए गये अनुदान, योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में हुए व्यय, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आय की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।

2. इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा परीक्षा परिणाम, कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं हेतु नीति निर्धारण व भविष्य की नीति निर्माण में सहायक होगा तथा एक जन उपयोगी शासन व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा।

3. लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पतियों और दायित्वों की जाँच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया है। व्ययों, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है। किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता के साथ संस्था द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन किया गया है।

4. इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा संगठन की संरचना, लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन का उल्लेख किया गया है।

5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षित इन संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखों की लेखा परीक्षा में, संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ संस्थाओं के विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखो की लेखा परीक्षा वर्ष 2022-23 की अवधि में संपादित की गयी, को भी लिया गया है।

1.2-लेखा परीक्षित इकाईयों की रूपरेखा-

लेखा परीक्षा वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कुल 75 जिला पंचायते थी। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

विकास खंड स्तर पर राज्य में कुल 826 क्षेत्र पंचायते थी। जो ब्लाक प्रमुख के नियंत्रणाधीन है। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में कुल 58194 ग्राम पंचायतें थी। जो ग्राम प्रधान के नियंत्रणाधीन है। ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी होता है।

इस प्रकार तत्समय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश की लेखा परीक्षा की परिधि में उपरोक्त तीनों स्तर के कुल 59095 पंचायती राज संस्थायें थी।

1.3-लेखा परीक्षा का प्राधिकार-

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम- 2 व नियम- 174 से 180 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 186 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें उ0प्र0 में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्राधिकार निहित है।

1.4- निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना

उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है।

जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा कार्मिकों (यथा-लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) की नियुक्ति रहती है। जिनके द्वारा जनपद स्तर पर समस्त पंचायती राज संस्थाओं यथा- जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा सम्पादित/निष्पादित की जाती है। मंडल स्तर पर उप निदेशक की नियुक्ति रहती है। जिसके द्वारा जनपद स्तर पर होने वाले लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा कार्य का नियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। विभाग का ढाँचा निम्न प्रकार है-

(अ) मुख्यालय स्तरीय

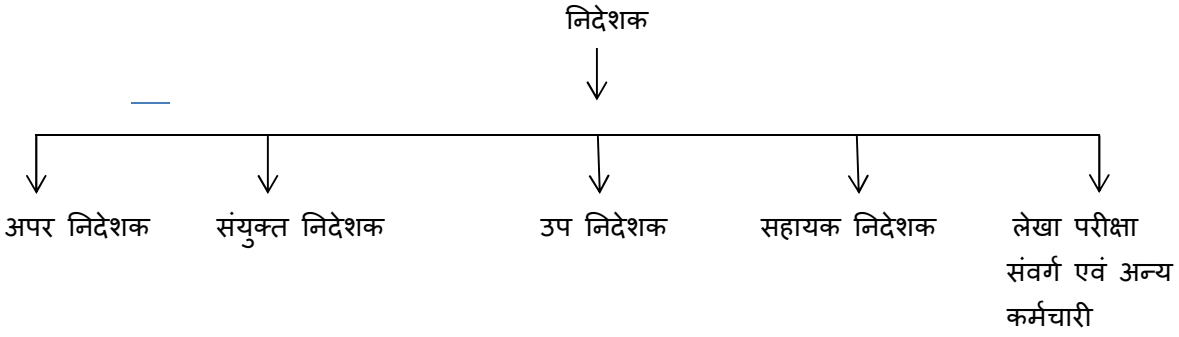

(ब) मंडल स्तरीय

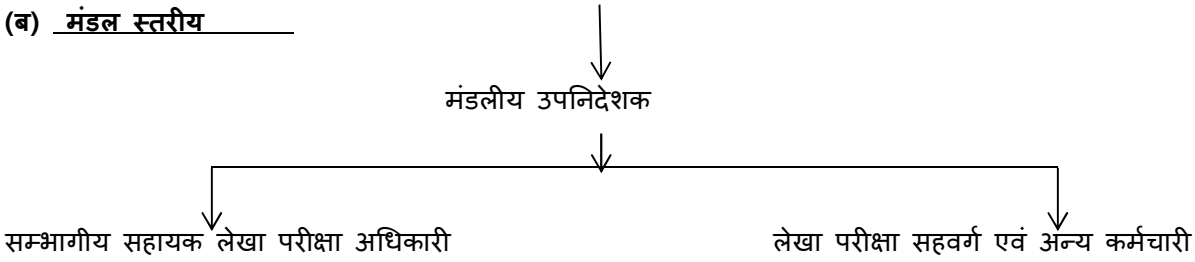

(स) जनपद स्तरीय

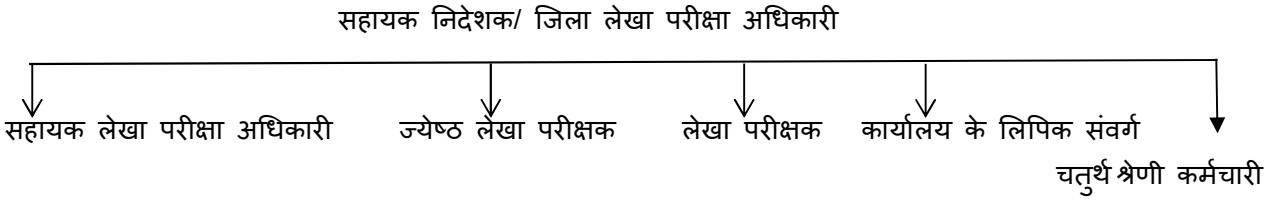

1.5-लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन-

लेखा परीक्षा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा कार्मिकों को पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कार्य के आवंटन से प्रारम्भ होती है। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित विभागीय नीति के तहत तद्नुसार वर्ष पर्यन्त लेखा परीक्षा कार्य का संचालन किया जाता है।

प्रशासनिक विभागों के अधिनियम व नियमावली में निर्धारित सीमा, प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित परिक्षेत्र के तहत संस्था के क्रिया कलाप, उनके द्वारा किये गये व्यय, वित्तीय अधिकारों की सीमा आदि का परीक्षण कर लेखा परीक्षा परिणाम निर्धारित किये जाते है।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख व अन्य संबंधित पक्षों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित मुख्य बिंदु जो अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रहते हैं। उन्हें अधिभार प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा अधिभार की कार्यवाही निर्धारित की जाती है।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा भारत सरकार द्वारा विकसित ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से शत प्रतिशत लेखापरीक्षा आंडिट आनलाइन पोर्टल पर सम्पादित की जा रही है।

1.6-निष्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति विभाग का रूझान

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियाँ संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को इस आशय से अग्रसारित किया जाता है कि निर्धारित अवधि (एक माह) के अंदर अनुपालन आख्या प्रशासनिक विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। जैसा कि प्रशासनिक विभाग में संगत अधिनियमों/नियमावली में प्रख्यापित है।

प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अनुपालन आख्या मांगे जाने का औचित्य यह है, कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का समुचित अनुपालन नियमानुसार हुआ है अथवा नहीं ? इसका सम्पूर्ण संज्ञान प्रशासनिक विभाग को रहे तथा संस्था की लेखा परीक्षा में इंगित कमियों का निराकरण प्रभावी रूप से करा कर योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसके साथ ही संगत अधिनियम एवं नियमावली में निहित अधिकारों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित पक्षों पर प्रशासनिक कार्यवाही, ब्याज सहित वसूली आदि करायी जा सके एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों में निहित सुधारात्मक पक्ष के साथ-साथ दण्डात्मक पक्ष का भी प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिससे संस्था में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जा सके एवं लोक धन पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

1.7-लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही-

वर्ष 2010-11 (पूर्ववर्ती वर्षों को सम्मिलित करते हुए) वर्ष 2011-12, 2012-2013, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सदन के पटल पर रखा जा चुका है। जिस पर विधान मण्डल की उच्च स्तरीय पंचायती राज समिति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल अपहरण, दुर्विनियोग व अन्य गम्भीर प्रकृति की अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रस्तरों पर चर्चा करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

अध्याय-2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों आय/प्राप्ति के स्रोत, व क्रियाकलापो के संदर्भ में

2.1- सामान्य विवरण-

वैदिक काल से ही भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं विद्यमान रही है। मगर अंग्रेजों के शासनकाल में ये संस्थाएं लुप्त हो गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहित किया तथा आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 के प्राविधान से इनकी गतिविधियों को अधिक बल मिला। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्रता के पूर्व से ही कार्यरत रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक 24.04.1993 से लागू हो जाने पर राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्यों के पंचायती राज कानूनों को भी एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23 अप्रैल 1994 तक संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित कर दिया जाये। तत्समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र परिषद समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 अस्तित्व में थे, अतः इन दोनों अधिनियमों में संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुरूप संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो संपूर्ण प्रदेश में दिनांक- 22 अप्रैल 1994 से लागू हो गया।

उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में मुख्यतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के उन्ही प्रावधानों को संशोधित किया गया, जो संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992 से प्रभावित थे, किन्तु कुछ ऐसे प्रावधानों को भी संशोधित किया गया,

जिसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। संशोधन के पूर्व ग्राम स्तर की संस्थाओं को गांव सभा तथा गांव पंचायत कहा जाता था। जो कि अब ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत कहलायेगा। इसी प्रकार पूर्व में क्षेत्र समिति के नाम से पहचानी जाने वाली मध्य स्तर की संस्था संशोधन के पश्चात् क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर की संस्था जिला परिषद संशोधन के बाद जिला पंचायत कहलाती है तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 हो गया।

भारतीय संविधान के तिहत्तरवे संशोधन में ग्राम पंचायत को न सिर्फ संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, अपितु विकास का केन्द्र भी बना दिया है। मनरेगा, केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके द्वारा गांव स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराने, छात्रवृत्ति एवं पौष्टिक भोजन द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता विकसित करने, उनमें अच्छी समझ एवं भाईचारे के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 58194 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में अरबो रूपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध करायी गई। जिसमें से कुल 58189 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्पन्न करायी गयी।

2.2-जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था है। प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत स्थापित है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला पंचायतें हैं। जिला पंचायत के कार्यों का सुचारू रूप से संपादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पाँच वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। जिला पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती की जाती है। जिसकी सहायता के लिए वितीय परामर्शदाता, कार्याधिकारी, स्टोर इंचार्ज, लेखाकार, अवर अभियन्ता/अभियंता टैक्स आफीसर, लिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है।

(क) जिला पंचायत के अधिकार एवं कृत्य-

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत जनपद की शीर्ष संस्था है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961के अन्तर्गत परिभाषित है। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नवत् होंगे।

1 जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करें, उससे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करना।

2 ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तरग्रामित सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।

3 जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।

4 तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।

5 ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास।

6 ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो सरकार द्वारा नियत किये जाये।

जिला पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्त्रोत -

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार जिला पंचायत की अनेकों मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। जिला पंचायतों को अपनी सम्पत्ति से भी किराये आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी जिला पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्त्रोत से आय-

1-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119-145 में जिला पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

जिला पंचायतों के निजी आय के मुख्य स्त्रोत है- लाइसेंस शुल्क, तहबाजारी, सम्पत्ति व विभव कर, मृत पशु शव निस्तारण शुल्क, सम्पत्तियों(दुकान व भवन) से प्राप्त किराया, मेला प्रदर्शनी आदि से प्राप्त कर, जिला निधि में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज, अन्य मदों से प्राप्तियाँ आदि।

(2) वाह्य स्त्रोतों से आय-जिला पंचायतों को निजी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्त्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप मे प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला पंचायतों को सामान्यतया राज्य एवं केन्द्रीय वाहन स्त्रोत की आय, वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद/विधायक निधि, आंचलिक निधि, सरकार से प्राप्त अनुदान आदि से प्राप्त होती है।

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका-

1 जिला योजना एवं श्रमिक बजट (लेबर बजट) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।

2 जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अंतर्गत आगामी वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी

2.3-क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को विकास खण्डों में विभक्त किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान 826 क्षेत्र पंचायत गठित थी। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पॉच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम की धारा-99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक एवं कृत्य-

अधिनियम की धारा-84 के अनुसार प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जब कभी भी उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है तथा प्रमुख निर्वाचित

सदस्यों के 1/5 के लिखित अधियाचन पर अधियाचन की तारीख या प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर बैठक अवश्य बुलायेगा। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित धारा-86 मामलों पर विचार करेगी तथा योजना तैयार करेगी।
1 क्षेत्र पंचायत विकास खंड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् विकास खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
2 यह योजना खण्ड विकास अधिकारी, कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत तिथि से तैयार की जाएगी।
3 विकास खण्ड के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रम।
4 ऐसे अन्य कार्य जो नियमों में उल्लिखित है।

क्षेत्र पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्त्रोत -

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार क्षेत्र पंचायत की कुछ मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी क्षेत्र पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्त्रोत से आय-

1-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131-क में क्षेत्र पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।
1.लाइसेंस शुल्क
2.दुकानों एवं हाट बाजारो में कर लगाना
3.सम्पत्ति व विभव कर
4.कॉजी हाउस पर कर
5.अन्य मदों से प्राप्तियॉ

(2) वाह्य स्त्रोतों से आय-

क्षेत्र पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्त्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप मे प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।
1.भू-राजस्व अनुदान
2.राज्य वित्त आयोग
3.केन्द्रीय वित्त आयोग
4.डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
5.मनरेगा
6.सांसद निधि
7.विधायक निधि
8.आंचलिक निधि
9.अन्य विभिन्न मदों से

क्षेत्र पंचायत के अधिकार एवं कृत्य-

अधिनियम की धारा-35 एवं 79 तथा संलग्न अनुसूची-3 व 6 में क्षेत्र पंचायत के अधिकार तथा कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की धारा-32 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय - समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

2.4 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है। एक या अधिक राजस्व गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था यथासंम्भव एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या पर की गयी है। लेखा परीक्षा काल में उ0प्र0 में कुल 58194 ग्राम पंचायते कार्यरत है। ग्राम पंचायत के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए किन्तु दो लगातार बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नही होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारू रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रबी की बैठक), इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 1/5 की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है, किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलें पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

1- ग्राम पंचायत के खातो का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।

2- पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।

3- ग्राम में समाज के सभी वर्गो के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।

4- ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।

5- ऐसे अन्य कार्य जो नियत किये जाये

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगीः-

क- सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।

ख- ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हितकारी की पहचान।

ग- ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

ग्राम पंचायतों के अधिकार व कर्तव्य कृत्य

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित

करेगी तथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों की ग्राम पंचायत को समानुदेशित कर सकती है।

1- पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।

2- पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पडी भूमि की व्यवस्था।

3-किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

कर तथा शुल्क का आरोपणः-

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत निम्नांकित कर लगायेगी

क- उन क्षेत्रों में जहां उ0प्र0 जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जौनसार वाबर जमीदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हो, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) का कर लगा सकती है।

ख- उक्त खण्ड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) कर लगा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत निम्नवत् सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।

ग- प्रेक्षागृह, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ है।

घ- ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाने जाने वाले यन्त्र चलित वाहनो से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है।

ड.- उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड-ग के अधीन केाई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर लगा सकती है। जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

च- उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क सभा लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रण में हो।

छ- वधशालाओ और पडाव की भूमि के लिये शुल्क लगा सकती है।

ज- जल शुल्क- जहां ग्राम सभा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल सम्भारित किया जाता है।

झ- यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हो, तो निजी शौचालयों और नालियों केा साफ करने के लिये कर लगा सकती है, जो उन मकानों के जिनमें वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा।

ञ- सडकों की सफाई और उन पर रोशनी की व्यवस्था के लिये कर।

ट- जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजनाओं जल सम्भरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिचाई दर।

ठ- कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उनके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये, हो और जिनका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक योजनाओं/ परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार कर लगाने व वसूलने का अधिकार है तथा राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा मूलतः चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

1 -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 (मनरेगा)

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की गयी, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते है। इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अन्यून के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिये निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान कार्य करने के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जायेगा, अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार यदि स्कीम के अन्तर्गत नियोजन चाहने वाले आवेदक को निर्धारित समय (आवेदन के पन्द्रह दिन) के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

1-मनरेगा का उद्देष्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिये उत्सुक है, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवन सुरक्षा को बढाना है।

2-मनरेगा का लक्ष्यः-

1- जहां अन्य रोजगार की सुविधा कम है। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगो को रोजगार मुहैया कराकर मजबूत सामाजिक सुरक्षा तन्त्र का निर्माण करना है।

2- ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराकर, (जो गरीबी के मूल कारण है) जैसे बाढ, सूखा, जंगलों का कटान, भूमि कटान, कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के विकास के लिये सुविधा प्रदान करना।

3- अधिनियम, ग्रामीण, जीविकोपार्जन, हेतु राष्ट्रीय रिसोर्स आधार को मजबूत करता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत व टिकाऊ सम्पत्ति का निर्माण करता है, मनरेगा में गरीबी के कारणों को पूर्णरूप से बदलने की क्षमता है।

4- ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

5- सबसे निचले स्तर पर अपने क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये स्वयं कार्य का निर्धारण करना तथा पारदर्शिता के साथ इसे पूर्ण करना।

मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

1- जल संचयन व जल प्रबन्धन।

2- वानिकी व वृक्षारोपण।

3-सिंचाई हेतु नहरें, जिसमें छोटे व अति छोटे सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित हो।

4- सिंचाई के साधन की व्यवस्था, वृक्षारोपण, हार्टीकल्चर।

5- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमि सुधार के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार, इन्दिरा आवास योजना/गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के भूमि का भूमि विकास।

6- परम्परागत जल सुविधाओं का जीर्णोद्धार, जिसमें टैकों की सफाई भी सम्मिलित है।

7- भूमि सुधार/विकास।

8- बाढ़ नियन्त्रण जिसमें जल भराव क्षेत्रों को संरक्षित करना भी सम्मिलित है।

9- ग्रामीण क्षेत्रों को जोडना, सडक का निर्माण, आवश्यकतानुसार ग्राम क्षेत्र में नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाले सड़कों पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य नहीं कराया जाना चाहिये, मनरेगा के अन्तर्गत सीमेन्ट सड़क का निर्माण प्रतिबन्धित है तथा ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास से जोड़ती है।

10- कोई अन्य कार्य जो भारत सरकार, राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अधिसूचित करे।
11-अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अन्तगत अनुमन्य है।
12- मनरेगा के अन्तर्गत भूमि क्रय अनुमन्य नही है।

2-छात्रवृत्ति योजना:-

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हे आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग-अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3- राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्त्रोतो से प्राप्त अनुदानः-

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायते कर आरोपित कर सकती है उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सडक निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयों/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यों का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं क्रय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4- मध्यान्ह भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में शासन द्वारा निर्धारित भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शासनादेशों द्वारा निर्धारित दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न में भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं गैस अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। शासनादेशों द्वारा निर्धारित परिवर्तन लागत विद्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपने देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते है। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उन्हें परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाता है।

विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौपा गया है तथा विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नवत् व्यवस्था की गयी है।

1.मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6'/8' साइज में चस्पा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरूप है कि नहीं, यह सर्वविदित रह सके।

2.भोजन वितरण के माह से पूर्व माह में खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

ख-संगठनात्मक ढॉचा- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी है। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी , राज्य स्तर पर निदेशक, ग्राम्य विकास व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, बेसिक शिक्षा व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1-जिला पंचायतें -

वर्ष 2022-23 में राज्य की कुल 75 जिला पंचायतों में से 75 जिला पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। लेखा उपलब्धता अपेक्षित सहयोग न मिलने पर लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.2-क्षेत्र पंचायतें-

वर्ष 2022-23 में राज्य की कुल 826 क्षेत्र पंचायतों में से 826 क्षेत्र पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

3.3-ग्राम पंचायतें-

वर्ष 2022-23 में राज्य की कुल 58194 ग्राम पंचायतों में से 58189 ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। तकनीकी कारणों से 05 ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर जनरेट नहीं हो पायी थी । पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर सम्पादित की जा रही है।

अध्याय-4

लेखा परीक्षा में उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य- निष्पादित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या-

1 संस्था द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।

2 किये गये व्यय में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

3 न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है।

4 संस्था द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया गया है।

5 बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है।

6 सृजित परिसम्पत्तियों का लेखांकन किया गया है।

7 निर्धारित समस्त अभिलेखों का लेखांकन, रख रखाव एवं प्रस्तुतिकरण समुचित रूप से किया गया है।

<u>लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि</u>

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि की लेखा परीक्षा अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के मध्य की गयी। जिसमें राज्य के सभी जनपदों के 59095 में से 59090 पंचायती राज संस्थाओं के उपलब्ध अभिलेखों की जॉच की गयी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों, लेखा नियमों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जनपद के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में तैनात लेखा परीक्षा कर्मियों के माध्यम से लेखा परीक्षा कार्य संपादित कराया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों (ऑनलाइन / ऑफलाइन) का परीक्षणोपरान्त लेखा परीक्षक द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑब्जर्वेशन को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्गत किया जाता है।

जनपद- आगरा मण्डल -आगरा

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

जिला पंचायत आगरा

प्रस्तर सं०- 01 .वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि निर्माण/मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 2 विन्दु 3(1) (क) में उल्लिखित किसी भी परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति को प्रस्तुत किया जाना था। सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव की जाँचोपरांत प्रस्ताव कार्य समिति को प्रेषित किया जाना था। कार्य समिति से अनुमोदन उपरान्त ही उक्त कार्य जिला पंचायत द्वारा कराया जाना चाहिये। लेखा परीक्षा दौरान किसी भी पत्रावली की जाँच में उक्त प्रक्रिया का पालन नही कर सभी कार्य स्वेच्छापूर्वक कराकर धनराशि रुपया 620157423.00 का भुगतान कर दिया गया जो गम्भीर वित्तीय अनिमियतता है। उक्त व्यय अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है जिस हेतु जिला पंचायत आगरा के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार, वित्तीय परामर्शदाता श्री पंकज कुमार सिंह एवं अभियंता अनिल कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं, अतः आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर सं०- 02.पन्द्रहवां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु 110457057.40 को नियमानुसार उपयोग -प्रत्यावर्तित न करके बैंक खातों में अवरुद्ध कर रखनाः-
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशियां अवमुक्त की जाती हैं। अवमुक्त धनराधियों का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कर लेना चाहिए जिससे क्षेत्रीय जनता को विकास कार्यों का यथासम्भव त्वरित लाभ हो सके। जिला पंचायत आगरा की रोकड बही एवं बैंक खातों की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2021-22 के अन्त तक पन्द्रहवां वित्त आयोग का कुल रू० 110457057.40 अवशेष था। जिसका उपयोग मार्च 2022 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे उक्त धनराशि का लाभ जनता को नहीं मिला, क्योंकि किसी योजना हेतु प्राप्त किसी वर्ष की धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग कर लेनी चाहिए जिससे उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को उसी वर्ष प्राप्त हो सके। साथ ही उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर 107 (5) के अनुसार नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व है, कि विनियोजन की धनराशि या उसके अंश को जिसकी वर्ष के दौरान आवश्यकता न हो, जैसे ही उसके बचत या व्ययगत होने का पूर्वाभास हो तो उसे समर्पित कर दिया जाना चाहिए, का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो गंभीर आपत्तिजनक है। रू0 110457057.40 अवशेष था जिसका उपयोग मार्च 2022 तक सुनिश्चित नही किया गया था जिससे उक्त धनराशि का लाभ जनता को नहीं मिला क्योकि किसी योजना हेतु प्राप्त किसी वर्ष की धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में उपभोग कर लेनी चाहिए| उक्त हेतु जिला पंचायत आगरा के अपर मुख्य

अधिकारी श्री प्रदीप कुमार एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री पंकज कुमार सिंह उत्तरदायी हैं, अतः आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर सं०- 03.प्रिंट पब्लिसिटी आगरा को निम्न विवरण के अनुसार जिला पंचायत द्वारा विज्ञापन लगाने के लिए भुगतान किया गया -

क्रमांक	नाम संस्था	वाउचर संख्या व दिनांक	धनराशि	विवरण
1	प्रिंट पब्लिसिटी आगरा	01/10-12-21	94400.00	विज्ञापन/फ्लेक्स एवं डिस्प्ले बोर्ड
2	प्रिंट पब्लिसिटी आगरा	02/10-12-21	94400.00	विज्ञापन/फ्लेक्स एवं डिस्प्ले बोर्ड
3	प्रिंट पब्लिसिटी आगरा	03/10-12-21	80240.00	विज्ञापन/फ्लेक्स एवं डिस्प्ले बोर्ड
4	प्रिंट पब्लिसिटी आगरा	04/10-12-21	66080.00	विज्ञापन/फ्लेक्स एवं डिस्प्ले बोर्ड
5	प्रिंट पब्लिसिटी आगरा	05/10-12-21	79650.00	विज्ञापन/फ्लेक्स एवं डिस्प्ले बोर्ड
6	प्रिंट पब्लिसिटी आगरा	06/10-12-21	79650.00	विज्ञापन/फ्लेक्स एवं डिस्प्ले बोर्ड
7	प्रिंट पब्लिसिटी आगरा	07/10-12-21	53100.00	विज्ञापन/फ्लेक्स एवं डिस्प्ले बोर्ड
			547520.00	

उक्त व्यय में निम्न आपत्तियाँ लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी-

1.उक्त कार्यों हेतु कोई कार्यादेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया

2. वे स्थान जहाँ फ्लेक्स एवं डिस्पले बोर्ड लगाये गये उनकी सूचि संलग्न नहीं पायी गयी

3. जिला पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व कार्य का सत्यापन नहीं कराया गया

4. उक्त सभी कार्यों पर कुल व्यय रुपया 547520.00 किया गया है उक्त व्यय एक ही स्वरुप के हैं एवं एक ही समय पर किये गये हैं अतः उक्त कार्य टेंडर द्वारा भी कराये जा सकते थे जिससे संस्था को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ मिलता टेंडर न कराने से उक का लाभ नहीं मिला अतः संस्था को हानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है उक्त व्यय गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है उक्त हेत उक्त हेतु जिला पंचायत आगरा के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री पंकज कुमार सिंह उत्तरदायी हैं, अतः आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर सं०- 04 जिला पंचायत आगरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत टाइड ग्रांट से संलग्न सूची के अनुसार पानी की टंकी एवं पेयजल योजना निर्मित कराई गयी है पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शी नियमों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 34/2020/1817/33-03-2020-33/2020 के द्वारा प्रस्तर संख्या 3.1 टाईड ग्रान्ट में

कराए जाने वाले कार्यों का विवरण के बिंदु संख्या (1) पाईप्ड पेयजल की योजनाएं ग्राम पंचायतों की सहमति से क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत द्वारा बनाई व संचालित की जा सकती है। उक्तयोजनाये बनाते समयग्राम पंचायतों की सहमति प्राप्त नहीं की गयी अतः धनराशि रुपया 2612400.00 का व्यय शासनादेश के विपरीत अनियमित रहा उक्त हेतु जिला पंचायत आगरा के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार अभियंता श्री अनिल कुमार मिश्र एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री पंकज कुमार सिंह उत्तरदायी हैं, अतः आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	ग्राम बाबरपुर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	127680.00
2	ग्राम फूलपुर में सार्वजनिक स्थल मंदिर के पास पानी की टंकी	127680.00
3	शमशाबाद में परमार हॉस्पिटल के सामने सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	127680.00
4	ग्राम कूमपुर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	131040.00
5	ग्राम धनोलाकलां में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	128016.00
6	ग्राम हिंगोट खेरिया में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	128128.00
7	ग्राम कुतुकपुर गुज्जर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	127680.00
8	ग्राम तारोली गुज्जर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	127680.00
9	ग्राम शाहवेद में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	127680.00
10	ग्राम रसूलपुर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	127680.00
11	ग्राम जयनगर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	131040.00
12	ग्राम मणि में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	131040.00
13	ग्राम डौकी में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	131040.00
14	ग्राम थाप खरगा में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	133168.00
15	ग्राम थाप रसूलपुर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	127680.00
16	ग्राम टीकतपुरा में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	128128.00
17	ग्राम राबर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	128128.00
18	ग्राम फतेहाबाद ग्रामीण में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	133056.00
19	ग्राम फूलपुर में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	133280.00
20	ग्राम चमरोली में सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी	154896.00
		2612400.00

प्रस्तर सं०- 05 जिला पंचायत आगरा की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कराये गये निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायतों के अन्दर भी कार्य कराये गये है जबकि उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं: 5/-866/33-2-14-93जी/2004 280 सी० पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 जून, 2014 के द्वारा निम्नलिखित परिस्थियों/ तथ्यो का उल्लेख करते हुए तीनों पंचायतीराज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत

पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारण किया गया है–

प्रदेश की जिला पंचायतों में अन्य पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे है। प्रायः यह देखने में आय कि जिला पंचायतों द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते है, जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान प्रश्नगत कार्यो को कराये जाने हेतु दिया जाता है, डुप्लीकेसी होने की सम्भावनाएं बनी रहती है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है तीनों स्तर की पंचायतें सब्सीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन (करें अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय। जिला पंचायत आगरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में संलग्न सूची के अनुसार ग्राम पंचायतों की सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर रुपया 212784669.00 का व्यय किया गया है जो कि उपरोक्त शासनादेश के आलोक में अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है जिस हेतु जिला पंचायत आगरा के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार, वित्तीय परामर्शदाता श्री पंकज कुमार सिंह एवं अभियंता अनिल कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं, अतः आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद- फिरोजाबाद मण्डल -आगरा

जिला पंचायत फिरोजाबाद:- वर्ष 2021-22

प्रस्तर-1- ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किया जाना- संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के 20 ईट भट्टों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 2.00 लाख की हानि हुई। उक्त धनराशि सम्बन्धित ईंट भटटों से न बसूल होने की स्थिति/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की बसूली संयुक्त रूप से अपर मुख्य अधिकारी, कर निरीक्षक तथा कर अधिकारी से उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या-179 (2) डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 2.00 लाख

प्रस्तर-2- शीतगृहों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किया जाना- संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के 37 शीत गृहों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 7.40 लाख की हानि हुई। उक्त धनराशि सम्बन्धित ईंट भटटों से न बसूल होने की स्थिति/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की बसूली संयुक्त रूप से अपर मुख्य अधिकारी, कर निरीक्षक तथा कर अधिकारी से उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या-179 (2) डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 7.40 लाख

प्रस्तर-3- औद्योगिक संस्थानों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न किया जाना- संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा औद्योगिक संस्थानों (प्रतिष्ठानों/मैरिजहोम/मैडिकल स्टोर) से राजस्व की ससमय वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 4.79 लाख की हानि हुई। इंगित 58 व्यावसायिक/औद्योगिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मैरिज होम/मैडीकल स्टोर इत्यादि से लाइसेंस शुल्क की वसूली न कर जिला पंचायत को रूपया 4.79 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से वसूल न होने/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की बसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा पटल लिपिक श्री शिवम से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179(2)-डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी आपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 4.79 लाख

प्रस्तर-4- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहँुचाना-

जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सडकों द्वारा जोडना एवं उनका अनुरक्षण व अनुच्छेद 2 **में वर्णित शक्तियों एवं कार्यो का कराना हैं, जिला पंचायतें जिला सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। कार्य कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव प्राप्त किये जाने चाहिए तथा कार्य दो क्षेत्र पंचायतों के मध्य ही किया जाना चाहिए। रू0 43,87,07,311=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अत: उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष** 2021-22 **में जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा निर्माण कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 43,87,07,311=00 के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-5- सम्पत्ति व विभव कर न वसूल न कर संस्था को हानि पहुंचाना- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदत्त सूची के अनुसार 07 पशु हाट/पशु मेलों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न कर जिला पंचायत को रूपया 35,000=00 (रूपया पचपन हजार) की आर्थिक क्षति पहुचायी गयी है। शासन द्वारा निर्धारित उपविधियों तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत आयुक्त आगरा मण्डल आगरा द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-288/ इक्कीस-वि0सहा0-8 (3)/2013-14 दिनांक-01 नवम्बर 2014 (सरकारी गजट उ0प्र0 प्रकाशन तिथि 10 जनवरी 2015) के अन्तर्गत व्यवसायों के सम्मुख अंकित धनराशियाँ उपरोक्त पशु हाटों से वसूल की जानी अपेक्षित है। अतः सम्बन्धित व्यक्तिओं से बकाया की वसूली रू0 35,000=00 उपरोक्तानुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 35,000=0

जनपद-मैनपुरी मण्डल -आगरा

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष - 2021-22

जिला पंचायत-मैनपुरी वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-1 उ0प्र0 जिला एवं पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय (03) के धारा 33 (02) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अंतर्गत जिला पंचायत जिला सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है ग्रामीण मार्गो को बनाने का अधिकार उक्त धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधन कमेटी द्वारा भी इस हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नही किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 (02) के अधीन जिला पंचायत को अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकारों का अतिक्रमण करके रु0 188.81 लाख का निम्न विवरण के अनुसार कराया निर्माण कार्य आपत्तिजनक है।

लेखा परीक्षा के दौरान शासनादेश संख्या 04/866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 का संदर्भ ग्रहण करें में, ईकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सदस्यों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्य योजना स्वीकृत की गयी एवं उक्त के सबंध में शासन से अनुमति भी ली गयी। ईकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि इनके द्वारा भी कोई स्वीकृति विषयक शासनादेश उपलब्ध नही कराया गया है अतः उक्त समस्त कार्य जो निर्माण कार्य कराया गया है । वह भी निर्माण कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अंतर्गत आता है उ0.प्र0 पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम 179 (02) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि अधिभार की कार्यवाही के अंतर्गत आती है जिसकी वसूली अधिभार के प्रावधानों के अनुसार बैठक में उपस्थित एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों एवं श्री तपेश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी व सहायक लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी से की जानी अपेक्षित है।

क्र	विकास खण्ड	भुगतान की तिथि	कार्य का नाम/सीसी कार्य	व्यय की धनराशि (लाख रु0 में)
1	घिरोर	8-12-20	ग्राम नीलकंठ में मुख्य मार्ग पर कंचन सिंह के घर से मोहन सिंह के घर तक स0मा0	6.59
2	बरनाहल	20-12-20	फूलापुर एमाहसन मार्ग से एमाहसन में पंचायत घर होत हुय रामप्रकाश मौर्या के घर तक सम्पर्क मार्ग	8.76
3	बरनाहल	20-12-20	न्गला गोवर्धन में प्रा0वि0 से रामदास के घर की ओर सम्पर्क मार्ग	8.84
4	कुरावली	08-12-20	मिढावली में शहीद मार्ग से नगला वसुरा सम्पर्क मार्ग	7.14
5	कुरावली	08-12-20	नगला भारा में करपाल के घर तक सम्पर्क मार्ग	7.13
6	कुरावली	08-12-20	बरौलिया में महेन्द्र सिंह के घर से शिव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग	7.19
7	मैनपुरी	08-12-20	पडरिया में रतिराम शाक्य के घर तक सम्पर्क मार्ग	4.30
8	मैनपुरी	08-12-20	दौलतपुर में मनोज के घर तक सम्पर्क मार्ग	5.89

9	मैनपुरी	08-12-20	ग्राम कंकरिया में मकरंदपुर मार्ग से श्री राधेश्याम के घर तक सम्पर्क मार्ग	7.94
10	मैनपुरी	08-12-20	नगला छेडी, दिनेश यादव के घर तक दन्नाहार सम्पर्क मार्ग	8.21
11	मैनपुरी	20-12-20	जसंवतपुर में पिंकू के टयूबवेल से मुनीश बाबा के घर तक सम्पर्क मार्ग	5.78
12	मैनपुरी	20-12-20	ज्सवतंपुर में सूरजसिंह के घर से मनोत के घर तक मार्ग	8.82
13	मैनपुरी	22-12-20	ज्सवंतपुर में रंगलाल के घर से रणजीत के घर तक सम्पर्क मार्ग	7.22
14	घिरोर	28-12-20	नगल बुधा में नेत्रपाल के घर की ओर सम्पर्क मार्ग	8.81
15	घिरोर	18-12-20	नगला घना दलवीर के घर तक सम्पर्क मार्ग	8.31
16	घिरोर	22-12-20	नगला झील अमर शहीद श्री चन्द्रभान सिंह पूर्व मा0वि0. तक सम्पर्क मार्ग	8.81
17	घिरोर	08-12-20	गं्ागसी में बलबीर के घर से राजन के क्षेत की ओर	7.73
18	घिरोर	03-03-21	ओय में अरवर सिंह के घर की ओर सम्पर्क मार्ग	8.12
19	मैनपुरी	20-12-20	ज्सबंतपुर में सोनवाल के घर से सुभाष के घर तक मार्ग	7.45
20	मैनपुरी	20-12-20	जसवतंपुर मढां में पंकज के घर से दिनेश के घर तक मार्ग	2.82
21	मैनपुरी	20-12-20	जसवंतपुर में डा0 रीमन के घर से जयदास के घर तक	7.49
22	मैनपुरी	28-12-20	लोधीपुर में सुशील यादव के घर से जनकल्याण उ0मा0वि0 तक नवीनीकरण कार्य	9.66
23	सुल्तानगंज	09-03-21	सिमरई में बिजली घर सम्पर्क मार्ग	7.76
24	घिरोर	09-03-21	नगला केहरी में स0मा0 से झण्डू के घर तक	9.93
25	घिरोर	09-03-21	ग्राम बडाहार में चांद के घर से छब्बा के मकान तक	8.11
			योग	188.81

(आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर-2 वर्ष 2020-21 में दिनांक 25.07.2019 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में टैक्सी परमिट बुलेरों वाहन किराये पर लेने हेतु विज्ञप्ति निकाली गई थी। जिसके सापेक्ष 3 कुटेशन प्राप्त कर अशोक कुमार वाहन स्वामी को गाडी संख्या यूपी 84 टी 6434 को अधिकृत कर दिनांक 26.08.2019 को दो वर्ष के लिये अनुबंध किया गया। जिसकी स्वीकृति दर रु0 700.00 प्रतिदिन, जिसमें 2 प्रतिशत जीएसटी व 2 प्रतिशत आयकर चालक सहित डीजल का भुगतान, जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा वहन किया जायेगा। जिसका प्रतिदिन का किराया निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित किया गया।

प्रतिदिन का किराया रु 700.00 2 प्रतिशत जीएसटी रु 14.00

2 प्रतिशत आयकर रु 14.00 योग- 728.00

वित्तीय वर्ष जिसका कुल 309 दिन का किराया रु0 224952.00 का भुगतान किया गया। दिनांक 24.03.2020 से 16.04.2020 तक लाकडाउन के समय गाडी न चलने के बावजूद पूर्ण भुगतान किया गया है। उपरोक्त वाहन की लागबुक मे मीटर रीडिंग प्रारम्भ व अंतिम अंकित न कर मात्र किमी अंकित किया गया। इस प्रकार दर्शित व्यय अपुष्ट रहा है।। साथ ही विभिनन तिथियों में गाडी

से कोई भी राजकीय कार्य सम्पादित नही किया गया। अत रु0 224952.00 की वसूली सम्बधित लेखाकार श्री अजय अवस्थी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री तपेश चन्द्र वर्मा से किया जाना अपेक्षित है (आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर-3 जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ को ई गवर्नेंस की गातिविधियों हेतु रु0 365000.00 चेक संख्या 090578 दिनांक 06.10.2020 द्वारा भुगतान किया गया है। सम्बंधित शासनादेश प्रस्तुत न करने के कारण भुगतान अपुष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार श्री अजय अवस्थी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री तपेश चन्द्र वर्मा से वसूली किया जाना अपेक्षित है(आपत्ति संख्या 08)

प्रस्तर-4 जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा मथुरा रिफायनरी को बिटुमिन हेतु रु. 990000.00 चेक संख्या 086352 दिनांक 24.03.2021 आरटीजीएस से भुगतान किया गया है किन्तु स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय अनिमियत रहा पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार श्री अजय अवस्थी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री तपेश चन्द्र वर्मा एवम तत्कालीन अभियंता से वसूली किया जाना अपेक्षित है(आपत्ति संख्या 09)

प्रस्तर-5 शासन के आदेश दिनांक 06.04.2020 तथा अध्यक्ष जिला पंचायत मैनपुरी के आदेश संख्या दिनांक 17.04.2020 का अंकन करते हुये उ0प्र0 कोविड केयर फंड को रु0 990000.00 अंतरण के द्वारा एसबीआई सिविल लाइन लखनऊ खाता संख्या 39245983072 दिनांक 17.04.2020 को भुगतान जिला निधि से किया गया है। सम्बंधित शासनादेश प्रस्तुत न करने के कारण भुगतान अपुष्ट रहा पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं। उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार श्री अजय अवस्थी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री तपेश चन्द्र वर्मा से वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आपत्ति संख्या 10)

प्रस्तर-6 जिला पंचायत मैनपुरी में वर्ष 2020-21 मं निम्न ठेकेदारों को किये गये भुगतान से एक प्रतिशत सीजीएसटी व एक प्रतिशत एसजीएसटी की धनराशि नही काटी गयी है।

क्र	कार्य का नाम	ठेकेदार	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल राशि	कटौती
1	शाहजहापुर में शहीद मार्ग से रामेश्वर के घर तक सीसी	किशन स्वरुप	5706	5706	11412	00
2	नगला भरा में शभूं के घर से इनाम सिंह के घर तक सीसी	प्रदीप कुमार	4841	4841	9682	00
			10547	10547	21094	00

उक्त धनराशि की वसूली अंभियंता श्री जयराम सिंह, लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री तपेश चन्द्र वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 14)

जनपद- अलीगढ़ मण्डल -अलीगढ़

सम्मिलित वर्ष -2019-20 व 2021-22

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 :- जिला पंचायत:-

अधिभार से सम्बंधित गम्भीर आपत्तियों का सक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के निर्माण कार्यो की पत्रावलियों की जांच में निम्न लिखित गम्भीर आपत्तिया पायी गई-

प्रस्तर-1-पत्रावली में संलग्न ठेकेदार की स्वघोषणा शपथ पत्र में ठेकेदार की श्रेणी का अंकित कालम नही भरा गया है। अतः बिना श्रेणी के यह तथ्य अज्ञात रहा कि ठेकेदार कितनी धनराशि तक का ठेका ले सकते हैं। साथ ही ठेकेदार लाइसेन्स के नवीनीकरण को प्रमाणित छाया प्रति की संलग्न नही है। ठेकेदार की श्रेणी एवं नवीनीकरण के साक्ष्य पत्रावलियों में संलग्न किये जाने आवश्यक थे।

प्रस्तर -2-ठेकेदार जिला पंचायत का अनुमोदित ठेकेदार है या नही की पुष्टि में उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या -18 के अनुसार अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया तथ अनुमोदित ठेकेदार का रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रू0 100.00 की जमा रसीद का उल्लेख व रसीद की छाया प्रति संलग्न नही है, जो आवश्यक थी।

प्रस्तर -3-उत्तर प्रदेश खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 200 में प्राविधानित है कि ए क वैद्य परिवहन पास (एम0एम0.11प्रपत्र) के बिना खनिजों का परिवहन अनियमित है। अग्रेतर फरवरी 2001 , अगस्त 2001 और अक्तूबर 2006 में निर्गत शासकी आदेशो के अनुसर कार्य सम्पादित करने वाली संस्थाओं को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों से एम0एम0.11प्रपत्रों की वैद्यता की पुष्टि कराये जाने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी रायल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी है। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी ठेकेदारों के देयको से रायल्टी की धनराशि की कटौती करने में विफल रहता है तो यह अधिकारी हानि की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। सम्बन्धित कार्यदायी ऐजेन्सी के आहरण एवं वितरण अधिकारी को जिलाधिकारी/निदेशक, भूतल एवं खनिकर्म को एंक मासिंक विवरण/प्रमाण पत्र, जिसमें रायल्टी देय बकाया नही है अथवा कोई धनराशि खजाने में जमा किये जाने के लिए शेष नही है। प्रस्तुत करना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी की रसीद को प्रारूप डड.11के रूप में प्रस्तुत नही किया जाता है, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। साथ ही इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, उ0 प्र0, शासन के पत्र संख्या-3385(1)/86-2015-292/2015, दिनांक 15 अक्तूबर 2015 के प्रतर 3(3) के अनुसार श् यदि सार्वजनिक निमार्ण कार्यो में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना वैद्य अभिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 के किया जाता है, तक प्रयुक्त उप खनिज की रायलटी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यता रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेख शीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रैजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। श्उक्त नियमों का पालन नही हुआ। विवरण तालिका प्रस्तुत है। लेपन कार्य, सी0सी0 रोड, इण्टरलाकिग कार्य आदि की

रायल्टी से सम्बन्धित विवरण निम्नवतहैः-(ये समस्त रायल्टी अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है)

1-ग्राम परसेरा में विनोंद के घर से स्व0 शैलेन्द्र कुमार तोमर की समाधि तक लेपन कार्यः-(लोधा) अवर अभियन्ता- श्री जगदीश सिंह

(।)कोइ एम0एम0-11 संलग्न नही है और कोई रायल्टी भी नही काटी गई है। लेखा परीक्षा द्वारा आगणित रायल्टीः-

जी0-1 -- 45×1.28 =57.60 धन मी0×110 = 6336-00

जी0-2---142.90×1.477 =211.06 धन मी0×110 = 23216-60

जी0-3--- 145.32×1.45 =210.71 धन मी0×110= 23178-10

प्रीमिक्स कार्पेट-1995.16×0.027= 52-79 धन मी0×160= 8446-40

सील कोट-1995.16×0.009 =17-60 धन मी0×160= 2816-00

कुल रायल्टी:-(पेनाल्टी सहित) --6×63993-10 = 383959-00

2-अलीगढ अकरावत रोड से नदरोई सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन/इण्अरलाकिंग कार्यः-- अवर अभियन्ता- श्री जगदीश सिंहः-

(।) कुल 6 ई ट्रांजिट पास है, जो सभी कार्य के पूर्व के है। दो 28 अगस्त 2018 के है। दो 17 दिसम्बर 18 का एक 23 दिसम्बर 18 का व एक 15 अक्तूबर 2018 का है। जबकि इस कार्य का कार्यादेश 14 फरवरी 2019 में हुआ है। अतः पूर्व के यह ट्रांजिट पास अप्रसांगिक है।

(।।) लेखा परीक्षा द्वारा रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 112.53×1.28 = 144.04 धन मी0×110 = 15844-40

जी0-2---190.60×1.477 = 281.52 धन मी0×110 = 30967-20

जी0-3--- 189.93×1.45 = 275.40 धन मी0×110= 30294-00

प्रीमिक्स कार्पेट-2541.63×0.027 = 68.62 धन मी0×160= 10979-00

सील कोट-2541.63×0.009= 22.87 धन मी0×160= 3659-20

योग रायल्टी----- 91744-00

इण्टरसेट विनियम शुल्क-- 792.5धन मी0×दर रू0 50= 39622-50

पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी--- 6×91744 = 550464-00

विनियमय 36622-00

योग 590086-00

3-मढा हबीबपुर से महगौरा लिंक मार्ग तक लेपन कार्यः- अवर अभियन्ता- श्री जगदीश सिंह

(।)ट्रांज़िट पासों का विवरण

1- सं0701026 दिनांक 26.09.18 प्रपत्र 34 है- कार्य अवधि अवधि से पूर्व का है।

2-सं0 0650909 दि0 23.12.18वाहन संख्या व खनिज प्रेषण की तिथि मेंअपरलेखन कर बदला गया है

3- सं0 609073 दि0 10.12.18 कार्य अवधि से पूर्व का है।

4- सं0 0776158 दि028.11.18 कार्य अवधि से पूर्व एवं स्थान गौमत है।

5- सं0 0776244 दि0 27.12.18 स्थान ब्योही अलीगढ है।

साथ ही अन्य ट्रांज़िट पास किसी अन्य सप्लायर के0के0 कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स अलीगढ के नाम के है। अतः इन ट्रांज़िट पासो को बैद्यता पुष्ट न हो सकी।

(।।) रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 283.47×1.28 = 362.84 धन मी0×110 = 39912.40

जी0-2---157.28×1.477 = 232.30 धन मी0×110 = 25553.00

जी0-3--- 156.66×1.45 = 227.16 धन मी0×110= 24987.60

प्रीमिक्स कार्पेट-2107×0.027= 56.89 धन मी0×160= 9102.40

सील कोट-2107×0.009= 18.96 धन मी0×160= 3033.60

योग रायल्टी----- 102589.00

अन्तर्राज्यीय विनियम शुल्क-- 898.15 धन मी0×दर रू0 50= 44907.50

पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी- -- 6×102589.00= 615534.00

योग 660441.00

4-ग्राम कारस में मां दुर्गा के मन्दिर से हरियां की नगरिया की ओर लेपन/ इण्टरलाकिंग कार्यः- अवर अभियन्ता श्री जगदीश सिंह

पत्रावली में संलग्न कुल ट्रांजिट पासों में से अन्य किसी व्यक्ति/ सप्लायर के नाम के पास एवं अन्य स्थानों के पास अमान्य रहे! परन्तु स्थान अलीगढ के पासोंका विवरण निम्नवत् रहेंः-

1- जेडएफएनएफ 1003582142/21.02.19 60.02 एम टी

2. केएचवीजी 1002667936/24.02.19 48.90 एम टी

3. क्यूईएक्सएन 1003631392/25.02.1 47.22 एम टी

4. क्यूईएक्सएन 1003681441/01.03.19 41.76 एम टी

5. जेएलओजी 1003348233/01.02.19 48.62 एम टी

6.केएचयूजी100267736/24.02.19 38.30 एम टी

7. बीएचएक्सवी 1003668275!/28.02.19 50.12 एम टी

8. बीएचएक्सवी 1003668985/ 28.02.19 46.02 एम टी

ट्रांजिट पासें की कुल मात्रा-- 380.96 एम0 टी0 चूकि 1 एम0 टी0 = 0.625 धन मी0

380.96 एम टी = 380.96×0.62 = 238.10 धन मी0

रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 226.86×1.28 = 290.38 धन मी0×110 = 31941.80

जी0-2---96.70×1.477 = 42.82 धन मी0×110 = 15710.20

जी0-3--- 96.41×1.45 = 139.79 धन मी0×110= 15376.90

प्रीमिक्स कार्पेट-1650×0.027= 44.55 धन मी0×160= 7128.00

सील कोट-1650×0.009= 14.85 धन मी0×160= 2376.00

योग कुल मात्रा 632.39 72532.90

परन्तु उचित ट्रांजिट पासों की कुल मात्रा 238.10 धन मी0 पर गणना करने पर रायल्टी (230.10×110= 26191) 26191 इसमें से कम करने पर शेष रायल्टी46342, पेनाल्टी रू0 231710 एवं विनियमन शुल्क (632.39×50) = 0 31619.00 कुल धनराशि 309671-00 कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

5-जरारा से मरघट (पंडितो का शमशान) तक लेपन कार्यः- अवर अभियन्ता श्री जगदीश सिंह इस कार्य के ठेकेदार मेसर्स अर्थदेव कान्स्ट्रक्शन के ट्रांजिट पासों का विवरण निम्नवत हैः-

डब्लूवाईएमबी 1004957914/28.06.19 48.80 एम टी

यूएक्ससीडी 1005016977/03.07.19 52.42 एम टी

क्यूईएक्सएन 1004993852/01.07.19 53.17 एम टी

क्यूईएक्सएन 1004995186/01.07.19 51.71 एम टी

कुल योग----206.10 एम टी = 206.10×0.625 धन मी0 = 128.81 धन मी0

रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 250.75×1.28 = 320.96 धन मी0×110 =	35305.60
जी0-2---138.27×1.477 = 204.22 धन मी0×110 =	22464.20
जी0-3---134.55×1.45 = 195.10 धन मी0×110=	21461.00
प्रीमिक्स कार्पेट-1860.75×0.027= 50.24 धन मी0×160=	8038.40
सील कोट- 1860.75×0.009= 16.75 धन मी0×160=	2680.00
योग कुल मात्रा 787.27 धन मी0	89949.20

इसमें से उचित ट्रांजिट पासों की कुल मात्रा 128.81 पर रायल्टी रू0 14169.10 (128.81 × 110 -14169.10) कम करने पर शेष रायल्टी रू0 75780.00 पेनाल्टी रू0 378900.00 एवं अन्तराज्यीय विनियम शुल्क रू0 39363.00 को (787.27×50)-39363.00 कुल रू0 494043.00 कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

6-जीवाराम नगला रोड से रामपुर चंदियाना ग्राम लहरा सलेमपुर की ओर लेपन कार्यः- अवर अभियन्ता- श्री बलराम सिंह

(।) पत्रावली में जितने भी ई ट्रांजिट पास संलग्न है व हरेन्द्र सिंह कान्स्ट्र टांजेक्टर के नाम के एवं मैसर्स भाग्य श्री इण्टरप्राईसेस के हैं। कार्य के ठेकेदार मैसर्स दीप कन्स्ट्रक्शन के नाम का एक भी नही है। अतः बैध नही माने जा सकते।

(।।) रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 257.56×1.28 = 329.68 धन मी0×110 =	36264.60
जी0-2---142.73×1.477 = 210.81 धन मी0×110 =	23189.00
जी0-3--- 125.27×1.45 = 181.64 धन मी0×110=	19980.40
प्रीमिक्स कार्पेट-1908.75×0.027 = 51.54 धन मी0×160=	8246.40
• सील कोट- 1908.75×0.009= 17.18 धन मी0×160=	2748.80
योग कुल मात्रा 790.85 धन मी0	90429.00

अतः रायल्टी रू0 90429.00,पेनाल्टी रू0 452145.00 एवं विनियम शुल्क रू0 39542.00 (790.85 × 50)

-39542.50 कुल रू0 582116.00 कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

7-नगला मीरपुर प्राइमरी स्कूल के आगे से खेरूपुरा की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्यः-अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह-पत्रावली में ठेकेदार मैसर्स दयाशंकर कान्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स के नाम से मात्र दों ट्रांज़िट पास हैः-

1-अईएचएनपी1003852706/16.03.19 49.94 एम0 टी0

2-क्यूईएक्सएन1003861678/17.03.19 58.13 एम0टी0
कुल मात्रा 106.07 एम0टी0-- 67.54 धन मी0
परन्तु कार्य में प्रयुक्त् उप खनिज की मात्रा एवं रायल्टी निम्नवत् है।
जी0-1 -- 280.11×1.28 = 358.54 धन मी0×110 = 39439.40
जी0-2---155.39×1.477 = 229.51 धन मी0×110 = 25246.10
जी0-3--- 147.09×1.45 = 213.28 धन मी0×110= 23460.80
प्रीमिक्स कार्पेट-2088.75×0.027= 56.40 धन मी0×160 = 9024.00
सील कोट- 2088.75×0.009= 18.79 धन मी0×160= 3006.40
योग कुल मात्रा 876.50 धन मी0 100176.70
अतःदो ट्रांजिट पासो की मात्रा पर रायल्टी रू0 7429.40(67.54धन मी0×110) कम करने के पश्चात रायल्टी रू0 92747.00 पेनाल्टी रू0 463735.00 एवं विनियम शुल्क रू0 43826.00 कुल धनराशि रू0 600308-00 कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।
8- जोर की गढी से मुख्य सडक (जटटारी- टप्पल) पर मरम्म्त/ लेपन कार्यः-

पत्रावली में कोई ई ट्रांज़िट पास संलग्न नही है। अतः समस्त प्रयुक्त खनिज पर प्नाल्टी की गणना की गई। अवर अभियन्ता - श्री जगदीश सिंह
जी0-2---9-87×1.477 = 14.58 धन मी0×110 = 1603.80
जी0-3--- 29.59×1.45 = 42.90 धन मी0×110= 4719.00
प्रीमिक्स कार्पेट-1242 ×0.027= 33.53 धन मी0×160= 5364.80
सील कोट- 1242 ×0.009= 11.18 धन मी0×160= 1788.80
योग कुल मात्रा 102.19 धन मी0 13476.40

अतःअवैधपरिवहन के कारण रायल्टी रू0 13476, पेनाल्टी रू0 67380 कुल धनराशि रू0 80856.00 कोषागार मे जमा किया जाना अपेक्षित है।फ
9-नूरपुर की तरफ भगवानपुर की ओर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/लेपन कार्यः- अवर अभियन्ता- श्री अरूण शर्मा
(।) वाहन पास में जो प्रपत्र लगा है (प्रपत्र 12 सी) वह उप खनिज अमित ट्रेडर्स अलीगढ को भेजा गया है। प्रेषण की तारीख में भी वर्ष अस्पष्ट है।
(।।) रायल्टी की गणनाः-
जी0-2---15.96×1.477 = 23.57 धन मी0×110 = 2592.70
जी0-3--- 39.90×1.45 = 57.85 धन मी0×110= 6363.50
प्रीमिक्स कार्पेट-2268 ×0.027= 61.24 धन मी0×160= 9798.40
सील कोट- 2268 ×0.009= 20.41 धन मी0×160= 3265.60
योग कुल मात्रा 163.07 धन मी0 22020.20
अतः पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी रू0 132120.00 (6×22020) कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।
10-आरामगढी थानपुर हीसैल रोड पर स्थिति प्रा0 वि0 थानपुर से ग्राम थानपुर तक सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत / लेपन कार्य:- अवर अभियन्ता श्री अरूण शर्मा

(।) शिवानी बिल्डर्स कार्य के ठेकेदार के नाम से जो एक मात्र ई ट्रांजिट पास संलग्न है वह दिनांक 29.01.19 का है। परन्तु जी02 जी03 प्रीमिक्स कार्पेट एवं सील कोट के कार्य प्रथम रनिंग विल में (दि0 27.12.18 में)पहले ही हो चुके थं। अतः यह ट्रांज़िट पास अप्रसांगिक रहा।

(।।)अतः बिना एम0एम0-11 / ट्रांजिट पासों के प्रयुक्त उप खनिज पर रायल्टी की गणना की गईः-

जी0-2---10.99×1.477 = 16.23 धन मी0×110 =	1785.30
जी0-3--- 37.05×1.45 = 53.72 धन मी0×110=	5909.20
प्रीमिक्स कार्पेट-1167.50 ×0.027= 45.02 धन मी0×160=	7204.80
सील कोट- 1667.50 ×0.009= 15.00 धन मी0×160=	2400.00
योग कुल मात्रा	17299.30

अतः पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी रू0 103796.00 (6×17299.30) कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

11-अमरौली बम्बा से नगला ब्राहमण सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्यः-

(।)इस कार्य के ठेकेदार श्री जितेन्द्र पाल सिंह अलीगढ के नाम से कुल 9 ई ट्रांजिट पास थं जिनमें कुल मात्रा 501.36 एम0टी0 थी अर्थात् 501.36×0.62 = 313.25 धन मी0 थी। परन्तु कार्य में प्रयुक्त उप खनिजों की मात्रा व रायल्टी निम्न प्रकार थी।

जी0-1 -- 64.89×1.28 = 83.06 धन मी0×110 =	9136.60
जी0-2---144.66×1.477 = 213.66 धन मी0×110 =	23502.60
जी0-3--- 141.10×1.45 = 204.59 धन मी0×110 =	22504.90
प्रीमिक्स कार्पेट -1884.65 ×0.036= 67.95 धन मी0×160= एवं सील कोट	10872.00
योग कुल मात्रा 569.26 धन मी0	66016.10

अतः 09 ट्रांजिट पासो की मात्रा पर रायल्टी रू0 34468 (313.35धन मी0×110) कम करने के पश्चात रायल्टी रू0 31548, विनियम शुल्क रू0 189288.00 कुल धनराशि रू0 220836.00 कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

12-गावरी में दाउपुर की ओर मरम्मत/ लेपन कार्य- वि0 ख0 जवांः-

(।) -इस कार्य में जो दो ई ट्रांजिट पास संलग्न है, वह क्रमशः दि0 10.01.19 एवं 12.01.19 के है। ये तिथियां कार्य समाप्ति के बाद की है अतः औचित्यहीन है। अवर अभियन्ता- श्री विजय यादव

(।।) अतः कार्य में प्रयुक्त सामग्री जो बिना एम0एम0-11 /ई ट्रांजिट पास के प्रयुक्त की गई उसकी गणना निम्न प्रकार हैः--

जी0-3--- 81.07×1.45 = 117.55 धन मी0×110= =	12930.50
प्रीमिक्स कार्पेट-3660 ×0.027= 98.82 धन मी0×160=	15811.20
सील कोट- 3660 ×0.009= 32.94 धन मी0×160=	5270.40
4-पी0सी0सी0(1:2:4)20 एम0एम0 स्टोन ग्रिडत्र13.42 धन मी0×0.90×160=	1932.48
योग	35944.58

अतः पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी रू0 215667.00 कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

13- सम्पर्क मार्ग नगला पछाव (नगला बरी) डाबर रोड से जाहरवीर मन्दिर की ओर लेपन कार्य वि0ख0 अकराबाद अवर अभियन्ता-- श्री विजय यादवः-

इस कार्य में परिवहन बिना एम0एम0-11 /ई ट्रांजिट पास के किया गया है, अतः परिवहन के वैद्य होने की पुष्टि न हो सकी। परन्तु संस्था द्वारा रू0 132139.00 की रायल्टी भी काटी गई है। परन्तु बैद्य परिवहन की पुष्टि के अभाव में 5 गुना पेनाल्टी की धनराशि रू0 660695.00 कोषागार में और जमा कराई जानी थी जो नही कराई गई। इसे भी जमा कराया जाना अपेक्षित है।

14-स0मा0डोरई से लोधई सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य वि0 ख.0 गंगीरीः-

(।) इस कार्य के लिए प्रयुक्त एक भी ई ट्रांजिट पास ठेके की फर्म मैसर्स उमांशकर शर्मा अलीगढ के नाम से नही है एवं कुछ पास रिक्त है।(कन्साइनी नाम व स्थान रिक्त है) अथवा किसी अनय फर्म /ठेकेदार मैसर्स हरेन्द्र सिंह कान्ट्रैक्टर के नाम से है।अतः इस ई ट्रांजिट पासों की वैद्यता पुष्ट नही है। अवर अभियन्ता- विजय यादव

(।।) रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 265.57×1.28 = 339.93 धन मी0×110 =	37392.30
जी0-2---145.20×1.477 = 214.46 धन मी0×110 =	23590.60
जी0-3--- 144.20×1.45 = 209.09 धन मी0×110=	22999.90
प्रीमिक्स कार्पेट-1935 ×0.027= 52.25 धन मी0×160=	8360.00
सील कोट- 1935 ×0.009= 17.41 धन मी0×160=	2785.60
योग	95128.40

अतः 5 गुनी पेनाल्टी सहित रायल्टी की धनराशि रू0 570770.00 कोषागार में अविलम्ब जमा कराई जानी अपेक्षित है।

15-ग्राम हसनगढ से पत्ते की नगलियां तक लेपन कार्य । वि0 ख0 गोण्डा अवर अभियन्ता- जगदीश सिंह

(।) ठेकेदार / फर्म मैसर्स चिरंजीलाल ठेकेदार मथुरा के नाम से ई ट्रांजिट पासों के उप खनिज की मात्रा गणना करने पर 318.68 एम0टी0 आती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।ः--

1.एचवीवाईबी 1004002726 दि॰ 03.04.19	56.92 मीट्रिक टन
2. एचवीवाईबी 1004003630 दि॰07.04.19	56.04 मीट्रिक टन
3. आईएचएनपी 1004016922 दि॰ 05.04.19	48.24 मीट्रिक टन
4. आईएचएनपी 1004024140 दि॰05.04.19	47.43 मीट्रिक टन
5. केएसडीएस 1004559662 दि॰24.05.19	43.41 मीट्रिक टन तिथि बाद की है इसे जोडा नही गया हेै
6. बीसीईए 1003984163 दि॰201.04.19	54.19 मीट्रिक टन
7. एचवीवाईबी 1003619872 दि॰23.02.19	55.86 मीट्रिक टन
योग 318-68 एम0टी0 ×0.625 =	199.175धन मी0

(।।) शेष उप खनिज रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 265×1.28 = 339.20 धन मी0×110 =	37312.00
जी0-2---152×1.477 = 224.5 धन मी0×110 =	24685.00
जी0-3--- 151×1.45 = 218.95 धन मी0×110=	24084.50
प्रीमिक्स कार्पेट-2000 ×0.027= 54 धन मी0×160=	8640.00
सील कोट-2000×0.009= 18.00 धन मी0×160=	2880.00

योग 97611.50

इसमें 199.175धन मी0 की रायल्टी रू0 21909-25 (199.175×110) कम करने पर शेष रायल्टी रू0 75702-00एवं पेनाल्टी रू0 378510.00 कुल रू0 454212.00 कोषागार मे अविलम्ब जमा किया जाना अपेक्षित है।

16-नगला कौशलपुरी माजरा कैम्बीपुर से रामघाट की ओर मरम्मत / लेपन कार्य अतरौली अवर अभियन्ता-बलराम सिंह

(।)इस कार्य में जो एम0एम0-11 संलग्न है वह दिनांक 25.12.18 को 1 पी0एम0 पर जनरेट हुआ है तथा यह दिनांक 26.12.18 के 11.20 ए0एम0 तक बैद्य था। जबकि द्वतीय एम0बी0 मंे दर्शित 51.62 धन मीटर जी0 3 का उपभोग इस एम0एम0-11 से नही हुआ है। साथ ही इस एम0एम0-11 में मौरंग आया था व भी 11 धन मी0 ही मात्रा थी। अतः इस एम0एम0-11 का उपयोग किया जाना अप्रसांगिक रहा।

(।।) रायल्टी की गणनाः-

जी0-3--- 60.75×1.45 = 88.09 धन मी0×110= 9689.90

प्रीमिक्स कार्पेट-4500×0.027= 121.50 धन मी0×160= 19440.00

सील कोट- 4500 ×0.009= 40.50 धन मी0×160= 6480.00

योग 35609.90

अतः 5 गुना पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी की धनराशि रू0 213659.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

17-ग्राम पडियावली ऐसी पला आगरा रोड से बफरखाने बाबा नीम करौरी मन्दिर के पीछे तक इण्टरलाकिंग कार्य वि0 ख0 लोधा अवर अभियन्ता- जगदीश सिंहः-

(।) इस कार्य में जो ई ट्रांजिट पास संलग्न है वे कार्य प्रारम्भ होने की (कार्यादेश की तिथि 16.01.19) तिथि से पूर्व की तिथियों के हैं। अतः अप्रसांगिक है।

(।।) प्रयुक्त अप खनिज की रायल्टी का गणनाः-

जी0-1 -- 190×1.28 = 243.20 धन मी0×110 = 26752.00

जी0-3--- 106×1.45 = 153.70 धन मी0×110 = 16907.00

पी0सी0सी0(1ः2ः4)स्टोन ग्रिट 39.08×0.90= 35.172= 5627.52

योग 49286.52

अतः 5 गुना पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी की धनराशि रू0 295719.00 अविलम्ब कोषागार मंे जमा की जानी अपेक्षित है।

18-चण्डौस बरका डाबर रोड से नगला बाग व नवाबपुर की ओर इण्टरलाकिंग टायल्स कार्यः- अवर अभियन्ता- बलराम सिंह

(।) इस कार्य में जो ई ट्रांजिट प्रपत्र संलग्न है उनमें से फर्म / ठेकेदार के नाम से एक भी पास नही है। किसी अन्य सप्लायर या स्टाकिस्ट के नाम से हैं जिनसे प्रपत्र फार्म सी0 प्राप्त किया जाना था जो नही किया गया है। अतः सारे ई ट्रांजिट पास अप्रसांिगक है।

(।।) प्रयुक्त अप खनिज की रायल्टी का गणनाः-

जी0-1 -- 30.25×1.28 = 38.72 धन मी0×110 = 4259.20

जी0-3--- 56.57×1.45 = 82.03 धन मी0×110= 9023.30

पी0सी0सी0(1ः2ः4)स्टोन ग्रिट 16×0.90= 14.40×160= 2304.00

योग 15586.00

अतः 5 गुना पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी की धनराशि रू0 93519.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

19-ग्राम जलालपुर में पुरानी इण्टरलाकिंग टायल्स से स्वामी जी की कुटी तक इण्टरलाकिंग टायल्स कार्य-- टप्पल-- अवर अभियन्ता-- श्री जगदीश सिंह

(।) पहला ई ट्रांजिट पास (प्भ्च्छच्1002734238/दि007.12.18) जो फर्म बालाजी एण्टरप्राइजेस अलीगढ के ही नाम है इसमें दि0 07.1ृ2.18 में 7 को पेन से फर्जी तरीके से काटकर 27 दिसम्बर किया गया है एव नीचे जनरेटेड कनफरमेशन की तिथि 06 दिसम्बर को पेन से फर्जी तरीके से काटकर 26 दिसम्बर 2018 किया गया है। से कृत्य अवैध है। अतः यह पास अमान्य है।

छूसरे पास में कन्साइनी का नाम व स्थान नही है। जबकि तीसरे पास में (प्भ्च्छच्1002933773/दि0 26.12.18)में मात्रा 50.88 एम टी × 0.625धन मीटर अर्थात् 31.80 धन मीटर है इसकी रायल्टी रू0 3498.00(31.80× 110) अन्तिम रायल्टी में से कम कर की जायेगी।

(।।) प्रयुक्त अप खनिज की रायल्टी का गणनाः-

जी0-1 -- 95.33×1.28 =122.02 धन मी0×110 = 13422.00

जी0-3--- 38.47×1.45 =55.78 धन मी0×110= 6135.80

पी0सी0सी0(1ः2ः4)स्टोन ग्रिट 12.76×0.90=11.48= 1836.80

योग 21394.80

इसमें से 3498.00 कम करने पर शेष रायल्टी 17896.80 बचती है। इस पर 5 गुना पेनाल्टी सहित कुल धनराशि रू0 107381.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

20- स0 मा0 रहसूपुर मार्ग से ईदगाह की ओर ऊटगिरी मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्यः- धनीपुर अवर अभियन्ता- श्री विजय यादव

(।) एक ई ट्रांजिट पास नम्बर ल्ग्ग्ठ1003449645 दिनांक 09.02.19 का संलग्न है जो मेसर्स अम्बिका कनस्ट्रक्शन कम्पनी अलीगढ के नाम है। इसमें 48.56 एम0टी0 उप खनिज आया है। परन्तु एम0बी0 के अनुसार दि0 02.01.19 में 132.93 धन मी0 तथा 08.01.19 में 141.90 धन मी0 का जी0एस0बी0 का कार्य हो चुका था।दि0 10.02.19 में कार्य समाप्त हो गया है। जिससे 148.56 धन मी0 जी0एस0बी0 का कार्य हुआ है एवं 29.52 घन मी0 का च्ब्ब् (1ः2ः4) 20 एम0एम0 स्टोन ग्रिड का कार्य हुआ है।अतः दिनांक 09.02.19 को जनरेटेड एवं 10.02.19 को अलीगढ पहुंचे हुए उप खनिज से पहले ही कार्य किया जा चुका था। अतः यह ई ट्रांजिट पास अप्रसांगिक रहा।

(।।) प्रयुक्त अप खनिज की रायल्टी का गणनाः-

जी0एस0बी0 जी0-1 -- 148.56×1.28 =190.16 धन मी0×110 = 20917.60

पी0सी0सी0(1ः2ः4)20 एम0एम0 स्टोन ग्रिट 29.52×0.90=26.57= 4251.20

योग 25168.80

इस प्रकार बिना एम0एम0-11 या ई ट्रांजिट पास के प्रयुक्त उप खनिज पर 5 गुना पेनाल्टी के साथ रायल्टी की धनराशि रू0 151013.00 होती है। इसकी अविलम्ब कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

21-नगला सिंह में गहगौरा काली सडक से बालक बाबा मन्दिर होते हुए महगौरा तक इण्टरलाकिंग टायल्स कार्यः- खैर अवर अभियन्ता–अरूण शर्मा

1- मात्र एक ई ट्रांज़िट पास संलग्न है जो फर्म के नाम न होकर किसी अन्य फर्म शौकीन ट्रेडर्स सिकन्दराबाद बुलन्दशहर के नाम से है।अतः यह ट्रांजिट पास इस कार्य के लिए अमान्य है।

2-रायल्टीकी गणनाः--

जी0-1 --210.50×1.28 =269.64 धन मी0×110 =	29638.40
जी0-3---112.50×1.45 =163.125 धन मी0×110=	17943.75
योग	47582.15

इस प्रकार 5 गुना पेनाल्टी के साथ रायल्टी की कुल धनराशि रू0 285493.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

22- ग्राम बझेडा में प्राइमरी स्कूल से संजू पुत्र राम प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग टायल्स कार्यः- चण्डौस अवर अभियन्ता-- श्री विजय यादव

1-जो भी इस कार्य के लिए ई ट्रांजिट पास संलग्न है, उसमे से एक भी कार्य करने वाली फर्म शिवानी बिल्डर्स के नाम स नही है। एक पास के0के0 कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर के नाम का दिनांक 23.01.19 का है। लोकेशन / पता के स्थान पर कपिनदर कुमार कान्ट्रेक्टर लिखा हुआ है। शेष सभी पास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के हैं।

(।।) प्रयुक्त अप खनिज की रायल्टी का गणनाः-

जी0-1 -- 273.50×1.28 =350.08धन मी0×110 =	38508.80
जी0-3--- 145.20×1.45 =210.54 धन मी0×110=	23159.40
पी0सी0सी0(1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 42.50×0.90=38.25=	6120.00
सी0सी0(1ः6ः12) 40 एम0एम0स्टोन ग्रिट 0.68×0.90=0.61=	97.92
योग	67886-12

इसमें से 3498.00 कम करने पर शेष रायल्टी 17896.80 बचती है। इस पर 5 गुना पेनाल्टी सहित कुल धनराशि रू0 407317.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

23-सिरावली से पूर्व माध्यमिक विद्यालय की ओर ग्राम समाज के बाग तक इण्टरलाकिंग कार्यः- धनीपुर अवर अभियन्ता विजय यादव

1-इस कार्य में प्रयुक्त मात्र एक ई ट्रांज़िट पास दि0 26.02.19 का है, जिसमें कनसाइनी नाम एंव पता भाग्य श्री इण्टरप्राईजेस फिरोजाबाद लिखा है। अतः यह ट्रांजेक्टर पास औचित्यही है।

(।।) प्रयुक्त अप खनिज की रायल्टी का गणनाः-

जी0-1 --185.50×1.28 =237.44 धन मी0×110 =	26118.40
जी0-3---102×1.45 =147.90 धन मी0×110=	16269.00
पी0सी0सी0(1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 30.00×0.90=27×$_{16}$	4320.00
योग	46707.40

इस प्रकार 5 गुना पेनाल्टी के साथ रायल्टी की कुल धनराशि रू0 280244.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

24-इगलास सासनी रोड पर नगला नहचल से घमण्डी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्यः- इगलास अवर अभियन्ता - जगदीश सिंह

1-इस कार्य मंे प्रयुक्त उपखनिज के परिवहन के सम्बन्ध मंे कोई एम0एम0-11 या ई ट्रांजिट पास पत्रावली में संलग्न नही है।

(।।) प्रयुक्त अप खनिज की रायल्टी का गणनाः-

जी0-1 --94.88×1.28 =121.45 धन मी0×110 = 13359.50

पी0सी0सी0(1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 16050×0.90=14.85 = 2376.00

योग 15735.50

इस प्रकार 5 गुना पेनाल्टी के साथ रायल्टी की कुल धनराशि रू0 94413.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

25-कलपुरा रोड से कृषि विज्ञान केन्द्र सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य जवां

अवर अभियन्ता-- बलराम सिंह

1-इस कार्य में प्रयुक्त ई ट्रांजिट पासो का विवरणः--

1-.आईएचएनपी1002842520/ 16.12.19 48.36 एम0टी0

2- आईएचएनपी 1002762510/ 09.12.19 48.20 एम0टी0

3- आईएचएनपी 10022736431/06.12.19 48.98 एम0टी0

योग 145.54 एम0टी0×0.625 = 90.96

इन ई ट्रांजिट पासो में मात्रा 90.96 धन मी0 थी। अतः इस मात्रा पर गणना की गई रायल्टी को कुल रायल्टी की राशि में से कम कर दिया जायेगा।

अतः शेष रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 51.90×1.28 =66.432 धन मी0

पी0/एल (1ः2ः4) 10.59×0.90=9.531 धन मी0

योग 75.96 धन मी0

अतः यहां प्रयुक्त मात्रा की परवहन की गई मात्रा से कम है अतः शेष देय रायल्टी शून्य है। परन्तु प्रयुक्त 75.96 धन मी0 मात्रा पर अन्तर्राज्यीय विनयम शुल्क की धनराशि रू0 3798.00 (75.96×50) नही काटी गई है। इस धनराशि को कोषागार में अविलम्ब जमा किया जाना अपेक्षित है।

26-ग्राम बांकनेर में मंगल सेन के घर से शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग कार्यः- खैर अवर अभियन्ता -- श्री अरूण शर्मा एवं श्री जगदीश सिंह

1- कार्य में प्रयुक्त ई ट्रांजिट पासो का विवरण निम्नवत् हैः-

1-ईएक्सएफआई	1003196264/17.01.20	48.40
2-बीएचएक्सवी	1003229433/21.01.20	49.66
3- केकेटीओ	1003232033/21.01.20	42.04
4- जेडक्यूएक्सजे	1003309653/28.01.20	48.88
5- जेडक्यूएक्सजे	1003329129/29.01.20	47.87
6- वाईएक्सएक्सबी	1003373766/29.01.20	51.26

288.11 एम0टी0×0.625=180.07 धन मी0

इस मात्रा की रायल्टी रू0 19808.00 (180.07 × 110) अन्तिम रायल्टी में से कम कर दी जायेगी।

अन्तिम रायल्टी की गणना

जी0-1 -- 195.00×1.28 =249.60 धन मी0×110 = 27456.00

जी0-3--- 134.00×1.45 =194.30 धन मी0×110= 21373.00

पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 37.00×0.9 = 33.30×160= 5328.00

योगमात्रा 477.20धन मी0 54157.00

इस प्रकार कुल रायल्टी रू0 54157.00 में से रू0 19808 कम कर देने पर शेष रायल्टी रू0 34349.00 बचती है। साथ ही ई ट्रांजिट पासों द्वारा परिवहन की गई कुल मात्रा पर अन्तर्राज्यीय विनियमन शुल्क रू0 9003.50 (180.07 × 50) बनता है जो नही काटा गया है। अतः 5 गुना पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी 206094.00 एवं विनियम शुल्क रू0 9003.00 अविलम्ब कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

27-अतरौली हैबतपुर मार्ग से बहराबद की ओर सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्यः- अतरौली अवर अभियन्ता-- श्री बलराम सिंह

(।) इस कार्य में प्रयुक्त उप खनिज के लिए मात्र एक ई ट्रांजिट पास है दि0 19.02.19 का जिस पर कन्साइनी नाम पर भाग्या श्री इण्टरप्राइजेस फिरोजाबार लिखा है।अतः यह पास अप्रासांगिक है।

(।।)रायल्टी की गणनाः-

जी0-3---58.96×1.45=85.492धनमी0×110= 9404.12

पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 16.87×0.90=15.183×160= 2429.28

योग 11833.40

अतः 5 गुना पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी की धनराशि रू0 71000.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

28- कूबरा सडक गोैरई चैराहा ट्रांसफर से बाटा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्यः- गोण्डा अवर अभियन्ता-- श्री जगदीश सिंह

(।)इस कार्य में प्रयुक्त् उप खनिज के परिवहन के सम्बन्धित कोई ई ट्रांजिट पास पत्रावल में संलग्न नही है।

(।।)रायल्टी की गणनाः--

जी0-1 -- 81.38×1.28 =104.17 धन मी0×110 = 11458.70

जी0-3--- 38.86×1.45 =56.347 धन मी0×110= 6198.17

पी0/एल (1ः2ः4)20 एम0एम0 16.08×0.90=14.472 = 2315.52

योग 19972.39

ठसकी 5 गुना पेनाल्टी सहित कुल रायल्टी की धनराशि रू0 119834.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

29-ग्राम महतउ से गहतउ देवता तक इण्टरलाकिंग कार्य-- गोण्डा अवर अभियन्ता-श्री बलराम सिंह एवं श्री जगदीश सिंह

(।) परिवहन हेतु दो ई ट्रांजिट पास संलग्न है जो फर्म के नाम से है। इनका विवरण निम्नवत हैः-

1- आईएचएनपी 1003706022/ 02.03.19 सन्तोष कुमार गुप्ता कान्ट्रक्टर कासगंज51.02 एम0टी0

2- आईएचएनपी 1003690266/01.03.19 तदैव 48.60 एम0टी0

योग मात्रा 99.62 एम0टी0

62.26 धन मीटर (99.62×0.625)

इस मात्रा पर आंगणित रायल्टी रू0 6849 (62.26×110) कुल आगणित रायल्टी में से कम कर दी जायगी।

(।।)कुल रायल्टीः-जी0-1 -- 100×1.28 =128 धन मी0×110 = 14080.00

पी0/एल (1ः2ः4)20 एम0एम0 22.05×0.90=19.845 = 3175.20

योग 17255.20

इसमें रायल्टी रू0 6849.00 कम करने पर अवशेष रायल्टी रू0 10406.20जो 5 गुना पेनाल्टी सहित रू0 62437.00 होती है। इसे अविलम्ब कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

30-नानउ पिलाखना मार्ग से नगला रिसालदार होते हुए ग्राम चदनियां की ओर इण्टर लाकिग कार्यः- अकराबाद अवर अभियन्ता-- श्री विजय यादव एवं श्री जगदीश सिंह

(।) कुछ ई ट्रांजिट पास या तो के0के कान्ट्रक्टर एवं सप्लायर्स के नाम से है या किसी अन्य सप्लायर के नाम से है। दो पास कार्य के पश्चात के है। एक पर कन्साइनी का नाम व पता नही है। फर्म के नाम व पते का एक भी ई ट्रांजिट पास नही है।

(।।)रायल्टी की गणनाः-

जी0-1 -- 46.30×1.28 =59.264 धन मी0×110 = 6519.04

जी0-3---34×1.45=49.3 धन मी0×110= 5423.00

पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 18.40×0.90=16.56×160= 2649.60

योग 14591.64

इस प्रकार 5 गुना पेनाल्टी के साथ रायल्टी की कुल धनराशि रू0 87550.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

31-शहबाजपुर में तालाब से सी0सी0(गुडडू के धर तक) तक इण्टरलाकिग कार्य गोण्डा अवर अभियन्ता -- जगदीश सिंह

1-इस कार्य में प्रयुक्त उप खनिज के परिवहन से सम्बन्धित कोई एम0एम0-11 या ई ट्रांजिट पास पत्रावली में संलग्न नही है। अतः वैद्य परिवहन की पुष्टि न की जा सकी।

2- रायल्टी की गणनाः-

जी0-1--79.13×1.28=101.29धन मी0×110 = 11141.90

पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 18.12×0.90=16.308×160= 2609.28

योग मात्रा 13751.18

इस प्रकार 5 गुना पेनाल्टी के साथ रायल्टी की कुल धनराशि रू0 82507.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

32-लटठा फैक्ट्री मालिक रोड से पुरानी सी0सी0 खौर रोड की ओर इण्टरलाकिंग कार्यः- लोधा अवर अभियन्ता --1 श्री जगदीश सिंह एवं श्री बलराम सिंह

1- पत्रावली में परिवहन से सम्बन्धित जतो तीन ई ट्रांजिट पास संलग्न है वह किसी अन्य दो सप्लायर्स आर. एस0 ट्रेडर्स अलीगढ एवं के0के0 कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायरर्स के नाम से है, फर्म के नाम से नही । अतः ये तीनों पास अप्रसांगिक है।

2-रायलटी की गणनाः-

जी0-1--85.30×1.28 =109.184 धन मी0×110 = 12010.24

जी0-3---49.33×1.45=71.53 धन मी0×110= 7868.30
पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 12.40×0.90=11.16×160= 1785.60
योग 21664.14
इस प्रकार 5 गुना पेनाल्टी के साथ रायल्टी की कुल धनराशि रू0 129985.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।
33-ग्राम पडाव से बाईपास कलिमपुर मे आगनबाडी केन्द्र तक इण्टरलाकिग कार्यः- अकराबाद अवर अभियन्ता श्री विजय कुमार यादव
1-उप खनिजों के परिवहन हेतु मात्र एक ई ट्रांज़िट पास संलग्न है जो किसी भाग्य श्री इण्टरप्राइजेज अलीगढ के नाम से एंव स्थान फिरोजाबाद उ0प्र0 लिखा है। दि0 25.02.19 में जनदेट एंव 26.02.19 तक (रात्रि 1ः24ः58ए0एम0तक) ही बैद्य है। जकि यह कार्य दि0 25.02.19 में समाप्त हो गया तथा पैमाइश भी हो गई है। अर्थात् यह पास इस कार्य में प्रयुक्त नही हुआ है।एवं अप्रासांगिक है।
2- रायल्टी की गणनाः-
जी0-1--170×1.28=217.60धनमी0×110= 23936.00
जी0-3---97×1.45=140.65धनमी0×110= 15471.50
पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 27×0.90=24.30×160= 3888.00
योग 43295.50
इस प्रकार 5 गुना पेनाल्टी के साथ रायल्टी की कुल धनराशि रू0 259773.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।
34-इगलास गोण्डा रोड से सलेमपुर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य-गोण्डा अवर अभियन्ता- श्री जगदीश सिह
1- उप खनिजो के परिवहन से सम्बन्धित दो ई ट्रांज़िट पास पत्रावली में संलग्न हे! जिनका विवरण निम्नवत् हैः--
1-ज्ञभ्न्ळ1002643736/ 05.03.19 सन्तोष कान्ट्रक्टर,उ0प्र0,अलीगढ 51.92 एम0टी0
2-प्भ्च्छच्1003751866/ 07.03.19 तदैव 51.25 एम0टी0
योग 103.17× 0.625=64.48 धन मी0
2- रायल्टी की गणनाः-
जी0-1 -- 30.13×1.28 =38.57 धन मी0×110 = 4242.70
पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट4.18×0.9 = 3.762×16 = 601.92
योग 4844.62
परन्तु प्रथम रनिंग बिल में जी0-1 का कार्य दि0 31.01.19 में ही 30.13 धन मी0 हो चुका था, जबकि ट्रांज़िट पास 05.03.19 एवं 07.03.19 के है। अतः इस उपखनिज की मात्रा का कहां से परिवहन किया गया, अज्ञात रहा। अतः रायल्टी की कुल धनराशि का 5 गुना पेनाल्टी सहित रू0 29068.00 को अविलम्ब कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।
35- स0मा0 पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजगहेला से नीम नदी की ओर इण्टरलाकिंग कार्यः- गंगीरी अवर अभियन्ता -- श्री विजय यादव
1-उपखनिजो के परिवहन हेतु जो ई ट्रांज़िट पास प्रयुक्त किये गये है उनका विवरण निम्नवत् है।

1- आई एन एच पी आई एन एच पी 1003120551/ 10.01.19 सन्तोष कान्ट्रेक्टर,उ0प्र0,अलीगढ 48.08 एम0टी0

2- आई एन एच पी 1003217089/ 19.01.19सन्तोष कान्ट्रेक्टर,उ0प्र0,अलीगढ 48.36 एम0टी0

योग 96.44× 0.62 = 60.275 धन मी0

इस प्रकार रायल्टी की गणना करनेपर धनराशि रू0 6630.25 आती है। जिसका अन्तिम आगणित रायल्टी में से कम कर दिया जायगा।

(।।)रायल्टी की गणनाः-

1-जी0-1--156.74×1.28=200.63धनमी0×110= 22069.30

2-पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट26.34×0.9 = 23.706×16 = 3792.96

योग 25862.26

इसमें से रू0 6630.25 को कम करने पर शेष रायल्टी रू0 19232.01 बनती हे, जो 5 गुना पेनाटी के साथ 115392.00 होता है। साथ ही ई ट्रांजिट पासों पर परिवहन किये गये उप खनिज 60.275 धन मी0 पर अन्तर्राज्यीय विनियमन शुल्क रू0 3014.00 (60.275×50) होता है। अतः यह कुल धनराशि रू0 118406.00 अविलम्ब कोेषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

36-स0मा0 बुढासी ओगीपुर डाबर रोड (प्रा0 पाठशाला) से ग्राम कदमपुर में बुद्वसेन की आबादी की ओर इण्टरलाकिंग कार्यः- गगीरी अवर अभियन्ता-- श्री विजय यादव

1-इस कार्य में प्रयुक्त उप खनिजो के परिवहन से सम्बन्धित कोई ई ट्रांसिट पास पत्रावली में नही है।

2-रायल्टी की गणनाः-

1-जी0-1 -- 56.88×1.28 = 72.81 धन मी0×110 = 8009.10

2-पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 5×0.9 = 4.5×16 = 720.00

योग 8729.10

अतः5 गुना पेनाल्टी के साथ कुल रायल्टी की धनराशि रू0 52375.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

37-स0मा0टोडरपुर से डेरीलाल नगला बाग तक के अवशेष भाग पर इण्टरलाकिंग कार्यः'गंगीरी अवर अभियन्ता-- श्री विजय यादव

1- उपखनिज के परिवहन से सम्बन्धित जो खारीद के बिल लगे हे। (इनवाइस न0 3867/05.02.19 एवं 3879/06.02.19) उन पर तिथियों में फर्जी तरीके से परिवर्तन किया गया है।25.02.19 एवं 26.02.19 को काटकर 05.02.19 एवं 06.02.19 किया गया है।यह कृत्य गंम्भीर रूप से अनियमित है। वस्तुतः इस कार्य में इन बिलों के उपखनिज प्रयोग हुआ ही नही है। साथ ही कोई ई ट्रांजिट पास संलग्न न किये जाने से यह परिवहन अवैध रहा।

2- रायल्टी की गणनाः-

1-जी0-1 -- 74.80×1.28 = 95.744 धन मी0×110 = 10531.84

2-पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 12×0.9 = 10.80×16 = 1728.00

योग 12259.84

अतः5 गुना पेनाल्टी के साथ कुल रायल्टी की धनराशि रू0 73559.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

38- काका होटल से सी0पी0एस0 आई0टी0आई0 महरावल तक इण्टरलाकिंग कार्यः- लोधा अवर अभियन्ता-- श्री जगदीश सिंह

1-इस कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के परिवहन हेतु जो ई- ट्रांज़िट पास संलग्न है (7पास) वे सभी अनय कान्ट्रेक्टर / सन्प्लायर्स के नाम (1 पास मोना इण्टरप्राइजेज अलीगढ के नाम व अनय 6 पास के0के0कानस्ट्रक्शन्स अलीगढ के नाम से है।) पर है फर्म के नाम पर नही। अतः उपखनिज अवैध परिवहन द्वारा मागा गया प्रतीत होता है।

2- रायल्टी की गणनाः-

1-जी0-1 -- 170.53×1.28 = 218.28 धन मी0×110 = 24010.80

2-पी0/एल0 (1ः2ः4)20 एम0एम0स्टोन ग्रिट 126.80×0.9 = 24.12×16 = 3859.20

योग 27870.00

अतः5 गुना पेनाल्टी के साथ कुल रायल्टी की धनराशि रू0 167220.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

39-स0मा0 नानउ पिलखना मार्ग से नानउ तक लेपन कार्य -अकराबाद अवर अभियन्ता श्री विजय यादव

1-इस कार्य में प्रयुक्त उप खनिज के परिवहन से सम्बन्धित कुल 27 ई- ट्रांज़िट पास पत्रावली में संलग्न है। जिनमें उपखनिजों की कुल मात्रा 1054.62 एम0टी0 थी, जिसे धन मी0 में बदलने पर यह 659.14 धन मी0 आती है। (1054.62×0.625) अतः इस मात्रा पर आगणित रायल्टी रू0 72505-40 आती है। इसको कार्य में प्रयुक्त कुल उप खनिजों पर आगणित रायल्टी में से कम कर दिया जायेगा।

2-कुल रायल्टी की गणनाः--

जी0-1 -- 242×1.28 =309.76 धन मी0×110 = 34073.60

जी0-2---131×1.477 = 193.487 धन मी0×110 = 21283.57

जी0-3-- 132.40×1.45 = 191.98 धन मी0×11 = 21117.80

प्रीमिक्स कार्पेट-1200×0.02 = 32.40 धन मी0×16 = 5184.00

सील कोट-1200×0.00 = 10.80 धन मी0×16 = 1728.00

योग रायल्टी----- 83386.97

इस प्रकार कुल रायल्टी में से रू0 72505.40 कम करने पर रू0 10881.57 की रायल्टी, इस पर 5 गुना पेनाल्टी रू0 54407.85 एंव अन्तर्राज्यीय विनियमन शुल्क रू0 32957.00 (परिवहन मात्रा 659.14×50) कुल धनराशि रू0 98246.00 अविलम्ब कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

तालिका-1(नर्माण कार्यो के सम्बन्ध में)--

बिना ट्रांज़िट पास /एम0एम0-1/अपुष्ट ट्रांजिट पास/एम0एम0-11 के कारण आगणित रायल्टी एवं पेनाल्टी सहित वसूल की जाने वाली धनराशि का विवरणः--

सन्दर्भ-- ऊपर लिखी गई रायल्टी की आपत्ति में निर्माण कार्य सं0 1 से 39 तक के कार्य

क्र0	निर्माण कार्य का विवरण	पेनाल्टी सहित रायल्टी की

		वसूली हेतु कुल ध0 रू0 में
1	ग्राम परसेरा में विनोंद कुमार के घर से स्व0 शैलेन्द्र कुमार तोमर की समाधि तक लेपन कार्य (लोधा)	383959.00
2	अलीगढ अकराबाद रोड से नदरोई सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन/इण्टरलाकिंग	590086.00
3	मढा हबीबपुर मंे महगौरा लिंग मार्ग तक लेपन कार्य	660441.00
4	ग्राम कारस में मां दुर्गा के मन्दिर से हरिया की नगरिया की ओर लेपन/ इण्टरलाकिंग	309671.00
5	जरारा से मरघट (पडितो के शमशान) तक लेपन कार्य	494043.00
6	जीवाराम नगला रोड से (रामपुर चंदियाना) ग्राम लहरा सलेमपुर की ओर लेपन	582116.00
7	नगला मीरपुर प्रा0स्कूल के आग से खेरूपुरा की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन	600308.00
8	जोर की गढी से मुख्य सडक (जटटारी -टप्पल) पर मरम्मत/लेपन कार्य	80856.00
9	नूरपुर की तरफ से भगवानपुर की ओर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/लेपन कार्य	132120.00
10	आरामगढी-थानपुर हिसैल रोड पर स्थिति प्र0वि0 थानपुर से ग्राम थानपुर तक सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/ लेपन कार्य	103796.00
11	अमरौली बम्बा से नगला ब्राहमण सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	220836.00
12	गावरी से दाउदपुर की ओर मरम्मत /लेपन कार्य	215667.00
13	स0मार्ग नगला पछाव (नगला बरी) डाबर रोड से जहरवीर मन्दिर की ओर लेपन कार्य	660695.00
14	स0मा0 डेरई से लोधा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	570770.00
15	ग्राम हसनगढ से पत्ते की नगलिया तक लेपन कार्य	454212.00
16	नगला कौशलपुरी माजरा बैम्बीपुर से रामघाट की ओर मरम्मत /लेपन कार्य	213659.00
17	ग्राम पडियावली ऐसी पला इगलास रोड से बफरखान बाबा नीम कटौरी मन्दिर के पीछे तक इण्टरलाकिंग कार्य	295719.00
18	चण्डौस बरका डाबर रोड से नगला बाग व नवाबपुर की ओर इण्टरलाकिग कार्य	93519.00
19	ग्राम जलालपुर में पुरानी इण्टरलाकिंग टायल्स में स्वामी जी की कुटी तक इण्टरलांिकंग टासल्स कार्य	107381.00
20	स0मा0रहसूपुर मार्ग से ईदगाह की ओर ऊटगिरी मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	151013.00
21	नगला सिह मंे महगौरा काली सडक से बालक बाबा मन्दिर होते हुए महगौरा तक इण्टरलाकिंग टायल्स कार्य	285493.00
22	ग्राम बझेडा में प्राइमरी स्कूल से संजू उर्फ राम प्रसाद के घर तक	407317.00

	इण्टरलाकिंग कार्य	
23	सिरावली से पूर्व माध्यमिक विद्यालय की ओर ग्राम समाज के बाग तक इण्टरलालकिंग कार्य	280244.0
24	इगलास सासनी रोड पर नगला नहचल से घामण्डी के घर तक इण्टरलाकिग कार्य	94413.00
25	कलुपुरा रोड से कृषि विज्ञान केन्द्र सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	3798.00
26	ग्राम बाकनेर में मंगल सेन के घर से शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग कार्य	206094.00 9003.00
27	अतरौली हेैबतपुर मार्ग से बहराबद की ओर सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	71000.00
28	क्ुबरा सडक गोरई चैराहा ट्रांसफार्मर से बाटा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	119834.00
29	ग्राम गहतउ से गहतउ देवता तक इण्टरलाकिंग कार्य	62437.00
30	नानउ पिलखना मार्ग से नगला रिसालदर होते हुए ग्राम चांदगढी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	87550.00
31	शबाजपुर में तालाब से सी0सी0 (गुडडू के घर तक) इण्टरलाकिंग कार्य	82507.00
32	लटठा फैक्ट्ी मालिक रोड से पुरानी सी0सी0 खैर रोड की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	129985.00
33	ग्राम पडाव से बाईपास गाम कासिमपुर में आंगनबाडी केन्द्र तक इण्टरलाकिंग कार्य	`259773.00
34	इगलास गोण्डा रोड से सलेमपुर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	29068.00
35	स0मा0 पूर्व माध्यमिक वद्वालय राजगहेला से नीम नही की ओर इण्टरलाकिग कार्य	118406.00
36	स0मा0बुढासी ओगीपुर डाबर रोड प्रा0 पाठशाला से ग्राम कदमपुर में बुद्वसेन की आबादी की ओर इण्टरलाकिगकार्य	52375.00
37	स0मा0 टोडरपुर से डोरीलाल नगला बाग तक के अवशेष भाग पर इण्टरलाकिग कार्य	73559.00
38	कका होटल से सी0सी0एस0.आई0टी0आई0 महरवल तक इण्टरलाकिग कार्य	167220.00
39	स0मा0 नानउ पिलखना मार्ग से नानउ तक लेपन कार्य	98246.00
	कुल योग	9559189.00

प्रस्तर -4-वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित लाइसंन्स रजिस्टरों की जांच में पाया गया कि 12 विकास खण्डों के 12 अलग-अलग रजिस्टर रखें गये हैं। दर्शित फर्मो, सस्थाओं के मिलान व जांच हेतु लाइसेन्स अनुभाग में कोई प्रमाणित सूची/रजिस्टर /बुकलेट आदि उपलब्ध नही है। रजिस्टर में जो भी फर्मे/संस्थायें दर्शित हैं उनकी संख्या की सत्यता की पुष्टि किसी भी प्रकार से नही होती है। रजस्टरों में फर्मो की जो संख्या दर्शित है उनकी संख्या वास्तविकासे बहुत कम प्रतीत हो रही है। रजिस्टर की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षको द्वारा जिन फर्मो की लाइसेन्स शुल्क वसूली की रसीदे निर्गत की है। उतनी ही संख्या रजिस्टरों में दर्ज कर दी जाती है। तथ जिनसे

वसूली नही होती है उनकी संख्या रजिस्टरों में लिखी ही नही जाती है। यह अनियमितता जानबूझकर की गई प्रतीत होती है। और इसीलिए फर्मो के मिलान के लिए कोई अभिलेख, प्रपत्र व बुकलेट जिला पंचायत पर उपलब्ध नही है।जबकि राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत को लाइसेन्स शुल्क वसूली के लिए विधिवत ब्यवस्था के तहत अधिकार प्रदान किया गया है। सरकारी गजट,उ0प्र0,सरकार द्वारा प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल 2012 में आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ द्वारा जनपद अलीगढ को सभी प्रकार की फर्मो व व्यवस्थओं से लाइसेन्स शुल्क वसूलने के लिए उप विधि प्रकाशित की गई है। लेकिन उक्त उप विधि में दिये गये अधिकारों को लागू करने में भी जिला पंचायत द्वारा कोई रूचि नही ली गई है।

(।।)लाइसंेन्स रजिस्टरों के सारे कालम भरे नही गये है। जैसे - दिये गये लाइसेन्स की संख्या व दिनांक , अवधि, वसूली किये शुल्क की घनराशि (कहीं-2), लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर, वर्ष के नवीनीकृत लाइसेन्स का विवरण आदि। इसमें से मात्र वसूली की धनराशि का चेक न0 व दिनांक डाला जाता है,बाकी सारे कालम रिक्त है। (ब्लाक गंगीरी एवं कुछ अन्य ब्लाक)। कई स्थानों पर कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर तक नही है।

(।।।)-बन्द होने वाली फर्मों एवं नई फर्मो के सम्बनध में कर निरीक्षकों की संस्तुति पर कार्य अधिकारी का अग्रसारण एवं अपर मुख्य अधिकारी का अनुमोदन भी होना चाहिए जो कहीं नही है।

(।अ)- इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेषत/ आकृष्ट कराया जाता है कि लाइसेन्स अनुभाग का फर्मो, संस्थाओं की वास्तविक संख्या एवं इस संख्या के आधार पर कर निर्धारण संदेहास्पद एव अत्यन्त आपत्तिजनक है। वास्तविक संस्था को छिपाकर कर बहुत कम संस्थाए रजिस्टर में लिखी गई है। तथा कर निर्धारण ही बहुत कम किया गया है। तथा वसूली और कम हुई है। जिला पंचायत के इस अनुभाग द्वारा राजस्व की बहुत अधिक क्षति पहुचाई जा रही है। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा की सिफारिश है कि जिले के अन्य विभागों से सूचिंयां वर्षवार मगाकर (जैसे - उद्वान विभाग, आवकारी विभाग, आपूर्ति विभाग, आदि) उनसे जिला पंचायत की संस्थाओं का मिलान करवाया जाये तथा वास्तविक संस्था दर्ज कर ही कर निर्धारण एवं वसूली की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपरिहार्य रूप से अपेक्षित है।

(अ)- वर्ष 2019-20 में रजिस्टारों के अनुसार विकास खण्डवार जो वसूली हुई है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैः--1- विकास खण्ड- गंगीरी

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	116	1000/1500	127600	64790	62810
2	आटा चक्की/स्पेलर	19/03	1000/1500	19000 /4500	17400	6100
3	पशु पैठ	1, 1,1, 3, 3,1	1000/15000/10000 /5000/ 500/1500	44000	44000	---
4	आरा मशीन	03	6000	18000	12900	5100
5	पेट्रोल पम्प	03	10000	30000	21100	8900
6	कोल्ड स्टोरेज	02	25000	50000	25000	25000

7	फैक्ट्री	--	--	--	--	--
8	ईट भट्टा	72	10000	720000	387500	332500
	अन्य	--	--	--	--	--
	योग					440410

2- विकास खण्ड- चण्डौस

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	177	1000/1500	194700	37350	157350
2	आटा चक्की/स्पेलर	27/11	1000/1500	27000/16500	4500	3900
3	पशु पैठ	3, 2, 4	1000/1000/5000/ 500/4000	35500	11000	24500
4	आरा मशीन	05	6000	30000	12200	17800
5	पेट्रोल पम्प	08/01	10000/2000	82000	53000	29000
6	कोल्ड स्टोरेज	--	--	--	--	--
7	फैक्ट्री	--	--	--	--	--
8	ईट भट्टा	33	10000	330000	129000	201000
	अन्य	--	--	--	--	--
	योग					468650

3- विकास खण्ड- लोधा

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	72	1000/1500	79000	50750	28450
2	आटा चक्की/स्पेलर	13/5	1000/1500	13000/ 7500	1000	19500
3	पशु पैठ	2, 1, 1, 2	5000/21000 /2100/500	34100	--	34100
4	आरा मशीन	01	6000	6000	6000	--
5	पेट्रोल पम्प गैस गोदाम आयल इण्डस्ट्री	11 02 01	10000 5000 5000	110000 10000 5000	51500	73500
6	कोल्ड स्टोरेज	05	25000	125000	50000	75000
7	फैक्ट्री	42	200000/ 10000/ 5000/	880000	336100	543900

			2000ः1000			
8	ईट भट्टा	12	10000	120000	95500	24500
	अन्य	21	5000/ 10000/ 2000	102000	5100	96900
	योग					895850

4- विकास खण्ड- धनीपुर

	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	27	500/1500/ 5000	36500	5225	31275
2	आटा चक्की/स्पेलर	11	1000/1500	13000	10800	2200
3	पशु पैठ	08	500/5000	27500	5500	22000
4	पेट्रोल पम्प	06	10000	60000	20900	25000
5	कोल्ड स्टोरेज	05	25000	125000	100000	25000
6	फैक्ट्री	4	5000/200000	270000	..	270000
7	ईट भट्टा	35	10000	350000	--	350000
8	शराब	04	5000	20000	--	20000
9	होटल/ लांज	02	5000	10000	5000	5000
	योग			योग		964575

5- विकास खण्ड- खैर

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	84	500/1000/1500/ 5000	92400	55440	36900
2	आटा चक्की/स्पेलर	39	33000/9000	42000	27100	14900
3	पशु पैठ	02	500/5000	5500	5500	--
4	पेट्रोल पम्प	08	10000	80000	51500	22500
5	कोल्ड स्टोरेज	08	25000/5000	160000	10000	150000
6	फैक्ट्री	03	5000/25000	55000	30000	25000
7	ईट भट्टा	34	10000	340000	53500	286500
8	अन्य	01	5000	5000	--	5000
				योग		546860

6- विकास खण्ड- टप्पल

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	55	500/1000/1500/2000	60500	23810	36690
2	आटा चक्की/स्पेलर	29/02	1000/1500	29000/ 3000	11600	20400
3	पेट्रोल पम्प	08	10000	80000	20000	60000
4	कोल्ड स्टोरेज	01	28000	28000	28000	--
5	आरा मशीन	01	6000	6000	6000	--
6	ईट भट्टा	70	10000	700000	63000	637000
7	अन्य					754090

7- विकास खण्ड- गोण्डा

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	95	500/1000/2000	92500	58580	33920
2	आटा चक्की/स्पेलर	23/03	1000/1500	27500	10600	16900
3	पेट्रोल पम्प	03	10000	30000	31900	--
4	कोल्ड स्टोरेज	08	25000	200000	128000	72000
5	पशु पैठ	03	15000/ 5000/ 500	20500	5500	15000
6	ईट भट्टा	26	10000	260000	99500	160500
				अन्य		298320

8- विकास खण्ड- बिजौली

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	175	500/1000/1500/ 2000	175000	51870	123130
2	आटा चक्की/स्पेलर	14/01	1000	15000	5500	9500
3	पेट्रल पम्प	06	10000	60000	52100	7900
4	आरा मशीन	03	6000	18000	12400	5600
5	पशु पैठ/मुंशी	02/03	15000/5000/1500/500	22500	23650	--
6	ईट भट्टा	33	10000	330000	75500	254500
				योग		400630

9- विकास खण्ड-इगलास

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष

1	तहबाजारी	23	500/1000/2000	13000	2200	10800
2	आटा चक्की/स्पेलर	07/0	1000	7000	1000	6000
3	पेट्रोल पम्प	01	10000	10000	10200	--
4	कोल्ड स्टोरेज	24	25000	600000	412000	188000
5	पशु पैठ	02	15000/ 1500	16500	16500	--
6	ईट भट्टा	48	10000	480000	250600	229400
7	अन्य चकोरी प्लांट	01	15000	15000	--	15000
				योग		449200

10- विकास खण्ड- अतरौली

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	132	500/1000/2000	132000	54040	77960
2	आटा चक्की/स्पेलर	16/04	1000/1500	16000/ 6000	9300	12700
3	पेट्रोल पम्प	03	10000	30000	21100	8900
4	कोल्ड स्टोरेज	01	25000	25000	25000	--
5	पशु पैठ	10	15000/5000/1500/ 500	60500	61100	--
6	ईट भट्टा	42	10000	420000	212200	207800
7	फैक्ट्री / शराब फैक्ट्री	03	500000/3000/5000	508000	508000	--
8	अन्य डेयरी	04	2000	8000	4200	3800
9	आरा मशीन	05	6000	30000	30000	--
10	शराब दुकान	01	3000	3000	--	3000
11	मुर्गा/बकरा मीट	01	2000	2000	--	2000
				योग		316160

11- विकास खण्ड- अकराबाद

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	48	500/1000/2000	48000	26000	22000
2	आटा चक्की/स्पेलर	12/ 03	1000/1500	12000 4500	3200	13300
3	पेट्रोल पम्प	09	10000	90000	61000	29000
4	कोल्ड स्टोरेज	01	25000	25000	31000	--

5	पशु पैठ	05	15000/5000/1500/ 500	41500	--	41500
6	पशु पैठ मुन्शी	04	1500/500	4000	--	4000
7	ईट भट्टा	89	10000	890000	553800	336200
				योग		446000

12- विकास खंड- जवां

क्र0	फर्म का प्रकार	संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	निर्धारण	पेनाल्टी सहित वसूली	शेष
1	तहबाजारी	74	500/1000/2000	77750	32900	44850
2	आटा चक्की/स्पेलर	21 03	1000 1500	21000 4500	18000	7500
3	पेट्रोल पम्प /डीजल पम्प	06	10000	60000	43400	16600
4	कोल्ड स्टोरेज	01	25000	25000	--	25000
5	आरा मशीन	01	6000	6000	6000	--
6	पशु पैठ	09	500/1500/5000/ 15000	55000	40150	14850
7	ईट भट्टा	31	10000	310000	175200	134800
8	ईट भट्टा	17	3000/5000/2लाख/3लाख	573000	533000	40000
9	शराब की दुकान	05	5000	25000	--	25000
				योग		308600

उपरोक्त विकास खण्डो की तालिकाओं से स्पष्ट है कि जिला पंचायत के रजिस्टरों मे जिन फर्मो/ संस्थाओं को दर्शाया गया है, उनमें से जिन पर शुल्क बकाया है, उसकी वसूली नही की जा सकी है। उससे संस्था को रू0 6089075-00 की क्षति हुई है। (समस्त 12 विकास खण्डो की कुल बकाया धनराशि) जिसके लिए तत्कालीन सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक/कर अधिकारी, कार्य अधिकारी एवं उपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस धनराशि की अविलम्ब वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -5- वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यो में से कुछ कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर (एक ही ग्राम ंपंचायत को लाभान्वित करने वाले) कराये गये है। यह शासनादेश एवं नियम विरूद्व रहा। ऐसे कार्यो की तालिका निम्नवत् है।ः–

क्र0	कार्य का नाम	धनराशि
1	ग्राम परसेरा में विनोद कुमार के घर से स्व शैलेन्द्र कुमार तोमर की समाधि तक लेपन कार्य	2409025
2	ब्लाक टप्पल के ग्राम सिमरौठी मे मुख्य मार्ग से गौशाला होते हुए शमशान घाट तक मिटटी खडण्जा कार्य	2150500
3	ग्राम बाकनेर मे मंगल क्षेत्र के घर से शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग कार्य	3614030
4	ग्राम महतउ से गहतउ देवता तक इण्टरलाकिंग कार्य	945000

5	शहबाजपुर में तालाब से सी0सी0 गुडडू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	1073640
6	ग्राम मेमडी में सुजान सिंह बडे बाबू के घर से होकर अम्बेडकर पार्क होते हुए नत्थू सिंह पूर्व प्रधान क घर तकसी0सी0 रोड	1383030
7	कोमला में सी0सी0निर्माण कार्य पक्की सडक से प्रेमपाल के घर की ओर	1222500
8	ग्राम बुलाकीपुर में पप्पू प्रधान के धर से शिव मन्दिर तक लेपन कार्य	2597502
9	जिरौली हीरा सिंह मोहल्ला धनोलिया में भरत सिंह के मकान से मलखान सिंह के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	316000
	योग	15711227

इस प्रकार जिला पंचायत अलीगढ द्वारा उ0प्र0क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अध्याय-3 क धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों का शक्तियों का अतिक्रमण कर व शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004दिनांक 12.01.2005 एंव पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून 2014 क्षरा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये है। जबकि अधिनियम की धारा 33(2) व शासनादेशों मंे दिये गये निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायों व जिला पंचायतों का कार्य क्रमशःग्राम सडको, अन्र्तग्रातित सडके व जला सडकों (उपरोक्त तालिका में अल्लिखित कार्य जिला सडकें नही है, इसमें दो ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किये जाने वाले कार्य नही है।) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी क्रम में शासनादेश संख्या-1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के लिए दिशा निर्देश भी निर्गत किये गये थे, जिसमें प्राप्त एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभानिवत हों। साथ ही शासनादेश में इसका भी उल्लेख किया गया है किश् पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये मार्ग दर्शक सिद्वान्त का अतिक्रमण किया जा रहा है। जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भवना बनी रहती है। अतः पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श् यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत को कार्य समिति की सहायता से वार्षिक विकास योजनाओं को शामिल करते हुए एकीकृत विकास योजना बनाई जानी चाहिए था।

उपरोक्त तालिका के अनुसार ऐसे 09 कार्यो पर धनरशि रू0 15711227-00व्यय की गई है । इस वित्तीय अनियमितता के लिए सदन की बैठक में लाये गये प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने वाले/ उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित वित्तीय परामर्श दाता जिम्मेदार है। इसके प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--04)

प्रस्तर -6-वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यो की समीक्षा मंे पाया गया कि कराये गये कार्यो के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नही किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथ जिला पंचायत निर्माण नियमावली, 1984 के नियम संख्या 39 में दी गई व्यवस्था मे स्पष्ट है कि 5 लाख रूपये से अधिक किन्तु 10 लाख रूप्ये से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यो का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायगा एवं 10 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यो का अन्तिम रूप् से भुगतान किये जाने के पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण

अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा इस निरीक्षणों को कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है, जो निर्धारित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये पूर्ण कार्यो (78) में से 19 कार्य 5 लाख से 10 लाख तक के हैं, जिनकी लागत रू0 15510396.00 है। रू0 10 लाख से अधिक के कुल कार्य 57 है, जिनकी कुल लागत रू0 155733615.00 है। इस प्रकार कुल 76 कार्यो का भुगतान नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है। जिनकी कुल लागत रू0 171244011.00 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है। इसके लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, अभियन्ता वित्तीय परामर्शदाता एवं उपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः इस सम्बन्ध में निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -7-संस्था के कर निर्धारण रजिस्टरों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 में रजिस्टरों में दर्शित विभिन्न प्रकार की फर्मों की संख्या वास्तविक नहीं लगी। जैसे-कोल्ड स्टोर, ईंट भट्टे, कारखाना, फैक्ट्री, गैस ऐजेन्सी, आरा मशीन, आटा चक्की, हाॅस्पीटल, अंग्रेजी शराब की दुकानें व फर्मों की स्थिति वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। दर्शित फर्मों के मिलान हेतु संस्था के पास कोई बुकलेट व प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त मांग के विरूद्ध वसूली की स्थिति असन्तोषजनक पायी गई। इसके परिणामस्वरूप कर का बकाया बढ़ता ही जा रहा है। उपलब्ध रजिस्टरों के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को संस्था का विभव एवं सम्पत्ति कर की कुल धनराशि रू0 2,94,06,255 बकाया थी। इसकी वसूली का न तो कोई सार्थक प्रयास किया गया है और न ही कोई प्रभावी नीति तैयार की गई है। कुछ फर्मों के नाम आर0सी0 जारी की गई है, परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। इस आपत्ति का अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इस बकाया धनराशि के लिए सम्बन्धित कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी दोषी माने जायेंगे।

विवरण हेतु तालिका प्रस्तुत है:- (धनराशि रू0 में)

क्र0	विकास खण्ड	वर्ष	वर्ष की मांग	गत अवशेष	कुल मांग	कुल वसूली	कुल बकाया
1	चण्डौस	19.20	1,99,200	19,01,320	21,00,520	1,44,700	19,55,820
2	खैर	19.20	2,95,500	24,50,685	27,46,185	35,400	27,10,785
3	टप्पल	19.20	2,24,400	16,36,620	18,61,020	1,62,000	16,99,020
4	अतरौली	19.20	2,42,100	11,03,350	13,45,450	1,95,000	11,50,450
5	लोधा	19.20	5,13,900	59,73,315	64,87,215	2,59,850	62,27,365
6	धनीपुर	19.20	2,23,500	37,95,705	40,19,205	46,600	39,72,605
7	जवाँ	19.20	3,96,900	29,23,650	33,20,550	3,77,340	29,43,210
8	गंगीरी	19.20	3,30,600	13,86,750	17,17,350	2,58,000	14,59,350
9	अकराबाद	19.20	3,03,000	22,13,015	25,16,015	3,69,010	21,47,005
10	गोंडा	19.20	2,13,600	12,60,725	14,74,325	1,41,350	13,32,975
11	इगलास	19.20	3,78,900	11,85,695	15,64,595	2,67,000	12,97,595

12	बिजौली	19.20	1,25,250	10,91,775	12,17,025	83,350	11,33,675
			34,46,850	2,82,99,005	3,17,45,855	23,39,600	2,94,06,255

प्रस्तर -8-विकास खण्ड, चण्डौस के पिछले वर्ष का अवशेष रू0 18,94,420 था, परन्तु इस वर्ष 19-20 में इसे रू0 19,01,320 लिख दिया गया है। इसको रू0 6,900 अधिक लिखा गया है। इस प्रति परिपालन किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--07)

प्रस्तर -9-इसी प्रकार विकास खण्ड-टप्पल में गत अवशेष को रू0 15,000 से कम कर दिया गया है (रू0 16,51,620 के सापेक्ष रू0 16,36,620)। अन्तर के कारणों को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -10-इसी प्रकार विकास खण्ड-लोधा में रू0 87,780 अधिक, धनीपुर में रू0 61,045 कम एवं जवां में रू0 38,120 कम (गत वर्ष 18-19 की बकाया धनराशि को इस वर्ष 19-20 में) लिखा गया है। इन सभी अन्तरों को स्पष्ट किया जाना एवं इनका अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए टैक्स रजिस्टर तैयार करने वाले कर्मचारी/अधिकारी, कार्य कधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।

प्रस्तर -11--जिला पंचायत के सम्पत्ति व किराया रजिस्टर वर्ष 19-20 की जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अपने श्रोतों से होने वाली आय को प्राप्त करने में अत्यधिक उदासीनता दर्शा रही है। अपनी निजी सम्पत्तियों (कार्यालय भवन, दुकानें व आवासीय भवन) का किराया नियमित रूप से नहीं वसूल किया जा रहा है। किराया न देने वालों पर कोई कार्यवाही/जुर्माना/दण्ड आदि का प्रावधान नहीं है, जिसका लाभ किरायेदारों को मिला रहा है। अनेक बड़े बकायेदारों से विगत कई वर्षों से कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है। अत्यधिक धनराशि बकाया रहने के उपरान्त भी वसूली नहीं हो पा रही है। बकाया किरायेदारों का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में है:-

क्र0	कार्यालय/आवास	चालू मांग	बकाया मांग	योग	वसूली	शेष बकाया
1	जिला पंचायत स्थित कार्यालय	1271160	3887707	5158867	1128180	4030687
2	जवाहर भवन स्थित आवास	69402	146566	215968	-	215968
3	जिला पंचायत परिसर स्थित दुकानें	302928	102741	405669	148808	256861
4	घण्टाघर स्थित दुकानें	3800	109110	112910	-	112910
5	मदार गेट स्थित दुकानें	339684	108956	448640	293012	155628
6	जवां स्थित दुकानें	158676	303374	462050	120916	341134
7	धनीपुर स्थित दुकानें	217645	357908	575553	144510	431043
	योग -	**2363295**	**5016362**	**7379657**	**1835426**	**5544231**
1	नानऊ, विजयगढ़, पिलखना एवं अतरौली स्थित दुकानें	568224	997349	1565573	469930	1095643
2	खैर, टप्पल, जट्टारी एवं इगलास स्थित दुकानें	767009	773449	1540458	456032	1084426
	योग -	1335233	1770798	3106031	925962	2180069
	महायोग -	3698528	6787160	10485688	2761388	7724300

इस धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।किराया वसूलने में सम्बन्धित निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा लापरवाही एवं उदासीनता देखने को मिली है। इसके लिए सम्बन्धित वर्षों

में कार्यरत कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस आपत्ति का अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है। (आ0 सं0-11)

प्रस्तर -12--किराया रजिस्टर (खैर, टप्पल, जट्टारी, इगलास) में कन्या जूनियर हाईस्कूल, खैर की दुकान संख्या 05, श्रीमती विजनेश पत्नी श्री मुकेश, नई बस्ती, खैर की वसूली का योग त्रुटिपूर्ण है। इनसे रू0 12186 वसूल हुआ है, परन्तु रजिस्टर में इसे रू0 14934 लिखा गया है। अन्तर रू0 2748 से इनकी वूसली कम की जानी एवं योग को तद्नुसार सही किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--12)

प्रस्तर -13--टप्पल स्थित नई दुकानों में दुकान संख्या 01, श्री महेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल की चालू मांग रू0 13605 है, परन्तु इसे रू0 12804 लिखा गया है। अन्तर रू0 801 से इनकी अवशेष धनराशि में वृद्धि की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--13)

प्रस्तर -13 (1)-धनीपुर स्थित दुकानों की बकाया मांग को रू0 6000 से बढ़ा दिया गया है। साथ ही खैर, टप्पल आदि रजिस्टर की दुकानों की बकाया डिमाण्ड को रू0 225672 से कम कर दिया गया (गत वर्ष की बकाया डिमाण्ड रू0 999121 को कम करके 773449 लिखा गया है) है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता प्रतीत हो रही है। अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसका अवलिम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर -14--विजयगढ़ में दुकान नं0 03, श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा, विजयगढ़ से किराया रू0 17760 वसूला गया है, परन्तु इसे रू0 16080 लिखकर रू0 1680 से इनकी वसूली कम कर दी गई है। अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए इस आपत्ति का परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -15--वर्ष 19-20 के गृहकर/जलकर के प्रारम्भिक अवशेष, मांग, वसूली एवं बकाया/अन्तिम अवशेष की स्थिति की तालिका निम्नलिखितहै:-

क्र0 सं0	संस्था	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष की मांग	योग	वसूली	बकाया / अवशेष
1	जिला परिसर पंचा0 स्थित कार्यालय	1142293	189619	1331912	23500	1308412
2	जिला पंचायत परिसर स्थित दुकानें	63587	84823	148410	9935	138475
3	मदार गेट स्थित दुकानें	60125	95109	155234	54850	100384
4	विजयगढ़ स्थित दुकानें	57605	21806	79411	22437	56974
5	अतरौली स्थित दुकानें	118947	28056	147003	-	147003
6	अतरौली स्थित नई दुकानें	83338	26258	109596	31336	78260
7	अतरौली में कालेज रोड स्थित दुकानें	131545	29064	160609	10427	150182
	योग	1657440	474735	2132175	152485	1979690

संस्था के बकाया गृहकर/जलकर की धनराशि रू0 19,79,690 की वूसली सम्बन्धित कार्यालयों/आवासों/दुकानों से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित जिम्मेदार कर निरीक्षक/कार्य अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -16--वर्ष 19-20 के जिला पंचायत परिसर स्थित कार्यालयों के गृहकर/जलकर का प्रारम्भिक अवशेष रू0 11,42,293 लिखा गया है, जबकि पिछले वर्ष का अन्तिम अवशेष रू0 11,62,293 था। इसे रू0 20,000 कम करकके लिखा गया है। क्योंकि पिछले वर्ष लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग,

अलीगढ़ के रू0 20,000 बकाया रह गये थे, जिन्हें इस वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष में छोड़ दिया गया है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी/परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सुधार एवं सम्बन्धित पटल के कार्मिक/कार्य अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--28)

प्रस्तर -17--वर्ष में कृषि फार्म रजिस्टर के अनुसार मांग, वसूली व बकाया/अवशेष की स्थिति निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 में)

कुल विकास खण्ड	गत वर्ष का बकाया	वर्ष की मांग	कुल मांग	गत वर्ष के सापेक्ष वसूली	वर्तमान वर्ष के सापेक्ष वसूली	कुल वसूली	अवशेष
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	3.09.020	18.13.850	21.22.870	7.350	18.13.850	18.21.200	3.01.670

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों की वसूली मात्र 7,350 है। दि0 31.03.2020 को रू0 3,01,670 का बकाया शेष है, जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। कुछ प्रमुख बकायेदारों का विवरण निम्न प्रकार है:-

कुछ प्रमुख बकायेदारों का विवरण निम्न प्रकार है:- (रू0 में)

क्र0 सं0	कृषि फार्म का नाम	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	बकायेदार	बकाया धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	नगला मल्लू	गोंडा	97-98	श्री खरग सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, नि0-नगला	12.500-00
2-	छैछऊ	गोंडा	2002-03	श्री फौरन सिंह पुत्र श्री यम सिंह, नि0-छैछऊ	16.500-00
3-	लालपुर रैयतपुर	टप्पल	2002-03	श्री हरवंश पुत्र श्री रतन सिंह, नि0-लालपुर	31.000-00
4-	बेसवां	इगलास	2008-09	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरजपाल, नि0-मौहकमपुर	12.000-00
5(I)	नगला पदम (स्कूल चक)	चण्डौस	2008-09	श्री फिरोज खां पुत्र श्री साबिर अली, नि0-जामुनका	10.200-00
(II)	नगला पदम (विद्यालय चक)	चण्डौस	2008-09	श्री फिरोज खां पुत्र श्री साबिर अली, नि0-जामुनका	13.700-00
6-	टिकटा	गंगीरी	2005-06	श्री राजेश पुत्र श्री लालासिंह, नि0-सिंहावली	11.000-00
7-	नानऊ	अकराबाद	2004-05	श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री जोधपाल सिंह, नि0-हैदरनगर	26.100-00

8-	नरूपुर कटका	बिजौली h	2017-18	श्री रमजानी पुत्र श्री अख्तर खां, नि0-नगला बाटुल	16.000-00

सूची से स्पष्ट है कि बहुत पुराने वर्षों से पड़े बकाया की वसूली में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। बकायेदारों के विरूद्ध आर0सी0 आदि भी जारी नहीं कराई गई है। बकाया की धनराशि रू0 3,01,670 की वसूली न किये जाने की स्थिति में इसके लिए जिम्मेदार सम्बन्धित कर निरीक्षक/कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रहेगी।

(आपत्ति संख्या--32)

प्रस्तर -18--मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी से सम्बन्धित रजिस्टर वर्ष 19-20 की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत ने उक्त मद में पूरे वर्ष में कुल धनराशि रू0 1,58,000 वसूल की है। इस वसूल की गई धनराशि का कोई भी अंशदान ग्राम पंचायतों को नहीं किया गया है। जबकि पंचायती राज अनुभाग-2, शासनादेश सं0 2203/33-2-97-43 बी(8), दिनांक 30 मई 1997 के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी से प्राप्त हुई आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था। आलोच्य वर्ष 19-20 में उक्त मद में प्राप्त धनराशि रू0 1,58,000 का आधा भाग, अर्थात् रू0 79,000 ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था। परन्तु जिला पंचायत द्वारा यह अंशदान नहीं किया गया है। अतः विभागीय नियमानुसार ग्राम पंचायतों को यह अंशदान किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--34)

प्रस्तर -19-वर्ष 2019-2020 में कतिपय निर्माण कार्य ऐसे हैं, जिनको कार्यादेश में दी गई समाप्ति तिथि के बाद में विलम्ब से पूर्व किया गया है। विलम्ब के या तो कारण ही नहीं है, यदि कारण है भी तो ये अपनी/माता/पिता की बीमारी, स्थल पर विवाद हो जाने, मौसम खराब होने आदि कारण हैं। फिर ऐसे कुछ प्रार्थना पत्रों पर कोई नोटिंग/संज्ञान ही नहीं लिया गया है। कहीं-कहीं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मात्र च्ॅब्(लोक निर्माण क्लर्क) लिखा गया है, कोई निर्देश नहीं दिया गया है। कहीं-कहीं च्ॅब् को नियमानुसार कार्यवाही के लिए लिखा है। परन्तु अपनी स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की गई है और न ही कोई स्पष्ट आदेश दिया गया है। किसी-किसी प्रार्थना पत्र पर जे0ई0 ने अपनी संस्तुति दी है, परन्तु यहां भी ।ड।द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है और न ही कोई स्पष्ट राय व्यक्त की गई है। बिना ।ड। के किसी लिखित आदेश के तावान (विलम्ब शुल्क) कभी 500 तो कभी 1,000 काट लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ दृष्टिगोचर रहीं -

(I) "उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 37 में प्राविधानित है कि अवरोध रहित कार्यस्थल की उपलब्धता कार्य प्रारम्भ किये जाने की पूर्व शर्त है।" अतः कार्यस्थल अवरोध रहित होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जाना था।

(I I) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के "ठेका की शर्तें" के खण्ड-5 के अनुसार" समय में वृद्धि करना-यदि ठेकेदार निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए किसी अपरिहार्य बाधा के कारण, जो उसके निष्पादन में उत्पन्न हो गई हो, समय बढ़ाना चाहे, तो वह ऐसी बाधा के जैसे ही उसे मालूम हो विद्यमान होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को लिखित आवेदन-पत्र देगा, और मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, यदि उसकी राय में (जो अन्तिम होगी) युक्ति युक्त कारण दिये गये हों, समय में ऐसी वृद्धि करने का प्राधिकार देगा, जो उसकी राय में आवश्यक या उचित हो।"

परन्तु ऐसे कोई प्राधिकार के आदेश अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्पष्टतः नहीं दिये गये हैं। साथ ही अधिकतम प्रार्थना पत्रों पर दिनांक ही अंकित नहीं की गई है। बीमारी या विवाद की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य भी संलग्न नहीं है, जिससे कि अपर मुख्य अधिकारी को अपनी राय बनाने में एवं प्राधिकार देने में आसानी होती। अतः उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के कारण समय वृद्धि अनियमित रहीं।

अतः उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के ''ठेका की शर्तें'' के खण्ड-2-क (भुगतानों से कटौती) के अनुसार - ''समय ठेके का सार तत्व है।'' निर्माण कार्य प्रारम्भ और पूरा करने के लिए अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चित दिनांक तक ठेके के अन्तर्गत आने वाले निर्माण कार्य को ठेकेदार प्रारम्भ और पूरा करायेगा और इन दिनांकों के अन्तराल में ऐसे प्रगति विवरण पत्र में दिखाये गये परिमाण की अनुसूची और दिनांक तक निर्माण कार्य पूरा करेगा, जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और टेंडर के साथ संलग्न किया जायेगा। यदि निर्माण कार्य, चाहे परिमाण में या समय में प्रगति विवरण पत्र से बकाये में रह जाये, तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें निर्माण कार्य बकाये में रहे, ठेकेदार प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि के 1 प्रतिशत के बराबर या ऐसी धनराशि का देनदार होगा, जैसा मुख्य अधिकारी सम्पूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पर निश्चित करे, जिसका प्रतिबन्ध सदैव यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक न होगी जैसा कि टेंडर में दिया गया हो।''

परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि विलम्ब से कराये गये कार्यों पर पेनाल्टी काटी ही नहीं गई है या बहुत कम काटी गई है। अपर मुख्य अधिकारी के लिखित निर्णय के बिना कटौती की धनराशि निर्धारित कर लेना अनियमित है। लेखा परीक्षा के अनुसार बिना लिखित निर्णय के पेनाल्टी न काटना/या बहुत कम काटना, ।ड।स्तर से निर्णय नहीं करना है। अतः निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित कार्यों पर अधिकतम 10 प्रतिशत की पेनाल्टी काटी जानी थी, जो नहीं काटी गई है।

तालिका निम्नवत है:-(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	निर्माण कार्य	प्राक्कलन की धनराशि	अधिकतम 10 प्रतिशत पेनाल्टी	काटी गई पेनाल्टी	अन्तर की धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1-	ग्राम परसेरा में विनोद कुमार के घर से स्व0 शैलेन्द्र कुमार तोमर की समाधि तक लेपन कार्य	24.11.996	2.41.200	1.000	2.40.200
2-	अलीगढ़ अकरावत रोड से नदरोई सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन/इण्टरलाकिंग कार्य -	36.40.972	3.64.097	-	3.64.097
	आपत्ति- जो अनुबन्ध 30.12.18 तक करना था, उसे बीमार होने के प्रार्थना पत्र पर 02.02.19 को किया गया। फिर कार्यादेश की तिथि 02.02.19 को फ्लूड लगाकर 14.02.19 किया गया है तथा नीचे समाप्ति तिथि 01.05.19 को 13.05.19 किया गया। जबकि श्रम विभाग के पंजीकरण				

	में भी 02.02.19 से 01.05.19 तक ही कार्य का पंजीकरण किया गया है। फर्जी तरीके से फ्लूड लगाकर तिथियों में परिवर्तन किया गया प्रतीत हो रहा है। चूंकि कार्य समाप्त दिनांक 05.05.19 में हुआ है, इसीलिए तिथियों में परिवर्तन किया गया है। फ्लूड लगाकर इस तरह तिथियों में परिवर्तन करना गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।				
3-	मढ़ा हबीबपुर से महगौरा लिंक मार्ग तक लेपन कार्य	38.81.299	3.88.130	1.000	3.87.130
4-	ग्राम कारस में माँ दुर्गा के मन्दिर से हरिया की नगरिया की ओर लेपन कार्य/ इण्टर0	35.87.845	3.58.785	500	3.58.285
5-	ग्राम जलालपुर में पुरानी इण्टरलाकिंग टाइल्स से स्वामी जी की कुटी तक इण्टर0 कार्य	15.51.582	1.55.158	1000	1.54.158
6-	चण्डौस बरका डाबर रोड से नगला बाग व नबावपुर की ओर इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य	16.67.508-96	1.66.751	-	1.66.751
7-	जरारा से मरघट (पंडितों का शमशान) तक लेपन कार्य	31.83.790-94	3.18.379	-	3.18.379
8-	खड्उआ चैक भूपालगढ़ी मार्ग से ग्राम ककरारी सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	18.24.004	1.82.400	500	1.81.900
9-	ग्राम पंचायत रूस्तमपुर ढोला शिव मन्दिर से रेलवे स्टेशन कलुआ तक खडंजा कार्य	17.98.020	1.79.802	500	1.79.302
10-	जीवाराम नगला (रामपुर चंदियाना) रोड से ग्राम लहरा सलेमपुर की ओर लेपन का	35.17.640	3.51.764	500	3.51.264
11-	नगला मीरपुर प्राइमरी स्कूल के आगे से खेरूपुरा की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपनकार्य	36.65.872	3.66.587	1000	3.65.587
12-	जोर की गढ़ी से मुख्य सड़क (जट्टारी-टप्पल) पर मरम्मत/लेपन कार्य	7.11.130-67	71.113	3000	68.113
13-	स0मा0 नानऊ पिलखना मार्ग से नानऊ तक लेपन कार्य	33.05.903	3.30.590	-	3.30.590
14-	नूरपुर की तरफ से भगवानपुर की ओर सम्पर्क मार्ग पर	11.47.593-09	1.14.759	500	1.14.259

	मरम्मत/लेपन कार्य				
15-	आरामगढ़ी स्थानपुर-हिसैन रोड पर स्थित प्रा0वि0 थानपुर से ग्राम थानपुर तक सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/लेपन कार्य	9.89.070-72	98.907	1000	97.907
16-	अमरौली बम्बा से नगला ब्राह्मण सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	26.24.426-63	2.62.443	1000	2.61.443
17-	स0मार्ग नगला पड़ाव (नगला बटी) डाबर रोड से जाहरवीर मन्दिर की ओर लेपनकार्य	35.75.572	3.57.557	-	3.57.557
18-	ग्राम बझेड़ा में प्राइमरी स्कूल से संजू पुत्र रामप्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य	42.23.986-26	4.22.399	-	4.22.399
19-	ग्राम बांकनेर में मंगलसेन के घर से शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग कार्य	36.14.399	3.61.440	1000	3.60.440
20-	अतरौली हैवतपुर मार्ग से बहरावद की ओर सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	12.21.994	1.22.199	500	1.21.699
21-	ग्राम फाजलपुर में सोतीपुरा रोड से खण्डेहावाला खडंजे तक मिट्टी/खडंजा कार्य	8.80.369-39	88.037	1000	87.037
22-	ग्राम फाजलपुर में सोतीपुरा रोड से बाजौता वाले बम्बे तक मिट्टी/खडंजा कार्य	9.34.620	93.462	1000	92.462
23-	कासिमपुर साधु आश्रम रोड से खुशालगढ़ी मरघट सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	13.98.886	1.39.889	1000	1.38.889
24-	स0मा0 डोरई से लोधई सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	38.86.909	3.88.691	1000	3.87.691
25-	ग्राम हसनगढ़ से पत्ते की नगलिया लेपन कार्य	36.43.296	3.64.330	500	3.63.830
26-	ग्राम गहलऊ से गहलऊ देवता तक इण्टलाॅकिंग कार्य	12.88.173	1.28.817	1000	1.27.817
27-	लट्ठा फैक्ट्री मलिक रोड से पुरानी सी0सी0 खैर रोड की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	14.66.009	1.46.601	2000	1.44.601

28-	इगलास गोण्डा रोड से सलेमपुर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	6.47.178	64.718	1000	63.718
29-	स0मा0 पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजगहेला से नीम नदी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	21.88.399	2.18.840	500	2.18.340
30-	स0मा0 बुढ़ारी भोगीपुर डाबर रोड (प्रा0 पाठशाला) से ग्राम कदमपुर में बुद्धसैन की आबादी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	8.87.408	88.741	500	88.241
31-	स0मा0 टोडरपुर से डोरीलाल नगला बाग तक के अवशेष भाग पर इण्टर0 कार्य	10.73.982	1.07.398	500	1.06.898
32-	काका होटल से सी0सी0एस0 आई0 डी0 आई0 महरावल तक इण्टरलाकिंग कार्य	22.14.343	2.21.434	1000	2.20.434
	कुल योग -	**7.26.54.177-66**	**72.65.418-00**	**24.000**	**72.41.418**

इस प्रकार स्पष्ट है कि कुल विलम्ब शुल्क की धनराशि रू0 72,41,418 और काटी जानी थी, परन्तु ऐसा न करके उपरोक्त निर्माण कार्य नियमावली के ठेके की शर्त (खण्ड-2-क) का उल्लंघन किया गया है। साथ ही विभिन्न स्टेजों पर कार्यों की मा ॅनीटरिंग भी नहीं की गई है, जिससे कतिपय कार्यों में विलम्ब हुआ है। उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित वित्तीय परामर्शदाता जिम्मेदार रहेंगे। (आपत्ति संख्या--35)

प्रस्तर -20 -कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-3783 एम0टी0/2007, दिनांक 13.06.2007 के प्रस्तर-5 के अनुसार ''प्रीमिक्स कार्पेटिंग का कार्य ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर यदि बियरिंग कोट हेतु पी0सी0 कराये जाने का प्राविधान कराया जाता है तो पीएमजीएसवाई में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सीधे टाप कोट/डब्लू0बी0एस0 के ऊपर प्राइम कोट करके पी0सी0 व सील कोट का कार्य कराया जायेगा।''

इसी प्रकार अगस्त 2007 के प्रमुख अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, उ0प्र0 के शासनादेश के अनुसार भी ''सील कोट के साथ प्रीमिक्स कार्पेटिंग का कार्य (पीसी, वर्क सील कोट) प्राइम कोट को डब्ल्यूपीएम के ऊपर बिछाकर किया जाना चाहिए।''परन्तु इन स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कई तथ्यों में टैक कोट कार्य भी कराया गया है तथा इस तरह संस्था पर अनावश्यक व्यय/भार डाला गया है। इन कार्यों की तालिका निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	टैक कोट की धनराशि (रू0 में)
1	ग्राम परसेरा में विनोद कुमार के घर से स्व0 शैलेन्द्र कुमार तोमर की समाधि तक लेपन कार्य (लोधा)	27880-58
2	मढ़ा हबीबपुर से महगौरा लिंक मार्ग तक लेपन कार्य (खैर)	30130-00

3	ग्राम कारस में माँ दुर्गा के मन्दिर से हरिया की नगरिया की ओर लेपन कार्य	18341-93
4	जरारा से मरघट (पंडितों का श्मशान) तक लेपन कार्य (खैर)	26608-73
5	जीवाराम नगला (रामपुर चंदियाना) रोड से ग्राम लहरा सलेमपुर की ओर लेपन कार्य (बिजौ	26091-06
6	नगला मीरपुर प्राइमरी स्कूल के आगे से खेरूपुरा की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (जवाँ)	29869-12
7	जोर की गढ़ी से मुख्य सड़क (जट्टारी-टप्पल) पर मरम्मत/लेपन कार्य (टप्पल)	17760-60
8	स0मा0 नानऊ पिलखना मार्ग से नानऊ तक लेपन कार्य (अकराबाद)	25668
9	नूरपुर की तरफ से भगवानपुर की ओर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/लेपन कार्य (चण्डौस)	32432-40
10	आरामगढ़री-थानपुर-हिसैल रोड पर स्थित प्रा0वि0 थानपुर से ग्राम थानपुर तक सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/लेपन कार्य (चण्डौस)	23845-25
11	अमरौली बम्बा से नगला ब्राह्मण सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (जवां)	26993-39
12	गावरी से दाऊपुर की ओर मरम्मत/लेपन कार्य (जवां)	52452-40
13	स0मार्ग नगला पड़ाव, नगला बरी) डाबर रोड से जाहरवीर मन्दिर की ओर लेपन कार्य (अकराबाद)	26808-80
14	स0मा0 डोरई से लोधई सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (गंगीरी)	27593-10
15	ग्राम हसनगढ़ से पत्ते की नगरिया तक लेपन कार्य (गोण्डा)	28520-00
16	नगला कौशलपुरी माजरा बैम्बीपुर से रामघाट की ओर मरम्मत/लेपन कार्य (अतरौली	65436-80
	कुल योग	486432.16

अतः टैक कोट पर व्यय की गई धनराशि रू0 486432 अनावश्यक व्यय किया गया, जबकि शासनादेश एवं पी0डब्लू0डी0 के परिपत्र स्पष्ट थे। इस अनावश्यक व्यय के प्रथिस्थापित स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उसके लिए ए0एम0ए0, अवर अभियन्ता एवं अभियन्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रहेगी। (आपत्ति संख्या--37)

प्रस्तर -21- - ग्रामीण सड़कों के निर्माण में वर्षा का जल एवं अन्य प्रकार से जल भराव सड़कों पर न होने देने के लिए ह्यूम पाइप डलवाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि बारिश के मौसम में सड़कें खराब न हों एवं राजकीय धन का पूरा सदुपयोग हो। आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के शासनादेश (अक्टूबर 2006) के अनुसार निर्देश भी हैं कि ''इण्डियन रोड कांग्रेस.20 के मानकों के अनुसार ग्रामीण सड़कों के प्रत्येक एक किमी0 में कम से कम 900 एम0एम0 ह्यूम पाइप की दो पुलियों का निर्माण किया जाना चाहिए।'' परन्तु आलोल्य वर्ष में कई कार्य ऐसे हैं, जिनमें प्राक्कलन में ह्यूम पाइपों का प्राविधान किया गया है, परन्तु वास्तविक कार्य में एक भी ह्यूम पाइप नहीं डाला गया है। नीचे एक ऐसी तालिका दी गई है, जिसमें प्राक्कलन में ह्यूम पाइप का प्राविधान है, परन्तु वास्तविक कार्य में एक भी ह्यूम पाइप नहीं डाला गया है -

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलन में ह्यूम पाइप	कार्य में प्रयुक्त ह्यूम	व्यय की गई धनराशि

		की माप (आरएम में)	पाइप (आरएम में)	(रू0 में)
1-	ग्राम परसेरा में विनोद कुमार के घर से स्व0 शैलेन्द्र कुमार तोमर की समाधि तक लेपन कार्य (लोधा)	22-50	-	2409025
2-	अलीगढ़-अकरावत रोड से नदरोई सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन/इण्टरलाकिंग कार्य (लोधा)	27-50	-	3639800
3-	मढ़ा हबीबपुर से महगौरा लिंग मार्ग पर लेपन कार्य (खैर)	15-00	-	3668628
4-	ग्राम पड़ियावली ऐसी पला, आगरा रोड से बर्फ खाने बाबा नीम करौरी मंदिर के पीछे तक इण्टरलाकिंग कार्य (लोधा)	7-50	-	3132100
5-	ग्राम कारस में माँ दुर्गा के मन्दिर से हरिया की नगरिया की ओर लेपन/इण्टरलाकिंग कार्य (इगलास)	7-50	-	3112444
6-	ग्राम जलालपुर में पुरानी इण्टरलाकिंग टाइल्स से स्वामी जी की कुटी तक इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (टप्पल)	30	-	1463206
7-	चण्डौस बरका डाबर रोड से नगला बाग व नबावपुर की ओर इटरलाॅकिंग टाइल्स कार्य	30	-	1301000
8-	जरारा से मरघट (पंडितों का श्मशान) तक लेपन कार्य (खैर)	30	-	3157768
9-	जोर की गढ़ी से मुख्य सड़क (जट्टारी-टप्पल) पर मरम्मत/लेपन कार्य (टप्पल)	22-50	-	627254
10-	नूरपुर की तरफ से भगवान की ओर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/लेपन कार्य (चण्डौस)	22-50	-	1110400
11-	आरामगढ़ी-थानपुर-हिसैल रोड पर स्थित प्रा0वि0 थानपुर से ग्राम थानपुर तक सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/लेपन कार्य (चण्डौस)	22-50	-	907100
12-	अमरौली बम्बा से नगला ब्राह्मण सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (जवां)	7-50	-	2422000
13-	गावरी से दाऊपुर की ओर मरम्मत/लेपन कार्य (जवां)	इसमें ह्यूम पाइप प्राक्कलन में प्राविधान ही नहीं था जबकि 1-4 किलो मीटर की सड़क है	-	2366000
14-	सिरावली से पूर्व माध्यमिक विद्यालय की ओर ग्राम	7-50	-	2967900

	समाज के बाग तक इण्टरलाकिंग कार्य (धनीपुर)			
15-	इगलास सासनी रोड पर नगला नहचल से घमण्डी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य (इगलास)	7-50	-	1241507
16-	ग्राम फाजलपुर में सोतीपुरा रोड से खण्डेहा वाला खडंजा तक मिट्टी/खडंजा कार्य (टप्पल)	30	-	865052
17-	ग्राम फाजलपुर में सोतीपुरा रोड से बाजौता वाले बम्बे तक मिट्टी/खडंजा कार्य (टप्पल)	30	-	905716
18-	स0मा0 डोरई से लोधई सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (गंगीरी)	350 एमएम/ आरएम600 एमएम के22-5आरएम	7-50 आरएम -	3787900
19-	ग्राम हसनगढ़ से पत्ते की नगलिया तक लेपन कार्य (गोण्डा)	350 एमएम / आरएम 600 एमएम के 22-5 आरएम	7-50 आरएम	3642931
20-	ग्राम गहलऊ से गहलऊ देवता तक इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	15 आरएम	-	1286879
21-	शहवाजपुर में तालाब से सी0सी0 (गुड्डू के घर तक) इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	7-5 आरएम	-	1073640
22-	ग्राम पड़ाव से बाईपास ग्राम कासिमपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र तक इण्टरलाकिंग कार्य (अकराबाद)	7-50	-	2955100
23-	सम्पर्क मार्ग बुढ़ारी भोगीपुर डाबर रोड (प्रा0 पाठशाला) से ग्राम कदमपुर में बुद्धसेन की आबादी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)	7-50	-	790000
योग				**48833350**

अतः रू0 48833350 धनराशि का व्यय (सड़कों के निर्माण में) बिना ह्यूम पाइप लगाये किया गया है, जबकि प्राक्कलन में सड़कों को बचाने का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यह राजकीय धन का दुरूपयोग है, क्योंकि बिना ह्यूम पाइप लगायें सड़क निर्माण अवमानना श्रेणी का कार्य है। धन के दुरूपयोग के प्रति स्थिति स्पष्ट कर इस आपत्ति का अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इस दुरूपयोग की जिम्मेदारी अवर अभियन्ता, अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी की रहेगी।

2- नीचे एक तालिका दी गई है, जिसमें आलोच्य वर्ष 19-20 में कुछ ऐसे इण्टरलाकिंग के कार्य हैं, जिसमें जीएसबी, (दानेदार उप आधार) के बाद जी3की परत (22 एमएम to 53 एमएम स्टोन ग्रिड की (जलबद्ध मैकाडम विनिर्देश के अनुसार पत्थर समुच्चय बिछाने, फैलाने और संघनित करने की सुविधा प्रदान करना)) नहीं डाली गई है। इस परत के डाले बिना इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण अवमानक स्तर का होगा। इसक कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट न हो सका। इस प्रति स्थिति स्पष्ट

की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में अवमानक श्रेणी के कार्य कराये जाने के लिए सम्बन्धित जे0ई0, ए0ई0 एवं ए0एम0ए0 के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रहेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि (रू0 में)
1	स0मा0 रहसूपुर मार्ग से ईदगाह की ओर ऊँटगिरी मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य (धनीपुर)	2277000
2	इगलास सासनी रोड पर नगला नहचल से घमण्डी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	(इसकी धनराशि ऊपर की ह्यूम पाइप वाली आपत्ति में शामिल है)
3	कलूपुरा रोड से कृषि विज्ञान केन्द्र सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य (जवां)	810000
4	ग्राम गहलऊ से गहलऊ देवता तक इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	- इसकी धनराशि ह्यूम पाइप वाली आपत्ति में शामिल है
5	शहवाजपुर में तालाब से सी0सी0 तक (गुड्डू के घर तक) इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	-do-
6	स0मा0 पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजाहेला से नीचे नदी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)	2184300
7	स0मा0 बुढ़ारी भोगीपुर डाबर रोड (प्रा0पाठशाला) से ग्राम कदमपुर में बुद्धसेन की आबादी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)	- इसकी धनराशि ह्यूम पाइप वाली आपत्ति में शामिल है
8	स0मार्ग टोडरपुर से डोरीलाल नगला बाग तक के अवशेष भाग पर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)	1067500
9	काका होटल से सी0पी0एस0 आई0टी0आई0 महरावल तक इण्टरलाकिंग कार्य (लोधा)	2213455
10	योग -	8552255

इस प्रकार रू0 8552255 की धनराशि व्यय करके बिना ळ3 परत का कार्य कराये ही इण्टरलाकिंग सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

3-आलोच्य वर्ष 19-20 में कराये गये कुछ निर्माण कार्यों की नीचे एक सूची दी गई है। इन कार्यों में वास्तविक व्यय में प्राक्कलन की धनराशि में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी की गई है। इतने विचलन के सम्बन्ध में ''उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय दो के नियम 15 के अनुसार ''स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा, तब तक कि वह प्राधिकारी, जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृति न दे दे।''

''प्रतिबन्ध यह है कि नक्शे में किसी ऐसे छोटे परिवर्तन की स्वीकृति, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान में मूल अनुमान के 10 प्रतिशत से अनधिक या 500 की, उसमें जो भी काम हो, वृद्धि हो, ऐसे प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है, जो इस नियमावली के अधीन ठेका स्वीकृत करने के लिए सक्षम हो।''

इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-318 में प्राविधानित है कि ''प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति का तात्पर्य ऐसे प्राक्कलन से है, जो वास्तविकता के अनुरूप तैयार किया गया हो तथा प्राक्कलन में पर्याप्त एवं वास्तविक आँकड़ों के आधार पर गणना की गई हो।'' साथ ही यही प्रस्तर (खण्ड-6, प्रस्तर-318) यह भी प्राविधानित करता है कि ''कार्य की तकनीकी स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही है तथा आगणन की गणनाऐं सटीक एवं समुचित आंकड़ों पर आधारित है।''

परन्तु इन कार्यों में निर्माण कार्यों में परिवर्तन पर कोई स्वीकृति नहीं ली गई है (उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय दो नियम 15 का उल्लघंन)।

साथ ही वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-6 के प्रस्तव-318 के अनुसार प्राक्कलन ही गणनाऐं सटीक एवं प्राक्कलन संरचनात्मक रूप से सही था, तब इतना विचलन होना कार्य को आवमानक श्रेणी का किया जाना दर्शित होता है। स्थिति स्पष्ट की जानी/परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में अवमानक कार्य के लिए जे0ई0, ए0ई0 एवं ए0एम0ए0 (सम्बन्धित) जिम्मेदार माना जाना अपेक्षित रहेगा।

सूची निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलन में कार्य की माप	वास्तविक कार्य की माप	पूरे कार्य विचलन का प्रतिशत	धनराशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1-	ग्राम कारस में माँ दुर्गा के मन्दिर से हरिया की नगरिया की ओर लेपन/इण्टरलाकिंग (इगलास)	1-ई/डब्लू-3267=17एम3 2-जीएसबी-268.13 एम3 3-जी2=123.75 एम 3 4-जी3=123.75 एम 3 5-प्राइम कोट = 1650 एम 2 6-टैक कोट = 1650 एम 2 7-प्रीमिक्स कार्पेट = 1650 एम 2 8-सील कोट = 1650 एम 2 9-ह्यूम पाइप = 7.50 आरएम	2796.39एम^3 226.86 एम ^{3} 96.70 एम ^{3} 96.41 एम ^{3} 1286.25 एम ^{3} 1286.25 एम ^{3} 1286.25 एम ^{3} निल निल	13-16 प्रतिशत कम	यह धनराशि ¼3112444 पूर्व में ह्यूम पाइप की आपत्ति में सम्मिलित है
2-	चण्डौस बरका डाबर रोड से नगला बाग व नबावपुर की ओर	1-पीसीसी (1:2:4) सीमेंट: सी. रेत: स्टोन ग्रिट (13.2 मिमी) 451.99 एम3	16 एम ^{3} - -	21-39 प्रतिशत डिवीजन	¼1301000½ यह धनराशि भी ह्यूम पाइप वाली पूर्व

	इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (चण्डौस)	2-सीसी 1:6:12 इंच, 40 मिमी गॉज, महीन रेत के साथ (1.05 एम3) 3-350 मिमी व्यास वाले एनपी-3 ह्यूमपाइप (30 आरएम) 4-जीएसबी (जी1)-44.81 एम3	30.25 एम ^{3}		की आपत्ति में शामिल है।
3-	जोर की गढ़ी से मुख्य सड़क (जट्टारी-टप्पल) पर मरम्मत/लेपन कार्य (टप्पल)	1-ई/डब्ल्यू - 240एम3 2-पी/एल (1:6:12) - 0.79 एम3 3-पी/एल (1:2:4) - 0.79 एम3 4-350 मिमी ह्यूमपाइप - 22.50 आरएम	- - - -	11-78 प्रतिशत	¼627254½ पूर्व में ह्यूम पाइप की आपत्ति में सम्मिलित है
4-	कासिमपुर साधु आश्रम रोड से खुशालगढ़ी मरघट सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य (जवां) 1.म्ध्ॅ दृ	1-पूर्व/पश्चिम - 1915.58 घन मीटर 2-पूर्व/पश्चिम (2 किमी कार्टेज के साथ) - 219.54 घन मीटर 3-ह्यूमपाइप - 15 घन मीटर 4-किनारे पर प्रथम श्रेणी की ईंटें - 2079 घन मीटर	1191.88 एम ^{3} - 5 आरएम 1955.70 एम^2	17-55 प्रतिशत	1153000
5-	स0मा0 बुढ़ारी भोगीपुर डाबर रोड (प्रा0 पाठशाला) के ग्राम कदमपुर में बुद्धसेन की आबादी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)	1-जीएसबी (जी1) - 61.25एम3 2-टाइलें - 462 एम2 3-पी/एल (1:2:4) - 9.66 एम3 4-ह्यूमपाइप 600 मिमी - 7.50 आरएम	56.88 एम ^{3} 433 एम^2 5 एम ^{3} -	10-88 प्रतिशत	¼790000½ इसकी धनराशि पूर्व की दो आपत्तियों 1- ह्यूम पाइप 2-जी$_3$का प्राविधान सम्मिलित नहीं है।
योग	(शेष धनराशियों की पूर्व की आपत्तियों में शामिल है)				**1153000**

इसके अतिरिक्त इस सूची के कार्य नं0 3 (जोर की गढ़ी से ..... मरम्मत/लेपन कार्य), जो कि मरम्मत कार्य है, इसमें 10 प्रतिशत अधिक विचलन पर पुनरीक्षित अनुमान तैयार किया जाना चाहिए था तथा उसी रीति से अनुमोदित भी कराया जाना था। परन्तु ऐसा न करके "उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय-दो के

नियम संख्या-8 (मरम्मत कार्य) का उल्लंघन किया गया है।'' अतः यह कार्य अनियमित भी है (अवमानक होने के साथ ही)। इसका अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--38)

प्रस्तर -22- आलोच्य वर्ष 19-20 में नीचे उल्लेख किये गये कार्यों में टेण्डर स्वीकृति के पश्चात् अनुबन्ध करने में हुई देरी, टेण्डर खुलने से पहले ही कार्यादेश जारी करना एवं अनुबन्ध करना आदि विभिन्न कमियों पर लेखा परीक्षा में आपत्तियाँ पाई गई हैं। इनका कार्यवार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

1-अलीगढ़-अकराबाद रोड से नदरोई सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन/इण्टरलाकिंग कार्य:- (लोधा) - (प्राक्कलन रू0 3640972-

(1) बीमार हो जाने के प्रार्थना पत्र के साथ, जो अनुबन्ध दिनांक 30.12.2018 तक होना था, वह दि0 14.02.2019 में किया गया तथा कार्यादेश भी इसी तिथि को किया गया। फ्लूड लगाकर दिनांक 02.02.2019 को 14.02.2019 किया गया है। नीचे समाप्ति तिथि पर भी फ्लूड लगाकर दिनांक 01.05.2019 को 13.05.2019 किया गया प्रतीत हो रहा है। दिनांक 02.02.2019 को अनुबन्ध करने का फर्म द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। परन्तु कार्य में देरी हो जाने के कारण दिनांक 02.02.2019 को 14.02.2019 एवं समाप्ति तिथि 01.05.2019 को 13.05.2019 बदलना गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। देरी से अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई लिखित निर्णय/स्वीकृति नहीं दी गई है (निविदा की शर्त नं0 2 एवं स्वीकृति पत्र में 10 प्रतिशत जमानत धनराशि के साथ अनुबन्ध न करने पर निविदा रद्द कर 2 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी)।

(2) कार्य योजना, निविदा एवं शासन की तकनीकी स्वीकृति में यह लेपन कार्य नहीं दर्शाया गया है, मात्र इण्टरलाकिंग कार्य है। बाद में इसमें लेपन कार्य किसी स्वीकृति या किस नियम से जोड़ा गया, ज्ञात न हो सका।

आपत्ति का परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में यह निविदा अनियमित निविदा की श्रेणी में रखी जानी अपेक्षित होगी।

(3) इसी प्रकार अन्य कई निर्माण कार्यों में बीमारी या अन्य किसी कारण के प्रार्थना पत्रों/बिना प्रार्थना पत्रों के समय पर अनुबन्ध नहीं किये गये हैं। बीमारी या कारणों के कोई साक्ष्य भी संलग्न नहीं हैं। अनुबन्ध का समय बढ़ाने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कोई लिखित निर्णय भी नहीं किया गया है। निविदा की शर्त नं0 2 एवं निविदा स्वीकृति के पत्रों मे यह उल्लिखित है कि बिना 10 प्रतिशत जमानत धनराशि के साथ 10 दिनों की समयावधि में अनुबन्ध न किये जाने पर निविदा रद्द कर 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ''उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत तथा पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय दो के नियम संख्या-23'' के परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्णय करना था, जो नहीं किया गया है। ऐसे निर्माण कार्यों की सूची निम्नलिखित है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनियमितता का कारण (सारे अनुबन्ध 30.12.18 तक होने थे	प्राक्कलन की धनराशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**
1-	अलीगढ़ अकरावत रोड से नदरोई	1-अनुबन्ध में देरी (बिना ए.एम.ए. के	3640972-00

	सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन/इण्टरलाकिंग कार्य (ऊपर उल्लिखित है)	निर्णय के)	
2-	ग्राम पड़ियावली ऐसी पला, आगरा रोड से बर्फ खाने बाबा नीम करौली मन्दिर के पीछे तक इण्टरलाकिंग कार्य (लोधा)	2--तदैव- (दि0 30.12.18 तक अनुबन्ध होने थे, परन्तु यह 16.01.19 में हुआ है।)	3133059-00
3-	ग्राम कारस मंे माँ दुर्गा के मंदिर से हरिया की नगरिया की ओर लेपन कार्य/इण्टरलाकंग (इगलास)	1-अनुबन्ध दि0 30.12.18 तक होना था, जो किसी प्राधिकारी की अनुमति के बिना दि0 16.01.2019 में हुआ है।	3587845-00
4-	जरारा से मरघट (पंडितों का श्मशान) तक लेपन कार्य (खैर)	1-देर से अनुबन्ध हुआ है। 2-अनुबन्ध के देरी से कराने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, इस पर ए.एम.ए. की नोटिंग में दि0 18.03.19 को ऊपर लेखन करके दि0 28.05.19 किया गया प्रतीत हो रहा है। ठेकेदार ने प्रार्थना पत्र में कोई दिनांक नहीं लिखी है। जबकि अनुबन्ध दि0 18.03.19 में हुआ है। कार्यादेश पर भी दिनांक व पत्रांक पर फ्लूड लगाकर ऊपर लेखन किया गया है। दि0 18.03.19 पर फ्लूड लगाकर इसे दि0 28.05.19 किया गया है तथा कार्य समाप्ति दि0 27.08.19 की गई है। तिथियों पर फ्लूड लगाकर पत्रांक व दिनोंकों को बदला जाना गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। स्पष्टीकरण/परिपालन अपेक्षित है। श्री दयाशंकर काॅन्ट्रैक्टर्स एण्ड सप्लायर्स के बिड कन्फर्मेशन के प्रपत्र एवं टेण्डर क्रय व 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि के प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। इन्हें लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	3183790-94
5-	जीवाराम नगला (रामपुर-चंदियाना) रोड से ग्राम लहरा सलेमपुर की ओर लेपन कार्य (बिजौली) की देरी अनियमित थी।	1-दि0 30.12.18 को होने वाला अनुबन्ध दि0 14.02.19 में कराया गया है। पारिवारिक परेशानी के प्रार्थना पत्र पर एक नोटिस । ए.ई की पीडब्लूसी के लिए कि "कृ0"	3517640-00

		नियमानुसार कार्यवाही करें", अंकित है। परन्तु इस पर कोई निर्णय/आदेश ए.एम.ए. द्वारा नहीं किया गया है। अतः अनुबन्ध	
6-	नगला मीरपुर प्राइमरी स्कूल के आगे से खेरूपुरा की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (जवां)	दि0 30.12.18 तक अनुबन्ध होना था, परन्तु 14.02.19 मंे हुआ। "माताजी की तबियत खराब हो जाने" का प्रार्थना पत्र है, जिस पर ए.एम.ए. की नोटिंग में मात्र पीडब्लूसी लिखा है। कोई निर्णय/आदेश नहीं किया गया है।	3665872-00
7-	स0मार्ग नगला पछाव (नगला बरी) डाबर रोड से जाहरवीर मंदिर की ओर लेपन कार्य कर्य (अकराबाद) ण्म्ण् च्ॅब्/कृ0	1-दि0 30.12.18 के स्थान पर अनुबन्ध दि0 22.02.19 में हुआ है। पिताजी (अस्पष्ट) की तबियत खराब हो जाने के प्रार्थना पत्र पर ए.ई. द्वारा मात्र पीडब्लूसी / नियमानुसार कार्यवाही करें, अंकित है। कोई निर्णय/आदेश नहीं है। 2-श्री यतिन दीक्षित तथा श्री उमाशंकर शर्मा ठेकेदारों की च्मतबमदजंहम ठव्फ पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः इनके द्वारा प्रस्तुत निविदा की दरों जो क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 2.33 प्रतिशत ओपन विड में दर्शाई जा रही है, इन्हें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। 3-एक ठेकेदार श्री यतिन कुमार दीक्षित का जो चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है, उकसी वैधता 2 वर्ष तक (दि0 28.07.18) तक ही थी। यह दि0 29.07.16 का था परन्तु निविदा की विज्ञप्ति दि0 26.10.18 की थी। यह चरित्र प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं था। 4-श्री पंकज कौशिक ठेकेदार का हैसियत प्रमाण पत्र अपूर्ण ही पत्रावली में संलग्न है।	3575572-00 प्रतिशत बी.ओ.क्यू
8-	सिरावली से पूर्व माध्यमिक विद्यालय की ओर ग्राम समाज के बाग तक	दि0 30.12.18 तक जो अनुबन्ध होना था, वह दि0 23.02.19 में हुआ है।	2975740-00

	इण्टरलाकिंग कार्य (धनीपुर)	दि0 23.02.19 के प्रार्थना पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। ए.एम.ए. ने मात्र पीडब्लूसी लिखकर रिक्त छोड़ दिया है।	
9-	ग्राम बांकनेर में मंगलसेन के घर से श्मशान घाट तक इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (खैर)	दि0 30.12.18 तक किया जाने वाला अनुबन्ध दि0 16.01.19 में किया है। प्रार्थना पत्र में ''तबियत खराब'' लिखा है। ए.एम.ए. द्वारा इस पर कोई निर्णय/आदेश नहीं किया गया है।	3614399-00
10-	ग्राम हसनगढ़ से पत्ते की नगलिया तक लेपन कार्य (गोण्डा)	दि0 30.12.19 तक किया जाने वाला अनुबन्ध दि0 14.02.19 में किया गया है। प्रार्थना पत्र पर ठेकेदार ने कोई दिनांक नहीं डाली है। ''बीमारी'' कारण प्रार्थना पत्र में लिखा है। ए.एम.ए. ने इस पर दि0 14.02.19 डाली है। कोई आदेश/ निर्णय नहीं किया गया है	3643296-00
		योग -	**34538186-00**

(IV)आलोच्य वर्ष में कुछ निमार्ण कार्यों की पत्रावलियों में यह देखा गया कि उनमें किसी एक ठेकेदार के बिड सबमिशन कन्फर्मेशन के प्रपत्र संलग्न नहीं थे। अतः इनके द्वारा टेण्डर खरीद की धनराशि व 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि के जमा किये जाने की पुष्टि न की जा सकी, कुछ पत्रावलियों में निविदा की ठेकेदारों द्वारा लिखी गई दरों की पुष्टि में जो प्रपत्र (बीडीओ) संलग्न किया जाता है, वह नहीं था। अतः इन ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदा की दरों की पुष्टि न की जा सकी। ये सभी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ये टेण्डर अनियमितता की श्रेणी में रखे जा सकेंगे। ऐसे कार्यों की कारण सहित एक सूची निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम/आवश्यक प्रपत्र जो संलग्न नहीं हैं	धनराशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**
1-	ग्राम पंचायत रूस्तमपुर ढोला शिव मन्दिर से रेलवे स्टेशन कलुआ तक खडंजा कार्य (लोधा)	श्री बालाजी कंक्रीट उद्योग के बिड़ सम्बन्धित कन्फर्मेशन प्रपत्र संलग्न नहीं -	1798020-00
2-	नगला मीरपुर प्राइमरी स्कूल के आगे से खेरूपुरा की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (जवा)	श्री बालाजी कंक्रीट उद्योग के बिड़ सबमिशन कन्फर्मेशन के प्रपत्र संलग्न नहीं -	¼3665872-00½ ;g /kujkf'k nsj ls vuqcU/k okyh vkifRr esa "kkfey gSA
3-	स0मा0 नानऊ पिलखना मार्ग से नानऊ	ठेकेदार श्री चिरंजीलाल गोला,	3305903-00

	तक लेपन कार्य (अकराबाद) 1- 4.	मथुरा के टेण्डर फीस व 2 प्रतिशत धनराशि जमा के बिड़ सम्बन्धित कन्फर्मेशन प्रपत्र संलग्न नहीं है।	
4-	नगला सिद्ध में महगौरा काली सड़क से बालक बाबा मन्दिर होते हुए महगौरा तक इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (खैर)	ठेकेदार मै0 बालाजी कंक्रीट उद्योग की बिड़ सबमिशन कन्फर्मेशन प्रपत्र नहीं हैं -	3407697-00
5-	इगलास सासनी रोड पर नगला नहचल से घमण्डी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य (इगलास)	श्री चिरंजीलाल गोला, मथुरा, ठेकेदार के उपरोक्त प्रपत्र नहीं -	1241648-00
6-	ग्राम फाजलपुर में सोतीपुरा रोड से खण्डेहावाला खडंजे तक मिट्टी/खडंजा कार्य (टप्पल)	मै0 बालाजी कंक्रीट उद्योग के उपरोक्त प्रपत्र संलग्न नहीं -	880369-00
7-	ग्राम फाजलपुर से सोतीपुरा रोड से बाजौता वाले बम्बे तक मिट्टी/खडंजा कार्य (टप्पल)	श्री चिरंजीलाल, गोला, मथुरा के उक्त प्रपत्र संलग्न नहीं -	934620-00
8-	स0मा0 डोरई से लोधई सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	मै0 बालाजी कंक्रीट उद्योग के उपरोक्त प्रपत्र संलग्न नहीं -	3886909
9-	नगला कौशलपुरी माजरा बैम्बीपुर से रामघाट की ओर मरम्मत/लेपन कार्य (अतरौली)	मै0 बालाजी एन्टरप्राइजेज के उपरोक्त प्रपत्र संलग्न नहीं	1892679-00
10-	10. कूबरा सड़क गोरई चैराहा ट्रांसफार्मर से बाटा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	1-श्री चिरंजीलाल गोला, मथुरा के उपरोक्त प्रपत्र संलग्न नहीं - 2-शेष अन्य दो ठेकेदारों के च्मतबमदजंहम ठव्फ प्रपत्र संलग्न नहीं हैं -	1783609-00
11-	11. ग्राम गहलऊ से गहलऊ देवता तक इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	चिरंजीलाल गोला, मथुरा (ठेकेदार) के बिड सबमिशन कन्फर्मेशन के प्रपत्र संलग्न नहीं है	1288173-00
12-	शहवाजपुर मंे तालाब से सी.सी. (गुड्डू के घर तक) इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	श्री चिरंजीलाल गोला, मथुरा के उपरोक्त प्रपत्र संलग्न नहीं -	1073918-00
13-	इगलास गोण्डा रोड से सलेमपुर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	- तदैव -	647178-00
14-	स0मा0 पूर्व माध्यमिक विद्यालय	- तदैव -	2188399-00

	राजगहेला से नीम नदी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)		
15-	स0मा0 बुढ़ारी भोगीपुर डाबर रोड (प्रा0पाठशाला) के ग्राम कदमपुर में बुद्धसेन की आबादी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)	- तदैव -	887408-00
16-	स0मा0 टोडरपुर से डोरीलाल नगला बाग तक के अवशेष भाग पर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)	- तदैव -	1073982-00
		योग	**26290512-00**

(v) आलोच्य वर्ष में कुछ निमार्ण कार्य ऐसे भी थे, जिनके अनुबन्ध व कार्यादेश पहले हो गये हैं, जबकि टेण्डर बाद के दिनांक में खुले हैं। ऐसा कैसे सम्भव है? स्पष्ट न हो सका। इसे स्पष्ट किया जाना/इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मंे ये कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेंगे। इन कार्यों की तालिका निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा खुलने की तिथि	अनुबन्ध के लिए विलेख पत्र की तिथि	कार्यादेश की तिथि	धनराशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1-	स0मा0 नानऊ पिलखना मार्ग से नानऊ तक लेपन कार्य (अकराबाद) 25.11.18 15.11.18 में अनुबन्ध कार्य प्रारम्भ 20.12.18 (3305903) यह धनराशि बिड सवमिशन कन्फर्मेशन प्रपत्रों वाली आपत्ति में शामिल है।	25-11-18	15-11-18 में अनुबंध	कार्य प्रारंभ 20-12-18	¼3305903½ यह धनराशी बिड सबमिशॉनकन्फर्मेशॉन प्रपत्रों वाली आपत्ति में शामिल है
2-	नूरपुर की तरफ से भगवानपुर की ओर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत /लेपन कार्य (चण्डौस)	24-11-18	पत्रांक 327 / 20.12.18 में टेण्डर स्वीकृत हुआ है। 10 दिन में (30.12.18 तक) अनुबन्ध करना था।	पत्रांक 234/ 20.11.18	1147593.00
3-	कलूपुरा रोड से कृषि	24-11-18	पत्रांक 176	पत्रांक 229/	838929-00

	विज्ञान केन्द्र सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य (जवां)		/20.11.18 द्वारा 10 दिन के अन्दर अनुबन्ध करने का पत्र लिखा गया है।	20.11.18	
4-	ग्राम फाजलपुर में सोतीराम रोड से खण्डेहा वाला खडंजे तक मिट्टी/खडंजा कार्य (टप्पल) में शामिल है।	22-11-18	पत्रांक 197 /20.11.18 द्वारा अनुबन्ध करने के लिए पत्र	225/ 225/ 2011.18	¼880369½ यह धनराशि बिड सबमिशन कन्फर्मेशन प्रपत्रों वाली आपत्ति
5-	5.ग्राम फाजलपुर में सोतीराम रोड से बाजौता वाले बम्बे तक मिट्टी खडंजा कार्य (टप्पल)	22-11-18	205/20-11-18	230/20-11-18	¼934620½ उपरोक्त बिड सबमिशन वाली आपत्ति में शामिल है।
6-	. इगलास गोण्डा रोड से सलेमपुर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)	24.11.18	200/20.11.18	224/20.11.18	(647178) उपरोक्त बिड सबमिशन वाली आपत्ति में शामिल
7-	स0मा0 बुढ़ारी भोगीपुर डाबर रोड (प्रा0पाठशाला) से ग्राम कदमपुर में बुद्धसेन की आबादी की ओर इण्टरलाकिंग कार्य (गंगीरी)	25.11.18	201/20.11.18	225/20.11.18	(887408) उपरोक्त बिड सबमिशन वाले प्रपत्रों के न मिलने वाली आपत्ति में शामिल
8-	काका होटल से सी0पी0एस0 आई. टी. आई. महरावल तक इण्टरलाकिंग कार्य(लोधा	26-12-18	पत्रांक-मीमो / 24.12.18	406/24.12.18	2214343-00
योग -					**4200865-00**

(VI) आलोच्य वर्ष में कुछ कार्य ऐसे भी थे, जिनमें जमानत धनराशि 10 प्रतिशत से कम जमा कराई गई है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-दो के नियम संख्या-23 के अनुपालन में इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस नियम के अनुसार "..... मुख्य अधिकारी ऐसे निर्माण कार्यो की स्थिति में

जिसका अनुमान 10,000 से अधिक हो, ठेकेदार को प्रारम्भ में उतनी धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करने की अनुज्ञा दे सकता है, जो बयाने की धनराशि सहित ठेके की धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर हो। शेष 5 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के लिए उसके चालू लेखा बिलों से 10 प्रतिशत की दर से तब तक काटी जायेगी, जब तक कि प्रतिभूति की धनराशि पूरी न हो जाए। कोई भी ठेका तक तक वैध न होगा और न कोई निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ किया जायेगा, जब तक कि ऊपर नियत की गई अपेक्षित प्रतिभूति जमा न कर दी जाए और ठेके के विलेख पर .....। यथास्थिति मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत की ओर से ठेके के विलेख पर हस्ताक्षर किया जायेगा।''

निम्नलिखित कार्यों में उस नियम का पालन नहीं किया गया है और ए.एम.ए. द्वारा न ही कोई

अनुज्ञा की गई है। ऐसे कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

1. कलूपुरा रोड से कृषि विज्ञान केन्द्र सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य (जवां)- (प्राक्कलन धनराशि रू0 838929), प्राक्कलन की 10 प्रतिशत रू0 83893, जमानत धनराशि जमा की जानी थी, परन्तु यह रू0 83851 ही जमा कराई गई है। रू0 42 कम जमा कराई।

कम जमानत धनराशि जमा होने के बावजूद टेण्डर स्वीकृत एवं कार्य करा लिया गया है। यह वित्तीय अनियमितता है। (इस कार्य की प्राक्कलन की धनराशि पूर्व में 'लिखित' अन्य अनियमितताओं की आपत्तियों में शामिल है।)

2. इगलास गोण्डा रोड से सलेमपुर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य:- (गोण्डा, प्राक्कलन की धनराशि - 647178)

इस प्राक्कलन की धनराशि के 10 प्रतिशत, रू0 64718 को जमानत के रूप में जमा करना था। परन्तु इस कार्य के लिए जमानत धनराशि रू0 63000 ही जमा की गई है। इस प्रकार रू0 1718 कम जमानत जमा कराये ही टेण्डर स्वीकृत एवं कार्य कराया गया है, जो वित्तीय अनियमितता है। परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

(इस कार्य की प्राक्कलन की धनराशि को पूर्व में लिखित अन्य प्रकार की अनियमितताओं की आपत्तियों में शामिल कर लिया गया है।)

3. काका होटल से सी0पी0एस0 आई.टी.आई. महरावल तक इण्टरलाकिंग कार्य:- (लोधा, प्राक्कलन-2214343)

(I) अनुबन्ध के समय दि0 24.12.18 में ठेकेदार के प्रार्थना पत्र में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि पर ही अनुबन्ध करने की अनुमति मांगी गई थी। परन्तु प्रार्थना पत्र पर ए.एम.ए. की कोई नोटिंग नहीं है। मात्र पीडब्लूसी लिखकर रिक्त छोड़ दिया गया है। ए.एम.ए. द्वारा अनुमति का कोई लिखित आदेश नहीं किया गया है।

(II) कुल 10 प्रतिशत जमानत धनराशि रू0 221434 के विरूद्ध अनुबन्ध के समय मात्र रू0 188000 ही जमा किये गये। बाद में रू0 20000 एवं दि0 27.2.19 में रू0 10000 की एफ.डी.आर. और जमा की गई। इस तरह कुल रू0 218000 ही जमा हुई। रू0 3434 कम जमानत जमा हुई, जो पूरे कार्य के दौरान कम ही रही, किसी बिल से काटकर पूरी नहीं की गई। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसका अविलम्ब परिपालन अपेक्षित है।

(इस प्राक्कलन की धनराशि को भी पूर्व में लिखित अन्य प्रकार की अनियमितताओं की आपत्तियों में शामिल कर लिया गया है।)(आपत्ति संख्या--39)

प्रस्तर -23 -आलोच्य वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि लेपन कार्य हेतु प्रयुक्त किये गये विटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से लिये जाने के निर्देश थे। परन्तु निम्नलिखित लेपन कार्यों में (नीचे एक सूची दी गई है) बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से न कर अन्य स्थानों से प्राप्त/खरीद की गई है। यह शासनादेश संख्या-1408/23.03.09/62 (जनरल)/08 टी0सी0, लोक निर्माण विभाग-3, लखनऊ दिनांक 08 मई 2009 का उल्लंघन है। इस शासनादेश के अनुसार - सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं -

1- कान्ट्रैक्टर द्वारा बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से प्राप्त की जाएगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रिफाइनरी से प्राप्त किये गये बिटुमिन का प्रमाण, यथा-रिफाइनरी को दिये गये आपूर्ति आदेश, बैंक ड्राफ्ट द्वारा किये गये भुगतान की रसीद काॅन्ट्रैक्टर से प्राप्त किया जाएगा।

2- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जाएगा, जब बिटुमिन की मूल इन्वायस कान्ट्रैक्टर द्वारा प्रस्तुत की जाए और इन्वायस को क्रास कर बिल के साथ लगा दिया जाए।

रिफाइनरी के अतिरिक्त अन्य स्थानों से क्रय किये बिटुमिन वाले लेपन कार्यों की तालिका:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्थान जहाँ से बिटुमिन क्रय किया गया	पत्रावली में संलग्न बिल की धनराशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**
1-	ग्राम परसेरा में विनोद कुमार के घरा से स्व0 शैलेन्द्र कुमार तोमर की समाधि तक लेपन कार्य (लोधा)	मै0 आदित्य एन्टरप्राइजेज, बैंक कालोनी, प्रीमियर नगर, अलीगढ़ (इन्वायस नं0- 036, 038, 039 से लेकर 042)	240215-00
2-	ग्राम कारस में माँ दुर्गा के मन्दिर से हरिया की नगरिया की ओर लेपन/इण्टरलाकिंग कार्य (इगलास)	कृष्णा एन्टरप्राइजेज, गेट नं0 9, रिफाइनरी, मथुरा	371237-00
3-	जीवाराम नगला (रामपुर चंदियाना) रोड से ग्राम लहरा सलेमपुर की ओर लेपन कार्य (बिजौली)	1-जैन टेªडिंग कम्पनी, जैन गली, सिकन्द्रा, आगरा 2- ग्राम-मरिथानी, पो0 चैबेपुर, कानपुर नगर	223020-00
4-	नगला मीरपुर प्राइमरी स्कूल के आगे से खेरूपुरा की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (जवां)	मनीष पैंट एण्ड हार्डवेयर, पत्थर बजार, अलीगढ़	423183-00
5-	5. स0मा0 डोरई से लोधई सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (गंगीरी)	1-छाता, मथुरा 2-जैन टेªडिंग कम्पनी, आगरा	197264-00

6-	नगला कौशलपुरी माजरा बैम्बीपुर से रामघाट की ओर मरम्मत/लेपन कार्य (अतरौली)	सुपर पैट्रोकैमीकल्स, कोसी कलां, मथुरा	534540-00
7-	अतरौली बम्बा से नगला ब्राह्मण सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (जवां)	कृष्णा एन्टरप्राइजेज, गेट नं0 9, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	371237-00 (यही बिल क्रमांक 2 पर अंकित कार्य में भी है)
कुल योग -			**2360696-00**

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि क्रम सं0 2 एवं 7 पर अंकित कार्यों में एक ही बिल, दोनों पत्रावलियों में संलग्न कर दिया गया है (दि0 28.04.19, कृष्णा ऐन्टरप्राइजेज, गेट नं0 09, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा)। अतः रू0 2360696 का भुगतान किया जाना उपरोक्त शासनादेश के उल्लंघन के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। साथ ही इन कार्यो की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। कार्य अवमानक श्रेणी के किये गये प्रतीत होते हैं। इसका परिपालन अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित, अवर अभियन्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता की जिम्मेदारी मानी जाएगी। (आपत्ति संख्या--40)

प्रस्तर -24-आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्यों में सामग्री की गुणवत्ता में परीक्षण हेतु जो लैब रिपोर्ट्स संलग्न की गई है, उनकी तिथियों में ऊपरलेखन (व्अमतूतपजपदह) करके उन्हें दूसरी तिथि का बनाया गया है। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। ऐसे कुछ कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

(I) चण्डौस बरका डाबर रोड से नगला बाग व नबावपुर की ओर इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (चण्डौस) - (व्यय राशि-1301000)-

इसमें जो लैब रिपोर्ट (टाइल्स) है, वह दिनांक 22.12.2019 की है, जिसे ऊपर लेखन करके 22.02.2019 किया गया है। टैस्ट कन्डक्टिंग डेट 22.12.2019 ही है। जबकि यह कार्य दिनांक 20.12.2018 में प्रारम्भ हुआ था तथा दिनांक 10.06.2019 में ही समाप्त हो गया था। लैब रिपोर्ट की सत्यता संदिग्ध है तथा यह फर्जी प्रतीत हो रही है । अतः टाइल्स की गुणवत्ता जांच नहीं गई है। परिपालन अपेक्षित है (प्राक्कलन धनराशि-1667509)।

(I I) अतरौली हैवतपुर मार्ग से बहरावद की ओर सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य (अतरौली) - (व्यय धनराशि - 1221000)-

इण्टरलाकिंग टाइल्स की लैब रिपोर्ट पर फ्लूड लगाकर प्रत्येक स्थान की तिथि को बदल कर दि0 06.03.19 किया गया है। पूर्व की तिथि को फ्लूड से मिटा दिया गया है। रिपोर्ट संदिग्ध है एवं फर्जी प्रतीत हो रही है। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है (प्राक्कलन धनराशि-1221994) ।

(I I I) ग्राम गहलऊ से गहलऊ देवता तक इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा)-

(प्राक्कलन धनराशि-1288173

व्यय की गई धनराशि - 1286879)

इण्टरलाकिंग टाइल्स की टैस्ट लिये जाने की तिथि 07.12.18 है। रिपोर्ट की तिथि पूर्व में 7.12.18 ही थी, जिसे फर्जी तरीके से ऊपर लेखन व इरेस करके 7.03.2019 किया गया है। 7.12.18 में तो कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ था। रिपोर्ट संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

साथ ही गिट्टी की लैब रिपोर्ट नहीं है। गिट्टी का परीक्षण ही नहीं कराया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों में संदिग्ध रिपोर्ट संलग्न की गई हैं या परीक्षण कराये बिना ही कार्यों का भुगतान कर दिया गया है। अतः उपरोक्त समस्त भुगतान अनियमित थे। इस आपत्ति का अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--41)

प्रस्तर -25-वर्ष 19-20 के एक कार्य ''अमरौली बम्बा से नगला ब्राह्मण सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य'' (जवां), प्राक्कलन धनराशि-रू0 2624427, में पत्रांक 300/20.12.18 के माध्यम से 10 दिन में अनुबन्ध किये जाने की शर्त थी। परन्तु इस पत्रावली में कोई अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं है। कार्यालय पत्रांक 413/22.1.19 के माध्यम से कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है, परन्तु दिनांक 22.1.19 तक अनुबन्ध हुआ ही नहीं था, क्योंकि अनुबन्ध के प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं थे। ये लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित हैं। हालांकि यह अनुबन्ध दिनांक 30.12.18 तक होना था, परन्तु इसे अनियमित तरीके से बढ़ाकर कार्यादेश को दि0 22.01.19 में जारी किया गया। इन प्रपत्रों के उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह अनुबन्ध कार्य अनयिमितता की श्रेणी में आयेगा। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--42)

प्रस्तर -25 (1) -वर्ष 19-20 के एक मरम्मत/लेपन कार्य ''आरामगढ़ी-थानपुर-हिसैल रोड पर स्थित प्रा0वि0 थानपुर से ग्राम थानपुर तक सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/लेपन कार्य'' में प्रथम रनिंग बिल में मिट्टी कार्य नहीं कराया गया है। इस बिल में कार्यों का क्रम (व्तकमत) इस प्रकार था -जी-2, जी-3, ब्रिक ऐजिंग प्राइम कोट ट्रैक कोट प्रीमिक्स, कार्पेट, सील कोट.... परन्तु अन्तिम बिल में रू0 48720 (348 एम3 मिट्टी दर 140) का कार्य क्रम संख्या 1 पर दिखाया गया है। यह कैसे सम्भव हुआ? क्या यह कार्य अन्त में कराया गया? स्थिति स्पष्ट की जानी/परिपालन किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या--43)

<u>वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित गंभीर आपत्ति पाई गई</u>

जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़-

जिलापंचायत:- अलीगढ़

प्रस्तर -26 -राज्य वित्त आयोग आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण कार्यो की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि ग्रामीण सडको के निर्माण वर्षा के जल एवं अन्य प्रकार से जल भराव सडको पर न होने देने के लिए हयूम पाइप डलवाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि वर्षा ऋतु मे सडके खराब न हो एवं राजकीय धन का पूर्णतः उपयोग हो। इस सम्बन्ध में आयुक्त ग्राम विकास, उ0 प्र0 के शसनादेष अक्तूबर 2006 के अनुसार निर्देष भी है कि ''इण्डियन रोड कान्ग्रेस (आईआरसी): एसपी-20 के मानको के अनुसार ग्रामीण सडको के प्रत्येक एक कि0मी0 में कम से कम 900 एम एम हयूम पाइप की दो पुलियों का निर्माण, किया जाना चाहिए। परन्तु आलेच्य वर्ष में कतिपय कार्यो में प्राकलन में हयूम पाइप का प्रावधान होने के उपरान्त भी वास्तविक कार्य में एक भी हयूम पाइप नही डाला गया है, कुछ उदाहरर्णार्थ कराये गये निर्माण कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रं० सं०	कार्य का नाम	प्राकलन के हुईम पाईप	कार्य में प्रयुक्त हुईम पाईप	व्यय धनराशी

1	आदौन से हरिजन के तालाब से महेन्द्र खां के धर तक सी0सी0 कार्य	एनपी-3	----	758708
2	मुजफफरा में मुख्य डाबर रोड से मरधट तक सी0सी0 कार्य	एनपी-3	--	722371
3	अतुर्रा गोण्डा में सतीष के घर से गौरी शंकर मण्दिर तक सी0सी0	एनपी-3	---	797873
	हीरापुर में गांव से बम्बा तक इण्टरलाकिंग रोड के किनारे नाली निर्माण	एनपी-3	---	845456
	अलीगढ टप्पल मार्ग से सुजानपुर में चामुण्डा माता मन्दिर तक सी0सी0	एनपी-3	----	1036462
	तालसपुर में रामघाट रोड से चैधरी की दुकाम तक सी0सी0	एनपी-3	----	1067046
	अटारी में अटारी भुडाका मार्ग मन्दिर से सोनू के घर तक सी0सी0 कार्य	एनपी-3	----	976094
	भीकनपुर में नफीस के घर से नीम नदी तक सी0सी0 कार्य	एनपी-3	----	956450
	हैबतपुर सिया से हैबतपुर सिंया नगला के मन्दिर तक नाली निर्माण	एनपी-3	----	3040697
	हीरापुर में नहर पर पुल से हीरापुर इण्टरलाकिंग रोड तक सी0 सी0 कार्य	एनपी-3	-----	795289
	योग			10996446

अतः उक्त विवरण के अनुसार कराये गये कार्यो पर हूआ व्यय रू0 10996446 बिना हयूम पाइप का व्यय (सडको के निर्माण में) बिना हयूम पाइप लगाये किया गया है, जबकि प्राकलन में हयूम पाइप लगाने का प्राविधान किया गया था। बारिश में जल भराव से सडको को बचाने का कोई ध्यान नही रखा गया है। यह राजकीय धन का दुरूपयोग है, क्योकि बिना हयूम पाइप लगाये एक सडक निर्माण अवमानक श्रेणी का कार्य है। जिसके प्रति तत्कालीन अवर अभियन्ता , वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1a

प्रस्तर -27- उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली -1984 के ठेका की शर्तो के खण्ड-5 के अनुसार समय मे वृद्वि करना यदि ठेकेदार किसी कार्यो को पूरा करने के लिए किसी अपरिहार्य बाधा के कारण में जो उसके निष्पादन में उत्पन्न हो गई हो से समय बढाना चाहें तो वह ऐसी बाधा के जैसे ही उसे मालूम हो विद्यमान होने के 30 दिनो के अन्दर मुख्य अधिकारी को लिखित आवेदन देगा मुख्य अधिकारी जो उसकी राय में जो (अंन्तिम होगी) युक्ति युक्ति कारण दिये गये हों समय में ऐसी वृद्वि करने का प्राधिकारी देगा जो उसकी राय में आवश्यक या उचित होगा।

परन्तु ऐसे कोई अधिकार के आदेश अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्पष्टतः नही दिये गये है।अधिकतम प्रार्थना पत्रों पर कोई तिथि अंकित नही है। और समस्त कार्यो में एक ही कारण विवाद

अंकित है कारण के सम्बन्ध मे कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया जिससे कि अपर मुख्य अधिकारी को कोई प्राधिकारी निर्गत करने में आसानी होती।

कतिपय कार्यो में आपसी झगडे या अन्य किसी कारण से निर्धारित समयान्तर्गत कार्य न होने की स्थिति पर ठेकेदार/फर्म की प्रार्थना पत्र पर ए0एम0ए0 द्वारा कोई समय वृद्वि या विलम्ब शुल्क का लिखित रूप में स्वीकृति पत्रावली मे नही रही। अन्तिम बिल में तावान के रूप में 500, 1000, 2000 या 3000 का विलम्ब शुल्क काटा गया है जो निमाण नियमावली-1984 के ठेका शर्तो के खण्ड-5 का पूर्णतः उल्लंघन है। नियमानुसार समय से कार्य समाप्ति न होने की स्थिति में 1 से 10 प्रतिशत के अन्तर्गत ए0एम0ए0 द्वारा लिखित रूप में निर्णय लिया जाना चाहिए था। जो नही लिया गया एवं समस्त कार्यो पर अन्तिम भुगतान में 500, 1000, 2000 या 3000 का विलम्ब शुल्क काट के इतिश्रिय कर ठेकेदारों/फर्मो को अनुचित लाभ दिया गया। उक्त हेतु अमर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार दोषी एवं उत्तरदायी है कुछ विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रं० सं०	कार्य का नाम	कार्य का कुल व्यय	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	कटा गया तावान	10% की दर से अपेक्षित विलंभ शुल्क	कम कटा गया विलंभ शुल्क
1	हीरापुर में गांव से बम्बा तक इण्टरलाकिंग रोड के किनारे नाली निर्माण	845456	20-03-22	3-12-22	2000	84546	82546
2	हैबतपुर सिया से हैबतपुर सिंया नगला के मन्दिर तक नाली निर्माण	1742890	20-03-22	12-09-22	3000	174289	172289
3	अलीगढ टप्पल मार्ग से सुजानपुर में चामुण्डा माता मन्दिर तक सी0सी0	1036462	20-03-22	17-07-22	500	103646	103146
4	तालसपुर में रामघाट रोड से चैधरी की दुकाम तक सी0सी0	948324	20-03-22	02-08-22	1000	94832	94732
5	मुजफफरा में मुख्य डाबर रोड से मरधट तक सी0सी0 कार्य	722371	20-03-22	22-09-22	3000	72237	69237
6	अतुर्रा गोण्डा में सतीष के घर से गौरी शंकर मण्दिर तक सी0सी0	717938	21-06-22	27-08-22	1000	71794	70794
7	अटारी में अटारी भुडाका मार्ग मन्दिर से सोनू के घर तक सी0सी0 कार्य	976094	20-03-22	20-06-22	1000	97609	96609
8	भीकनपुर में नफीस के घर	956450	20-03-22	05-06-22	1000	95645	95645

	से नीम नदी तक सी0सी0 कार्य						
9	आदौन से हरिजन के तालाब से महेन्द्र खां के धर तक सी0सी0 कार्य	758708	21-06-22	28-08-22	1000	75870	74870
10	रामपुर चंदनिया में प्राथमिक स्कूल से मंदिर तक सी०सी० कार्य	986046	20-03-22	20-05-22	1000	98604	97604
11	भाखरी अहिवासी खडंजा से प्रभुदत्त इन्टर कॉलेज आलमपुर डाबर रोड तक	5829082	20-03-22	15-05-23	5680	582908	577228
12	गोरई जटवार रोड से सुरभि सुमंगलम बर्खंदी आश्रम की ओर सी सी कार्य	1023220	21-06-22	08-11-22	3000	102322	99322
13	गोंडा रोड पैर तहसील परिसर के किनारे सी सी रोड से संजय के घर के पास ओदोगिक अस्थान कार्यालय तक	524612	21-06-22	12-07-22	500	52461	51961
14	हीरापुरनाहर पैर बड़े पुल से हीरापुर इन्टर० रोड तक से से कार्य	795289	20-03-22	20-05-22	3000	79529	76529
15	हैबतपुर सिया से हैबतपुर सिंया नगला के मन्दिर तक सी सी कार्य	2743368	20-03-22	20-08-22	2000	274337	272337
16	दोरोउ में गी टी रोड पर अग्निशमन केंद्र के सामने से कब्रिस्तान तक सी सी	894920	20-03-22	05-06-22	1000	89492	88492
	योग						2123341

उपरोक्त विवरणानुसार निर्माण नियमावली-1984 के ठेका की शर्तो के खण्ड-5 के विपरीत बिना किसी समय वृद्वि की स्वीकृति / निर्धारित दर विलम्ब शुल्क का लिखित रूप में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निर्णय लिये बिना मनमाने ढंग से नगण्य धनराशि काट कर इतिश्री करते हुए संस्था को क्षति पहुचाया गया जिस हेतु अपर मुख्य अधिकरी एवं लेखाकार दोषी एवं उत्तरदायी हैं अतः रू0 2123341-00 कम कटे विलम्ब शुल्क की वसूली उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकरी, वित्तीय परामर्शदाता से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2

प्रस्तर -28-कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक 3783 एम0 टी0/2007, दिनांक 13.06.2007 के प्रस्तर-6 के अनुसार प्रीमिक्स कोटिंग का कार्य ग्रामीण क्षेत्र के मार्गो पर यदि वियरिंग कोट इेतु पी0सी0 कराये जाने का प्राविधान कराया जाता है तो पी0एम0जी0एस0वाई0 में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सीधे टाप कोट/डब्लू0बी0एम0के ऊपर प्राइम कोट करके पी0सी0 व सील कोट का कार्य कराया जायेगा।

इसी प्रकार अगस्त 2007 के प्रमुख अभियन्ता के प्रमुख अभियण्ता पी0डब्लू0डी, उ0प्र0 के शासनादेश के अनुसार भी सील कोट कार्पेटिंग का कार्य (सील कोट के साथ पीसी) पाइम कोट को डब्ल्यू.बी.एम.के ऊपर बिछाकर किया जाना चाहिए

परन्तु इन स्पष्ट निर्देशो के बाद भी कई कार्यो में टैक कोट कार्य भी कराया गया है तथ इस तरह संस्था पर अनावश्यक व्यय भार डाला गया है। इन कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं० सं०	कार्य का नाम	टैक कोर्ट की धन०
1	**भाखरी अहिवासी खडंजा से प्रभुदत्त इन्टर कॉलेज आलमपुर डाबर रोड तक लेपन कार्य**	48635
2	आदर्श नगर जेवर रजवाहा से बुढाका विद्यालय मार्ग तक मरम्मत /लेपन कार्य	42812
3	अलीगढ मथुरा मार्ग अर्राना से बम्बा की पटरी पर भगवन श्री परशुराम तक लेपन कार्य	39634
4	पनेथी गदराना मार्ग पर भरतुआ चौराहे से रुस्तमपुर एलाम बम्बा खडन्जा मार्ग पर लेपन व सी सी कार्य	53580
5	महरवाल उदल रोड से महरवाल नगारिया मार्ग पर लेपन कार्य	24455
6	ग्राम केशोपुर जाफरी से ग्राम करीलिया तक मरम्मत लेपन कार्य	29316
	योग	238432

टैक कोट पर व्यय की गई धनराशि रू0 238432-00 अनावश्यक व्यय किया गया, जबकि शासनादेश एवं पी0डब्लू0डी के परिपत्र से स्पष्ट था। इस अनावश्यक व्यय के प्रति अपर मुख्य अधिकरी तत्कालीन एवं अवर अभियन्ता तत्कालीन उत्तरदायी एवं दोषी है। अतः कुल रू0 238432-00 की वसूली मय ब्याज के उत्तरदायी एवं दोषी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्श दाता एवं अवर अभियन्ता से किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-3

प्रस्तर -29- निमार्ण कार्या पत्रावलियों की जांच मे प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उप खनिजों की कुछ मात्रा का एम एम-11 प्रस्तुत रहा एवं शेष मात्रा का पत्रावली में उपलब्ध ट्रांजिट पासो के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि यह ट्रांजिट पास सम्बन्धित ठेकेदारों के नाम से निर्गत नही है मात्र अलीगढ डिस्टीनेशन के है कई पास गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर के है इनकी कैलिडिटी है परन्तु यही खनिज सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा ही क्रय किया गया इसका कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। मौखिक रूप उक्त की स्थिति के पूछे जाने पर मात्र यह अवगत कराया गया कि उक्त ट्राजिट पास वैलिड है परन्तु इन्ही ठेकेदारो/ फर्मो द्वारा ही क्रय किया गया का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही रहा बताये गया कथन मानने योग्य नही रहा। यह भी सम्भव है कि उक्त मात्रा जिनके नाम से निर्गत है उनके द्वारा प्राइवेट कान्स्ट्रकशन में प्रयुक्त की गई हो जहां इनका सत्यापन पोर्टल पर किये जाने की न ही प्रकिया है और न ही किया गया होगा। जिनका उपयोग यहा किया जा रहा

है और अवैध खनन द्वारा लाई गई उप खनिज का उपयोग यहां करते हुए इन ट्राजिट पास को प्रस्तुत कर वैद्य खनन द्वारा लाई गई है हेतु प्रयोग किया गया होना सम्भव्य है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त कर कार्य सम्पादित कराया गया हैए जोउपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त कर कार्य सम्पादित कराया गया है, जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है एवं रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व की गम्भीर क्षति का प्रकरण है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकरी तत्कालीन , लेखाकार तत्कालीन एवं अवर अभियन्ता तत्कालीन उत्तरदाई एवं दोषी हैं । कतिपय पत्रावलियों का विवरण है।

क्रं० सं०	कार्य का नाम	कुल प्रयूक्त खनिज जिनका ट्रांजिट पास किसी अन्य के नाम है		आन्ग्रित रोयल्टी	पांच गुना धनराशी	योग (4+5)	कटी गयी रोयल्टी	अन्तर (6-7)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	रामपुर चंदनिया में प्राथमिक स्कूल से मंदिर तक सी०सी० कार्य	जी-1	53-61	5897				
		जी-3	47-68	5244				
		एम-30	52-68	8428				
		कोर्स सैंड-	26-34	4214				
		योग		**23783**	118915	142698	16188	**126510**
2	हीरापुर में गांव से बम्बा तक इण्टरलाकिंग रोड के किनारे नाली निर्माण	**एम-10**	**23-33**	**2566**				
		एम-20	**44-37**	**7099**				
		कोर्स सैंड-	**33-12**	**4968**				
		योग		**14633**	**73165**	**87798**	**16214**	**71584**
3	हैबतपुर सिया से हैबतपुर सिंया नगला के मन्दिर तक नाली निर्माण	**एम-10**	**47-18**	**5190**				
		एम-20	**94-14**	**15062**				
		कोर्स सैंड-	**69-19**	**10378**				
		योग		**30630**	**153150**	**183780**	**--**	**183780**
4	अलीगढ टप्पल मार्ग से सुजानपुर में चामुण्डा माता मन्दिर तक सी0सी0	**जी-1**	**10-65**	**1172**				
		जी-3	**61-61**	**6778**				
		एम-30	**77-81**	**12449**				
		कोर्स सैंड-	**38-88**	**6221**				
		योग		**26620**	**133100**	**159720**	**--**	**159720**

5	तालसपुर में रामघाट रोड से चैधरी की दुकाम तक सी0सी0 जी-3-व एम-30 कुल 116-52 ,के सापेक्ष 103-01 के एमएम-11है शेष 13-51 की रोयल्टी 1486 जिनका एमएम-11 नहीं है ट्रांजिट पास अन्य के नाम है	जी-1	--					
		जी-3	--					
		एम-30	**13-52**	**1486**				
		कोर्स सैंड-	**46-05**	**7368**				
		योग		**8854**	44280	53124	--	53124
6	मुजफफरा में मुख्य डाबर रोड से मरधट तक सी0सी0 कार्य	जी-1	**43-16**	**4748**				
		जी-3	**36-62**	**4028**				
		एम-30	**41-58**	**6636**				
		कोर्स सैंड-	**20-79**	**3326**				
		योग		**18738**	93690	112434	--	112434
7	अतुर्रा गोण्डा में सतीष के घर से गौरी शंकर मण्दिर तक सी0सी0	जी-3	**49-30**	**5430**				
		एम-30	**63-90**	**10224**				
		कोर्स सैंड-	**31-95**	**5112**				
		योग		**20759**	103795	1245554	18480	105074
8	अटारी में अटारी भुडाका मार्ग मन्दिर से सोनू के घर तक सी0सी0 कार्य	जी-1	**24-66**	**2713**				
		जी-3	**32-25**	**3547**				
		एम-30	**69-41**	**11106**				
		कोर्स सैंड-	**34-70**	**5552**				
		योग		**22918**	114590	137508	---	137508
9	भीकनपुर में नफीस के घर से नीम नदी तक सी0सी0 कार्य	जी-1	**17-75**	**1953**				
		जी-3	**53-82**	**4821**				
		एम-30	**60-75**	**9720**				
		कोर्स सैंड-	**30-37**	**4860**				
		योग		**22554**	112770	135324	---	135324
10	आदौन से हरिजन के तालाब से महेन्द्र खां के धर तक सी0सी0 कार्य	जी-1	**23-94**	**2633**				
		जी-3	**41-10**	**4521**				
		एम-30	**40-05**	**6408**				
		कोर्स सैंड-	**22-27**	**3563**				
		योग		**17125**	85625	102750	---	102750

		योग		**23785**				
11	भाखरी अहिवासी खडंजा से प्रभुदत्त इन्टर कॉलेज आलमपुर डाबर रोड तक जी0-1 जी0-2 उप खनिज 948-62 प्रयुक्त हुआ जिसके सापेक्ष 863.02 के ट्रांजिट पास सम्बन्धित के नाम के थे शेष 85-60 के ट्रांजिट पास अन्य के नाम के होने के कारण उनको इन्ही के द्वारा क्रय किया गया के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक नही रहे जिसे अवेध खनन मानते हुए 5 गुना पनाल्टी सहित रायल्टी आंकी जाती है।	जी-1	--	--	613925	736710	---	736710
		जी-2	**88-60**	**9746**				
		जी-3	**377-0**	**41470**				
		प्रीमिक्स कोट	**95-85**	**15337**				
		सील कोट	**31-95**	**5112**				
		कोर्स सैंड-	**319-50**	**51120**				
		योग		**122785**				
12	गोरई जटवार रोड से सुरभि सुमंगलम बर्खंदी आश्रम की ओर सी सी कार्य जी-1, जी-3, एम-30 कुल प्रयुक्त 157-27के सापेक्ष 151-24 के के ट्रांजिट पास सम्बन्धित के नाम के थे शेष 6-03 के ट्रांजिट पास अन्य के नाम के होने के कारण उनको इन्ही के द्वारा क्रय किया गया के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक नही रहे जिसे अवेध खनन मानते हुए 5 गुना पनाल्टी सहित रायल्टी आंकी जाती है।	जी-1	--	--	37440	44928	---	44928
		जी-3	--	--				
		एम-30	**6-03**	**965**				
		कोर्स सैंड-	**40-77**	**6523**				
		योग		**7488**				
13	गोंडा रोड पैर तहसील परिसर के किनारे सी सी रोड से संजय के घर के पास ओदोगिक अस्थान कार्यालय तक जी-1, जी-3, एम-30 कुल प्रयुक्त 93-55 के सापेक्ष 68-58 के के ट्रांजिट पास सम्बन्धित के नाम के थे शेष 24-97 के ट्रांजिट पास अन्य के नाम के होने के कारण उनको इन्ही के द्वारा क्रय किया	जी-1	--		32565	39078	--	71644
		जी-3	--					
		एम-30	**24-97**	**3995**				
		कोर्स सैंड-	**15-74**	**2518**				
		योग		**6513**				

	गया के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक नही रहे जिसे अवेध खनन मानते हुए 5 गुना पनाल्टी सहित रायल्टी आंकी जाती है।							
14	हीरापुर नहर पर बड़े पुल से हीरापुर इन्टर० रोड तक से से कार्य जी-1, जी-3, एम-30 कुल प्रयुक्त 140-89 के सापेक्ष 24-56 कोर्स सैंड के एमएम-11 थे शेष 116-33 के ट्रांजिट पास अन्य के नाम के होने के कारण उनको इन्ही के द्वारा क्रय किया गया के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक नही रहे जिसे अवेध खनन मानते हुए 5 गुना पनाल्टी सहित रायल्टी आंकी जाती है।	जी-3	51-65	5682	99790	119748	--	119748
		एम-30	59-49	9518				
		कोर्स सैंड-	29-75	4759				
		योग		19958				
15	हैबतपुर सिया से हैबतपुर सिंया नगला के मन्दिर तक सी सी कार्य	जी-1	138-75	15263	367300	440760	---	440760
		जी-3	148-92	16380				
		एम-30	174-24	27878				
		कोर्स सैंड-	87-12	13939				
		योग		73460				
16	दोरोउ में गी टी रोड पर अग्निशमन केंद्र के सामने से कब्रिस्तान तक सी सी	जी-1	45-48	5003	99115	118938	---	118938
		जी-3	63-31	6964				
		एम-30	49-10	7856				
		कोर्स सैंड-	--	--				
		योग		19823				
17	ग्राम केशोपुर जाफरी से ग्राम करेलिया तक मरम्मत / लेपन कार्य जी-1, जी-3, कुल प्रयुक्त 555 के सापेक्ष 88 के ट्रांजिट पास सम्बन्धित के नाम के थे शेष 467 के ट्रांजिट पास अन्य के	जी-1	150	16500				
		जी-3	317	34870				
		प्रीमिक्स कोट	57-78	9245				
		सील कोट	19-26	3082				

	नाम के होने के कारण उनको इन्ही के द्वारा क्रय किया गया के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक नही रहे जिसे अवेध खनन मानते हुए 5 गुना पनाल्टी सहित रायल्टी आंकी जाती है।	कोर्स सैंड-	192-59	30814	472555	567066	---	567066
		योग		94511				
18	महरावल डाबर रोड से महरावल नगरिया मार्गे पर लेपन कार्य -1, जी-3, कुल प्रयुक्त 695-14 के सापेक्ष 549-43 के ट्रांजिट पास सम्बन्धित के नाम के थे शेष 145-69 के ट्रांजिट पास अन्य के नाम के होने के कारण उनको इन्ही के द्वारा क्रय किया गया के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक नही रहे जिसे अवेध खनन मानते हुए 5 गुना पनाल्टी सहित रायल्टी आंकी जाती है।	जी-1	--		774140	928969	---	928969
		जी-3	145-69	16026				
		प्रीमिक्स कोट	48-20	7712				
		सील कोट	16-06	2570				
		कोर्स सैंड-	803-25	128525				
		योग		154828				
	योग							4216561

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रायल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय।

अत: कुल रॉयल्टी एवं रायल्टी का पांच गुना सहित कुल रु० 4216561-00 की वसूली उत्तरदाई एवं दोषी अपर मुख्य अधिकरी तत्कालीन , लेखाकार तत्कालीन एवं अवर अभियन्ता तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-4

प्रस्तर -30- मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर वर्ष 21-22 की जांच में पाया गया कि पिछले वर्षों की तुलना में आलोच्य वर्ष 21-22 में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका कम धनराशि में छोडे गये हैं या फिर अनेक न्याय पंचायत/विकास खण्ड के ठेकों की नीलामी नही की गई। जबकि गत वर्ष की तुलना में अधिक धनराशि में ठेके छोडे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नही हुआ है। इस प्रकार जिला पंचायत को लगातार आर्थिक क्षति हो रही है, जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है। तथा विकास खण्ड वाइज विस्तृत विवरण तालिका के नीचे निम्न प्रकार हैः-

मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर प्रस्तर से सम्बन्धित तालिका-1

क्रं सं	विकास खण्ड	वर्ष 2019-20			वर्ष 2020-21			पिछला बकाया	बकाया वसूली	दि० 31-03-18 को
		मांग	वसूली	शेष	मांग	वसूली	शेष			

								सहित मांग		कुल शेष
1	अतरौली	305730	10000	295730	299730	34000	295830	306730	18620	288110
2	गंगीरी	59570	1000	49570	49570	00	49570	49570	0	49570
3	बिजौली	174542	0	174542	174542	0	174542	174542	0	174542
4	गोण्डा	84450	00	84450	84450	0	84450	87450	3000	84450
5	इगलास	125390	32000	93390	93390	0	93390	174890	86500	88390
6	लोधा	662800	112500	550300	560300	1000	550300	562800	12500	550300
7	अकराबाद	347975	1000	331975	331975	0	331975	331975	00	331975
8	जवां	95962	24083	71879	83879	12000	71879	88879	31900	56979
9	धनीपुर	154433	14150	140283	140283	00	140283	140283	5833	134450
10	टप्पल	640060	4400	635660	635660	5000	630660	630660	0	630660
11	चन्डौस	806869	32000	574869	574869	00	574869	574869	0	574869
12	खैर	233483	00	233483	233483	0	233483	233483	00	233483
	योग-	3491264	255133	3236131	3292131	61000	3231131	3353131	155353	3197778

उक्त तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल बकाया रु 3197778 दर्शित है जिसकी वसूली नही की जा सकी है इस प्रकार नीलामी की धनराशि को सम्बन्धित वर्षों में न वसूल कर अनावश्यक रूप से बकाया किया गया और उसकी वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही न कर बकाया को बढाया गया। जिसकी वसूली न हो पाने के कारण जिला पंचायत को क्षति हो रही है। जिसके लिए जिला पंचायत के तत्कालीन अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या-5

प्रस्तर -31-जिला पंचायत के सम्पत्ति व किराया रजिस्टर वर्ष 2021-22 की जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा अपने श्रोतों से होने वाली आय को प्राप्त करने में अत्याधिक लापरवाही व उदासीनता बरती जा रही है। जिला पंचायत अपनी निजी सम्पत्तियों (कार्यालय भवन, दुकाने व आवासीय भवनों) का किराया नियमित रूप से वसूल नही पा रही है। किरायेदार मन मर्जी से किराया देता है। कोई भी ठोस नीति लागू नही है। किराया न देने वालों पर कोई किसी तरह के जुर्माना व दंड का कोई प्राविधान नही है। जिसका लाभ प्रत्येक किरायेदार ले रहा है। अनेक बडे किरायेदारों का विगत कई-कई वर्षों से कोई किराया प्राप्त नही हुआ है। ज्यादातर जिला पंचायत के किरायेदार, बकायेदार बन कर रह गये हैं। किरायेदारों के समक्ष जिला पंचायत बेबस व लाचार दिखाई दे रहा है। किरायेदारों पर लाखों से भी अधिक का किराया बकाया होने के बावजूद जिला पंचायत उनसे कोई वसूली नही कर पा रहा है। बकाया किरायेदारों का विस्तृत विवरण नीचे तालिका में अंकित है :-

तालिका-

2

क्रमांक	स्थान	गत वर्ष तक का बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष में वसूल	वर्षांत में बकाया
1	जिला पंचायत स्थित कार्यालय एवं भवन	1737985	3365026	1385272	1979754
2	जवाहर भवन स्थित आवास	217650	287052	10800	276252

3	जिला पंचायत परिसर स्थित दुकानें	297201	628803	254401	374402
4	घंटा घर स्थित दुकानें	69910	73710	0	73710
5	मदार गेट स्थित दुकानें	299274	638958	342026	296932
6	जवां पैठ स्थित दुकानें	143234	253466	94440	159026
7	धनीपुर स्थित दुकानें	414227	683591	218000	465591
8	खैर, स्थित परशादीय आवास	350374	615718	326622	289096
9	विजयगढ़ स्थित दुकानें	241592	431564	255072	176492
10	पिलखना स्थित दुकानें	285756	299373	10000	289373
11	पुराना अस्पताल अतरौली स्थित दुकानें	217712	354986	167890	187096
12	पुराना अस्पताल अतरौली स्थित नइ दुकानें	186466	304204	101289	202915
13	अतरौली कॉलेज रोड स्थित दुकानें	305392	433216	128884	304332
14	जूनियरहाई स्कूल खैर स्थित दुकानें	74276	184340	136629	47711
15	पुरानी अस्पताल खैर स्थित दुकानें	177517	342061	164402	177659
15	टप्पल पुरानी स्थित दुकानें	517391	669587	--	669587
16	टप्पल स्थित दुकानें	243379	339247	21517	317730
17	जट्टारी खैर स्थित दुकानें	2850	3750	1800	1950
18	इगलास खैर स्थित दुकानें	41619	42819	--	42819
	योग				201256767

उक्त विवरण व आंकडों से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की प्रत्येक सम्पत्ति का किराया नियमित रूप से वसूल नही किया जाता है। और न ही किराया वसूली की कोई ठोस नीति लागू की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किरायेदार, किराया देने के लिए स्वतन्त्र है कि जितना मर्जी हो दे या फिर बिल्कुल न दे जिला पंचायत उस पर कोई कार्यवाही नही करेगी। बकाया किराये के आंकडे प्रत्येक वर्ष क्रमशः बढ रहे हैं लेकिन जिला पंचायत द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिला पंचायत की सम्पत्ति का किराया वसूलना जिला पंचायत के कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व नही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिला पंचायत की स्थिति बहुत ही दयनीय व सोचनीय है। किराया वसूलने में अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही व उदासीनता देखने को मिली है। जिसके लिए सम्बन्धित वर्षो में कार्यरत अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संचालक मंडल व विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जा रहा है। आपत्ति संख्या-6

प्रस्तर -32- कृषि फार्म रजिस्टर व उसकी लेखा बन्दी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि विगत वर्षो के कुल बकाया के सापेक्ष मात्र रु 8200-00 की वसूली दर्शायी गयी है। दि0 31-03-22 को रु 292470 का बकाया शेष है। जांच में पाया गया कि छोटी धनराशि के बकायेदारों से ही वसूली हो सकी है जिला पंचायत में बकाया वसूली की कोई स्पष्ट व प्रभावी नीति नही है। अपेक्षित वसूली न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियो/अधिकारियों को ही दोषी मानते हुए उनके विरूद्व दायित्व का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-8

प्रस्तर -33-वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर व शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12-01-2005 एवं पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/ 866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 33 (2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया हैं कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्रारम सड़कों, अन्तग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण है। वित्तीय नियमानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आबन्टित धनराशि का प्रयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हे प्रदान किया गया हो। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये थे, जिसमें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से जिला पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हों। तथा शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि "पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये मार्गदर्शक सिद्धाॅंत का अतिक्रमण किया जा रहा है जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।" यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत को कार्य समिति की सहायता से वार्षिक विकास योजना तैयार की जानी चाहिए थी और क्षेत्र पंचायतों की विकास योजना को शामिल करते हुए एकीकृत विकास योजना बनाई जानी चाहिए थी और तदानुसार विकास कार्यों को सम्पादित किया जाना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्य की उपलब्ध सूची के अनुसार दर्शित कुल कार्यों में वर्ष 2021-22 में परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष कराये गये कुल कार्यों में से 6 कार्यों को क्षेत्र/ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जिन पर रु 12162541-00 ब्यय हुआ है।

अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कराये गये कार्यों में से 06 ऐसे विकास कार्य थे जो ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये थे, जिनका कुल ब्यय रु 12162541-00 था। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव और उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन सम्पन्न बैठकों में लिए गये प्रस्तावों में उपस्थित सदन के समस्त सम्मानित सदस्य गण व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री मनोज कुमार शर्मा एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-9

प्रस्तर -34-वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर व शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93

जी/2004, दिनांक 12-01-2005 एवं पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/ 866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 33 (2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया हैं कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्रारम सड़कों, अन्तग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण है। वित्तीय नियमानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आबन्टित धनराशि का प्रयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हे प्रदान किया गया हो। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये थे, जिसमें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से जिला पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हों। तथा शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि ''पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये मार्गदर्शक सिद्धांत का अतिक्रमण किया जा रहा है जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।'' यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत को कार्य समिति की सहायता से वार्षिक विकास योजना तैयार की जानी चाहिए थी और क्षेत्र पंचायतों की विकास योजना को शामिल करते हुए एकीकृत विकास योजना बनाई जानी चाहिए थी और तदानुसार विकास कार्यों को सम्पादित किया जाना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्य की उपलब्ध सूची के अनुसार दर्शित कुल कार्यों में वर्ष 2021-22 में परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष कराये गये कुल कार्यों में से 02 कार्यों को क्षेत्र/ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जिन पर रु 4239560-00 ब्यय हुआ है।

अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कराये गये कार्यों में से 02 ऐसे विकास कार्य थे जो ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये थे, जिनका कुल ब्यय रु 4239560-00 था। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव और उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन सम्पन्न बैठकों में लिए गये प्रस्तावों में उपस्थित सदन के समस्त सम्मानित सदस्य गण व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री मनोज कुमार शर्मा एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-10

प्रस्तर -35-मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी से सम्बन्धित रजिस्टर वर्ष 2021-22 की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत ने उक्त मद में पूरे वर्ष में कुल रु 155353-00 वसूल किया है। इस वसूली गई धनराशि का कोई भी अंशदान ग्राम पंचायतों को नही दिया गया हैं जबकि पंचायती राज अनुभाग-2, शासनादेश सं0 2203/33-2-97-43 बी (8), दिनांक-30 मई-1997 के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी से प्राप्त हुई आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था। आलोच्य वर्ष 2021-22 में उक्त मद में वसूली गई धनराशिरु 155353का आधा भाग रु 77676-00 होता है, जिसे ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था लेकिन

जिला पंचायत द्वारा अंशदान नही दिया गया है। अतः उक्त के प्रति विभागीय नियमानुसार ग्राम पंचायतों को अंशदान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -36-वित्तीय वर्ष 2021-22 के कराये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नही किया गया है। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम संख्या 39 में दी गई ब्यवस्था में स्पष्ट है कि 5 लाख रूपए से अधिक किन्तु 10 लाख रूपए से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा 10 लाख रूपए से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व, उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने कि अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में दी गई ब्यवस्था का पालन नही किया गया है। ब्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है जो निर्धारित ब्यवस्था का स्पष्ट उल्लघंन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कुल पूर्ण हुए 35कार्यों में 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम लागत के कुल 05 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु 4605569-00 है। तथा 10 लाख से अधिक लागत के कुल पूर्ण हुए 29 कार्यों में जिनकी लागत रु 86017124-00 है। उक्त आंकडों के अनुसार कुल 34 कार्यों का भुगतान नियमों में दी गई ब्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है जिसकी कुल लागत रु 90622693-00 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, अभियन्ता, लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-11

प्रस्तर -37-वित्तीय वर्ष 2021-22 के कराये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नही किया गया है। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम संख्या 39 में दी गई ब्यवस्था में स्पष्ट है कि 5 लाख रूपए से अधिक किन्तु 10 लाख रूपए से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा 10 लाख रूपए से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व, उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने कि अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में दी गई ब्यवस्था का पालन नही किया गया है। ब्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है जो निर्धारित ब्यवस्था का स्पष्ट उल्लघंन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कुल पूर्ण हुए कार्यों में 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम लागत के कुल 08 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु 6393089-00 है। तथा 10 लाख से अधिक लागत के कुल पूर्ण हुए 25 कार्यों में जिनकी लागत रु 59915232-00 है। उक्त आंकडों के अनुसार कुल 33 कार्यों का भुगतान नियमों में दी गई ब्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है जिसकी कुल लागत रु 66308321-00 है। यह एक गम्भीर

वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, अभियन्ता, लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के कराये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नही किया गया है। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम संख्या 39 में दी गई ब्यवस्था में स्पष्ट है कि 5 लाख रूपए से अधिक किन्तु 10 लाख रूपए से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा 10 लाख रूपए से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व, उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने कि अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में दी गई ब्यवस्था का पालन नही किया गया है। ब्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है जो निर्धारित ब्यवस्था का स्पष्ट उल्लघंन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कुल पूर्ण हुए कार्यों में 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम लागत के कुल 08 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु 6393089-00 है। तथा 10 लाख से अधिक लागत के कुल पूर्ण हुए 25 कार्यों में जिनकी लागत रु 59915232-00 है। उक्त आंकडों के अनुसार कुल 33 कार्यों का भुगतान नियमों में दी गई ब्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है जिसकी कुल लागत रु 66308321-00 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, अभियन्ता, लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-13

प्रस्तर -38-संस्था के कर निर्धारण रजिस्टर/लेजरों की जांच व समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान केवल वर्ष 2019-20 तक का ही कर निर्धारण रजिस्टर पूर्ण पाया गया। वर्ष 2019-20 के कर निर्धारण रजिस्टर की जांच में पाया गया कि रजिस्टर विकास खण्ड वाइज तैयार किये गये हैं। रजिस्टरों में कटिंग व अपलेखन बहुत अधिक पाया गया है। इसके अलावा पाया गया कि दर्शित विभिन्न प्रकार की फर्मों की संख्या वास्तविक नही लगी। जैसे गोण्डा विकास खण्ड में केवल 2 पेट्रौल पम्प ही दर्शाये गये हैं। इसी प्रकार कोल्ड स्टोर, ईंट भट्ट्, कारखाना, फैक्ट्री, गैस एजेन्सी, आरा मशीन, आटा चक्की, हास्पिटल, अंग्रेजी शराब की दुकानें व अन्य फर्मों की स्थिति वास्तविक नही लगी। दर्शित फर्मों के मिलान हेतु संस्था के पास कोई बुकलेट व प्रपत्र उपलब्ध नही था। इससे स्पष्ट है कि अत्य अधिक लापरवाही बरती जा रही है। जांच में यह भी पाया गया कि अधिकांशतः फर्मों की केवल मांग दर्शित की गई है समय रहते वसूली नही की गई। और इसके परिणाम स्वरूप कर का बकाया लगातार बढ रहा है। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि संस्था में जो धनराशि बकाया मे पड़ जाती है फिर उसकी वसूली होती ही नही है और बकाया लगातार बढता रहता है। उपलब्ध रजिस्टरों के अनुसार वर्ष के अन्त में दिनांक 31-03-20 को संस्था का विभव व सम्पत्ति कर कुल रु 29406255-00 बकाया था। जिसकी वसूली के कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गए और न ही कोई प्रभावी नीति तैयार की गई है। खाना पूर्ति के नाम पर कुछ फर्मों

के नाम आर0 सी0 जारी की गई है, जो कि नाकाफी है। इसके लिए कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-14

प्रस्तर -39-वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित लाइसेन्स रजिस्टरों की जाच में पाया गया कि 12 विकास खण्डों के12 अलग-अलग रजिस्टर रखे गये हैं। प्रत्येक रजिस्टर में तहबाजारी से लेकर विभिन्न प्रकार की अलग-अलग प्रकार की फर्मों व संस्थाओं को मद के रूप में दर्ज कर उनके सम्मुख पार्टी वाइज नाम दशार्ये गये हैं। दर्शित फर्मों व संस्थाओं के मिलान व जांच हेतु लाइसेन्स अनुभाग के किसी कर्मचारी व अधिकारी के पास प्रमाणित सूची, रजिस्टर व बुकलेट उपलब्ध नही है। रजिस्टर में जो भी फर्में व संस्थाएं दर्शित हैं, उनकी संख्या की सत्यतता की पुष्टि किसी भी प्रकार से नही होती है। रजिस्टर में विभिन्न मदों में जो फर्में दर्शित हैं उनकी संख्या वास्तविकता से बहुत कम है। रजिस्टर की जाच से ऐसा प्रतीत हुआ कि सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक द्वारा जिन फर्मों की लाइसेन्स शुल्क वसूली से सम्बन्धित रसीदें निर्गत की हैं उनकों ही रजिस्टर में दर्ज करा दिया गया है तथा जिन फर्मों से लाइसेन्स शुल्क की वसली नही की गयी है अथवा वसूली नही होती है, उनका जिक्र रजिस्टर में किया ही नही गया है। ऐसा इस लिए किया जा रहा है क्यों कि फर्मों के मिलान के लिए कोई अभिलेख, प्रपत्र व बुकलेट जिला पंचायत पर उपलब्ध ही नही है। जबकि राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत को लाइसेन्स शुल्क वसूलने के लिए विधिवत ब्यवस्था के तहत अधिकार प्रदान किया है। सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल सन् 2012 में आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ द्वारा जनपद अलीगढ़ की सभी प्रकार की फर्मों व ब्यवसायों से लाइसेन्स शुल्क वसूलने के लिए उपविधि प्रकाशित की गयी है। जिसमें विभिन्न प्रकार की फर्मों से लाइसेन्स शुल्क वसूलने की अवधि एवं धनराशि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। लेकिन उक्त उपविधि में दिये गये अधिकारों को लागू कराने में भी जिला पंचायत के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा कोई रूचि नही ली गयी और स्थिति लगातार बदतर होती चली गयी।

प्रत्येक विकास खण्ड के एक ही रजिस्टर में वर्ष 2019-20 से लेकर 2021-22 तक का दर्शाया गया है। किस वित्तीय वर्ष में कितनी फर्में नई बनी या चालू हुईं, से सम्बन्धित कोई उल्लेख कहीं नही किया गया है। नियमानुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक को बन्द व चालू होने वाली फर्मों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए था। किसी भी रजिस्टर में कर निरीक्षक, कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर नही पाये गये। वर्ष 2018-19 के अन्त में क्रमांक संख्या 164 के बाद अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर पाये गये हैं लेकिन उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नही की गयी है, जो कि गम्भीर रूप से आपत्ति जनक है। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि रजिस्टर में जो फर्में दर्शित हैं उनके सम्मुख भी प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स शुल्क की वसूली नही दर्शित है। अर्थात लाइसेन्स शुल्क की नियमित वसूली नही की गयी है। सम्बन्धित क्षेत्र के कर-निरीक्षक की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर है कि वह किससे लाइसेन्स वसूल करे या किससे न वसूल करे। या फिर यह कहा जा सकता है कि फर्म की मर्जी है कि वह किस वित्तीय वर्ष का लाइसेन्स ले या फिर ना ले। यह दोनो ही स्थितियाॅं जिला पंचायत के लिए आर्थिक क्षति का मुख्य कारण बनी हैं। किसी भी कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संस्था की क्षति को गम्भीरता से नही लिया गया है केवल अपना कार्य-काल पूरा किया गया है। सरकारों से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भरता बढायी गयी है। संस्था अपने

अधिकतम ब्ययों को सरकारों से प्राप्त अनुदानों से पूरा कर रही है। संस्था अपनी मूल आय में लगातार गिरावट ला रही हैं। सारांश यह है कि संस्था के उत्तरदायी अधिकारी, संस्था की मूल आय की वसूली में बृद्वि के प्रति रूचि नही ले रहे अथवा उदासीन हैं। तथा इस प्रति संस्था में नियुक्त संचालक मंडल द्वारा भी कोई कार्यवाही व नीति निर्धारण नही किया गया है। स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है।

लाइसेन्स रजिस्टरों की जांच से स्पष्ट है कि रजिस्टर में जो फर्में दर्शायी गयीं हैं उनकी संख्या वास्तविकता से बहुत कम हैं। फर्मों के नाम व उनकी संख्या छिपाकर लगातार संस्था को भारी आर्थिक क्षति पहुचाईं जा रही है और इस कृत में संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों की सहभागिता से इन्कार नही किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है:--

1-विकास खण्ड- लोधा

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रतिवर्ष	16	17000	16800	200
2	स्पेलर 1500/2000	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000	06	90000	34100	55900
4	मुशी पैठ 1500	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000 ,,	14	140000	111100	28900
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	5	125000	81000	44000
8	ईंट भट्टा 10000 ,,	14	140000	82100	57900
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	34	950000	851400	98600
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	60	90000	80250	9750
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,	15	75000	71100	3900
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।

13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			299150

<u>विकास खण्ड- खैर---</u>

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षितलाइसेन्सशुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	432	42000	21500	20500
2	पशु पैठ 15000 ,,	02	30000	5500	24500
3	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
4	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
5	पेट्रौल पम्प 10000 ,,	08	80000	73300	6700
6	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	09	225000	100000	125000
7	ईंट भट्टा 1000 0 ,,	26	260000	97500	162500
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	03	55000	30000	25000
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	90	450000	34080	415920
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।

15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	01	5000	5000	--
		योग-			780120

विकास खण्ड-इगलास

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	01	1000	1000	0
2	पशु पैठ 15000 ,,	2	30000	16500	13500
3	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
4	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
5	पेट्रौल पम्प 10000	01	10000	10300	0
6	कोल्ड स्टोरेज 25000	13	325000	351000	--
7	ईंट भट्टा 10000	37	370000	249500	120500
8	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	01	0	0	0
9	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	03	3600	2780	820
10	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
11	शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष	02	10000	8000	2000
12	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			136820

विकास खण्ड-अतरौली

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	05	6000	5500	500
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	12	180000	83000	97000
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000	03	30000	10000	20000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000	01	25000	25000	0
8	ईंट भट्टा 10000	31	310000	230500	79500
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	03	505000	505000	0
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	33	42900	30190	12710
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष	01	5000	5000	0
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	आरा मशीन	04	36000	24600	11400
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			221110

<u>विकास खण्ड-धनीपुर</u>

क्र0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स	रजि0 में	अपेक्षित	लाइसेन्स शुल्क	अन्तर

सं0	शुल्क की दर	दर्ज सं0	लाइसेन्स शुल्क	वसूली	
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	09	13500	6500	7000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	08	120000	21000	99000
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000 ,,	06	60000	40500	19500
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	05	125000	0	125000
8	ईंट भट्टा 10000 ,,	35	350000	291500	58500
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	01	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	26	130000	21710	108290
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष	02	10000	10000	0
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			417290

विकास खण्ड-गंगीरी

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	04	4000	2400	1600
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	03	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	08	22500	23700	0
4	मुशी पैठ 1500 ,,	03	4500	4500	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000 ,,	03	30000	31600	0
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	02	50000	55000	0
8	ईंट भट्टा 10000 ,,	74	740000	574500	165500
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	30	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	21	25200	23570	1630
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष	01	5000	5000	0
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			168730

विकास खण्ड-चन्दौस

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	27	27000	11000	16000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	02	30000	17600	12400
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000 ,,	07	70000	31300	38700
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	01	25000	25000	0
8	ईंट भट्टा 10000 ,,	34	340000	265000	75000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	0	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	6	30000	5750	24250
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	आरा मशीन 6000	01	6000	6000	0
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।

		योग-			166350

विकास खण्ड-जवा

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	19	28500	22800	5700
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	08	120000	45100	74900
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000 ,,	06	60000	15400	44600
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	01	28000	28000	0
8	ईंट भट्टा 10000 ,,	26	260000	242000	18000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	12	900000	828300	71700
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	45	225000	25080	199920
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	लाज	04	20000	20000	0
15	आरा मशीन	01	6000	6000	0
		योग-			414820

विकास खण्ड-गोण्डा

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	09	11000	10300	700
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	02	30000	5500	24500
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000	04	40000	41800	0
7	कोल्ड स्टोरेज 25000	05	125000	128000	0
8	ईंट भट्टा 10000	25	250000	208400	41600
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	30	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	40	60000	43390	16610
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,	--	जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			83410

विकास खण्ड-बिजौली

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	05	5000	5500	0
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	04	60000	25000	35000
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000 ,	06	60000	53000	7000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000	0	0	0	0
8	ईंट भट्टा 10000	19	190000	94500	95500
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	30	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	42	50400	35280	15120
11	आरा मशीन	01	6000	6000	0
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			152620

विकास खण्ड-टप्पल

क्र0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स	रजि0 में	अपेक्षित	लाइसेन्स शुल्क	अन्तर

सं0	शुल्क की दर	दर्ज सं0	लाइसेन्स शुल्क	वसूली	
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	24	24000	5000	19000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	0	0	0	0
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000	06	60000	42000	18000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000	01	25000	25000	0
8	ईंट भट्टा 10000 ,	76	760000	444600	315400
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	17 दर्शित हैं।	आंकडे अस्पष्ट	मात्र 5 से वसूली हुई है।	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	05	10000	2950	7050
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			359450

<u>विकास खण्ड-अकराबाद</u>

क्र0 सं0	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि0 में दर्ज सं0	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500	02	3000	1500	1500

	प्रति वर्ष				
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	04	60000	39600	20400
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रौल पम्प 10000 ,	04	40000	31100	8900
7	कोल्ड स्टोरेज 25000	01	25000	25000	0
8	ईंट भट्टा 10000	94	94000	793800	146200
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	0	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	28	33600	28800	4800
11	गैस एजेन्सीज5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्में जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नही गया है,	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			181800

उक्त विवरण/आंकडों से स्पष्ट है किजिला पंचायत के लाइसेन्स रजिस्टरों में जिन फर्मों/संस्थाओं को दर्शाया गया है उनमें से अधिकांशतः की लाइसेन्स शुल्क वसूली नही की जा सकी है। जिससे संस्था को रु 3145640-00 की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक, कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं

आपत्ति संख्या-15

प्रस्तर -40-लाइसेन्स रजिस्टरों में दर्शित फर्मों की संख्या वास्तविक संख्या से बहुत कम है बहुत सारी फर्मों को रजिस्टर में दर्शाया ही नही गया है। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रमुख तरह की फर्मों की वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है।

1-कोल्ड स्टोरेज/शीत ग्रह- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से 04 विकास खण्डों में कोल्ड स्टोरेज की संख्या शून्य दर्शायी गयी है शेष 8 विकास खण्डों में कुल 54 कोल्ड स्टोरेज दर्शाये गये हैं। जिला उघान विभाग अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार वर्ष 2017 में नवीनीकृत निजी शीत गृहों की संख्या 95 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 41 शीतगृहों को तों रजिस्टर में दर्शाया ही नही गया है। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकडों के आधार पर 41 शीतगृहों का लाइसेन्स शुल्क रु 25000.00 प्रति शीतगृह की दर से रु 10,25,000.00 होता है। इसके अलावा उक्त विवरण में दर्शित कुल 53 कोल्ड स्टोरेज में से 39 से ही शुल्क वसूला गया है। इस प्रकार 14 शीतगृहों से शुल्क वसूला नही गया है। इस प्रकार केवल कोल्ड स्टोरेज/शीतगृहों को रजिस्टर में दर्ज न कर कुल रु 10,25,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

2-पेट्रोल पम्प- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में कुल 71 पेट्रोल पम्प दर्शाये गये हैं। जिला आपूर्ति विभाग अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल पेट्रोल पम्पों की संख्या 157 है जिसमें से शहरी क्षेत्र में 22 पम्प हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 135 पेट्रोल पम्प थे जबकि उक्त विवरण के अनुसार रजिस्टरों में कुल 68 पम्प ही दर्शित हैं। इस तरह स्पष्ट है कि 64 पेट्रोल पम्पों को तों रजिस्टर में दर्शाया ही नही गया है। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकडों के आधार पर 64 पेट्रोल पम्पों का लाइसेन्स शुल्क रु 10000.00 प्रति पेट्रोल पम्प की दर से रु 6,40,000.00 होता है। इसके अलावा उक्त विवरण में दर्शित कुल 71 पेट्रोल पम्पों में से 51 से ही शुल्क वसूला गया है। इस प्रकार 20 पेट्रोल पम्पों से शुल्क वसूला नही गया है0 । इस प्रकार केवल पेट्रोल पम्पों को रजि0 में न दर्शाकर कुल रु 6,40,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

3-गैस एजेन्सी/गोदाम- उक्त विवरण के अनुसार कुल12 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में गैस एजेन्सी/गोदाम के मद का उल्लेख नही किया गया है अर्थात गैस गोदाम, लाइसेन्स रजिस्टर में दर्शाये ही नही गये हैं। जबकि जिला आपूर्ति विभाग अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल गैस एजेन्सियों/गोदामों की संख्या 42 है जिसमें से शहरी क्षेत्र में 18 गैस एजेन्सी हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 गैस एजेन्सी थीं जबकि उक्त विवरण के अनुसार लाइसेन्स रजिस्टरों में कोई गैस एजेन्सी दर्शित नही हैं। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकडों के आधार पर 24 गैस एजेन्सियों का लाइसेन्स शुल्क रु 5000.00 प्रति गैस एजेन्सी की दर से रु 1,20,000.00 होता है। इस प्रकार केवल गैस एजेन्सी/गोदाम के मद में कुल रु 1,20,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

4-देशी शराब की दुकान- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में देशी शराब की दुकान का उल्लेख नही किया गया है अर्थात देशी शराब की दुकान, लाइसेन्स रजिस्टर में दर्शाया ही नही गया है। कुछ विकास खण्डों में तहबाजारी में एक या दो देशी शराब की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क वसूलना दर्शाया गया है कुल 05 देशी शराब की दुकानों की लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है। जबकि जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल देशी शराब की दुकानों की संख्या 194 है जिसमें से शहरी क्षेत्र में 44 दुकाने हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल150 देशी शराब की दुकानें थीं जबकि उक्त विवरण के अनुसार लाइसेन्स रजिस्टरों में देशी शराब की दुकानें दर्शित नही हैं। और ऐसा विगत वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकडों के आधार पर 150-05 देशी शराब की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क रु

5000 प्रति दुकान की दर से रु 7,25,000.00 होता है। इस प्रकार देशी शराब की दुकान के मद में कुल रु 7,25,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

5-अंग्रेजी शराब की दुकान- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में अंगेजी शराब की दुकान का उल्लेख नही किया गया है अर्थात अंग्रेजी शराब की दुकान, लाइसेन्स रजिस्टर में दर्शाया ही नही गया है। कुछ विकास खण्डों में तहबाजारी में एक या दो अंग्रेजी शराब की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क वसूलना दर्शाया गया है कुल 04 अंग्रेजी शराब की दुकानों की लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है। जबकि जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल अंग्रेजी शराब की दुकानों की संख्या 102 हैं जिसमें से शहरी क्षेत्र में 42 दुकाने हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 60 अंग्रेजी शराब की दुकानें थीं जबकि उक्त विवरण के अनुसार लाइसेन्स रजिस्टरों में अंग्रेजी शराब की दुकानें दर्शित नही हैं। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकडों के आधार पर 60-04 अंग्रेजी शराब की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क रु 5000 प्रति दुकान की दर से रु 2,80,000.00 होता है। इस प्रकार केवल अंग्रेजी शराब की दुकान के मद में कुल रु 2,80,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

6-वियर की दुकान- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में वियर की दुकान का उल्लेख नही किया गया है अर्थात वियर की दुकान, लाइसेन्स रजिस्टर में दर्शायी ही नही गयी है। कुछ विकास खण्डों में तहबाजारी में एक या दो वियर की दुकान का लाइसेन्स शुल्क वसूलना दर्शाया गया है कुल 02 वियर की दुकानों की लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है। जबकि जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल वियर की दुकानों की संख्या 105 है जिसमें से शहरी क्षेत्र में 50 दुकाने हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 55 वियर की दुकानें थीं जबकि उक्त विवरण के अनुसार लाइसेन्स रजिस्टरों में वियर की दुकानें दर्शित नही हैं। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकडों के आधार पर 105-50 =55-2 =53वियर की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क रु 3000 प्रति दुकान की दर से रु 1,59,000.00 होता है। इस प्रकार केवल वियर की दुकान के मद में कुल रु 1,59,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

इस प्रकार उक्त क्रमांक 01 से 06 तक में कुल 29,49,000.00 की क्षति जिला पंचायत को हुई है। जिसके लिए तत्कालीन सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक, कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। तालिका-5 में विवरण प्रस्तुत है।

<u>तालिका -8 (लाइसेन्स शुल्क के सम्बन्ध में)</u>

लाइसेन्स शुल्क हेतु वास्तविक रूप से कार्यरत प्रतिष्ठानों को लाइसेन्स रजिस्टर में अंकित न कर शुल्क की क्षति का प्रकरण:--

क्र0 सं0	प्रतिष्ठान का प्रकार	लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार कुल संख्या	सक्षम प्राधिकारी के अनुसार संख्या	वास्तविक अन्तर	अन्तरके आधार पर आगणित लाइसेंस शुल्क कीकुल धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	कोल्ड स्टोरेज/शीत ग्रह	54	जिला उघान विभाग 95	41	1025000	
2	पेट्रोल पम्प	71	जिला आपूर्ति	64	640000	

			विभाग 135			
3	गैस एजेन्सी/गोदाम	शून्य	जिला आपूर्ति विभाग 24	24	120000	
4	देसी शराब की दुकान	दर्शित नही, वसूली 05 से की गई।	जिला आबकारी विभाग-150	145	725000	
5	अंग्रेजी शराब की दुकान	दर्शित नही, वसूली 04 से की गई।	जिला आबकारी विभाग-60	56	280000	
6	बीयर की दुकान	दर्शित नही, वसूली 02 से की गई।	जिला आबकारी विभाग- 55	53	1.59,000	
7	सकल योग-				29,49,000	

आपत्ति संख्या-16

प्रस्तर -41-वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से जनपद के सभी 12 विकास खण्डों में एलईडी लाइटें लगाये जाने हेतु जेम पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया सम्पन्न की गई | इसमें ठेकेदार को लाइटों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य करना था | इस निविदा की प्राक्क्लन धनराशि रु०80817688-00 की तथा मै० आर० के० एंटरप्राइज की निविदा (मूल्य रु०80799000) स्वीकृत हुई | आपूर्ति के विरुद्ध टेकेदार को दिनांक- 31.01.2022 रु०61887075-00 का भुगतान कर दिया गया दिनांक- 07.01.2022 को कार्यादेश जरी हुआ था एवम इसी दिनांक से लाइट की आपूर्ति भी प्रारंभ कर दी गयी | स्टॉक रजिस्टर के आवलोकन से यह ज्ञात हुआ की इन तिथियों में (दिनांक - 07.01.2022 से 27.01.2022 तक) आपूर्ति की गयी उसी दिन इन तिथियों में यह लाइटें ठेकेदार को स्थापना हेतु निर्गत कर दी गयी | यह प्रक्रिया अनियमित रहा | पहले निर्गत लाइटों की स्थापना के बाद ही आगला लोट निर्गमित करना था, परन्तु दिनांक- 27.01.2022 तक समस्त आपूर्ति था आपूर्ति की तिथि से ही समस्त निर्गमन कर दिनांक- 31.01.2022 को इसका समस्त आपूर्ति का भुगतान कर दिया गया | यह स्थिति गंभीर रूप से आपत्तिजनक रही परिणाम स्वरूप दिनांक- 31.01.2022 के पश्चात् आपनी समस्त आपूर्ति का भुगतान एवं आपूर्ति की गई समस्त सामग्री ठेकेदार के पास ही पहुँच गई | निविदा की शर्त के अनुसार आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य दिनांक- 06.04.2022 तक कराया जाना था | परन्तु यह कार्य लगभग 19 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अधतन (लेखा परीक्षा की तिथि 07.11.2023 तक) नहीं कराया गया है | कार्य कराये जाने हेतु समय की सीमा समाप्त होने के पश्चात् संस्था द्वारा चार नोटिस क्रमशः 124 / 21.04.2022 , 1694 /24.03.2023,268/25.05.2023 एवं 663/ 18.07.2023 भी निर्गत किये गये, जिसमें जमानत धनराशि जप्त किये जाने ठेका निरस्त कार्य अन्य एजेंसी से कराया तथा उसमें होने वाले आतिथि व्यय को इनके देयकों या चल अचल सम्पति से वसूल करना एवम फर्म को ब्लैकलिस्टेड किये जाने आदि का उल्लेख है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया इस पुरी निविदा प्रक्रिया एवम आपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियों दृष्टिगोचर हुई |

1-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के ठेका की शर्तें के खण्ड-5 एवम खण्ड- 2 का (भुगतान से कटौती) के अनुसार प्रव्कलन की धनराशि का 10 प्रतिशत

विलंभ शुल्क काटना था जो नहीं काटा गया | यह संस्था का राजस्व है इसे काटकर (रु० 8081769) संस्था का राजस्व वसूल किया जाना अपेक्षित है |

क -2% धरोहर धनराशि को समिलित करते हुए कुल 10% जमानत धनराशि जमा किये जाने के पश्चात् ही निम्विदा स्वीकृत की जानी थी परन्तु (उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2 के नियम संख्या-23) यहाँ मात्र 5.46% जमानत धनराशि (2% धरोहर धनराशि सहित) जमा किये जाने पर ही निविदा स्वीकृत कर ली गई जो अनियमित था |

ख-निविदा की विज्ञप्ति एवम इसके जमा किये जाने के मध्य तीन सप्ताह (21 दिन) का समय दिया जाना था | परन्तु मात्र 10 दिन ही दिए गये जो अनियमित था |

निविदा के साथ संलग्न शर्तों में से अधिकांश शर्तों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रपत्र (जैसे शर्त 4 ,8 ,21 ,27 ,28 ,29,30,31,33 आदि) पत्रावली में संलग्न नहीं थे |

अतः उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टिगत लेखा परीक्षा के निम्न निष्कर्ष रहे -

(1). लगभग 19 महीने तक शासकीय अनुदान से हुए भुगतान की धनराशि **रु० 61887075-00** एवं आपूर्ति सामग्री भी ठेकेदार के पास रहना वित्तीय औचित्य के सिधान्त का गंभीर उल्लंघन है | 19 महीने तक बीना कार्य के इस धनराशि का स्टेटस अपहरण की श्रेणी में है | अतः यह धनराशि ठेकेदार से ब्याज सहित आविलम्भ वसूल की जानी आपेक्षित है | अन्यथा की स्थिति में यह जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्श दाता की होगी |

(2) 10% विलंभ शुल्क की कटौती अविलिम्भ की जानी अपेक्षित है |

(3) आपूर्ति वापस किये जाने की स्थिति में लाइटों की गारंटी/वारंटी स्थापना के दिन से 2 सवर्ष आगे के लिए प्राप्त की जानी अपेक्षित है | क्यूंकि जनवरी 2022 की पुरानी आपूर्ति की गारंटी जनवरी2024 समाप्त हो जाएगी आपत्ति का अविलंब परिपालन किया जाना अपेक्षित है |

आपत्ति संख्या-17

प्रस्तर -42- आलोच्य वर्ष में 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट से जो कार्य कराये गये है उसकी 2 सूचियाँ निम्नवत है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि
1	गाँव पिठौल से स्व०विजय पाल सिंह के प्लाट से रोड के किनारे होते हुए तालाब तक नाली निर्माण कार्य	925800
2	गाँव दताचौली भुजुर्ग में बाईपास रोड पर हामिद जर्राह दवाखान होते हुए तालाब तक नाली निर्माण कार्य	826800
3	गाँव जवां में पुलिया से मुख्य मार्ग होकर तालाब तक नाली निर्माण कार्य	5640000
4	गाँव राईट में नौसेखान के घेर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	1099164
5	गाँव मोरथल में लल्लो के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	536000
	कुल धनराशि	9027764

उपरोक्त 05 कर्यो में तालाब तक नाली निर्माण कार्य कराये गये हैं परन्तु 15वें वित्त आयोग के मार्ग दर्शन सिधान्तों के अनुसार अनुलग्नक-3सी में उल्लेखित (ब्लॉक और जिला स्तर पर संबंधित कार्य/गतिविधियों की सांकेतिक सूची) कार्य के शीर्षक "तरल अपशिष्ट प्रबंधन

के कार्य गांव के एक समूह से सामान्य उपचार इकाई तक अपशिष्ट के परिवहन के लिए जल निकासी व्यवस्था, जहां गांव के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है और सामान्य उपचार सुविधा ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है"के अंतर्गत मानी जा सकती है परन्तु यहाँ निम्न आपातियाँ पाई गयी - 1 यहाँ गाँव समूह की शर्त पुरी नहीं हो रही है जल उपचार प्रक्रिया में स्थिरीकरण / ऑक्सीकरण तालाब माने जाते है जो इस प्रकार के होते हैं उनकी विशिष्ट डिजायन, लम्बाई, चौड़ाई एवम गहराई, क्षमता आदि अलग अलग होती है | लेखा परीक्षा में तालाबों की सूचि (जियोटैगिंग) में तथा अनुपलब्ध रहने से यह ज्ञात ना हो सका की क्या वास्तव में यह तालाब जल उपचार इकाई का कर रहें है

अतः **<u>गाँव के समूह की शर्त</u>** एवं इन तालाबों की सूचि एवं उपर उल्लेखित तथ्यों की अनुपलब्धता के कारण इस अनुदान के समुचित उपयोग की पुष्टि ना हो सकी | अतः इन तथ्यों की उपलब्धता कराए जाने तक पुष्टि के आभाव में ये सभी कार्य अनियमित रहे | अविलम्भ परिपालन किया जाना अपेक्षित है |

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि
1	गाँव दताचौली खुर्द में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के सामने ग्राम समाज की भूमि / गड्ढा तक नाली निर्माण कार्य	1424000
2	बरौली के माजरा नगला बाग़ से खारिजा नाला तक नाली निर्माण कार्य	916640
3	गाँव जवां में सत्यवीर के मकान से बूढ़े बाबा की पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	1690849
4	पडकी ट्रांसफार्मर से नाले तक नाली निर्माण कार्य	789500
5	तलासपुर सी०सी से रामघाट रोड तक दोनों तरफ तक नाली निर्माण कार्य	1625300
6	तलासपुर मार्ग से रामघाट रोड मार्ग के नाले तक नाली निर्माण कार्य	1090000
7	खुशाली राम के माकन से कासिमपुर माइनर तक गाँव जरौठी में नाली निर्माण कार्य	971250
	कुल धनराशि	8507539

इन समस्त कार्यों के ग्राम समाज की भूमि / माइनर नाला, पुलिया या रोड के दोनों तरफ नाली (रामघाट रोड तक) आदि वाटर ट्रीटमेंट यूनिट नहीं है | साथ ही यहाँ भी **<u>गाँव के समूह</u>** की शर्त भी नहीं लागू है | अतः धनराशि **<u>रु०8507539-00</u>** के ये कार्य दुरूपयोग की श्रेणी में है |

कार्यालय माइनर तक नाली बनाना के सम्बन्ध में इस ग्रांट के मैन्युअल (15वें वित्त आयोग) के बिंदु 5.2 में स्पष्ट उल्लेख है कि <u>"ग्राम पंचायत को ग्रे वाटर के उपचार, पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुपचारित ग्रे वाटर को जल निकायों या नदियों में नहीं छोड़ा जाए।</u> साथ ही इस मैन्युअल के बिंदु 5.1 के अनुसार "निर्धारित अनुदान का उपयोग क.) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण; और ख.) स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति बनाए रखने, और"----- के लिए किया जा सकता है। आरएलबी, जहाँ तक संभव हो, इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए निर्धारित अनुदान का आधा-आधा हिस्सा निर्धारित करेंगे। हालाँकि, यदि किसी आरएलबी ने एक श्रेणी के अंतर्गत आवश्यकता को

पूरी तरह से पूरा कर लिया है और उसे उस उद्देश्य के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थानीय निकाय ने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक घर को पेयजल आपूर्ति प्रदान की है, तो वह स्वच्छता के लिए धन का उपयोग कर सकता है और इसके विपरीत। संबंधित ग्राम सभा/ग्राम सभा इसकी पुष्टि करेगी, और पंचायत या राज्य सरकार के पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत पुष्टि की जाएगी। परन्तु यहाँ बिना ऐसे किसी प्रमाण पत्र के ही 100% कार्य नाली निर्माण के कराये गये हैं, दोनों कार्य 50-50 प्रतिशत नहीं, उपरोक्त उल्लेखित इन्ही आपत्तियों के कारण सूचि (a) की धनराशि रु० 9027764-00 के कार्य अनियमित एवं सूचि (B) की धनराशि रु० 8507539-00 के कार्य दुरूपयोग की श्रेणी के है | इसके लिए संस्था की कार्यवाही में उपस्थित सदस्य, अपर मुख्य अधिकारी अभियंता एवं वित्तीय परामर्शदाता जिम्मेदार है | इस सम्बन्ध में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं इस आपति का अविलम्भ परिपालन किया जाना अपेक्षित आपत्ति संख्या-18

जनपद:- एटा मण्डल -अलीगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 :- जिला पंचायत एटा

1- संस्था का नाम – जिला पंचायत, एटा जनपद – एटा मण्डल – अलीगढ़

आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

1. जिला पंचायत- एटा **2**.लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 **3**. जिला - एटा

प्रस्तर 1**- भट्टों से लाइसेन्स शुल्क न वसूल कर संस्था को हानि पंहुचाना**

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत के अभिलेखों के अनुसार **1**28 भट्टे संचालित थे। जिनमें से 15 भट्टों से लाइसेंस शुल्क वसूल नही किया जा सका। विवरण निम्न प्रकार हैं-

क्र0सं0	ईंट भट्टे का नाम	विकास खण्ड	बकाया वसूली का वर्ष	वकाया धनराषि
1.	मै0 माधों सिंह ईंट उद्योग गढी बरौली	शीतलपुर	2020-21 एवं 2021-22	8100.00
2.	मै0 घिरामई ब्रिक वर्क घिरामई	मारहरा	2021-22 से	4050.00
3.	मै0 गंगाश्री ईंट भट्टा ,त्रलोकपुर	मारहरा	2020-21 एवं 2021-22	8100.00
4.	मै0 माँ अम्बे ईट भट्टा ,मझराऊ	निधौंली कलां	2021-22 से	4050.00
5.	मै0 ओम ईट भट्टा , किशनपुर जावड़ा	निधौंली कलां	2020-21 एवं 2021-22	8100.00
6.	मै0 माँ गायत्री ईट भट्टा , मझराऊ	निधौंली कलां	2021-22 से	4050.00
7.	मै0 अलका ईट उद्योग भदवास	निधौंली कलां	2020-21 एवं 2021-22	8100.00
8.	मै0 जय माँ शेरावाली ईट उद्योग, लालपुर होर्ची	निधौंली कलां	2020-21 एवं 2021-22	8100.00
9.	मै0 एस0के0 ब्रिक फील्ड न0 पुड़ियार	निधौंली कलां	2020-21 एवं 2021-22	8100.00
10.	मै0 सत्यमेव ब्रिक फील्ड सिकरारी	अवागढ़	2021-22 से	4050.00

	लालपुर			
11.	मै0 जय शिव ब्रीक फील्ड बराभौड़ेला अवागढ़	अवागढ़	2021-22 से	4050.00
12.	मै0 ठा0 केशव देव ईट भट्टा अम्बरपुर सकरा	अवागढ़	2020-21 एवं 2021-22	8100.00
13.	मै0 जय शिव ईट भट्टा मोरचा अंगरईया	अलीगंज	2021-22 से	4050.00
14.	मै0 श्री साईराम ईट भट्टा नगला गजपति	अलीगंज	2020-21 एवं 2021-22	8100.00
15.	मै**0** एस0 पी0 एस0 ब्रिक फील्ड ,तरगवाँ	जैथरा	2021-22 से	4050.00
	योग			**93150.00**

उपर्युक्त 15 भट्टों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न हो पाने के कारण जिला पंचायत को रू**0** 93150**.00** की आर्थिक क्षति हुई है। शासन द्वारा निर्धारित उपविधियॉ तथा उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम **1961** यथा संशोधित **1994** की धारा **242(2)** के अन्तर्गत आयुक्त आगरा, मण्डल आगरा द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या- **4210**/इक्कीस-**77(4)75-76** दिनांक-**18** जून **2014 (**सरकारी गजट उ**0**प्र**0** प्रकाशन तिथि **31**मार्च **2014)** के अन्तर्गत वार्षिक शुल्क प्रतिभट्टा रू**0** 4**050.00** तथा संशोधित अर्थदण्ड समय के अन्तर्गत लाइसेंस फीस जमा न करने के कारण **1000.00** वर्षिक की दर से सम्बन्धित भट्टा मालिकों से वसूल किया जाना अपेक्षित है। यदि ऐसा उल्लघंन जारी रहे तो उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचातय एंव जिला पंचायत अधिनियम **1961** तथा संशोधित **1984** की धारा **240** के अधीन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो **50.00** रू**0** प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

उक्त धनराशि सम्बन्धित भट्टों से न वसूल होने के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा वताया गया कि उक्त भट्टों को उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचातय एंव जिला पंचायत अधिनियम **1961** तथा संसोधित **1984** की धारा **240** के अन्तर्गत नोटिस दिए गए हैं। लेखा परीक्षा के दौरान जिला पंचायत द्वारा धारा 240 के अन्तर्गत दिए गए नोटिस की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए जिला पंचायत का उत्तर मान्य नहीं है। अतः रू0 93150.00 की वसूली दण्ड सहित किए जाने हेतु उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचातय एंव जिला पंचायत अधिनियम **1961** तथा संशोधित **1984** की धारा **240** के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

उत्तरदायी अधिकारी –राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी

उत्तरदायी कार्मिक- पटल प्रभारी

आपत्ति सं0-1

प्रस्तर 2- औद्योगिक संस्थानों/ व्यवसायिक संस्थानों से लाइसेन्स शुल्क वसूल न कर जिला पंचायत को आर्थिक हानि पहुचाना।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में जिला पंचायत के अभिलेखों के अनुसार जनपद एटा के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित व्यवसायिक/आद्यौगिक संस्थान थे।

जिनसे लाइसेंस शुल्क की वसूली नही की गयी। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र**0**सं**0**	व्यवसाय	औद्यौगिक संस्थान का नाम	विकास खण्ड	बकाया वसूली का वर्ष	वकाया धनराषि
1	पेट्रोल पम्प	मै0 हमारा पम्प रतनधारा	जलेसर	2021-22	500.00

2	पेट्रोल पम्प	बलरदेव फिलिंग स्टेशन	जलेसर	2021-22	500.00
3	पेट्रोल पम्प	अंजलि फिलिंग स्टेशन	जलेसर	2021-22	500.00
4	पेट्रोल पम्प	मै0 माँ दात्री फिलिंग स्टेशन	अवागढ़	2021-22	500.00
5	पेट्रोल पम्प	मै0 जयपाल फिलिंग स्टेशन	मारहरा	2021-22	500.00
6	पेट्रोल पम्प	मै0 प्रेमदत्त फिलिंग स्टेशन	मारहरा	2021-22	500.00
7	पेट्रोल पम्प	बजरंग फिलिंग स्टेशन	जैथरा	2021-22	500.00
8	पेट्रोल पम्प	हमारा फिलिंग स्टेशन	जैथरा	2021-22	500.00
9	पेट्रोल पम्प	मै0 आर0 के0 शुक्ला फिलिंग स्टेशन	निधौली कलाँ	2021-22	500.00
10	पेट्रोल पम्प	गंगा फिलिंग स्टेशन	निधौली कलाँ	2021-22	500.00
11	पेट्रोल पम्प	चौहान फिलिंग स्टेशन	शीतलपुर	2021-22	500.00
12	पेट्रोल पम्प	अंकित फिलिंग स्टेशन	शीतलपुर	2021-22	500.00
13	परचूनी	रिंकू किराना स्टोर	जलेसर	2021-22	100.00
14	परचूनी	अरमान किराना स्टोर	जलेसर	2021-22	100.00
15	परचूनी	शिव किराना स्टोर	जलेसर	2021-22	100.00
16.	परचूनी	नितिन किराना स्टोर	जलेसर	2021-22	100.00
17.	परचूनी	रनवीर किराना स्टोर	अवागढ़	2021-22	100.00
18.	परचूनी	शहजाद किराना स्टोर	अवागढ़	2021-22	100.00
19.	परचूनी	इब्राहिम किराना स्टोर	अवागढ़	2021-22	100.00
20.	परचूनी	जहीर किराना स्टोर	अवागढ़	2021-22	100.00
21.	परचूनी	मुशर्रफ किराना स्टोर	अवागढ़	2021-22	100.00
22.	परचूनी	सुमन किराना स्टोर	अलीगंज	2021-22	100.00
23.	परचूनी	अजय किराना स्टोर	अलीगंज	2021-22	100.00
24.	परचूनी	उमेश किराना स्टोर	जैथरा	2021-22	100.00
25.	परचूनी	शाक्य किराना स्टोर	जैथरा	2021-22	100.00
26.	परचूनी	दयालु किराना स्टोर	सकीट	2021-22	100.00
27.	परचूनी	सत्यवीर किराना स्टोर	सकीट	2021-22	100.00
28.	परचूनी	जाहर सिंह किराना स्टोर	सकीट	2021-22	100.00
29.	परचूनी	विनोद किराना स्टोर	सकीट	2021-22	100.00
30.	परचूनी	सुखराम किराना स्टोर	सकीट	2021-22	100.00
31.	दु0 खाद	कुशवाह खाद भंडार	जलेसर	2021-22	100.00
32.	फैक्ट्री	जय हनुमान कैमिकल्स	जलेसर	2021-22	500.00
33.	कोल्ड	कनिका शीत ग्रह	जलेसर	2021-22	2000.00
34.	गैस	नारायणी गैस सर्विस	अवागढ़	2021-22	1000.00
35.	गैस	निरंजन गैस सर्विस	अवागढ़	2021-22	1000.00
36.	मेडिकल	मां वैष्णों देवी मेडिकल	अवागढ़	2021-22	200.00

37.	मेडिकल	संदीप मेडिकल	मारहरा	2021-22	200.00
38.	मेडिकल	राजकुमार मेडिकल	मारहरा	2021-22	200.00
39.	मेडिकल	रनवीर मेडिकल	अलीगंज	2021-22	200.00
40.	मेडिकल	केशव मेडिकल	जैथरा	2021-22	200.00
41.	मेडिकल	रामनिवास मेडिकल	सकीट	2021-22	200.00
42.	मेडिकल	एस0एस0 मेडिकल	निधौली कलाँ	2021-22	200.00
43.	मेडिकल	जय श्री राम मेडिकल स्टोर	निधौली कलाँ	2021-22	200.00
44.	मेडिकल	अरूणिमा मेडिकल	शीतलपुर	2021-22	**200.00**
45.	मेडिकल	गौरव मेडिकल	शीतलपुर	2021-22	200.00
46.	मेडिकल	रतनेश मेडिकल	शीतलपुर	2021-22	200.00
47.	मेडिकल	गणेश मेडिकल	शीतलपुर	2021-22	200.00
48.	कपड़ा	उमेश वस्त्र भण्डार	अवागढ़	2021-22	100.00
49.	कपड़ा	ओम क्लाथ सेंटर	अलीगंज	2021-22	100.00
50.	कपड़ा	संदीप क्लाथ सेंटर	अलीगंज	2021-22	100.00
51.	कपड़ा	एस0के0 गारमेंटस	निधौली कलाँ	2021-22	100.00
52.	कपड़ा	हरे कृष्णा गारमेंटस	निधौली कलाँ	2021-22	100.00
53.	कपड़ा	शिव शक्ति गारमेंटस	निधौली कलाँ	2021-22	100.00
54.	मोबाइल	सूरज मोबाइल	अवागढ़	2021-22	100.00
55.	मोबाइल	विक्रम मोबाइल	शीतलपुर	2021-22	100.00
56.	मोबाइल	गौरी मोबाइल	शीतलपुर	2021-22	100.00
57.	दु0 मिठाई	चरन सिंह	मारहरा	2021-22	100.00
58.	दु0 मिठाई	कृष्णा स्वीटस्	निधौली कलाँ	2021-22	100.00
59.	दु0 मिठाई	राम लड़ैते मिठाई	सकीट	2021-22	100.00
60.	सब्जी पैठ	शारिक अली	अलीगंज	2021-22	1000.00
61.	ज्वैलर्स	किसान ज्वैलर्स	जैथरा	2021-22	100.00
62.	ज्वैलर्स	उपदेश ज्वैलर्स	जैथरा	2021-22	100.00
63.	ज्वैलर्स	कंचन ज्वैलर्स	सकीट	2021-22	100.00
64.	ज्वैलर्स	पशुपतिनाथ ज्वैलर्स	सकीट	2021-22	100.00
65.	ज्वैलर्स	गणेश ज्वैलर्स	शीतलपुर	2021-22	100.00
66.	आटा चक्की	सुनील आटा चक्की	जैथरा	2021-22	150.00
67.	आटा चक्की	मलिखान आटा चक्की	सकीट	2021-22	150.00
68.	ट्रेडर्स	बालाजी ट्रेडर्स	जैथरा	2021-22	100.00
69.	बर्तन	हरिओम बर्तन भंडार	जैथरा	2021-22	100.00
70.	मशीनरी	प्रदीप मशीनरी	जैथरा	2021-22	150.00
71.	टेंट	शांति टेंट हाउस	निधौली कलाँ	2021-22	100.00
72.	टेंट	बौद्ध टेंट हाउस	शीतलपुर	2021-22	100.00

73.	टायर	सोहिल टायर हाउस	निधौली कलाँ	2021-22	200.00
74.	इलैक्ट्रोनिक्स	गोविंद इलैक्ट्रोनिक्स	शीतलपुर	2021-22	200.00
75.	डेयरी	ओमप्रकाश सिंह	शीतलपुर	2021-22	500.00
76.	डेयरी	ओमकार सिंह	शीतलपुर	2021-22	500.00
77.	बिल्डिंग मटेरियल	विनोद बिल्डिंग मटेरियल	शीतलपुर	2021-22	100.00
78.	बिल्डिंग मटेरियल	ओम साई नाथ बिल्डिंग मटेरियल	शीतलपुर	2021-22	100.00
79.	सिलाई	अजय सिलाई	शीतलपुर	2021-22	100.00
		योग			**20050**.00

उपर्यक्त 79 व्यवसायिक/औद्यौगिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों इत्यादि से लाइसेंस शुल्क की वसूली न कर जिला पंचायत को रू**0 20050**.00 **(**बीस हजार पचास) की राजस्व हानि हुई है। शासन द्वारा निर्धारित उपविधियों तथा उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम **1961** की धारा **2**42**(2)** के अन्तर्गत आयुक्त आगरा मण्डल आगरा द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या- **16**/इक्कीस-**07.09.1975-76** दिनांक **07** अक्टूबर **1998 (**सरकारी गजट उत्तर प्रदेश प्रकाशन तिथि **07** नबम्बर **1998)** के अर्न्तगत व्यवसायों के सम्मुख अंकित धनराशियॉ तथा संसोधित अर्थ दण्ड रू**0 1000.00** प्रति संस्थान की दर से समय के अर्न्तगत लाइसेन्स फीस जमा न करने के कारण उपरोक्त प्रतिष्ठानों से वसूल किया जाना अपेक्षित है। यदि ऐसा उल्लघंन जारी रहे तो उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचातय एंव जिला पंचायत अधिनियम **1961** तथा संसोधित **1984** की धारा **249** के अधीन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो **100.00** रू**0** प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

उक्त धनराशि सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थान से न वसूल होने के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा वताया गया कि उक्त व्यवसायिक संस्थान को उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचातय एंव जिला पंचायत अधिनियम **1961** तथा संशोधित **1984** की धारा **240** के अन्तर्गत नोटिस दिए गए हैं। लेखा परीक्षा के दौरान जिला पंचायत द्वारा धारा 240 के अन्तर्गत दिए गए नोटिस की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए जिला पंचायत का उत्तर मान्य नहीं है। अतः रू0 **20050**.00 की वसूली दण्ड सहित किए जाने हेतु उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचातय एंव जिला पंचायत अधिनियम **1961** तथा संशोधित **1984** की धारा **240** के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

उत्तरदायी अधिकारी –राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी
उत्तरदायी कार्मिक- पटल प्रभारी **आपत्ति सं0-2**

प्रस्तर 3- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्यों का कराया जाना।

उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन-**33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33-3-2015-03/2015** दिनांक **31.7.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर पंचम राज्यवित्त आयोग/**15**वॉ वित्त आयोग से सक्रमित धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं।

क्र0सं0	निर्माण कार्य का नाम	व्यय

		धनराषि
1.	20 नगला बरी शिकोहाबाद रोड़ से आवादी तक सी0 सी0 लं080 मी0	559807
2.	21 घमुरिया सी0 सी0 रोड़ से अब्बल सिंह के मकान तक सी0सी0 लं0 140	1215612
3.	19 ग्राम पीपल खेरिया डाबर रोड़ से प्रा0 वि0 बाईपास तक सी0सी0 लं0 150 मी0	1059994
4.	27 पिपहरा डाबर रौड़ से याकूब खान की दुकान तकसी0 सी0 लं0100 मी0	841442
5.	39 सरपट्टी मरहरा रौड़ से सिरव रोड़ तकसी0 सी0 लं0 100 मी0	929934
6.	37 बानी मन्दिर से ग्राम की सी0सी0 राजकुमार के घर तक सी0 सी0 लं0 150 मी0	1209713
7.	60 लालदन्डवारा शंकर आश्रम पर नाला निर्माण लं0 132 मी0	1433173
8.	1 नगला रनुआ नहर से विजय सिंह के घऱ तक सी0 सी0 लं0 118 मी0	815360
9.	शिकोहाबाद रोड़ से सिन्हापुर तक सी0 सी0 मार्ग के अवशेष भाग पर सी0सी0	1277940
		9342975

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार जिला पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा उ**0**प्र**0** जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा **33 (II**) एवं शासनादेश संख्या **1838/33-3-2015-03/2015** दिनांक **31.7.2015** की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये है जिससे डुप्लीकेसी की सम्भावनाये वनी रहती है। इस सम्बन्ध में इगिंत किये जाने पर अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार जिला पंचायत को नही है। अतः रु**0 9342975**.00 के अनिमियत व्यय के लिये श्रीमती रेखा यादव**,** जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव, जिला पंचायत के समस्त सदस्यगण**,** श्री राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी**,** वित्तीय परामर्श दाता**,** अभियन्ता**,** अवर अभियन्ता एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0-5

प्रस्तर 4- जनपद में संचालित ईट भट्टों से संपत्ति एवं विभव कर की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि धनराशि रू0 534000.00 ।

आयुक्त आगरा मण्डल आगरा की विज्ञप्ति सं0 सं0-4210/इक्कीस (4)/75-76 दिनांक 19.06.1992 एवं उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज अनुभाग सं0-2568/**33/2-2001-69/78** लखनऊ दिनांक 25.07.2002 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा 123 से 128 के साथ पठित धारा 237 के द्वारा अनुमोदित ईट भट्टा, टाइल्स, खपरा, चूना तथा सुर्खी भट्ठियों को विनियमित करने सम्बन्धी उपविधियां स्वीकार की गयी थी। वर्तमान समय में उपविधियों के प्रभावी करने में अधिष्ठान एवं मूल्य सूचकांक पर हुई वृद्धि के ध्यान में रखते हुए स्वीकृत उपविधियों की उपविधि संख्या 06, 08 व 13 में संशोधन किया गया था। उपविधि सं0 8 के संशोधन उपरान्त प्रति चिमनी ईट भट्टा रू0 2000/- सं रू0 4050/- वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं नवीकरण शुल्क विभव एवं सम्पत्ति कर की वार्षिक दर रू0 6000/- निर्धारित की गयी थी।

ईट भट्टा विभव एवं सम्पतिकर पंजिका की जांच में पाया गया कि विकास खण्डवार ईट भट्टों की संशोधित दर रू0 6000/- प्रति ईट भट्टों की वार्षिक सी0पी0 टैक्स की वसूली किया जाना था।

कार्यालय जिला पंचायत, एटा द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित विकास खण्डों में संचालित ईट भट्टों से सी0पी0 टैक्स की वसूली लम्बित है-

वर्ष 2021-22					
क्र0सं0	विकास खण्ड	संचालित ईट भट्टों की सं0	वसूले गये सी0पी0 टैक्स ईट भट्टों की संख्या	वसूली गई सी0पी0 टैक्स की कुल धनराशि	वसूली हेतु अवशेष सी0पी0 टैक्स की कुल धनराशि (प्रति ईट भट्टा रू0 6000/- में)
1.	अलीगंज	19	10	60000.00	54000.00
2.	जैथरा	13	08	48000.00	30000.00
3.	शीतलपुर	33	08	48000.00	150000.00
4.	सकीट	22	09	54000.00	78000.00
5.	नि0 कलां	26	11	66000.00	90000.00
6.	मरहरा	24	04	24000.00	120000.00
7.	जलेसर	9	07	42000.00	12000.00
	योग	146	57	342000.00	534000.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा उपविधि बनाने के बाद भी ईट भट्टों के मालिकों से सी0पी0 टैक्स के रूप में वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 534000.00 की वसूली लंम्बित है। अग्रेतर समीक्षा में पाया गया कि उक्त ईट भट्टों को चलाने के पूर्व इनके मालिकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनआपत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिए गए हैं ।

लेखा परीक्षआ द्वारा जि0पं0 से वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी ईट भट्टों से संपत्ति एवं विभव कर न वसूले जाने के कारण के वारे में पूछे जाने पर जि0पं0 ने आंकणों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए उत्तर में बताया कि विभव एवं संपत्ति कर की अवशेष वसूली हेतु कार्यालय से नोटिस भेजे जा रहे हैं। वसूली शीघ्र कर ली जायेगी। जि0 पं0 का उत्तर मान्य नहीं है। क्योकि जिं0 पं0 द्वारा ईट भट्टों से संम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली हेतु उपविधि के अनुसार कोई कार्यवाही नही गई। तथा नोटिस भेजे जाने संमब्धी कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।

अतः जनपद में संचालित ईट भट्टा से संपत्ति एवं विभव कर की वसूली हेतु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अंतर्गत कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी अधिकारी –राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी

उत्तरदायी कार्मिक- पटल प्रभारी

<u>आपत्ति सं0-6</u>

प्रस्तर 5- बिना तालाबों की संख्या सुनिश्चित किए वाटर- रीसाइक्लिंग (नाला निर्माण) पर रू 62232847.00 अनियमित व्यय

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2020/**33-2021-3-33/1717** पंचायती राज अनुभाग 03- दिनांक 2021/**10/07** के अनुसार 15वॉ वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायतों को आबंटित अनुदान की धनराशि के उपभौग के सम्बन्ध में निम्न मार्ग दर्शक सिद्धांत का निर्धारण किया गया था। जिसके अंतर्गत बेसिक ग्रांट का हिस्सा 60 प्रतिशत, टाइड ग्रांट पेयजल 30 प्रतिशत, वर्षा जल संचयन वाटर, रीसाइक्लिंग एवं हिस्सा 30प्रतिशत, ओ0डी0एफ0 सस्टेनिविलिटी हेतु ग्रांट 40प्रतिशत एवं (अनटाइड ग्रांट के रूप में अनुमान्य की गयी है।

जिसमें टाइड ग्रांट के अंतर्गत निम्न पर अनुदान का व्यय किया जाना है।

टाइड ग्रांट

1- सपलाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एण्ड वाटर रिसाइकिलिंग एण्ड (ब) सैनिटेशन, मेन्टेन्नस ईफ ओडीएफ स्टेट्स एण्ड मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रीटमेन्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इन्क्यूडिंग प्लास्टिक वेस्ट, ह्यूमन एक्सेक्ट्रा, ग्रे वाटर एण्ड फिकल स्लज।

प्राप्त एवं व्यय किया गया है (लाख में)

वर्ष	अनुदान	टाइड	अनटाइड	योग	व्यय टाइड	व्यय अनटाइड	अवशेष
2021-22	581.40	650.20	434.27	1665.87	678.04	438.12	549.75

क्र0सं0	मद का नाम	कार्य की लम्बाई	धनराशि
1.	58 चुन्नापुरा में राजू के मकान से बम्बा तक नाला निर्माण कार्य लं0270 मी0	270 मी0	1249573
2.	72 बरथार ग्राम से खड़न्जा के किनारे निधौली रोड़ तक नाला निर्माण कार्य लं0 500 मी0	550 मी0	926449
3.	61 आसपुर सकीट रोड़ चौराहे से डी0 के0 पब्लिक स्कूल के सामने से नाले तक नाला निर्माण कार्य लं0 332 मी0	332 मी0	982851
4.	48 नगला माहिल में पानी की टंकी से तालाब तक नाला निर्माण कार्य लं0330 मी0	330 मी0	1569077
5.	47 गाजीपुर पाहर मार्ग पर औमपाल के मकान से आगरा रोड़ नाले तक नाला निर्माण लं0350 मी0	350 मी0	1638672
6.	50 नगरिया ताड़ के मुख्य तालाव से नाला मरहरा पिवारी मार्ग तक नाला निर्माण लं0 690 मी0	690 मी0	4948439
7.	51 फिरोजाबाद जलेसर मार्ग बदनपुर से नाले तक नाला निर्माण लं0 1000 मी0	1000 मी0	7239944
8.	54 पोंनड्री महादैव मन्दिर से मरघट तक नाला निरमाण कार्य लं0300 मी0	300 मी0	2879206

9.	56 ग्राम पंचायत बदावली के मजरा उमराउ नगर में रोहतन सिंह के घर से नाले तक नाला लं0140 मी0	140 मी0	1011056
10.	65 सिकरारी आगरा रोड़ के किनारे नाला निर्माण लं0 400 मी0	400 मी0	2887045
11.	64 नगला खाना अवागढ़ मुस्ताबाद रोड़ से नगला खाना संपर्क मार्ग के किनारे नाले तक नाला निर्माण	-	2409764
12.	67 भाड़ो नरवीर सिंह के घऱ से पुलिया तक नाला निर्माण लं0 324 मी0	324 मी0	1685379
13.	60 लालदन्डवारा शंकर आश्रम पर नाला निर्माण लं0 132 मी0	132 मी0	1433173
14.	59 नगला रनुआ विजय सिंह में बम्बा तक नाला निर्माण कार्या लं0 120 मी0	120 मी0	556821
15.	70 जितोरा भान ग्राम से तालाव तक नाला निर्माण कार्य	-	1089002
16.	46 शीतलपुर अलीगंज रोड़ से गंजडुडवारा रोड़ को जोड़ने वाले मार्ग के दोनो तरफ पुलिया तक नाला	-	2597101
17.	51. ग्राम अलमपुर रमेश्वर के माकन सी तालाब ताक नाला निर्माण (2020-21)	-	4441351
18.	46. हर्नावली रणवीर के घर से बंबा ताक नाला निर्माण)2020-21)	-	2023868
19.	68. ग्राम बाह्ता तलाब से बम्बा तक नाला निर्माण)2020-21)	-	1200998
20.	49. मिलावली क्रिपल सिंह के घर से ताक ताक नाला निर्माण)2020-21)	-	557256
21.	48 नगला सभल रविन्द्र के मकान से तालाव तक नाला निर्माण)2020-21)	-	591725
22.	57 बहादुरपुर विनैद के घऱ से पुरानी नाली तक नाला निर्माण कार्य)2020-21)	-	706047
23.	69 रनौसा से नाले तक नाला निर्माण)2020-21)	-	919115
24.	73 ग्राम मोजमपुर शंकरपाल की झोपड़ी से स्कुल वाले गड्डे तक नाला निर्माण क्रार्य)2020-21)	--	679295
25.	75 आगरा जलेसर रोड़ से पप्पू यादव के मकान से सिरसा नदी के बांध की ओर नाला निर्माण)2020-21)	-	3590176
26.	76. सहनऊआ के मझरा नगला इमलिया पिकेस के मकान से रामप्रकाश के खेत की पुलीया तक नाला निर्माण)2020-21)	-	962983
27.	72 ग्राम भूपालगड़ी सत्यप्रकाश के घर से नड़ वाले गड्डे तक नाला निर्माण)2020-21)	-	452629

28.	70 जलेसर देहात भंवर सिंह यादव के मकान वाईपास रोड़ जलेसर सागर तल के नाला)2020-21)	-	3192507
29.	42 नगला बच्चा गॉव के बाहर से पुलिया तक नाला निर्माण)2020-21)	-	1472961
30.	50 ग्राम कोयला सतेन्द्र के मकान से मचुआ बमबा तक नाला निर्माण)2020-21)	-	1210076
31.	43 जी0 टी0 रोड़ से अलीगंज से जोड़ने वाली सी0सी0 रोड़ की पुलिया से जी0टी0 रोड़ की क्रासिंग की और नाला निर्माण कार्य)2020-21)	-	2749554
32.	63 ग्राम पं0 गढ़ियाशिलम नगला दयाराम रोड़ के किनारो नाला निर्माण कार्य)2020-21)	-	1034939
33.	113-जरानी कलान गाव से जयपाल के खेट टीके खरनाजा एवं नाली निर्माण कर्या)2020-21)	-	393585
	योग	-	62232847

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनटाइड ग्रांट रू0 62232847.00 से नाला निर्माण एवं अन्य निर्माण का कार्य रू0 5571153 कराये गये है।

प्राप्त अनुदान का विभिन्न मदों पर व्यय न करके मात्र एक मद नाला निर्माण पर अधिक धनराशि का व्यय किया गया है के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि नाला निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों में प्रायं सभी नालों का निर्माण वर्षा जल संचयन हेतु कराया गया है उनका डिस्पोजल तालाबों में ही किया किया गया है उत्तर असंतोष जनक है क्योकि इकाई द्वारा कोई भी तालाबों की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और न ही निर्माण पत्रावलियों में कोई विवरण दर्शाया गया था जिससे स्पष्ट है कि बिना तालाबों की संख्या सुनिश्चित किए समस्त नाला निर्माण कराया गया है। अतः रू0 62232847.00 अनियमित व्यय किया गया है। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

उत्तरदायी अधिकारी –राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी
उत्तरदायी कार्मिक- पटल प्रभारी

आपत्ति सं0-08

प्रस्तर 6 निर्माण सामग्रियों की प्रयोगशाला में जाँच की रिपोर्ट एवं क्वालिटी एसोरेन्स पंजिका का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना।

मुख्य अभियन्ता लो0नि0 वि0 दिनांक 01.09.2020 के पत्र एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्रांकः एम-118/ग्रा0अ0से0/सी0सी0 रोड़/अम्बे0 सेल/विशिष्टियॉ/ 2008-09 दिनांक 27.11.2008 द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान स्ट्रेन्थ ऑफ कंक्रीट **(**आईएस**:516)** की जांच हेतु प्रतिदिन न्यूनतम 6 क्यूब्स**(3** क्यूब्स फॉर **7** डेयस एण्ड **3** क्यूब्स फॉर **28** डेयस**)** प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रयुक्त की जा रही निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता परीक्षण करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था कि निर्माण कार्यों को

गुणवत्ता परक ढंग से सम्पादित करने हेतु निर्माण सामग्रियों का निर्माण में प्रयोग होने से पूर्व परीक्षण करने तथा परीक्षण परिणामों को क्वालिटी एश्योरेंस रजिस्टर में अंकित किया जाए।

जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये कार्यों के उपलब्ध कराए गए लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जिला पंचायत में कार्यों के निर्माण में लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों का पालन किया जाता है। किन्तु विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण एवं कन्टीजेन्सी मदों पर प्राकलन में प्रावधान ही नहीं किया गया है। जवकि इस प्रकार का प्रावधान करने से ही कार्य गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित की जा सकती है.कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। कार्यों का विवरण निम्नवत है जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण एवं कन्टीजेन्सी मदों हेतु प्राकलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

क्र0 सं0	**कार्य का प्रकार**	**निर्माण कार्य का नाम**	**व्यय धनराषि**
1.	नाला	58 चुन्नापुरा में राजू के मकान से बम्बा तक नाला निर्माण कार्य लं0270 मी0	1249573
2.	नाला	72 बरथार ग्राम से खड़न्जा के किनारे निधौली रोड़ तक नाला निर्माण कार्य लं0 500 मी0	926449
3.	नाला	61 आसपुर सकीट रोड़ चौराहे से डी0 के0 पब्लिक स्कूल के सामने से नाले तक नाला निर्माण कार्य लं0 332 मी0	982851
4.	नाला	48 नगला माहिल में पानी की टंकी से तालाब तक नाला निर्माण कार्य लं0330 मी0	1569077
5.	सी0सी0	20 नगला बरी शिकोहाबाद रोड़ से आवादी तक सी0 सी0 लं080 मी0	559807
6.	सी0सी0	21 घमुरिया सी0 सी0 रोड़ से अब्बल सिंह के मकान तक सी0सी0 लं0 140	1215612
7.	सी0सी0	22 चमाकरी आगरा रोड़ से चमाकरी तक सी0 सी0 लं0350 मी0	2436197
8.	सी0सी0	19 ग्राम पीपल खेरिया डाबर रोड़ से प्रा0 वि0 बाईपास तक सी0सी0 लं0 150 मी0	1059994
9.	सी0सी0	27 पिपहरा डाबर रौड़ से याकूब खान की दुकान तकसी0 सी0 लं0100 मी0	841442
10.	सी0सी0	39 सरपट्टी मरहरा रौड़ से सिरव रोड़ तकसी0 सी0 लं0 100 मी0	929934
11.	लेपन	40 भाटामई गेट से ग्राम की सी0सी0 तक लेपन मरम्मत लं0900मी0	2471920
12.	नाला	47 गाजीपुर पाहर मार्ग पर औमपाल के मकान से आगरा रोड़ नाले तक नाला निर्माण लं0350 मी0	1638672
13.	सी0सी0	31उमराउ नगर डाबर रोड़ से प्रा0 वि0 तक सी0 सी0 लं0350 मी0	2912074
14.	सी0सी0	37 बानी मन्दिर से ग्राम की सी0सी0 राजकुमार के घर तक सी0 सी0 लं0 150 मी0	1209713

15.	नाला	50 नगरिया ताड़ के मुख्य तालाव से नाला मरहरा पिवारी मार्ग तक नाला निर्माण लं0 690 मी0	4948439
16.	नाला	51 फिरोजाबाद जलेसर मार्ग बदनपुर से नाले तक नाला निर्माण लं0 1000 मी0	7239944
17.	नाला	54 पोंनड्री महादैव मन्दिर से मरघट तक नाला निरमाण कार्य लं0300 मी0	2879206
18.	नाला	56 ग्राम पंचायत बदावली के मजरा उमराउ नगर में रोहतन सिंह के घर से नाले तक नाला लं0140 मी0	1011056
19.	नाला	65 सिकरारी आगरा रोड़ के किनारे नाला निर्माण लं0 400 मी0	2887045
20.	नाला	64 नगला खाना अवागढ़ मुस्ताबाद रोड़ से नगला खाना संपर्क मार्ग के किनारे नाले तक नाला निर्माण	2409764
21.	नाला	67 भाड़ो नरवीर सिंह के घऱ से पुलिया तक नाला निर्माण लं0 324 मी0	1685379
22.	सी0सी0	29 गडीया सासनी रौड़ से ग्राम तक सी0सी0 लं0180 मी0	459077
23.	सी0सी0	30 नगला फतेह भीष्मपाल के खेत से जलेसर अवागढ़ रोड़ तक सी0 सी0 लं0200 मी0	1743045
24.	सी0सी0	28 ग्राम खेड़ा पवन के घऱ से जू0 हा0 स्कुल तक सी0सी0 लं0 250 मी0	2127228
25.	नाला	60 लालदन्डवारा शंकर आश्रम पर नाला निर्माण लं0 132 मी0	1433173
26.	नाला	59 नगला रनुआ विजय सिंह में बम्बा तक नाला निर्माण कार्या लं0 120 मी0	556821
27.	नाला	70 जितोरा भान ग्राम से तालाव तक नाला निर्माण कार्य	1089002
28.	सी0सी0	32 चुन्नापुरा बम्बा से राजू के मकान तक सी0सी0 लं0 270 मी0	2304838
29.	नाला	46 शीतलपुर अलीगंज रोड़ से गंजडुडवारा रोड़ को जोड़ने वाले मार्ग के दोनो तरफ पुलिया तक नाला	2597101
30.	लेपन	35 प्रधानपुर संपर्क मार्ग से नगला गिरधर तोसईया मलुक संपर्क मार्ग तक लेपन लं0 540 मी0	361716
31.	लेपन	36 प्रधानपुर संपर्क मार्ग से नगला गिरधर संपर्क मार्ग से प्रा0 वि0 प्रधानपुर तक लेपन लं0 580 मी0	388540
32.	नाला	68 ग्राम पंचायत मनोहरा के मजरा सभापुर में प्रा0 वि0 से सदारई पुलीया नाले तक	1758286
33.	सी0सी0	38 एटा अलीगंज मार्ग से जिला पं0 संशाधन केन्द्र तक सी0सी0 लं0472 मी0	642761
34.	नाला	51. ग्राम अलमपुर रमेश्वर के माकन सी तालाब ताक नाला निर्माण)2020-21)	4441351
35.	नाला	46. हर्नावली रणवीर के घर से बंबा ताक नाला निर्माण)2020-21)	2023868

36.	नाला	68. ग्राम बाह्ता तलाब से बम्बा तक नाला निर्माण)2020-21)	1200998
37.	नाला	49. मिलावली क्रिपल सिंह के घर से ताक ताक नाला निर्माण)2020-21)	557256
38.	लेपन	10 खेतुपुरा मोड़ से नगला तुलसी तक लेपन मरम्मत कार्य)2020-21)	904602
39.	लेपन	31 ग्राम हरसिंहपुर अलीगंज कुरावली रोड़ से ग्राम हरसिंहपुर रोड़ तक लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	2896372
40.	सी0सी0	34 नगरिया मोड़ से मरहरा रोड़ पर बरई काट से भाडो गड़ी महावीर सिंह s/0 गंगाराम के मकान तक)2020-21)	658350
41.	नाला	48 नगला सभल रविन्द्र के मकान से तालाव तक नाला निर्माण)2020-21)	591725
42.	नाला	57 बहादुरपुर विनैद के घऱ से पुरानी नाली तक नाला निर्माण कार्य)2020-21)	706047
43.	नाला	69 रनौसा से नाले तक नाला निर्माण)2020-21)	919115
44.	नाला	73 ग्राम मोजमपुर शंकरपाल की झोपड़ी से स्कुल वाले गड्डे तक नाला निर्माण क्रार्य)2020-21)	679295
45.	नाला	75 आगरा जलेसर रोड़ से पप्पू यादव के मकान से सिरसा नदी के बांध की ओर नाला निर्माण)2020-21)	3590176
46.	नाला	76. सहनऊआ के मझरा नगला इमलिया पिकेस के मकान से रामप्रकाश के खेत की पुलीया तक नाला निर्माण)2020-21)	962983
47.	लेपन	11 ग्राम मुईद्दुनपुर से नगला तुलसी तक लेपन कार्य)2020-21)	735358
48.	नाला	72 ग्राम भूपालगड़ी सत्यप्रकाश के घर से नड़ वाले गड्डे तक नाला निर्माण)2020-21)	452629
49.	नाला	70 जलेसर देहात भंवर सिंह यादव के मकान वाईपास रोड़ जलेसर सागर तल के नाला)2020-21)	3192507
50.	नाला	42 नगला बच्चा गॉव के बाहर से पुलिया तक नाला निर्माण)2020-21)	1472961
51.	सी0सी0	24 भऱतौली ट्रान्सफार्मर से डाबर रोड़ तक सी0 सी0(2020-21)	209985
52.	नाला	50 ग्राम कोयला सतेन्द्र के मकान से मचुआ बमबा तक नाला निर्माण)2020-21)	1210076
53.	लेपन	25 खुशालगढ़ से नगला राजकोट तक लेपन)2020-21)	2705077
54.	सी0सी0	33 नगला देशी रामवीर सिंह फोजी के घर से नाले तक सी0 सी0(2020-21)	266545
55.	लेपन	6 खेरिया सकीट नन्दपुर रोड़ से खेरिया तक लेपन कार्य)2020-21)	462732
56.	लेपन	गढ़ी एस0डी0 एस0 स्कूल से नहर की पटरी गढ़ी मोड़ तक लेपन कार्य)2020-21)	808995
57.	नाला	43 जी0 टी0 रोड़ से अलीगंज से जोड़ने वाली सी0सी0 रोड़ की पुलिया	2749554

		से जी0टी0 रोड़ की क्रासिंग की और नाला निर्माण कार्य)2020-21)	
58.	सी0सी0	36 मरहरा पिलुआ मार्ग से खड़गपुर संपर्क मार्ग पर सी0सी0(2020-21)	204873
59.	नाला	63 ग्राम पं0 गढ़ियाशिलम नगला दयाराम रोड़ के किनारो नाला निर्माण कार्य)2020-21)	1034939
60.	लेपन	37 ग्राम नगला राजा के प्रा0वी0 के पिपहरा के रोड़ तक लेपन)2020-21)	756375
61.	सी0सी0	35 ग्राम ओरनी राजवीर के घर से एवरन के घर की ओर सी0सी0(2020-21)	736142
62.	सी0सी0	23 भरतौली जगदीश के खेत से छोटे के खेत तक सी0सी0(2020-21)	504669
63.	सी0सी0	81 फफोटू वाल्केस्वर मन्दिर के पास सामुदायिक शोचालय का निर्माण)2020-21)	670698
64.	सी0सी0	29 सिंहपुर डावर रोड़ से गॉव तक सी0सी0 निर्माण कार्य)2020-21)	3060397
65.	लेपन	124 नकताई खुर्द डावर रोड़ से श्री हीरा लाल स्मारक महा वि0 तक लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	271991
66.	सी0सी0	1 नगला रनुआ नाहर से विजय सिंह के घऱ तक सी0 सी0 लं0 118 मी0	815360
67.	सी0सी0	3 ग्राम सालेपुर के मन्दिर से लेकर सुदामा के घऱ तक सी0 सी0 310 मी0	2308523
68.	लेपन	5 मलावन सकीट रोड़ से सहासपुर तक लेपन लं0 1080 मी0	6151153
69.	लेपन	6 जरानी पुलिस चौक एटा टूण्ड़ला रोड़ से जरानी कला गांव तक लेपन मरम्मत लं01030 मी0	689981
70.	लेपन	7 पिपहरा डाबर रोड़ से प्रा0 वि0 होते हुए सहोरी रोड़ तक लेपन लं01560 मी0	1045128
71.	सी0सी0	8, दत्तापुर खड़गपुर मार्ग से तालाव तक सी0 सी0 लं0 300 मी0	2580579
72.	सी0सी0	9 दत्तापुर एच0एफ0 पब्लिक स्कूल से बृह्मदेव मन्दिर तक सी0 सी0 लं0290 मी0	2492531
73.	बाउन्ड्री वाल	10 जिला पं0 रिसोर्स सेन्टर के चारौं तकफ बाउन्ड्री वाल और स्थल विकास कार्य	2570069
74.	लेपन	11 बघौली मार्ग से नगला तोड़ी तक लेपन निर्माण कार्य लं0 380 मी0	2264914
75.	सी0सी0	2 कोयला रेवती लाल घऱ सी0सी0 से ज्ञानेन्द्र के घऱ तक सी0 सी0 लं0 180 मी0	1606921
76.	सी0सी0	शिकोहाबाद रोड़ से सिन्हापुर तक सी0 सी0 मार्ग के अवशेष भाग पर सी0सी0	1277940

77.	लेपन	बड़ावली रेजुआ वड़ावली मार्ग से उमराय नगर तक लेपन मरम्मत	1722200
78.	लेपन	गाजीपुर पाहोर आगरा रोड़ से घिलउआ गाजीपुर मार्ग तक लेपन मरम्मत	5761586
79.	लेपन	87 उद्देतपुर नगला धनि रोड़ से उद्देतपुर तिराहा तक लेपन निर्माणकार्य)2020-21)	387984
80.	लेपन	95 ग्राम नगला बच्चा मे सी0 सी0 पुलिया से लटुरी के खेत तक लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	313087
81.	लेपन	108 पी0 ए0सी0 मरहरा सिरव मार्ग से डाबर रोड़ से सिरव सी0सी0 तक लेपन निर्माण	3158892
82.	लेपन	112 कमशन बाकलपुर मुख्य मार्ग से ग्राम झिनवार तक लेपन कार्य)2020-21)	470381
83.	लेपन	110 नगला गलु नथ्थू सिंह के टीला से विनोद कुमार की फेक्कटरी तक लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	1274449
84.	लेपन	105 ग्राम जखा जैथरा से जखा तक लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	2015112
85.	लेपन	89 ग्राम शीशिया रेलवे ट्रैक से नगला शीशिया लेपन मरम्तत कार्य)2020-21)	287436
86.	लेपन	88 ग्राम मैनाथेर शेखपुरा वनकटी रोड़ से मैनथेर तक लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	920292
87.	लेपन	96 एटा शिकोहाबाद अकोला संपर्क मार्ग से राजकोट ट्रान्सफार्मर तक लेपन मरम्मत कार्य)2020-21)	487477
88.	लेपन	101 जैथऱा भलोल रोड़ से बन्धुपुरा तक लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	1288769
89.	लेपन	102 समोघऱ निकारा मार्ग से समेघर तक लेपन कार्य)2020-21)	902814
90.	लेपन	103 ग्राम सहोरी से सहादतनगर संपर्क मार्ग लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	1926997
91.	लेपन	109 संपर्क मार्ग धीरमई सिहोरी मार्ग से नगला कालीयन तक लेपन मरम्मत कार्य)2020-21)	528178
92.	लेपन	111 ग्राम नगला उम्मेद से अपार गंग नाहर तक लेपन निर्माण कार्य)2020-21)	2643175
		योग	**148056305**.00

जिला पंचायत एटा के उपरोक्त कार्यों की निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जाँच हेतु गठित समिति/जाँच कमेटी की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई और न ही गुणवत्ता जाँच प्रबंधन हेतु कोई धनराशि आवंटित की गयी है।

अतःरु0 148056305.00 की निर्माण सामग्रियों की प्रयोगशाला में जाँच की रिपोर्ट एवं क्वालिटी एसोरेन्स पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराये जाने हेतु प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है।**आपत्ति सं0-**9

<u>प्रस्तर 7- दुकानों से किराया वसूल न किए जाने से राजस्व हानि धनराशि रू0 3631682.00</u>
जिला पंचायत एटा की निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के किराये का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	मार्केट का नाम	गत वर्ष की मांग	वर्तमान वर्ष की मांग	कुल मांग	कुल वसूली	अवशेष धनराशि
1.	नीलम मार्केट भूतल	508130.00	1221339.00	1729469.00	1096266.00	633203.00
2.	नीलम मार्केट प्रथम तल	1075171.00	690633.00	1765804.00	543624.00	1222180.00
3.	डॉ राममनोहर लोहिया शॉपिंग कॉ0 भूतल	9 60184.00	1179938.00	2140122.00	1118066.00	1022056.00
4.	डॉ राममनोहर लोहिया शॉपिंग कॉ0 प्रथम तल	336407.00	231324.00	567731.00	377218.00	190513.00
5.	प्रा0वि0 अलीगंज, सी0वे0क0वि0 अवागढ़, राजा का रामपुर, मेहता लाइब्रेरी बाउन्ड्री के सहारे एटा	147080.00	185436.00	332516.00	147777.00	184739.00
6.	आवास एवं कार्यालय	337287.00	724060.00	1061347.00	682356.00	378991.00
	योग	3364259.00	4232730.00	7596989.00	3965307.00	3631682.00

उ

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2022 को रू0 3631682.00 किराएदारों पर वकाया था। उक्त धनराशि की वसूली किए जाने हेतु नियम 96 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी अधिकारी –राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी

उत्तरदायी कार्मिक- पटल प्रभारी **<u>आपत्ति सं0-</u>**14

प्रस्तर 8- **निर्माण कार्य हेतु अनियमित एमएम-11 का लिया जाना।**

जिला पंचायत एटा की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच से संज्ञान में आया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 निम्नलिखित कार्यों में ठेकेदारों द्वारा अनियमित **एमएम -11** प्रयुक्त किए गए हैं। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	वित्त आयोग	व्यय धनराशि
1.	भरतौली जगदीश के खेत से छोटे के खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य लं0 88मी0 (	15वॉ वित्त	504669.00
2.	खुशालगढ़ से नगला राजकोट तक लेपन लं0 550मी0	15वॉ वित्त	2705077
3.	ग्राम नगला राजा के प्रा0वी0 के पिपहरा के रोड़ तक लेपन लं0 500मी0	15वॉ वित्त	756375.00
4.	रनौसा से नाले तक नाला निर्माण लं0 300मी0	15वॉ वित्त	919115.00
5.	सहनौआ के मजरा नगला ईमलिय बीकेश के मकान से रामप्रकाश के खेत की पुलीया तक नाला निर्माण 230मी0	15वॉ वित्त	962983.00
6.	हरनावली रनवीर के घर से बम्बा तक नाला निर्माण कार्य लं0 374मी0	15वॉ वित्त	2023868.00
7.	ग्रा0 आलमपुर रामेश्वर के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य लं0 500 मी0	15वॉ वित्त	4441351.00
8.	भरतौली ट्रान्सफार्मर से डाबर रोड़ तक लेपन कार्य लं0 200 मी0	15वॉ वित्त	209985.00
9.	ग्राम कोयला सतेन्द्र के मकान से माचुआ बम्बातक नाला निर्माण कार्य लं0 470 मी0	15वॉ वित्त	1210076.00
10.	मिलावली कृपाल सिंह के घर से तालाव तक नाला निर्माण कार्य लं0 140 मी0	15वॉ वित्त	557256.00
11.	मिलावली में शामुदायिक शौचालय का निर्माण	15वॉ वित्त	780097.00
12.	जलेसर देहात भवर सिंह यादव के मकान वाईपास रोड़ जलेसर सागर ताल के सामने नाला निर्माण लं0 100 मी0	15वॉ वित्त	3192507.00
13.	ग्राम नगला उम्मेद से अपर गंगा नहर तक लेपन कार्य लं 450 मी0	5वॉ वित्त	1412095.00
14.	ग्राम भूपाल गढी सत्यप्रकाश के घऱ से नाल वाले गड्डे तक नाला निर्माण लं0 50 मी0	15वॉ वित्त	452629.00
15.	आगरा जलेसर रोड़ से पप्पू यादव के मकान से सिर्सा नदी के बांध की ओर नाला निर्माण लें0 400 मी0	15वॉ वित्त	2560271.00
16.	जिला पंचायत परिसर में जिला सूचना आफिस में गैरज नाली निर्माण एवं नीलम मार्केट में छत मरम्मत कार्य	5वॉ वित्त	153735.00
17.	सिंहपुर डाबर रोड़ से गांव तक सी0 सी0 निर्माण कार्य लं0 400 मी0	15वॉ वित्त	3060397.00
18.	चमकरी आगरा रोड़ से चमकरी तक सी0सी0 निर्माण कार्य लं0	15वॉ वित्त	2436197.00

	350 मी0		
19.	फिरोजाबाद जलेसर मार्ग से वदन पुर से नाले तक नाला निर्माण कार्य लं0 1000 मी0	15वॉ वित्त	3212306.00
20.	गढिया सासनी रोड़ से सासनी गांव तक सी0सी0 निर्माण कार्य 80 मी0	15वॉ वित्त	459077.00
21.	राधे नगर भट्टे के पास सामुदायिक शोचालय एवं यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य	15वॉ वित्त	543365.00
22.	नगला रनुआ नहर से विजय सिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य लं0 118 मी0	5वॉ वित्त	815360.00
23.	दत्तपुर खड्गपुर मार्ग से तालाव तक सी0 सी0 निर्माण कार्य लं0 300 मी0	5वॉ वित्त	2580579.00
24.	पौड़री महादेव मन्दिर से मरघट तक नाला निर्माण कार्य लं0 300 मी0	15वॉ वित्त	1689854.00
25.	गाजीपुर पहोर मार्ग पर ओमपाल के मकान से आगरा रोड़ नाले तक नाला निर्माण कार्य लं0 350 मी0	15वॉ वित्त	1638672.00
26.	चुन्नपुरा बम्बा से राजू के मकान तक नाला निर्माण लं0 270 मी0	15वॉ वित्त	2304838.00
27.	भटमई गेट से गॉव की सी0सी0 तक लेपन कार्य लं0 900 मी0	15वॉ वित्त	698107.00
28.	आसपुर सकीट रोड़ से चौराहै से डी0 के0 पब्लिक स्कूल के सामने से नाले तक नाला निर्माण कार्य	15वॉ वित्त	982851.00
	योग		43263692.00

उपरोक्त कार्यों मे उपलब्ध कराये गए **एमएम-11** का डेस्टीनेशन एटा न होकर अन्य जनपद है। जिससे प्रतीत होता है कि संलग्न **एमएम-11** उक्त कार्यों में प्रयुक्त खनिज से संबन्धित नहीं हैं। अतः उपरोक्त कार्यो में प्रयुक्त खनिज पर संबन्धित ठेकेदारों से दण्ड सहित रायल्टी बसूल किए जाने हेतु प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है। **आपत्ति सं0-16**

जनपद- हाथरस मण्डल -अलीगढ़

संस्था का नाम- जिला पंचायत हाथरस 2021-22 जनपद-हाथरस मण्डल-अलीगढ।

प्रस्तर 01- मृत शव निस्तारण रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2021-22 की जांच की गई। आलोच्य वर्षों के साथ वर्ष 2021-22 की मांग वसूली तथा शेष (उसी वर्ष की स्थिति) को निम्न सुलमालक जालिका में सम्मिलित करते हुए वर्ष की स्थिति दर्शित है। तालिका में वर्ष 2010-11 से अनवरत बकाया राशि एवं की गई वसूली को प्रथक से दर्शाया गया है।

पशु शव निस्तारण से सम्बन्धित विवरण तालिका-1 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु

क्र०	**विकास खण्ड**	**पिछला बकाया 11-12 से**	**बकाया वसूली**	**दि० 31.03.22 को कुल शेष**
1	हाथरस	-	-	-

2.	सादाबाद	164182-00	-	164182-00
3.	मुरसान	69000-00	-	69000-00
4.	हसायन	42500-00	-	42500-00
5.	सिं० राऊ	114277-00	-	114277-00
6.	सहपऊ	8100-00	-	8100-00
7.	सासनी	31000-00	-	31000-00
	योग	429059-00		429059-00

उक्त तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में, वर्ष 2010-11 से स्थाईरूप से बकाया पडी धनराशि रू0 429069-00 दर्शित है जिसकी बसूली की प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिणमस्वरूप जिला पंचायत को अपनी आय की हानि उठानी पड रही है। जिसके लिए जिला पंचायत के तत्कालीन अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः रू0 429059-00 की मय ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री हरपाल सिंह एवं श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा तत्कालीन पटल अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।

मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर वर्ष 2021-22 तक की जांच व समीक्षा में पाया गया कि जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में बकायेदार (विकास खण्ड हाथरस को छोडकर) है। उन बकायदारों की लिस्ट निम्न तालिका ने दर्शायी जा रही है।

वर्ष 2021-22 में बकायोदारो की सूची

क्र०	विवरण	नीलामी वर्ष की शेष धनराशि	बकायेदार का नाम जिससे पाना है	धनराशि	कुल बकाया धनराशि
1.	मुरसान	2000-01	दर्याब सिंह पुत्र श्री बीधा सिंह, न० भोज	1000-00	
		1999-2000	विजय सिंह पुत्र श्री सुखराम न० भोज	10000-00	
		2001-02	गुड्डू पुत्र श्री गजाधर चण्दैया	44000-00	
		2004-05	मिही लाल पुत्र श्री गोपी राम न०उदयभान	4000-00	
		2007-08	चरन सिंह पुत्र मोती राम	10000-00	69000-00
2.	सासनी	1998-99	महेन्द्र सिंह पुत्र हुकुम सिंह हडोली	4000-00	
		2006-07	देव कुमार पुत्र बलवन्त महो	27000-00	31000-00
3.	सादाबाद	2004-05	रामबाबू पुत्र श्री रामहेत	34182-00	
		2004-05	राजवीर सभापति बिलारा	28000-00	
		2005-06	रामखिलाडी पुत्र श्री हीरालाल कुरसंडा	73000-00	
		2006-07	गोपाल पुत्र श्री जगदीश कुरसंडा	29000-00	164182-00
	सहपऊ	2005-06	इकराम पुत्र हाजी नसीर सादाबाद	8100-00	8100-00
	सि०राऊ	2000-01	जैमुलहसन सभापनि इकबालपुर	44277-00	114277-00
		2001-02	प्रदीप कुमार पुत्र नाथूराम इकबालपुर	20000-00	
		2005-06	शकिर पुत्र नासिर पू०नौरंगाबाद सि० राऊ	40000-00	
		2010-11	राजा पु. साकिर सि०राऊ	10000-00	

	हसायन	1999-2000	रघुवीर सभापति सिचावली	12500-00	42500-00
		2004-05	रहिस पुत्र अब्दुल मजीद सि०राऊ	25000-00	
				महा योग	429059-00

बकाया धनराशि की वसूली नहीं की गई है। पूरे जनपद के 07 में से 06 विकास खण्डों में कुल 18 बकायेदारों/ठेकेदारों पर दिनांक 31-03-22 को कुल बकाया रु 429059-00 हो गया है। बकाया वसूली के अपेक्षित प्रयास नहीं किये गये हैं। जिला पंचायत के सक्षम अधिकारियों द्वारा बकाया बसूली की, न ही कोई समीक्षा ही की गई है और न ही वसूली की कोई नीति निर्धारित की गई है। वसूली का कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष 1998-99 का बकाया अब तक यथावत दर्शाया जा रहा है। सवस महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला पंचायत के अधिकारियों को अच्छी तरह से ज्ञात है कि जो धनराशि बकाया पड़ जाती है वह वसूल नहीं होती है इसके बावजूद ठेका देने में अनेक ठेकेदारों को ठेके की पूरी धनराशि जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया। और उनके नाम पकाया धनराशि दर्शा दी जाती है, जो बाद में कभी वसूल नहीं होती है। पूर्व में छोटी धनराशियों की एक-दो वसूली आर सी द्वारा होनी बतायी गयी हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आर. सी. द्वारा हमेशा छोटी धनराशियों की ही वसूली क्यों होती है? एक भी बड़े बकायेदार से आर. सी. द्वारा वसूली क्यों नहीं होती है? रजिस्टर की जांच व समीक्षा से स्पष्ट है कि जिला पंचायत अपनी बकाया धनराशि वसूल पाने में पूरी तरह से नाकाम/असफल रहा है। जो कि चिन्ता जनक है। वर्ष 2021-22 की लेखा बन्दी के अनुसार दिनांक 31-03-2022 को मृत पशु शव निस्तारण की नीलामी की बकाया धनराशि कुल 18 बकायेदारों पर कुल रु 429059.00 थी। वसूली के परिणामदायक प्रयास किये जाने अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 02-जिला पंचायत के सम्पत्ति व किराया रजिस्टर वर्ष 2021-22 की जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अपने श्रोतों से होने वाली आय को प्राप्त करने में अत्यधिक लापरवाही व उदासीनता बरत रही है। जिला पंचायत अपनी निजी सम्पत्तियों (कार्यालय भवन, दुकाने व आवासीय भवनों का किराया नियमित रूप से नही वसूल पा रही है। किरायेदार मन मर्जी से किराया देता है। कोई भी ठोस नीति लागू नही है। किराया न देने वालों पर कोई किसी तरह के जुर्माना व दंड का कोई प्राविधान नहीं है। जिसका लाभ प्रत्येक किरायेदार ले रहा है। अनेक बडे किरायेदारों का विगत कई-कई वर्षों से कोई किराया प्राप्त नही हुआ है। ज्यादातर जिला पंचायत के किरायेदार, बकायेदार बन कर रह गये हैं। किरायेदारों के समक्ष जिला पंचायत बेबस व लाचार दिखाई दे रहा है। किरायेदारों पर लाखों से भी अधिक का किराया बकाया है जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिला पंचायत उनसे कोई वसूली नही कर पा रहा है।

बकाया किरायेदारों का विस्तृत विवरण नीचे तालिका में अंकित है:-

क्र0	स्थान	2020-21					2021-22			
		1.4.20 बकाया माग	वर्ष की मांग	योग कुल मांग	वर्ष में वसूली	वर्षान्त पर बकाया तथा 1-4-21 को बकाया माग	वर्ष की मांग	योग कुल मांग	वर्ष में वसूली	वर्षान्त पर (31-03-22) को बकाया
1.	**सि0 राऊ**	572694	24252	815214	126245	690834	243360	934194	308990	637419

	स्थिति दुकाने		0							
	पुरदिल नगरस्थित दुकाने	106245	48000	154245	42830	111415	48000	159415	42260	120755
	सासनी स्थिति दुकाने	2295295	398550	2693845	243820	2451085	401230	2852315	70580	2781735
	मुरसान स्थिति दुकाने	77495	70240	147735	10040	137735	71040	288775	13260	195515
	सादाबाद स्थिति दुकाने	229642	30720	260362	24575	235787	30720	266507	31196	235311
	योग	3281371	790030	4071401	447510	3626856	794350	4421206	466286	3970735

उक्त विवरण व आंकडों से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की प्रत्येक सम्पत्ति का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जाता है। और न ही किराया वसूली की कोई ठोस नीति लागू की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किरायेदार, किराया देने के लिए स्वतन्त्र है कि जितना मर्जी हो दे या फिर बिल्कुल न दे जिला पंचायत उस पर कोई कार्यवाही नही करेगी। बकाया किराये की वर्ष 2021-22 की धनराशि में, वर्ष 2020-21 के अन्त में 14-46 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज होने के बावजूद भी जिला पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिला पंचायत की सम्पत्ति का किराया वसूलना जिला पंचायत के कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिला पंचायत की स्थिति बहुत ही दयनीय व सोचनीय है। किराया वसूलने में अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही व उदासीनता देखने को मिली है। जिसके लिए सम्बन्धित वर्षों में कार्यरत अपू मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः रू0 3970735-00 की मय ब्याज वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री हरपाल सिंह एवं श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा तत्कालीन पटल अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर 03- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित कृषि फार्म रजिस्टर की जांच व समीक्षा में पाया गया कि अनेक विकास खण्डों के अनेक कृषि फार्म, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नीलाम नहीं किये गये हैं अथवा कम कीमत में नीलामी छोडी गयी है परिणाम स्वरूप आय में प्रति वर्ष वृद्धि के स्थान पर जिला पंचायत को क्षति हुई है। कृषि फार्मो की मांग व वसूली का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:-

कृषि फार्मस मांग एवं वसूली

क्र०	नाम विकास क्षेत्र	वर्ष की मांग			वर्ष की मांग के सापेक्ष वसूली			वसूली की वृद्धि/कमी का प्रतिशत					
		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017 18	2018-19	2017 -18	वृद्धि	कमी	2018-19	वृद्धि	कमी
1.	हाथरस	111500	73800	92000	111500	73800	92000	33-81	-	कमी	24-66	वृद्धि	-
2.	मुरसान	469100	430700	421700	469100	430700	421700	10-32	-	कमी	0-24	वृद्धि	-
3.	सासनी	535200	557400	532300	535200	557400	532300	4-15	वृद्धि	-	4-50	-	कमी
4.	सि0 राऊ	132600	127500	135700	132600	127500	135700	3-85	-	कमी	6-43	वृद्धि	-
5.	हसायन	84500	91300	98000	84500	91300	98000	8-05	वृद्धि	-	7-34	वृद्धि	-
6.	सादाबाद	216400	174400	198200	216400	174400	198200	19-41	-	कमी	13-64	वृद्धि	-
7.	सहपऊ	15200	131600	169000	15200	131600	169000	13-42	-	कमी	28-41	वृद्धि	-
	योग	1701300	1586700	1646900	1701300	1586700	1646900	7-32	-	कमी	4-14	वृद्धि	-

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत वर्ष 2017-18 की नीलामी में समग्र रूप से जो 7-32 प्रतिशत की वसूली में (रू0 124600-00) कमी दृष्टिगोचर हुई थी उसे वर्ष 2018-19 में समाप्त करते हुए 4-14 प्रतिशत (रू0 65200-00) की मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 16-17 की तुलना में जिला पंचायत की आनदनी में वृद्धि न करके निरन्तर क्षति पहुंचाई गई है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि विकास क्षेत्र हसायन, दोनों वर्षों की आय में मामूली वृद्धि करने में सफल रहा है। जो नागमात्रिक है। वर्ष 2017-18 में विकास क्षेत्र हाथरस, सहफऊ व सादाबाद में भी अत्यधिक हानि हुई है। कृषि फार्म नीलाम न होने व उच्च बोली (गत वर्ष की तुलना में) नीलामी न हो पाने के कारण, 32 प्रतिशत की क्षति के लिए जिला पंचायत प्रशासन / उच्च अधिकारी उत्तरदायी हैं। क्षति व क्षति पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

कृषि फार्म रजिस्टर व उसकी लेखा बन्दी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि विगत वर्षों के फुल बकाया रू0 257915-00 के सापेक्ष शून्य वसूली दर्शायी गयी है। दि० 31-03-22 रू0 257915-00 का बकाया शेष है। जांच में पाया गया कि छोटी धनराशि के बकायेदारों से ही वसूली हो सकी है किसी बड़े बकायेदार से वसूली क्यों नहीं की जा सकी।

रु 5000-00 या उससे अधिक के बकायेदारों का विवरण:-

क्रमांक	बकायेदार का नाम	नाम कृषि फार्म	नाम विकास क्षेत्र	बकाया का वर्ष	धनराशि जो वसूलनी है
1.	श्री योगेश शर्मा	छोड़ा	सासनी	2007-08	6000-00
2.	श्री मुनेश कुमार	डतरा	मुरसान	2011-12	15000-00
3.	श्री प्रेम सिंह	वर्धवारी	मुरसान	1997-98	20600-00
4.	श्री उदयवीर सिंह	वर्धवारी	मुरसान	1999-2000	14100-00

5.	श्री दिनेश सिंह	वर्धवारी	मुरसान	2003-04	20200-00
6.	श्री महेन्द्र सिंह	वर्धवारी	मुरसान	2006-07	8000-00
7.	श्री श्याम सुन्दर	वर्धवारी	मुरसान	2008-09	13400-00
8.	श्री वीरेन्द्र कुमार	ताजपुर	मुरसान	2006-07	12600-00
9.	श्री थान सिंह	अहवरनपुर	मुरसान	2008-09	5000-00
10.	श्री अनिल कुमार	अहवरनपुर	मुरसान	2010-11व2017-18	18000-00
11.	श्री चन्द्रपाल शर्मा	ताजपुर	मुरसान	2008-09	7500-00
12.	श्री अनिल कुमार	सीस्ता	सादाबाद	2007-08	13000-00
13.	श्री दिनेश कुमार	वास अमरू	सादाबाद	2010-11व2018-19	15500-00
14.	श्री राजेश कुमार	प्रा०पा०सलेमपुर चंदवारा	सहपऊ	2002-03	6500-00
15.	श्री धमवीर	मांगरू	सहपऊ	2010-11	11000-00
				योग	186400-00

कुल बकाया मांग रू0 257915-00, 76 बकायेदारों से की जानी है। यदि उपरोक्त 15 बकायेदारों से रू0 186400-00 की वसूली कर ली जाय तो कुल बकाया का 72.27 प्रतिशत प्राप्त हो जायेगा। जबकि बकायेदारो की संख्या का मात्र 19.74 प्रतिशत ही समाप्त होगा ।

उक्त बडे बकायेदारों की सूची से स्पष्ट है कि जिला पंचायत प्रशासन द्वारा बडे बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। बडे बकायेदारों के विरूद्ध आर० सी० आदि जारी नहीं की गई है। जिला पंचायत में बकाया वसूली की कोई स्पष्ट व प्रभावी नीति नहीं है। बकाया रही धनराशि रू0 257915-00 की मय ब्याज वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री हरपाल सिंह एवं श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा तत्कालीन पटल अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या 04)

प्रस्तर04-वित्तीय वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग, पन्द्रहवें वित्त आयोग एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदानों से जो निर्माण कार्य कराये गये है उनकी जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत हाथरस द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर व शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12-01-2005 एवं पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 33 (2) च शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र कमशः गाम सड़कों, अन्तग्रमित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आबन्टित धनराशि का प्रयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया जागा चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हे प्रदान किया गया हो। इसी कम में शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये थे, जिसमें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से जिला पंचायतों को ऐसे

कार्य कराना था जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हों। तथा शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि "पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तो का भी अतिक्रमण किया जा रहा है जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।" यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत को कार्य समिति की सहायता से वार्षिक विकास योजना तैयार की जानी चाहिए थी और क्षेत्र पंचायतों की विकास योजना को शामिल करते हुए एकीकृत विकास योजना बनाई जानी चाहिए थी और तदानुसार विकास कार्यों को सम्पादित किया जाना चाहिए था।

(अ) जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सडकों द्वारा जोडना एवं उनका अनुरक्षण व अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों का कराना हैं. न कि गाँव में अम्बेडकर पार्को की बाउण्ड्रीवाल, बारातघर, नाली खडजा, सी.सी. कार्यों, कब्रिस्तान की बाउण्ड्री वाल आदि निर्माण कराना। ये सभी कार्य ग्राम पचायतों की शक्तियों एवं कार्यों के अनर्तगत आते हैं। जिसका स्पष्ट उल्लेख क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 सेक्शन-33 (11) में किया गया हैं। साथ ही शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 द्वारा भी कार्यों को कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया हैं, न कि जिला पचायत को।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33{2} के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन "जिला पंचायतें जिला सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं।" ग्राम सड़को को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। शासनादेश संख्या-8307/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 12 जनवरी 2005 तथा शासनादेश संख्या-5/866/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 24 • 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार ::-

"तीनों स्तर की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) सब्सीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात् जो कार्य नीचे सार पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाए तथा उपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए।"

इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में निहित मार्गदर्शी प्रस्तर 3 व 4 के अनुसार ::- "जिला पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें। निर्माण कार्य शुरू कराने से पूर्व नियमानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतें अपनी-अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर ही कार्यों का चयन करेंगी तथा मात्र अध्यक्ष या चन्द सदस्यों के विवेक पर मामला नहीं छोडा जायेगा।"

जिला पंचायत हाथरस द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये हुए समस्त निर्माण कार्य 'एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया

जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ब) जनपद की अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा पी०डब्ल्यू०डी०, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, आ०ई०एस०, गन्ना संघ तथा मण्डी परिषद आदि को इस आशय की अनापत्ति प्राप्त की जानी चहिए थी कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य उनके द्वारा तो नहीं करा लिया गया है या कराया जाना प्रत्तावित है। इस प्रकार बिना आपत्ति प्राप्त किए दर्शित निर्माण कार्य से डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है।

उक्त की ओर इंगित किये जाने पर जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि- "जिला पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर कार्य कराये जाते हैं तथा कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।"

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव प्राप्त किये जाने चाहिए तथा कार्य दो क्षेत्र पंचायतों के ही किया जाना चाहिए। प्रकरण समीक्षा में ऐसा कोई भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धन कमेटी द्वारा पारित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिनियम 1961 की धारा 34 (1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्त कार्य कराने हेतु जिला पंचायत को अधिकृत किया गया, हो।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु० 16,70,51,031-00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत हाथरस द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय रू० 16,70,51,031-00 के दुरूपयोग का प्रकरण उ०प्र० शासन के संज्ञान में लाया जाता है। अतः रु०16,70,51,031-00 की मय ब्याज वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री हरपाल सिंह एवं श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा तत्कालीन पटल अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर05 - संस्था के कर निर्धारण रजिस्टर/लेजरों की जांच व समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कंपन वर्ष 2011-12 तक का की कर निम रजिस्टर पूर्ण पाया गया। वर्ष 11-12 के कर निर्धारण रजिन्टर की जांच में पाया गया कि रजिस्टर विकास खण्ड वार तैयार किये गये हैं। कर अवधारण वसूली व ने सम्बन्धित तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है-

जिला पंचायत के विकास क्षेत्रवार कर निर्धारण वसूली एवं बकाया का तुलनात्मक विवरण

क्र०	नाम विकास क्षेत्र	वर्ष	वर्ष की मांग	गत वर्ष का अवशेष	वर्ष की कुल मांग	वर्ष की कुलवसूली	वर्षान्त पर कुल बकाया।
1.	हाथरस	2009-10	439900	3695504	4135404	164200	3971204
		2010-11	464950	3971204	4436154	22400	4413754
		2011-12	475550	4413754	4889304	180460	4708844
2.	हसायन	2009-10	165900	888057	1053957	18900	1035057
		2010-11	174400	1035057	1209457	14400	1195057
		2011-12	203400	1195057	1398457	21025	1377432
3.	मरसान	2009-10	368400	2084081	2452481	51900	2400581

		2010-11	386900	2400581	2787481	199550	2587931
		2011-12	396800	2587931	2984731	234220	2750511
4.	सहपऊ	2009-10	273900	762500	1036400	73400	963000
		2010-11	298300	963000	1261300	83700	1177600
		2011-12	316600	1177600	1494200	91800	1402400
5.	सादाबाद	2009-10	455500	1373750	1829250	128500	1700750
		2010-11	482900	1700750	2183650	302278	1881372
		2011-12	522100	1881372	2403472	229900	2173572
6.	सासनी	2009-10	802300	2167675	2969975	207900	2762075
		2010-11	919200	2762075	3681275	209000	3472275
		2011-12	1012000	3472275	4484275	455525	4028750
7.	सि० राऊ	2009-10	271500	1713000	1984500	360500	1624000
		2010-11	285000	1624000	1909000	137800	1771200
		2011-12	336750	1771200	2107950	89700	2018250
	योग	2009-10	2777400	12684567	15461967	1005300	14456667
		2010-11	3011650	14456667	17468317	969128	16499189
		2011-12	3263200	16499189	19762389	1302630	18459759

कर रजिस्टरों में कटिंग व अपरलेखन बहुत अधिक पाया गया है तथा प्रायः योग पेन्सिल से लगा कर रखे गये है। दर्शित फर्मों के मिलान हेतु सस्था के पास कोई फलेट व प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अत्यधिक लापरवाही बरती जा रही है। जांच में यह भी पाया गया कि अधिकांशत फमाँ की केवल माग दर्शित यह है समय रहते वसली नहीं की गई। और इसके परिणाम स्वरूप कर का बकाया लगातार बढ़ रहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि संस्था में जो धनराशि बकाया कर रजिस्टरों में म पर जाती है फिर उसकी वसूली होती ही नहीं है और बकाया लगातार बढ़ता रहता है। उपलब्ध रजिस्टरों के अनुसार वर्ष के अन्त में दिनांक 31-03-12 को संस्था का विनय सम्पत्ति कर कूल रु 18459759-00 बकाया था। जिसकी वसूली का न ही कोई सार्थक प्रयास किया गया और न ही कोई प्रभावी नीति तैयार की गई है। खाना पर्ति के नाम पर कुछ फर्मों के नाम आर० सी० जारी की गई है. जो कि नाकाफी है। इसके लिए कर अधिकारी कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी है। अतः रु0 18459759-00 की मय ब्याज वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री हरपाल सिंह एवं श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा तत्कालीन पटल अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर06- लाइसेन्स रजिस्टरों में दर्शित फर्मों की संख्या वास्तविक संख्या से बहुत कम है, बहुत सारी फ़ों को रजिस्टरों में दर्शाया ही नहीं गया है. उदाहरण के तौर पर मदिरा व देशी शराब तथा बीयर की दुकानों की वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है। (लाइसेन्स शुल्क के संबंध में)

लाइसेन्स शुल्क हेतु वास्तविक रुप से कार्यरत प्रतिषठानों को लाइसेन्स रजिस्टर में अंकित न कर शुल्क की क्षति का विवरण-

क्र०	प्रतिषठानों का प्रकार	लाइसेन्स रजिस्टर के अनुसार दुकानों संख्या	सक्षम प्राधिकारी के अनुसार संख्या	वर्ष 2021-22 हेतु दुकानों की संख्या	लाइसेन्स शुल्क की दर	लाइसेन्स शुल्क की आगणित धनराशि	अभियुक्ति
	देशी शराब की दुकान	दर्शित नहीं	जिला आबकारी विभाग-45	90	5000	450000	-

	अँग्रेजीशराब की दुकान	दर्शित नहीं	जिला आबकारी विभाग-22	44	5000	220000	-
	बीयर की दुकान	दर्शित नहीं	जिला आबकारी विभाग-15	30	3000	90000	-
		योग				760000	

1. देशी शराब की दुकान - उक्त विवरण के अनुसार कुल 7 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में देशी शराब की दुकान का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात देशी शराब की दुकान लाइसेन्स रजिस्टर में अंकित नहीं की गई है। जिला आबकारी अधिकारी हाथरस से प्राप्त सूची के अनुसार जनपद हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की कुल 45 दुकानें थी, देशी शराब की 45 दुकानों का 2 वर्ष का लाइसेन्स शुल्क रू०5000-00 प्रतिवर्ष की दर से रु० 450000-00 होता है। अतः देशी शराब के मद में लाइसेन्स शुल्क के रूप में रु0 450000-00 की हानि जिला पंचायत को हुई।

2- अंग्रेजी शराब की दुकान अंग्रेजी शराब की दुकानों का विवरण लाइसेन्स रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है, जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार जनपद में अंग्रेजी शराब की कुल 22 दुकाने थी, जिनका लाइसेन्स शुल्क रु० 5000-00 प्रतिवर्ष की दर से दो वर्ष के लिए रु0 220000-00 होता है, इस प्रकार अंग्रेजी शराब दुकान मद के लाइसेन्स शुल्क की वसूली न कर संस्था को कुल रु0 220000-00 की हानि पहुंचाई गई।

3- बीयर की दुकान - उक्त विवरण के अनुसार कुल 7 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खंड की दुकान का विवरण लाइसेन्स रेजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की कुल 15 बीयर दुकानों का लाइसेन्स शुल्क रु० 3000-00 की दर से रु० 90000-00 होता है, अतः इस धनराशि की वसूली न हो पाने के कारण संस्था को हानि हुई।

इस प्रकार तीनों प्रकार की दुकानों से वसूली न कर कुल 760000-00 की धनराशि से जिला पंचायत को आर्थिक हानि हुई जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरपाल सिंह एवं श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा तत्कालीन पटल अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।

(मूल आपत्ति संख्या-11)

जनपद- कासगंज मण्डल -अलीगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 :- जिला पंचायत कासगंज

संस्था का नाम- जिला पंचायत जनपद- कासगंज मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 01- लेखा परीक्षा वर्ष में पशु शव निस्तारण से मु0 19500.00 की नीलामी करना एवं जो कि विकास खण्ड कासगंज की नीलामी से प्राप्त हुआ। शेष 06 विकास खण्ड की नीलामी नहीं की गयी। अवगत कराया गया कि कोई नीलामी नहीं ले रहा। मृत पशु शव निस्तारण मद में मु0 3.00 लाख रूपये वसूली का प्रावधान किया गया जबकि 0.19 लाख रूपये वसूली की गयी। सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है। शासनादेशानुसार 19500.00 की आधी धनराशि रू0 9750.00 ग्राम पंचायतों में ट्रान्सफर किया जाना चाहिए, जो अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 05

प्रस्तर 02- वर्ष 2021-22 में सम्पत्ति कर/ विभव कर में 20 लाख रूपये प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया जबकि लेखा परीक्षा अनुसार 10.62 लाख रूपये वसूली की गयी। इस प्रकार धनराशि रू0 9.38 लाख की कम वसूली की गयी अत: शत्-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु ठोस प्रयास नहीं किये गये। इस हेतु संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 07

प्रस्तर 03- वर्ष 2021-22 में लाइसेन्स मद में 15 लाख रूपये का बजट प्राविधान का लक्ष्य रखा गया जबकि वसूली 12.82 लाख रूपये की गयी। इस प्रकार धनराशि रू0 2.18 लाख की कम वसूली की गयी अत: शत्-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु ठोस प्रयास नहीं किये गये। इस हेतु संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 08

प्रस्तर 04- 31.03.2022 किराया मद में 4.5 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जबकि वसूली 1.38 लाख रूपये किया गया। इस प्रकार धनराशि रू0 3.12 लाख की कम वसूली की गयी अत: शत्-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु ठोस प्रयास नहीं किये गये। इस हेतु संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 09

प्रस्तर 05- शासनादेश सं0 315/10-02-(9) दिनांक 19/3/1997 के द्वारा सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसे अधिकारियों जिन्हें राजकीय/संस्था वाहन (बेलोरों) आवंटित है के वेतन से रू0 800 प्रतिमाह की कटौती करके राजकीय कोष/जिला निधि कोष में जमा करने का प्राविधान है किन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में अपर मुख्य अधिकारी को उपलब्ध कराये गये वाहन के सापेक्ष प्रतिमाह रू0 800 की दर से कुल रू0 9600.00 की कटौती नहीं की गयी है। नियमानुसार अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बेश का दायित्व निर्धारण (उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम सं0 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में वसूली किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 10

प्रस्तर 06- वर्क रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा कराये गये अनियमित कार्यों का विवरण-

क्रम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	दिनांक	व्यय धनराशि (रू0 में)	ठेकेदार फर्म का नाम
1	नौगांव में मास्टर बिहारी के मकान से बाईपासपर इण्टर लॉकिंग कार्य	975000	16/10/2021	808694	एम0एस0 शंकर लाल कंस्ट्रक्शन
			25/11/2021	165308	
			योग	974002	
2	नदरई दिलावर के घर से शमशान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	902000	21/10/2021	902056	एम0एस0 शिवकुमार ठेकेदार
3	नगला कुबेर में बालेश्वर के खेत से राम अवतार के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	991000	21/10/2021	868000	एम0एस0 जोया कंस्ट्रक्शन
			25/11/2021	123364	
			योग	991364	
4	नगला खेमई दामर सड़क से ग्राम खेड़ा तक इण्टर लॉकिंग	992000	25/11/2021	991902	एम0एस0 दुर्गा कंस्ट्रक्शन
5	नगला तिलक रोड़ से होली चौक तक इण्टर लॉकिंग	993000	11/10/2021	876960	एम0एस0 यदुवीर सिंह
			30/11/2021	115055	
			योग	992015	
6	नगला मैं दयाराम के घर से कुरामई मार्ग पर इण्टर लॉकिंग कार्य	996000	26/11/2021	994059	एम0सस0 सावलियां कंस्ट्रक्शन

7	नगला लोचन में बम्बा पुल से गांव तक इण्टर लॉकिंग कार्य	996000	16/10/2021	806462	एम0एस0 एम0डी0 कंस्ट्रक्शन
			30/11/2021	185605	
			योग	992067	
8	अरोरा खडुइया सम्पर्क मार्ग से ग्राम खडुइया में पीपल महाराज तक इण्टर लॉकिंग कार्य	987000	26/10/2021	480000	एम0एस0 अंगूरी देवी
			07/12/2021	507218	
			योग	987218	
9	ग्राम अजीजपुर के मजराजात नगला मरिया के सम्पर्क मार्ग से प्रा0 पाठशाला तक इण्टर लॉकिंग	986000	07/10/2021	824320	एम0एस0 मोहर सिंह कंस्ट्रक्शन
			29/12/2021	161674	
			योग	985994	
10	गंजडुण्डवारा ब्लाक के निकट गनेशपुर ईदगाह से पश्चिम की ओर कब्रिस्तान तक	939000	07/10/2021	933343	मे0 सुषमा गुप्ता कंस्ट्रक्शन
11	ग्राम खुड़ईया में बौद्ध विहार से मडिया मार्ग तक इण्टर लॉकिंग	987000	27/10/2021	441280	मे0 हरप्रसाद कंस्ट्रक्शन
			14/12/2021	130597	
			23/11/2021	415520	
			योग	987397	
12	ग्राम ढूंढरा लियाकत अली स्कूल से कब्रिस्तान तक इण्टर लॉकिंग	983000	06/10/2021	853440	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
			07/12/2021	129799	
			योग	983239	
13	ग्राम बल्लूपुर में भरगैन मार्ग से ग्राम तक इण्टर लॉकिंग	584000	30/12/2021	564807	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
14	ग्राम कोटर में अमर सिंह पूर्व प्रधान के घर के सामने इण्टर लॉकिंग	947000	16/10/2021	784633	एम0एस0 राकेश चन्द्र
			25/11/2021	162116	
			योग	946749	
15	ग्राम रिकैरा में मेन सड़क से ट्रांस्फारमर तक इण्टर लॉकिंग	994000	27/10/2021	406560	एम0एस0 रामेशवर सिंह सोलंकी
			30/11/2021	587134	
			योग	993694	
16	ग्राम रिकैरा में गंगा चबूतरा के सामने इण्टर लॉकिंग	994000	27/10/2021	339360	एम0एस0 रामेशवर सिंह सोलंकी
			13/12/2021	124597	
			23/11/2021	529760	
			योग	993717	
17	ग्राम टिकरूआ में स्वर्गद्वारी मार्ग से नगला मलखान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	623000	10/11/2021	544320	एम0एस0 डी0एस0 कंस्ट्रक्शन
			14/12/2021	78714	
			योग	623034	
18	ग्राम सुवगढ़ी में बनखंडी आश्रम से मुकुल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	983000	10/11/2021	861280	एम0एस0 एस0पी0 कंस्ट्रक्शन
			14/12/2021	116404	
			योग	977684	
19	ग्राम कछेला में समाधि से टंकी तक इण्टर	929000	22/10/2021	754880	एम0एस0

	लॉकिंग कार्य		15/12/2021	172020	सैनिक
			योग	926900	कंस्ट्रक्शन
20	ग्राम कछेला सलेमपुर में मेन रोड से बाबा साहेब के पार्क तक इण्टर लॉकिंग कार्य	929000	22/11/2021	926957	एम0एस0 अंजली कंस्ट्रक्शन
21	ग्राम कलुआ काला में सरकारी नल से धीर सिंह के प्लॉट तक इण्टर लॉकिंग कार्य	993000	12/10/2021	236320	एम0एस0 गंगाजी ट्रेडर्स
			13/12/2021	754013	
			योग	990333	
22	ग्राम सुनगढ़ी में सम्पर्क मार्ग से बाबू राम से श्याम पाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	983000	11/10/2021	845600	एम0एस0 अरूण कुमार दिवेदी
			07/12/2021	135005	
			योग	980605	
23	ग्राम दहेली खुर्द में माता मन्दिर के सामने इण्टर लॉकिंग कार्य	986000	12/10/2021	880320	एम0एस0 सालासर बालाजी कंस्ट्रक्शन
			23/11/2021	103657	
			योग	983977	
24	ग्राम जखा में प्रतीक्षालय से भगवानदास के घर इण्टर लॉकिंग	693000	23/11/2021	691365	एम0एस0 पी0एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर
25	ग्राम नरई में राजपाल के घर से तिराहे तक इण्टर लॉकिंग	974000	25/11/2021	1252837	एम0एस0 एस0के0 कंस्ट्रक्शन
26	नगला सूमरा में प्रा0 स्कूल से सौदान के खेत तक इण्टर लॉकिंग	999000	26/11/2021	996914	एम0एस0 अर्चना कंस्ट्रक्शन
27	ग्राम चौगवा में नहर बाईपास से इण्टर लॉकिंग कार्य	760000	18/10/2021	556640	एम0एस0 भारत कंस्ट्रक्शन
			17/12/2021	201655	
			योग	758295	
28	ग्राम अल्हैपुर में डामर सड़क से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग	980000	06/12/2021	978143	एम0एस0 सालासर बालाजी कंस्ट्रक्शन
29	ग्राम गुनार में डामर रोड से क्षत्रीय बाबा आश्रम तक इण्टर लॉकिंग कार्य	993000	17/12/2021	990479	एम0एस0 महेश कुमार एण्ड सन्स
कुल योग				27291146	

वर्ष 2021-22 में संस्था के वर्क रजिस्टर की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा कराये गये अधिकांश निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जबकि उ0प्र0 जिला पंचायत अधिनियम 1961के अध्याय 3 की धारा 33(2) के अंतर्गत जिला पंचायत जिला सड़कों पर ही कार्य कराने को अधिकृत हैं। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धाराके अंतर्गत ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है।

संस्था द्वारा उपरोक्त प्रकार के निर्माण कार्य कराये जाने के पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत से एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं की गयी है जिससे कार्य के दोहरी करण होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। संबंधित ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर संबंधित पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त विवरण अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकारों का अतिक्रमण करके रू0 27291146 के अनियमित कार्य कराया गया है। उ0प्र0 जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम सं0 179(2) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि अधिभार की कार्यवाही के अंतर्गत आती है। नियमानुसार बैठक में उपस्थित एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों एवं अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 07- वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त की निर्माण कार्य पत्रावलियों/वर्क रजिस्टर एवं संस्था के पंजीकृत ठेकेदारों के रजिस्टर के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य न करा कर अन्य ठेकेदारों से निर्माण कार्य कराया गया है जो कि अनियमित है। विभागीय निर्देशानुसार निर्माण कार्य पंजीकृत ठेकेदारों से ही कराया जाना चाहिये। विभागीय निर्देशों का संस्था द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	दिनांक	व्यय धनराशि (रू0 में)	ठेकेदार फर्म का नाम
1	कासगंज चांडी मार्ग पर नगला वादिक रूपवती इण्टर कालेज तक इण्टर लॉकिंग कार्य	602000	18/10/2021	528544	एम0एस0 कुश इण्टरप्राइजेज
			23/11/2021	71043	
			योग	599587	
2	पिथनपुर में हसनपुर रोड से अकावली मेमोरियल स्कूल तक इण्टर लॉकिंग	398000	16/10/2021	279418	एम0एस0 कुश इण्टरप्राइजेज
			25/11/2021	116932	
			योग	396350	
3	नगला याक करन में जू0 हाई स्कूल तक इण्टर लॉकिंग	670000	03/10/2022	670000	एम0एस0 भगवती प्रसाद
4	ग्राम ढूढरा लियाकत अली स्कूल से कब्रिस्तान तक इण्टर लॉकिंग	983000	06/10/2021	853440	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
			07/12/2021	129799	
			योग	983239	
5	ग्राम टिम्रउआ स्वर्गद्वारी से नगला मलखान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	623000	10/11/2021	544320	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			14/12/2021	78714	
			योग	623034	
6	ग्राम पंचायत सुनगढ़ी में वनखण्डी आश्रम से मुकुल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	983000	10/11/2021	861280	एम0एस0 जे0पी0 कंस्ट्रक्शन
			14/12/2021	116404	
			योग	977684	
7	नगला देवी में तालेवर के घर से कच्ची नाली तक नाला निर्माण कार्य	680000	26/11/2021	618000	एम0एस0 दिनेश कंस्ट्रक्शन
8	नगला गणेश में हबीब के प्लाट से पुलिया	531000	28/12/2021	411040	एम0एस0

	तक नाला निर्माण				सतगुरू इण्टरप्राइजेज
कुल योग				5278934	

उपरोक्त विवरण अनुसार संस्था द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 5278934 के निर्माण कार्य (राज्य वित्त) अनुमोदित ठेकेदारों से न करा कर अन्य ठेकेदारों से कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 18 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य पंजीकृत/अनुमोदित ठेकेदारों से ही कराये जायेंगे। इस प्रकार संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रति उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 14

प्रस्तर 08- वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवा वित्त की निर्माण कार्य पत्रावलियों/वर्क रजिस्टर एवं संस्था के पंजीकृत ठेकेदारों के रजिस्टर के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य न करा कर अन्य ठेकेदारों से निर्माण कार्य कराया गया है जो कि अनियमित है। विभागीय निर्देशानुसार निर्माण कार्य पंजीकृत ठेकेदारों से ही कराया जाना चाहिये। विभागीय निर्देशों का संस्था द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	दिनांक	व्यय धनराशि (लाख रू0 में)	ठेकेदार फर्म का नाम
1	ग्राम कछेला शेरपुर में मेन रोड से बाबा साहेब के पार्क तक इण्टर लॉकिंग कार्य	929000	22/11/2021	926957	एम0एस0 अंजली कंस्ट्रक्शन
2	ग्राम पिथनपुर में मेन रोड से जबर सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	633000	18/10/2021	563989	एम0एस0 कुश कंस्ट्रक्शन
3	ग्राम पिथनपुर में दूसरे पशु आश्रय स्थल का निर्माण कार्य	999000	12/10/2021	757120	एम0एस0 गंगा सागर समिति
4	ग्राम नगला धनसिंहपुर में बाइपास पर इण्टर लॉकिंग कार्य	938000	18/10/2021	639048	एम0एस0 मां भगवती इण्टरप्राइजेज
5	ग्राम काला अन्धा में डामर रोड से पुलिया तक इण्टर लॉकिंग	982000	06/07/2022	980669	एम0एस0 जगदीश कुमार बार्ष्णेय
6	ग्राम बाहपुर में बम्बा की पुलिया से लक्ष्मी नारायण के घर तक इण्टर लॉकिंग	999000	23/11/2021	997486	एम0एस0 जाहरवीर गोगा इण्टरप्राइजेज
7	नगला सुमरा में केशपाल के घर से सुरेश के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य	999000	26/11/2021	996362	एम0एस0 गंगा सागर समिति
8	ग्राम जवाहरपुर में शीशपाल दूधिया के घर से बांधतक इण्टर लॉकिंग कार्य	907000	18/10/2021	811687	एम0एस0 रामनरेश कंस्ट्रक्शन
9	नगला सूमरा में शमशान घाट से कुंवरपाल के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य	999000	26/11/2021	996114	एम0एस0 कमल कुमार बौद्ध
10	गुड़गुड़ी मार्ग से ब्रहमपुरी मार्ग तक अवशेष लेपन कार्य	1735000	24/03/2022	781760	एम0एस0 दिनेश कंस्ट्रक्शन
			10/04/2022	687420	

			योग	1469180	
11	ग्राम दुलाई से नहर तक सी0सी0 कार्य	1863000	28/12/2021	708960	एम0एस0 नारायण कंस्ट्रक्शन
			29/12/2021	929600	
			15/06/2022	198930	
			योग	1837490	
12	ग्राम नगला लाले में जल निकासी हेतु नाला निर्माण	4483000	15/12/2021	969920	एम0एस0 जे0पी बिल्डर्स
			21/12/2021	1955520	
			21/03/2022	1540457	
			योग	4465897	
13	सागरपुर से गंगागढ़ मार्ग पर लेपन कार्य	1298000	30/06/2022	865667	मे0 सुशील कुमार
14	ग्राम बकराई से करसैना मार्ग पर लेपन कार्य	4384000	06/03/2022	2063040	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			20/05/2022	1522451	
			योग	3585491	
15	नवाबगंज सराय पुलिस चौकी से अमरगुरू देव स्थान तक लेपन कार्य	4985000	26/04/2022	2341917	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			03/06/2022	1813893	
			योग	4155810	
16	नगला टरी में रघुराज के घर से पुरानी इण्टर लॉकिंग तक सी0सी0 कार्य	1170000	28/03/2022	1169323	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
17	एटा अमांपुर मार्ग से अल्लीपुर में प्रकाश के फार्मके मार्ग पर सी0सी0 कार्य	2238000	18/01/2022	999040	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			01/03/2022	875840	
			योग	1874880	
18	तानपुर से बूढ़ी गंगा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	2456000	21/04/2022	1873760	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			30/06/2022	461465	
			योग	2335225	
19	के0एम0सी0 चिरौला रोड से नगला भगना बाबा साहेब की मूर्ति तक सी0सी0 निर्माण कार्य	3558000	03/03/2022	2816800	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			02/04/2022	652436	
			योग	3469236	
20	समसपुर कब्रिस्तान से बम्बा तक सी0सी0 निर्माण कार्य	4311000	17/03/2022	1607200	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			17/05/2022	2596329	
			योग	4203529	
21	गंगा अशोकपुर में बारात घर से सुमेर तक डामर रोड तक सी0सी0 कार्य	4403000	18/01/2022	2052960	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			09/07/2022	2239990	
			योग	4292950	
22	नगला किन्नर से नाले तक नाला निर्माण कार्य	999000	02/03/2022	537600	एम0एस0 सतगुरू इण्टरप्राइजेज
			03/04/2022	460088	
			योग	997688	
23	थाना गांव में शाहवीर फौजी के मकान से पुराने	999000	03/04/2022	534240	एम0एस0

	नाले तक इण्टर लॉकिंग		27/06/2022	457682	जे0पी0 कंस्ट्रक्शन
			योग	991922	
24	ग्राम सनौढ़ी में सत्यपाल मुन्नी के प्लाट से तालाब तक इंटर लॉकिंग कार्य	999000	06/07/2022	997801	एम0एस0 चन्द्रवती कंस्ट्रक्शन
25	ग्राम खाता में नन्नू पुत्र बलवन्त के घर से पाना सिंह के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य	504000	18/05/2022	490912	एम0एस सुशील कुमार कंस्ट्रक्शन
26	ग्राम जमालपुर में ज्वाला प्रसाद के घर से महावीर के प्लाटतक इण्टर लॉकिंग	989000	13/05/2022	511840	एम0एस0 सत्यवीर सिंह कंस्ट्रक्शन
			21/05/2022	477172	
			योग	989012	
27	ग्राम लल्लूपुरा में तालाब तक इण्टर लॉकिंग कार्य	781000	09/07/2022	780240	एम0एस0 दिनेश कंस्ट्रक्शन
28	ग्राम मोहनी में मन्दिर के पास इण्टर लॉकिंग	999000	12/05/2022	829920	एम0एस0 अंजली कंस्ट्रक्शन
			09/07/2022	168411	
			योग	998331	
29	ग्राम चिरौला खाता में शीलेन्द्र शाक्य के घर से भगवान सिंह के खेत तक इण्टर लॉकिंग	999000	17/05/2022	860160	एम0एस0 चन्द्रवती कंस्ट्रक्शन
30	कासिमपुर मिहारी के न0 कोठी में मन्दिर से राम प्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग	623000	20/08/2022	501760	एम0एस0 चन्द्रपाल सिंह
31	नगला बेनी में पीपल से पुराने नाले की ओर	989000	02/03/2022	857920	एम0एस0 फौजी कंस्ट्रक्शन
			25/03/2022	13040	
			योग	870960	
32	रामविलास के कालेज से ग्राम बहोरा की ओर नाला निर्माण	956000	22/08/2022	955481	एम0एस0 चन्द्रवती कंस्ट्रक्शन
33	ग्राम अलीपुर पर मरधनपुलिया से सीताराम के खेत के आगे तालाब तक	744000	21/05/2022	743951	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
34	ग्राम नगला ताल में छेदालाल के घर से नगला सैप्पा के तालाब तक	673000	21/06/2022	672632	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
35	ग्राम मोहनी में काली नदी की ओर	999000	09/04/2022	868000	एम0एस0 अंजली कंस्ट्रक्शन
			09/07/2022	129302	
			योग	997302	
36	ग्राम बसई मुर्गी फार्म से तालाब तक	987000	09/05/2022	986302	एम0एस0 मां भगवती कंस्ट्रक्शन
37	सरसई बन मेन सड़क से तालाब तक	998000	02/03/2022	588000	एम0एस0 राजबहादुर सिंह
			18/04/2022	409490	
			योग	997490	
38	ग्राम बढ़ारी कलां से प्लांट तक	998000	18/05/2022	997619	एम0एस0

					सुशील कुमार
39	ग्राम नीवरी मडांवर सड़क से गांव तक	992000	09/03/2022	868000	एम0एस0 फौजी कंस्ट्रक्शन
			25/03/2022	123661	
			योग	991661	
40	भीकमपुर में स्वर्गीय बृजकिशोर के घर से बम्बा की ओर	991000	17/05/2022	990139	एम0एस0 जे0पी0 कंस्ट्रक्शन
41	ग्राम अट्टूपुर में विवेक के घर से प्रा0पा0 तक इण्टर लॉकिंग	995000	22/03/2022	994309	एम0एस0 जाहरवीर गोगा इण्टरप्राइजेज
42	ग्राम चंदवा में बिहारीलाल के घर से महिपाल के खेत तक इण्टर लॉकिंग	987000	24/03/2022	986378	एम0एस0 जाहरवीर गोगा इण्टरप्राइजेज
43	नगला बदन में राजू के घर से बाज नगर तक इण्टर लॉकिंग	991000	26/03/2022	990013	एम0एस0 जाहरवीर गोगा इण्टरप्राइजेज
44	ग्राम रहीम नगर में डामर रोड तसे बाईपास डा0 तेज सिंह की झोपड़ी तक सी0सी0 कार्य	4746000	30/11/2021	1150240	एम0एस0 एम0आर0 ट्रेडर्स
			15/03/2022	2191840	
			योग	3342080	
कुल योग				64518253	

उपरोक्त विवरण अनुसार संस्था द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 64518253 के निर्माण कार्य (पन्द्रहवा वित्त आयोग) अनुमोदित ठेकेदारों से न करा कर अन्य ठेकेदारों से कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 18 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य पंजीकृत/अनुमोदित ठेकेदारों से ही कराये जायेंगे। इस प्रकार संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रति उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 15

प्रस्तर 09- जिला पंचायत कासगंज के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दौरान निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि अधिकांश निर्माण पत्रावलियों में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये हैं जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1994के नियम 38 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्वयं निर्माण कार्य की विस्तृत जांच कर निर्गत किया जायेगा। निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रसंलग्न न किये जाने का स्पष्टीकरण अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	निर्माण कार्य पत्रावली का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि (रू0)
1	ग्राम बोंदर में स्वास्थ्य केन्द्र से बूढ़ी गंगा तक नाला निर्माण कार्य	मोहित कुमार गौतम, अवर अभियन्ता	998225
2	ग्राम सुनगढ़ी में पप्पू के घर से प्रा0पा0 किसौल तक नाला निर्माण कार्य	आर0सी0 विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता	998303
3	रनैठी जू0हा0 से जय सिंह शाक्य के घर के आगे तक इण्टर लॉकिंग कार्य	आर0सी0 विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता	994456

4	नगला टटी में रघुराज के घर से पुरानी इण्टर लॉकिंग तक सी0सी0 निर्माण कार्य	मोहित कुमार गौतम, अवर अभियन्ता	1169323
5	ग्राम भूपालगढ़ी ढोलना मार्ग से नेम सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	मोहित कुमार गौतम, अवर अभियन्ता	997603
6	ग्राम नवाबगंज नगरिया में ओमप्रकाश की दुकान से कादरगंज मार्ग तक नाला निर्माण कार्य	आर0सी0 विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता	996409
7	नगला भीम मोहिनी में बाईपास पर पुलिया तक नाला निर्माण कार्य	मोहित कुमार गौतम, अवर अभियन्ता	3534148
8	कासगंज चांडी सहावर मार्ग मुनव्बरपुर तक लेपन निर्माण कार्य	मोहित कुमार गौतम, अवर अभियन्ता	710497
कुल योग			28345080

उक्त निर्माण कार्य पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न लगाये जाने के कारण धनराशि रू0 28345080.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बरीश, अवर अभियन्ता व तत्कालीन लेखाकार तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 16

प्रस्तर 10- वर्ष 2021-22 की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निम्नलिखित पत्रावयिलों में विलम्ब शुल्क नियमानुसार नहीं जमा कराये गये हैं-

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि	काटा गया बिलम्ब शुल्क	वास्तविक बिलम्ब शुल्क	अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि
1	ग्राम सनौड़ी में सत्यपाल भुर्जी के प्लॉट से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	997801	2000	9978	02.02.2022	06.07.2022
2	कासिमपुर मिहारी के नगला कोठी में मंदिर से रामप्रकाश के घर तक नाला निर्माण कार्य	617371	1500	6173	02.02.2022	05.10.2022
3	ग्राम ललूपुरा में तालाब तक नाला निर्माण कार्य	780240	3000	7802	02.02.2022	09.07.2022
4	नगला बेनी में पीपल से पुराने नाले की ओर नाला निर्माण कार्य	988321	500	9883	02.02.2022	02.03.2022
5	इस्माइलपुर मार्ग पर जिला औद्यौगिक क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य	913993	1000	9139	02.02.2022	25.04.2022
6	रामविलास के कॉलेज से ग्राम बहोरा की ओर नाला निर्माण कार्य	955481	2500	9554	02.02.2022	28.08.2022
7	ग्राम बडवारी कलां में डामर सड़क से नाले तक नाला निर्माण कार्य	997665	500	9976	02.02.2022	15.03.2022
8	ग्राम गढ़का में रेलवे फाटक से नाले तक नाला निर्माण कार्य	997222	1000	9972	02.02.2022	31.03.2022
9	ग्राम बौदर में स्वास्थ्य केन्द्र से बूढ़ी गंगा तक नाला निर्माण कार्य	998225	2500	9982	02.02.2022	22.08.2022
10	बढ़ारी कलां से प्लांट तक नाला निर्माण कार्य	997622	1500	9976	02.02.2022	18.05.2022

11	दरियावगंज पुलिस चौकी से पुरानी पुलिया तक नाला निर्माण कार्य	978919	1000	9789	02.02.2022	13.06.2022
12	ग्राम बहौरा में ललिता शाक्य के घर से कॉलेज की ओर नाला निर्माण कार्य	987007	3000	9870	02.02.2022	22.08.2022
13	ग्राम नगला ताल में छेदालाल के घर से नगला सैथा के तालाब तक नाला निर्माण कार्य	672632	1000	6726	02.02.2022	21.06.2022
14	ग्राम बसई में मुर्गी फार्म से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	986302	1000	9863	02.02.2022	17.05.2022
15	सरसई बन में सड़क से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	997490	500	9974	02.02.2022	02.03.2022
16	ग्राम खाता में नन्नू डा0 बलवन्त के घर से पान सिंह के खेत तक नाला निर्माण कार्य	490912	1500	4909	02.02.2022	18.05.2022
17	थाना गांव में शाहवीर फौजी के मकान से पुराने नाले तक नाला निर्माण कार्य	991922	1000	9919	02.02.2022	27.06.2022
18	ग्राम बिसैली खादी में शीलेन्द्र शाक्य के घर से भगवान सिंह के खेत तक नाला निर्माण कार्य	993745	1000	9937	02.02.2022	13.06.2022
19	ग्राम अल्लीपुर मरघट पुलिया से सीताराम के खेत के आगे तालाब तक नाला निर्माण कार्य	743951	1000	9439	02.02.2022	21.05.2022
20	कासगंज चांडी सहावर मार्ग मुनब्बरपुर तक लेपन कार्य	710497	500	7104	02.04.2022	18.04.2022
21	नगला देवी में रामचरण के घर से नाले तक नाला निर्माण कार्य	648195	500	6481	21.10.2021	12.12.2021
22	जिलाधिकारी आवास प्रांगण से पूर्व सी0सी0 रोड मोड़ तक सुरक्षा दीवार करना	742984	500	7429	21.10.2021	25.11.2021
23	नगला यादकरन में जूनियर हाई स्कूल तक इण्टर लॉकिंग कार्य	670000	3000	6700	21.10.2021	03.10.2022
24	नगला कुबेर में वालिस्टर के खेत से रामोतार कश्यप के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	991364	500	9913	21.10.2021	25.11.2021
25	अलीगढ़ सोरों मार्ग पर नगला कलुआ से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	858975	500	8589	21.10.2021	07.12.2021
26	ग्राम टिमरूआ स्वर्गद्वारी मार्ग से नगला मलखान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	623034	500	6230	21.10.2021	14.12.2021
27	मोती नगर बहोटा में सतीश के घर के पास मन्दिर से सी0सी0 रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य	337553	500	3375	21.10.2021	29.12.2021
28	नगला सूमरा में टावर के आगे कच्ची नाली तक नाला निर्माण कार्य	994506	2000	9945	02.02.2022	

29	छिछौरा में भोले की चक्की से तालाबतक नाला निर्माण कार्य	928833	500	9288	02.02.2022	18.04.2022
30	नगला सूमरा में माता से लेकर कच्ची नाली तक नाला निर्माण कार्य	928577	3500	9285	02.02.2022	05.10.2022
31	नगला सूमरा में टावर के आगे से कच्ची नाली तक नाला निर्माण कार्य	994506	2000	9945	02.02.2022	27.06.2022
	कुल योग		41500	267154		

उक्त निर्माण पत्रावलियों में बिलम्ब शुल्क रू0 41500 की कटौती की गयी है। जबकि नियमानुसार रू0 267154 की कटौतीकी जानी चाहिए थी। अंतर रू0 225654 हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बरीश, तत्कालीन लेखाकार एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 17

प्रस्तर 11- मृत पशु शव निस्तारण में 3 लाख वसूली का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष रू0 19500 की वसूली हुई शेष धनराशि रू0 2.81 लाख की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बरीश एवं तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। इस हेतु संबंधित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 18

प्रस्तर 12- वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश पत्रावलियों में एम0एम0 11 का गन्तव्य अन्य जनपदों का अंकित है जोकि आपत्तिजनक है।

क्रम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	दिनांक	व्यय धनराशि (लाख रू0 में)	ठेकेदार फर्म का नाम
1	ग्राम कछेला शेरपुर में मेन रोड से बाबा साहेब के पार्क तक इण्टर लॉकिंग कार्य	929000	22/11/2021	926957	एम0एस0 अंजली कंस्ट्रक्शन
2	ग्राम पिथनपुर में मेन रोड से जबर सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	633000	18/10/2021	563989	एम0एस0 कुश कंस्ट्रक्शन
3	ग्राम पिथनपुर में दूसरे पशु आश्रय स्थल का निर्माण कार्य	999000	12/10/2021	757120	एम0एस0 गंगा सागर समिति
4	ग्राम नगला धनसिंहपुर में बाइपास पर इण्टर लॉकिंग कार्य	938000	18/10/2021	639048	एम0एस0 मां भगवती इण्टरप्राइजेज
5	ग्राम काला अन्धा में डामर रोड से पुलिया तक इण्टर लॉकिंग	982000	06/7/2022	980669	एम0एस0 जगदीश कुमार बार्ष्णेय
6	ग्राम बाहपुर में बम्बा की पुलिया से लक्ष्मी नारायण के घर तक इण्टर लॉकिंग	999000	23/11/2021	997486	एम0एस0 जाहरवीर गोगा इण्टरप्राइजेज
7	नगला सुमरा में केशपाल के घर से सुरेश के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य	999000	26/11/2021	996362	एम0एस0 गंगा सागर समिति
8	ग्राम जवाहरपुर में शीशपाल दूधिया के घर से बांधतक इण्टर लॉकिंग कार्य	907000	18/10/2021	811687	एम0एस0 रामनरेश कंस्ट्रक्शन
9	नगला सूमरा में शमशान घाट से	999000	26/11/2021	996114	एम0एस0 कमल

	कुंवरपाल के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य				कुमार बौद्ध
10	गुड़गुड़ी मार्ग से ब्रहमपुरी मार्ग तक अवशेष लेपन कार्य	1735000	24/03/2022	781760	एम0एस0 दिनेश कंस्ट्रक्शन
			10/04/2022	687420	
			योग	1469180	
11	ग्राम दुलाई से नहर तक सी0सी0 कार्य	1863000	28/12/2021	708960	एम0एस0 नारायण कंस्ट्रक्शन
			29/12/2021	929600	
			15/06/2022	198930	
			योग	1837490	
12	ग्राम नगला लाले में जल निकासी हेतु नाला निर्माण	4483000	15/12/2021	969920	एम0एस0 जे0पी बिल्डर्स
			21/12/2021	1955520	
			21/03/2022	1540457	
			योग	4465897	
13	सागरपुर से गंगागढ़ मार्ग पर लेपन कार्य	1298000	30/06/2022	865667	मे0 सुशील कुमार
14	ग्राम बकराई से करसैना मार्ग पर लेपन कार्य	4384000	06/03/2022	2063040	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			20/05/2022	1522451	
			योग	3585491	
15	नवाबगंज सराय पुलिस चौकी से अमरगुरू देव स्थान तक लेपन कार्य	4985000	26/04/2022	2341917	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			03/06/2022	1813893	
			योग	4155810	
16	नगला टरी में रघुराज के घर से पुरानी इण्टर लॉकिंग तक सी0सी0 कार्य	1170000	28/03/2022	1169323	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
17	एटा अमांपुर मार्ग से अल्लीपुर में प्रकाश के फार्मके मार्ग पर सी0सी0 कार्य	2238000	18/01/2022	999040	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			01/03/2022	875840	
			योग	1874880	
18	तानपुर से बूढ़ी गंगा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	2456000	21/04/2022	1873760	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			30/06/2022	461465	
			योग	2335225	
19	के0एम0सी0 चिरौला रोड से नगला भगना बाबा साहेब की मूर्ति तक सी0सी0 निर्माण कार्य	3558000	03/03/2022	2816800	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			02/04/2022	652436	
			योग	3469236	
20	समसपुर कब्रिस्तान से बम्बा तक सी0सी0 निर्माण कार्य	4311000	17/03/2022	1607200	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			17/05/2022	2596329	
			योग	4203529	
21	गंगा अशोकपुर में बारात घर से सुमेर तक डामर रोड तक सी0सी0 कार्य	4403000	18/01/2022	2052960	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			09/07/2022	2239990	
			योग	4292950	

22	नगला किन्नर से नाले तक नाला निर्माण कार्य	999000	02/03/2022	537600	एम0एस0 सतगुरू इण्टरप्राइजेज
			03/04/2022	460088	
			योग	997688	
23	थाना गांव में शाहवीर फौजी के मकान से पुराने नाले तक इण्टर लॉकिंग	999000	03/04/2022	534240	एम0एस0 जे0पी0 कंस्ट्रक्शन
			27/06/2022	457682	
			योग	991922	
24	ग्राम सनौढ़ी में सत्यपाल मुन्नी के प्लाट से तालाब तक इंटर लॉकिंग कार्य	999000	06/07/2022	997801	एम0एस0 चन्द्रवती कंस्ट्रक्शन
25	ग्राम खाता में नन्नू पुत्र बलवन्त के घर से पाना सिंह के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य	504000	18/05/2022	490912	एम0एस सुशील कुमार कंस्ट्रक्शन
26	ग्राम जमालपुर में ज्वाला प्रसाद के घर से महावीर के प्लाटतक इण्टर लॉकिंग	989000	13/05/2022	511840	एम0एस0 सत्यवीर सिंह कंस्ट्रक्शन
			21/05/2022	477172	
			योग	989012	
27	ग्राम लल्लूपुरा में तालाब तक इण्टर लॉकिंग कार्य	781000	09/07/2022	780240	एम0एस0 दिनेश कंस्ट्रक्शन
28	ग्राम मोहनी में मन्दिर के पास इण्टर लॉकिंग	999000	12/05/2022	829920	एम0एस0 अंजली कंस्ट्रक्शन
			09/07/2022	168411	
			योग	998331	
29	ग्राम चिरौला खाता में शीलेन्द्र शाक्य के घर से भगवान सिंह के खेत तक इण्टर लॉकिंग	999000	17/05/2022	860160	एम0एस0 चन्द्रवती कंस्ट्रक्शन
30	कासिमपुर मिहारी के न0 कोठी में मन्दिर से राम प्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग	623000	20/08/2022	501760	एम0एस0 चन्द्रपाल सिंह
31	नगला बेनी में पीपल से पुराने नाले की ओर	989000	02/03/2022	857920	एम0एस0 फौजी कंस्ट्रक्शन
			25/03/2022	13040	
			योग	870960	
32	रामविलास के कालेज से ग्राम बहोरा की ओर नाला निर्माण	956000	22/08/2022	955481	एम0एस0 चन्द्रवती कंस्ट्रक्शन
33	ग्राम अलीपुर पर मरधनपुलिया से सीताराम के खेत के आगे तालाब तक	744000	21/05/2022	743951	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
34	ग्राम नगला ताल में छेदालाल के घर से नगला सैप्पा के तालाब तक	673000	21/06/2022	672632	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
35	ग्राम मोहनी में काली नदी की ओर	999000	09/04/2022	868000	एम0एस0 अंजली कंस्ट्रक्शन
			09/07/2022	129302	
			योग	997302	
36	ग्राम बसई मुर्गी फार्म से तालाब तक	987000	09/05/2022	986302	एम0एस0 मां भगवती कंस्ट्रक्शन

37	सरसई बन मेन सड़क से तालाब तक	998000	02/03/2022	588000	एम0एस0 राजबहादुर सिंह
			18/04/2022	409490	
			योग	997490	
38	ग्राम बढ़ारी कलां से प्लांट तक	998000	18/05/2022	997619	एम0एस0 सुशील कुमार
39	ग्राम नीवरी मडांवर सड़क से गांव तक	992000	09/03/2022	868000	एम0एस0 फौजी कंस्ट्रक्शन
			25/03/2022	123661	
			योग	991661	
40	भीकमपुर में स्वर्गीय बृजकिशोर के घर से बम्बा की ओर	991000	17/05/2022	990139	एम0एस0 जे0पी0 कंस्ट्रक्शन
41	ग्राम अट्टूपुर में विवेक के घर से प्रा0पा0 तक इण्टर लॉकिंग	995000	22/03/2022	994309	एम0एस0 जाहरवीर गोगा इण्टरप्राइजेज
42	ग्राम चंदवा में बिहारीलाल के घर से महिपाल के खेत तक इण्टर लॉकिंग	987000	24/03/2022	986378	एम0एस0 जाहरवीर गोगा इण्टरप्राइजेज
43	नगला बदन में राजू के घर से बाज नगर तक इण्टर लॉकिंग	991000	26/03/2022	990013	एम0एस0 जाहरवीर गोगा इण्टरप्राइजेज
44	ग्राम रहीम नगर में डामर रोड तसे बाईपास डा0 तेज सिंह की झोपड़ी तक सी0सी0 कार्य	4746000	30/11/2021	1150240	एम0एस0 एम0आर0 ट्रेडर्स
			15/03/2022	2191840	
			योग	3342080	
45	कासगंज चांडी मार्ग पर नगला वादिक रूपवती इण्टर कालेज तक इण्टर लॉकिंग कार्य	602000	18/10/2021	528544	एम0एस0 कुश इण्टरप्राइजेज
			23/11/2021	71043	
			योग	599587	
46	पिथनपुर में हसनपुर रोड से अकावली मेमोरियल स्कूल तक इण्टर लॉकिंग	398000	16/10/2021	279418	एम0एस0 कुश इण्टरप्राइजेज
			25/11/2021	116932	
			योग	396350	
47	नगला याक करन में जू0 हाई स्कूल तक इण्टर लॉकिंग	670000	03/10/2022	670000	एम0एस0 भगवती प्रसाद
48	ग्राम ढूढरा लियाकत अली स्कूल से कब्रिस्तान तक इण्टर लॉकिंग	983000	06/10/2021	853440	एम0एस0 बालाजी कंस्ट्रक्शन
			07/12/2021	129799	
			योग	983239	
49	ग्राम टिम्रउआ स्वर्गद्वारी से नगला मलखान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	623000	10/11/2021	544320	एम0एस0 डी0सी0 कंस्ट्रक्शन
			14/12/2021	78714	

			योग	623034	
50	ग्राम पंचायत सुनगढ़ी में वनखण्डी आश्रम से मुकुल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	983000	10/11/2021	861280	एम0एस0 जे0पी0 कंस्ट्रक्शन
			14/12/2021	116404	
			योग	977684	
51	नगला देवी में तालेवर के घर से कच्ची नाली तक नाला निर्माण कार्य	680000	26/11/2021	618000	एम0एस0 दिनेश कंस्ट्रक्शन
52	नगला गणेश में हबीब के प्लाट से पुलिया तक नाला निर्माण	531000	28/12/2021	411040	एम0एस0 सतगुरू इण्टरप्राइजेज
कुल योग				650397187	

इस प्रकार उप खनिज की खरीद पर व्यय की गयी धनरशि पर काटी गयी रॉयल्टी का 5 गुना संबंधित ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 19

प्रस्तर 13- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 में दी गई व्यवस्था में स्पष्ट है कि 5 लाख रूपये से अधिक किन्तु 10 लाख रूपये से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधीशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा एवं 10 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा इन निरीक्षणों को कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है। जो निर्धारित व्यवस्था का अस्पष्ट उलंघन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक के कार्य की लागत रूपये 27451495 है। 10 लाख रूपये से अधिक के कार्य की कुल लागत रू0 37066758 है। इस प्रकार कुल लागत रू0 64518253 एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है। इसके लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः इस संबंध में निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

10 लाख रूपये से कम लागत की सूची

क्रम	कार्य का नाम	भुगतान
1	ग्राम कछेला शेरपुर में मेन रोड से बाबा साहेब के पार्क तक इण्टर लॉकिंग कार्य	926957
2	ग्राम पिथनपुर में मेन रोड से जबर सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	563989
3	ग्राम पिथनपुर में दूसरे पशु आश्रय स्थल का निर्माण कार्य	757120
4	ग्राम नगला धनसिंहपुर में बाइपास पर इण्टर लॉकिंग कार्य	639048
5	ग्राम काला अन्धा में डामर रोड से पुलिया तक इण्टर लॉकिंग	980669
6	ग्राम बाहपुर में बम्बा की पुलिया से लक्ष्मी नारायण के घर तक इण्टर लॉकिंग	997486
7	नगला सुमरा में केशपाल के घर से सुरेश के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य	996362
8	ग्राम जवाहरपुर में शीशपाल दूधिया के घर से बांधतक इण्टर लॉकिंग कार्य	811687

9	नगला सूमरा में शमशान घाट से कुंवरपाल के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य	996114
10	नगला किन्नर से नाले तक नाला निर्माण कार्य	997688
11	थाना गांव में शाहवीर फौजी के मकान से पुराने नाले तक इण्टर लॉकिंग	991922
12	ग्राम सनौढ़ी में सत्यपाल मुन्नी के प्लाट से तालाब तक इंटर लॉकिंग कार्य	997801
13	ग्राम खाता में नन्नू पुत्र बलवन्त के घर से पाना सिंह के खेत तक इण्टर लॉकिंग कार्य	490912
14	ग्राम जमालपुर में ज्वाला प्रसाद के घर से महावीर के प्लाटतक इण्टर लॉकिंग	989012
15	ग्राम लल्लूपुरा में तालाब तक इण्टर लॉकिंग कार्य	780240
16	ग्राम मोहनी में मन्दिर के पास इण्टर लॉकिंग	998331
17	ग्राम चिरौला खाता में शीलेन्द्र शाक्य के घर से भगवान सिंह के खेत तक इण्टर लॉकिंग	860160
18	कासिमपुर मिहारी के न0 कोठी में मन्दिर से राम प्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग	501760
19	नगला बेनी में पीपल से पुराने नाले की ओर इण्टर लॉकिंग	870960
20	रामविलास के कालेज से ग्राम बहोरा की ओर नाला निर्माण	955481
21	ग्राम अलीपुर पर मरधनपुलिया से सीताराम के खेत के आगे तालाब तक इण्टर लॉकिंग	743951
22	ग्राम नगला ताल में छेदालाल के घर से नगला सैप्पा के तालाब तक इण्टर लॉकिंग	672632
23	ग्राम मोहनी में काली नदी की ओर इण्टर लॉकिंग	997302
24	ग्राम बसई मुर्गी फार्म से तालाब तक इण्टर लॉकिंग	986302
25	सरसई बन मेन सड़क से तालाब तक इण्टर लॉकिंग	997490
26	ग्राम बढ़ारी कलां से प्लांट तक इण्टर लॉकिंग	997619
27	ग्राम नीवरी मडांवर सड़क से गांव तक इण्टर लॉकिंग	991661
28	भीकमपुर में स्वर्गीय बृजकिशोर के घर से बम्बा की ओर	990139
29	ग्राम अट्टूपुर में विवेक के घर से प्रा0पा0 तक इण्टर लॉकिंग	994309
30	ग्राम चंदवा में बिहारीलाल के घर से महिपाल के खेत तक इण्टर लॉकिंग	986378
31	नगला बदन में राजू के घर से बाज नगर तक इण्टर लॉकिंग	990013
	कुल योग	27451495

10 लाख रूपये से अधिक लागत की सूची

क्रम	कार्य का नाम	भुगतान
1	गुड़गुड़ी मार्ग से ब्रहमपुरी मार्ग तक अवशेष लेपन कार्य	1469180
2	ग्राम दुलाई से नहर तक सी0सी0 कार्य	1837490
3	ग्राम नगला लाले में जल निकासी हेतु नाला निर्माण	4465897
4	सागरपुर से गंगागढ़ मार्ग पर लेपन कार्य	865667
5	ग्राम बकराई से करसैना मार्ग पर लेपन कार्य	3585491
6	नवाबगंज सराय पुलिस चौकी से अमरगुरू देव स्थान तक लेपन कार्य	4155810
7	नगला टरी में रघुराज के घर से पुरानी इण्टर लॉकिंग तक सी0सी0 कार्य	1169323
8	एटा अमांपुर मार्ग से अल्लीपुर में प्रकाश के फार्मके मार्ग पर सी0सी0 कार्य	1874880
9	तानपुर से बूढ़ी गंगा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	2335225
10	के0एम0सी0 चिरौला रोड से नगला भगना बाबा साहेब की मूर्ति तक सी0सी0 निर्माण कार्य	3469236
11	समसपुर कब्रिस्तान से बम्बा तक सी0सी0 निर्माण कार्य	4203529
12	गंगा अशोकपुर में बारात घर से सुमेर तक डामर रोड तक सी0सी0 कार्य	4292950
13	ग्राम रहीम नगर में डामर रोड तसे बाईपास डा0 तेज सिंह की झोपड़ी तक सी0सी0 कार्य	3342080
	कुल योग	37066758

आपत्ति संख्या- पूरक आप0 01

प्रस्तर 14- निर्माण सामग्रियों की प्रयोगशाला में जांच की रिपोर्ट एवं क्वालिटी एसोरेन्स पंजिका का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना।

मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 दिनांक 01.09.2020 के पत्र एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्रांक एम-118/ग्रा0अ0से0/रोड/अम्वे0 सेल/विशिष्टियों/2008-09 दिनांक 27.11.2008 द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए व्यापक दिशा निर्देश के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान स्ट्रैन्थ ऑफ कॉनक्रीट (आई एसः 516) की जांच हेतु प्रतिदिन न्यूनतम 6 क्यूब्स (3 क्यूब्स फोर 7 डेज एण्ड 3 क्यूब्स फोर 28 डेज) प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रयुक्त की जा रही निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता परीक्षण करने के संबंध में निर्देशित किया गया था कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता परक ढंग से सम्पादित करने हेतु निर्माण सामग्रियों का निर्माण में प्रयोग होने से पूर्व परीक्षण करने तथा परीक्षण परिणामों को क्वालिटी एश्योरेंस रजिस्टर में अंकित किया जाए।

जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये कार्यों के उपलब्ध कराए गए लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जिला पंचायत में कार्यों के निर्माण में लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों का पालन किया जाता है। किंतु विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण एवं कन्टीजेन्सी मदों पर प्राकलन में प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि इस प्रकार का प्रावधान करने से ही कार्य गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित की जा सकती है, कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। कार्यों का विवरण निम्नवत है जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण एवं कन्टीजेन्सी मदों हेतु प्राकलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

क्रम	कार्य का नाम	भुगतान
1	नौगांव में मास्टर बिहारी के मकान से बाईपासपर इण्टर लॉकिंग कार्य	974002
2	नदरई दिलावर के घर से शमशान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	902056
3	नगला कुबेर में बालेश्वर के खेत से राम अवतार के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	991364
4	नगला खेमई दामर सड़क से ग्राम खेड़ा तक इण्टर लॉकिंग	991902
5	नगला तिलक रोड़ से होली चौक तक इण्टर लॉकिंग	992015
6	नगला में दयाराम के घर से कुरामई मार्ग पर इण्टर लॉकिंग कार्य	994059
7	नगला लोचन में बम्बा पुल से गांव तक इण्टर लॉकिंग कार्य	992067
8	अरोरा खड़ुइया सम्पर्क मार्ग से ग्राम खड़ुइया में पीपल महाराज तक इण्टर लॉकिंग कार्य	987218
9	ग्राम अजीजपुर के मजराजात नगला मरिया के सम्पर्क मार्ग से प्रा0 पाठशाला तक इण्टर लॉकिंग	985994
10	गंजडुण्डवारा ब्लाक के निकट गनेशपुर ईदगाह से पश्चिम की ओर कब्रिस्तान तक	933343
11	ग्राम खुड़ईया में बौद्ध विहार से मडिया मार्ग तक इण्टर लॉकिंग	987397
12	ग्राम ढूंढरा लियाकत अली स्कूल से कब्रिस्तान तक इण्टर लॉकिंग	983239
13	ग्राम बल्लूपुर में भरगैन मार्ग से ग्राम तक इण्टर लॉकिंग	564807
14	ग्राम कोटर में अमर सिंह पूर्व प्रधान के घर के सामने इण्टर लॉकिंग	946749
15	ग्राम रिकैरा में मेन सड़क से ट्रांस्फारमर तक इण्टर लॉकिंग	993694
16	ग्राम रिकैरा में गंगा चबूतरा के सामने इण्टर लॉकिंग	993717
17	ग्राम टिकरूआ में स्वर्गद्वारी मार्ग से नगला मलखान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	623034
18	ग्राम सुवगढ़ी में बनखंडी आश्रम से मुकुल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	977684
19	ग्राम कछेला में समाधि से टंकी तक इण्टर लॉकिंग कार्य	926900

20	ग्राम कछेला सलेमपुर में मेन रोड से बाबा साहेब के पार्क तक इण्टर लॉकिंग कार्य	926957
21	ग्राम कलुआ काला में सरकारी नल से धीर सिंह के प्लॉट तक इण्टर लॉकिंग कार्य	990333
22	ग्राम सुनगढ़ी में सम्पर्क मार्ग से बाबू राम से श्याम पाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	980605
23	ग्राम दहेली खुर्द में माता मन्दिर के सामने इण्टर लॉकिंग कार्य	983977
24	ग्राम जखा में प्रतीक्षालय से भगवानदास के घर इण्टर लॉकिंग	691365
25	ग्राम नरई में राजपाल के घर से तिराहे तक इण्टर लॉकिंग	1252837
26	नगला सूमरा में प्रा0 स्कूल से सौदान के खेत तक इण्टर लॉकिंग	996914
27	ग्राम चौगवा में नहर बाईपास से इण्टर लॉकिंग कार्य	758295
28	ग्राम अल्हैपुर में डामर सड़क से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग	978143
29	ग्राम गुनार में डामर रोड से क्षत्रीय बाबा आश्रम तक इण्टर लॉकिंग कार्य	990479
30	कासगंज चांडी मार्ग पर नगला वादिक रूपवती इण्टर कालेज तक इण्टर लॉकिंग कार्य	599587
31	पिथनपुर में हसनपुर रोड से अकावली मेमोरियल स्कूल तक इण्टर लॉकिंग	396350
32	नगला याक करन में जू0 हाई स्कूल तक इण्टर लॉकिंग	670000
33	ग्राम ढूढरा लियाकत अली स्कूल से कब्रिस्तान तक इण्टर लॉकिंग	983239
34	नगला देवी में तालेवर के घर से कच्ची नाली तक नाला निर्माण कार्य	618000
35	नगला गणेश में हबीब के प्लाट से पुलिया तक नाला निर्माण	411040
	कुल योग	30969362

जिला पंचायत कासगंज के उपरोक्त कार्यों की निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया की निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु गठित समिति/जांच कमेटी की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई और न ही गुणवत्ता जांच प्रबन्धन हेतु कोई धनराशि आवंटित की गई है। अतः रू0 30969362 की निर्माण सामग्रियों की प्रयोगशाला में जांच की रिपोर्ट एवं क्वालिटी एश्योरेंस पंजीका अप्रस्तुत होने से उक्त धनराशि को अनियमित व्यय का प्रकरण है। इसके लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- पूरक आप0 02

प्रस्तर 15- जिला पंचायत कासगंज के वर्ष 2021-22 के दौरान पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेपन कार्य हेतु प्रयुक्त किये गये बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाईनरी से लिए जाने के निर्देश थे। लेकिन प्रस्तुत पत्रावलियों में बिटुमिन की आपूर्ति से संबंधित कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिटुमिन की आपूर्ति रिफाईनरी से न कर अन्यत्र से की गई है। जोकि शासनादेश के विपरीत है। शासनादेश संख्या- 1408/23.03.2009/62(जनरल)/08 टी0सी0, लोक निर्माण विभाग-3 लखनऊ- दिनांक- 08 मई 2009 के अनुसार सड़क निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु विटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाईनरी से लिए जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं।

1. कान्ट्रैक्टर द्वारा बिटुमिन की आपूर्ति रिफाईनरी से ही प्राप्त की जायेगी। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रिफाईनरी से प्राप्त किये गये बिटुमिन का प्रमाण यथा- रिफाईनरी को दिए गए आपूर्ति आदेश, बैंक ड्राफ्ट द्वारा किये गये भुगतान की रसीद कान्ट्रैक्टर से प्राप्त किया जायेगा।
2. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा जब बिटुमिन की मूल इनबॉइस कान्ट्रैक्टर द्वारा प्रस्तुत की जाये और इनबॉइस को क्रास कर बिल के साथ लगा दिया जाये।

जिला पंचायत में उक्त दोनों की निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सड़क में प्रयुक्त बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाईनरी से नहीं की गयी है। तथा नियमों के विपरीत ठेकेदारों को बिल का भुगतान कर दिया गया है। जिससे सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। अतः रू0

10786645 अनियमित व्यय के लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं।

क्रम	कार्य का नाम	भुगतान
1	कासगंज चांडी सहावर मार्ग मुनब्बरपुर तक लेपन कार्य	710497
2	गुड़गुड़ी मार्ग से ब्रहमपुरी मार्ग तक अवशेष लेपन कार्य	1469180
3	सागरपुर से गंगागढ़ मार्ग पर लेपन कार्य	865667
4	ग्राम बकराई से करसेना मार्ग पर लेपन कार्य	3585491
5	नवाबगंज सरायपुर पुलिस चौकी से अमर गुरूदेव संस्थान तक लेपन कार्य	4155810
	कुल योग	10786645

आपत्ति संख्या- पूरक आप0 03

प्रस्तर 16- ग्रामीण सड़कों के निर्माण में वर्षा का जल एवं अन्य प्रकार से जल भराव सड़कों पर न होने देने के लिए ह्यूम पाईप डलवाने की व्यवस्था की जाती है। जिससे की वारिश के मौसम में सड़के खराब न हो एवं राजकीय धन का पूरा सदुपयोग हो। आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के शासनादेश (अक्टूबर 2006) के अनुसार निर्देश भी है कि इण्डियन रोड कांग्रेस (आई0आर0सी0): एस0पी0-20 के मानकों के अनुसार ग्रामीण सड़कों के एक किलोमीटर में कम से कम 900 एम0एम0 ह्यूम पाईप की दो पुलियों का निर्माण किया जाना चाहिए। परन्तु आलोच्य वर्ष में कई कार्य ऐसे हैं जिनमें प्राक्कलन में ह्यूम पाईपों का प्रावधान किया गया है परन्तु वास्तविक कार्य में एक भी ह्यूम पाईप नहीं डाला गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रू0 में)
1	कासगंज चांडी सहावर मार्ग मुनब्बरपुर तक लेपन कार्य	710497
2	गुड़गुड़ी मार्ग से ब्रहमपुरी मार्ग तक अवशेष लेपन कार्य	1469180
3	सागरपुर से गंगागढ़ मार्ग पर लेपन कार्य	865667
4	ग्राम बकराई से करसेना मार्ग पर लेपन कार्य	3585491
5	न्वाबगंज सरायपुर पुलिस चौकी से अमर गुरूदेव संस्थान तक लेपन कार्य	4155810
6	ग्राम नरई में राजपाल के घर से तिराहे तक इण्टर लॉकिंग	1252837
7	ग्राम गुनार में डामर रोड से क्षत्रीय बाबा आश्रम तक इण्टर लॉकिंग कार्य	990479
	कुल योग	13029961

अतः रू0 13029961 धनराशि का व्यय (सड़कों के निर्माण में) बिना ह्यूम पाईप लगाये किया गया है जबकि प्राक्कलन में सड़कों को बचाने के लिए ह्यूम पाई का प्रावधान है। यह राजकीय धन का दुरूपयोग है। बिना ह्यूम पाईप लगाये सड़क निर्माण अवमानक श्रेणी का कार्य है। इस दुरूपयोग की जिम्मेदारी तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी की है।

आपत्ति संख्या- पूरक आप0 04

जनपद- अम्बेडकर नगर **मण्डल- अयोध्या**

जिला पंचायत- अकबरपुर

(लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22)

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर संख्या-1

जिला पंचायत- अकबरपुर जनपद- अंबेडकर नगर

जिला पंचायत की आडिट में कैशबुक की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत अम्बेडकर नगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5वां राज्य वित्त/15वां केन्द्र वित्त एवं निजी संशाधनों से विभिन्न तिथियों मे कैशबुक में निर्माण कार्यों पर व्यय/भुगतान दर्शित किया गया है। निर्माण कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक, आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण राजकीय अनुदान का उपभोग शासकीय मार्ग दर्शक सिद्धान्तों/नियमों/अधिनियमों एवं शासनादेशों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच नहीं की जा सकी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों पर दर्शित कुल व्यय रू0 78158046.00 की पुष्टि में व्यय पत्रावली एवं वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे आडिट में कार्य एवं व्यय/भुगतान के निर्धारित शासकीय नियमों के अनुरूप होने की जांच नहीं की जा सकी। आडिट में प्राप्त मात्र कैशबुक एवं गार्ड फाइल के आधार पर निर्माण कार्य एवं भुगतान में की गई भारी वित्तीय अनियमितता एवं गड़बड़ी प्रमाणित होती है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः-

1- कैशबुक में किए गए उक्त भुगतान विवरण से स्पष्ट है कि कई कार्यों हेतु भुगतान एक साथ किया गया है जो मैनेज्ड ठेकेदारों से कार्य कराए जाने एवं भुगतान किए जाने का संकेत है। उदाहरण स्वरूप राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता की एम0बी0 विवरण के आधार पर दिनांक 29.09.2021 में 18 भुगतान एक दिन में, 13.09.2021 में 10 भुगतान एक साथ, 15.09.2021 में 07, 18.09.2021 में 08 भुगतान एक साथ किए गए हैं। इस प्रकार सितम्बर माह में कुल 49 भुगतान किए गए हैं, जो एम0बी0 किए जाने के 6 माह से लेकर 9 महीने के पश्चात भुगतान किए गए हैं जबकि धन की उपलब्धता थी। इसी प्रकार अन्य अवर अभियंता की एम0बी0 के आधार पर भी एक साथ कई अनियमित भुगतान किए गए हैं, जो आपसी सांठगांठ कर दिए गए ठेके एवं कराए गए कार्यों तथा बिलम्ब से किए गए भुगतान में किए गए भारी वित्तीय अनियमतता की द्योतक है जिसके कारण आडिट में पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं। उक्त सभी कार्य अल्पकालीन निविदा के विषय है जिसमें किसी कार्य के पूर्ण किए जाने की अवधि अधिकतम तीन माह निर्धारित की गई है। परंतु मापी एवं भुगतान के विवरण से स्पष्ट है कोई भी कार्य समय से सम्पन्न नहीं किए जा सके हैं। उक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख एवं प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी द्वारा स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

2- कैशबुक एवं गार्ड फाइल के मिलान एवं जांच में पाया गया कि जिला पंचायत के अवर अभियंताओं द्वारा एक दिन में तीन से चार एम0बी0 की गई दर्शित है जो कार्य की नाप की गुणवत्ता एवं कार्य स्थलों की दूरी एवं एक जे0ई0 की कार्य क्षमता के अनुसार वर्जनीय है। उक्त प्रकार से की गई एम0बी0 जो लगभग पचासों किलो मीटर दूर विभिन्न विकास खण्डों में कराए गए कार्यों से सम्बन्धित हो सकती है। इनकी दूरी का पता कार्यों के नाम आधे-अधूरे अंकित किए जाने के कारण नहीं हो सका है। इस प्रकार बिना साइट पर जाकर

माप लिए बगैर अवास्तविक/फर्जी एम0बी0 किए जाने की पूर्ण संभवना है क्योंकि कार्य का नाम पूर्ण रूप से न लिखे जाने के कारण प्रारंभिक बिन्दु एवं अंतिम बिन्दु तथा विकास खण्ड का पता नहीं चल सका। यह स्थिति ठेकेदार, अवर अभियंता एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की आपसी सांठगांठ कर कराए गए कार्य एवं किए गए भुगतान में भारी वित्तीय अनियमतता का द्योतक है।

3- कैशबुक एवं गार्ड फाइल के मिलान एवं जांच में पाया गया कि जिला पंचायत के अवर अभियाताओं द्वारा एक ही वित्तीय वर्ष में कई एम0बी0 एक साथ प्रयोग की गई हैं। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम 36 के उप नियम (3) के विपरीत जिला पंचायत में अवर अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद को एक साथ कुल 09 एम0बी0 नं0 71, 74, 77, 78, 73, 79, 82, 84 एवं 88 जारी की गई है। इसी प्रकार अवर अभियंता श्री एम0बी0 सिंह को एक साथ एम0बी0 नं0 64, 68, 82, 69, 75, कुल 05 एम0बी0 जारी की गई थी। श्रीमती सुनीता को एक साथ एम0बी0 नं0 60, 61, 66, 80, 81, 82, 83, 85 कुल 08 एम0बी0 जारी की गई है जिससे सुविधानुसार किसी भी कार्य की एम0बी0 कभी भी की जा सके। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कई एम0बी0 जारी किए जाने के कारण अनेको एम0बी0 कृत कार्यो का भुगतान बाद में की गई कार्यों की एम0बी0 के भुगतान के कई महीने बाद किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुदान के सालों-साल बीत जाने का बाद भी शासन की मंशानुरूप कार्य नहीं हो पाते। समय के बीतने के साथ सामग्री एवं श्रम के मंहगे होने पर वित्तीय क्षति होती है। यह स्थिति अनियमित सांठ-गांठ एवं भारी वित्तीय अनियमितता/दुरूपयोग का द्योतक है।

4- निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई कार्य पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गई है जिससे क्रय एवं निर्माण की जांच नहीं की जा सकी। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 लेखा नियम के अध्याय III भाग-4 वाउचर पैराग्राफ 47 (छ) के अनुसार "स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित आदेश या बाउचर के बिना किसी भी धन का भुगतान नहीं किया जाएगा।" उक्त लेखा नियम के पैराग्राफ 50 से अनुसार "प्रत्येक बाउचर को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से दावा प्रस्तुत किया गया है भुगतान कि एक अभिस्वीकृति को इसमें संलग्न करना चाहिए।" परंतु जिला पंचायत में सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए स्वयं से जिला पंचायत के प्रारूप पर बिल बनाकर भुगतान कर दिया जाता है। सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए भुगतान किया जाना उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 ठेका की शर्तें खण्ड 10 एवं 11 के विपरीत है जिसमें बिना बिल के भुगतान किया जाना वर्जित है। अतः स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित किए गए हैं।

5- शासनादेश सं0-1408/23-03-2009-62(जनरल)/08 दिनांक 08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा विटुमिन का सीधे क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं विटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा विटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा, जब विटुमिन की मूल इनवायस ठीकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाय। परन्तु उक्त विवरण में दर्शित पिच व लेपन कार्य की पत्रावलिया आडिट में प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रकरण की जांच नहीं की जा सकी। सभी निर्माण कार्य पत्रावलिया आडिट में प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

6- आडिट में उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रारंभिक परियोजना एवं प्रस्ताव की जांच उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 3 के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण समिति, तत्पश्चात कार्य समिति तथा अंत में दोनों समितयों की सिफारिश सहित जिला पंचायत को प्रेषित एवं अनुमोदित होने की स्थिति का ज्ञान कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना एवं कार्य पत्रावली के अभाव में नही हो सका।

7- पत्रावली के अभाव में उ0प्र0क्षे0प0 एवं जि0प0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुरूप उक्त कार्यों हेतु टेण्डरों के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के नियमानुसार होने एवं तद्नुसार भुगतान होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

8- उक्त कार्यों की माप पुस्तिका बार-बार आडिट में मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित के परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की जा सकी। यह स्थिति राजकीय हितों के विपरीत एवं आडिट जैसे महत्वपूर्ण राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही पूर्ण तथा आडिट से बचना है।

9- बिना व्यय प्रमाणक/वाउचर उक्त कार्यों पर किया गया भुगतान उ0प्र0 जिला पं0/क्षे0प0(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64, जिसमें प्राविधानित है कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय जो स्वयं दावेदार का बिल होगा एवं नियम 82 यह कि "बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीदो के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा" के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

10- पत्रावली के अभाव में निर्माण काल के पहले, बीच में एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लिए गए तीन स्टेप के छायाचित्र एवं अन्य पुष्टि परक प्रमाणक भी अप्राप्त रहे जिससे सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी।

11- शासनादेश सं0-1838/33-3-15-03/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्य में रू0 1000000.00 (रू0 दस लाख) की लागत से अधिक की परियोजनायें अधिकांश रूप में अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करेगी तथा जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किये जा सकता है वो उसी स्तर पर कराए जांय एवं जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्य न कराए जांय। जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभांवित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी। परन्तु उक्त शासनादेश के विपरीत वर्ष 2021-22 में अधिकांश कार्य 10 लाख से कम लागत के एवं एक ही ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया जाना विवरण से प्रतीत हो रहा है, परंतु पत्रावलियां प्रस्तुत न होने के कारण उक्त की पुष्टि नहीं का जा सकी है पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

12- आपत्ति के विवरण से स्पष्ट है कि अधिकांश परियोजनाओं के नाम से निर्माण कार्य के स्थान एवं प्रारंभिक तथा अंतिम बिन्दु को लैण्डमार्क से चिन्हित नहीं किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण अंकित किए जाने चाहिए। यह स्थिति पूर्णतया अनियमित एवं शासनादेश सं0-1838/33-2015-3/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31 जुलाई 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है। कार्य योजना में निर्माण कार्यों के नाम को उन समस्त सूचनाओं से आच्छादित किया जाना चाहिए जिससे कार्य के कराए जाने के स्थान की स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

13- जनपद में प्रति वर्ष लगने वाले गोबिन्द साहब मेले के नाम पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 16250423.00 का भुगतान एम0बी0 विवरण के आधार पर किया गया था । उक्त की भांति आलोच्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी कुल रू0 1412532.00 का भुगतान रमेश कुमार जे0ई0 की एम0बी0 विवरण के आधार पर किया गया है। जिसमें से रु0 374771.00 छोलदारी, अलाव एवं प्रकाश व्यवस्था आदि पर खर्च दर्शित है। इस मद में रू0 754771.00 वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी दर्शित किया गया था। मेले के नाम पर दर्शित उक्त कुल व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली एवं एम0बी0 उपलब्ध नहीं कराई गई जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 ठेका की शर्तें खण्ड 10 एवं 11, उ0प्र0 जिला पं0/क्षे0प0(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 लेखा नियम के अध्याय III भाग-4 वाउचर पैराग्राफ 47 (छ) के विपरीत है इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

14- गोबिन्द साहब मेले के नाम पर पूर्व वर्षों में भी प्रत्येक वर्ष तमाम निर्माण कार्यों पर एवं अन्य प्रकार के व्यय किए गए हैं जिनके सम्बन्ध में निर्माण कार्य रजिस्टर/कार्य की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा सकी जिससे कार्य पर पुनर्व्ययन की प्रबल संभावना है। अतः कार्यों पर किये गये पुनर्व्ययन की जांच नहीं की जा सकी। वित्तीय वर्ष 2020-21 की भांति 2021-22 में भी कराए गए कार्यों की सुची आडिट में उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे सम्बन्धित जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेख आडिट में उपलब्ध न कराना राजकीय दायित्व के प्रति घोर उदासीनता है।

15- शासनादेश दिनांक 15.10.2015 बिन्दु सं0-3(3) के अनुसार रायल्टी की कटौती न होने की दशा में 6 गुना धनराशि वसूली योग्य है। परंतु उक्त पत्रावलियां प्रस्तुत न किए जाने के कारण रायल्टी कटौती एवं जमा की जांच नहीं की जा सकी।

16- आडिट में पाया गया कि उक्त सारणी में दर्शित भुगतान के सापेक्ष बिलों से काटी गई आइ0टी0, जी0एस0टी0 लेबर सेस, सेक्योरिटी, पेनाल्टी आदि कटौतियों के सापेक्ष किसी का विवरण निर्धारित रजिस्टर पर नहीं रखा गया है। सभी कटौतियां सीधे भुगतान के समय भुगतान पत्र पर काटी गई हैं परंतु सभी कटौतियों के समय से एवं सही रूप से जमा होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। कुछ कटौतियों के सम्बन्ध में विवरण भी नहीं अंकित किया गया है कि किस मद की कटौती की गई है। अतः समुचित एवं सही जांच नहीं की जा सकी। उक्त आपत्ति के स्पष्टीकरण के साथ सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिससे कार्यों पर पुनर्व्यय की जांच एवं पुष्टि की जा सके।

17- जिला पंचायत की कैशबुक की जांच में पाया गया कि जिला निधि मद अंकित कर वा0नं0 85 दिनांक 12.08.2021 को रू0 776297.00 15वां वित्त आयोग अनटाइड मद से तारकोल ढुलाई भुगतान भवानी ट्रवेल्स को एम0बी0 के आधार पर व्यय दर्शित किया गया है। इसके वाउचर के रूप में जिला पंचायत में प्रिंट चालू लेखा/आंतरिक लेखा बिल का प्रयोग किया गया है। भवानी ट्रवेल्स का कोई बिल अथवा तारकोल क्रय से सम्बन्धित कोई प्रमाण/स्टाक बुक की प्रमाणित प्रति आदि गार्ड फाइल में संलग्न नहीं पाया गया अतः भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

18- आडिट में पाया गया कि कैशबुक में तारकोल क्रय हेतु चेक संख्या 405885 दिनांक 05.01.2021 में वाउचर नं0 77 से रू0 7738263.00 जिला निधि खाते में ट्रांसफर किया जाना अंकित करते हुए दिनांक 16.08.2021 को वा0नं0 शून्य से इण्डियन आयल को आरटीजीएस से भुगतान दर्शाया गया है। कैशबुक विवरण में दिनांक 06.08.2021 में आरटीजीएस दिखाया गया है परंतु इसका अंकन 06.08.2021 में नहीं है। उक्त मदांतरण/स्थानांतरण से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का कोई आदेश एवं नियमानुसार स्थानांतरण से सम्बन्ध में कोई पुष्टिपरक प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 7738263.00 का स्थानांतरण सही एवं नियमीनुसार होने की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से रु० किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। **(यह आडिट आनलाइऩ में आपत्ति संख्या 34 की समाप्ति के बाद क्रमांक 02 होकर दर्शित है।) (मूल आपत्ति संख्या-34/18**

अतः उक्त विवरण में शामिल पत्रावली एवं प्रमाणक विहीन भुगतानित कुल धनराशि रू0 78158046.00 (आपत्ति संख्या 34/01 से 34/17 तक) एवं रू0 7738263.00 (आपत्ति संख्या 34/18) के सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत सम्बद्ध व्यक्ति से संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के उपनियम (2क) के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता, सम्बन्धित अवर अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता एवं निर्माण लिपिक से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2

जिला पंचायत- अकबरपुर जनपद- अंबेडकर नगर

आडिट में पाया गया कि कैशबुक में तारकोल क्रय हेतु चेक संख्या 405885 दिनांक 05.01.2021 में वाउचर नं0 77 से रू0 7738263.00 जिला निधि खाते में ट्रांसफर किया जाना अंकित करते हुए दिनांक 16.08.2021 को वा0नं0 शून्य से इण्डियन आयल को आरटीजीएस से भुगतान दर्शाया गया है। कैशबुक विवरण में दिनांक 06.08.2021 में आरटीजीएस दिखाया गया है परंतु इसका अंकन 06.08.2021 में नहीं है। उक्त मदांतरण/स्थानांतरण से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का कोई आदेश एवं नियमानुसार स्थानांतरण से सम्बन्ध में कोई पुष्टिपरक प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 7738263.00 का स्थानांतरण सही एवं नियमीनुसार होने की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से रु० किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।

अतः उक्त विवरण में शामिल पत्रावली एवं प्रमाणक विहीन भुगतानित कुल धनराशि रू0 7738263.00 के सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत सम्बद्ध व्यक्ति से संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के उपनियम (2क) के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव एवं श्रीकांत दूबे, अभियंता श्री जयराम सिंह एवं श्री अखिलेश, सम्बन्धित अवर अभियंता श्री रमेश कुमार, श्री राजेन्द्र प्रसाद, एम0बी0 सिंह एवं सुनीता, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं श्री रवि कुमार एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर, दिनेश कुमार पाण्डेय तथा दुर्गा प्रसाद सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-34/18)**

प्रस्तर संख्या-3

जिला पंचायत- अकबरपुर जनपद- अंबेडकर नगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.07.2021 में वा0 नं0 27 से 52 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 100055.00 जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के प्रयोगार्थ वाहन संख्या यूपी 45 0111 हेतु तेल क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसकी पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण इसके मांग का

कारण की जानकारी एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। लागबुक भी अप्राप्त रही अतः इससे की गई यात्रा एवं प्रयुक्त तेल की मात्रा एवं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ड्राइवर की स्थिति तथा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के यात्रा सत्यापन आदि की जानकारी नहीं की जा सकी। इसकी पत्रावली एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री चैतन्य कुमार से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में कुल रू0 100055.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री चैतन्य कुमार से किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-37)**

प्रस्तर संख्या-4

जिला पंचायत- अकबरपुर जनपद- अंबेडकर नगर

आडिट में पाया गया कि वा0नं0 17 दिनांक 10.08.2021 में रू0 32250.00 श्री अखिलेश प्रताप सिंह को टैक्स रिटर्न फाइल का भुगतान किया गया परंतु धनराशि प्राप्ति रसीद पर उनके हस्ताक्षर अप्राप्त हैं। इससे सम्बन्धित प्रत्रावली आदि भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः व्यय अनियमित प्रमाणक के आधार पर किया गया है इस सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अनुसार उक्त का स्पष्टीकरण सम्बन्धित व्यक्ति को संसुचित किए जाने के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर आडिट विभाग को प्रस्तत करना अनिवार्य है। अन्यथा कि स्थिति में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री चैतन्य कुमार से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में कुल रू0 32250.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री चैतन्य कुमार से किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-38)**

प्रस्तर संख्या-5

जिला पंचायत- अकबरपुर जनपद- अंबेडकर नगर

आडिट वर्ष 2021-22 में प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि दिनांक 15.07.2021 में वा0नं0 25 एवं 26 से क्रमशः रू0 97443 एवं रू0 55688 कुल रू0 153131 के विद्युत बिल का भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि क्रमशः प्रथम बिल डुप्लीकेट एवं दूसरा रिवाइज्ड एवं फोटोकापी भुगतान के लिए प्रयोग किया गया है। दोनों बिल भुगतान के लिए उचित प्रमाण नहीं है। ओरिजनल बिल प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण के साथ जांच कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री चैतन्य कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-41)

जनपद-अमेठी मण्डल का नामः- अयोध्या

नाम संस्था - जिला पंचायत वर्ष - 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या - 01

आलोच्य वर्ष 2021-22 के निर्माण काय्र पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत अमेठी के इकरारनामें के अनुसार यदि कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कराया जाता है तो टैण्डर की धनराशि का न्यूनतम 1 प्रतिशत या अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा ऐसी अल्प धनराशि जो अपर मुख्य अधिकारी परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे, किन्तु 1 प्रतिशत से कम न हो, ठेकेदार के बिल से वसूल कर जिला निधि खाते में जमा की जायंगी। किन्तु पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्धारित दर अनुसार अर्थदण्ड न वसूल कर मनमानी ढंग से वसूली किया गया है जो जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम के निर्धारित नियमानुसार नहीं है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	टेण्डर की धनराशि	अर्थदण्ड जो काटा गया	1% की दर से अर्थदण्ड	कम कटौती/ वसूली की धनराशि
1	ग्राम सभा इन्हौना मोहनगंज मुख्य मार्ग से जनता हास्पिटल होते हुये आरिफ शेख के घर की ओर सी.सी. कार्य।	1293607.00	500.00	12936.00	12436.00
2	नहर पुल बालापुर मजरे शाहमऊ में पुल से रामविलास के घर की ओर सी.सी. कार्य।	1380272.00	1000.00	13802.00	12802.00
3	ग्राम सभा जहुरी गरथोलिया के अन्तर्गत पक्की सड़क से सन्तराम के घर की ओर सी.सी. कार्य।	1272433.00	1500.00	12724.00	11224.00
4	ग्राम सभा ऊंचगांव के कलन्दरगढ़ में पिच रोड से मोतीन के घर की ओर सी.सी. कार्य।	994401.00	1000.00	9944.00	8944.00
5	हरीराम गौतम के दरवाजे से लेकर अम्बेडकर पार्क की ओर सी.सी. कार्य।	993827.00	1000.00	9938.00	8938.00
6	अमेठी-धम्मौर रोड से वीरमपुर गांव की ओर सी.सी. कार्य।	1211623.00	1000.00	12116.00	11116.00
7	पूरे स्वयंवर शुक्ल जगदीशपुर-बाजार शुकुल सम्पर्क मार्ग से होतु हुये नीरज शुक्ला के घर की ओर सी.सी. कार्य।	1649918.00	1000.00	16499.00	15499.00
	योग वसूली				80959.00

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि इकरारनामें के अनुसार अर्थदण्ड न काटकर सम्बन्धित ठेकेदार को अधिक भुगतान कर प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है। आपत्ति के निराकरण हेतु आपत्ति पत्र संस्था को दिया गया, किन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः इस अनियमितता हेतु सम्बन्धित लिपिक, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। रू0 80959.00 की वसूली उपरोक्त तीनों व्यक्तियों से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 02

संस्था के अनुदान रजिस्टर में पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि प्रारम्भिक शेष रू0 30689.00 विगत कई वर्षों से यथावत दर्शित चली आ रही थी, जिसे आलोच्य वर्ष में व्यय नहीं किया गया है औदिनांक 31.03.2022 को अन्तिम शेष में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अनुदान की धनराशि बगैर व्यय किये अनुदान रजिस्टर से हटा देना अपहरण

की श्रेणी में आता है। अतः स्थिति स्पष्ट करने हेतु अन्तरिम आपत्ति पत्र संस्था को दिया गया किन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की धनराशि बगैर व्यय किये अनुदान रजिस्टर से हटाने/अपहरण करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है जिनसे बराबर-बराबर भाग में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 03

संस्था के हड्डी-चमड़ा रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को रू0 240068.00 बकाया वसूली हेतु शेष धनराशि विगत कई वर्षों से यथापत दर्शित चला आ रहा है। विवरण निम्न प्रकार है-

वित्तीय वर्ष	बकाया धनराशि
2001-02	20000-00
2003-04	46275-00
2009-10	7500-00
2010-11	40643-00
2011-12	12185-00
2012-13	20600-00
2013-14	20000-00
2015-16	17000-00
2016-17	33480-00
2017-18	18260-00
2018-19	3275-00
2020-21	850-00
Total-	240068-00

उपरोक्तानुसार हड्डी-चमड़ा लाइसेन्स शुल्क बकाया धनराशि रू0 240068-00 की वसूली हेतु ठोस प्रयास संस्था के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। वसूली न होने के कारण संस्था को भारी आर्थिक क्षति हो रही है जिसके लिए संस्था के कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः समुचित प्रयास कर वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 04

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 682 बी0/33-3-14(2)/84 दिनांक 10-03-87 के अनुसार एवं 2203/3-2-797-43बी(8)/95 टी0सी0 दिनांक 30-05-87 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत शव निस्तारण की आय का 50% अंश ग्राम पंचायतें को उनके विकास कार्य हेतु देय है। जिला पंचायत अमेठी में आलोच्य वर्ष में इस मद में कुल रू0 87100-00 की आय हुई है जिसका 50% धनराशि रू0 43550-00 जिला पंचायत के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायतों को उसी वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया है जो शासनादेश का उल्लंघन है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु अन्तरिम आपत्ति पत्र संस्था को दिया गया, किन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः इस अनियमितता हेतु संस्था के कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 05

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत की दुकानों से किराया वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि दुकानों का किराया वसूली हेतु न्यायोचित ठोस कार्यवाही संस्था के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। वसूली हेतु ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण दिनांक 31-03-2022 को बड़ी धनराशि दुकानों का किराया वसूली हेतु बकाया है। वसूली नहीं किये जाने के कारण संस्था को भारी आर्थिक क्षति हो रही है जिसके लिए संस्था के कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। बकाया किराया की स्थिति निम्न प्रकार है-

क्र-सं-	विकास खण्ड का नाम	स्थान का नाम जहां दुकानें हैं	दुकानों की	01-04-2021 को प्रारम्भिक	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	31-03-2022 को शेष

			संख्या	शेष			
1	भादर	प्रा0पा0 रामगंज अमेठी	13	176275	58500	68100	166675
2	अमेठी	जू0 हाईस्कूल अमेठी	30	391410	132000	272940	250470
3	जामों	पौण्ड जामों	06	37350	18000	28000	27350
4	मुसाफिरखाना	पौण्ड मुसाफिरखाना	07	39300	19800	28100	31000
5	गौरीगंज	सैठा रोड सब्जी मण्डी	10	124030	45000	95056	73974
6	गौरीगंज	जू0 हाईस्कूल गौरीगंज	16	145826	70200	165335	50691
7	गौरीगंज	कन्या प्रा0 पाठ0 गौरीगंज	12	134110	49800	121485	62425
8	गौरीगंज	कन्या पाठ0 गौरीगंज	19	281138	76200	161500	195838
9	मुसाफिरखाना	गांधी पार्क मुसाफिरखाना	30	403450	90000	168900	324550
10	जगदीशपुर	जू0 हाईस्कूल जगदीशपुर	42	994668	247620	508861	733427
11	जगदीशपुर	जू0 हाईस्कूल जगदीशपुर	38	387185	100320	126320	361185
12	जगदीशपुर	जू0 हाईस्कूल भूतल	05	110200	18000	51000	77200
		योग-	228	3224942	925440	1795597	2354785

उपरोक्तानुसार संस्था की दुकानों का बकाया किराया रू0 2354785-00 की वसूली नहीं होने के कारण संस्था की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। जिसके लिए संस्था के कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है । अतः दुकानों का बकाया किराया वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 06

जिला पंचायत अमेठी में अपर मुख्य अधिकारी के प्रयोगार्थ वाहन बोलेरो टाप मॉडल गाड़ी नं0 यूपी 32एलटी0950 दिनांक 11-08-2021 से जिला पंचायत सं संबद्ध है। पत्रावली की जांच में पाया गया कि वाहन का रजिस्ट्रेशन कामर्शियल वाहन के रूप में नहीं है। जिसके कारण परिवहन विभाग को वाहन स्वामी द्वारा प्रतिमास देय परिवहन टैक्स की धनराशि रू0 1100-00 (त्रैमासिक रू0 3300-00) की आर्थिक क्षति हो रही है। वाहन दिनांक 11-08-2021 से लेखा परीक्षा तिथि 31-03-2022 तक लगभग 20 माह से संस्था के साथ सम्बद्ध है जिसके कारण 20×1100-00 = 22000-00 से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

कामर्शियल वाहन के रूप में पंजीकरण न होने के कारण संस्था के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा वाहन स्वामी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा है जिसका दायित्व संस्था के अपर मुख्य अधिकारी का है। स्थिति निवारण हेतु संस्था को अन्तरिम आपत्ति पत्र निर्गत किया गया, किन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः वाहन सम्बद्ध तिथि से अद्यावधि तिथि तक परिवहन विभाग को देय टैक्स की धनराशि वाहन स्वामी से वसूल कर परिवहन विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में संस्था के अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी होगें। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 07

टैम्पू/टैक्सी स्टैण्ड मोहनगंज श्री अंकित कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह निवासी मोहनगंज अमेठी को अधिकतम बोली रूपया 103500-00 पर दिनांक 11-08-2021 को टेण्डर स्वीकृत हुआ है। पत्रावली की जांच में पाया गया कि 2% की दर से स्टाम्प शूल्क रू0 2070-00 का स्टाम्प संलग्न नहीं है। जिसके कारण रू0 2070-00 से राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। अतः श्री अंकित कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह से रू0 2070-00 का स्टाम्प शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित पटल प्रभारी एवं अपर मुख्य अधिकारी से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 08 जिला पंचायत अमेठी में वर्ष 2021.22 के लिए टैम्पों/ टैक्सी स्टैण्ड की नीलामी नियत तिथि पर न होकर बिलम्ब से दिनांक-10.08.2021, 11.08.2021, 17.08.2021 एवं 08.09.2021 को की गई। दिनांक 01.0420.21 से

नीलामी तिथि तक सम्बन्धित स्थलों के टैम्पों/टैक्सी स्टैण्ड शुल्क वसूली हेतु विभागीय कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, जो प्रतिदिन के नियत मानक दर से वसूली न कर संस्था को रू0153024.00 से आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारियो से कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा उक्त धनराशि से संस्था को क्षति पहुँचाने के कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है-

क्र0 सं0	विभागीय वसूली में तैनाम कर्मचारी का नाम	तैनाती स्थल का नाम	विगत 03 वर्ष की औसत पर 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ धनराशि	मानक धनराशि प्रतिदिन	दिवस तिथि 01.04.2021 से नीलामी तिथि तक	वसूली योग्य मानक धनराशि	संस्था में जमा धनराशि	वसूली योग्य धनराशि
1	श्री उदय प्रताप सिंह (रा0नि0)	सेमरौता	20892	57	132 दिन (01.04.2021 से 10.08.2021)	7524	शून्य	7524
2	श्री उदय प्रताप सिंह (रा0नि0)	मोहनगंज	90543	248	132 दिन (01.04.2021 से 10.08.2021)	32736	शून्य	32736
3	श्री उदय प्रताप सिंह (रा0नि0)	फुरसतगंज	57500	158	160 दिन (01.04.2021 से 07.09.2021)	14916	शून्य	14916
4	श्री उदय प्रताप सिंह (रा0नि0)	तिलोई	41400	113	132 दिन (01.04.2021 से 10.08.2021)	14916	शून्य	14916
5	श्री राजीव रंजन वर्मा (रा0नि0)	इन्हौना	110055	302	139 दिन (01.04.2021 से 17.08.2021)	41978	शून्य	41978
6	श्री राजीव रंजन वर्मा (रा0नि0)	बहादुर	69383	190	161 दिन (01.04.2021 से 08.09.2021)	30590	शून्य	30590
					योगः	153024		153024

प्रस्तर संख्या - 09

टैम्पों/टैक्सी स्टैण्ड पंजी के अनुसार दिनांक-31.03.2022 को रू0 496750.00 बकाया वसूली हेतु शेष धनराशि विगत कई वर्षो से यथावत दर्शित चला आ रहा है। जिसकी वसूली प्रयास जिला पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। वसूली न होने के कारण संस्था को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। अतः समुचित प्रयास कर वसूली किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में संस्था के कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 10

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा-119 के अनुसार जिला पंचायतें सम्पत्ति एवं विभवकर कर योग्य आय कर 03 प्रतिशत की दर से ऐसे व्यक्तियों पर आरोपित करेगे व वसूलेगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करते हो और उनकी कर योग्य आय रू0 12000 प्रतिवर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

जिला पंचायत,अमेठी वर्ष- 2021-22 के लिये कुल 56 पंजीकृत ठेकेदारों से टेण्डर प्राप्त करके निर्माण कार्य कराया गया है, जो जिला पंचायत के अधीन ठेकेदारी का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में करते है, उ0प्र0 जिला

पंचायत (अभिरोपण निर्धारण तथा सम्पत्ति एवं विभव कर का संग्रहण) नियम-194 के नियम-8 के अनुसार कर अधिकारी जिला पंचायत में अनुमोदन एवं तत्पश्चात बिल को निर्गत किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष 01 सूची तैयार करता है, जिला पंचायत के अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों को अपील दाखिल करने के लिये 01 माह का नोटिस जारी किया जाये, यदि कोई हो।

लेखा परीक्षा में पाया गया जिला पंचायत में पंजीकृत ठेकेदारों से सम्बन्धित एवं विभव कर की वसूली की जा रही है, वर्ष 2021-22 के लिये कुल 56 पंजीकृत ठेकेदारों से टेण्डर प्राप्त करके निर्माण कार्य कराया गया है, जो लगभग विगत वर्षो से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं, कर की वसूली नहीं की

क्र0सं0	पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या जो विगत 05 वर्षो से व्यवसाय में संलग्न है।	कर की धनराशि प्रतिवर्ष	बकाया कर की अवधि	वसूली योग्य धनराशि
1	56	6000	5 वर्ष	1680000
	योगः-			1680000

जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत,अमेठी द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों से कर की वसूली न करके जिला पंचायत को भारी क्षति पंहुचायी जा रही है, जिसका उत्तरदायित्व संस्था के कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी का है। अतः इस अनियमितता की ओर से मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी एवं पंचायतराज निदेशक का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 11

जिला पंचायत के ईट-भट्ठा लाइसेंस/नवीनीकरण रजिस्टर की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष-2021-22 में कुल पंजीकृत ईट-भट्ठा 263 के सापेक्ष 122 ईट भट्ठों से लाइसेन्स शुल्क/ नवीनीकरण धनराशि नही ली गई है विवरण निम्न हैः-

		वर्ष-2021-22	
क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल भट्ठा	बकाया भट्ठा
1	भेटुआ	17	10
2	भादर	24	12
3	अमेठी	14	08
4	शाहगढ़/अमेठी	09	06
5	गौरीगंज	23	12
6	बहादुरपुर	20	11
7	मुसाफिरखाना	33	08
8	जगदीशपुर	26	13
9	संग्रामपुर	22	08
10	जामों	24	13
11	सिंहपुर	26	12
12	तिलोई	07	05
13	बाजारशुकुल	18	04
	योग	263	122

इस प्रकार जिला पंचायत,अमेठी द्वारा ईट-भट्ठों के लाइसेंस शुल्क/नवीनीकरण शुल्क न वसूल करने से रू0 1342000.00 की क्षति पहुँचायी गई है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	वर्ष	बकाया	लाइसेंस शुल्क रू0	दण्डात्मक शुल्क	योग वसूली

		भट्ठों की संख्या	10000.00 प्रति भट्ठा	रू1000.00 प्रति भट्ठा	
1	2021-22	122	1220000	122000	1342000
	योगः-				1342000

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्ष 2021-22 में रू0 1342000 ईट-भट्ठा लाइसेंस शुल्क की वसूली न करके संस्था को भारी आर्थिक क्षति पहुँचायी गई है। ईट-भट्ठों को अवैध व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित भी किया गया। इस अनियमितता के लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी रहे। मुख्य विकास अधिकारी व पंचायतराज निदेशक का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 12

जनपद अमेठी का गठन 01.07.2010 को जिला सुल्तानपुर की 10 विकास खण्डों एवं रायबरेली जिले की 03 विकास खण्डों को मिलाकर किया गया। जनपद सुल्तानपुर की 10 विकास खण्डों में सी0पी0 टैक्स की वसूली नहीं की जाती थी, तब से लेकर लेखा परीक्षा तिथि भी जनपद सुल्तानपुर की जो 10 विकास खण्ड है, उसमें सी0पी0 टैक्स की वसूली संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।

जनपद रायबरेली की 03 विकास खण्डों में सी0पी0 टैक्स की वसूली होती है। दिनांक-31.03.2022 को 03 विकास खण्डों की सी0पी0 टैक्स बकाया की स्थिति निम्न प्रकारण् हैः-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	31.03.2022 को सी0पी0 टैक्स बकाया
1	सिंहपुर	2585017
2	बहादुरपुर	2554798
3	तिलोई	2234620
	योगः	7374435

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्था को राजस्व निरीक्षकों के घोर लापरवाही एवं निजी स्वार्थ बंसीभूत होने के कारण उपरोक्तानुसार रू0 7374435.00 सी0पी0 टैक्स की वसूली बकाया पड़ी है, जिसके लिये संस्था के कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है, एवं सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। उपरोक्तानुसार सी0पी0 टैक्स की वसूली हेतु मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी एवं पंचायतराज निदेशक ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद सुल्तानपुर की 10 विकास खण्डों से सी0पी0 टैक्स की वसूली नहीं हो रही है, जनपद का गठन हुये लगभग 13 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, किन्तु संस्था की नियमावली में अभी तक सी0पी0 टैक्स वसूली हेतु संशोधन नहीं किया गया है।

अतः संस्था की नियमावली में संशोधन कर शेष 10 विकास खण्डों में भी सी0पी0 टैक्स की वसूली करने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों एवं प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या - 13

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सामग्री आपूर्ति में प्रयुक्त एम0एम0-11 जो जनपद अमेठी के बाहर के हैं, उनका प्रयोग दर्शाकर फर्जी सामग्री आपूर्ति दर्शा कर निर्माण कार्य कराया गया है, जिसका विवरण निम्न हैः-

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	मद	कार्य की लागत	लोडिंग का स्थान	डिलीवरी का पता	एम0एम0-11 नम्बर	सामग्री का नाम
1	नहरपुर बालापुर मजरे शाहमऊ में पुल से रामविलास के घर की	15वां वित्त	1380272	बांदा	फैजाबाद	31422107017209767	मोरंग

	ओर सीसी कार्य (फर्म मकसूद अहमद)						
				बांदा	बहराइच	31422107017209410	मोरंग
				महोबा	सुल्तानपुर	3179210499009501	गिट्टी
				महोबा	गोरखपुर	3179210499004102552	गिट्टी
				महोबा	गोरखपुर	3179210499015700093	गिट्टी
				महोबा	गोरखपुर	3179210499015501247	गिट्टी
				महोबा	गोरखपुर	3179210499008201189	गिट्टी
				महोबा	गोरखपुर	3179210499015700075	गिट्टी
2	अमेठी-धम्मौर रोड़ से वीरमपुर गांव की ओर सी0सी0 कार्य (मे0 ओमवती कास्ट्र0)	15 वां वित्त	1211623	महोबा	बहराइच	31792004050023292	गिट्टी
				महोबा	बस्ती	31792004050023296	गिट्टी
				महोबा	सीतापुर	31792004050024299	गिट्टी
				महोबा	बहराइच	31792004050024294	गिट्टी
				महोबा	बहराइच	31792004050024293	गिट्टी
				महोबा	बहराइच	31792004050024292	गिट्टी
				महोबा	जौनपुर	31792004050023290	गिट्टी
				महोबा	बहराइच	31792004050023289	गिट्टी
				महोबा	गोरखपुर	31792004050023286	गिट्टी
				मुदाहा (एम0पी0)	प्रतापगढ़	2592200200000101237	गिट्टी
				इलाहाबाद	रायबरेली	31452103051301012	गिट्टी
				बांदा	बस्ती	31422107018403466	मोरंग
				इलाहाबाद	बलरामपुर	31452103051302845	गिट्टी
				इलाहाबाद	आजमगढ़	31452103051302885	गिट्टी
3	पूरे स्वंयवर शुक्ल जगदीशपुर बाजार शुकुल सम्पर्क मार्ग होते हुये नीरज शुक्ला के घर के ओर सीसी कार्य (एस0एस0 इण्टर प्राइजेज)	15 वंा वित्त	1649918	बांदा	गोरखपुर	31422107017106981	मोरंग
				बांदा	फैजाबाद	3142210707214876	मोरंग
				विश्नाखेड़ा	रायबरेली	9609202100771000358	गिट्टी
				घटहरी/एम0			
पी0	फैजाबाद	41492020000 01014135	गिट्टी				
				विश्नाखेडा	बाराबंकी	9609202100771000363	गिट्टी
				महोबा	रायबरेली	3179210499110403456	गिट्टी

				महोबा	रायबरेली	3179210499009502195	गिट्टी
				महोबा	रायबरेली	3179210499010403363	गिट्टी
				महोबा	रायबरेली	3179210499010403117	गिट्टी
4	ग्रामसभा लहुरी गरथोलिया के अन्तर्गत पक्की सड़क से सन्तराम के घर की ओर सीसी कार्य (गायत्री इण्डस्ट्रीज)	15 वां वित्त	1272433	हमीरपुर	जौनपुर	31412107022701842	मोरंग
				बांदा	फैजाबाद	31422107017211922	मोरंग
				बांदा	अयोध्या	31422107018400007	मोरंग
				बदौरकला	सुल्तानपुर	4177202000001031052	गिट्टी
				बदौरकला	सुल्तानपुर	6386202101005812067	गिट्टी
				बदौरकला	सुल्तानपुर	4177202000001031370	गिट्टी
				बदौरकला	फैजाबाद	314552103050203806	गिट्टी
				इलाहाबाद	सिद्धार्थनगर	31452103050203809	गिट्टी
				इलाहाबाद	बलरामपुर	31452103050203811	गिट्टी
				इलाहाबाद	सुल्तानपुर	41770200001031524	गिट्टी
5	ग्रामसभा इन्हौना-मोहनगंज मुख्य मार्ग से जनता हास्पिटल होते हुये आरिफ शेख के घर की ओर सीसी कार्य (फेयर डील्स)	15 वां वित्त्	1300108	मीरजापुर	चन्दौली	31622103224401418	गिट्टी
				इलाहाबाद	इलाहाबाद	31452103047106289	गिट्टी
				बांदा	लखनऊ	31452107017210385	मोरंग
				महोबा	फैजाबाद	3179210499009503251	गिट्टी
				महोबा	फैजाबाद	3179210499009502925	गिट्टी
				महोबा	फैजाबाद	3179210499009503209	गिट्टी
				महोबा	फैजाबाद	3179210499015100735	गिट्टी
				महोबा	फैजाबाद	3179210499009502618	गिट्टी

इस प्रकार उपरोक्तानुसार रू0 6814354.00 की सामग्री जो अमेठी से बाहर सुदूर जनपदों तक ले जायेगी, वहां से जनपद अमेठी का कोई चालान, रवन्ना, ई0एम0एम0-11 नहीं होने से सामग्री आपूर्ति न होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में उक्त सापेक्ष किया गया भुगतान पूर्णतः शासकीय एवं जिला पंचायत निधि की क्षति है, जिसकी वसूली सम्बन्धित सहायक अभियंता एवं ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 14

वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत,अमेठी द्वारा चयनित एवं शासन द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर जो निर्माण कार्य कराये गये हैं, उनमें अधिकांशतः निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं। शासनादेश संख्या- 4/866/33-2-14-93 जी /2004 टी0सी0, दिनांक- 24, जून, 2014 के अनुसार तीनों स्तरों की पंचायतें सब्सीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यो का चयन करेगी, अर्थात जो कार्य नीचे स्तर

पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाये, इसी शासनादेश में जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभाविन्त करने वाले कार्यो को सम्पादित कराया जायेगा। इसका उल्लघंन शासनादेश संख्या-8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक-12.01.2015 के निर्देशों का उल्लघंन होगा। पुनः पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838/33-2-2015-03/2015, दिनंाक-31 जुलाई, 2015 द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभाविन्त करने वाले कार्यो को सम्पादित करेगी एवं जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया कि वे आंवटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो में 10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाए ही अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करेगी। पंचायतीराज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5837/33-2-2017-122 जी/17, दिनांक-20.12.2017 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि जिला पंचायत द्वारा गांव के अन्दर कार्य नहीं कराया जायेगा, अगर ऐसा किया जाता है तो इसके लिये अपर मुख्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

उपरोक्त सभी आदेशों-शासनादेशों का उल्लघंन करते हुये जिला पंचायत,अमेठी द्वारा वर्ष- 2021-22 में पंचम राज्य वित्त से व्यय रू0 117524554.00 , 15वां वित्त आयोग टाइड में रू0 40034984.00, 15वां वित्त आयोग अनटाइड में व्यय रू0 55844882.00 एवं विधायक निधि से व्यय रू0 2030935.00 इस प्रकार कुल व्यय धनराशि रू0 315435355.00 की परियोजनायें गांव सभा के अन्दर एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दुसरे व्यक्ति के घर तक अथवा एव विशिष्ट स्थान से दूसरे स्थान तक निर्माण कार्य की स्वीकृति देकर नियम विरूद्ध कार्य किया गया है, जिसके लिये संस्था के अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेन्द्र बहादुर एवं अध्यक्ष श्री राजेश कुमार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी अमेठी एवं पंचायतराज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 15

जिला पंचायत,अमेठी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने हेतु प्रत्येक निर्धारित राजस्व की शतप्रतिशत वसूली आवश्यक सुनिश्चित करना चाहियंे, परन्तु लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि जनपद में जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाली शराब की दुकान पर लाइसेंस शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया है, शराब की दुकानों से लाइसेंस शुल्क न तो कोई मांग की गई है और न ही लाइसेंस शुल्क की वसूली की कार्यवाही की गई है। जिला पंचायत,अमेठी शराब की दुकानों से लाइसेंस शुल्क की कोई भी मांग न किये जाने के कारण संस्था को भारी आर्थिक क्षति हुई है, जबकि जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाली देशी शराब, विदेशी शराब एवं बीयर की दुकानों की सूची प्राप्त करके लाइसेंस शुल्क की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में शराब की दुकानों के लाइसेन्स शुल्क नवीनीकरण नहीं कराया गया है, विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दुकानों का प्रकार	संख्या	दर	वसूली योग्य धनराशि
1	देशी शराब	93	750	69750
2	विदेशी शराब	36	1000	36000
3	बीयर शाप	22	1000	22000
4	भांग की दुकान	11	500	5500
5	माॅडल शाप	2	1500	3000
			योगः	136250

जनपद: अयोध्या

मण्डल: अयोध्या **जिला: अयोध्या**

जिला पंचायत-- अयोध्या वर्ष 2020-21

प्रस्तर 01. -जिला पंचायत की दुकान किराया वसूली रजि०(प्रपत्र 27) की जाँच में पाया गया कि 31.03.2021 को रू० 5530107.00
किराया वसूल करना शेष था। विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	वर्ष की माँगबकाया एरियर् सहित	बकाया सहित वसूली	31.3.2021 को बकाया
1	कचहरी पोस्ट ऑफिस	150350.00	-	150350.00
2	सराय चौकी सब्जी मण्डी	34700.00	-	34700.00
3	सिविल लाइन स्थिति भूमि तल की 14दुकाने	709428.00	265520.00	443908.00
4	सिविल लाइन प्रथम तल की 13 दुकाने	619220.00	197704.00	421516.00
5	सदर डाक बगला पेट्रोल पम्प के बगल की 5 दुकाने	324883.00	12840.00	312043.00
6	भूतल बीकापुर की 19 दुकाने	373516.00	41408.00	332108.00
7	प्रथम तल की बीकापुर की 5 दुकाने	61424.00	4292.00	57132.00
8	गयासपुर जू० हाई स्कूल की 21 दुकाने	465467.00	87634.00	377833.00
9	गोशाईगंज की 13 दुकाने व भवन किराया	940410.00	50192.00	890218.00
10	जिला पंचायत कम्पाउन्ड की 21 दुकाने, भवन व भूमि	2140209.00	321399.00	1818810.00
11	प्र० पाठशाला नन्सा तारून की 26 दुकानो का किराया	425173.00	4512.00	420661.00
12	तारापुर स्थित 16दुकानो का किराया	389424.00	118596.00	270828.00
योग		6634204.00	1104097.00	5530107.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट ही कि आलोच्य वर्ष मे बकाया तथा वर्ष की मांग के सापेक्ष, बकाया सहित कुल वसूली मात्र 16.64%है। जो कर अधिकारी, कार्य अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी की कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है, जिससे संस्था को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। उत्तरदायी तत्कालीन कर अधिकारी, कार्य अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-2B)

प्रस्तर 02 वर्ष 2020-21 में किराया वसूली एवं माँग रजिस्टर प्रपत्र 27 की जाँच में पाया गया कि कतिपय बड़े बकायेदारो से वसूली नहीं हो रही है। विवरण निम्न है।

1-राजकीय इंटर कॉलेज गोसाईगंज भूमि एव भवन का बकाया (31/03/2021 को) रूपया-704500.00(वर्ष की मांग नहीं लगी है।)

2- बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जिला पंचायत भवन किराया रूपया-369550.00(वर्ष की मांग नही लगी है।)

3- परियोजना प्रबंधन इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम किराया रूपया 495790.00 (वर्ष की मांग नही लगी है।)

4- परियोजना प्रबंधन इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम फरीदाबाद रूपया 739926.00 (वर्ष की मांग नही लगी है।

5-उमाशंकर शुक्ला पुत्र श्री शिवप्रसाद शुक्ला जिला पंचायत कंपाउंड दुकान नंबर -16 रूपया 119420.00(वर्ष की मांग नहीं लगी है)

6- ईट निर्माता समिति फैजाबाद पोस्ट ऑफिस के बगल में रूपया 153750.00(वर्ष की मांग जुड़ी हुई है।

कुलयोग-2582936.00

क्रमांक 01 से 05 तक में वर्ष की माँग लगायी जानी चाहिए तथा वसूली हेतु उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी तथा कर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। तथा वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-8)

प्रस्तर 03. -लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभव व सम्पत्तिकर रजि० को अपूर्ण रखा गया है। प्रत्येक सदस्यवार वार्षिक आय के सापेक्ष न तो वर्षवार मांग लगाई गयी है और न ही वर्षवार वसूली दर्शित करते हुए बकाया निकाला गया है। प्रत्येक स्तम्भ को योग कर खाता भी नही बन्द किया गया है। और न ही किये गये किसी भी प्रविष्टि/लेखे को किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

लेखा परीक्षा के अनुसार 31/03/2021 को सी.पी. टैक्स का बकाया निम्नवत था-

विकास क्षेत्र का नाम	व्यापारियो का संख्या	31/3/2019को बकाया	2020-21 कीमांग वसूली	31/03/2021 तकबकाया सहित वसूली	31/3/2021 को बकाया लेखा परीक्षा के अनुसार
बीकापुर	441	6456530.00	499355.00	4450.00	6951435.00
मवई	212	2361080.00	268650.00	78550.00	2551180.00
तारून	215	3911450.00	302450.00	15150.00	4198750.00
मया बाजार	519	6385900.00	662700.00	24400.00	7024200.00
हैरिंग्टनगंज	192	3042826.00	185150.00	32355.00	3195621.00
मसौधा	841	20417818.00	1742335.00	388400.00	21771753.00
पूराबाजार	441	7399650.00	598900.00	131230.00	7867320.00
सोहावल	363	6502535.00	602300.00	31250.00	7073585.00
मिल्कीपुर	230	4739525.00	282100.00	14700.00	5006925.00
अमानीगंज	263	5294330.00	338775.00	42450.00	5590655.00
रूदौली	200	3025350.00	330050.00	39800.00	3315600.00
योग	3917	69536994.00	5812765.00	802735.00	74547024.00

उपरोक्त विवरण से स्पषट है कि 31/03/2021 को सी.पी. टैक्स का रू० 74547024.00 वसूल करना शेष था। आलोच्य वर्ष मे बकाया सहित, कुल वसूली रू०802735.00 (ईट भट्ठो से हुयी वसूली को छोडकर) है। जो लगभग 10.65%है। सी.पी. टैक्स की वसूली न करके वित्तीय अनियमितता की जा रही है। जिससे बकाया बढ़ता जा रहा है। इस हेतु उत्तरदायी कर अधिकारी, कार्यअधिकारी, व अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अपेक्षित है तथा वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर 04. -वर्ष 2020-21 ईट भट्ठा रजिस्टरो की जांच में पाया गया कि 01-04-2020 से 31-03-2021 के बीच जनपद के 11 विकास खण्डों में कुल 215 ईट भट्ठा पंजीकृत थे। जिनका विवरण निम्न प्रकार थे।

क्र.	विकास खण्ड	ईट भट्ठों की संख्या	जिनसे वसूली हुई(ईट भट्ठों की संख्या)	लाइसेन्स शुल्क व फार्म बिक्री (रू०10005.00)	विभव व सम्पत्ति कर(रू.6000.00)	विलम्ब शुल्क
1	पूराबाजार	26	25	250125.00	150000.00	
2-	तारून	23	20	200100.00	132000.00	
3-	बीकापुर	25	20	200100.00	108000.00	
4-	हैरिंग्टनगंज	13	12	120060.00	72000.00	
5-	रूदौली	34	25	250125.00	144000.00	
6-	मयाबाजार	7	7	70035.00	36000.00	
7-	मसौधा	19	17	170085.00	102000.00	

8-	मिल्कीपुर	18	14	140070.00	60205.00	
9-	अमानीगंज	15	08	80040.00	48000.00	

10	मवई	21	17	170085.00	96000.00	
11	सोहावल	14	11	110055.00	60000.00	
	योग	215	176	1760880.00	1008205.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 215 कार्यरत भट्ठों से मात्र 176 भट्ठों से लाइसेन्स शुल्क 1760880.00 तथा विभव व सम्पत्ति कर रूपया 1008205.00 कुल रूपया 2769085.00 वसूल किया गया किन्तु जिला पंचायत द्वारा 39 ईट भट्ठों से वसूली नही की गयी जिससे जिला पंचायत को लाइसेन्स शुल्क के रूप में रूपये 390195.00 तथा सम्पत्ति एंव विभव कर के रूप में 234000.00 कुल रूपया 624195.00 की क्षति संस्था को उठानी पड़ी। इसके लिए उत्तरदायी कार्य अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। वसूली हेतु प्रयास किये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर 05. -विभव व सम्पत्ति कर रजि० तथा लाइसेन्स फीस रजि० की तुलनात्मक जाँच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की जिला पंचायत क्षेत्र मे व्यवसाय कर रहे कारोवारियों की कुल संख्या के सापेक्ष बहुत ही कम कारोबारियों स लाइसेन्स फीस वसूल की जा रही है। विवरण निम्नवत है।

विकास क्षे० का नाम	सी.पी. टैक्स रजि० के अनुसार व्यापारियों की सं०	लाइसेन्स रजि के अनुसार व्यापारियों की संख्या जिनसे लाइसेन्सशुल्क लिया गया	अन्तर संख्या	वसूल लाइसेन्स शुल्क	अभियुक्ति
मवई	212	54	158	180352.00	
मयाबाजार	519	22	497	14630.00	
हैरिग्टनगंज	192	81	111	46451.00	
मसौधा	841	185	656	123025.00	
अमानीगंज	263	40	223	23254.00	
मिल्कीपुर	230	39	191	14362.00	
सोहावल	363	68	295	45220.00	
बीकापुर	441	34	407	19938.00	
तारून	215	41	174	12342.00	
पूराबाजार	441	84	357	54254.00	
रुदौली	200	56	144	41199.00	
योग	3917	704	3213	575027.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 11 विकास क्षेत्रो मे व्यवसाय कर रहे 3917 व्यपारियों मे से मात्र 704 व्यपारियों से वर्ष 2020-21 हेतु लाइसेन्स फीस के रूप मे रू० 575027.00 वसूल किये गये है। लाइसेन्स फीस अदा करने वाले व्यापारियों का प्रतिशत लगभग 17.87% है।वसूल किया गया औसत लाइसेन्स शुल्क प्रति व्यापारी लगभग रू० 816.00 है। इस औसत से गणना करने पर छोडे गये व्यापारियो से लगभग रू० 2621808.00 लाइसेन्स शुल्क के रूप मे प्राप्त होते। जिला पंचायत को होने वाली इस क्षति के लिये कर अधिकारी, कार्यअधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। समस्त व्यापारियों से लाइसेन्स शुल्क वसूल करने हेतु वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर 06. -संस्था द्वारा राजकीय राजस्व यथा आयकर रायल्टी सेस एवं एस.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. के जमा तथा शेष का कोई विवरण लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया। आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्यों पर कैश बुक के

अनुसार किये गये कुल व्यय रूपये 252339277.00 में से निम्न विवरण के अनुसार राजकीय राजस्व की कटौतियाँ की गयी है।

आयकर	रू०5876948.00
सेस	रू०2623769.00
रायल्टी	रू०7132263.00
SGST	रू०2623769.00
CGST	रू०2623769.00
योग	रू०20880518.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ठेकेदारों के बिलों से की गयी कटौतियों का विवरण कर्मचारियों द्वारा कोई विवरण तैयार कर लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय राजस्व के मद में कुल कितनी कटौतियाँ की गयी इसका आकलन नही किया जा सका। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक
कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त दर्शित कटौती **रू० 20880518.00** के सापेक्ष जमा की पुष्टि मे लेखा परीक्षा मे चालान, दाखिल रिर्टन/जमा सत्यापन प्रमाणपत्र, जिन बैंक खातो से धनराशि जमा नही की गयी है। उनसे सम्बन्धित बैंक पासबुक/स्टेटमन्ट, जमा धनराशि की पुष्टि हेतु सम्बन्धित मदों के कोषागार स्टेटमेन्ट (सी.टी.आर,) बार-बार मांगे जाने के बाबजूद नही प्रस्तुत किये गये जिससे काटी गयी राजकीय राजस्व की धनराशि सम्बन्धित शीर्षों मे जमा की गयी या नही इसकी पुष्टि नही की जा सकी जिसके लिये लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर 07. -जिला पंचायत अयोध्या की वार्षिक प्राप्तियो एवं भुगतान लेखा वर्ष 2020-21 जो कि प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध है कि जाँच मे निम्न आपत्तियां प्रकाश मे आई।(प्रिया साफ्ट प्रति संलग्न है।)

प्रिया साफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 मे कुल आय- 647697340.34 या 6476.97 लाख

संस्था द्वारा प्रेषित वार्षिक विवरण पत्र के अनुसार कुल आय-

राज्य वित्त आयोग= 6726.87 लाख

तेरहवां वित्त आयोग-

योग - **6726.87** लाख

संस्था के निजी श्रोतो से कुल आय=(+)202.13

कुल योग =**6929.00 लाख**

प्रिया साफ्ट एवं संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरणिका के अनुसार अन्तर की धनराशि- 452.03 लाख

इस प्रकार संस्था द्वारा पब्लिक डोमेन- प्रिया साफ्ट पर मन माने ढंग से आँकड़े दर्शित कर शासन को गुमराह किया जा रहा है तथा अनियमित कार्य किया गया है,जो कि भारत सरकार के सी० ए० जी० की तकनीकी गाईड लाइन्स का उल्लंघन है। अंतर की धनराशि रू० 452.03 लाख से वित्तीय आँकड़े को दर्शाने मे गम्भीर अनियमितता की गयी है इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं लेखाकार तथा वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर 08. -संस्था की वार्षिक प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा वर्ष 2020-21 जो की प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध है, कि जांच मे निम्न आपत्तियाँ प्रकाश मे आई-(प्रिया साफ्ट की प्रति संलग्न है)

प्रिया साफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 मे कुल व्यय 3634.78 लाख

संस्था द्वारा प्रेंषित विवरण पत्र (वार्षिक विवरणिका) के अनुसार-

राज्य वित्त अयोग - 3238.03 लाख

तेरहवां वित्त आयोग- - 00

योग- 3238.03 लाख

संस्था के निजी श्रोतो से व्यय की स्थिति-

(प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार)- (+) 192.74 लाख

कुल योग - 3430.77 लाख

प्रिया साफ्ट एवं संस्था के वार्षिक विवरण पत्रों - 204.01

के अनुसार अन्तर की धनराशि- -

इस प्रकार संस्था द्वारा पब्लिक डोमेन-प्रिया साफ्ट पर मनमाने ढंग से आँकडे दर्शित कर शासन को गुमराह किया गया है तथा अनियमितता किया गया है। जो कि भारत सरकार के सी०ए०जी० तकनीकी गाइड लाइन्स का उल्लघन है। अन्तर की धनराशि रू० 204.01 लाख से वित्तीय आँकडों को दर्शाने मे गम्भीर अनियमितता की गई है। इसके लिये अपर मुख्य अधिकारी.जिला पंचायत- अध्यक्ष एवं लेखाकार तथा वित्तीय परामर्श दाता उत्तरदायी है जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-13)

प्रस्तर 09. -उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व ग्राम पंचायत की आय-व्यय की अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु सं० 02 सं स्पष्ट प्राविधान किया गया कि जिला पंचायत ऐसे निमार्ण कार्य के सम्बन्ध मे प्रस्ताव आमंत्रित करेगी जिससे एक से अधिक ग्राम सभाओं को लाभ हो सके, जिला पंचायत किसी गांव के अन्दर इस घर से उस घऱ तक सड़कों को निर्माण नही करा सकती।यह कार्य ग्राम पंचायत का है। उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत द्वारा निम्न प्रकार एक गाँव मे एक के घऱ से दूसरे के घर तक कार्य कराया गया है। तथा भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	भुगतान राशि
1	ग्रा.पं दुर्गापुर में जाना पुर से प्रा.पा दुर्गापुर में पेन्टिंग कार्य	3605031.00
2-	कोटडीह गाँव सी.सी रोड से पूरे कालू शुक्ल तक सोलिंग कार्य	567272.00
3	सेवरा मोड गद्दोपुर से पूरे कालू शुक्ल पुरबा तक लेपन कार्य	1118811.00
4-	ग्रा.पं. धरेठा दशरथ पुर में राजेपुर तक पेन्टिंग कार्य अवशेष का भुगतान	2619805.00
5-	ग्रा.सभा धेनुवाया में पेन्टिंग सड़क का अवशेष भाग का भुगतान	1038494.00
6	ग्रा.सभा गोकुल पुर में दशई जोत से नटैनी शिव मंदिर तक लेपन कार्य	1625848.00
7-	ग्रा.सभा मोहनलाल पुरवा में मन्दिर से पुरायं मार्ग पर पेन्टिंग का भुगतान	3402190.00
8	वि.ख मया में ग्राम सभा रजपलियाँ में राम अकबाल मिश्र के धर से हरिजन बस्ती तक लेपन कार्य	102434.00
9	ग्रा. सभा मेदनीपुर में प्रा.वि. के सामने विजय वर्मा के ट्यूबल तक सोलिंग कार्य	1301317.00
10	ग्रा.पं. कनक पुर में सजहरा मार्ग पर लेपन कार्य	11757195.00
11	ग्रा. सभा दौलत पुर में काली माँ चौरा से श्री राम सिंह ड्रीकालेज तक सोलिंग कार्य	1293244.00
12	ग्रा.सभा चरावाँ में पक्की सड़क से पाण्डेय का पुरवा तक सी.सी. कार्य	856224.00
13	ग्रा.पं. बल्ली पुर में मजरा कृपाल पुर में राम खेलवान के खेत से पुरवा तक सोलिंग कार्य	460158.00
14	ग्रा.पं. बवाँ गाँव में मूर्तिहन भवनी का अवशेष कार्य	145184.00
15-	ग्रा.पं कोटिया में अमरनाथ कोरी के दरवाजे से पुरे टिकई तक लेपन कार्य	226674.00
16	ग्रा.पं सरैया रेवरी में लेपन मरम्मत कार्य	516509.00
17	ग्रा.पं. मानापुर मे प्रभात के घर तक लेपन कार्य	231946.00
18	ग्रा.पं. कन्धर पुर शिव कुमार फौजी के घर से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	1345113.00
19	ग्रा.सभा. रायपुर मे रामनाथ के घर से जगदीश के खेत तक सी.सी. नाला निर्माण	763577.00
20	ग्रा.सभाअरूवावां मे मेन रोड से रेलवे लाइन तक आर.सी.सी. कार्य का भुगतान	612638.00
21	अंजना में इण्टर लार्किंग के आगे काली चौरा तक लेपन कार्य	870227.00
22	गोडियाना मे अनिल के घर तक सी.सी कार्य एवं नाला निर्माण कार्य	350965.00
	योग	25732656.00

जिला पंचायत द्वारा उक्त अकिंत ग्राम पंचायतो के कार्य कराना शासनादेश संख्या 8307/33-02-2004-93 जी०/2004 दिनांक 12/01/2005 का भी उल्लंधन है उक्त शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायतों का क्षेत्राधिकार माना गया है। शासनादेश संख्या 1833/33-3-2015-03-/2015 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से जिला पंचायत एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी, किन्तु जिला पंचायत-अयोध्या द्वारा ग्राम पंचायतों की सीमा के अन्दर कार्य कराकर इस शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की है। इस प्रकार नियम विरूद्ध कार्य कराकर रूपया 25732656.00 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तर दायिव्व श्रीमती श्वेतासिंह (अध्यक्ष) एवं श्री सुमन कान्त कसूमवाल एवं श्री उमेश चन्द्र (तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी) पर है। जिनके विरुद्ध आवश्यक एवं उचित कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर 10. - जिला पंचायत द्वारा तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत वसावट (पेन्टिंग) कार्यों को कराया गया है. जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि

1	ग्रा.सभा विछियाँ में नावरा प्रा.पा.गोपालपुर के पास माइनर तक लेपन कार्य	5571408.00
2-	अलनाभारी स्टेशन मार्ग से अचल पुर तक पेन्टिंग कार्य	3033532.00
3-	भदौली सैदपुर मार्ग से ऐलहना सम्पर्क मार्ग पेंन्टिंग कार्य	4561317.00
4-	भिटारा जगदीशपुर सम्पर्क मार्ग से कोट डीह गाँव तक लेपन कार्य	5143168.00
5-	अजरौली शारदा सहायक नहर से गोसाई के पुरवा तक लेपन कार्य	1908232.00
6-	सुलतानपुर शाखा नहर पकडिया गाँव पुल होते हुये नया पुरवा तक लेपन कार्य	1087376.00
7	चौरे निधियावाँ मार्ग से रमऊपुर गाँव तक पेन्टिंग मार्ग तक पेन्टिंग कार्य	1711318.00
8	भदरसा नउवा कुआ मार्ग से बन्दीदास पुर लेपन कार्य	6174452.00
9	नउवा कुआ भदरसा प्रधानमंत्री सड़क पर धोरवा परखौली तक लेपन कार्य	2932334.00
10	प्रभात नगर शाहगंज सम्पर्क मार्ग से पेट्रोल पंप के सामने से बतौली मार्ग पर लेपन कार्य	2580542.00
11-	विकास खण्ड मया में सराय सागर लेपन मार्ग से जगदीशपुर होते हुए मार्ग पर लेपन कार्य	4415540.00
12	मिर्जापुर धरमपुर पेन्टिंग रोड से करम खां बाबा के मजार तक लेपन कार्य	1636621.00
13	रेवना भरतपुर से खुद्दी पुर इ.ल. कार्य तक लेपन कार्य	2572553.00
14	चमैला पक्की सड़क से गौवर्धन बाबा होते हुए उपाध्याय पुरवा तक लेपन कार्य	1537150.00
15	शुक्ला बाजार उमापुर मार्ग से भुलामऊ मार्ग का अवशेष लेपन कार्य	1740036.00
16	कोडरा नेवरा सम्पर्क मार्ग पर सहजराम रावन के घर से नंदौली मार्ग पर लेपन कार्य	2688226.00
17	जमुनीपुर ग्रा.सभा मजरा गंगापुर प्रा.वि. से बनकटवा से पक्की सड़क तक लेपन कार्य	3252338.00
18	प्रा. वि. विनायक पुर में केलनपुर लाल पुरवा तक लेपन कार्य	4807608.00
19	अयोध्या अम्बेडकरनगर मार्ग नागेन्द्र नाथ गौस्वामी के घर होते हुए पेन्टिंग कार्य	2007592.00
20	ग्रा. पं. पछियाना में जाना हैदरगंज मार्ग से बड़की बस्ती तक लेपन कार्य	1572521.00
21	परसावां से बकतावर का पुरवा तक पिच रोड़ तक लेपन कार्य	3406816.00
22-	ईट गाँव दुर्गा मन्दिर सी.सी. रोड से गोसाई बाबा के स्थान तक लेपन कार्य	2240977.00
23	सलोनी सुखारी सम्पर्क मार्ग से मीर पुर गांव तक लेपन कार्य	3246486.00
24	तारून बनरहा गोदाम बरौली लेपन मार्ग से ग्रा. डुहिया पोट्री फार्म तक लेपन कार्य	3093776.00
25	बरई पारा रतन पुर सम्पर्क मार्ग से पूरे लाद पाण्डेय़ का पुरवा तक लेपन कार्य	1784963.00
26	बडेला से संडवा सम्पर्क मार्ग पर पेन्टिंग कार्य का भुगतान	4344872.00
	योग	79052054.00

किसी भी पत्रावली में लागत वेरी फिकेशन तालिका स्वीकृत कर संलग्न नही है।रायल्टी मे छूट पाने हेतु एम एम 11 अन्य जनपदों के (गोण्डा,बहराइच, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर)लगाये गये है। उपरोक्त पत्रालियाँ बार-बार माँगे जाने पर भी नही प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अनुचित रवन्ना के आधार पर रायल्टी के कटौती कर ठेकोदारों को लाभ पहुँचाया गया तथा ठेकेदारों का लाभ 10% के स्थानपर 10.50% लगाया गया। ट्रैक कोट का मात्र 0.25 किलोग्राम के स्थान पर 0.35 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रयोग की गई तथा कराये गये कार्यों की टेस्टिंग नही करायी गई। अतःअनियमित ढंग से भुगतान किया गया । 13 वे वित्त आयोग की गाइड लाइन एवं शासनादेशों के विरूद्ध रू०**79052054.00** का स्पष्ट रूप से अनियमित ढंग से भुगतान करके अनियमितता की गई है। जिसके लिए दोषी अध्यक्ष श्रीमती श्वेता सिहं तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र,अभियन्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर 11. उत्तर प्रदेंश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम संख्या 39 के अनुसार 10.00 लाख की लागत से अधिक समस्त निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान कियें जानेसे पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लघन कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण नही कराया गया है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1-	ग्रा.पं मानापुर में पंचायत भवन पक्की सड़क से धर्म शाला तक पेंटिंग कार्य	1137724.00
2	परोमा पेट्रोल पंप के उत्तर इलाहावाद रोड से मुरारी का पुरवा तक सोलिंग कार्य	1455934.00

3	गोशाई गंज महबूब गंज मार्ग से डीहवा पुरे डीह तक पेन्टिंग कार्य	1271070.00
4	ग्रा.सभा भैरवपुर टिकरा रागिनी मिश्रा का पुरवा तक सोलिंग कार्य	1914212.00
5-	ग्रा.सभा करनपुर भिटौरा कतलू मुस्लिम के घर के पास सोलिंग कार्य	1788660.00
6	बीकापुर इनायत नगर सम्पर्क मार्ग से भारत भूषण तिवारी के घर होते हुए सो.का.	1782231.00
7	हैरिंग्टनगंज उमर पुर सं.मार्ग से महोलिया में अरबिन्द यादव के घर तक सो.का.	1373626.00
8	पचगवां गरौली मार्ग पर लेपन से दर्जी के पुरवा तक सोलिंग कार्य	1595928.00
9-	तारून में नन्सा तारून मार्ग पर स्थिति कृषि फार्म के सर्वोदय स्कूल तक सो.का.	1886799.00
10	भखौली पुल से जिगनाही गाँव तक मार्ग पर सोलिंग कार्य	1956097.00
11-	रसूलपुर पक्की सड़क से भिटौरा गांव तक लेपन कार्य	3556304.00
12	परमानंद पुर से घाटमपुर से सोलिंग कार्य	1617375.00
13	ड्योढी अमानीगंज संपर्क मार्ग से अमावासूफी तक सो.का.	2673084.00
14	अम्बरपुर सा.सह.समि. से हाजीपुर गांव तक लेपन कार्य	3017955.00
15	ग्रा.सभा दरियापुर में आगाँगंज टिकरी से गंगापुर जाने वाले मार्ग तक लेपन कार्य	2349988.00
16	सूजागंज कोटरा संपर्क मार्ग से कोपेपुर गांव तक लेपन कार्य	2373234.00
17	देवराकोट करेरू सम्पर्क मार्ग से कोटेके पुरवा तक सोलिंग कार्य	2114370.00
18	अचारी सगरा पक्की सड़क पुर अष्टभुजा माता मंदिर के बगल नया पुरवा तक ले.का.	2051839.00
19-	दर्शन नगर मसौधा सम्पर्क मार्ग से शुक्ल के पुरवा तक लेपन कार्य	1842988.00
20	मिल्कीपुर खजुरहट मार्ग से ईट गाँव तक लेपन कार्य	4970065.00
21	उघई अहिरन का पुरवा से मथुरा का पुरवा बेलखरा मार्ग तक लेपन कार्य	3533651.00
22	कुमार गंज खण्डासा मार्ग से अकमां पुरे निधि गोस्वामी के पुरवा तक ले.कार्य	2018426.00
23	जाना बिशुन बाबा मार्ग से जेहली पाठक का पुरवा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	1780944.00
24	अधियौना से ताल ढोली गाँव तक लेपन कार्य	2856943.00
25	भम्भाभीट से कंजी प्रधान मंत्री सड़क तक सोलिंग कार्य	2521921.00
26	पिपरी तारून मार्ग से कनक पुर सोनखरी पर लेपन कार्य	2543788.00
27	घटौली चितौरा मार्ग से भवानी का पुरवा मार्ग तक लेपन कार्य	2553393.00
28-	बडागांव ऐहार से पूर्व मा.वि.ऐहार तक लेपन कार्य	2375342.00
29	भटौली सुलतानपुर चकमार्ग से पुरायं गाँव तक लेपन कार्य	3491674.00
30	घोडवल खण्डासा मार्ग से देवगांव पक्की सड़क तक लेपन कार्य	4474622.00
31-	महुलारा से सुबेदार का पुरवा तक लेपन कार्य	3592504.00
	योग	74472691.00

इस प्रकार अन्तिम भुगतान से पूर्व नियमानुसार निरीक्षण न कराकर अनियमितता की गई है। उक्त निर्माण कार्य पत्रावलियों के उच्चाधिकारियों द्वारा कियें गये निरीक्षण की प्रति संलग्न नही है। उक्त धनराशि **रु74472691.00** की अनियमितता के लिए अध्यक्ष श्रीमती श्वेता सिहं तथा अपरमुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र अभियन्ता श्रीमती

सुकीर्ति मिश्र एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह उत्तरदायी है जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर 12. लेखा परीक्षा के दौरान निर्माण कार्य रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कुछ कार्यो को प्रारम्भ कर **प्रथम**-भुगतान करके रोक दिया गया है जो लगभग 2 वर्षों मे अधूरा है। कतिपय विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	निर्माण कार्य रजि० पेज/क्रमांक	मानक अनुमान (लाख मे)	निर्माण कार्य एजेन्सी सर्व श्री/श्रीमती	प्रथम भुगतान/दिनांक सहित	धनराशि
1	14	15.19	राकेश कु.पाण्डेय	11-09-2020	788864.00
2	13	35.15	मिट्ठूलाल	25-08-2020	1179658.00
3	16	15.20	मिट्ठूलाल	11-09-2020	792849.00
4	29	10.85	मिट्ठूलाल	11-11-2020	519166.00
5	50	12.63	राम केवल यादव	29-12-2020	356267.00
6	53	19.11	राम केवल यादव	14-09-2020	1368979.00
7	80	11.49	मे.जे.पी.टेड्रर्स	23-02-2021	644304.00
8	82	13.59	मे. राजेश कान्शट्रेशन	21-09-2020	612808.00
9	83	27.84	में.ओम प्रकाश	08-06-2021	1789490.00
10	93	19.24	में.जे.पी0ट्रेडर्स	08-02-2020	857599.00
11	117	12.82	में.ओम श्री साई नाथ	08-06-2020	812901.00
12	4(10 लाख से कम लागत वाली)	9.27	में आदित्य कान्शट्रेशन	23-02-2020	815980.00
13	5	8.01	में संजय सिंह यादव	08-02-2020	672126.00
14	7	6.31	में मिट्ठूलाल	06-02-2020	496024.00
15	12	5.45	साई नाथ बाबा कान्शट्रेशन	04-01-2020	435644.00
16	15	3.24	कन्हैयालाल	27-07-2021	254264.00
			योग		12396923.00

उपरोक्तानुसार पत्रावलियां बार-बार पत्राचार द्वारा ऑडिट मे प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया परन्तु पत्रावलियां प्रस्तुत नही की गयी इस प्रकार स्पष्ट है कि मानक अनुमान के सापेक्ष प्रथम बिल का भुगतान कर कार्य प्रारम्भ तो कर दिया गया परन्तु कार्य पूर्ण नही कराया गया। इससे कार्यों के प्रारम्भ होने मे भी संदेह है। निर्माण कार्य एजेंसियों द्वारा कार्य को पूर्ण न करने प्रथम बिल का धनराशि **12396923.00** का स्पष्ट रूप से अपहरण किया गया है। उक्त अपहरित धनराशि **12396923.00** की वसूली अध्यक्ष श्रीमती श्वेता सिहं तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र,अभियन्ता श्रीमती सुकीर्ति मिश्र एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री आनंदकुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर 13. -लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध करने पर भी निम्नलिखित निर्माण कार्य पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही की गयी जवकि इनमे अधिकतम धनराशि भुगतान की गयी है। -विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(लाख)	व्यय की धनराशि
1-	सराय धनेठी गोयडी का अवशेष भाग कार्य का भुगतान	18.68	1839652.00
2-	डीह भरथी बंजरिया सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य	13.35	1330979.00
3-	ग्रा.सभा.भिटौरा से मया टाण्डा मार्ग पर अवध स्कूल के बगल मौर्या टोला तक लेपन कार्य	17.91	1192748.00
4-	कछौली से ताल गाँव मार्ग से भवानीपुर संपर्क मार्ग तक सोलिंग कार्य	11.87	1185843.00

5-	कुमारगंज खण्डासा रोड से भटपुरवा गोपालपुर गांव तक सोलिंग कार्य	15.27	1743659.00
6	गडौली खण्डासा से कंजी प्रधानमंत्री सड़क तक सोलिंग कार्य	14.80	1464475.00
7	जिगनाही सम्पर्क मार्ग से पूराबली बारात घर तक सोलिंग कार्य	11.66	1158698.00
8	शारदा सहायक नहर से टंडवा गाँव तक लेपन कार्य	10.80	1040888.00
9	दफलपुर गाँव से भिटौरा गाँव तक सौलिंग कार्य	12.57	1254492.00
10	बेल उमरनी में पी.सी रोड़ पासिन का पुरवा से बबुरा रखौना अहिरन का पुरवा से सम्भूनाथ यादव के घर के पास सोलिंग कार्य	12.84	1282695.00
11	जलालपुर पक्की सड़क से जलालपुर गांव तक लेपन कार्य	10.69	1028447.00
12	अचली का पुरवा सोहावल सम्पर्क मार्ग से खम्हरियाँ गांव तक लेपन कार्य	16.02	1575661.00
13	दिनकर पुर पी.डब्ल्यू डी मार्ग से कटरा गांव भिखारी दास की कुटी तक अवशेष सो.का.	11.78	1081466.00
14	गढानसीरपुर पुल से नऊवा के पुरवा काली जी के चौरा तक लेपन कार्य	11.84	1139520.00
15	लक्ष्मणपुर गांव से रोहली प्रा.पा. तक सोलिंग कार्य	12.46	1245067.00
16	खाले के पुरवा अख्तियारपुर पिच रोड तक सोलिगं कार्य	14.05	1401111.00
17	जमूरत बिल्हरघाट मार्ग से पाण्डेय के पुरवा तक लेपन कार्य	18.74	1860625.00
18	तेंधा रोड गाँव पेन्टिंग रोड से बरई पारा पिच रोड तक लेपन कार्य	17.56	1728213.00
19	धौरहरा नई पोखर सम्पर्क मार्ग से रहीम गंज भेलसर मार्ग तक सोलिंग कार्य	14.76	1474067.00
20	प्राईमरी वि. पारा खानी से पूर्व मा. वि. सैदखानपुर तक लेपन कार्य	13.28	1324868.00
21	कहुआ उर्दू बाहु से थमैली भंजन तक सोलिंग कार्य	14.36	1403217.00
22	अजरौली मेसढा मार्ग से मथुरा का पुरवा वार्डर तक सोलिंग कार्य	13.54	1325525.00
23	राम बन गबन मार्ग से अटरावां गांव तक लेपन कार्य	20.17	1980742.00
24	बजौली मार्ग से अहिबीर पुर मार्ग तक सोलिंग कार्य	18.39	1838670.00
25	भदौली गदुर्ही मार्ग से ऐहार गाँव तक लेपन कार्य	23.21	2244453.00
26	तरमा बारून सम्पर्क मार्ग से खिहारन गाँव तक लेपन कार्य	18.66	1834210.00
27	बहोरिक पुर प्रा.पा. गरौडा पक्की सड़क तक लेपन कार्य	20.97	2063957.00
	योग		39743948.00

इस प्रकार **रू० 39743948.00**फाइले माप पुस्तिका कार्य योजना (स्वीकृत) प्राक्लन, वित्तीय स्वीकृत गजट/टेण्डर/कोटेशन, हैसियत प्रमाण पत्र अनुबन्ध पत्र, फर्म के बिल मस्टर रोल एम०बी०कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र फोटो (तीनोस्टेज) श्रमिकों के पंजीकरण प्रमाणपत्र जमानत रजि० नही प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि कार्य या तो पूर्ण नही या मानक के अनुरूप नही है। इनके भुगतान मे भारी अनियमितता की गयी है जिससे दोषी तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती श्वेता सिंह अपर मुख्य अधिकारी श्री सुमनकान्त कसूमवाल एवं श्री उमेश चन्द्र अभियन्ता व अवर अभियन्ता तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री आनन्द कुमार सिंह है जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-18)

जिला पंचायत-- अयोध्या वर्ष 2021-22

प्रस्तर 14. भवन भूमि दुकान किराया रजिस्टर की जांच में पाया गया कि-

(अ) कचेहरी स्थित पोस्ट ऑफिस भवन का किराया वसूल नहीं हो रहा है। दिनांक 31.3.21 को बकाया किराया रु0 168350.00 था। वर्ष की मांग दर 750.00 प्रति माह से रुपया 9000.00 के सापेक्ष वसूली शून्य

रही। इस प्रकार 31.3.22 को बकाया किराया रु0 177350.00 रहा सब पोस्ट मास्टर कचेहरी डाकघर अयोध्या से वसूली हेतु सार्थक प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

(ब) सदर डाक बंगला स्थित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड फैजाबाद से दिनांक 31.3.21 को रु0 233419.00 बकाया पाना रजिस्टर में दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष 2021-22 में न तो मांग लगाई गई है न कोई वसूली हुई है और न ही वर्षान्त में बकाया दर्शाया गया है। मांग लगाकर बकाया दर्शित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(स) प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोसाईगंज से भूमि भवन का बकाया किराया रु0 704500.00 दिनांक 31.3.21 को पाना शेष था। आलोच्य वर्ष में न तो मांग लगाई गई है और न ही कोई वसूली हुई है। वर्ष की मांग लगाकर दिनांक 31.3.22 को बकाया दर्शित करते हुए वसूली की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(द) सराय चौक सब्जी मंडी प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद अयोध्या से पिछला बकाया रु0 39900.00 पाना 31.3.21 को दर्शाया गया है दर 175.00 प्रतिमाह से वर्ष की मांग रु0 2100.00 लगाई गई है जिसके सापेक्ष वसूली शून्य है इस प्रकार दिनांक 31.3.22 को बकाया रु0 42000.00 हो गया है वसूली हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों को अपूर्ण रखने तथा वसूली न करने के लिए कार्यरत रहे अपर मुख्य अधिकारी कार्य अधिकारी कर अधिकारी तथा कर समाहर्ता उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है तथा बकाया किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या.02(अ,ब,स,द)

प्रस्तर 15. दुकान भूमि भवन किराया रजिस्टर पर पत्र 27 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा किराए पर दी गई दुकानों से आलोच्य वर्ष में प्राप्त किराए तथा बकाया का विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	सम्पत्ति का विवरण	31-03-21 को बकाया	वर्ष की मांग	वसूली	31-03-22 को बकाया
1	2	3	4	5	6
1	सिविल लाईन स्थित भूमि तल की 15 दुकानें	443908	207960	131000	520868
2	सिविल लाईन स्थित प्रथम तल की 13 दुकानें	421516	179244	131064	469696
3	सदर डाक बंगला पेट्रोल पम्प के बगल की 4 दुकानें	78624	32496	9180	101940
4	बीकापुर स्थित भूतल की 19 दुकानें	332108	100044	6368	425784
5	बीकापुर स्थित प्रथम तल की 05 दुकानें	57132	15060	3012	69180
6	ग्यासपुर जूनियर हाईस्कूल स्थित 20 दुकानें	377833	59448	930	436351
7	गोशाईंगज स्थित 12 दुकानें	229342	60072	16272	273142
8	जिला पंचायत कम्पाउन्ड स्थित दुकानें	231319	99828	145796	185351
9	तारापुर स्थित 16 दुकाने	201844	59976	17272	244548
	योग:-	2373626	814128	460894	2726860

अग्रिम वसूली (22-23 हेतु)

सिविल लाइन स्थित दुकान नं0 13 व 15	26400.00
सिविल लाइन प्रथम तल दुकान नं0 13	13788.00
सदर डाक बंगला पेट्रोलपम्प के बगल की 2 नं0 की दुकान	3660.00
योग	43848.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 31.3.22 को रु0 2726860.00 किराया वसूल करना शेष था। बकाया तथा वर्ष की मांग के सापेक्ष बकाया सहित कुल वसूली 14.46 प्रतिशत है जो अत्यधिक कम है। आलोच्य वर्ष में 4 दुकानों का रु0 43848.00 वित्तीय वर्ष 22-23 का अग्रिम किराया भी वसूल हुआ है जो यह दर्शाता है कि यदि ठीक से वसूली की जाए तो दुकानों का किराया वसूल हो सकता है। कम वसूली हेतु अपर मुख्य अधिकारी,

कार्य अधिकारी, कर अधिकारी के साथ-साथ टैक्स कलेक्टर उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है तथा किराया वसूली हेतु प्रयास किया जाना अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या.03

प्रस्तर 16 भूमि भवन दुकान किराया रजिस्टर प्रपत्र 27 की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत कंपाउंड स्थित निम्न परसंपत्तियों से किराए की न तो आलोच्य वर्ष में मांग लगाई गई है और न ही पिछला बकाया 31.3.21 का दर्शाते हुए वर्षान्त में कुल बकाया दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा के अनुसार 31.3.22 को बकाया रु0 2432622.00 होता है विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	परिसम्पत्ति का विवरण	31-03-21 को बकाया	वर्ष की मांग	वसूली	31-03-22 को बकाया
1	भवन किराया मैनेजर बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक	478800	4750	57000	. 535800
2	भवन किराया उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी अयो0मण्डल अयो0	66000	3000	36000	. 102000
3	श्री उमाशंकर गुप्ता पुत्र श्री शिव प्रसाद	119420	1049	12588	. 132008
4	पुराने पोस्ट आफिस के बगल में ईंट निर्माता समिति फैजाबाद	153750	1250	15000	. 168750
5	भवन किराया सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक अयो0 मण्डल अयो0	495790	11550	138360	. 634150
6	भूमि किराया परियोजना प्रबन्धक ईकाई जल निगम अयोध्या।	739926	9999	119988	. 859914
	योग:-		2053686	378936	- 2432622

रजिस्टर अपूर्ण रखने तथा वसूली हेतु कोई प्रयास न करने के लिए अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी व कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है तथा बकाया किराया की वसूली हेतु प्रयास अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या.04

प्रस्तर 17 भवन किराया रजिस्टर की जांच में पाया गया कि तारापुर स्थित भवन जो उपनिदेशक दिव्यांग जनशक्तिकरण विभाग अयोध्या को किराए पर दिया गया है कि न तो आलोच्य वर्ष में मांग लगाई गई है और न ही दिनांक 31.3.21 का बकाया दर्शाया गया है। गत वर्ष के रजिस्टर पर अंकित विवरण के अनुसार 31.3.21 को बकाया रुपया 68984.00 था तथा गत वित्तीय वर्ष 2021 में दर 7170.00 से रुपया 86040.00 मांग लगाई गई थी उसी आधार पर गणना करते हुए दिनांक 31.3.22 को वर्ष की मांग रु0 86040.00 तथा पिछला बकाया रुपया 68934.00 जोड़कर कुल रुपया 155024.00 बकाया दर्शित है जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी व कर समाहर्ता के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।मूल आपत्ति संख्या.06

प्रस्तर 18 विभव व संपत्तिकर रजिस्टर (वर्ष 20-21) तथा लाइसेंस फीस रजिस्टर (वर्ष 21-22) की तुलनात्मक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे कारोबारी की कुल संख्या के सापेक्ष बहुत ही कम कारोबारियों से लाइसेंस फीस की वसूली हो रही है। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	सी.पी.टैक्स रजि0 के अनुसार व्यापारियों की संख्या,	,लाईसेन्स रजि0 के अनुसार व्यापारियों की संख्या वर्ष 2020-21		अन्तर संख्या, वसूल शुल्क रूपये में'1	
			लाईसेन्स	अन्य		
			जिनसे वर्ष 2021-22 में लाईसेंन्स फीस ली गई।			
1	2	3	4	5	6	7
1	अमानीगंज	263	37	226	21645	

आलोच्य वर्ष में सी.पी.टैक्स रजिस्टर नहीं बनाया गया है व्यवसाय कर रहे व्यापारियें की संख्या वर्ष 2021-22 के सी.पी. टैक्स रजिस्टर के अनुसार दी गई है।

2	मिल्कीपुर	228	34	194	25320
3	पूरा	447	117	330	86700

4 बीकापुर	444	49	395	21175
5 तारून	215	40	175	29487
6 मसौधा	841	50	791	59436
7 मया	526	43	483	39726
8 हैरिंटीनगंज	199	107	92	49165
9 रूदौली	200	47	153	32495
10 मवई	212	45	167	16322
11 सोहावल	340	48	292	76870
योग	3915	617	3298	458341

उल्लेखनीय है कि लाइसेंस शुल्क रू0 4,58,341.00 में ईंट भट्ठों से वसूल किया गया लाइसेंस शुल्क सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद अयोध्या के 11 विकास खंडों में व्यवसाय कर रहे 3915 व्यापारियों में से मात्र 617 व्यापारियों से आलोच्य वर्ष 21-22 में लाइसेंस फीस के रूप में रु0 458341.00 वसूल किए गए हैं। लाइसेंस फीस अदा करने वाले व्यापारियों का प्रतिशत लगभग 15.76 प्रतिशत है जो बहुत ही कम है। वसूल किया गया औसत लाइसेंस शुल्क प्रति व्यापारी लगभग रु0 743.00 है। इस औसत से गणना करने पर छोड़े गये व्यापारियों से लगभग रु0 2450414.00 लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त होते जिला पंचायत को होने वाली इस क्षति के लिए अपर मुख्य अधिकारी, कार्यकारी कर अधिकारी व कर समाहर्ता उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। समस्त व्यापारियों से लाइसेंस शुल्क वसूल करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या.10

प्रस्तर 19 जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त मौखिक जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 के बीच पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत ईंट भट्ठों की कुल संख्या 198 थी जबकि आलोच्य वर्ष 2021-22 में ईंट भट्ठा रजिस्टर के अनुसार कुल 147 ईंट भक्तों से रु0 1480745.00 लाइसेंस शुल्क व फार्म बिक्री तथा रु0 889900.00 विभव व संपत्तिकर के रूप में वसूल किया गया है किंतु जिला पंचायत द्वारा 51 ईंट भट्ठों से वसूली नहीं की गई है, जिससे जिला पंचायत को लाइसेंस शुल्क के रूप में रु0 510000.00 विभव संपत्ति कर के रूप में रु0 306000.00 तथा फार्म बिक्री का रु0 255.00 कुल रु0 816255.00 की क्षति उठानी पड़ी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, कार्यकारी कर अधिकारी उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। समस्त सक्रिय ईंट भट्ठों से वसूली हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या.12

प्रस्तर 20 आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा संपत्ति व विभव कर रजिस्टर लेखा परीक्षा तिथि तक तैयार करके नहीं प्रस्तुत किया गया। सी.पी. टैक्स रजिस्टर के अभाव में वर्ष की मांग तथा दिनांक 31.3.22 को वसूल करने हेतु शेष रह गए सी पी टैक्स का सही-सही आंकलन नहीं किया जा सका फिर भी लेखा परीक्षा के अनुसार 31.3.22 को लगभग रु0 79577504.00 सीपी टैक्स वसूल करना शेष था विवरण निम्नवत है-

विकास खण्ड का नाम पंजीकृत व्यापारियों, 31.3.21 को बकाया, वर्ष की मांग 20-21 की, वर्ष में वसूल जमा 31.3.22 को

की संख्या /गतवर्ष के आडिट नोट , की मांग के समतुल्य

चालान के आधार पर बकाया

आपत्ति संख्या 4 के अनुसार

बीकापुर	444	6951435.00	442500.00	रू0 803670.00 सभी	
ब्लाकों का			मिलाकर जमा चालान के अनुसार		
रू0 79577504.00					
सोहावल	340	7073585.00	408100.00		
मिल्कीपुर	228	5006925.00	217450.00		
रूदौली	200	3315600.00	408100.00		
हैरिंग्टनगंज	199	3195621.00	162200.00		
मवई	212	2551180.00	450700.00		
अमानीगंज	263	5590655.00	424900.00		
मया बाजार	526	7024200.00	747200.00		
मसौधा	841	217441753.00	1714150.00		
पूरा	447	7867320.00	626900.00		
तारून	215	4198750.00	261950.00		
योग	3915	74517024.00	5864150.00	803670.00	79577504.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार 31.3.22 को सी.पी. टैक्स का रु0 79577504.00 बकाया था बकाया सहित वर्ष की मांग के सापेक्ष बकाया सहित कुल वसूली रुपया 803670.00 (ईंट भट्ठों की मांग वसूली को छोड़कर) थी जो लगभग एक प्रतिशत है। संपत्ति व विभव कर की वसूली न हो पाने के लिए समय-समय पर कार्यरत रहे अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी व कर अधिकारी उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। बकाया की वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या.14

प्रस्तर 21 जिला पंचायत अयोध्या की लेखा परीक्षा में पाया गया की कतिपय कार्य पूर्ण ही नहीं कराए गए हैं जिसके कारण संबंधित कार्य औचित्यपूर्ण नहीं रहे और न ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। यह स्थिति संबंधित अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता, लेखाकार की लापरवाही का द्योतक है विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम,	अनुमानित लागत,	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम,	कार्यदेश की तिथि,	कुल भुगतानित धनराशि ,	अभ्युक्ति
1	2	3	4	360359	5	6 7
1	गोयड़ी सं0मार्ग से अलीभर पुरवा मार्ग पर सोलिंग कार्य वि0ख0 मिल्कीपुर	9.30 लाख	मे0 राम ट्रेडर्स	28.02.2018 एवं 26.03.2018	619000	अपूर्ण
2	मितौरा से बिजुलियाडी हसराय धनेठी मार्ग का अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य वि.ख0 मिल्कीपुर	12.58 लाख	मे0 राकेश कांस्ट्रक्शन	19.02.2018 एवं 23.05.2018	1045451	अपूर्ण
3	पौसरा गोषाईंगंज मार्ग से धुनधुनवा गांव तक पैंटिंग कार्य वि0ख0 मया	27.35 लाख	मे0 अदिति कांस्ट्रक्शन	19.02.2018 एवं 23.03.2018	2114560	अपूर्ण
4	सोनवर्शा मुस्लिम अम्बेडकरग्राम के द्वितीय कि0मी0 पर लेपन मरम्मत कार्य।	4.64 लाख	श्री शिवदुलारेगुप्ता	19.02.2018 06.03.2018 एवं	242000	अपूर्ण
5	समन्धा ग्राम पंचायत					

टण्डौली दिलासीगंज मार्ग पर चैलेया ग्राम तक लेपन मरम्मत कार्य वि0ख0 मया 7.50 लाख मे0 मोहनब्रदर्सइन्फ्राप्रोजेक्ट 20.02.2018 एवं 23.05.2018 409000 अपूर्ण

6 जिला पंचायत अयोध्या के सिविल लाईन्स के आवासीय डाक बंगले में गैराज की टिन षिड निर्माण एवं जिला पंचायत परिसर में पत्थर लगवाई तथा इण्डिया मार्का2 हैण्ड पम्प कार्य। 1.79 लाख मे0 राकेश कांस्ट्रक्शन 21.02.2019 एवं 23.02.2019 110775 अपूर्ण

7 हुसैनपुर से दोस्तपुर गांव तक सीसी कार्य। 7.59 लाख श्रीबजरंगीप्रसादगौतम 06.07.2019 एवं 10.07.2019 735736 अपूर्ण

8 मां कामाख्या मन्दिर में षेड निर्माण कार्य। 9.80 लाख श्री मो0 मोहसिन 21.02.2019 एवं 23.02.2019 787146 अपूर्ण

9 ग्रामसभा दयालजोत में सोमराज के घर से दीनापुर तक सोलिंग कार्य। 10.85 लाख श्रीमिट्ठूलाल 06.06.2020 एवं 08.06.2020 519166 अपूर्ण

10 अयोध्या अम्बेडकरनगर मार्गमहिला महाविद्यालय के सामने से नागेन्द्रनाथ गोस्वामी के घर होते हुए गद्दौपुर गांव तक पैंटिंग कार्य वि0ख0 मया 25.45 लाख मे0 अदिति कांस्ट्रक्शन 06.06.2020 एवं 08.06.2020 2007592 अपूर्ण

11 अमानीगंज खडन्जा मार्ग से भीखी के पुरवा तक सोलिंग कार्य। 12.64 लाख श्रीरामकेवल यादव 06.06.2020 एवं 08.06.2020 356267 अपूर्ण

12 मसौधा गंगौली सं0मार्ग से दीनू पाण्डेय का पुरवा तक सोलिंग कार्य। 13.59 लाख मे0 राजेश कांस्ट्रक्शन एण्ड सन्स 06.06.2020 एवं 08.06.2020 612808 अपूर्ण

13 अमरगंज गौहनिया मार्ग से आस्तीकन मन्दिर तक लेपनकार्य।12.83 लाख ओमश्रीसाईंनाथ कांस्ट्रक्शन 06.06.2020 एवं 08.06.2020 812901 अपूर्ण

14 ढोली असकरनकोटडीह सं0 मार्ग से ललकी का

पुरवा तक लेपन कार्य। 9.99 लाख श्रीमती नीरज सिंह 11.09.2020 एवं 16.10.2020 660128 अपूर्ण

15 ताजपुर कोड़रा में जासिम हाफिज जी के घर से हाता तक सोलिंग कार्य। 9.06 लाख श्रीसंजय सिंह यादव 10.09.2020 एवं 14.12.2020 718899

16 हांसापुर पक्की सड़क से झुनझुनवाला विद्यालय तक लेपन कार्य। 9.54 लाख मे0 नीरज सिंह 10.09.2020 एवं 28.09.2020 562675 अपूर्ण

महायोग:- 12314104

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि, कार्यो को अधूरा छोड़ कर उपरोक्त धनराशि की अनियमितता की गयी। जिसके लिए उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता तथा लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। ससमय कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। मूल आपत्ति संख्या.32

प्रस्तर 22 प्रमुख सचिव उ0 प्र0 (पंचायती राज अनुभाग-03) के शासनादेश संख्या 1038/33-3- 2015-03 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर 03 के अनुसार जिला पंचायत को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपन्न करेगी। जिला पंचायत अयोध्या के निर्माण कार्य रजिस्टर की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान से कराये गए कतिपय निर्माण कार्यों में उक्त शासनादेश का पालन न करके अनियमितता की गई है विवरण अग्र लिखित है:-

(1) ग्राम सभा बिछिया में नाबरा प्राथमिक पाठशाला गोपालपुर के पास से बिछिया माइनर तक लेपन कार्य

(i) वा.स. 20 25-05-2021 आरs 987980.00

(ii) वा.स..144

18.08.2021 आरs 108802.00

(2) ग्राम पंचायत मानापुर में पंचायत भवन पक्की सड़क से धर्मशाला तक पैंटिंग कार्य

(i) वा.स. 29

02.11.2021 रु० 717225.00

(ii) वा.स. 36

03.02.2022 रु० 177624.00

(3) ग्राम सभा धरेठा दशरथपुर में राजेपुर पैंटिंग मार्ग का अवशेष भाग लेपन कार्य

; (i) वा.स. 46

25.06.2021 रु० 663666.00

(4) ग्राम सभा धेनुवावां में पैंटिंग सड़क का अवशेष भाग पूरे सीताराम मार्ग पर लेपन कार्य

(i) वा.स. 27

28.07.2021 रु० 130578.00

(5) ग्राम सभा दरियापुर में आगागंज टिकटी से गंगापुर जाने वाली पिच मार्ग से होकर दरियापुर गांव तक लेपन कार्य

(i) वा.स. 40

25.06.2021 रु० 647200.00

(ii) वा.स.47

08.02.2022 रु० 435711.00

(6) ग्राम सभा मयाभीखी मजरे परसपुर पोखरा रजवाहा से राम आसरे पांडे के घर तक सी0सी0 कार्य
(i) वा.स. 100
23.02.2022 रु० 815480.00
(7) ग्राम पंचायत चारावां में पक्की सड़क से पांडे का पुरवा मार्ग पर सी0सी0 कार्य विकास खंड तारून
(i) वा.स. 94
12.08.2021 रु० 856224.00
(8) ग्राम बल्लीपुर मजरा कृपालपुर में रामखेलावन पाल के खेत से कृपालपुर तक सोलिंग कार्य विकास खंडतारून
(i) वा.स. 87
31.01.2022 रु० 460158.00
(9) ग्राम रेवना में राम लखन मौर्या के घर से पपलू सिंह के पोल्ट्री तक सोलिंग कार्य विकास खंड हैरिंग्टनगंज
; (i) वा.स. 61
18.02.2022 रु० 361796.00
(10) बरई पारा में कामता सिंह के घर के सामने से रामदास पाल के घर होते हुए शारदा नहर तक लेपन कार्य विकास खंड मया
(i) वा.स. 21
13.09.2021 रु० 1397369.00
(ii) वा.स. 17
18.02.2022 रु० 969852.00
(11) ग्राम पंचायत चंवरधार में बीकापुर कोंछा संपर्क मार्ग पर स्थित बाबूराम तिवारी के घर से राम मूरत तिवारी के घर तक सोलिंग कार्य विकास खंड बीकापुर
(i) वा.स. 48
22.03.2022 रु० 671163.00
महायोग रु० 9400828.00
उक्त अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या.33

प्रस्तर 23 दिनांक 12.08.2021 को चेक संख्या 798215 से प्रिंटिंग बिल का भुगतान रुपया 99145.00 किया गया, परंतु पुष्टि में कोई साक्ष्य/वाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त धनराशि को अपहरण में आकलित करने हुए इसकी वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार से अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या.38

प्रस्तर 24 दिनांक 12.10.2021 को चेक संख्या 798634 से चेयरमैन के कैंप कार्यालय में फर्नीचर पर ब्यय रुपया 95025.00 किया गया है। इसकी पुष्टि में कोटेशन, खरीद बाउचर, एस्टीमेट स्टाक रजिस्टर इत्यादि उपलब्ध नहीं रहे। अतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी अतः उक्त धनराशि को अपहरण में आकलित करने हुए इसकी वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार से अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या.39

प्रस्तर 25 - जिला पंचायत अयोध्या की वार्षिक प्राप्तियो एवं भुगतान लेखा वर्ष 2021-22 जो कि ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध है, की जाँच मे निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई। (प्रिया साफ्ट प्रति संलग्न है।)
प्रिया साफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 मे कुल आय = 6476.97 लाख

संस्था द्वारा प्रेषित वार्षिक विवरण पत्र के अनुसार कुल आय=6726.87 लाख
राज्य वित्त आयोग= 6726.87 लाख
तेरहवां वित्त आयोग
योग - 6726.87 लाख
संस्था के निजी श्रोतों से कुल आय = (+) 202.13
कुल योग = 6929.00 लाख
प्रिया साफ्ट एवं संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरणिका के अनुसार अन्तर की धनराशि = 452.03 लाख
इस प्रकार संस्था द्वारा पब्लिक डोमेन प्रिया साफ्ट पर मनमाने ढंग से आँकड़े दर्शित कर शासन को गुमराह किया जा रहा है तथा अनियमित कार्य किया गया है, जो कि भारत सरकार के सी० ए० जी० की तकनीकी गाईड लाइन्स का उल्लंघन है। अंतर की धनराशि रू० 452.03 लाख से वित्तीय आँकड़े की दर्शाने मे गम्भीर अनियमितता की गयी है इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं लेखाकार तथा वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-63**

प्रस्तर 26 - संस्था की वार्षिक प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा वर्ष 2021-22 जो कि प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध है, की जांच में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई-(प्रिया साफ्ट की प्रति संलग्न है)
प्रिया साफ्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 मे कुल व्यय 3634.78 लाख
संस्था द्वारा प्रेषित विवरण पत्र (वार्षिक विवरणिका) के अनुसार व्यय
राज्य वित्त आयोग = 3238.03 लाख
तेरहवां वित्त आयोग -
योग = 3238.03 लाख
संस्था के निजी श्रोतों से व्यय की स्थिति
(प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार)- (+) 192.74 लाख
कुल योग = 3430.77 लाख
प्रिया साफ्ट एवं संस्था के वार्षिक विवरण पत्रों
के अनुसार अन्तर की धनराशि = 204.01 लाख
इस प्रकार संस्था द्वारा पब्लिक डोमेन-प्रिया साफ्ट पर मनमाने ढंग से आँकडे दर्शित कर शासन को गुमराह किया गया है तथा अनियमितता किया गया है जो कि भारत सरकार के सी०ए०जी० तकनीकी गाइड लाइन्स का उल्लघन है। अन्तर की धनराशि रू० 204.01 लाख से वित्तीय आँकडों को दर्शाने में गम्भीर अनियमितता की गई है। इसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं लेखाकार तथा वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-64**

प्रस्तर 27 - प्रपत्र सं०- 05 के अनुसार अन्त्योदय / स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत नगीगू वितरित ऋणो की धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -
B-दिनांक 31/03/2019 को विगत वर्षों की भाँति ऋण योजना में अवशेष पाना था
विवरण निम्न प्रकार है:

क्रमांक / मद	**बकाया (लाख में)**	**वसूल (लाख में)**	**लाभार्थी की संख्या**	**अवशेष (लाख में)**
अ- अन्त्योदय योजना	49.20 लाख	-	4608	49.20 लाख
ब- स्थानीय विकास	84.02	-	598	84.02 लाख

स-स्पेशल कम्पोनेंट	2.52	-	375	2.52 लाख
योग	135.74	-	5581	135.74 लाख

उपरोक्तानुसार वितरित ऋण पर विगत वर्षों से न तो कोई ब्याज लगाया गया है और न ही वसूली की गई है। पुष्टिमे कोई सूची (ऋण सदस्यों की सूची) या रजिस्टर भी नही प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार रू० 135.74 लाख गैर निष्पादन परिसम्पत्ति हो गयी है। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी है जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-65(B)**

प्रस्तर 28 - जिला पंचायत द्वारा तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत वसावट (पेन्टिंग) कार्यों को कराया गया है. जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	बीकापुर इनायत नगर सम्पर्क मार्ग से खेमा ग्राम सभा के चंवरढार होते हुए खेमा सराय मार्ग पर पेन्टिंग कार्य पर भुगतान	2428666.00
2	बीकापुर रामपुर सम्पर्क मार्ग से सोनखरी होते हुए कनकपुर पिपरी मार्ग पर लेपन कार्य का भुगतान	2823288.00
3	चौरेबाजार बेरूगंज सम्पर्क मार्ग के कुटी सरैया गाग मार्ग पर लेपन कार्यमा०23.93 अपूर्ण (इमल्सन नही दिया)	1647000.00
4	अनैया भारी भदौली सं० मार्ग से नगरहा गांव के सामने से हैदरपुर होते हुए मुझभरिया मार्ग पर लेपन कार्य पर भुग	3417857.00
5	मदहरा रामपुर बुजुर्ग सं० मार्ग स बेनिया सं० मार्ग पर पेन्टिंग	2341274.00
6	रामापुर माइनर से होते हुए लक्ष्मणपुर तक लेपन कार्य पर भुगतान	1648588.00
7	संजय गंज नई बाजार से अरथर गाँव पेन्टिंग कार्य	2440887.00
8	प्रा० पा० धौरहरा से हरिजन बस्ती होते हुए धौरहरा गाँव तक पेन्टिंग कार्य का भुगतान	1485929.00
9	मिया का पुरवा नेवरा मार्ग से डिलवल भवानी नीम मार्ग तक पेन्टिंग कार्य का भुगतान	2821771.00
10	जफरन गद्दाँ पुर सं० मार्ग से प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए लोधन पुरवा तक लेचन कार्य पर भुगतान	2936884.00
	कुल योग	17375493.00

किसी भी पत्रावली में लागत वेरीफिकेशन तालिका स्वीकृत कर संलग्न नहीं है। रायल्टी में छूट पाने हेतु अन्य जनपदों के एम एम 11 (गोण्डा, बहराइच, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर) लगाये गये है। उपरोक्त पत्रावलियाँ बार-बार माँगे जाने पर भी नहीं प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अनुचित रवन्ना के आधार पर रायल्टी के कटौती कर ठेकोदारोंको लाभ पहुँचाया गया तथा ठेकेदारों का लाभ 10% के स्थान पर 10.50% लगाया गया। ट्रैक कोट का मात्र 0.25 किग्रा. के स्थान पर 0.35किग्रा. प्रति वर्ग मीटर प्रयोग की गई तथा कराये गये कार्यों की टेस्टिंग नही करायी गई। अतः 13वें वित्त आयोग की गाइडलाइन एवं शासनादेशों के विरुद्ध रू० 17375493.00 का भुगतान करके अनियमितता की गई है जिसके लिए दोषी अध्यक्ष,अपरमुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं वित्तीय परामर्शदाता के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-66**

प्रस्तर 29 लेखा परीक्षा के दौरान निर्माण कार्य रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कुछ कार्यों को प्रारम्भ कर प्रथम-भुगतान करके रोक दिया गया है जो लगभग 2 वर्षों में अधूरा है। कतिपय विवरण निम्न प्रकार है-

	क्रमांक	निर्माण कार्य	मानक अनुमान	निर्माण कार्य एजेंसी	प्रथम भुगतान /	धनराशि

		रजि० पेज / कमांक	(लाख में)		दिनांक सहित	
राज्य वित्त आयोग	1	16/61	09.30	में० राम टेडर्स	11/06/2018	221000.00
	2	16/64	05.84	श्री उदय शंकर सिंह	20/07/2018	431000.00
	3	18/72	08.14	श्री रामकेवल यादव	22/03/2018	637000.00
	4	23/03	23.93	श्री संजय सिंह यादव	208/07/2018 11/06/2018	1647000.00
	5	25/11	11.85	श्री राम मिलन	27/03/2019	604800.00
	6	26/14	20.12	श्री शराफत उल्ला	26/05/2018	890000.00
	7	35/49	12.58	मे० राकेश कान्स०	20/047/2018 19/03/2019	1045451.00
	8	35/50	14.11	में० श्रद्धा कान्स०	08/06/2018	1156000.00
	9	35/52	28.70	में० राम टेडर्स	11/06/2018 31/01/2019 02/04/2019	2256171.00
	10	36/57	18.85	श्री शिव दुलारे गुप्ता	27/06/2018	1273000.00
	11	38/62	14.37	मे० राम ट्रेडर्स	20/07/2018 31/10/2018	1153807.00
	12	39/66	18.41	श्री राम केवल यादव	08/06/2018 17/11/2018	1528632.00
	13	40/73	15.45	में राकेश कान्स० पो० मुकेश कुमार	24/07/2018	987000.00
	14	41/74	27.35	में आदित्य कान्स०	26/05/2018	1334000.00
	15	41/75	25.00	श्री राकेश कुमार	29/12/2018	924000.00
कुल योग						16088861.00

उपरोक्तानुसार पत्रावलियां बार-बार पत्राचार द्वारा ऑडिट मे प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया परन्तु पत्रावलियां प्रस्तुत नही की गयी इस प्रकार स्पष्ट है कि मानक अनुमान के सापेक्ष प्रथम बिल का भुगतान कर कार्य प्रारम्भ तो कर दिया गया परन्तु कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। इससे कार्यों के प्रारम्भ होने में भी संदेह है। इस प्रकार प्रथम बिल की धनराशि 16088861.00 का स्पष्ट रूप से अपहरण किया गया है। उक्त अपहरित धनराशि 16088861.00 की वसूली उत्तरदायी, अपर मुख्य अधि०(तत्कालीन) लेखाकार अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता एवं निर्माण कार्य एजेन्सी से किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या-67)

जनपद- बाराबंकी मण्डल-अयोध्या

प्रारूप-2 जिला पंचायत

जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2021-22

दुकान किराया संबंधी आपत्तियाँ :-

प्रस्तर-1 लेखा परीक्षा मे वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दुकान किराया रजि0 की जाँच की गई जिसके अनुसार सेम्यवार दुकान किराया का दिनांक 01-04-2021 का प्रारंभिक अवशेष , वर्ष की वसूली वर्ष मे कुल आरोपित दुकान किराया तथा वर्षांत दिनांक 31-03-2022 को कुल अवशेष की स्थिति निम्नवत है ।

क्रमांक	नाम सेक्टर	प्रा0 अवशेष दि0 01-04-2021	वर्ष 21-22 मे देय दुकान किराया	वर्ष 21-22 मे कुल वसूली	अंतिम अवशेष दिनांक 31-03-22
1	फतेहपुर	190053.00	552672.00	574888.00	167837.00
2	दरियाबाद	256597.00	236868.00	19500.00	473965.00
3	जैदपुर हरख , नवाबगंज	1533298.00	1033516.00	278457.00	2288357.00
4	कुर्सी	133007.00	132312.00	76837.00	188482.00
5	रामसनेहीघाट	65358.00	71520.00	63276.00	73602.00
6	देवा	19489.00	120168.00	120168.00	19489.00
7	हैदरगढ	434146.00	303780.00	128065.00	609861.00
8	कार्या0 जिला पं0 परिसद	841964.00	724884.00	277507.00	1289341.00
9	जहागिरबाद	183966.00	211680.00	222256.00	173390.00
10	महमूदाबाद	11804.00	11712.00	1000.00	22516.00
योग		3669682.00	3399112.00	1761954.00	5306840.00

उपरोक्त विवरणानुसार जैदपुर क्षेत्र मे रु0 2288357.00 , हैदरगढ़ क्षेत्र मे रु0 609861.00 कार्यालय जिला पंचायत परिषद नवाबगंज मे रु0 1299341.00 अत्यधिक बकाया है। जिससे यह स्पष्ट है की उक्त क्षेत्र के राजस्व निरीक्षको द्वारा वसूली हेतु सार्थक प्रयास नहीं कर रहे है। अन्य क्षेत्रो मे भी राजस्व निरीक्षको द्वारा विशेष प्रयास कर समस्त बकाया वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रू० 5306840.00

प्रस्तर-2- लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत दुकान किराया रजि0 की जाँच मे पाया गया कि मृतक आवटियो को भी दुकान किराया की गणना कर डिमांड लगाई गयी है जो वैधानिक नहीं है । तथा अत्यंत आपत्तिजनक है । नियमानुसार दुकान का आवंटन निरस्त कर नियमानुसार प्रीमियम की धनराशि प्राप्त कर पुनः आवंटित किया जाना चाहिए ! मृत आवंटी के नाम पर दुकान किराया की गणना किया गया तथा वसूल किया गया का विवरण निम्नवत है ।

क्रमांक	नाम आवंटि	दिनांक 01-04-2022 का बकाया	वर्ष 21-22 को डिमांड	योग	वसूली	दिनांक 31-03-2022 को अवशेष
1	श्रीमती सियापती (फतेहपुर)	25766.00	15648.00	41414.00	0.00	41414.00
2	श्री विश्वनाथ गुप्ता (रामसनेहीघाट)	17256.00	10728.00	27984.00	0.00	27984.00
3	श्री मो0 शरीफ जैदपुर (हरख)	28572.00	26820.00	65392.00	10000.00	55392.0
4	श्री मो0 शाहिद (हरख)	36744.00	26820.00	63564.00	10000.00	53564.00
5	श्री सददुदीन जैदपुर (हरख)	38654.00	26820.00	65474.00	5000.00	60474.00
6	श्री मेवालाल जैदपुर (हरख)	41954.00	26820.00	68774.00	9131.00	59643.00

	योग	198946.00	133646.00	332602.00	34131.00	298471.00

उपरोकतानुसार मृतक आवंटी श्री मो0 शरीफ से रु0 10000.00 मो0 शाहिद से रु0 10000.00 श्री सददुदीन से रु0 5000.00 तथा श्री मेवालाल से रु0 9131.00 की वसूली दर्शायी गयी है । जो नियम विरुद्ध है । उपरोक्त 6 मृतक आवटियो पर कुल दुकान किराया बकाया रु0 298471.00 है । जिसे नियमानुसार वसूली नहीं किया जा सकता है । फतेहपुर जैदपुर , हरख तथा रामसनेहीघाट मे राजस्व निरीक्षको द्वारा समयनुसार दुकान किराया पटल सहायक को उक्त आवंटियों के मृत होने की सूचना नहीं दी गयी । जिससे व नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त दुकानों का आवंटन निरस्त कर पुनः आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते ! उक्त दुकान किराया समयनुसार वसूली न होने की स्थित मे हर माह की 7 तारीख को संबंधित आवंटियों को दुकान किराया पटल सहायक श्री संतोष सिंह द्वारा कोई नोटिस भी जारी नहीं की गयी जो अत्यंत आपत्ति का विषय है । राजस्व निरीक्षको द्वारा घोर लापरवाही की गयी है । जिसे उच्चधिकारियों को अवगत कराया जाता है ।

अतः उक्त दुकानों का तत्काल निरस्त कर पुनः आवंटित किया जाय जिससे जिला पंचायत को उक्त दुकानों से होने वाली आय की हानि नहीं हों । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू0 298471.00

प्रस्तर-3. :- लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत दुकान किराया रजि0 की जांच मे ये पाया गया की आधिकाशत आवंटियों द्वारा नियमानुसार प्रत्येक माह की 7 तारिक को दुकान किराया नहीं जमा किया जा रहा है । प्रत्येक सेक्टर से कतिपय उद्धहरण निम्नवत्त है । आधिकाशत आवंटियों द्वारा किराया लंबे अंतराल के उपरांत जमा किया जाता है । जो नियम विरुद्ध है ।

क्रमांक	नाम आवंटी	क्षेत्र	निर्धारित दुकान किराया	जमा धनराशि	2% दंनीय ब्याज
1	श्री लाल चंद्र जैन पुत्र अभय कुमार जैन	फतेहपुर	2235 प्रति माह	25.01.2021 को जुलाई 21 से सितम्बर 21 तक 6705.00	2800.00
2	श्री उज्ज्वल कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचंद्र जैन	फतेहपुर	1304 प्रति माह	22.10.21 को रसीद सं0 0113715 से जुलाई 21 से सितम्बर 21 तक रु0 7824 जमा बकाया 7820.00	1721.00
3	श्री पवन कुमार पुत्र श्री कुवर चंद	दरियाबाद	894 प्रति माह	वर्ष मे जमा शून्य बकाया रु0 22926.00 बकाया	1180.00
4	श्री दिनेश कुमार सिंह पुरता श्री बाबू सिंह	दरियाबाद	894 प्रति माह	वर्ष मे जमा शून्य बकाया रु0 2198.00 बकाया	1180.00
5	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार	रामसनेहीघाट	1192 प्रति माह	वर्ष 20-21-2022 की किसी माह का किराया जमा नहीं किया गया है । बकाया रु0 14304.00	1573.00
6	श्री राकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री राम वर्मा	कार्या0जिला पं0	2980 प्रति माह	वर्ष 20-21 की किसी माह का किराया जमा नहीं किया गया है । बकाया रु0 73252.00	3934.00
7	श्री निजामुद्दीन श्री अकबर अली	जैदपुर(हरख)	2235 प्रति माह	दिनांक 25-06-2021 का मात्र रु0 1000.00 जमा बकाया 63485.00	2951.00
8	श्री लाल बहादुर पुत्र श्री स्व0 कृष्ण कुमार	जहागिरबाद	1192 प्रति माह	वर्ष 20-21 की किसी माह का किराया जमा नहीं किया गया है । बकाया रु0 14304.00	1573.00
9	श्री राम रत्न यादव पुत्र श्री हरी भजन यादव	देवा	1431 प्रति माह	वर्ष 20-21 की किसी माह का किराया जमा नहीं किया गया है । बकाया रु0 21499.00	1889.00
10	श्री सुरेन्द्र प्रकाश सिन्हा पुरता श्री आनंद प्रकाश	हैदरगढ	1431 प्रति माह	शून्य जमा नहीं है	1889.00

	सिन्हा				
योग					20690.00

उक्त विवरणनुसार उक्त आवंटियों से कुल रु0 20690.00 दुकान किराया बिलम्ब से जमा करने हेतु दंडनीय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है । इसी प्रकार बिलम्ब से दुकान किराया जमा करने वाले आवंटियों से भी नियमानुसार 2% मासिक दंडनीय ब्याज की गणना कर वसूली किये जाना अपेक्षित है । जिससे जिला पंचायत को दुकान किराया से होने वाले आय की हानि न हो । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 20690.00**

प्रस्तर-4:- लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत दुकान किराया रजि0 (प्रपत्र - 27 नियम संख्या 168) की जाँच मे यह प्रकाश मे आया की सभी सेक्टरों के अधिकांश आवंटियों द्वारा (वर्ष 2021-22) मे एक माह का किराया भी जमा नहीं किया गया है । और जमा भी किया गया है । तो लगभग 3-4 माह का एक साथ जमा किया गया है । नियमानुसार प्रत्येक आवंटियों को माह के 7 तारीख तक दुकान किराया जमा करना चाहिए अन्यथा की स्थित मे 2% मासिक दंडनीय ब्याज तथा लगातार 3 माह तक किराया जमा न करने पर आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है । लगातार 3 माह तक दुकान किराया जमा न करने वाले आवंटियों के सेक्टरवार कतिपय उदाहरण निम्नवत है ।

क्र मांक	नाम आवंटी	सेक्टर	दुकान सं0	निर्धारित मासिक किराया	वर्ष 21-22 मे जमा	बकाया
1	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह	कार्या0जिला पं0	03	2980.00	0.00	55320.00
2	श्री राजेश कुमार मौर्य पुत्र संत प्रकाश मौर्य	जैदपुर(हरख)	02	2235.00	0.00	56279.00
3	श्री राजेश कुमार जयसवाल पुत्र बद्रीप्रसाद	देवा	01	1669.00	20028 परंतु माह जनवरी 22 से मार्च 22 तक तक नहीं जमा	5042.00
4	श्री सोमदांत वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायन वर्मा	हैदरगढ	07	1431.00	0.00	59592.00
5	श्री संजय कुमार जैन पुरता इन्द्र चंद्र जैन	फतेहपुर	17	1304.00	माह अगस्त 21 से जनवरी 22 तक किराया 06-01-2022 को जमा किया गया	0.00
6	श्री गिगिर कुमार सिंह पुत्र श्री औतार सिंह	दरियाबाद	07	894.00	0.00	19926.00
7	श्री राम लाल वर्मा पुत्र श्री मेवालाल	निन्दुरा	05	1192.00	अप्रैल 21 से मार्च 22 तक किराया 14304 को एकमुश्त 05-03-22 को जमा	11030.00
8	श्री अलीम पुत्र श्री असीन	महमूदाबाद	394	488.00		5856.00

9	श्री संजय कुमार	रामसनेहीघाट	02	1192.00		11920.00
10	श्रीमती सुनीता देवी	जहागिरबाद	02	1192.00	0.00	14304.00
	योग					2392690.00

उपरोक्त आंवटियों को रु0 2392690.00 दुकान किराया के पटल सहायक द्वारा आवंटन निरस्त करने हेतु नोटिस जारी किया जाना अपेक्षित है। जिससे समस्त आवंटिया में समयानुसार दुकान किराया जमा करने हेतु सर्तक एवं जागरुक हो जिससे जिला पचायत को हानि न हो।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत दुकान किराया रजिस्टर तथा सम्बंधित पत्रावलियो की जांच में पाया गया कि दुकान किराया पटल सहायक श्री सन्तोष कुमार सिंह ने आवटियों द्वारा दुकान किराया नियमानुसार / समयान्तर्गत न जमा करने पर जिला पंचायत में दुकान किराया पटल से सम्बंधित नियमों के अर्न्तगत न तो समयान्तर्गत दुकान किराया जमा करने की नोटिस क्षेत्रवार नियुक्ति राजस्व निरीक्षक के माध्यम से जारी की ओर न हीं लगातार तीन माह तक दुकान किराया जमा न करने पर आंवटन निरस्त करने भी नोटिस जारी की गयी । नोटिस जारी करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस और आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 2392690.00

प्रस्तर-5- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-2022) की कैशबुक तथा आय पक्ष के प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि श्री अनिल कुमार राजस्व निरीक्षक द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र के मद में रसीद बुक के 171 से दिनाक 09-04-2021 से दिनांक 12-04-2021 के मध्य कुल रु 24750.00 की धनराशि विभिन्न तिथियों से वसूल की गयी। जब कि गार्ड फाइल में सलंग्न जमा बैंक वाउचर के अनुसार उक्त धन्यारी बैंक आफ इंडिया जिला पंचायत परिसर में दिनांक 19-05-2021 को जमा किया गया। इस आय को कैश बुक में दिनांक 24-05-2021 को दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में निम्न लिखित आपत्तियां हैं।

1. श्री अनिल कुमार राजस्व निरीक्षक द्वारा रू० 24750 को नियमानुसार दिनांक 15-04-2022 को जिला पंचायत परिसर में बैंक आफ इण्डिया में जमाकर कैशियर / लेखाकार को जमा वाउचर देना चाहिए परन्तु उन्होंने उक्त धनराशिको बैंक को दिनांक 19-05-2021 को जमा किया। उक्त धनराशि को श्री अनिल कुमार ने 30 दिन अपने पास हस्तगत रखा जो नियमानुसार अस्थायी गवन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि को समयान्तर्गत जमा न करने से जिला पंचायत को ब्याज की क्षति हुई है। 18% दण्डनीय ब्याज के रूप में 371.00 श्री अनिल कुमार राजस्व निरीक्षक से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

2. अदेयता प्रमाण पत्र से वसूल की गयी धनराशि रू0 24750.00 को राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19-05-2021 को बैंक आफ इंडिया जिला पंचायत परिसर में जमा किया गया। उक्त आय प्रमाणक को लेखाकार द्वारा प्राप्त आय प्रमाणक को अधिकाधिक अगले कार्य दिवस में कैशबुक में अनिवार्य रूप से दर्ज कर लिया जाना चाहिए। लेखाकार / कैशियर द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

3. उक्त प्रकरण की तरह ऐसे सभी राजस्व निरीक्षकों / पटल सहायकों (सूची तैयार कर) से लेखाकार / कैशियर द्वारा 18% दण्डनीय ब्याज (जिला पंचायत के हित में) वसूल किया जाना अपेक्षित है। जिन्होंने प्रपत्र-5 / अदेयता प्रमाण पत्र की रसीद द्वारा क्षेत्र से सम्पत्ति एवं विभवकर, लाइसेंस शुल्क अदेयता प्रमाण पत्र आदि मद में धन वसूल कर नियमानुसार निर्धारित तिथि प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को बैंक आफ इंडिया जिला पंचायत परिसर में जमा न कर लम्बी अवधि तक अपने पास हास्तगत रखा है। जिला पंचायत भी नगर आय की धनराशि को समयान्तर्गत बैंक में जमा न करना अस्थाई गबन की श्रेणी में आता है । उक्त गम्भीर प्रकरण जिसमें जिला पंचायत को ब्याज के साथ - अर्थिक क्षति हो रही है। परन्तु लेखाकार / कैशियर द्वारा ध्यान न दे कर अपने राजकीय दायित्वों के निस्तारण में घोर लापरवाही की जा रही है। जो अत्यन्त

आपत्तिजनक है । विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 05 धनराशि रू० 24750.00**

प्रस्तर-6- सम्पति व विभव कर पंजिका के अनुसार वर्ष-2021-2022 में कुल प्रभावित कर रु. 12986665=00 था निर्धारित कर12713015.00 था ! इस प्रकार कुल रु 273650.00 की धनराशि कर अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से कम कर दिया गया है। जबकि कर निरीक्षकों एवं सहायक कर निरीक्षकों के प्रमाण पत्र एवं उनके द्वारा आंकलित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का आय-व्यय का ब्योरा वाणिज़्य कर जी एस टी आदि का कोई भी प्रमाणक विकास खण्ड वार पत्रावली में संलग्न कर अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल रु 273650.00 की धनराशि भी अनियमितता कर निरीक्षकों द्वारा की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए कर अधिकारी एवं कर निरीक्षक उत्तर दायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 07(5) धनराशि रू0 273650.00

प्रस्तर-7- धारा-150 के अन्तर्गत कर की वसूली हेतु किन व्यक्तियो के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी कई बार मांगने के बावजूद भी कर अधिकारी द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों की कोई जानकारी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी । वसूली के लिए निम्न प्रतिशत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कर वसूली हेतु जिला पंचायत द्वारा कोई भी सक्रिय प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण जिला पंचायत को कुल रु 4,6333146.00 की राजस्व की क्षति उठानी पड़ी हैं। इस गम्भीर वित्तीय क्षति एवं अनियमितता के लिए कर अधिकारी एवं सहायक कर निरीक्षक एवं अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। शासन एवं जिले में उच्चाधिकारियों द्वारा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 07 (6) **धनराशि रू0 4,6333146.00**

प्रस्तर-8-जिला पंचायत बाराबंकी में वर्ष 2021-2022 में जिले में समस्त विकास खण्डो में विभव एवं सम्पति कर बकाया है जो विगत वर्षो से विभव कर जिला पंचायत को नहीं दे रहे हैं। जिनका कतिपय विवरण निम्नवत् है ।

क्रमांक	व्यवसायी का नाम	व्यवसाय का नाम	बकाया धनराशि
1	मेसर्स अंजनी ब्रिक फील्ड बबुरीगांव प्रो० दिनेश कुमार पुत्र श्री गुरु प्रसाद विकास खण्ड देवा	ईट भटटा	24000
2	मेसर्स अमना ब्रिक फील्ड मकूजानी पुत्र वीरेन्द्र वर्मा पुत्र श्री गुरुणर निवासी तासपुर विकास खण्ड- देवा	ईट भटटा	20000.00
3	श्री गंगाराम श्री रामखेलावन कैथी सरैया देवा	चक्की स्पेलर/पालेसर	12000.00
4	चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गोकरन प्रसाद कैथी सरैया देवा	गल्ला बाडा	14200.00
5	साबिर रेडिंग कम्पनी प्रो० अब्दुल खालिक पुत्र श्री गरीते कैथी सरैया देवा	गल्ला बाडा	12600.00
6	श्री रमेश चन्द्र चौकीदार कैथी सरैया देवा	पालेसर	12100.00
7	मे० हीरा नुरा मेण्ट प्रा० लि० प्रो० श्री के०पी० गुप्ता बरेठी देवा	मुगदिना फैक्टरी	12000.00
8	श्री राम सागर पुत्र छोटेलाल कुरखिला देवा	पालेसर चक्की	9000.00
9	शिवम किसान सेवा केन्द्र प्रो० दिनेश चन्द्र पुत्र श्री छोटेलाल वर्मा जसनवारा देवा	गल्ला बाडा	9000.00
10	सैप्यद हसन उर्फ पुन्तन पुत्र श्री बफाती जसनवारा देवा	सरिया, सीमेन्ट	18000.00

		मोरंग	
11	मेसर्स एम ए०सी० मोटर प्रा० लिमिटेड डायरेम्टर मो जुनैद विकास खण्ड देवा	मोटर रिपेयरिंग	44500.00
12	मे० डबरमरोटी द्वारा प्रबंधक	डबल रोटी	34000.00
13	लोहे की चिमनी प्रो०एम०के चडढा सन्टौली उमरपुर	चिमली मेकर	27000.00
14	न्यू भारत स्टील वर्क्स प्रो० आशिक अली मो०पुर चौकी	आयरन	24000.00
15	श्री शब्बीर अहमद शहाबपुर	कपडा स्टोर	23250.00
16	श्री सन्तोष कुमार वि०खण्ड बंकी	गल्ला बाडा	19850.00
17	श्री मुन्न पुत्र मुल्मिल मो० पुर चौकी विकास खण्ड बंकी	किराना	15270.00
18	श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री विधा प्रसाद कुरौली विकास खण्ड बंकी	होटल भोजनालय	14575.00
19	श्री मो० शकील पुत्र श्री लड्डन मो०पुर चौकी विकास ख्ण्ड बंकी	जनरल स्टोर	12680.00
20		ईट भटटा	12000.00
21		टेण्ट हाउस	21000.00
22		पालेसर	14500.00
23		पालेसर	14500.00
24		पालेसर	18700.00
25		पालेसर	20080.00
26		टेण्ट हाउस	12500.00
27		लोहा बक्सा	11750.00
28	कुल योग		483055.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले के कई विकास खण्डों में स्थिति फर्म/व्यायसायी संचालित हो रहे है । लेकिन जिला पंचायत द्वारा उनसे विभव कर की वसूली नही कर पा रहा है । कतिपय फर्मो व व्यवसायीयो का कुल बकाया धनराशि 483055.00 है । फर्मो से टैक्स न वसूल पाना जिला पंचायत की उदासीनता का धोतक है । जिसके लिए कर निरीक्षक सहायक निरीक्षक एवं कर अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 20 धनराशि रू० 483055.00

हड्डी चमडा पटल सम्बन्धित आपत्तिया-

प्रस्तर-9- मृत पशू शव निस्तारण समितियों का बकाया 31-03-2022 तक

क्रमांक	समिति का नाम	विकास खण्ड	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1	श्री राम विलास पुत्र हीरालाल निवासी गांधी नगर देवा रोड बाराबंकी	मसौली	5000.00	7000.00
2	श्री मो० कलीम पुत्र मो० सईद निवासी व पोस्ट कुर्सी बाराबंकी	निन्दूरा	5000.00	25000.00
3	मो० अजीज पुत्र मो० हक निवासी भयारा बाराबंकी	रामनगर	6200.00	1200.00

4	श्री जगदीश पुत्र श्याम लाल निवासी कुतलपुर लाल पुर बाराबंकी	सूरतगंज	5750.00	750.00
5	श्री जगदीश पुत्र श्याम लाल निवासी कुतलपुर लाल पुर बाराबंकी	सूरतगंज	5000.00	700.00
6	श्री मैनुद्दीन पुत्र ननकऊ निवासी असन्द्रा बाराबंकी	सि्द्धौर	5000.00	800.00
7	श्री हैदरअली पुत्र मुनीर निवासी व पोस्ट धोठी बाराबंकी	सि्द्धौर	5000.00	800.00
8	श्री मुफीद अहमद पुत्र मुनीर अहमद निवासी दरियाबाद बाराबंकी	पूरेडलई	5000.00	700.00
9	श्री जावेद अहमद पुत्र मो० शरीफ निवासी वयोस्ट दरियाबाद बाराबंकी	पूरेडलई	5000.00	650.00
10	श्री खुर्शीद अहमद पुत्र मो० शरीफ बाराबंकी	दरियाबाद	5000.00	1000.00
			51950.00	38600.00

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मृत पशु नाव निस्तारण हेतु जिन समितियों / व्यक्तियों को लाइसेंस दिया गया है। उसमें से कुल 10 समितियों / व्यक्तियों के द्वारा ठेका / लाइसेंस लाभ मिलने के बावजूद भी अधतन नीलामी की धनराशि जिला पंचायत में नहीं जमा भी गयी है। जबकि बकाया राशि को मासिक किस्तों में वसूल किया जाना था 31-3-2002 तक कुल बगल धनराशि रू. 38600.00 है । वसूली के प्रति लापरवाही बरतने के कारण संख्या में रू. 38600.00 की वित्तीय क्षति उठानी पड़ी है। उक्त वित्तीय क्षति । अनियमिता के लिए कर निरीक्षक / कर अधिकारी एंव सहायक कर निरीक्षक एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 21 धनराशि रू० 38600.00**

प्रस्तर-10- मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय 6.61 लाख ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित न किया जाना :-

उ०प्र० शासनादेश संख्या 682 वी / 33-**314**(**2**)/34 दिनांक 10-03-1987 एवं 2203/3-2-787-43 वी (8) 95 टी0सी0 दिनांक 30-5-1997 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत पशुशव निस्तारण से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास के कार्यों हेतु देय है।

कार्यालय जिला पंचाकर बाराबंकी में राजस्व वसूली से संम्बंधित अभिलेख एवं मासिक लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष-2021-2022 में मृत पशु शव निस्तारण मद से रु० 13.221 लाख की आय जिला पंचायत को प्राप्त हुई । लेकिन उक्त शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त आय का 50% अर्थात एक 6.61 लाख की धनराशि ग्राम पंचायतो को हस्तान्तरित नहीं किया गया था जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हुए !

उपरोक्त शासनादेशों का घोर उल्लघन जिला पंचायत के द्वारा किया गया है, जिसके लिए पटल सहायक / अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 22 धनराशि रू० 6.61 लाख

प्रस्तर-11 - पंचम राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य -

कार्य का नाम - सिहाली सदहीपुर का मार्ग से नहर पटरी होते हुए चिन्तापुरवा तक लेपन कार्य-

उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्म आपत्तियां पायी गयी. टेण्डर धनराशि = 4446166.0

1- उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के गड्ढा मुक्त सड्क अभिमान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना था जिसके लिए निविदा 02-12-2021 को अल्पकालीन निविदा आमत्रित की गयी।

2- उक्त कार्य के लिए ठेकेदार के साथ एग्रीमेण्ट 1-1-2022 को किया गया कार्य को 3 महीने के अन्दर पूर्ण किया जाना था। लेकिन कार्य को पूर्ण केरने के लिए समय सीमा में वृद्धि करने के लिए ठेकेदार के द्वारा प्रार्थना पत्र दे कर समय का दिनांक 31-12-2022 तक का मांगा गया है । जब कि कार्य को समाप्त करने का दिनांक एवं कार्य पूर्ण करने का दिनांक 4-4-2022 था! ठेकेदार द्वारा प्रथम बार समय सीमा का प्रार्थना पत्र 31-7-2022 तक का मांगा था तत्पश्चात् बढ़ाकर दोबारा दिनांक 31-12-2022 तक का मांग लिया !

3- कार्य स्वीकृत दिनांक 11-2002-
ठेकेदार - मेसर्स नमन एसो सियेट
अवर अभियन्ता - श्री पी के त्रिपाठी एवं एस. के. वर्मा
प्राक्कलन मूल्क - 4446166.00
निविदा मूल्य - 3969790.90
स्वीकृत मूल्य -3808466.34
कार्यादेश की तिथि - 5-1-2022
कार्य पूर्ण करने की तिथि -4-4-2022
4- उक्त विलम्बित अवधि के लिए अध्याय-4 में वर्णित ठेका भी शर्तें खण्ड-2ग के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात रु 380000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु ऊपर अधिकारी / अभियन्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000 का जुर्माना लगाना संस्थाा को रु 379,000.10 की वित्तीय क्षति पहुंचायी गयी।
5-नियम - 47 के अंतर्गत जैसे ही ठेकेदार को कोई निर्माण सामग्री सौंपी जाएगी उससे सामग्री प्राप्त करने के प्रतीक स्वरूप प्रपत्र सं० निर्माणकार्य - 11 में दिनांक अभिस्वीकृति ली जाएगी ! परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति भी प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी और सामग्री का स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । अत- लेपन हेतु सौंपे गये बी० जी० 10 की मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी
उपरोक्त आपत्तियो का कोई तार्किक स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। अतः उक्त आपत्तियो के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से रु 379,000.0 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अभियन्ता अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 25 धनराशि रू० 379,000.0

प्रस्तर-12 पंचम राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य -
कार्य का नाम. अलदासपुर पुलिया से पूरे गोवरे तक लेपन भारत कार्य पुन निर्माण.
कार्य स्वीकृति दिनांक.01.01.2022
ठेकेदार -मेसर्स प्रिज्म कान्सट्रक्शन
अवर अभियन्ता का नाम. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा
प्रक्कलन मूल्य.3189352.26
स्वीकृति मूल्य.2819159.59
कार्यादेश की तिथि.5.1.2022
कार्य पूर्ण करने की तिथि.04.04.2022
उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी
1.उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के गढामुक्त सडक अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया गया था जिसके लिए निविदा अमत्रित की गयी थी।

2.उक्त कार्य के लिए ठेकेदार की एग्रीमेन्ट 01.01.2022 में किया गया था। कार्य को 3 महीने के अन्दर पूर्ण किया जाना था लेकिन कार्य को पूर्ण करने के लिए ठेकेदार द्वारा 31.07.2022 तक समय वृध्दि की मांग की गयी थी जबकि कार्य को 04.04.2022 को पूर्ण करना था।

3. विलम्बित अवधि के लिए अध्याय 4 में वर्णित ठेका भी शर्तें खण्ड 2ग के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात रु 281000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु अवर अधिकारी अभियन्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000 का जुर्माना लगवाकर संस्था को रु 280000.00 की वितीय क्षति पहुंचायी गयी।

4-नियम 47 के अंतर्गत जैसे ही ठेकेदार को कोई निर्माण सामग्री सौंपी जाएगी उससे सामग्री प्राप्त करने के प्रतिकर स्वरूप प्रपत्र सं० निर्माणकार्य - 11 में दिनांक अभि स्वीकृति ली जाएगी ! परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति भी प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी और सामग्री का स्टाक रजिस्टर भी प्रास्तुत नहीं किया गया । अतः लेपन हेतु सौंपे गये बी० जी० 10 की मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी

उपरोक्त आपत्तियो का कोई तार्किक स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। अतः उक्त आपत्तियो के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से रू 280000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अभियन्ता अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 26 धनराशि रू० 280000.00**

प्रस्तर-1 3- 15 वां वित्त आयोग-

कार्य का नाम- बादल गेट रोड से मातादेवी मन्दिर होते हुए पुरेजोगावन तक लेपन कार्य-

कार्य स्वीकृति दिनांक-01.01.2022

ठेकेदार -में ए0आर के कान्टैमर एवं सपलायर्स

अवर अभियन्ता का नाम- श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा

प्रक्कलन मूल्य-2379424.00

निविदित मूल्य-2124485.81

स्वीकृति मूल्य-2115775.42

कार्यदेश की तिथि-5.1.2022

कार्य पूर्ण करने की तिथि-14.04.2022

उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी

1-उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के गढामुक्त सडके अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया गया था जिसके लिए निविदा अमांत्रित की गयी थी।

2-उक्त कार्य के लिए ठेकेदार की एग्रीमेन्ट 01.01.2022 में किया गया था। कार्य को 3 महीने के अन्दर पूर्ण किया जाना था लेकिन कार्य को पूर्ण करने के लिए ठेकेदार द्वारा 31.07.2022 तक समय वृध्दि की मांग की गयी थी जबकि कार्य को 04.04.2022 को पूर्ण करना था।

3- उक्त विलम्बित अवधि के लिए अध्याय.4 में वर्णित ठेका भी शर्तें खण्ड.2ग के अंतर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात रु 211000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु अवर अभियन्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000 का जुर्माना लगवाकर संस्था को रु 211000.00 की वित्तीय क्षति पहुंचायी गयी।

4.नियम . 47 के अंतर्गत जैसे ही ठेकेदार को कोई निर्माण सामग्री सौंपी जाएगी उससे सामग्री प्राप्त करने के प्रतीक स्वरूप प्रपत्र सं० निर्माणकार्य . 11 में दिनांक अभि स्वीकृति ली जाएगी ! परन्तु ऐसी अभि स्वीकृति भी प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी और सामग्री का स्टाक रजिस्टर भी प्रास्तुत नहीं किया गया । अत. लेपन हेतु सौंपे गये बी० जी० 10 की मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी

उपरोक्त आपत्तियो का कोई तार्किक स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। अतः उक्त आपत्तियो के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से रू 210000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके

लिए अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 27 धनराशि रू० 210000.00**

प्रस्तर-14 पंचम राज्य वित्त आयोग.

कार्य का नाम. जाफरपुर डामर रोड से दुरजनपूरवा नहर पटरी पर लेपन कार्य.

कार्य स्वीकृति दिनांक.09.02.2021

ठेकेदार का नाम-मैंसर्स आलोक कुमार सिंह

अवर अभियन्ता का नाम. श्री पी0के0 त्रिपाठी

प्रक्कलन मूल्य.1695812.00

निविदित मूल्य.1514117.84

स्वीकृति मूल्य.1429327.25

कार्यदेश की तिथि.5.1.2022

कार्य पूर्ण करने की तिथि.04.04.2022

उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी

1.उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के गढायुक्त सडके अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया गया था जिसके लिए निविदा अमत्रित की गयी थी।

2.उक्त कार्य के लिए ठेकेदार की एग्रीमेन्ट 09.01.2021 में किया गया था। कार्य को 3 महीने के अन्दर पूर्ण किया जाना था लेकिन कार्य को पूर्ण करने के लिए ठेकेदार द्वारा 20.07.2022 तक समय वृध्दि की मांग की गयी थी जबकि कार्य सार्बजनिक हितो को देखते हुए समय से पूर्ण किया जाना प्राथमिकता पर है । उक्त कार्य को 04.04.2022 को पूर्ण करना था।

3. उक्तत विलम्बित अवधि के लिए अध्याय 4 में वर्णित ठेका भी शर्तें खण्ड 2ग के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात रु 142000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु अवर अभियन्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 2000.00 का जुर्माना लगवाकर संस्था को रु 140000.00 की वितीय क्षति पहुंचायी गयी।

4. नियम 47 के अंतर्गत जैसे ही ठेकेदार को कोई निर्माण सामग्री सौंपी जाएगी उससे सामग्री प्राप्त करने के प्रतीक स्वरूप प्रपत्र सं० निर्माणकार्य 11 में दिनांक अभि स्वीकृति ली जाएगी ! परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति भी प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी और सामग्री का स्टाक रजिस्टर भी प्रास्तुत नहीं किया गया । अतः लेपन हेतु सौंपे गये बी० जी० 10 की मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी

उपरोक्त आपत्तियो का कोई तार्किक स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। अतः उक्त आपत्तियो के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से रू 140000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अभियन्ता अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 28 धनराशि रू० 140000.00**

प्रस्तर-15 पंचम राज्य वित्त आयोग से कराया गया निर्माण कार्य

कार्य का नामण् .शाहपुर डामर रोड से ग्राम सभा बरियापुर के मोड तक लेपन कार्यण्

कार्य स्वीकृति दिनांक.01.01.2022

ठेकेदार का नाम.मैंसर्स जय माता कन्टेक्टर एंड सपलायर्स

अवर अभियन्ता का नामण् श्री गणेश प्रसाद सिंह

प्रक्कलन मूल्य 3244306.00

प्रविधानित जी0एस0टी0-347604.22

निविदित मूल्य .2896701.83

स्वीकृति मूल्य 2896701.83

कार्यदेश की तिथि.5.1.2022

कार्य पूर्ण करने की तिथि.04.04.2022
ठेकेदार द्वारा समय सीमा में वृध्दि की मांग-30.06.2022
उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी
1.उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के गढामुक्त सडक अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया गया था जिसके लिए निविदा अमत्रित की गयी थी।
2.उक्त कार्य के लिए ठेकेदार की एग्रीमेन्ट 01.01.2022 में किया गया था। कार्य को 3 महीने के अन्दर पूर्ण किया जाना था लेकिन कार्य को पूर्ण करने के लिए ठेकेदार द्वारा 30.06.2022 तक समय वृध्दि की मांग की गयी थी जबकि कार्य सार्बजनिक हितो को देखते हुए समय से पूर्ण किया जाना प्राथमिकता पर है । उक्त कार्य को 04.04.2022 को पूर्ण करना था।
3. उक्त विलम्बित अवधि के लिए अध्याय 4 में वर्णित ठेका भी शर्तें खण्ड 2ग के अर्न्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात रु 289000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु ऊपर अधिकारी ध्अभियन्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000.00 का जुर्माना लगवाकर संस्ा्ऊपरा को रु 288000.00की वितीय क्षति पहुंचायी गयी।
4.ण्नियम ण् 47 के अंतर्गत जैसे ही ठेकेदार को कोई निर्माण सामग्री सौंपी जाएगी उससे सामग्री प्राप्त करने के प्रतीक स्वरूप प्रपत्र सं० निर्माणकार्य 11 में दिनांक अभि स्वीकृति ली जाएगी ! परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति भी प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी और सामग्री का स्टाक रजिस्टर भी प्रास्तुत नहीं किया गया । अतः लेपन हेतु सौंपे गये बी० जी० 10 की मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी
उपरोक्त आपत्तियो का कोई तार्किक स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। अतः उक्त आपत्तियो के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से रू 288000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 29 धनराशि रू० 288000.00**
प्रस्तर-16 15वां वित्त आयोगण् टाईडफण्ड से
कार्य का नाम 15वां वित्त आयोगण् टाईडफण्ड से कराया गया निर्माण कार्य-
ग्राम किंतूर से बुध बाजार के होली दर से चोटी नीम तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण विकास खंड सिरौली गौसपुर लंबाई 183मी0
कार्य स्वीकृति दिनांक.01.01.2022
निविदा-27.11.2021
ठेकेदार का नाम राजेश कुमार वर्मा
अवर अभियन्ता का नाम श्री गणेश प्रसाद सिंह
प्रक्कलन मूल्य 1007581.00
प्रविधानित जी0एस0टी0.
निविदित मूल्य
स्वीकृति मूल्य 859052.00
कार्यदेश की तिथि. 7.1.2022
कार्य पूर्ण करने की तिथि. 08.04.2022
ठेकेदार द्वारा समय सीमा में वृध्दि की मांग. 15.10.2022
जुर्माना-1000.00
उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी
1-उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के गढायमुक्त सडके अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया गया था जिसके लिए निविदा अमत्रित की गयी थी।

2-उक्त कार्य के लिए ठेकेदार की एग्रीमेन्ट 01.01.2022 में किया गया था। कार्य को 3 महीने के अन्दर पूर्ण किया जाना परंतु वास्तव में कार्य पूर्ण करने की तिथि तक पूर्ण नहीं कराया गया।
3-उक्त विलंबित अवधि के लिए अध्याय 4 में वर्णित ठेका भी शर्तें खण्ड 2ग के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात रु 85000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु ऊपर अधिकारी अभियन्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000.00 का जुर्माना लगवाकर संस्था को रु 84000.00 की वितीय क्षति पहुंचायी गयी।
4-नियम 39 के अंतर्गत उक्त कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता नियोजन एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण किया गया परंतु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।
5-पत्रावली में उक्त कार्य के लिए कार्यभार कल्याण बॉड का रू 1000.00 का पंजीकरण चलान भी नहीं जमा पाया गया।
उपरोक्त आपत्तियो का कोई स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। उक्त सभी आपत्तियो के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से रू 84000.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए पटल सहायक/अवर अभियंता एवं मुख्य अभियंता एवं मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 30 धनराशि रू० 84000.00**

प्रस्तर-17 15वां वित्त आयोग टाईडफण्ड से
कार्य का नामण् 15वां वित्त आयोग टाईडफण्ड से कराया गया निर्माण कार्य. बाडागांव खिजना मार्ग पर बडागांव आर0सी0सी0 नाली निर्माण लंबाई430 मी0
कार्य स्वीकृति दिनांक.01.01.2022
ठेकेदार का नाम सुभास सिंह
अवर अभियन्ता का नाम श्री पी0के0 त्रिपाठी
प्रक्कलन मूल्य 3200414.00
स्वीकृति मूल्य -2638055.45
निविदित मूल्य -2857512.00
कार्यादेश की तिथि. 04.01.2022
कार्य पूर्ण करने की तिथि. 03.04.2022
ठेकेदार द्वारा समय सीमा में वृध्दि की मांग. 31.10.2022
उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी
1.कार्य की प्रक्कलन शीट पर कार्य स्थल का फोटो संलग्नक नहीं पाया गया कार्य प्रारम्भ करने से पहले , कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण करने के पश्चात तीनो प्रारूपो पत्रावली में संकलित होना चाहिए। अतःकार्य स्थल की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी।
2.उक्त कार्य के लिए ठेकेदार की एग्रीमेन्ट 01.01.2022 को हुआ था जिसके अनुसार कार्य को 03.04.2022 को पूर्ण करना था एग्रीमेन्ट के 3 महीने के अन्दर पूर्ण किया करना था वास्तव में कार्य समय सें पूर्ण न कर ठेकेदार द्वारा समय सीमा की वृध्दि की मांग 31.10.2022 तक मागी गई है जबकी वास्तव में पहले नाली निर्माण कराया जाना प्राथमिकता पर था।
3. उक्त विलम्बित अवधि के लिए अध्याय 4 में वर्णित ठेका भी शर्तें खण्ड 2ग के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात रु 263000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु ऊपर अधिकारी अभियन्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000.00 का जुर्माना लगवाकर संस्था को रु 263000.00 की वितीय क्षति पहुंचायी गयी।

4.नियम 39 के अतरगत उक्त कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता नियोजन एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण किया गया परंतु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।
5.पत्रावली में उक्त कार्य के लिए कार्यभार कल्याण बोर्ड का रू 1000-00 का पंजीकरण चालान भी नहीं जमा पाया गया।
उपरोक्त आपत्तियो का कोई स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। उक्त सभी आपत्तियो के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से रू 262000.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए पटल सहायक अवर अभियंता एवं मुख्य अभियंता एवं मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 31 धनराशि रू० 262000.00

प्रस्तर-18 15वां वित्त आयोग टाईडफण्ड से
कार्य का नामण् ग्राम जरहरा में मदहिया लाल से रोड के किनारे से जरहरा झील तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण -
कार्य स्वीकृति दिनांक.01.01.2022
ठेकेदार का नाम राजेश कुमार वर्मा
अवर अभियन्ता का नाम श्री गणेश प्रसाद सिंह
स्वीकृति मूल्य. 1367869.59
निविदित मूल्य. 1383223.37
कार्यदेश की तिथि. 06.01.2022
कार्य पूर्ण करने की तिथि. 05.04.2022
ठेकेदार द्वारा समय सीमा में वृध्दि की मांग.15.10.2022
उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी
1 -कार्य की प्रक्कलन शीट पर कार्य स्थल का फोटो संलग्नक नहीं पाया गया कार्य प्रारम्भ करने से पहले ए कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण करने के पश्चात तीनो प्ररूपो पत्रावली में संगलित होना चाहिए। अतःकार्य स्थल की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी।
2.उक्त कार्य के लिए ठेकेदार की एग्रीमेन्ट 01.01.2022 को हुआ था जिसके अनुसार कार्य 3 महीने के अन्दर पूर्ण किया करना था परंतु वास्तव में कार्य पूर्ण करने की तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया।
3. उक्त विलांबित अवधि के लिए अध्याय 4 में वर्णित ठेका भी शर्तें खण्ड 2ग के अर्न्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात रु 136000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु अवर अधिकारी अभियन्ता द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000.00 का जुर्माना लगवाकर संस्था को रु 135000.00 की वितीय क्षति पहुंचायी गयी।
4.नियम 39 के अंतर्गत उक्त कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता नियोजन एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण किया गया परंतु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।
5.पत्रावली में उक्त कार्य के लिए कार्यभार कल्याण बॉड का रू 1000.00 का पंजीकरण चलान भी नहीं जमा पाया गया।
उपरोक्त आपत्तियो का कोई स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। उक्त सभी आपत्तियो के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से रू 135000.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए पटल सहायक अवर अभियंता एवं मुख्य अभियंता एवं मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 32 धनराशि रू० 135000.00**

प्रस्तर-19 विकास खण्ड निन्दूरा औधोगिक इकाइयो से लाम्बित वसूली रू 18.68 लाख.

उ0प्र0शासनादेश संख्या.1970/33.2.2020.62जी(2017)दिनांक 25.9.2020 में प्रविधानित है कि जिला पंचायतो भी सीमा में आने वाले औधोगिक क्षेत्रो में वसूले जाने वाले विभिन्न कर /यूजेज पार्जेज एक अलग खातो में जमा किये जायगे जिसकी 60 पतिशत धनराशि का उपयोग औधोगिक क्षेत्रो के भीतर नागरिक सुविधाओं की पूर्ति रख रखाव व विकास पर व्यय मण्डलाआयुक्त की अध्यक्षाता में गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा एवं शेष 40 प्रतिशत धनराशि पंचायती राज.2 अनुभाग.2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03जून 2014 के द्वारा भी स्पष्ट है कि उ0प्र0औधोगिक अधिनियम 1976की धारा 12 की व्यवस्था के अधीन कोई क्षेत्र शासन द्वारा औधोगिक नगरी धोषित नही होने की तिथि तक विभव एवं सम्पत्ति कर तथा लाइसेस शुल्क का नियमित भुगतान जिला पंचायत को करता रहेगा।

कार्यालय अपरमुख्य अधिकारी जिला पंचायत बारांबकी के अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत निन्दूरा,क्षेत्र पंचायत बंकी,हरख,देवा, एवं फतेहपुरमें औधेगिक/मिनी औधेगिक क्षेत्र स्थित है । जिनसे जिला पंचायत बाराबंकी के अनुमोदित उपविधि के अनुसार विभव एवं सम्पत्ति कर तथा लाइसेंस शुल्क लिया जाना प्राविधानित है परन्तु वर्ष 2021.2022 मे क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में स्थिति यूपीएसआईडीसी थी औधोगिक इकाइयो से रू 10400.00 की प्रति कर एवं करेत्तर आय के रूप में भी गयी। जब अन्य विकास खण्डो में स्थिति औधोगिक इकाइयो से कर के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की जा सकी दुसरी ओर क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में स्थिति औधोगिक इकाइयों में वर्ष 2014.15 वर्ष 2021.2022 तक लम्बित करो की वसूली न किये जाने से औधोगिक क्षेत्रो में स्थिति नागरिक सुविधाओ का विकास जिला पंचायत द्वारा नहीं किया जा सका। उपरोक्त वसूली के लिए कर अधिकारी , राजस्व निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निररीक्षक उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 61 धनराशि रू० 18.68 लाख**

जनपद- सुलतानपुर मण्डल - अयोध्या

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2021-22 आवंटन वर्ष- 2022-23

मण्डल का नाम- अयोध्या जनपद- सुलतानपुर

जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियां-

प्रस्तर-1 :

प्रमुख सचिव उ0प्र0 (पंचायत राज अनुभाग-03) के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रस्तर तीन के अनुसार जिला पंचायत को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पन्न कराएगी। जिला पंचायत सुलतानपुर के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में यह पाया गया कि संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान से कराये गये कतिपय निर्माण कार्यों में उक्त शासनादेश का पालन न करके अनियमितता की गयी है और क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत की एन0ओ0सी0 नहीं संलग्न की गयी है। जबकि ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को भी अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते है, जिससे डुप्लीकेसी की संभावना बनी रहती है। इसके लिये श्री हरिओम नारायण चन्द, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री राकेश कुमार यादव, अभियंता उत्तरदायी रहे। इनके प्रति नियम संगत समुचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	प्रमाणक सं0/दिनांक	कार्य का नाम	व्यय धनराशि

1	39/07.10.21	रमैयापुर में ओम प्रकाश सिंह के घर की ओर इण्टरलाकिंग	182560
2	40/07.10.21	पिसुहिया में पांचू के घर से शिवप्रकाश के घर तक मिट्टी सोलिंग	98112
3	71/22.10.21	ग्राम सभा कल्यानपुर बक्सर राम सहाय सिंह के खेत से जगदम्बा सिंह के खेत तक लेपन	203280
4	46/21.12.21	ग्राम देवाड़ में आंगनबाड़ी से निषाद बस्ती की ओर सी0सी0	772800
5	47/21.12.21	पूरे टी0डी0 शुक्ल में हीरा शुक्ला के घर से राम मिलन के घर की ओर सोलिंग	232960
6	49/21.12.21	विभोबापुरी में बजरंगनगर में सुनील के घर से रेनू सिंह के घर तक सी0सी0	668640
7	50/21.12.21	ग्राम भदैयां में संतोष पाण्डेय के घर का अवशेष भाग सी0सी0	831040
8	65/22.12.21	ग्राम भदैयां में संतोष पाण्डेय के घर का अवशेष भाग सी0सी0	529760
9	74/22.12.21	बघराजपुर में राम यज्ञ यादवव के मकान से सुनीता चैरसिया के घर की ओर सी0सी0	66752
10	76/22.12.21	ग्राम नरायनपुर में विजय जायसवाल के घर से राम सनेरी के घर की ओर सी0सी0	69776
11	81/28.12.21	ग्राम असुई में बब्बन के घर होते हुए सिराज के कुंआ तक सी0सी0	733040
12	84/28.12.21	ग्राम लौहर दक्षिण में शमसुधीन के घर से नइमउल्ला अंसारी के घर तक सी0सी0	539840
13	85/28.12.21	ग्राम कुड़वार में पक्की सड़क से अजय मौर्या के घर तक सी0सी0	851088
14	86/28.12.21	ग्राम बहादुरपुर खालिक के घर से रजा हैदर के घर तक सी0सी0	717920
15	29/12.01.22	ग्राम बबुरी में पूरे भोज तिवारी के पुरवा में अजय शास्त्री के घर की ओर सी0सी0	821296
16	36/12.01.22	ग्राम हरखीपुर में रोहित जायसवाल के घर से राजू पाण्डेय के घर का अवशेष भाग सी0सी0	722736
17	71/19.01.22	ग्राम अफलेपुर में अब्दुल अहमद के घर से नन्हें पठान के घर तक सी0सी0	840000
18	115/29.01.22	कुड़वार में राम मिलन हरिजन के घर से राजेश कन्नौजिया के घर की ओर सी0सी0	588000
19	89/28.01.22	टोडरपुर अनिया कला में दूधनाथ वर्मा के खेत से उदयराज यादव के घर तक सी0सी0	619360
20	94/28.01.22	विनोवापुरी लौलेपुर में कृष्ण वल्लभ श्रीवास्तव के घर से हनुमान वर्मा के घर तक सी0सी0	244160

21	109/30.03.22	विनोवापुरी लौलेपुर में कृष्ण वल्लभ श्रीवास्तव के घर से हनुमान वर्मा के घर तक सी0सी0	556640
22	121/29.01.22	ग्राम पिपरी में अम्बिका उपाध्याय के खलिहान से रामधन के घर तक सी0सी0	749280
23	122/29.01.22	मोति निषाद के घर से राममूरत कोटेदार राजाराम के घर तक सी0सी0	755776
24	22/11.02.22	ग्राम कल्याणपट्टी खजुरी में रियासत के घर से गफ्फार के घर तक सी0सी0	882000
25	54/15.03.22	ग्राम खेतकुटी में रामरतन के घर से रामचन्दर के घर तक सी0सी0	876960
26	62/15.03.22	ग्राम पिपरी में साहबदीन कोरी के घर से रमऊ यादव के घर तक सी0सी0	644672
27	65/15.03.22	ग्राम अनियाकला में सुरेश गौतम के घर से नन्दलाल के घर तक सी0सी0	496720
		योग	15295168

जनपद -आजमगढ़ मण्डल - आजमगढ़

प्रारूप-2

जिला पंचायत -आजमगढ़

लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -1 वर्ष 2021-22 के संपत्ति एवं विभव कर के मांग वसूली के विवरण पत्र के अनुसार स्पष्ट है कि गत वर्ष में बकाया रु. 10630484.00, वर्ष की मांग रु. 7924800.00, व्याज 645917.00-कुल बकाया व्याज सहित योग) 19201201.00 (के सापेक्ष रु. 8888527.00 की ही वसूली हो सकी है इस प्रकार बकण्या लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्षांत में कुल अवशेष बकाया रु. 10312674.00 रहा जिसमें निम्न, विवरण के अनुसार रु. 1146267.00 चालू वर्ष के मांग के सापेक्ष वसूली हेतु अवशेष रहा-

क्रम संख्या	विकास खण्ड	धनराशि
1.	लालगंज	28000.00
2.	रानी की सराय	54564.00
3.	मार्टिनगंज	56968.00
4.	बिलरियागंज	59990.00
5.	महराजगंज	38150.00
6.	मिर्जापुर	40050.00
7.	अतरौलिया	25358.00
8.	अहिरौला	73202.00
9.	हरैया	33605.00

10.	मुहम्मदपुर	53585.00
11.	अजमतगढ़	53250.00
12.	तरवाँ	65369.00
13.	पल्हना	26000.00
14.	ठेकमा	38850.00
15.	सठियांव	55458.00
16.	पल्हनी	45850.00
17.	कोयलसा	47400.00
18.	मेंहनगर	67150.00
19.	जहानागंज	82487.00
20.	फूलपुर	19844.00
21.	तहबरपुर	22580.00
22.	पवई	158559.00
	योग-	**1146267.00**

उ प्र. क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम एवं उ (ख), (क) 15 के नियम से 1965 और वसूली नियमावली निर्धारण, जिला पंचायत संपति एवं विभव कर का आरोपण प्र. के (2) की उपधारा 158 के उपबंधों के अधीन नियत रीति से या अधिनियम की धारा 155 से 147 की धारा 8 के अध्याय 1961 अधीन उपबंधित तरीके से बकाया एवं संपत्ति विभव कर करदाताओं से वसूल किया जाना अपेक्षित था किन्तु उक्त चालू वर्ष की बकाया धनराशि रु.1146267.00 की वसूली न कर जिला पंचायत को राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है. उक्त नियमावली के नियम सं 5. के अनुसार करदाताओं से संपत्ति एवं विभव कर वसूल करवाने के लिए श्री जनार्दन प्रसाद कार्याधिकारी तथा श्री प्रिंस चौधरी कर अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं ।

प्रस्तर -2 वर्ष 2021-22 में संस्था को प्राप्त शासकीय अनुदान एवं उसके उपभोग के विवरण मासिक लेखा के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं में आलोच्य वर्ष में कुल प्राप्त रु. 5440.52322 लाख, व्यय रु.6416.26937 लाख, अवशेष रु.7496.0035 दर्शित है।

क्रम सं	अनुदान का प्रकार	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षांत में शेष
1.	बीअनुदान.एफ.जी.आर.	27.81020	1.21472	00.00	29.02489
2.	बीविकास अनुदान.एफ.जी.आर.	56.37490	1.68716	00.00	58.55703
3.	राजीव गाँधी प अभियान. सशक्ति	46.75063	0.97753	6.27351	41.45465
4.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2139.86393	00.00	1862.52422	257.33971
5.	पंचम राज्य वित्त आयोग	2198.49946	2431.15353	2583.93453	2045.71846
6.	(टाईड)15 वां वित्त	1977.97531	1779.86212	492.64656	3265.19087
7.	,, ,, ,, अनटाईड	1984.78149	1225.24947	1448.36609	1761.66487
8.	वित्त आयोग. वा 13	39.69373	0.37869	22.52446	17.54779

	योग ---	**8471.74965**	**5440.52322**	**6416.26937**	**7496.0035**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 212-2 में प्राप्त अनुदान का लगभग 46.12% प्रतिशत ही उपभोग किया गया जो कि विकास कार्य के प्रति संस्था की उदासीनता को दर्शाता है। उक्त विवरण में से क्रम संविकास अनुदान का वर्ष मे. एफ.जी.आर. अनुदान एवं बी.एफ.जी.आर.पर बी (2) एवं (1). व्यय शून्य रहा वर्षांत । उक्त दोनों मदों में रु0 8758192.00 अवशेष रहा, उपभोग न कर व अवशेष धनराशि रु अनुदान का 8758192.00 को प्रदाता संस्थाओं को वापस न करके अनियमितता की गई है जिसके लिए, श्री अजय कुमार सिंह अभियंता , श्री शशि चन्द्र यादव, अपर मुख्य अधिकारी, तथा लेखाकार उदय प्रताप सिंह जिम्मेदार रहे हैं।

प्रस्तर -3 वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा शासनादेश के विपरीत कई कार्य ग्राम सभा के अन्दर कराये गए हैंजो कि सनादेश संशा | आपत्तिजनक है 1838 / 33-3-2015-03/201-पंचायती राज अनुभाग, 3 लखनऊ. दि, 31-07-2015 के निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार जो कार्य ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के स्तर पर कराया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाए और जिला पंचायतों द्वारा वह कार्य न कराये जाने के निर्देश हैं जिला पंचायत द्वारा ग्राम सभा के अन्दर कराये गए कार्यों का विवरण निम्नवत है

क्रम सं / योजना / विकास खण्ड	कार्य का नाम	लागत (लाख में)
1/5रा/वित्त / कोयलसा	ग्राम टहर किसुनदेवपुर में पिच मार्ग से पप्पू निषाद के घर तक सी. सी. कार्य	9.82
2/5रा/वित्त / कोयलसा	ग्राम मगरबपुर में सी. सी. रोड से आबादी तक लेपन कार्य	20.20
3/5रा/वित्त / कोयलसा	ग्राम नवईयाँ आबादी से गुलरा आबादी तक सी. सी. कार्य	20.49
4/5 रा वित्त /तरवाँ	ग्राम रासेपुर में माइनर नहर के पुलिया से बस्ती तक सी. सी. कार्य	12.77
5 /5 रा वित्त /लालगंज	ग्राम सिधौना में देवगांव मेहनाजपुर मार्ग से आबादी तक सी. सी. कार्य	11.45
6 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम शम्भोपुर में पिच से प्रा.पा. तक सी. सी. कार्य	12.71
7 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम हरिहरपुर में पिच रोड से नामदारपुर के पिच तक सोंलिंग कार्य	4.75
8 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम शम्भोपुर में जिला पंचायत रोड से पुलिया तक सी. सी. कार्य	7.05
9 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम हरिहरपुर में जिला पंचायत पिच रोड से अम्बेडकर पार्क तक सोंलिंग कार्य	7.62
10 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम मतौलीपुर में सी। कार्य. सो. रोड से आबादी तक मि.सी.	8.25
11 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम सुदईपुर में बब्बन धोबी के दुकान व पिच रोड से। कार्य सी. तक सी....	17.83
12 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम भदुली नेन रोड से। कार्य सी. आबादी तक सी.....	10.65
13 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम हाफिजपुर में पिच मार्ग से सुनील यादव के घर तक सी। कार्य. सी.	6.16
14 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम हाफिजपुर चौराहा से। कार्य. सी. र्या के घर तक सीराजेंद्र मौ...	5.47
15 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम शेखपुरा में दाल मिल	सी कार्य. तक सी... करुणा मौर्या के..	5.48

16 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम चकनामी में पिच रोड से मौर्या बस्ती तक सी। कार्य. सी.	8.88
17 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम मोजरापुर में पिच रोड से रामजीत । र्यका सी. तक सी...	9.36
18 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम शेखपुरा में भीम प्रधान के घर से सी। कार्य. सी. रोड तक सी.सी.	4.92
19 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम परानापुर में पी रोड से.डी.डब्लू. लाठाबाबा | इन्टरलॉकिंग मरम्मत कार्य..	8.00
20 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम बुदैठा में पिच रोड से कालीजी के स्थान तक सी। कार्य.सी.	9.96
21 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम लक्षीरामपुर में बिलरिआगंज मार्ग से एला कार्य सी.सिंह के घर तक सी.बी.	2.33
22 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम बागलखराव में रवि मौर्या के खेत से अनु) कार्य. सी. बस्ती मार्ग पर सी.	7.00
23 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम लक्षीरामपुर में सी। कार्य. सी. गार यादव के घर तक सीरोड से दलसिं.सी.	8.22
24 /5 रा वित्त /पल्हनी	ग्राम एनिया में खडंजा मार्ग से आबादी तक सोलिंग व नाली कार्य।	8.31
25/ 15 वां वित्त /ठेकमा	ग्राम बरवा में प्रा. पा. से चौहान बस्ती तक लेपन कार्य.	13.88
26/ 15 वां वित्त /ठेकमा	ग्राम बेलाखास में खडंजा से बिठुआ सरहद तक मि । कार्य. सो.	24.84
27/ 15 वां वित्त /ठेकमा	ग्राम भद्रसाडी में आबादी से पोखरी तक नाली निर्माण कार्य।	6.69
28/ 15 वां वित्त /मार्टिनगंज	ग्राम महुजा नेवादा में बेसो नदी तक जाने वाले नाले पर पुलिया निर्माण कार्य।	2.9
29/ 15 वां वित्त /बिलरियागंज	ग्राम मधनापार में रामकेश के घर से बाहा तक नाली निर्माण कार्य	9.33
30 / 15 वां वित्त/बिलरियागंज	ग्राम मिरिया में दीपचंद के घर से बाहा तक नाली निर्माण कार्य	5.9
31/ 15 वां वित्त / हरैया	ग्राम बेलकुंडा बाजार में पूर्व निर्मित नाली तक नाली निर्माण कार्य।	5.44
32 / 15 वां वित्त /पल्हनी	किशुनदासपुर में इन्टरलॉकिंग रोड से अना बस्ती तक सोलिंग व नाला निर्माण कार्य.	5.65
33 / 15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम बागलखराव में आबादी से मुख्य नाला तक नाली निर्माण कार्य।	1.63
34 / 15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम संभोपुर में आबादी से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	1.47
35 / 15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम मुण्डा में मुख्य नाला से आबादी तक नाली निर्माण कार्य।	14.06
36 / 15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम बद्दोपुर में मल्लाह बस्ती से नदी तक नाली निर्माण कार्य।	21.21
37 / 15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम ककरहटा में मुस्ताक के खेत से पुलिया तक नाली कार्य।	15.54

	योग -	**356.23**

इस प्रकार शासकीय निर्देशों का उल्लंघन कर रु. 35623000.00 के कार्य ग्राम सभा के अन्दर कराये गये हैं । जिसके लिए उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्रस्तर -4 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 15 वां वित्त योजना के अन्तर्गत रू0 380.525 लाख के स्वीकृत निर्माण कार्य अपूर्ण थे ,जिसमें रू0 171.589 लाख की धनराशि लगी है ,अपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत है - (धनराशि लाख रू0 में

क्रम सं / योजना / विकास खण्ड	कार्य का नाम	निविदा धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1/15 वां वित्त /पल्हना	ग्राम जयनगर मार्ग पर पकड़ी खुर्द से चौकी मनेरा तक लेपन मरम्मत कार्य ।	44.401	37.840	6.561
2/15 वां वित्त /लालगंज	मौसिमगंज खनियरा में तरवां लालगंज मार्ग से बायोवर्ड अकेडमी तक लेपन मरम्मत कार्य।	9.831	6.160	3.671
3/15 वां वित्त /कोयलसा	अतरैठ पिपरी पिच मार्ग से वाउदपुर इंटर कॉलेज तक लेपन कार्य।	20.665	9.788	10.877
4/15 वां वित्त /कोयलसा	कप्तानगंज अहिरौला मार्ग से। तक लेपन मरम्मत कार्य. सी. निषाद बस्ती सी.....	19.096	15.850	3.246
5/15 वां वित्त /अतरौलिया	नंदना। त कार्य ईदगाह तक लेपन मरम्म.... अतरैठ मार्ग से-	35.502	00.00	35.502
6/15 वां वित्त /तरवाँ	तरवां बड़कापूरा में मोरयाडीह पिच रोड से । छावनी तक लेपन मरम्मत कार्य....	20.581	17.450	3.131
7/15 वां वित्त /अहिरौला	बड़ी नहर से बरईपुर संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य	15.785	13.190	2.595
8/15 वां वित्त /तरवाँ	ग्राम सिहुका मेन रोड रामबचन के टूउबवेल से आगे तक लेपन मरम्मत कार्य ।	8.413	00.00	8.413
9/15 वां वित्त /तहबरपुर	पी। मार्ग से माणिकपुर संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य. डी.डब्लू.	4.70	00.00	4.70
10/15 वां वित्त /मार्टिनगंज	मार्टिनगंज खेतासराय मार्ग पर । मरम्मत कार्य महमूदपुर चितारा लेपन.....	8.429	00.00	8.429
11/15 वां वित्त /जहानागंज	ग्राम अजीजाबाद में संदीप यादव के घर तक सी। व नाली कार्य.सी	9.499	7.21	2.289
12/15 वां वित्त /कोयलसा	ग्राम अशरफपुर बरसातपट्टी में पल्टन राम के घर से नहर तक नाली निर्माण कार्य।	8.848	2.850	5.998
13/15 वां वित्त /मेंहनगर	सिंहपुर बाजार में अवशेष भाग पर नाली कार्य।	2.075	0.837	1.238
14/15 वां वित्त	लखनऊ बलिया मेन रोड । व नाली कार्य.सी.सी	8.544	00.00	8.544

/पवई	राजेश यादव...			
15/15 वां वित्त /सठियांव	ग्राम सभा कुकुरसंडा में श्रवण राजभर के घर से बाहा तक नाली कार्य।	7.246	00.00	7.246
16/15 वां वित्त /तरवाँ	ग्राम सभा पित्थौरपुर में यादव बस्ती से बाहा तक नाली निर्माण कार्य ।	5.202	00.00	5.202
17/15 वां वित्त /अहिरौला	ग्राम सभा दखिनगावा में रामसूरत के घर के आगे तक नाली निर्माण कार्य।	4.847	00.00	4.847
18/15 वां वित्त /अहिरौला	ग्राम सभा बिहरा बुजुर्ग में पिचरोड से आबादी तक नाली निर्माण कार्य।	2.963	00.00	2.963
19/15 वां वित्त /अतरौलिया	ग्राम सभा अनंतपुर में राजाराम के घर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य ।	8.503	6.37	2.139
20/15 वां वित्त /पल्हनी	हाफिजपुर चौराहा से पूर्व पी। छावनी के नाले तक नाला निर्माण कार्य.सी.ए.	30.083	24.399	5.684
21/15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम सभा सराएमंदराज में चिल्ड्रेन हॉस्पिटल से मुख्य तक नाली कार्य।	23.218	00.00	23.218
22/15 वां वित्त /मुहम्मदपुर	बेलही में राज कुमार यादव के चक से दक्षिण रजवाहा पर पुलिया निर्माण कार्य।	8.004	4.212	3.792
23/15 वां वित्त /बिलरियागंज	कंधरा पुर बाज़ार में पिंटू मधेसिया के घर सेमें रोड तक नाली निर्माण कार्य ।	3.08	00.00	3.08
24/15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम पटखौली में सामुदाइक शौचालय निर्माण कार्य ।	5.848	3.89	1.958
25/15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम खोजापुर में नदी तट पर सीढी निर्माण कार्य ।	8.811	00.00	8.811
26/15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम भदुली मेन रोड व आबादी से । नाला तक नाली निर्माण कार्य.....	4.726	2.67	2.056
27/15 वां वित्त /लालगंज	ग्राम खनियरा में आबादी नाली से नदी तक नाली निर्माण कार्य ।	7.844	00.00	7.844
28/15 वां वित्त /मार्टिनगंज	ग्राम चिकसावा में नरमु बिन्द के घर से माइनर तक नाली कार्य ।	6.852	3.03	3.822
29/15 वां वित्त /सठियांव	ग्राम सभा गुजरपार में। नदी तट पर घाट निर्माण कार्य.....	8.893	00.00	8.893
30/15 वां वित्त /पल्हनी	ग्राम पटखौली पिच मार्ग के नाली से । पंडित के घर तक नाली निर्माण कार्य..	5.536	3.435	2.101
31/15 वां वित्त /सठियांव	ग्राम शाहगढ़ चौहान बस्ती से पोखरी तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य ।	4.742	3.01	1.732
32/15 वां वित्त	ग्राम ऊँची गोदाम में भगवान दास के घर से बाहा	8.872	5.008	3.864

/रानी की सराय	तक नाली निर्माण कार्य ।			
33/15 वां वित्त /अजमतगढ़	ग्राम सभा चुनगपार म साताराम क घर से सटजावअर स्कुल के नाल तक नाली निर्माण कार्य ।	8.886	4.39	4.496
	योग -	**380.525**	**171.589**	**208.936**

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार रु.38052500.00 के कार्य समयांतर्गत पूर्ण न होने से जन सामान्य को उससे मिलने वाले लाभ से वंचित रहा, अवशेष धनराशि रु. 20893600.00 रोककर व समयान्तर्गत कार्य पूर्ण न करके कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित किया गया है, जिसके लिए श्री अजय कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी, तथा श्री शशि चन्द्र यादव अभियंता, जिम्मेदार रहे हैं।

प्रस्तर -5 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार करेत्तर राजस्व से किराया आदि मद की धनराशि वसूली हेतु रु. 82.00792 लाख अवशेष रही।

क्रम सं	निजी आय के मद	प्रा. अवशेष	वर्ष की मांग	वसूली	अवशेष
1.	हाट बाजार एवं तहबाजारी	25.29730	00.00	1.12212	24.17518
2.	पड़ाव अड्डा	3.33775	00.00	0.32000	3.01775
3.	दुकान व भवन किराया	68.48000	24.53571	39.07372	53.94199
4.	नौका घाट	0.57038	00.00	0.10790	0.46248
5.	मेला प्रदर्शनी	0.41052	00.00	00.00	0.41052
	योग -	**98.09595**	**24.53571**	**40.62374**	**82.00792**

उक्त मदों में से क्रम सं. 1 से क्रम सं.3 तक के अवशेष हेतु वर्ष 20-21 में अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जा चुका है। क्रमांक 4 व 5 पर दर्शित मदों नौका घाट व मेला प्रदर्शनी का 31.03.22 को अवशेष रु. 87300.00 वसूली हेतु अवशेष रहा । उक्त दोनों मदों का दिनांक 01.04.2021 का अवशेष रु. 98090.00 था । वर्ष में नौका घाट से रु.10790.00 वसूल हुआ । इस प्रकार वर्षांत वसूली हेतु रु.87300.00 अवशेष रहा । वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि उ.प्र. जिला पंचायत रिकवरिज ऑफ़ टैक्स एंड रेंट नियमावली 1975 के नियम सं. 495 के तहत उक्त धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित था | धनराशि वसूली न कर जिला पंचायत के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है जिसके लिए श्री जनार्दन प्रसाद कार्याधिकारी, तथा श्री प्रिंस चौधरी, कर अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं

प्रस्तर -6 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियो की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित वाउचरों से विलंब प्रतिकर 0.5% ही काटा गया है जबकि निर्माण "; ठेका की शर्तों " की खंड-2ग के अनुसार विलम्ब के लिए प्रतिकर कम से कम 1% काटना चाहिए --

क्रमांक	**दिनांक व वॉउचर सं**	**धनराशि**	**क्रमांक**	**दिनांक व वॉउचर सं**	**धनराशि**	**क्रमांक**	**दिनांक व वॉउचर सं**	**धनराशि**	**क्रम**	**दिनांक व वॉउचर सं**	धनराशि
1.	7.8.21/40	2761.00	51.	" /96	165.00	101.	"/126	515	151	" /42	2601
2.	" " /41	2420.00	52.	" /98	311.00	102.	"/128	4549	152	" /43	1005

3.	17.8.21/50	3207.00	53.	“ /99	2201.00	103.	“/130	400	153	“ /44	2908
4.	15.2.21/124	2979.00	54.	“/104	3910.00	104.	“ /131	394	154	“ /45	1899
5.	“ “ /146	472.00	55.	“/105	1404.00	105.	“ /132	5771	155	15.12/21/21	1050
6.	“ “ /152	2852.00	56.	“/108	3007.00	106.	“ /135	279	156	27.12/21/67	1321
7.	“ “ /128	631.00	57.	“ /110	3587.00	107.	27.8/159	481	157	“ /68	2107
8.	“ “ /130	3323.00	58.	“ /112	581.00	108.	“ /160	2002	158	“ /72	1313
9.	25.5.21/91	3753.00	59.	30.6/144	5160.00	109	“ /162	799	159	11.1.22 /23	825
10.	“ “ /93	473.00	60.	“ /150	2500.00	110.	“ /164	2395	160	“ /27	1004
11.	“ “ /96	1642.00	61.	22.7/18	766.00	111.	“ /166	395	161	“ /29	3349
12.	“ “ /97	3644.00	62.	“ /19	1345.00	112.	“ /168	601	162	“ /31	187
13.	“ “ /98	607.00	63.	“ /20	623.00	113.	“ /172	1258	163	“ /33	1650
14.	“ “ /99	437.00	64.	“ / 22	3097.00	114.	“ /174	1246	164	“ /41	374
15.	“ “ /101	1100.00	65.	“ /23	4285.00	115.	“ /175	739	165	“ /43	2445
16	“ “ /105	884.00	66.	“ /24	485.00	116.	“ /178	3980	166	“ /45	3105
17.	“ “ /107	3335.00	67.	23.7./48	4360.00	117.	4.9./13	1838	167	“ /47	2331
18.	“ “ /112	5149.00	68.	“ /49	852.00	118.	“ /22	4320	168	“ /50	1415
19.	29.5.21/136	402.00	69.	“ /51	1256.00	119.	“ /23	3360	168	“ /51	1129
20.	“ “ /138	402.00	70.	23.7./54	1410	120	9.9./66	772	169	19.1.22/82	1759
21.	4.6.21/01	484.00	71.	“ /55	2600.00	121.	17.9./93	783	170	22.1.22/100	3567
22.	“ “ /03	385.00	72.	3.8./01	1248.00	122.	“ /94	1302	171	“ / 111	470
23.	“ “ /04	250.00	73.	“ /02	1420.00	123.	“ /102	2312	172	“ / 115	1915
24.	“ “ /06	1930.00	74.	“ /07	4322.00	124.	“ /111	1135	173	28.1.22/ 128	1037
25.	“ “ /11	400.00	75.	“ /13	460.00	125.	“ /112	752	174	“ / 129	2790
26.	7.6.21/26	3353.00	76.	9.8./44	444.00	126.	“ /113	837	175	“ / 130	1553
27.	“ “ /28	2360.00	77.	“ /47	1677.00	127.	“ /114	3910	176	“ / 142	2459
28.	“ “ /29	358.00	78.	“ / 51	5319.00	128.	“ /115	2338	177	“ / 144	1592
29.	“ “ /30	1105.00	79.	“ /55	514.00	129.	“ /116	2653	178	“ /146	1313
30.	“ “ /31	232.00	80.	12.8./76	561.00	130.	17.9./122	2699	179	4.2.22/ 29	1790
31.	“ “ /33	186.00	81.	“ / 79	1308.00	131.	24.9/21/134	1521	180	“ / 30	4006
32.	“ “ /37	1548.00	82.	“ /83	387.00	132.	“ /136	837	181	“ / 40	2485
33.	“ “ /38	215.00	83.	“ /85	599.00	133.	“ /142	2851	182	“ / 42	1969
34.	17.6.21/51	2825.00	84.	“ /86	3255.00	134.	“ /144	1272	183	“ / 45	3235
35.	“ “ /52	5565.00	85.	“ /89	457.00	135.	“ /145	1253	184	“ / 46	720
36.	“ “ /54	4316.00	86.	“ /90	2238.00	136.	“ /147	1965	185	“ / 48	2580
37.	“ “ /55	2740.00	87.	“ /92	389.00	137.	“ /149	3840	186	11.2.22 /68	847
38.	“ “ /57	3115.00	88.	“ /99	402.00	138.	“ /150	1125	187	“ / 76	2020
39.	“ “ /58	2530.00	89.	“ /100	506.00	139.	23.10.21/40	4381	188	“ / 84	326
40.	“ “ /60	3071.00	90.	“ /92	389.00	140.	“ /41	5117	189	“ / 86	2463
41.	“ “ /61	710.00	91.	“ /99	402.00	141.	“ / 43	1842	190	17.2.22 /120	3161
42.	“ “ /62	316.00	92.	“ /100	506.00	142.	“ /44	1122	191	“ / 225	300
43.	“ “ /64	635.00	93.	“ /103	1896.00	143.	“ /46	580	192	“ / 226	1180
44.	“ “ /65	426.00	94.	“ /104	1390.00	144.	“ /58	870	193	15.3.22 /	1527

										23	
45.	17.6.21/67	2510.00	95.	" /105	743.00	145.	" /59	964	194	16.3.22 / 74	549
46.	23.6.21/69	441.00	96.	" /106	511.00	146.	29.10.21/99	1985	195	" / 86	3456
47.	" " /71	510.00	97.	" /107	299.00	147.	" / 100	1022	196	" / 87	1025
48.	24.6.21/84	492.00	98.	" /108	1168.00	148	" /101	730	197	" / 89	3885
49.	"" / 86	3293.00	99.	19.8./124	1538.00	149.	23.11.21/40	169	198	24.3.22 /107	4438
50.	" " /91	212.00	100.	" /125	2901.00	150.	" /41	1405	199	" / 121	892
									200	29.3.22 /154	461
									201	" / 189	610
							योग -			**352214.00**	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विलंब प्रतिकर 0.5 प्रतिशत कम काटकर संस्था को रु.352214 00. की क्षति पहुँचाया गयी है जिसकी वसूली हेतु श्री अजय कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार उदय प्रताप सिंह जिम्मेदार रहे हैं।

प्रस्तर -7 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कार्यों के आगरण (फाइनल बिल) एवं अंतिम बिल (एस्टीगेट)पत्रावलियों में अंतर का चार्ट संलग्न कर प्रमाणित नहीं किया गया है, के विभिन्न मदों में अंतर है-

क्रम सं	आगरण (एस्टीमेट)				अंतिम बिल (फाइनल बिल)		
	कार्य का नाम	मद	मात्रा दर	धनराशि	मात्रा	धनराशि	अंतर की धनराशि
1.	फाइल सं 98. युधिष्ठिर पट्टी में रोड से आबादी पी० ड०लू० सी.सी.. तक रोड कार्य	1 गिट्टी 2 सीमेंट कंक्रीट निर्माण	4597दर सी०यू०एम०53.96 90दर सी०यू०एम० 8087	248063.51 727830.00	51.32 सी०यू०एम० 93.81....	235948.83 758641.47	12114.68 30811.47
2.	फाइल से 95. संवहा में शंकर मार्ग से चौकीदार के पूरा तक मिटटी सोलिंग	1 मिट्टी कार्य 2 ब्रिक सोंलिंग 3 मिट्टी कार्य	1765.29दर सी०यू०एम०156.70 2475 एस०क्यू०एम०दर406.50 202.50दर सी०यू०एम०156.70	276620.80 1006087.50 31731.75	1811.24 सी०यू०एम० 2546.40एस० क्यू०एम० 222.38 सी०यू०एम०	283821.31 1035111.6 0 34846.95	7200.51 29024.10 3115.20
3..	फाइल सं.83-लसरा से जेठहरी सरहद तक मिटटी सोलिंग कार्य	1 मिटटी कार्य 2 एस०ओ०बी० ब्रिक	1712.87दर सी०यू०एम०156.70 2310 एस०क्यू०एम०दर406.50	268406.29 939015.0	1572.88 सी०यू०एम० 2449.80एस० क्यू०एम०	246470.30 995843.70	21935.99 56828.70
4.	फाइल स.82-रंगडीह में चौहान बस्ती सोलिंग से खरंजा कार्य	1 मिटटी कार्य 2 एस०ओ०बी० ब्रिक 3	1530.84दर सी०यू०एम०156.70 2359.50एस०क्यू०एम०दर406.50 193.05दर	239882.60 959136.75 30250.94	1445.15 सी०यू०एम० 2474.03एस० क्यू०एम० 144.02	226455.01 1005693.2 0 22567.93	13427.59 46556.45 7683.01

		मिट्टी कार्य	सी०यू०एम०156.70		सी०यू०एम०		
5.	फाइल सं .20 कसानगंज-महाराजगंज रोड पर छावनी से कुम्हक्ट तक लेपन मरम्मत कार्य	1 डब्लू०बी०एम० ग्रेडिंग- 2	9.23दर सी०यू०एम०3908	36051.30	26.24 सी०यू०एम०	102545.92	
6.	फाइल सं. -जकमान 19 महाराजगंज रोड पर नरोतमपुर से संसारा तक लेपन मरम्मत कार्य	1 बिटूमन 1-	6666 स्क् दर मी 33.70	224644,20	3331.88एस० क्यू०एम०	112284.36	112359.84
7.	फाइल सं106 नियाउज शिवराजपुर पिच रोड खरंजा कार्य	1 ब्रिक् सोंलिंग 2 पटरी निर्माण डब्लू०/ई	1732.50एस०क्यू०एम०दर406.50 170.10दर सी०यू०एम०156.70	704261.25 26654.67	1761.17एस० क्यू०एम० 128.16 सी०यू०एम०	715915.60 20082.67	11,654.35 6572.00
8.	फाइल से 107. मानपुर में बस्ती रोड से अनु पी०डब्लू०डी० सी०सी०तकरोड कार्य	1 पटरी निर्माण डब्लू०/ई	दर सी०यू०एम० 186156.70	29146.20	87.58 एस०क्यू०एम०	13729.78	15416.42
9	फाइल सं. 56 बंधवा इस्लाम में शहीद स्थान से आबादी तक मिटटी सोलिंग	1 ब्रिक सोलिंग 2 पटरी निर्माण डब्लू०/ई	1155 एस०क्यू०एम०दर406.50 59.50दर सी०यू०एम०156.70	469507.50 9623.65	1265.96एस० क्यू०एम० 34.29 सी०यू०एम०	514612.74 5373.24	45105.24 4250.41
10	फाइल सं 13. चकलाल चंद के रजादेपुरलेपन .... कार्य. मर	1 ग्रेडिंग 3-2. रोड के दोनों किनारे ब्रिक वर्क	170.44 सी०यू०एम०दर4264.50 0.600 किमीदर66500	726830.72 39900.00	153.27 सी०यू०एम० 0.578 किमी	653619.92 38437.00	73210.80 1463.00
11	फाइल सं 164. चक इनामी में पिच रोड से मौर्या बस्ती तक कार्य सी.सी	1 पटरी निर्माण डब्लूाई	दर सी०यू०एम० 148.50156.70	23269.95	69.38 सी०यू०एम०	10871.85	12398.10
12.	फाइल सं165 मोजरापुर में पिच रोड से सी०सी०तक ... कार्य	.1 पटरी निर्माण डब्लू०/ई	78.75दर सी०यू०एम० 156.70	12340.13	13.85 सी०यू०एम०	2170.30	10169.83
13	फाइल सं166, शेखपुरा में निम् प्रधान के घर से सी.सी कार्य सी०सी०रोड तक	1 पटरी निर्माण डब्लू०/ई	42.00दर सी०यू०एम० 240.90	10117.80	29.63 सी०यू०एम०	7137.87	2979.93
14	फाइल सं137, मेढ़ी पिच रोड से विवेक	1 पटरी निर्माण	180दर सी०यू०एम० 156.70	28206.00	118.50	18568.95	9637.05

	के घर तक कार्य सी०सी०	डब्लू०/ई					
						योग -	**600409.29**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यों के आगरण (एस्टीमेट) एवं अंतिम बिल (फाइनल बिल) में रु. 600409.29 का अंतर है जिसके औचित्य की पुष्टि हेतु कोई विवरण संलग्न नहीं है जो कि गंभीर अनियमितता है । जिसके लिए श्री अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी व श्री शशि चन्द्र यादव, अभियंता जिम्मेदार रहे हैं।

प्रस्तर -8 शासनादेश सं 11-एम एम (इनवैलिड) निम्नलिखित निर्माण पत्रावलियो की जाँच में पाया गया कि अवैध -3385/B6-2015-202/2015-15.10.2015 के अनुसार रॉयल्टी दर का पर शासन द्वारा निर्धारित दर से रॉयल्टी का अवध (2022 अगस्त 10, फ्रोम; सी०यू०एम० 100दर) ई०एस०टी०पी० व (गुणा 6 आगरण न कर संस्था को हानि पहुँचाई गई है-

क्रम	फ़ाइल सं व मद	इनवैलिड की ई०एस०टी०पी०/ 11-एम एम दर/मात्रा	संस्था द्वारा बिल से की गयी कटौती	कटौती जो होनी चाहिए	अंतर की धनराशि
1	फाइल सं, 165 मोजरापुर में पिच रोड से सी०सी०तक ... कार्य	ई०एस०टी०पी०/100दर)/ सी०यू०एम० 19.82	991.00	1982.00	991.00
2	फाइल सं, 158 बड़हराखालसा कोइनाहा) बस्ती संपर्क मार्ग पर लेपन कार्य... मार्ग (	सैंडस्टोन 110दर सी०यू०एम० 99 डाला सी०यू०एम० 28 160दर	15370.00	15370*6 = 92220.00	76850.00
3	फाइल सं1 6,8 कंधरापुर बिसौली मार्ग... मानिकपुर.. मार्ग पर लेपन कार्य	सैंडस्टोन 110दर सी०यू०एम० 63 डाला 40 सी०यू०एम० 160दर	13330.00	13330.00*6= 79980.00	66650.00
4	फाइल सं 13, चकला। मार्ग पर लेपन कार्य	सैंडस्टोन 110दर सी०यू०एम० 67	7370.00	7370*6=44220.00	36850.00
5	फाइल संमार्ग ...	ई०एस०टी०पी०/110दर	2282.00	45.64*100=4564	2282.00

	जीयनपुर मार्ग से- आजमगढ़ 27 कार्य सी सी तक लेपन एवं	सी०यू०एम० 45.64			
				योग -	**183623.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासन द्वारा निर्धारित दर से रॉयल्टी का अवधारण न कर संस्था को रु. 183623.00 हानि पहुँचाई गई है जो कि गंभीर अनियमितता है । जिसके लिए श्री अजय कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी, तथा श्री शशि चन्द्र यादव अभियंता, जिम्मेदार रहे हैं।

प्रस्तर -9 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में संस्था के मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि कतिपय खातेदारों के खातों पर चालू मांग नहीं लगाया गया है -

क्रम सं	विकास खण्ड / बाज़ार	खाता सं /खातेदारों का नाम	चालू मांग नहीं लगा
1.	रानी की सराय	44/घनश्याम / अच्छेलाल	800
2.	" "	77/हीरालाल /विश्वनाथ	800
3.	" "	81/रामकेवल /मनार्देव	800
4.	" "	86/आशीष /मोती	800
5.	" "	91/सुभाष /श्रीराम	800
6.	" "	190/196/गोविंद /लालजी	800
7.	सोनबरसा बाज़ार	सिराजुद्दीन /सदरुद्दीन	800
8.	दामऊंची गो..	लुटवान /कुश्यारी	800
9.	" "	रामनाथ /अमरजीत	800
10.	रानी की सराय	532/538/मकबूल /शमीम	800
11.	"" ""	माता प्रसाद /अजय कुमार	800
12.	कोयलसा	294/22/चंद्रिका /नामवर	800
13.	"" ""	300/रघुनाथ /ओमकारनाथ	800
14.	"" ""	314/निद्रकाच /घनश्याम	800
15.	"" ""	400/46/नादिर खाँ /वकील अहमद	800
16.	हमीदपुर सैद्वारा	दिनेश उपाध्याय /गिरिजा शंकर	800
17.	फरिहाँ	जयहिंद /पतिरम	800
18.	ईंट भठ्ठा	इमरान /हाजी अब्दुल	6000
19.	"" ""	सर्फुज्जमा /जब्बार	6000
20.	"" ""	रमेश / शिवनाथ	6000
		योग -	31600

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि खातों में चालू मांग नहीं लगाकर संस्था के वास्तविक मांग को स्पष्ट नहीं किया गया। इस हेतु श्री जनार्दन प्रसाद कार्याधिकारी, तथा श्री प्रिंस चौधरी, कर अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं।

जनपद - बलिया मण्डल -आजमगढ़

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

जिला पंचायत वर्ष 2021-22

प्रस्तर 1 वर्गीकृत सार संक्षेप रजिस्टर वर्ष-2021-22 के अनुसार वर्ष-2021-22 में कुल रू0-356560.00 की रायल्टी की कटौती की गयी है जिसे सम्बन्धित लेखा शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए था कितुं मात्र रू0-161653.00 ही आलोच्य वर्ष में राजकीय कोषागार में जमा कराया गया। इस प्रकार रू0-194907.00 राजकीय कोषागार में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहूचांयी गयी जिसके लिए लेखाकार श्री कन्हैया सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। सम्पूर्ण धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कराते हूए आवश्यक विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 2 कतिपय सामग्री क्रय से सम्बन्धित प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि किये गये क्रय को स्टाक पंजिका में दर्जकिये बिना ही भुगतान किया गया है तथा उनके उपभोग से सम्बन्धित उपभोग रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया है।

क्र०सं ०	दिनाक	बाउचर सं0	सामग्री क्रय का विवरण	धनराशी	फर्म का नाम
1.	22-03-2022	30	फोटो स्टेट मशीन का स्याही	5600.00	काशी इण्टर प्राइजेज (वाराणसी)
2.	22-03-2022	32	स्टेशनरी	5600.00	शुभम चैक स्टेशनरी बलिया।
3.	13-10-2021	47	विद्युत सामग्री, फैन, इन्वर्टर बैटरी, एल0ई0डी0 बल्ब	18950.00	शर्मा इन्टर प्राइजेज बलिया।
4.	13-10-2021	48	विद्युत सामग्री, फैन, इन्वर्टर बैटरी, एल0ई0डी0 बल्ब	9200.00	शर्मा इन्टर प्राइजेज बलिया।
5.	13-10-2021	49	2नये फैन (2850/2750) ,,	19950.00	शर्मा इन्टर प्राइजेज बलिया।

6.	13-10-2021	50	इन्वर्टर बैट्री-23,000(-)3,000	20000.00	शर्मा इन्टर प्राइजेज बलिया।
			योग-	79300.00	

उपरोक्तानुसार क्रय से सम्बन्धित कोटेशन एवं क्रय आदेश लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे तथा संलग्न प्रमाणकों पर क्रय किये प्रमाण कों पर क्रय किये सामग्री को स्टाक रजिस्टर में दर्ज किये जाने की आख्या अंकित नहीं है। सम्बन्धित पटल प्रभारी द्वारा क्रय हेतु की गई मांग पत्र भी प्रमाणकों के साथ संलग्न नही है। उपरोक्तानुसार क्रय सामग्रीयों का स्टाक एवं उपभोग रजिस्टर अप्रस्तुत रहने के कारण दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। उक्त मदों में से 2 पंखे रू0-5600.00 तथा एक-एक इन्वर्टर एवं बैट्री रू0-23,000.00 क्रय किया गया है। स्टाक रजिस्टर/डेड स्टाक रजिस्टर में लेखा न होने तथा सत्यापन सूची अप्रस्तुत रहने के कारण स्टाक के दुरूपयोग की संभावना सं◌े इंकार नही किया जा सकता। इस प्रकार कुल रू0-79300.00 के अनियमित भुगतान हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री कन्हैया सिंह उत्तरदायी रहें है।

प्रस्तर 3 दिनांक-31.03.2022 को क्रिटिकल गैस शीर्ष में रू0-369893.00 अवशेष अनुदान दर्शित है जो विगत कई वर्षों से यथावत् चला आ रहा है जिस पर प्रतिवर्ष बैंक से प्राप्त व्याज जुडता जा रहा है। दर्शित अनुदान का उपभोग किया जाना चाहिए, उपभोग न होने के दशा में अवशेष अनुदान प्रदाता को वापस कर देना चाहिए। अनुदान का उपभोग न किया जाना गंभीर अनियमितता है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री कन्हैया सिंह उत्तर दायी रहे है।

प्रस्तर 4 कैश रसीद/प्रपत्र-5 एवं बैंक जमा चालान से मिलान में पाया गया कि कतिपय चालानों द्वारा निम्न विवरणानुसार प्रपत्र-5 द्वारा वसूल की गयी धनराशि से कम धनराशि जमा कर अपहरण कर लिया गया।

क्र०सं०	रसीद का विवरण	सम्बन्धित रसीदरों की धनराशि का योग	चलान द्वारा बैंक जमा धनराशि	अंतर
1	72801 से 72814तक	110150.00	109200.00	950.00
2	72816 से 72844तक	127987.00	120987.00	7000.00
3	72845 से 72861तक	92600.00	92400.00	200.00
4	79413 से 79430तक	117820.00	110760.00	7060.00
5	79431 से 7447तक	213240.00	211440.00	1800.00
6	79487 से 79494तक	49700.00	39700.00	10000.00
7	73101 से 72165तक	158097.00	149097.00	9000.00
8	57218 से 57244तक	121706.00	121702.00	4.00
	योग -	991300.00	955286.00	36014.00

इस प्रकार प्रपत्र-5 से वसूल की गयी धनराशि के सापेक्ष रू0-36014.00 क्रय जमाकर धनर का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित कर निरीक्षक श्री महावीर लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 5

शासनादेश सं0-04/866/33-2-14-93जी0/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग-2 दिनांक 24-6-2021 तथा शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 जिसके अनुसार जिला पंचायत को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या दो अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित करने का पालन नहीं किया गया है। अधिकांश कार्य या तो एक ग्राम पंचायत दूसरे ग्राम पंचायत का एक ही ग्राम पंचायत भीतर स्थिति है। जो अनियमितता है।उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित हैं |

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	ग्राम पंचायत परसिया में मगंलम लाज से चुनचुन सिंह के डेरा तक सी0सी0 रोड का निर्माण	998480.00
2	ग्राम पंचायत जमुई में रामायन यादव के घर से चौहान वस्ती तक से सुरेश यादव के घर तक सोलिंग कार्य	379008.00
3	ग्राम सभा तितौली में सीता राम गौड से मोहन के घर तक सी0सी0 कार्य	987616.00
4	ग्राम पंचायत शाहपुर में नड्य के घर से जसराम गौड़ के घर तक सी0सी0 कार्य	593600
5	ग्राम पंचायत शाहपुर में रघुनाथ यादव से घर होते ह्ए संजय यादव के घर तक सोलिंग कार्य	336000.00
6	ग्राम सभा गणेशपुर में णनजी के घर से रमाशंकर राजभर के घर तक पेवर्स ब्लाक	470400.00
7	ग्राम भांगीपुर में नहर से सुनील यादव के घर होते ह्ए महात्तम शर्मा के घर तक सी0सी0 कार्य	498400.00
8	रामापुर महावल में द्विवेदी मोडिकल स्ओर से ललिता के घर के आगे तक सी0सी0 रोड	170240.00
9	विजलीपुर में प्रा0पा0 से सुमेर सिंह के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक कार्य	481600.00
10	ग्राम पंचायत मैरीटार में दिनेश गौड के दरवाजे से श्याम वर्मा के दरवाजा तक नाली /पेवर्स	593600.00
11	डूहा विहरा पहवास बाबा के घर से तिवारी लाल के घर तक नाली इन्टर लाकिंग	296800.00
12	ग्राम परिखरा में अमित सिंह के से प्रा0 पा0 परिखरा सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 कार्य	997920.00
13	ग्राम पंचायत तिखमपुर में शिवजी सिंह के घर से गजेन्द्र सिंह सिपाही के घर तक पेवर्स/हयूम पम्प नाली	636160.00
14	ग्राम पंचायत छपरा साखी लमुही में दशरथ यादव के घर से बब्बन यादव के घर गौड़ बस्ती तक पेवर्स कार्य	434560.00
15	ग्राम सभा दया छपरा में पोस्ट आॅफिस से लल्लन पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	127120.00
16	ग्राम सभा बह्आरा चिरंगी छपरा में प्रेमचन्द्र के घर सेनरसिंह तिवारी के घर तक इ0ला0 कार्य	163520.00

17	ग्राम सभा गड़वार में रामजी गुप्ता के घर से संजय चैबे के घर मंजीत चैधरी के घर तक सी0सी0 कार्य	681632.00
18	ग्राम पंचायत गोपालपुर में रमाकान्त राजभर के घर से पूर्व प्रधान रामचन्द्र के घर तक पेवर्स कार्य	633920.00
19	ग्राम सभा शाहपुर में घुशर राम के दरवाजे के आगे से बूटा यादवा के खेत तक पेवर्स ब्लाक	647360.00
20	ग्राम सभा तालिबपुर में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	883200.00
21	डूहा विहरा मुक्तिनाथ सिह के ट्वयूवेल से नागेन्द्र सिंह के दरवाजे तक नाली /ढक्कन/इटर लाकिंग कार्य	855680.00
22	ग्राम सभा मानिकपुर सुखदेव के डेरा से गणेश प्रजापति के घर तक इंटर लाकिंग कार्य	593600.00
23	ग्राम सभा पिखौली में भुवनेश्वर गुप्ता के घर से नट बस्ती तक पेवर्स ब्लाक	1117200.00
24	ग्राम सभा एलाखगढ़ में नथुनी यादव खेत केे पास खेदु यादव के घर तक सडक पर पेवर्स ब्लाक	276080.00
25	ग्राम सभा बेलहरी में मोती लाल मिश्रा के घर से मंगलेश के घर तक इंटर लांिकग कार्य	313600.00
26	ग्राम सभा चौकिय में विनोद के घर से छोटे लाल राजभर के घर तक सी0सी0 /इ0 कार्य	57500.00
27	ग्राम सभा सूर्य मानपुर में श्री नाथ यादव के घर से सरोज तिवारी के घर तक इ0 कार्य	218176.00
28	ग्राम सभा मैरीटार में दिनेश गौड के दिनेश के दरवाजे से श्याम वर्मा के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक	403984.00
29	ग्राम सहतवार ककरघटी सुरेश तिरवारी सुरेश के डेरा तक इ0लाकिंग कार्य	196000.00
30	ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में पंचदेव यादव के घर से सुरेश तुरहा के घर तक पेवर्स ब्लाक	625296.00
31	ग्राम भीवपुर दीयर नई बस्ती में राजन प्रजापति के घर से विपिन राय के घर होते हुए भरोसा राम के घर तक पेवर्स ब्लाक	445760.00
32	हनुमानगंज में सूर्य देव सिंह मास्अर के घर से अवधेश गुप्ता सुदर्शन गुप्ता अशोक गुप्ता के घर तक पेवर्स ब्लाक	487200.00
33	ग्राम सभा लहसनी में हरिनाथ प्रजापति के घर से अजय सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	714560.00
34	ग्राम सभा जमुई में रामायण यादव के घर से चौहान बस्ती तक सुरेश यादव के घर तक सोलिंग कार्य	619360.00
35	ग्राम सभा बुढऊ में बब्लू सिंह से भरत सिंह घर तक नाली कार्य	492105.00
36	ग्राम वीरपुर के तकिया में प्रभु के घर से धमेन्द्र के घर तक सी0सी0 कार्य	232153.00
37	ग्राम दलन छपरा के काशीनाथ तिवारी के दरवाजे से हवलदार वर्मा के दरवाजे के	166544.00

	घर होते हुए शिव मंदिर तक इ0 कार्य	
38	बैरिया सिद्विनाथ के घर से लेवर हरिकंचन के घर तक मिट्टी/इ0 कार्य	98400.00
39	ग्राम सुखपुरा में रामवली गौड के दरवाजे से राधा मोहन सिंह के दरवाजा होते बच्चन सिंह के घर तक इ0 कार्य	55000.00
40	डुहा बिहरा हरपुर पहबाह बाबा के घर से तिवारी लाल के घर तक इ0/नाली	197680.00
41	मरव छपरा गांव में राजूमिया के घर से गोपाल सिंह के घर तक इ0कार्य	628000.00
42	ग्राम साहोडीह में विहारी वर्मा के दरवाजे से नन्द लाला गुप्ता के मकान तक इ0कार्य	425600.00
43	ग्राम सभा माथपार में अमरजीत गुप्ता के घर से विजय बहादुर के घर तक सी0सी0 कार्य	1160880.00
44	ग्राम पंचायत चांदपुर में रजाधर वर्मा के घर से हसराज शर्मा के घर तक इ0लाकिंग कार्य	74144.00
45	ग्राम सभा सहुआई में जसराम तिवारी के घर से रविन्द्र पासवान के घर तक सी0सी0 रोड	641424.00
46	ग्राम सभा फिरोजपुर शहाबुद्वीनपुर गणेश सिंह के घर से सुरेन्द्र सिंह घर तक सी0सी0 कार्य	526400.00
47	ग्राम सभा गणेशपुर में धनजी तिवारी के घर से रमाशंकर राजभर के घर तक पेवर्स ब्लाक	313600.00
48	ग्राम उकछी में मोहित पासवान के घर से रामाश्रय गिरि के घर तक सी.सी. कार्य	655872.00
49	ग्राम अडरा पाण्डेयपुर में मधुसूदन यादव के घर से सिराम पाण्डेय के घर तक नाली निर्माण	244160.00
50	ग्राम सभा चाँदपुर जर्नादन सिंह के घर से तिवारी जी घर तक सी0सी0 सडक का निर्माण	178080.00
51	ग्राम सभा शदिलपुर में दीपक चौबे के घर से योगेन्द्र मोहन के पास तक सी0सी0/इ0 कार्य	192528.00
52	दिनांक 6-8-2021 मे0 उत्कर्ष कान्सट्रक्शन जनपद के विभिन्न स्थानों पर 200 अदद सोलर लाईट एवं स्थापना कार्य	2578800.00
53	दिनांक 9-6-2021 मे0 उत्कर्ष कान्सट्रक्शन सिविल लाइन रोड से सी0एम0ओ0 बगला के बगल से प्राफेसर कालोनी तक पेवर्स ब्लाक रोड	860000.00
54	दिनांक 4-10-2021 मे0 उत्कर्ष कान्सट्रक्शन सिविल लाइन रोड से सी0एम0ओ0 बगला के बगल से प्राफेसर कालोनी तक पेवर्स ब्लाक रोड	554400.00
55	9-6-2021 बिजली विभाग से मेन पावर हाउस तक लेपन कार्य तथा रोड लाइट पेवर्स ब्लाक	1344000.00
56	04-10-2021 बिजली विभाग से मेन पावर हाउस तक लेपन कार्य तथा रोड लाइट पेवर्स ब्लाक	1143520.00
	योग -	30698422.00

जनपद - मऊ **मण्डल आजमगढ़**

प्रारूप - 2

जनपद - मऊ **संभाग - आजमगढ़**

नाम संस्था - जिला पंचायत

प्रस्तर-1

वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त योजना/ केन्द्रीय वित्त योजना से कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में यह पाया गया कि कार्य के कराये जाने में विलम्ब होने की स्थिति में ठेकेदारों के विलों से विलम्ब शुल्क एक प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्म है|

क्र0 स0	कार्य का नाम	विलंब शुल्क जो काटा जाना चाहिये	विलंब शुल्क जिसकी कटौती की गायी	कम विलंब शुल्क की कटौती
1	जि०पं० डाक बंगले की रंगाई पुताई एव अन्य कार्य	3760	760	3000
2	कन्धेरी सी0 सी0 रोड़ से भैसही नदी तक सोलिंग कार्य	1450	500	950
3	उसरी खुर्द में करुणेश राय के घर से हरधौली सम्पर्क मार्ग की ओर R. सी.सी. . कार्य	950	500	450
4	सहरोज मतलु पुर रोड़ से मल्लाह वस्ती तक लेपन मरम्मत	1800	1000	800
5	गौहरपुर सी.सी. .रोड़ से प्रा0 पा0 तक सी.सी. .कार्य	4900	1000	3900
6	सुल्तानपुर माइनर से चमरियाव यादव वस्तीतक विशेष मरम्मत	1150	1000	150
7	सूर्यकान्त त्रिपाठी के घर से नहरपुर पिच रोड़ तक सी.सी. .कार्य	1290	1000	290
8	पिवाताल वेलभद्रपुर मार्ग से प्रेमचन्द्र पासवान के घर तक सोलिग कार्य	530	500	30
9	सिपाह चौहान वस्ती से बादामी देवी इण्टर कालेज तक पिच मरम्मत	1500	1000	500
10	वोझी घरौली मार्ग पर विजय गुप्ता के घर से डा0 सदानन्द के घर तक सी.सी. .कार्य	1330	1000	330
11	विक्कमपुर खुल्लु चौहान के घर से कुचहरा सिवान तक	1260	1000	260
	योग	19920	9260	10660

उपरोक्तानुसार विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों के विलों से विलंब शुल्क की कम कटौती कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। कुल रू0 10660.00 की क्षति का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द वित्तीय परामर्शदाता श्री अजय कुमार यादव तथा लेखाकार श्री विनय शंकर मिश्र का रहा | अतः सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-2

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त/ 15वे वित्त योजना से कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जांच में यह पाया गया कि निर्माणकार्य में प्रस्तुत खनिज सामग्री के सापेक्ष रॉयल्ट की कटौती नहीं / कम की गयी है | विवरण निम्न प्रकार है |

क्र0 स0	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	निर्माण मात्रा	प्रयुक्त सामग्री का नाम व साइज़	सामग्री की मात्रा	रॉयल्टी की दर प्रति मी^{3}	रॉयल्टी	कार्य पर कुल रॉयल्टी	बिल से काटी गई रॉयल्टी / प्रस्तुत एम.एम. 11 का विवरण रु1107	कम काटी गयी रॉयल्टी
1	ग्राम सभा कँधेली पिचरोड़ दुःखी के घर से दुमराव दलित वस्ती तक पिच मरम्मत। 19-20 का कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	6.83 मी^{3} " " 1621.80मी^{2} 1621.80मी^{2}	स्टोन ग्रिट 53-22.4 एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.36एम.एम.	8.26मी^{3} 1.98मी^{3} 43.78मी^{3} 14.60मी^{3}	110 100 160 160	909 198 7005 2336	10448	स्टोन ग्रिट एवं मोरंग हेतु एम.एम. 11 प्रस्तुत डाला ग्रिट हेतु नहीं	9341

2	विक्कमपुर खुल्लु चौहान के घर से कुचहरा सिवान तक पिच मरम्मत 19-20 का कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	70.42मी³ " " 1836मी² 1836मी²	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.36एम.एम.	85.21 मी³ 24.71 मी³ 49.57मी³ 16.52 मी³	110 100 160 160	9373 2471 7931 2643	22418	47मी³ का स्टोन ग्रिट का एम.एम. 11 प्रस्तुत है 47*110=5170	17248
3	सुल्तानपुर माइनर से चमरियाँव यादव बस्ती तक विशेष मरम्मत	डब्लू.बी.एम. जी-2 " " डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	51.63 मी³ 51.63 मी³ 34.44 मी³ 34.44 मी³ 1530 मी² 1530 मी²	स्टोन ग्रिट 63-45एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.36एम.एम.	62.47मी³ 14.97मी³ 44.09मी³ 10.57मी³ 41.31मी³ 13.77मी³	110 100 110 100 160 160	6872 1497 4850 1057 6610 2203	23089	73.68मी³ का स्टोन ग्रिट का एम.एम. 11 प्रस्तुत है 73.68*110=8105	14984
4	अलीनगर गाँव से जयसिंहपुर पिच रोड़ तक पिच मरम्मत कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-2 " " डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	34.00 मी³ 34.00 मी³ 75.74 मी³ 75.74 मी³ 1370मी² 1370मी²	स्टोन ग्रिट 63-45एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.36 एम.एम.	41.14मी³ 9.86मी³ 91.65मी³ 21.96मी³ 36.99मी³ 12.33मी³	110 100 110 100 160 160	4525 986 10081 2196 5918 1973	25679	43मी³ का स्टोन ग्रिट का एम.एम. 11 प्रस्तुत है 43*110=4730 14मी³ के तीन एम.एम. 11 का नंबर एक रहा 18 मी³ के दो एम.एम. 11 एम.बी. के तिथि के बाद के है	20949
5	नसोपुर के समीप पी. .w.D. पिच मार्ग से अमृत पब्लिक स्कूल तक पिच मरम्मत कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	105.00 मी³ " " 3060मी² 3060मी²	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.36एम.एम.	127.05मी³ 30.45मी³ 82.62मी³ 27.54मी³	110 100 160 160	13976 3045 13219 4406	34646	स्टोन ग्रिट एव मोरम का एम.एम. 11 प्राप्त डाला ग्रिट का नहीं |रु 17021	17625
6	जिला पंचायत द्वारा निर्मित घोसी मधुवन मार्ग से कुण्ड शरीफ हरिजन वस्ती का अवशेष भाग पर लेपन मरम्मत कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	48.54 मी³ " " 826.2मी² 826.2मी²	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.36एम.एम.	58.73मी³ 14.07मी³ 22.3मी³ 7.43मी³	110 100 160 160	6460 1407 3568 1189	12624	स्टोन ग्रिट एव मोरम का एम.एम. 11 प्राप्त डाला ग्रिट का नहीं |रु 7867	4757
7	सहरोज मतलूपुर मेंन रोड मे अबेडकर मूर्ति के बगल से मल्लाह वस्ती तक लेपन मरम्मत कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	35.39 मी³ " " 1683मी² 1683मी²	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.36एम.एम.	42.82मी³ 10.26मी³ 45.44मी³ 15.15मी³	110 100 160 160	4710 1026 7270 2424	15430	स्टोन ग्रिट एव मोरम का एम.एम. 11 प्राप्त डाला ग्रिट का नहीं |रु 5736	9694
8	(बड़राव) सिपाह चिउटीडांड रोड से सिपाह गाँव तक पिच कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	84.87 मी³ " " 3060 मी² 3060मी²	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.36एम.एम.	102.69मी³ 24.61मी³ 82.62मी³ 27.54मी³	110 100 160 160	11296 2461 13219 4406	31382	73.68मी³ स्टोन ग्रिट कोर्स सैंड अन्य का नहीं | 73.68 *110 =8105	23277

9	बेलभद्रपुर पिउवा ताल मार्ग से वेल भद्रपुर मोहन के घर होते हुए राम प्रवेश के घर तक सी.सी. . कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	95.71 मी³ " " 157.48 मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	115.81मी³ 27.76मी³ 141.73मी³ 70.87मी³	110 100 160 150	12739 2776 22677 10630	48822	कोर्स सैंड 17मी³ का एम.एम. 11 प्राप्त रु0 2550 अन्य कई एम.एम. 11 संलग्न है किन्तु कार्यादेश के पूर्व के है	46272
10	गौहरपुर सी.सी. . रोड़ से प्रा० पा० तक सी.सी. . कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	30.89 मी³ " " 52.25मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	37.38मी³ 8.96मी³ 47.03मी³ 23.51मी³	110 100 160 150	4112 896 7525 3526	16059	20मी³ स्टोन ग्रिट का एम.एम. 11 प्राप्त कई एम.एम. 11 संलग्न है किन्तु कार्यादेश के पूर्व के है| रु 2200	13859
11	बोझी अजमतगढ़ मार्ग पर बोझी सबर हद विरैचा ट्रान्सफार्मर से रामप्यारे पासवान के घर तक सी.सी. . कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	18.31मी³ " " 33.30मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	22.16मी³ 5.31मी³ 29.97मी³ 14.99मी³	110 100 160 150	2438 531 4795 2248	10012	G3 एव कॉर्से सैन्ड हतू एम.एम. 11 प्राप्त डाला ग्रिट का नहीं |रु 5217	4795
12	बोझी घरौली मार्ग पर विजय गुप्ता के घर से डा० सदानन्द का घर होते अशोक गुप्ता के घर तक सी.सी. . कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	39.42मी³ " " 63.36मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	47.70 मी³ 11.43मी³ 57.02मी³ 28.51मी³	110 100 160 150	5247 1143 91 23 4277	19790	मोरन, 18मी³ स्टोन ग्रिट 36मी³ कोर्स सैंड 17मी³ का एम.एम. 11 प्राप्त अन्य का नहीं| रु 8310	11480
13	ग्राम सभा खण्डेरापपुर (भरकुवा) पिच रोड़ से जयबहादुर के ट्यूबेल तक सी.सी. . कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	48.68मी³ " " 83.25मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	56.48मी³ 13.54मी³ 74.93मी³ 37.46मी³	110 100 160 150	6213 1354 11989 5619	25175	मोरन,स्टोन ग्रिट, कोर्स सैंड का एम.एम. 11 प्राप्त डाला ग्रिट का मात्र 22मी³ का ही एम.एम. 11 प्राप्त रहा	8469
14	बड़राव ग्राम सभा उसरी खुर्द में करुणेश राय के घर से हथौली चिउटीड़ाड मार्ग तक . सी.सी. . .कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	56.10मी³ " " 76.45मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	67.88मी³ 16.27मी³ 68.81मी³ 34.40मी³	110 100 160 150	7467 1627 11009 5160	25263	स्टोन ग्रिट का 54 मी³ का एम.एम. 11 प्राप्त तथा 18 मी³ का कार्यादेश के पूर्व का है अन्य अप्राप्त|रु5940	19323
15	मीरपुर दरियाबाद ग्राम सभा गोबरी डीह के प्रा० पा० से विजय शंकर के घर तक सी.सी. . कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	45.33 मी³ " " 81.00मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	54.85मी³ 13.15मी³ 72.90मी³ 36.45मी³	110 100 160 150	6034 1315 11664 5467	24480	मोरन,स्टोन ग्रिट, का एम.एम. 11 प्राप्त डाला ग्रिट कोर्स सैंड का नहीं	17131
16	ग्राम बड़राव जयराम प्रजापति के से अब्बूयादव के घर के पहले तक सी.सी. . कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	56.10मी³ " " 76.50मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	67.88मी³ 16.27मी³ 68.8 5मी³ 34.43मी³	110 100 160 150	7467 1627 11016 5164	25274	स्टोन ग्रिट 50मी³ कोर्स सैंड 30मी³ का एम.एम. 11 प्राप्त शेष अन्य अप्राप्त| रु 10000	15274

17	मुरारपुर के समीप हैदर अली के मकान से खासतकार के नहर तक सी.सी.कार्य	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी.सी. कार्य " "	46.93 मी³ " " 76.95मी³ " "	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	56.79मी³ 13.61मी³ 69.26मी³ 34.63मी³	110 100 160 150	6247 1361 11082 5194	23884	मोरन,स्टोन ग्रिट, कोर्स सैंड 13मी³ का एम.एम. 11 प्राप्त कोर्स सैंड का 21मी³ का एम.एम. 11 कार्य देश के पूर्व का है	14326
18	बड़राव -ग्राम सभा चमरई छोटी सरजू पुल से ग्राम सभा चमरई तक सी.सी. कार्य/व नाली निर्माण	सी.सी. 1:6:12 " " ब्रिक वर्क प्लास्टर R.सी.सी. 1:2:4 " " डब्लू.बी.एम. जी-3 " " सी0 सी0 कार्य " "	23.76मी³ " " 60.59मी³ 211.2मी² 27.36मी³ " " 46.60मी³ " " 79.20मी³ " "	स्टोन ग्रिट 40:20:10एम.एम. कोर्स सैंड कोर्स सैंड कोर्स सैंड डाला ग्रिट 20:10एम.एम. कोर्स सैंड स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन डस्ट /मोरंग डाला ग्रिट 13.2-11.2एम.एम. कोर्स सैंड	22.81मी³ 11.40मी³ 15.26मी³ 4.26मी³ 24.62मी³ 12.31मी³ 56.39मी³ 13.51मी³ 71.28मी³ 35.64मी³	110 150 150 150 160 150 110 100 160 150	2509 1710 2289 639 3939 1846 6203 1351 11405 5346	37237	स्टोन ग्रिट 75मी³ कोर्स सैंड 47मी³ डाला ग्रिट 44मी³ का एम.एम. 11 प्राप्त	14897
19	पाऊस सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य एवं इण्टर लाकिंग कार्य वर्ष 2015-16 का कार्य व वर्ष 2021 -22 मे भुगतान	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट ओ बी बी 1:3:6 " " डब्लू.बी.एम. जी-3 " " ब्रिक वर्क प्लास्टर लोकल सैंड	230.65मी³ " " 2121मी² 2121मी² 4.65मी³ " " 35.65मी³ " " 26.16मी³ 144मी² 10.62मी³	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन ग्रिट 11.2एम.एम. क्रस्ड स्टोन 11.2एम.एम. क्रस्ड स्टोन 6.7एम.एम. स्टोन ग्रिट 20:10एम.एम. कोर्स सैंड स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन ग्रिट11.2एम.एम. कोर्स सैंड कोर्स सैंड लोकल सैंड	279.09मी³ 55.36मी³ 57.27मी³ 19.09मी³ 4.46मी³ 2.23मी³ 43.14मी³ 8.56मी³ 6.59मी³ 2.9मी³ 10.62मी³	72 102 102 102 72 90 72 102 90 90 45	20094 5447 5842 1947 321 201 3106 873 593 261 478	39163	रॉयल्टी कटौती मात्र रु0 15914	23249
20	मऊ मधुवन सम्पर्क मार्ग (शहीद मार्ग) से शम्भू यादव के घर के सामने तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य वर्ष 2015-16 का कार्य वर्ष 2021-22 मे भुगतान	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	279.00मी³ " " 3105मी² 3105मी²	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन ग्रिट11.2एम.एम. डाला ग्रिट13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.3एम.एम.	337.59मी³ 66.96मी³ 83.84मी³ 27.95मी³	72 102 102 102	24306 6830 8551 2851	42538	रॉयल्टी कटौती मात्र रु0 10743	31795
21	चौधरी मोड़ से लखनी अवशेष भाग का विशेष मरम्मत कार्य वर्ष 2015-16 का कार्य वर्ष 2021-22 मे भुगतान	डब्लू.बी.एम. जी-3 " " 20एम.एम. पी.सी. सेल कोट	280.80मी³ " " 2880मी² 2880मी²	स्टोन ग्रिट 53-22.4एम.एम. स्टोन ग्रिट11.2एम.एम. डाला ग्रिट13.2-11.2एम.एम. डाला ग्रिट 6.7-2.3एम.एम.	339.77मी³ 67.39मी³ 77.76मी³ 25.92मी³	72 102 102 102	24463 6874 7932 2644	41913	रॉयल्टी कटौती मात्र रु0 20299	21614
	योग									360359

उपरोक्तानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज सामग्री के सापेक्ष पत्रावली में एम. एम.- 11 संलग्न न कर या फिर कम कर, प्रयुक्त खनिज की मात्रा पर कुल रापल्टी रू० 360359 की कटौती न कर, राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। शासनादेश सं0-3385/86-15-292/2015 दिनांक 15-10-2015 विन्दु सं0-3(3) के अनुसार रायल्टी की कटौती न होने की दशा मे 6 गुना धनराशि अर्थात् रू० 21,62,154.00 वसूली योग्य है। उक्त का दायित्व अपर मुख्य

अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द,अभियन्ता श्री आर0डी0 सिंह एवं लेखाकार श्री विनय शंकर मिश्र का रहा | इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-3

शासनादेश सं0-1408/23-03-2009-62 (जनरल)/08 दिनांक 08-05-2009 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा विटुमिन का सीधे क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं विदुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा विदुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा जब बिटुमिन की मूल इनवायम ठीकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाए। परन्तु पिच व लेपन कार्य की पत्रावालियों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार को बिना मूलइनवाईस प्राप्त किये ही भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में रु0 -2292498.00 का अनियमित विदुमिन / इमल्शन क्रय के सापेक्ष भुगतान किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द, वित्तीय परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव, अभियन्ता श्री आर0डी० सिंह तथा लेखाकार श्री विनय शंकर मिश्र उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

क्र 0 सं 0	कार्य का विवरण	पी0 कोट0			टैक कोट			20 एम.एम. पी0सी0			सेल कोट			कुल धनराशि
		एस0एस0 1 एमल्सन			बिटुमिन			बिटुमिन			बिटुमिन			
		मात्र	दर/किग्रा	धनराशि	मात्र	दर/किग्रा	धनराशि	मात्र	दर/किग्रा	धनराशि	मात्र	दर/किग्रा	धनराशि	
1	अलीनगर गाँव से जयसिंहपुर पिच रोड तक पिच मरम्मत कार्य	563किग्रा	51.91	29225	589किग्रा	45.04	26529	2457किग्रा	45.04	110663	1094किग्रा	45.04	49274	215691
2	सहरोज मतलपुर मेन रोड से अम्बेडकर मूर्ति के बगल से मल्लाह वस्ती तक लेपन मरम्मत कार्य	624किग्रा	51.91	32392	589किग्रा	45.04	26529	2457किग्रा	45.04	110663	1094किग्रा	45.04	49274	218858
3	सुल्तानपुर माइनर से चमरियांव यादव वस्ती तक विशेष मरम्मत	516किग्रा	51.91	26786	536किग्रा	45.04	24141	2234किग्रा	45.04	100619	995किग्रा	45.04	44815	196361
4	जिला पंचायत द्वारा निर्मित घोसी मधुवन मार्ग से कुण्डा शरीफ हरिजन वस्ती का अवशेष भाग पर लेपन मरम्मत कार्य	574किग्रा	51.91	29796	289किग्रा	45.04	13017	1206किग्रा	45.04	54318	537किग्रा	45.04	24186	121317
5	सिपाह (चिडटीडाड रोड़ से) सिपाह गाँव तक पिच मरम्मत	1079किग्रा	51.91	56011	1071किग्रा	45.04	48238	4468किग्रा	45.04	201239	1989किग्रा	45.04	89585	395073
6	पाउस सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	1591किग्रा	38.43	61142	742किग्रा	45.74	33939	3088किग्रा	45.74	141245	1375किग्रा	45.74	62893	299219
7	मऊ मधुवन सम्पर्क मार्ग (शहीदमार्ग) से शम्भू यादव के घर के सामने तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य	2329किग्रा	38.43	89503	1087किग्रा	45.74	49719	4533किग्रा	45.74	207339	2018किग्रा	45.74	92303	438864
8	चौधरी मोड़ से लखनी अवशेष भाग का विशेष मरम्मत कार्य	2160किग्रा	38.43	83009	1008किग्रा	45.74	46106	4274किग्रा	45.74	192375	1872किग्रा	45.74	85625	407115
	योग -													2292498.00

प्रस्तर-4

निम्नांकित तिथियों में दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/ भुगतान बिल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहा।

क्र0 स0	दिनांक	वा०स०	धनराशि	व्यय विवरण
1	17-04-2021	पी. -42	860160.00	सिरसा से सहाबपुर तक लेपन कार्य देवा कन्स्ट्रक्शन
2	17-04-2021	पी. -57	864640.00	मधवा पक्की सड़क मे मदरही गाँव के रास्ते विशेष मरम्मत कार्य विनय कन्स्ट्रक्शन
3	17-04-2021	पी. -58	290080.00	मऊ, बलिया मार्ग से गढ़वा तक अवशेष भाग का मरम्मत कार्य सुनील राय
	योग		2014880.00	

उपरोक्तानुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जो उ0 प्र० जि०प० तथा क्षे0 पं०नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत अधिभार योग्य प्रकरण है। अतः उक्त धनराशि की वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त धनराशि का दायित्व लेखाकार श्री जय प्रकाश मिश्र तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द का रहा। इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-5

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों को वर्ष 2021-22 में भुगतान किये गये विलो (भुगतान प्रमाणको) का विवरण निम्न प्रकार रहा।

क्र0 स0	दिनांक	वा0स0	धनराशि	कार्य का नाम / व्यय विवरण	ठेकेदार का नाम
1	17-04-21	पी. -41	970763.00	चौधरी मोड़ से लखनी मार्ग तक विशेष मरम्मत कार्य	श्री प्रेम चंद्र यादव
2	17-04-21	पी. -41ए	999900.00	चौधरी मोड़ से लखनी मार्ग तक विशेष मरम्मत कार्य	श्री प्रेम चंद्र यादव
3	17-04-21	पी. -42	954480.00	मधुवन मर्ग मे शम्भू के घर तक विशेष मरम्मत कार्य	श्री विपुल राय
4	17-04-21	पी. -42ए	999900.00	मधुवन मर्ग मे शम्भू के घर तक विशेष मरम्मत कार्य	श्री विपुल राय
5	17-04-21	पी. -43	994850.00	पाऊस संपर्क मार्ग मरम्मत एवं इन्टरलॉकिंग कार्य	श्री विपुल राय
6	17-04-21	पी. -43ए	972268.00	पाऊस संपर्क मार्ग मरम्मत एवं इन्टरलॉकिंग कार्य	श्री विपुल राय
	योग		5892161.00		

उपरोक्तानुसार दर्शित भुगतान प्रमाणको एवं सम्बंधित कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई।

(i) सभी व्यय प्रमाणको / ठेकेदारों के बिलों पर वित्तीय परामर्श दाता (वित्त अधिकारी) के हस्ताक्षर नहीं है।

(ii) उपरोक्त तीनो कार्य वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना से सम्बन्धित है। पस्तु भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया है। विलंब से भुगतान का कोई कारण नही दिया गया है।

(iii) निर्माण कार्य कराई जाने वाली किसी भी मद का रेट प्राक्कलन में नहीं बनाया गया है।

(iv) टेण्डर लिफाफा एवं तुलनात्मक चार्ट पर समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है।

(v) कराये गये कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(vi) प्राक्कलन पर अपर मुख्य अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। तथा अपर मुख्य अधिकारी के स्थान पर प्राक्कलन में खण्ड विकास अधिकारी अंकित है।

(vii) रॉयल्टी की प्रतिपूर्ति हेतु एम.एम. -11 प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(viii) विटुमिन की आपूर्ति हेतु रिफाइनरी का मूल इनवाइस पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(ix) पाउस सम्पर्क मार्ग मरम्मत एवं इण्टरलाकिंग कार्य में इण्टरलाकिंग ईटों की टेस्टिंग का प्रमाणपत्र पत्रावाली में संलग् नहीं है।

इस प्रकार बिना वित्तीय परामर्शदाता के भुगतान परामर्श लिए तथा वर्ष 15-16 का 21-22 में भुगतान से सम्बंधित स्पष्टीकरण के अभाव में तथा उक्त अन्य न्यूनताओं को कारण रु0 5892161.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द एवं लेखाकार श्री जय प्रकाश मिश्र उत्तरदायी रहे | इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-6

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के पत्रांक 3025/ 33-3-2005-100 (104)/2005 दिनांक 06 नवम्बर 2006 के क्रमांक (2) केअनुसार संक्रमण की धनराशि के 25% तक का अंश जिला पंचायतें अपने कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन पर खर्च कर सकती है। परंतु उक्त शासनादेश के विपरीत वित्तीय वर्ष 2021-22 में चतुर्थ/ पंचम राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत ब्याज एवं अनुदान से कुल प्राप्तियाँ रु 10,0673204.00 रही। जिसका 25% रु 2,51,68,301.00 ही होता है। के सापेक्ष बेतन / पेंशन मद में रु 340,98470. 00 संक्रमित किया गया है। अर्थात शासनादेश से रु 89,30169.00 अधिक संक्रमित कर वित्तीय अनियमिता की गयी है। जिसका दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द्र कुमार आनंद तथा लेखाकार श्री विनय शंकर मिश्र एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव का रहा | इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-7

बोझी घरौली मार्ग पर विजय गुप्ता के घर से डॉ0 सदानन्द का घर होते अशोक गुप्ता के घर तक सी.सी. -कार्य के प्राक्कलन में डब्लू.बी.एम.-जी-3 कार्य 39.51 मी³ प्रस्तावित रहा। एम.बी. . के अनुसार जी0-3 कार्य 39.42 मी³ कराया गया। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रसेबील टाइप पी. सच0 एस. मोरंग (मोरंम) की मात्रा 11.43मी³ लगेगी। जी-3 का रेट बनाते समय अवर अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन में मोरंग का रेट रु 2485.80 दर्शाया गया है। जबकि प्राक्कलन के साथ संलग्न रोड रेट सूची में मोरंग का रेट रु 2240.40 ही दर्शित है। इस प्रकार प्रति मी³ मोरम का रेट रु 245.40 अधिक दर्शाकर कुल रूप (11.43x245.40) 2805=00 का अधिक भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचापी गयी है। उक्त क्षति का दायित्व अवर अभियन्ता श्री इन्द्रजीत प्रसाद, अभियन्ता श्री आर० बी० सिंह तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द का रहा। इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-8

वर्ष 2021-22 में कुल रू0105800=00 रायल्टी की कटौती की गयी है जिसमे से मात्र रु 54736=00 रायल्टी ही राजकीय कोषागार में जमा की गयी है शेष रू 51064. 00 रायल्टी राजकीय कोषागार में जमा करने का प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत रहा। इस प्रकार रू 51064. 00 रायल्टी राजकीय कोषागार में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसका दायित्व लेखाकार श्री विनय शंकर मिश्र तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-9

दिनांक 07-01-2022 को रु 96824-00 का भुगतान वैष्णवी इण्टरप्राइजेज को जिला पंचायत कार्यालय में कर अधिकारी के केविन निर्माण कार्य हेतु किया गया है केविन निर्माण / फर्निचर कार्य आकस्मिक व्यय की श्रेणी में आता है। (उ0 प्र0 सरकारी गजट संख्या 1682/33-2-2022-72 जी -87 टी0 सी0 लखनऊ 27 जुलाई 2022)आकस्मिक व्यय रू 50,000= से अधिक होने की स्थिति में व्यय स्वीकृति हेतु विनिर्दिष्ट किये गये सक्षम प्राधिकारी डिवीजन आयुक्त महोदय से अनुमति नहीं ली गयी है। इस प्रकार बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के व्यय कर वित्तीय अनियमिता की गयी है। जिसका दायित्व लेखाकार श्री विनय शंकर मिश्र, अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द्र कुमार आनन्द तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री आजय कुमार यादव का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-10

दिनांक 31-3-2022 को रोकड़ वही के अनुसार शेष रु० 30,23,72538=47 है। जबकि विभिन्न बैंक खातों में जमा	
धनराशि निम्न प्रकार दर्शित है।	
1 पंजाब नेशनल बैक रा0 वित्त	खाता सं0 478000100016422 में रु 62131481.38
2. केनरा बैंक जिला विधि	खाता सं0 266101018165 में रु 14598193.09
3- काशी गोमती बैक सांसद विधि	खाता सं0 51530201000867 में रु 529770.00
4. केनरा बैक 15 वाँ वित्त	खाता सं0 2661101022483 में रु 236592975.00
	योग रु 313852419.47
	अन्तर रु 11479881.00

अनियमित रूप से उक्त अन्तर का समाधान विवरण पत्र नहीं बनाया गया है। उक्त का दायित्व लेखाकार श्री विनय शंकर मिश्र तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0 वी० सिंह का था | इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-11

जिला पंचायत स्तर पर अपूर्ण कार्यों की सूची नहीं बनायी गयी है। लेखा परीक्षा में वर्ष 21-22 के निर्माण कार्य रजिस्टर के आधार पर लेखा परीक्षा में निम्न कार्य अपूर्ण पाये गये। वर्ष 2019-20 के कुछ कार्य जो वर्ष 2020-21मे प्रारम्भ हुए अथवा वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ हुए या फिर वर्ष 2020-21 के कार्य जो वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ हुए या फिर वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ हुए एव 2021-22 के कार्य जो वर्ष मे प्रारम्भ तो हुए परन्तु 31-03-2022 तक पूर्ण नहीं हो सके है का विवरण निम्म है|

क्र. सं	कार्य का नाम	कार्य की लागत	वर्ष 20-21 में व्यय धनराशि	वर्ष 21-22 में व्यय धनराशि	कुल व्यय धनराशि
1	खुरहट मेन सड़क पर शब्बीर अहमद के घर से महेन्द्र राजभर के घर तक नाली	9.8 लाख	--------	595840	595840

	निर्माण				
2	ग्राम पंचायत खेसारी में उदय नरायण के खेत से चन्द्रिका गौड़ के खेत तक सी0 सी0 कार्य	9.65 लाख	571200	203840	775040
3	राजेन्द्र प्रसाद के खेत से जमालपुर सरहद होते देवनाथ राजभर के टूवेल तक सोलिंग कां	9.99 लाख	575680	291200	866880
4	ग्राम पंचायत कसारी के समीप राजकुमार राय के बगीचे से विजय नरायन शर्मा के भट्ठे तक सी.सी.	9.84 लाख	---------	846720	846720
5	भवनपुरा इन्दरपुरा मार्ग से दादोपुर स्वामी आत्मानन्द परम हंस आश्रम तक मि० सो० कार्य	5.49 लाख	--------	196000	196000
6	ग्राम सभा नई बाजार पिच रोड़ का विशेष मरम्मत	9.37 लाख	-------	819840	819840
7	ग्राम सभा भाटापार में सूर्य नाथ पाण्डेय के खेत से शम्भू पाण्डेय के खेत तक सी0 सी0 कार्य	6.81 लाख	-------	581280	581280
8	ग्राम सभा करपिया के समीप जुगनू सिंह के घर से पृथ्वी सिंह के खेत तक सी0 सी0 -कार्य।	9.8 लाख	-------	672000	672000
9	रतन पुरा भीमपुरा मार्ग से सेमराजपुर चट्टी से छिछोर करौदी तक पिच मरम्मत	31 लाख	-------	2665600	2665600
10	गाढा पिच मार्ग से नेहरू इण्टर कालेज होते राणा प्रताप के घर तक सी.सी. कार्य	9.95 लाख	-------	872480	872480
11	ग्राम सभा गरथौली झरखण्डी बावा के मन्दिर से इटौरा सम्पर्क मार्ग तक पिच मरम्मत	4.96 लाख	299936	119840	419776
12	ग्राम सभा गुलौरी कला रामजतन राजभर के खेत से रमाशंकर राजभर के घर तक सी.सी. .कार्य	6.7 लाख	-------	586880	586880
13	ग्राम सभा मुहम्मदपुर के रतनपुरा R.सी.सी. . से कैलाश के घर तक R.सी0 सी0 कार्य	3.72 लाख	-------	297920	297920
14	ग्राम सभा मुहम्मदपुर के समीप राम प्रसाद सिंह के घर से सलीद मिया के घर होते हुए विनय यादव के घर तक सी.सी. . कार्य	7.50 लाख	-------	630560	630560
15	उन्दुरा ताल पताक्ष खड़जे से बनकल प्रा0 पा0 तक .सी0 सी0 . कार्य	9.40 लाख	-------	776160	776160
16	मु0 बाद चिरैया कोट मार्ग से दरौरा में पिच कार्य	9.76 लाख	-------	850080	850080
17	ग्राम सभा खुशामदपुर के समीप पिच रोड़ से मुन्नी लाल यादव के घर तक नाली निर्माण	7.19 लाख	423360	215040	629400
18	मु0 वाद में जिला पंचायत की दुकानों का प्रथम तल पर रेलिंग निर्माण व सी0 सी0 .. का मरम्मत कार्य	9.95 लाख	-------	161280	161280
19	जहनियाँ पुर के समीप प्रहलाद के घर से श्यामलाल चौहान के घर तक सी0 सी0 . कार्य	9.02 लाख	-------	716800	716800
20	भुजही मे पिच रोड से सरकारी टूवेल तक सी0 सी0 . कार्य	6.98 लाख	431200	161280	592480
21	सिकटिया ओवर ब्रिज हनुमान मन्दिर के सामने जाने वाली पिच रोड से मानपुर रोडपर कनही राय के बगीचे से तेतरी के जमीन तक सी0 सी0 कार्य	9.93 लाख	------	832160	832160
22	कटरवाँ गाँव से कोईरिया पार नदवा सराय पिच मार्ग तक सी0 सी0 कार्य	8.13 लाख	---	687680	687680
23	ग्राम सभा मनसड़ी के नन्हकू के घर से गाजीपुर सरहद तक सोलिंग कार्य	7.13 लाख	----	543250	543250
24	ग्राम सभा बेला सुल्तानपुर कपिलदेव राय के दरवाजे से पिच रोड तकसी0 सी0 कार्य	------	-----	864640	864640
25	अपर मुख्य अधिकारी के आवास का मरम्मत एवं रंगाई पोताई कार्य	9.92 लाख	----	544320	544320
26	ग्राम सभा काछीकला में कोपागंज भिखारी पुर पिचमार्ग के दोनों तरफ फूलवदन के घर से लालाजी के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण।	8.99 लाख	----	732480	732480
27	ग्राम सभा सहरोज में चकिया मुहम्मदपुर बंधा से योगेन्द्रनाथ के खेत मे देई स्थान तक मि0 सो0	9.99 लाख	489440	328160	817600
28	ब्लाक कोपागंज कोटवा कोपड़ा पिच मार्ग से पंचायत भवन तक सोलिंग कार्य	8.05 लाख	415520	187040	602560
29	ग्राम सभा महुआपार के समीप नहर से शेष नाथ सिंह का घर होते हुए ह्रदय सिंह के घर तक सोलिंग	8.08 लाख	430080	245280	675360

30	कुडहनी सरायसुदनी पिच मार्ग से ग्रामसभा कुडहनी शिववहादुर राय के घर तक सी0 सी0 कार्प	8.02 लाख	499968	173600	673568
31	घोसी मुरारपुर जहर से लालवहादुर राजभर के रास्ते सी0 सी0 कार्य	4.98 लाख	----	371840	371840
32	वडराव मूजड़ाड पिच रोड से मूजड़ाड चन्द्रभान के घर तक सोलिंग कार्य	3.24 लाख	----	267680	267680
33	ग्राम सभा कुडियारी विरेन्द्र राजभर के घर से सम्पर्क मार्ग तक सी0 सी0 कार्य	9.9 लाख	----	203840	203840
34	घोसी मधुवन मार्ग से अमरपुर जिगना के रास्ते पर पिचमरम्मत कार्य	6.38 लाख	----	527520	527520
35	पिढ़वल पिचमार्ग से सन्तोष सिंह के घर तक सी.सी. कार्य	1.8 0 लाख	----	147840	147840
36	ग्राम सभा लिलई बुजुर्ग सन्तोष राय के मकान से पोखरी तक सी0 सी0 कार्य	9.90 lएhk	235200	610400	845600
37	गोडसरा आदमपुर मार्ग पर लालदेव यादव के खेत के पास स्थित नाले पर पुलिया निर्माण	6.10 लाख	----	190400	190400
38	बोझी अजमतगढ़ मार्ग से आगे मेन रोड पर लालचंद चौहान के घर से नहर पुलिया तक नाली निर्माण	15.36 लाख	731360	666400	1397760
39	बोझी अजमतगढ़ मार्ग पर बोझी नर्सरी के बगल से डा0 धर्मेन्द्र के खेत तक विशेष मरम्मत	9.21 लाख	299936	483840	783776
40	भैरोपुर पिचमार्ग से भैरोपुर खुरमा काली स्थान तक सी0 सी0 -कार्य	6.33 लाख	----	505120	505120
41	ताजोपुर गोहता अरविन्द के ट्यूबेल से रामजानकी मंदिर तक सी0 सी0 कार्य	9.99 लाख	----	784000	784000
42	सूर्यकान्त त्रिपाठी के घर से नहरपुर पिच रोड़ तक सी0 सी0 कार्य।	11 लाख	----	923960	923960
43	ग्राम सभा अलीनगर में सरकारी टूवेल मे शत्रुधन सिंह के ट्यूबेल तक जि0 प0 द्वारा निर्मित खडन्जे पर पुलिया निर्माणा	7.25 लाख	----	623616	623616
44	ब्लाक फतहपुर मण्डाव में ग्राम सभा नेवादा गोपाल में लाउवासाथ पिच मार्ग से कन्हैया के घर तक सी0 सी0 कार्य	16.41 लाख	----	1308160	1308160
45	ग्राम बस्ती के समीप सी0 सी0 रोड़ से डॉ जय प्रकाश मिश्र के घर तक सी0 सी0 -कार्य	4 लाख	----	358400	358400
46	ग्राम पंचायत इटैली में वाके के घर से महातम के घर तक सी0 सी0 के अवशेष भाग का सी0 सी0 कार्य	5 लाख	----	435680	435680
47	हलधर पुर पालिटेक्निक स्कूल से चनरी राजभर के घर तक सोलिंग कार्य	2 लाख	----	162400	162400
48	ग्राम सभा बंधन पुर के गुड्डू के घर से चन्द्रदीप के घर तक सी.सी. .कार्य	5.5 लाख	----	456960	456960
49	भैरोपुर बंधा पिचरोड़ से गोपाल शाही के घर तक सी.सी. . कार्य	9.9 लाख	----	872480	872480
50	ग्राम सभा कटघरा महलू के शिव मंदिर से योगीराम के घर तक सी.सी. कार्य	6.18 लाख	----	524160	524160
51	बकुची तलरवा पिच से दशरथ का टूबेल होते हुए बस्ती सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा कार्य	18.87 लाख	1609440	307440	1916880
52	मसन्डी के रामवचन के घर से गाजीपुर भैंसही नदी तक नाली निर्माण कार्य	8.94 लाख	----	691040	691040
53	कसारा 440 के0वी0 से कसारा उत्तरी राजभर बस्ती तक सी.सी. कार्य	12.49 लाख	----	1059520	1059520
54	ग्राम सभा निधियांव के समीप काली माँ के स्थान से ओम प्रकाश पाण्डेय के घर तक सी.सी. .कार्य	15 लाख	----	593600	593600
55	ग्राम सभा सिद्धा अहिलासपुर पी0डब्लू0डी0 रोड से ददन के घर तक सी.सी. .कार्य	10 लाख	----	853440	853440
56	रतनपुरा लिंक रोड़ से H.पी. .गैस गोदाम तक सी0 सी0 कार्य	3.78 लाख	----	325920	325920
57	रतनपुरा गाढ़ा पिच से गाढ़ा हरिजन वस्ती तक सी.सी. कार्य	9.99 लाख	----	855680	855680
58	ग्राम सभा पिपरसाथ के समीप गोदाम घाट पर तमसा नदी पर पत्थर पिचिंग कार्य	10 लाख	----	388640	388640
59	ग्राम सभा परशुरामपुर ग्राम पंचायत मेन गेट से रामहर्ष जायसवाल के पुराने मकान तक लेपन मरम्मत	9.99 लाख	----	818720	818720
60	ग्राम सभा मुजुरा बुजुर्ग सी.सी. .रोड़ से ब्रह्मवावा के स्थान तक सी0 सी0 निर्माण कार्य	6.33 लाख	----	535360	535360
61	बहरामपुर नहर से बहरामपुर शिक्षण संस्थान तक सी.सी. कार्य	7.74 लाख	----	655200	655200
62	जामडीह फैक्ट्री से कादीपुर गाँव तक लेपन मरम्मत कार्य	15 लाख	----	1265600	1265600
63	टेघना भीरा मार्ग पर पिवाताल अकलु हरिजन खेत से पोखरी तक नाली निर्माण	7.73 लाख	----	567840	567840
64	नदवल में विजय शंकर सिंह के घर से जय प्रकाश का घर होते हुए नदवल पोखरी तक नाली निर्माण	8.9 लाख	468160	309120	777280

65	घोसी घरौली मुख्य आजमगढ़ मार्ग से सहेन्द्र के घर तक लेपन मरम्मत कार्य ।	10 लाख	----	847840	847840
66	ग्रा०प० ढोलना चट्टी से डीह स्थान तक सी0 सी0 -कार्य	9.99 लाख	----	860160	860160
67	ग्रामसभा विजौली के समीप सी.सी. रोडसे राजभर वस्ती तक सी.सी. कार्य	9.99 लाख	----	850080	850080
68	मु०बाद रवी चौरसिया के मकान से गुरमा रोड तक नाला निर्माण	15.49 लाख	----	946400	946400
69	सुल्तानीपुर पिच मार्ग से मुसहर बस्ती तक सोलिंग कार्य	3.87 लाख	----	327040	327040
70	खुरहट बाजार में नाली निर्माण	9.95 लाख	452480	318080	770560
71	ग्राम सभा दौलसेपुर के समीप प्रधान मन्त्री पिच रोड मे मिर बाजार सम्पर्क मार्गतक लेपन कार्य	12.15 लाख	----	966560	966560
72	काझा पिरुवा मार्ग से उत्तर अनुसूचित बस्ती के रास्ते पर पुलिया निर्माण	7.85 लाख	----	267680	267680
73	ग्राम सभा ब्राह्मणपुरा में जि0पं0 से मरम्मत सड़क का अवशेष भाग का लेपन कार्य	8.14 लाख	----	651840	651840
74	ग्राम देवलास में रविदास मंदिर के बगल में सी.सी. कार्य	4 लाख	----	348320	348320
75	भुजही पिच रोड़ से विरजू चौहान के घर तक सी.सी. कार्य	9.98 लाख	748160	124320	872480
76	सरौदा कुटी, से परसपुरा देवडारी प्रा0 पाठ0 तक सम्पर्क मार्ग का लेपन मरम्मत	17.48 लाख	1456000	313600	1769600
77	ग्राम जुड़नपुर नेमडाड़ लिंक रोड पर स्थित पिच से विद्यालय तक सी0 सी0 कार्य	9.9 लाख	----	831040	831040
78	ग्राम सभा अल्लीपुर के नेमडाड़ पिच रोड़ से जुमाउदीन के ट्यूबेल से अल्लीपुर मस्जिद तक सी0 सी0 कार्य	15 लाख	----	688800	688800
79	ग्राम सभा कसारां के जुड़ावन राजभर के घर से रामाश्रय के घर तक सी0 सी0 कार्य	17.34 लाख	----	357280	357280
80	भिखारीपुर में जनसेवा केन्द्र से पप्पू मल्लाह के दुकान तक नाली निर्माण।	11.48 लाख	288960	729120	1018080
81	ग्राम सभा पहाड़पुर विनोद के घर से पंचायत भवन होते पोखरी तक नाली निर्माण	8.16 लाख	482720	231840	714560
82	ग्राम सभा धवरियाँ साथ उसरगढ़िया से सत्यनारायण के घर से छोटी सरजू तक नाली निर्माण	8.53 लाख	----	408800	408800
83	मऊ हलीमाबाद पिच मार्ग से हलिमावाद गाँव तक पिच मरम्मत	13.98 लाख	673120	433440	1106560
84	पदेवाजीत सन्तोष गुप्ता के मकान से बसही नाला तक नाली निर्माण।	9.98 लाख	----	255360	255360
85	घोसी मधुवन मार्ग पर खेमराजपुर रामजी यादव के घर तक सी0 सी0 कार्य	13.25 लाख	906080	260960	1167040
86	घोसी मधुवन मार्ग पर जामडीह रामशब्द के घर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली निर्माण	8.96 लाख	269920	510720	780640
87	मऊ बलिया मार्ग मे ग्राम सभा गढ़वा तक पिच मरम्मत	14.96 लाख	1033760	206080	1239840
88	रतनपुरा भीमपुरा मार्ग से सेमराजपुर-चट्टी से पूरब नहर होते सम्मनपुर नहर पुल तक मि0 सो0	19.20 लाख	1538880	179200	1718080
89	ग्राम सभा खजुहा में शिवप्रसाद के घर से नहर साइफन तक ढक्कनदार नाली निर्माण	9.36 लाख	604800	231840	836640
90	ग्राम सभा भदीड़ के समीप बब्लू सिंह के आवास से महराज जी की कुटी तक सी0 सी0 .कार्य	9.97 लाख	----	812000	812000
91	ग्राम सभा काधीकला जय प्रकाश राय के खेत से सूबेदार के खेत तक सी0 सी0 कार्य	8.29 लाख	----	691040	691040
92	कोपागंज इटौरा पिच मार्ग से संजय के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य	14.99 लाख	----	689920	689920
93	अकोल्ही नहर पुल से चकवक्सुपुर तक पिच मरम्मत	12.50 लाख	950880	165760	1116640
94	चकवक्सु नहर पुल से लड्डूपुर नहर तक पिच मरम्मत	15 लाख	882560	437920	1320480
95	ग्राम पंचायत सौसरवा के समीप अवध बिहारी के घर तक सी.सी. .कार्य	9.99 लाख	----	790720	790720
96	ग्राम पंचायत सौसरवा के समीप शंकर के घर से हरीचरन के घर तक सी.सी. कार्य।	9.99 लाख	----	701120	701120
97	मु0 बाद में जिला पंचायत की दुकानों का प्रथम तल पर रेलिंग निर्माण/सीड़ी मरम्मत	9.95 लाख	161280	425600	586880

98	बडराव में लाटघाट अमिला मार्ग पर रेयाव में बंसराजी देवी महाविद्यालय से पतिराज यादव के मकान के पूरब पोखरी तक नाली निर्माण	8.95 लाख	519680	273280	792960
99	बड़राव में मादी दुल्लह हरिजनवस्ती शारदा सहायक नहर से मादी दुल्लह हरिजन वस्ती तक नाली निर्माण	9.30 लाख	507360	174720	682080
100	जमीन कुसम्हा के समीप मुख्य नहर से ओम प्रकाश यादव के बसवार तक सी.सी. नाली निर्माण	9.26 लाख	----	507360	507360
101	पहदेवाजीत सन्तोष गुप्ता के मकान से बसनही नाला तक नाली निर्माण।	9.99 लाख	255360	282240	537600
102	वेलभद्रपुर पीवा ताल मार्ग से बेलभद्रपुरमोहन कघर होते हुए राम प्रवेश के घर तक सी.सी. कार्य।	19.88 लाख	1325520	430080	1755600
103	पकड़ी भवरापुर पिच रोड़ से सत्यनरायन व रामवचन के घर तक सी.सी. कार्य वर्ष 2018-19 का कार्य	4.36 लाख	----	389760	389760
104	वडराव में रामपुर पिच पर प्रा० पा0 से अनु0 वस्ती तक विशेष मरम्मत।	4.49 लाख	----	380800	380800
105	गोविन्दपुर-चन्द्रशेखर यादव के घर से नवजागिर के घर तक नाली निर्माण/	9.96 लाख	585760	299040	884800
106	मिर्जा जमालपुर नवपुरा वाहा पर पुलिया निर्माण |	8 लाख	471520	171360	642880
107	बडराव में सरबहद विरैचा पिच से देशराज वकील के घर से प्रा०पा० सरबहद विरैचा तक नालीनिर्माण |	5.08 लाख	----	237440	237440
108	ग्राम सभा मझवारा के स्वास्थ्य केन्द्र से सुरेश का घर होते मुन्नी लाल के घर तक नाली निर्माण|	13 लाख	----	621600	621600
109	सरबसपुर मेन पिच से राम मूरत सिंह के घर तक सी.सी. . कार्य|	13.13 लाख	----	283360	283360
110	मऊ वलिया मार्ग से डा० भीमराव अम्बेडकर विद्यालय नियामपुर होते इजराइल के खेत होते विजय भान के खेत तक लेपन कार्य ।	33.10 लाख	----	2195200	2195200
111	ढेचा पिचमार्ग पर जदुई शिक्षण संस्थान से बलिया वार्डर तक लेपन कार्य ।	24.83 लाख	----	1452640	1452640
112	ब्लाक बडराव में पिच रोड़ से ग्राम सभा निविहा तक लेपन कार्य	21.83 लाख	----	1247060	1247060
113	थानीदास-अजमतगढ़ मार्ग से लाट-घाट रोड पर ग्रामसभा भटमिला में सैयदबाबा के स्थान से उदय चन्द्र के खेत तक लेपन कार्य	26.45 लाख	----	1509760	1509760
114	मऊ वलिया मार्ग से राजवली इण्टर कालेज गढ़वा तक लेपन कार्य ।	32.77 लाख	----	1841280	1841280
115	चकरा हनुमान साहब के पोखरे से बोझवा मोड तक लेपन कार्य।	33.08 लाख	----	1960000	1960000
116	चकरा ब्रह्मवावा स्थान मे मिश्रौलीतक शारदा सहायक नहर की उत्तरी पटरी पर लेपन कार्य	33.23 लाख	----	1999200	1999200
117	लाडनपुर क्रासिंग से लाडनपुर गाँवतक सा0 मरम्मत	9.49 लाख	----	527520	527520
118	कालुपार पक्की सड़क से सद्दोपुर तक लेपन कार्य	44.02 लाख	----	934080	934080
119	सलाहाबाद चौराहे से वीवीपुरतक विशेष मरम्मत कार्य	30.65 लाख	----	972160	972160
120	मुहम्मदाबाद जीयनपुर से वलीदपुर भीरा तक लेपन मरम्मत कार्य	13.26 लाख	----	1009568	1009568
121	ग्राम सभा कन्धेरी पुल से सरवां तक पिच मरम्मत	19.96 लाख	----	593600	593600
122	खुरहट रानीपुर मार्ग से पलिया से चिरैयाकोट जाने वाली मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य	30.94 लाख	----	1598240	1598240
123	बोझी अंतरसांवा मार्ग पर खोनाचवर होते भोला जायसवाल के घर होते बोझी सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	42.46 लाख	----	2764160	2764160
124	आजमगढ़ रजवाहा से अल्लीपुर गाँव तक लेपन कार्य	32.73 लाख	----	1762880	1762880
125	रतन ढईचा चट्टी से श्मशानघाट तक लेपन कार्य	25.16 लाख	----	1730176	1730176

126	कोपागंज भात कोल मार्ग से अल्लीपुर गाँव तक विशेष मरम्मत कार्य	13.75 लाख	----	519680	519680
127	ग्राम सभा काडर में फतेहपुर कोपागंज मार्ग से पीपर- पाती पुल होते राम ध्यान साहनी के घर तक लेपन	27.73 लाख	----	1616160	1616160
128	फतहपुर इब्राहिमपट्टी मुख्य मार्ग से कमलापुर से बहोरनपुर गाँव तक लेपन मरम्मतकार्य	29.77 लाख	----	734384	734384
	योग-				106525611

उपरोक्तानुसार कुल 128 कार्य जिसे 31-03-2022 तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। (क्रमांक 1 से 102 तक के कार्य वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित, क्रमांक 103 पर अंकित कार्य वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित तथा क्रमांक 104 से क्रमांक 128 तक कुल 25 कार्य उपरोक्त समस्त कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि अलाभकारी रही। इस प्रकार निर्माण कार्यों के कराये जाने की समय सीमा नियमों की अनदेखी कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जो उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सा॰ लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) क से (ङ) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य प्रकरण है।

अतः सम्बन्धित कार्यो पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु 106525611.00 अनियमित है। जिसका दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द्र कुमार आनन्द, अभियन्ता श्री आर०वी0सिंह एवं अवर अभियन्ताओ (श्वेता यादव, अशोक कुमार यादव, इन्द्र जीत प्रसाद) का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

जनपद- बरेली मण्डल - बरेली

प्रारूप-02 (जिला पंचायत)

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-01 वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मृत पशु शव निस्तारण समितियों से **711600.00** की आय हुई है। लेकिन उ0प्र0सरकार के शासनादेश संख्या **682/पी0 /33.3.14(2)84** दिनांक **10.3.1987,**पत्रांक **2203/3.2.797-43** बी **(8)** टी0सी0दिनांक **30.5.1997** पत्रांक **2967/1132.2.2002/15**बी**/4-02** दिनांक **7.10.2002** एवं पत्रांक **3/138/2001-03/85** दिनांक **13.2.2004** द्वारा जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था,कि मृत पशु शव निस्तारण का आधा भाग **(50%)** जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें, तथा अब तक समस्त बकाया धनराशि का अविलम्ब भुगतान किया जाये। लेकिन वर्ष में प्राप्त **711600.00** का आधा भाग **355800.00** ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है। अर्थात उक्त शासनादेश का पालन न करते हुए **711600.00** जिला पंचायत के खातें में ही रखा गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-02

वर्ष आलोच्य में एन**0**के**0**प्रिन्टिंग सेन्टर,बरेली को कुल **143638.00** का निम्न विवरणानुसार विभिन्न प्रपत्रों की छपाई एवं स्टेशनरी का भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि एक लाख से उपर की है। लेकिन टेण्डर नहीं निकाला गया है। और न ही तीन दूकानों से कोटेशन ही लिया गया है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। तथा किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम	नाम	प्रमाणक सं**0**	धनराशि
1	एन**0**के**0**प्रिन्टिंग सेन्टर	**102-104/10**	**50681.00**

2	एन**0**के**0**प्रिन्टिंग सेन्टर	**157-167/12.**	**50593.00**
3	एन**0**के**0**प्रिन्टिंग सेन्टर	**119-128/02.19**	**42364.00**
		योग	**143638.00**

प्रस्तर-03

वर्ष आलोच्य में श्री नरीरज अग्रवाल को **31878.00** का भुगतान रिटर्न दाखिल किये जाने हेतु किया गया है। लेकिन इनसे कोई अनुबन्ध किया गया है,या नहीं तथा लिया गया दर जिला पंचायत ,द्वारा पास किये गये हैं या नहीं,इस सम्बन्ध में स्थिति अज्ञात रही। अतः किया गया भुगतान अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा जो अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-04

वर्ष आलोच्य में अरोरा बुक डिपो,बरेली से कुल **73950.00** की स्टेशनरी निम्न विवरणानुसार क्रय की गई है। लेकिन कन्ज्यूमेबल स्टेशनरी पंजिका का पृष्ठ संख्या प्रमाणकों पर अंकित नहीं किया गया है। और न ही उक्त पंजिका लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत कर किये गये क्रय की पुष्टि ही कराई गई। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम	दूकान का नाम	प्रमाणक सं**0**	धनराशि
1	अरोरा बुक डिपो,बरेली	**12,13,14/4**	**14917.00**
2	अरोरा बुक डिपो,बरेली	**1-14/9**	**19938.00**
3	अरोरा बुक डिपो,बरेली	**222-225/11**	**19705.00**
4	अरोरा बुक डिपो,बरेली	**199-202/3**	**19390.00**
		योग-	73950.00

प्रस्तर-05

वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मिट्टी खड़ंजा का कार्य कराया गया है। लेकिन किये गये भुगतान में से **2563.00** रू**0** लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है। इस प्रति समबंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम	कराया गया कार्य	किया गया भुगतान	नाम ठेकेदार	सेस की कटौती जो की जानी थी	प्रमाणक संख्या
1	ग्राम मोहरनिशा में मनसूरत के खेत से अड़ूपुरा मार्ग से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य	**50667.00**	प्रमोद कुमार	**507.00**	**50/5**
2	ग्राम बैकरशाह पुर में कन्हईलाल के तालाब होते हुए शमशान भूमि तक मि**0**ख**0**कार्य	**48912.00**	रंजन कुमार	**489.00**	**55/5**
3	मानपुर भूड़ से फरीदपुर रहमानपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य	**91100.00**	अनवर अली	**911.00**	**65/5**

4	ग्राम गुलाबनगर में हरनाम के खेत से करन सिंह के टयूबवेल की ओर मि0ख0कार्य	**49990.00**	अनवर अली	**500.00**	
5	ग्राम ढढरूआ में क्वाडा मेन रोड की ओर मि0ख0कार्य	**15584.00**	अनवर अली	**156.00**	**15584.00**
	योग-	**256253.00**		**2563.00**	

प्रस्तर-06

वर्ष आलोच्य में ए0एम0ए0द्वारा प्रयुक्त किये गये किराये के वाहन संख्या यू0पी025 बी0सी08584 का निम्न विवरणानुसार किराये का भुगतान मै0माँ भगवती जूता हाउस,बदायूँ को किया गया है। जिसमें आय कर की धनराशि कम ली गई है।

क्रम	माह नाम फर्म	किराया	आय कर जो ली गई	आय कर जोलेना था	अन्तर कम
1	**मई'2018** माँ भगवती जूता हाऊस,बदायूँ	**18709.00**	**323.00**	**380.00**	**57.00**
2	**मई'2018** माँ भगवती जूता हाऊस,बदायूँ	**29000.00**	**500.00**	**580.00**	**80.00**
3	**जून'2018** माँ भगवती जूता हाऊस,बदायूँ	**29000.00**	**500.00**	**580.00**	**80.00**
4	**जुलाई'2018** माँ भगवती जूता हाऊस,बदायूँ	**29000.00**	**500.00**	**580.00**	**80.00**
	योग-	**105709.00**	**1823.00**	**2120.00**	**297.00**

उपरोक्त विवरणानुसार **297.00** से आय कर कम लिया गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-07

वर्ष आलोच्य में प्रयुक्त निम्न किराये के गाड़ियों में डीजल का भुगतान कर्मचारी एवं ए0एम0ए0द्वारा लिया गया है। लेकिन प्रमाणकों को भुगतान प्राप्त कर्ता द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। और न ही यह अंकित किया गया है कि भुगतान इन कर्मचारियों द्वारा ही किया गया है। विवरण इस प्रकार है।

क्रम	प्रमाणक सं0 पद	गाड़ी संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्त्ता
1	**138,139/5 ए0एम0ए0**	**यू0पी025 बी0सी08584**	**1000.00**	सी0पी0सिंह राघव
2	**34/2 ए0एम0ए0**	**यू0पी025 ए0एफ05777**	**3100.00**	उपेन्द्र सिंह

3	35-37/2	यू0पी025 बी0सी08584	2699.00	बच्चा राय	वाहन चालक
4	38/2	यू0पी025 बी0सी08584	1000.00	ब्रजनन्दन सिंह	लिपिक
5	39/2	यू0पी025 बी0सी08584	1000.00	उपेन्द्र सिंह	ए0एम0ए0
		योग-	8799.00		

यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-08

वर्ष आलोच्य में कराये गये लेपन कार्य के किये गये भुगतानों में से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। विवरण इस प्रकार है।

क्रम	प्रमाणक सं0	कुल भुगतान	नाम ठेकेदार	क्रम	प्रमाणक सं0	कुल भुगतान	नाम ठेकेदार	क्रम	प्रमाणक सं0	कुल भुगतान	नाम ठेकेदार
1	136/4	279400.00	हसीन खाँ	9	28/7	90458.00	ब्रजेश गुप्ता	17	55/7	141460.00	हसीन खाँ
2	49/5	1120000.00	प्रमोद कुमार	10	29/7	304718.00	ब्रजेश गुप्ता	18	122/8	681000.00	प्रमोद कुमार
3	82/5	1215000.00	ओम प्रकाश	11	31/7	251649.00	रंजन कुमार	19	146/8	1209553.00	के0सी0एसो0
4	83/5	737000.00	ओम प्रकाश	12	32/7	237118.00	ए0के0ट्रेडर्स	20	151/8	71989.00	अखिल कुमार
5	89/5	855810.00	रंजन कुमार	13	51/7	1081700.00	एस0पी0सिंह	21	157/8	157073.00	रंजन कुमार
6	129/5	315900.00	एस0पी0सिंह	14	52/7	1308548.00	प्रमोद कुमार	22	162/8	78073.00	एस0पी0सिंह
7	25/7	83901.00	ब्रजेश गुप्ता	15	53/7	483000.00	अखिल कुमार	23	183/8	843000.00	रंजन कुमार
8	27/7	120632.00	ब्रजेश गुप्ता	16	54/7	135117.00	इशीर इन्फ्रास्ट्रक्चर	24	35/9	333159.00	ओम प्रकाश

25	36/9	1229000.00	ओम प्रकाश	37	189/12	706920.00	ए0के0ट्रेडर्स
49	169/2	1090517.00	अखिल कुमार				
26	37/9	127970.00	एस0पी0सिंह	38	209/12	620562.00	पटेल कं0
50	81/3	253280.00	प्रमोद कुमार				

27	38/9	455700.00	ओम प्रकाश	39	211/12	212819.00
	एस0पी0सिंह	51	103/3	267643.00	हसीन खाँ		
28	39/9	175462.00	रंजन कुमार	40	215/12	280505.00
	प्रमोद कुमार	52	104/3	482769.00	हसीन खाँ		
29	123/11	1039573.00	एस0पी0सिंह	41	45/1	333973.00
	प्रमोद कुमार	53	105/3	276151.00	हसीन खाँ		
30	130/11	683810.00	प्रमोद कुमार	42	66/1	363180.00
	एच0एस0इन्टरप्रा	054	133/3	109332.00	अखिल कुमार		
31	92/12	164447.00	रंजन कुमार	43	92/1	458783.00
	हनुमान ट्रेडर्स	55	159/3	337047.00	पटेल कं0.		
32	113/12	785489.00	अखिल कुमार	44	51/2	322953.00
	अखिल कुमार	56	189/3	796817.00	रियासत खाँ		
33	138/12	844217.00	एस0पी0सिंह	45	98/2	684168.00
	कुमार एण्ड कं0	57	217/3	285675.00	प्रमोद कुमार		
34	139/12	769927.00	एस0पी0सिंह	46	99/2	1177139.00
	कुमार एण्ड कं0	58	225/3	238786.00	हसीन खाँ		
35	142/12	477605.00	नवीन कुमार	47	105/2	131620.00
	एस0पी0सिंह	59	226/3	453269.00	हसीन खाँ		
36	179/12	795210.00	नावेद हमीद	48	106/2	415223.00
	एस0पी0सिंह	60	229/3	1435342.00	प्रेम बाबू		

कुल योग-3,14,18,141.00

उपरोक्त विवरणानुसार लेपन कार्य करा कर कुल **31418141.00** का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है। लेकिन इनसे रॉयल्टी नहीं कटौती की गई है। जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त बिटुमिन की कटौती की गई है या नहीं कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा। अतः यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-09

वर्ष आलोच्य में कराये गये इन्टरलॉकिंग,पुलिया निर्माण,डामर रोड एवं सी0सी0 के कार्यों के लिये ठेकेदारों को किये गये भुगतान मंे से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। जिसका विवरण इस प्रकार है। साथ ही लेपन कार्य के भुगतानों में से बिटुमिन एवं इमल्सन की कटौती की गई है या नहीं इसकी पुष्टि हेतु बिटुमिन स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

1-इन्टरलॉकिंग कार्य-

क्रम	प्रमाणक सं0	कुल भुगतान	नाम ठेकेदार	क्रम	प्रमाणक सं0	कुल भुगतान	नाम ठेकेदार
1	33/7	42965.00	इरतिका आईजा	12	171/3	759352.00	
	पटेल गर्ग कं0						

2	**123/8**	**615000.00**	प्रमोद कुमार	**13**	**218/3**	**347899.00**
	प्रमोद कुमार					
3	**22/9**	**751200.00**	प्रमोद कुमार		योग	**7060801.00**
4	**89/11**	**165932.00**	लाल करन			
5	**131/11**	**502950.00**	प्रमोद कुमार			
6	**159/11**	**2050184.00**	प्रेम बाबू			
7	**204/12**	**373449.00**	अनिल एसो0			
8	**82/1**	**496503.00**	प्रेम बाबू			
9	**52/2**	**190525.00**	अखिल कुमार			
10	**62/3**	**280811.00**	अनिल एसो0			
11	**83/3**	**484031.00**	प्रमोद कुमार			

2-कराये गये सी0सी0कार्यः-

क्रम	प्रमाणक सं0	कुलभुगतान	नामठेकेदार	क्रम	प्रमाणक सं0
	कुलभुगतान	नामठेकेदार			
1	**38/4**	**69671.00**	के0एम0इन्टरप्रा0	**11**	**47/7**
	861289.00	श्रीशपाल			
2	**39/4**	**121040.00**	अखिल कुमार	**12**	**145/8**
	546326.00	सैयद कं0			
3	**116/4**	**100000.00**	इरतिका आईजा	**13**	**163/8**
	1143961.00	आस्था ट्रेडर्स			
4	**61/5**	**806700.00**	एस0पी0सिंह	**14**	**164/8**
	966500.00	आस्था ट्रेडर्स			
5	**77/5**	**73100.00**	हसीन खाँ	**15**	**165/8**
	678442.00	सैयद			
6	**78/5**	**77600.00**	हसीन खाँ	**16**	**15/9**
	110004.00	राधा एसो0			
7	**84/5**	**103000.00**	ए0के0ट्रेडर्स	**17**	**41/9**
	1173930.00	अंजलि कं0			
8	**127/5**	**931819.00**	सुख्खनलाल	**18**	**83/1**
	147584.00	सैयद कं0			
9	**26/7**	**153000.00**	ब्रजेश गुप्ता	**19**	**113/2**
	384860.00	सैयद कं0			
10	**30/7**	**435029.00**	ब्रजेश गुप्ता		**योग-**
	8883855.00				

3-**पुलिया निर्माण के कार्यः**-

क्रम	प्रमाणक सं0	कुलभुगतान	नामठेकेदार	क्रम	प्रमाणक सं0
	कुलभुगतान	नामठेकेदार			

20	**160/11**	**233533.00**	एच0एच..इन्टरप्राइजेज	**29**	**150/3**
	282649.00	बीना इन्टरप्राइ0			
21	**162/11**	**1024981.00**	सुरेन्द्र कु0सोनकर	**30**	**187/3**
	157331.00	हसीन खाँ			
22	**87/1**	**369127.00**	बीना इन्टरप्राइजेज	**31**	**100/12**
	639793.00	प्रमोद कुमार			
23	**93/1**	**236599.00**	एस0पी0सिंह	**32**	**107/12**
	301023.00	प्रमोद कुमार			
24	**57/2**	**340970.00**	प्रमोद कुमार	**33**	**118/12**
	325737.00	एच0एच0इन्टरप्रा00			
25	**61/2**	**554118.00**	रियासत हुसैन	**34**	**172/12**
	442243.00	तिरूपति कं0			
26	**153/2**	**525858.00**	हसीन खाँ	**35**	**95/1**
	301478.00	तिरूपति कं0			
27	**173/2**	**181078.00**	एस0पी0सिंह		**योग-**
	5346056.00				
28	**89/3**	**1439812.00**	अनिल एसोसियेट	**36**	**--**
	2010274.00	**डामर रोड निर्माण कार्य**			

4-लेपन कार्य-(बिटुमिन की कटौती अज्ञात)

क्रम	प्रमाणक सं0	कुलभुगतान	नामठेकेदार	क्रम	प्रमाणक सं0
	कुलभुगतान	नामठेकेदार			
37	**30/4**	**987000.00**	एस0पी0सिंह	**41**	**87/5**
	43995.00	अरविन्द कुमार			
38	**132/4**	**200198.00**	प्रेम बाबू	**42**	**88/5**
	382146.00	श्रद्धा ट्रेडिंग			
39	**79/5**	**151200.00**	हसीन खाँ	**43**	**179/12**
	795210.00	नावेद हमीद			
40	**80/5**	**55000.00**	के0एम0इन्टरप्रा		**योग-**
	2614749.00				

1	इण्टरलॉकिंग कार्य-	**7060801.00**	**3**	पुलिया निर्माण कार्य	**5346056.00**
2	सी0सी0कार्य-	**8883855.00**	**4**	डामर रोड नि0कार्य	**2010274.00**
योग-क्रमांक **1+2+3+4 =23915735.00**					
5	लेपन कार्य(बिटुमिन अज्ञात	**2614749.00**			

कुल योग-23915735.00-2614749.00=21300986.00

उपरोक्त विवरणानुसार कुल **23300986.00** के विभिन्न कार्यों के किये गये भुगतान में से रॉयल्टी की कटौती न कर,तथा **2614749.00** के कार्य में बिटुमिन की कटौती न कर सरकारी राजस्व का नुकसान किया गया। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों के विज्ञापनों पर कुल **663170.00** का व्यय किया गया है।

क्रम	प्रमाणक सं0	धनराशि	विवरण	आय कर
1	**40-45/453377.00**		निर्माण कार्य	**1068.00**
2	**119-20/5**	**9871.00**	मृत पशु	**197.00**
3	**28-34/10**	**21932.00**	निर्माण कार्य	**439.00**
4	**35-43/10**	**57123.00**	अन्य	**1142.00**
5	**49-50/10**	**6363.00**	अन्य	**127.00**
6	**74-88/11**	**339514.00**	निर्माण कार्य	**6790.00**
7	**22-25/356250.00**		अन्य	**1125.00**
8	**77-81/3118740.00**		निर्माण कार्य	**2375.00**
	योग-	**663170.00**		**13263.00**

उपरोक्त विवरणानुसार **13263.00** के आय कर की कटौती नहीं की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किराये की प्रयुक्त की गई गाड़ियों में डीजल एवं किराये का व्यय किया गया है।

क्रम	गाड़ी संख्या	गाड़ी मालिक	प्रयुक्त कर्ता	किराया	डीजल	योग
1	**यू0पी025 यू0एस00077**	एन0पी0एग्रो	अध्यक्ष	**350000.00**	**259962.00**	**609962.00**
2	**यू0पी024 ए0एफ05777**	अभिषेक पाठक	ए0एम0ए0	**156258.00**	**53431.00**	**209689.00**
3	**यू0पी025 बी0सी08584**	माँ भगवती जूता हाऊस,बदायूँ	ए0एम0ए0	**137032.00**	**132430.00**	**269462.00**
4	**यू0पी025ए 0944.**	अंकित नहीं	ए0एम0ए0	**-----**	**88368.00**	**88368.00**
		योग-		**643290.00**	**534191.00**	**1177481.00**
5	डीजल जेनरेटर			----- ------	**8110.00**	**8110.00**
		कुल योग		**643290.00**	**542301.00**	**1185591.00**

उपरोक्त विवरणानुसार क्रमांक **04** पर अंकित गाड़ी के मालिक का नाम अंकित नहीं किया गया है। जिससे यह अज्ञात रहा कि उक्त गाड़ी किरायेे की है या अन्य किसी की है। एक ही वर्ष में किराये की चार गाड़ियाँ प्रयुक्त कर किराये एवं डीजल पर **11,**85591**.00** का व्यय किया जाना औचित्यपूर्ण

ंप्रतीत नहीं होता है। परोक्ष रूप से गाड़ी मालिकों को फायदा पहुँचाने की वजह से ऐसा सम्भव किया गया है। गाड़ियों में भरवाये गये डीजल की पर्चियों की संख्या एवं धनराशि अंकित कर दी गई है। लेकिन मात्रा अंकित नहीं है। जिससे यह अज्ञात रहा कि उपरोक्त समस्त धनराशि का डीजल जिला पंचायत के कार्यक्षेत्र में,और जिला पंचायत के हित एवं लाभप्रद कार्यों के लिये ही प्रयुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त केवल डीजल पर किया गया व्यय संस्था के निर्धारित बजट **300000.00** से **234191.00** अधिक है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार गोदामों के प्रीमियम की वापसी की गई है। लेकिन कोई विवरण अंकित नहीं है,केवल धनराशि तथा प्राप्तकर्ता का ही नाम अंकित है।

क्रम	प्रमाणक सं0	धनराशि	गोदाम सं0	प्राप्त कर्ता
1	**127-** ए	**275000.00**	**16**	मोहित रस्तोगी
2	**125-**बी	**561000.00**	**21**	प्रेमपाल विश्वकर्मा
3	**126**	**499000.00**	**15**	रोहित रस्तोगी
	योग-	**1335000.00**		

उपरोक्त किये गये भुगतान के सापेक्ष प्रिमियम लिये जाने का दर,किस अवधि से किस अवधि तक का,अन्य विवरण अंकित नहीं किया गया है। जिससे यह अज्ञात रहा कि वापस की गयी धनराशि का निर्धारण उचित किया गया है,या नहीं किया गया है। अतः किया गया भुगतान अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

शासनादेश संख्या **4/866/33-2-14-93** जी/**2004** टी**0**सी**0**दिनांक **24.06.2014** एवं शासनादेश दिनांक **12.1.2005** द्वारा अनियमितता/भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी रोकने के उद्येश्य से क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य दर्शित किये जाने पर प्रतिबंध है। क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने पर प्रतिबंध है,क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने से ग्राम पंचायत द्वारा इसका निर्माण कार्य अपने द्वारा कराया गया दर्शा कर भुगतान प्राप्त करने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए जिला पंचायत को दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित कराया जाना चाहिए। ऐसा किया गया है या नहीं,इस आशय का प्रमाण पत्र वर्ष आलोच्य **2018-2019** में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं किया गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता	नाम ठेकेदार	धनराशि
	माह-अप्रैल'2018		
1	ग्राम सहासा मेन रोड से सहासा गौटिया तक मि**0**ख**0**कार्य	सुरेन्द्र पाल सिंह	**120688.00**
2	रहपुरा जागीर मार्ग से आर**0**सी**0**सी**0**पुलिया तक लेपन कार्य	सुरेन्द्र पाल सिंह	**987000.00**
3	ग्राम मोहरनिया में मंसुख के घर से अड़ूपुरा मार्ग से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य	प्रमोद कुमार	**250000.00**

4 माधोपुर रेलवे क्रासिंग नवोदय विद्यालय मार्ग से पुलिया तक लेपन कार्य प्रमोद कुमार **799900.00**

5 बिथरी चैनपुर में फरीदपुर नहर ब्रांच से बरकापुर गाँव की ओर मि0ख0कार्य प्रमोद कुमार **250000.00**

6 बिथरी चैनपुर में ग्राम बरकापुर मार्ग से कलापुर की ओर मि0ख0कार्य रंजन कुमार **36699.00**

7 मीरगंज के ग्राम मुगलपुर सहासा लिंक मार्ग पर मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **1038800.00**

8 ग्राम बल्ली से गुलड़िया की ओर मि0ख0कार्य श्रीशपाल सिंह **198488.00**

9 ग्राम गनुनगला में मेन रोड तालाब से प्रा0स्कूल तक मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **103645.00**

10 ग्राम मिर्जापुर में सी0सी0निर्माण कार्य कृष्ण मोहन इन्टर0 **69671.00**

11 ग्राम पंडरा में विभिन्न गलियों में सी0सी0 व इन्टरलॉकिंग कार्य अखिल कुमार **121040.00**

12 कल्याणपुर मार्ग से त्यार जागीर की ओर भूलू खण्डसारी के खेत से छोटे लाल के खेत की ओर मि0ख0कार्य श्रद्धा ट्रेडिंग कं0 **139564.00**

13 ग्राम दुआवट मे प्रा0स्कूल से मधुकरपुर से सम्पर्क मार्ग पर मि0ख0कार्य श्रद्धा ट्रेडिंग कं0 **109014.00**

14 ग्राम जियानगला में शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य श्रीशपाल सिंह **79868.00**

15 बिथरीचैनपुर के ग्राम मल्हपुर गौटिया में नत्थूलाल के खेत से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य रंजन कुमार **187765.00**

16 ग्राम परगवाँ में जि0पं0 द्वारा पूर्व निर्मित खड़ंजे से नकटिया नदी तक मि0ख0कार्य। प्रमोद कुमार **47781.00**

17 मढ़ैया गाँव में देव स्थान से जि0पं0द्वारा पूर्व निर्मित मि0ख0 तक मि0ख0कार्य प्रमोद कुमार **81271.00**

18 ग्राम अवादानपुर से आँवला मिर्जापुर मार्ग तक मि0ख0कार्य सुरेन्द्र पाल सिंह **121966.00**

19 ग्राम वीरपुर में सुरला की ओर अवशेष मि0ख0कार्य लाल करन **564400.00**

20 वि0ख0मझगवाँ के ग्राम बझेड़ा से जोगीठेर की ओर मि0ख0कार्य लाल करन **150000.00**

21 ठिठरूआ में नवादा मेन रोड की ओर मि0ख0कार्य अनवर अली **100000.00**

22 ग्राम गुलाबनगर मंे हरनाम सिंह के खेत से करन सिंह के टयूबवेल की ओर मि0ख0कार्य अनवर अली **300000.00**

23 अलसिया बोझ देव हरि तक मि0ख0कार्य इरतिका आईजा कं0 **861400.00**

24 जादोपुर सेंथल मार्ग से स्वालेनगर तक मि0ख0कार्य ओमपाल सिंह **906700.00**

25 ग्राम मसीत की पुलिया से मैमोर तक मि0ख0कार्य निर्मल इण्डस्ट्रीज **1472815.00**

26 ग्राम पंचायत मकावा के कैशोपुर गाँव की पुलिया से परेवा की ओर जाने वाले रास्ते पर मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **94965.00**

27 ग्राम कांधरपुर मे मुख्य मार्ग से गंगा सिंह के सामने से ओमपाल के घर होते हुए श्री शंकर के घर से यशपाल के मकान तक सी0सी0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **740700.00**

28 ग्राम ईधजागीर में मो0शकील के घर से बरखन रोड तक सी0सी0 निर्माण कार्य इरतिका आईजा कं0 **100000.00**

माह-अप्रैल'2018

29 ग्राम कचनेरा में पूर्व सी0सी0से भीमसेन से डॉ0मिढ़ईलाल के घर तक तथा जगदेव के घर की ओर सी0सी0 व नाली कार्य सैयद कं0 **365600.00**

30 वि0ख0मीरगंज के ग्राम धनोरा के उत्तर से मढ़ी तक मि0ख0कार्य सोमदत्त **87448.00**

31 वि0ख0मीरगंज के ग्राम मलिहाबाद में मेन रोड पर छोटेलाल के खेत से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य सोमदत्त **38700.00**

32 वि0ख0बिथरी चैनपुर के ग्राम मल्हपुर मंे जू0हाई स्कूल के पास बाबूराम के खेत से रामचन्द्र के खेत तक मि0ख कार्य लालकरन **113465.00**

33 वि0ख0बहेड़ी के नरसुआ भैरपुरा में अमरिक के घर से मेन खड़ंजा तक मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **79821.00**

34 सिरसावां से निर्मला की गौटिया तक मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **48066.00**

35 गनूनगला मेन रोड से प्रा0स्कूल तक अवशेष मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **16345.00**

36 वि0ख0फतेहगंज प0 के ग्राम टिटौली से सकरी की ओर मि0ख0कार्यअनवर अली **182365.00**

37 वि0ख0मीरगंज के ग्राम वलेई मार्ग से वंशीपुर मार्ग पर मि0ख0कार्य इशीर इन्फ्रास्ट्रक्चर **902300.00**

38 ग्राम चिटौली में मेन रोड से विक्की अग्रवाल के खेत से होते हुए स्कूल की ओर मि0ख0कार्य शर्मा कं0 **59069.00**

39 ग्राम भौआ की पुलिया से धीमरी मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य प्रेम बाबू **200198.00**

40 ग्राम सैदपुर खजुरिया में अब्दूल हमीद के मकान से फरीदापुर तक मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **303963.00**

41 ग्राम दोपहरिया में चुन्नीलाल के मकान से जितेन्द्र पाल शर्मा के खेत तक मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **639000.00**

42 बहेड़ी मुड़िया नबी बख्श रोड से मुड़ियावरा मार्ग पर सिकलापुरा मजरा भोगपुर जोगीठेर में उन्हैनी जागीर की ओर लेपन हसीन खाँ **279400.00**

योग-माह-अप्रैल'2018 13349880.00

माह-मई'2018

1 ग्राम परतासपुर में ब्रह्यदेव के सामने होते हुए मनपुरिया दलेल की ओर मि0ख0कार्य अनवर अली **1642000.00**

2 वि0ख0फतेहगंज प0 के ग्राम मीरापुर में भोलापुर पनवड़िया रोड की ओर मि0ख0कार्य अनवर अली **1155683.00**

3 वि0ख0बिथरीचैनपुर के ग्राम गूंगा मार्ग से उदयपुर की ओर मि0ख0कार्य अनवरअली **99557.00**

4 वि0ख0बिथरीचैनपुर के ग्राम सरकड़ा से इस्लामपुर की ओर मि0ख0कार्य अनवर अली **194188.00**

5 वि0ख0बिथरीचैनपुर के ग्राम उदयपुर जसरथपुर के मजरा काशी में मेन रोड से कब्रिस्तान की ओर मि0ख0कार्य अनवर अली **784700.00**

6 ईशापुर से मिलक(कलारा) तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **1592900.00**

7 रघौलीकलां मार्ग से मस्तीपुर की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **1207400.00**

8 फरीदपुर नहर ब्रांच से बरकापुर की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **16121.00**

9 ग्राम मोहरनिशा में मनसूरत के घेर से अड़ूपुरा मार्ग से शमशान की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **50667.00**

10 वि0ख0बहेड़ी के ग्राम छितौनिया में सरकारी स्कूल से आगे तसमा की ओर मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **129091.00**

11 वि0ख0बहेड़ी के ग्राम करीमगंज में कखलन होते हुए निहंग(दर्शन सिंह) के झाले की ओर मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **179500.00**

12 ग्राम बैकर शाहपुर में मेन रोड से मन्दिर तक मि0ख0कार्य
रंजन कुमार **31464.00**

13 ग्राम बंजरिया में पक्की रोड से देव स्थान तक मि0ख0कार्य
रंजन कुमार **107941.00**

माह-मई'2018

14 ग्राम बैकर शाहपुर में कन्हई लाल व तालाब होते हुए शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
रंजन कुमार **48912.00**

15 वि0ख0फतेहगंज प0 के ग्राम अभौर में एकराम के खेत से मुन्ना टेलर के खेत की ओर मि0ख0कार्य मागोस इन्टरप्राइजेज **115361.00**

16 वि0ख0फतेहगंज प0 के ग्राम मढ़ौली घाटमपुर मार्ग से भूड़ मढ़ौली की ओर मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **991330.00**

17 ग्राम मुड़िया भीकमपुर से रसूला कमरूल निशा की पुलिया तक मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **79776.00**

18 वि0ख0बहेड़ी के जहानगंज के पास मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **1321000.00**

19 वि0ख0मीरगंज के ग्राम मुगलपुर में पश्चिम में नदी तक मि0ख0कार्य
आशा इन्टरप्राइजेज **109350.00**

20 रहपुरा जागीर मार्ग से आर0सी0सी0पुलिया तक मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **806700.00**

21 अमृता से अमृता पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
अनवर अली **194416.00**

22 ग्राम मानपुर भूड़ से कमालपुर की ओर मि0ख0कार्य
अनवर अली **297200.00**

23 ग्राम गुलाबनगर में नहर की पुलिया से हडडावर होते हुए चौड़ेरा की ओर मि0ख0कार्य
अनवर अली **144100.00**

24 मानपुर चौराहे से नवीनगर तक मि**0**ख**0**कार्य

अनवर अली **156900.00**

25 अमृता गौटिया से अमृता पुलिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य

अनवर अली **180457.00**

26 वि**0**ख**0**फतेहगंज पं**0** के ग्राम पड़री खालसा प्रा**0**वि**0**से जालिम नगला की ओर मि**0**ख**0**कार्य

गोस इन्टरप्राइजेज **530178.00**

27 वि**0**ख**0**मीरगंज के ग्राम सुकली के मौसम खाँ के खेत से नरखेड़ा की ओर मि**0**ख**0**कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **235600.00**

28 फतेहगंज पं**0**राष्ट्रीय राजमार्ग से जगतपुर काशीराम की शमशान भूमि तक मि**0**ख**0**कार्य

आशा इन्टरप्राइजेज **130519.00**

29 करनपुर गाँव से रजऊ परसपुर रसुईया मार्ग की ओर मि**0**ख**0**कार्य

कृष्ण मोहन इन्टरप्रा**0** **999000.00**

30 बरेली बीसलपुर मार्ग से उदयपुर पुलिया के पास देव स्थान होते हुए मरघट की ओर मि**0**ख**0**कार्य राम प्रताप **21689.00**

31 ग्राम पिथुपुरा से गौतरा तक मि**0**ख**0** व पुलिया कार्य

शर्मा कं**0** **1141120.00**

32 ग्राम सरकड़ा तालाब की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य

प्रेम बाबू **230000.00**

33 ग्राम वंशीपुर में मंगलीराम के खेत से मेन रोड तक मि**0**ख**0**कार्य

मोहित गुप्ता **152275.00**

34 शुगर फैक्ट्री के सामने मन्दिर से बाकर गंज मार्ग तक मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसोसियेट **1416500.00**

35 ग्राम रूड़की में गंठा मंसूरी के घर से पंचायत घर डामर रोड तक सी**0**सी**0**व नाली कार्य

हसीन खाँ **73100.00**

36 ग्राम आदलपुर में चौ**0**आजाद सिंह के घर से लीलाधर के घर तक सी**0**सी**0**कार्य

हसीन खाँ **77600.00**

37 ग्राम कमालपुर नहर मार्ग पर लेपन कार्य

हसीन खाँ **151200.00**

38 वि**0**ख**0**फरीदपुर के चौ**0**हुकुम सिंह के फार्म तक लेपन कार्य

कृष्ण मोहन इन्टरप्रा**0** **55000.00**

39 ग्राम रूड़िया में श्री महीपाल के घर तक लेपन कार्य

कृष्ण मोहन इन्टरप्रा**0** **70680.00**

40 ग्राम कठैती से मंझा मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **1215000.00**

41 बिहारीपुर गाँव में पड़री की ओर लेपन मरम्मत कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **737000.00**

42 ग्राम माधापुर में मुराय मार्ग गंगा सिंह मौर्य के सामने से ओमपाल के घर होते हुए शंकर दत्त के घर से यश -पाल के मकान तक सी0सी0व नाली कार्य ए0के0ट्रेडर्स **103000.00**

43 वि0ख0मझगवाँ के ग्राम लोहारी में महेन्द्र के मकान से नलकूप की ओर मि0ख0कार्य
इरतिका आईजा कं0 **274344.00**

44 केसरपुर नवाबगंज मेन रोड पर केसरपुर मिं तिराहे से पुलिया तक लेपन मरम्मत कार्य
इरतिका आईजा कं0 **7145.00**

45 पस्तौर से गुणकी मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **43995.00**

46 ढकली पुल भगवन्तापुर मार्ग पर रजपुरिया जवाहरगंज मार्ग से मथुरापुर तक लेपन मरम्मत कार्य मदार ट्रेडिंग कं0 **382146.00**

47 वि0ख0मझगवाँ के ग्राम कुंडरिया से कैनी शिवनगर मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
रंजन कुमार **855810.00**

48 बहेड़ी में धौरा फार्म से वसेगा तक अवशेष मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **205772.00**

49 वि0ख0फतेहगंज पं0 के ग्राम पंथरा स्थित जि0प0ंके खड़ंजे से अभौर तक मि0ख0कार्य
मागोस इन्टरप्राइजेज **236966.00**

50 वि0ख0बिथरी चैनपुर में गूंगा म्यूड़ी मार्ग से शेर सिंह के खेत की ओर मि0ख0कार्य
राजेश कुमार **125058.00**

51 गोटिया कासनगर में रहमतनगर तक मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **1064900.00**

52 वारीनगला कांधरपुर मार्ग से उमरसिया गाँव तक मि0ख0कार्य
धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता **868100.00**

53 ग्राम मोहम्मदपुर में बहादुर के मकान से हरपाल के मकान तक सी0सी0कार्य
सुख्खनलाल को **931819.00**

54 वि0ख0रामनगर के ग्राम खिरिया से दरावनगर की ओर मि0ख0कार्य
मोहित गुप्ता **1235294.00**

55 वि0ख0मझगवाँ के ग्राम कठैती मैसा गौटिया मार्ग से ग्राम बझ0गौटिया तक लेपन कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **315900.00**

56 नकटी बिहारीपुर रोड के पास तालाब की पुलिया से पीताम्बर के खेत की ओर मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेट **741299.00**

57 रूपपुर में नहर की पुलिया से शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य
लालकरन **307141.00**

58 ग्राम प्रहलादपुर में गाँव से बाहर की ओर शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य
इरतिका आईजा कं0 **795000.00**

59 ग्राम अधलखिया में शिवमपाल के खेत शमशान भूमि के पास पूर्व खड़ंजे से मीरानाथ मार्ग तक मि0ख0कार्य इशिर इन्फ्रास्ट्रक्चर **1174155.00**

60 बेवल बरकतपुर (वसंतपुर) से खरगपुर की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **1311387.00**

61 पंडारी गाँव से बिहारीपुर मार्ग तक मि0ख0कार्य
धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता **849195.00**

योग-माह-मई'2018 **30648601.00**

माह-जुलाई'2018

1 वि0ख0फरीदपुर के उमरसिया मार्ग से कमनपुर तक लेपन कार्य
ब्रजेश गुप्ता **83901.00**

2 ग्राम शिवनगर में कुन्दन के घर से प्रा0स्कूल एवं हरिपाल से राम सिंह के घर तक सी0सी0व नाली निर्माण कार्य ब्रजेश गुप्ता **153000.00**

3 भुता में टाहरपुर से अंधर पुरा की ओर लेपन मरम्मत कार्य
ब्रजेश गुप्ता **120632.00**

4 ग्राम हरहरपुर करोड़ मार्ग से करन सिंह के झाले तक लेपन मरम्मत कार्य
ब्रजेश गुप्ता **90458.00**

5 ग्राम रजपुरिया जवाहरगंज मार्ग से मथुरापुर से चौ0कृषि फार्म तक लेपन मरम्मत कार्य
ब्रजेश गुप्ता **314718.00**

6 बीचपुर तिराहे में सी0सी0कार्य
ब्रजेश गुप्ता **435029.00**

7 ग्राम संगरपुर मार्ग पर लेपन कार्य
रंजन कुमार **251649.00**

8 बरेली मीरगंज नेशनल हाईवे से नौगवाँ/मीरनगर तक लेपन कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **237118.00**

9 ग्राम उदरनपुर में इन्द्र पाल के मकान से जमुना प्रसाद के घर तक टाईल्स निर्माण कार्य
इरतिका आईजा कं0 **40965.00**

10 वि0ख्0शेरगढ़ में रोहिला सड़क से रोहिला गाँव तक लेपन मरम्मत कार्य
हसीन खाँ **2579.00**

11 सरदारजी के झाले से करनपुरक की पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
अनवर अली कं0 **190465.00**

12 ग्राम गुलाबनगर में हरनाम के खेत से करन सिंह के टयूबवेल की ओर मि0ख0कार्य
अनवर अली कं0 **49990.00**

13 सेंथल नहर साईफन से सलीम के खेत की ओर मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **780220.00**

14 वि0ख0मझगवाँ में किशनपुर चुरहा रोड से ऐठा गौटिया की ओर मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **1100827.00**

15 ग्राम दिवनापुर में जि0पं0के पुराने खड़ंजे से दिवनापुर गाँव की ओर मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **506196.00**

16 दोहरिया पचधौरा से मजार तक मि0ख0कार्य

निर्मल इण्डस्ट्रीज **253821.00**

17 चौपारा मझोला रोड से कल्लू शाह के मजार तक मि0ख0कार्य

निर्मल इण्डस्ट्रीज **55006.00**

18 चौपारा से घुरसमसपुर तक मि0ख0कार्य

निर्मल इण्डस्ट्रीज **209649.00**

19 वि0ख0भोजीपुरा मंे चकदाह नहर की पुलिया से मोहतीपुरा की ओर मि0ख0कार्य

मै0तिरूपति कं0 **73682.00**

20 ग्राम उदरा से टाह कासिमपुर तक मि0ख0कार्य

मै0तिरूपति कं0 **1071952.00**

21 एन0एच024 से ग्राम मेथीनगला ग्राम प्रधान लाखन सिंह की ओर मि0ख0कार्य

कृष्ण मोहन इन्टर0 **668851.00**

22 वि0ख0रामनगर के ग्राम व्योधनखुर्द से ग्राम आराजी की ओर मि0ख्0कार्य

लाल करन **805420.00**

23 ग्राम आसेपुर में मूलचन्द से राजेश्वर सिंह के खेत से होते हुए सरकारी टयूबवेल तक सी0सी0 श्री शपाल सिंह **861289.00**

24 वि0ख0फतेहगंज पं0 के ग्राम सतुईया कौर से बगरऊ मार्ग पर पुलिया व मि0ख0कार्य

सुरेन्द्र पाल सिह **1074786.00**

25 ग्राम मंगलपुर में नहर की पुलिया की ओर मि0ख0कार्य

रंजन कुमार **957300.00**

26 वि0ख0मीरगंज के ग्राम निगोही अंगदपुर से गोरा मार्ग पर मि0ख0कार्य

अनिल एसोसियेट **1696358.00**

27 रहपुरा जागीर से आर0सी0सी0पुलिया तक लेपन कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **1081700.00**

28 माधोपुर रेलवे क्रासिंग नवोदय विद्यालय मार्ग से आर0सी0सी0पुलिया तक लेपन कार्य

प्रमोद कुमार **1308548.00**

29 आँवला रामनगर मार्ग से चम्पतपुर तक लेपन मरम्मत कार्य

अखिल कुमार **483000.00**

30 वि0ख0मीरगंज के ग्राम वलेही मार्ग से वंशीपुर मार्ग पर मि0ख0कार्य

इशीर इन्फ्रास्ट्रक्चर **135117.00**

31 ग्राम रोहिला रोहिली में अवशेष लेपन मरम्मत कार्य

हसीन खाँ **141460.00**

32 अहियापुर में पुलिया से दिधोका की ओर मि0ख0कार्य

इशीर इन्फ्रास्ट्रक्चर **1013195.00**

33 बरेली बदायूँ रोड से रौंधी तक मि0ख0कार्य

अनवर अली कं0 **1087821.00**

योग-माह-जुलाई'2018 17336702.00

माह-अगस्त'2018

1 मुड़िया चेतराम नौगवाँ मार्ग से मढ़ौली गाँव की ओर मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र कुमार सोनकर **824109.00**

2 खेम गौटिया से शमशान भूमि की ओर मि0ख0 व पुलिया निर्माण कार्य
सुरेन्द्र पाल सोनकर **573397.00**

3 ग्राम शिवपुरी से ग्राम हाजीपुर मार्ग पर इ0लॉ0कार्य एवं नाली निर्माण कार्य
प्रमोद कुमार **615000.00**

4 ग्राम कमठेना तिराहे से कसूमरा की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **1723927.00**

5 ग्राम बाकीखेड़ा में स्कूल से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
रंजन कुमार **481000.00**

6 ग्राम रसूला तालिब हुसैन में जू0हाई स्कूल से प्रा0स्कूल तक मि0ख0कार्य
रंजन कुमार **388937.00**

7 ग्राम सैदपुर में श्यामलाल के खेत से महेश कुमार के खेत तक मि0ख0कार्य
श्रद्धा ट्रेडिंग कं0 **686204.00**

8 ग्राम पचधौरा दोहरिया में हाईवे के पास अबरार हुसैन के मकान से पूर्व नाले तक नाला निर्माण कार्य भारत ट्रेडिंग कं0 **586550.00**

9 ग्राम सुकटिया कोठी से देशनगर मन्दिर तक मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **1204167.00**

10 क्यारा के ग्राम क्यारा में मंझा मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
विजेन्द्र सिंह **770219.00**

11 ग्राम नवदिया मोतीराम से नकटी ग्राम पंचायत की ओर मि0ख0कार्य
सुख्खनलाल **583925.00**

12 ग्राम पिथुपुरा मंे गौतारा तक मि0ख0कार्य व पुलिया निर्माण कार्य
शर्मा कं0 **1209651.00**

13 ग्राम मधुकरपुर में गंगा राम के घर के पास से प्रजापति के घर तक सी0सी0व नाली निर्माण कार्य सैयद कं0 **546326.00**

14 मझगवाँ में गैनी अलीगंज मार्ग से वचेरा तक लेपन मरम्मत कार्य
के0सी0एसोसियेट **1209553.00**

15 खजुरीखेड़ा से रम्पुरिया तक मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **1967035.00**

16 रामनगर के ग्राम रामनगर आनन्दपुर मार्ग पर किले के पास आनन्दपुर मार्ग की ओर मि0ख0कार्य मोहित गुप्ता **1200000.00**

17 ग्राम दिलवारी प्राचीन मन्दिर से आँवला रामनगर मुख्य मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
धर्मेन्द्र गुप्ता **1836285.00**

18 ग्राम धन्तिया से टियूलिया की ओर मि0ख0कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह सोनकर **1927000.00**

19 आलमपुर जाफराबाद में भमोरा बाकरगंज मार्ग पर आनन्दपुर मार्ग पर बिहारीपुर गाँव तक लेपन मरम्मत कार्य रंजन कुमार **87346.00**

20 बरेली बदायूँ मार्ग से रफियाबाद गाँव की ओर लेपन मरम्मत कार्य

रंजन कुमार **78942.00**

21 सैंधा नौगवाँ से कीरतपुर की ओर विद्यालय तक लेपन मरम्मत कार्य

रंजन कुमार **21814.00**

22 देवी मन्दिर से देवी गाँव सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह सोनकर **46841.00**

23 देवी मन्दिर से ग्राम शाहाबाद सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह सोनकर **78073.00**

24 ग्राम करौंदा मेंे प्रा0पा0से प्रेमपाल यादव के मकान की ओर सी0सी0व नाली कार्य

आस्था ट्रेडर्स **1143961.00**

25 ग्राम जितौर के मुख्य मार्ग से पंचायत घर/मास्टर दामोदर के घर से कृपाल की ओर राम निवास वाली गली में सी0सी0कार्यआस्था ट्रेडर्स **966500.00**

26 पीताम्बरपुर मे टीकाराम के घर से ओमकार व नन्द किशोर के घर तक सी0सी0व नाला निर्माण कार्य सैयद कं0 **678442.00**

27 ग्राम चठिया फैजू में कॉलेज से गोदाम तक मरम्मत कार्य

श्रद्धा ट्रेडिंग कं0 **484342.00**

28 ढढरूआ में क्वाडा मेन रोड की ओर मि0ख0कार्य

अनवर अली कं0 **15584.00**

29 नवादावन में सी0सी0रोड से वाहमपुर की ओर मि0ख0कार्य

अनवर अली कं0 **168035.00**

30 ग्राम उदयपुर जसरथपुर के मजरा काशी में मेन रोड से कब्रिस्तान की ओर मि0ख0कार्य

अनवर अली कं0 **103377.00**

31 ग्राम नौआनगला में वेद प्रकाश के खेत से नदी की ओर मि0ख0कार्य

प्रेम बाबू **248294.00**

32 ग्राम ककटी से मुझैना सम्पर्क मार्ग पर मि0ख0कार्य

प्रमोद कुमार **60827.00**

माह-अगस्त'2018

33 इटौआ सुखदेवपुर के मजरा फतेहपुर में हरि किशन के घर से पुलिया तक मि0ख0कार्य

राजेश कुमार **700374.00**

34 वि0ख0मीरगंज के ग्राम मुगलपुर सहासा लिंक मार्ग पर मि0ख0कार्य

ए0के0ट्रेडर्स **253690.00**

35 सैंथल से फैजुल्लापुर होते हुए बरेली पीलीभीत मार्ग तक सड़क मरम्मत कार्य

अखिल कुमार **56109.00**

36 कठैती मंशा गोटिया मार्ग से ग्राम वसा गोटिया तक लेपन मरम्मत कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह सोनकर **38465.00**

37 ग्राम मोहम्मदपुर में मजरा करमपुर में सी0सी0व नाली कार्य ए0के0ट्रेडर्स **84051.00**

38 वि0ख0रामनगर में शाहाबाद रामनगर मार्ग से धनौरा गौरी गाँव की ओर लेपन कार्य
रंजन कुमार **843000.00**

39 ग्राम बनारा से रामगंगा तक मि0ख0कार्य प्रेम बाबू **50286.00**

40 सहोड़ा मुख्य मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य हसीन खाँ **12756.00**

41 जमालपुर में गाँव से पुराने लेपन स्तर तक लेपन मरम्मत कार्य अरविन्द कुमार **17718.00**

42 ग्राम दियोसास में ठिरिया खुर्द की ओर मि0ख0कार्य हसीन खाँ **97152.00**

योग-माह-अगस्त'2018 24669264.00

माह-सितम्बर'2018

1 नवदिया वमनपुरी में राजेश के घर से लीलाधर के खेत की ओर सी0सी0कार्य
राधे एसोसियेटस **110004.00**

2 वमनपुरी रोड की पुलिया से शमशान घाट की ओर मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेटस **107717.00**

3 नकटी बिहारीपुर रोड के पास तालाब की पुलिया से पीताम्बर के खेत की ओर मि0ख0
राधे एसोसियेटस **121207.00**

4 तिगरी में नकटी डंडिया रोड से तिगरा पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेटस **113979.00**

5 परतापुर में ब्रह्यदेव के स्थान होते हुए मनपुरिया दलेल की ओर मि0ख0कार्य
अनवर अली कं0 **879838.00**

6 ग्राम कमठेना तिराहे से कसुमरा की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **307146.00**

7 ग्राम शिवपुरी से हाजीपुर मार्ग पर इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य
प्रमोद कुमार **751200.00**

8 अहियापुर मंे पुलिया से डिकोमन की ओर मि0ख0कार्य
इशिर इन्फ्रास्ट्रक्चर **220531.00**

9 ग्राम अधलखिया में शिवदयाल के खेत(शमशान भूमि के पास पूर्व खडंजे)सियानाथ मार्ग तक मि0ख0कार्य इशिर इन्फ्रास्ट्रक्चर **205290.00**

10 राजेपुर कलां में भवन का जीर्णोद्धार/पुर्न निर्माण कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **463298.00**

11 कुलुआ की पुलिया से लेकर सोनी सरदार के घर तक तथा जवेदी से लेकर उक्त सरदार के घर की ओर मि0ख0 कार्य लाल करन **1180000.00**

12 ग्राम मीरपुर से कुरला की ओर अवशेष मि0ख0कार्य
लाल करन **87799.00**

13 ग्राम लहिया की पुलिया से कोटा मक्खन की ओर मि0ख0कार्य
लालकरन **93973.00**

14 ग्राम रम्पुरा कमन में सरदार नक्षत्र सिंह के झाले से गौटिया की ओर मि0ख0कार्य
मै0विद्याश्री कं0**715930.00**

15 मुझैना संतोष मार्ग पर चमरौआ के कब्रिस्तान की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसि0 **186685.00**

16 आँवला रामनगर मार्ग से भूसेपुर ढकपुरा गोजारखेड़ा मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **1122900.00**

17 बिहारी पुर गाँव से पड़री की ओर सरकारी नलकूप तक लेपन मरम्मत कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **127970.00**

18 ग्राम नूरपुर से ग्राम घंुसी रम्पुरा मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **455700.00**

19 रामनगर शाहाबाद मार्ग से लक्ष्मण पुर तक लेपन मरम्मत कार्य
रंजन कुमार **175462.00**

20 ग्राम सिहुलिया से मधुपुरी सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
रंजन कुमार **19692.00**

21 ग्राम भडपुरा में डामर रोड मुनीश पाल के घर से राजेन्दर प्रेम सिंह व फूल सिंह के घर होते हुए
मेहंदीं खाँ व तुफैल खाँ वाले तिराहे से रामऔतार के घर के सामने डामर रोड तक सी0सी0व नाली कार्य अंजली कं0 **1173930.00**

22 करूआगाँव ढकिया बरकली वाले रोड से पश्चिम की तरफ गौटिया साहिबगंज तक मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेट **470375.00**

23 ग्राम देवचरा से सुनील गुप्ता के मकान से देवचरा कब्रिस्तान तक मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **159091.00**

24 ग्राम आसेपुर में मुलचन्द से राजेश्वर सिंह के खेेत होते हुए सरकारी टयूबवेल तक मि0ख0कार्य श्रीशपाल सिंह **900000.00**

25 आँवला बदायूँ मार्ग पर ग्राम फर्जपुर के पास नील की कोठी से दक्षिण से ग्राम गणेशपुर की ओर मि0ख0कार्य विद्याश्री क0 **276885.00**

26 ग्राम कसूमरा में दिलवारी की ओर मि0ख0कार्य
लालकरन **34468.00**

योग-माह-सितम्बर'2018 10461070..00

माह-नवम्बर'2018

1 महाराणा प्रताप उ0मा0विद्यालय अहियापुर में शौचालय,इण्टरलॉकिंग व अन्य कार्य लालकरन **165932.00**

2 हरेेली से कजरौटा मार्ग से सरदार इकबाल सिंह के झाले तक मि0ख0कार्य लालकरन **620091.00**

3 याकुबपुर में गाँव के बाहर से बीजामऊ रोड की ओर मि0ख0कार्य
श्रीशपाल सिंह **257600.00**

4 शिवपुरी में नाला निर्माण कार्य
श्रीशपाल सिंह **311125.00**

5 पं0गोविन्द वल्लभ पंत उ0मा0वि0रम्पुरिया में रंगाई पुताई का कार्य
श्रद्धा ट्रेडिंग कं0 **98560.00**

6 चैना मुरार में मेन रोड से गोटिया पुराने मि0ख0तक मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **849604.00**

7 भगवानपुर मंे नदी की तरफ से राजेन्द्र सिंह के खेत के पूर्व तक मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **478135.00**

8 करीमगंज में अवशेष मि0ख0कार्य
मै0गुरू रामदास **645649.00**

9 वि0ख0बहेड़ी में जहानगंज में अवशेष मि0ख0कार्य
मै0गुरू रामदास **290342.00**

10 आसपुर खुबचन्द में गाँव के बाहर से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
बीना इलेक्ट्रिकल्स **473411.00**

11 कुम्हरा में करन सिंह के झाले के खेेत से होली नहर तक मि0ख0कार्य
बीना इलेक्ट्रिकल्स **479560.00**

12 दलपतपुर हरहरपुर रोड क पुराने खड़ंजे से राजेश यादव के झाले तक मि0ख0कार्य
कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **384200.00**

13 विकूनगला में मेन रोड से राम सिंह के खेत से तारू सिंह के खेत की ओर मि0ख0कार्य
कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **748004.00**

14 नगीरामपुर से करूआ का अवशेष मि0ख0कार्य
शहजादे **701588.00**

15 रजपुरी नवादा में नगीरामपुर मार्ग से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
शहजादे **368445.00**

16 धौरेरा ईदगाह से परसुनगला की ओर मि0ख0कार्य
भारत ट्रेडिंग कं0 **502187.00**

17 चेना बरखन मार्ग से झाले तक मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **832591.00**

18 करमपुर ठाकुरान से मोहम्मदपुर ठाकुरान की ओर डामर रोड तक मि0ख0कार्य
मै0पटेल कं0 **651317.00**

19 औरंगाबाद में गाँव के दक्षिण से पुलिया से लेकर मोहनपुर सम्पर्क मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **776817.00**

20 बुखारा फरीदपुर मार्ग से चौ0हुकुम सिंह के फार्म हाऊस तक लेपन मरम्मत कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **1039573.00**

21 सागलपुर में विलियम प्रसाद की बैठक से नदी की ओर मि0ख0कार्य
कृष्ण पाल सिंह **652064.00**

22 ग्राम भगनापुर भंडरिया मुख्य मार्ग से गणेश खेड़ा की ओर मि0ख0कार्य
पटेल कं0 **365057.00**

23 भौआबाजार से नदी की ओर मि0ख0कार्य
युधिष्ठिर देव गंगवार **500633.00**

24 लमदाह भगवतीपुर में अवशेष मि0ख0कार्य
जी0एन0टी0 **85344.00**

25 बिथरी चैनपुर में बलजीत सिंह के झाले से गनेश खेड़ा मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
रामप्रताप **651027.00**

26 मुड़िया चेतराम नौगवाँ मार्ग से मढ़ौली गाँव की ओर मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र सोनकर **153968.00**

27 ग्राम शिवपुरी में हाजीपुर मार्ग पर इन्टरलॉकिंग कार्य
प्रमोद कुमार **502950.00**

28 इटौआ सुखदेवपुर के मजरा फतेहपुर में हरिकिशन के घर से पुलिया तक मि0ख0कार्य
राजेश कुमार **514414.00**

29 जादोपुर सैंथल मार्ग से स्वाले नगर तक मि0ख0कार्य
ओमपाल सिंह **216412.00**

30 ढढरूआ से नवादा खड़ंजा से धरमपुर गुलाबनगर सम्पर्क मार्ग पर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **763543.00**

31 ग्राम खजुरिया खेड़ा से खजुरिया तक मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **1436583.00**

32 फिरोजपुर में शीशगढ़ रोड पर तालाब से गंेदन लाल के खेत तक मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **597024.00**

33 ग्राम भंडरिया में लहिया भंडरिया मार्ग से गनेशखेड़ा कोटा मक्खन मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
शहजादे **497223.00**

34 ग्राम पचतौर में शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
यागोस अल मदद **131596.00**

35 ग्राम जमुनिया में मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **285952.00**

36 बढ़ेपुरा पुराने खड़ंजे से कुँवरपुर तुलसी पट्टी नहर की पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेट **514081.00**

37 ग्राम कुम्हरा में आजाद केे खेत से तिलक ंसिंह के खेत तक मि0ख0कार्य
बीना इलेक्ट्रिकल्स **450641.00**

38 भिलौबा में रामनाथ के मकान से कल्याणपुर नदी की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **816543.00**

39 ग्राम चठिया फैजू में रम्पुरा कमन से चक गौटिया तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **469903.00**

40 मेजर सुरेश भटनागर उ0मा0वि0कुड्डा में मरम्मत कार्य
प्रेम बाबू **411545.00**

41 नकटिया से कुँवरपुर करीम गाँव तक अवशेष मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **457875.00**

42 बरेली फरीदपुर मार्ग से नवदिया की ओर मि0ख0कार्य
रमेश नारायण गुप्ता **459506.00**

43 भुता के पिपरथरा में भिलौआ के पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य
रमेश नारायण गुप्ता **493851.00**

माह-नवम्बर'2018

44 ग्राम किशनपुर खाता गौटिया में मि0ख0कार्य
रमेश नारायण गुप्ता **398524.00**

45 ग्राम पंचायत भदपुरा में प्रेमपाल के मकान से मंजीत के झाले की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **813756.00**

46 अग्रास अभयपुर मार्ग से घाटमपुर की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **595440.00**

47 भूड़ा बसन्तपुर मुगलपुर मार्ग पर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **778374.00**

48 ग्राम भुरीपुर बरकापुर गोआखेडा मार्ग पर इन्टरलॉकिंग व नाली कार्य
प्रेम बाबू **2050184.00**

49 ग्राम सीकरी में पुलिया निर्माण कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **233533.00**

50 अगरास के पूरब में होली चौराहे से भरौली की ओर मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह सोनकर **148887.00**

51 सतुईया घीर से बगरऊ मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य
सुरेन्द्र कुमार सोनकर **1024981.00**

52 अलीनगर डामर रोड से मिर्जापुर की ओर मि0ख0कार्य
भारत ट्रेंडंग एण्ड क0 **755283.00**

योग- माह-नवम्बर-2018 28901428.00

माह-दिसम्बर-2018

1 पनुआ लाईखेड़ा रोड से उत्तर की ओर मि0ख0कार्य
रमेश नारायण गुप्ता **686165.00**

2 बरौर मार्ग से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
रमेश नारायण गुप्ता **609533.00**

3 हिमकरा में खड़ंजा मार्ग से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **662123.00**

4 हरदुआ गौटिया से बिथरी की ओर मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **766984.00**

5 ग्राम डहरिया पचधौरा हाईवे के पास अबरार हुसैन क मकान से पूर्व निर्मित खड़ंजे से ख0नि0कार्य भारत ट्रेडिंग कं0 **76128.00**

6 ग्राम दोहना के पूर्व खड़ंजे से बैकुण्ठापुर की ओर मि0ख्0कार्य
भारत ट्रेडिंग कं0 **735901.00**

7 मौलागढ़ से मिर्जापुर की ओर मि0ख0कार्य
भारत ट्रेडिंग कं0 **600000.00**

8 रामनगर शाहाबाद से धनौरा गौरी गाँव की ओर लेपन मरम्मत कार्य
रंजन कुमार **164447.00**

9 ग्राम दावीखेड़ा में स्कूल से शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य
रंजन कुमार **67262.00**

10 हरदुआ किफायतुल्ला में देवदत्त के मकान से लभेड़ा वाले महाराज की ओर मि0ख0कार्य
श्रीशपाल सिंह **352057.00**

11 ग्राम शिवपुरी मंे मुंख्य मार्ग पर नाला निर्माण कार्य
श्रीशपाल सिंह **537570.00**

12 ग्राम दिवना में शमशान भूमि की पुलिया से उदयवीर के खेत तक मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **662175.00**

13 शाहपुर डाँडी में ग्राम खेसरपुर डांडी तक मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **404308.00**

14 मल्साखेड़ा में डामर रोड निर्माण कार्य
प्रमोद कुमार **639793.00**

15 ग्राम बसन्तनगर में मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **649498.00**

16 बढ़रई गाँव में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य
प्रमोद कुमार **619361.00**

माह-दिसम्बर-2018

17 मदनापुर मानपुर मेन रोड से बाजार की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **205673.00**

18 खजुरिया मंे पुर्व निर्मित जि0प0ं के खडंजे से ईदगाह तक मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **118293.00**

19 ग्राम विल्सा से मेन रोड की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **780812.00**

20 गिरधरपुर(शीशगढ़ देहात) मेन रोड डामर रोड निर्माण
प्रमोद कुमार **301023.00**

21 भगवन्तापुर में हरवीर सिंह के खेत से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **427588.00**

22 शाहपुर मार्ग से होलीनगला देवस्थान की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **839137.00**

23 कुँअरपुर मेंं नहर रोड से शमशान भूमि तक मि0ख0काय्र
प्रमोद कुमार **549298.00**

24 पऊनगला धीरपुर मार्ग से सिंधार सिंह के झाले तक मि0ख0कार्य
कमरूद्यीन **795430.00**

25 ढकनी भिलौआ मार्ग से पिपरथरा पुलिया तक मि0ख0कार्य
कमरूद्यीन **825276.00**

26 ग्राम सिथरा से धर्मपुर से परेवा मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **785489.00**

27 ग्राम किसुरी में मेन रोड से नहर की ओर मि0ख0कार्य
अखिल कुमार **646392.00**

28 ग्राम लखनपुर भट्ठे वाले तालाब से कोटमपुर तक मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **676532.00**

29 इमरती से गोटिया तक मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **572442.00**

30 ग्राम पुरैना कनमन मार्ग से पोपरिहासन मार्ग की नहर तक मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **258956.00**

31 ग्राम गोटिया संतोष में नदेली रोड से मान सिंह के घर तक डामर रोड निर्माण कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **325737.00**

32 ग्राम जाफरा में हाई स्कूल से जू0हा0स्कूल की ओर मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **784726.00**

33 ग्राम गौरीखेड़ा से जटपुरा तक मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **796209.00**

34 सुकटिया नहर से सुकटिया ग्राम की ओर मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **246494.00**

35 ग्राम पैगा में शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **353019.00**

36 ग्राम पंचायत मवई काजियान में शमशान भूमि के रास्ते पर मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **342052.00**

37 ग्राम भुड़ासी में गोपाल के खेत से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **513740.00**

38 मेवा रोड से विशी रम्पुरा सम्पर्क मार्ग पर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **641008.00**

39 क्यारा मंे उमरसिया वारीनगला मार्ग से वारीनगला गाँव तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **607852.00**

40 ग्राम अठसोना में गाँव से बालिस्टर सिंह के खेत की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **811919.00**

41 चठिया फैजू खानपुर मार्ग से जोगा सिंह के झाले तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **437391.00**

42 टांडा से मोतीपुर तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **858820.00**

43 नौगवाँ मे देव स्थान से डामर रोड तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **787920.00**

44 सैदापुर से बकैनिया की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **868389.00**

45 अमृता से अमृता गौटिया की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **354852.00**

46 कैकोला बेनीराम से पड़री खालसा की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **785565.00**

47 चठिया चठनपुर मेंे गाँव से नवादा मोड़ व शाहजहाँपुर बार्डर की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **774019.00**

48 बरेली वीसलपुर मार्ग से मेन रोड से चन्द्रा नेशनल स्कूल की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **742125.00**

49 शाहपुर बनियान में टयूबवेल के पास से हसनगंज की ओर मि0ख0कार्य
प्रियांश इन्टरप्राइजेज **826368.00**

50 बकैनिया नहर से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
प्रियांश इन्टरप्राइजेज **289716.00**

51 एन0एच030 से पचौमी नहर की पुलिया तक लेपन कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **844217.00**

52 ग्राम हैदरगंज से मकड़ी खोह की ओर मि0ख0कार्य
नवीन कुमार **803065.00**

53 मीरगंज में सीतलापुर मुख्य मार्ग से ंिसंधौली मार्ग तक मि0ख0कार्य
नवीन कुमार **478591.00**

54 ग्राम गोविन्दपुरा में नाला की पुलिया की ओर लेपन कार्य
नवीन कुमार **477605.00**

55 ग्राम सेंठपुर तिराहे से ग्राम चुरहा नवदिया तक मि0ख0कार्य
खूबचन्द शर्मा **513202.00**

56 ग्राम भूड़ा से किशन पुर मार्ग पर मि0ख0कार्य
खूबचन्द शर्मा **556085.00**

57 रूखाड़ा के बड़ागाँव रोड से गुलड़िया बाजार तक मि0ख0कार्य

वासू इन्टरप्राइजेज **478059.00**

58 ग्राम पंचायत बकैनिया से हरहरपुर रोड से मरघट तक मि0ख0कार्य

राधे एसोसियेट **497965.00**

59 मऊचन्दपुर में प्रा0वि0से कांकरपुर की ओर मि0ख0कार्य

धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता **839814.00**

60 झिंझरी मन्दिर से जिगुनिया मंदिर तक मि0ख0कार्य

हनुमान ट्रेडर्स **773961.00**

61 घघोरा मंे रहपुरा मार्ग से मजार की ओर मि0ख0कार्य

राकेश कुमार **866062.00**

62 ग्राम पंचायत बालीपुर के ग्राम नवदिया झांदा से ग्राम कंथरिया मुख्य मार्ग तक मि0ख0कार्य

बीना इन्टरप्राइजेज **853683.00**

63 बरेली बीसलपुर मार्ग से उल्फत के खेत की ओर मि0ख0कार्य

राम प्रताप **699358.00**

64 ठिरिया कल्याणपुर के कब्रिस्तान से नदी की ओर मि0ख0कार्य

आदि कं0 **601347.00**

65 ग्राम फाजिलपुर में अलासिया बोझ तक मि0ख0कार्य

गुरू रामदास **440189.00**

66 रम्पुरा कमन गौटिया में कमनपुर गौटिया तक मि0ख0कार्य

कृष्ण मोहन इन्टरप्राजेज **857144.00**

67 रसूला तालिब हुसैन में जू0हा0स्कूल से प्रा0वि0तक मि0ख0कार्य

रंजन कुमार **55632.00**

68 अजमतगंज गाँव से लेकर दियोरिया तक मि0ख0कार्य

सोमदत्त **825299.00**

69 गुनाहट्टू पंचायत घर से बिचपुरी तक मि0ख0कार्य

जी0एन0टी0 **526319.00**

70 कनकपुरी में शीशगढ़ मार्ग से गाँव की ओर डामर रोड निर्माण कार्य

तिरूपति कं0 **442243.00**

71 रजपुरी नवादा से राईस मिल से करन सिंह के खेत तक मि0ख0कार्य

शहजादे **395490.00**

72 वि0ख0मझगवाँ में ग्राम चर्जरी रोड से भिण्डौरा ईदगाह तक मि0ख0कार्य

खूबचन्द शर्मा **412971.00**

73 सैंघी से शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य

मोहित गुप्ता **458816.00**

74 धौरेरा माफी में मस्जिद के पास पूर्व खड़ंजे से ग्राम खजुरिया की ओर मि0ख0कार्य

रमेश नारायण गुप्ता **388025.00**

75 अधलखिया में अवशेष मि0ख0कार्य

बीना इलेक्ट्रिकल्स **69089.00**

76 कटका रमन में मुन्ना सिंह के घर के उत्तर तिकुनिया मार्ग पर मि0ख0कार्य

बीना इन्टरप्राइजेज **857731.00**

77 ग्राम रजपुरी नवादा से कल्याणपुर मार्ग पर नहर मार्ग तक खड़ंजा स्तर पर लेपन कार्य

नावेद हमीद **795210.00**

78 विशनपुर से किशनपुर मार्ग पर मि0ख0कार्य

राकेश कुमार **866002.00**

79 म्यार से क्यारा से जगतपुर मार्ग पर आर0सी0सी0 की पुलिया निर्माण कार्य

प्रमोद कुमार **480780.00**

80 इटौआ से काशीराम के मकान से शमशान घाट तक मि0ख0कार्य

कृष्ण पाल सिंह **382476.00**

81 खैलम से स्कूल के पास से कमलपुर रोड तक मि0ख0कार्य

वासू इन्टरप्राइजेज **507205.00**

82 वरा सिरसा से सियारपुर मार्ग पर मि0ख0कार्य

वासू इन्टरप्राइजेज **751146.00**

83 अब्दला गाँव में डामर रोड से देव स्थान होते हुए रूपलाल के खेत की ओर मि0ख0कार्य

प्रेम बाबू **772617.00**

84 पदारथपुर में स्कूल से नहर तक मि0ख0कार्य

प्रेम बाबू **756281.00**

85 फुलासी गौटिया से गढ़ी महाराज तक मि0ख0कार्य

विजेन्द्र पाल सिंह **683221.00**

86 अनिरूद्धपुर से बड़ा गाँव तक मि0ख0कार्य

विजेन्द्र पाल सिंह **824972.00**

87 ग्राम धनेटा में प्रा0स्वास्थय केन्द्र से हरपाल के खेत तक लेपन कार्य

ए0के0ट्रेडर्स **706920.00**

88 पिपरिया मंे मेन रोड से मस्जिद तक मि0ख0कार्य

ए0के0ट्रेडर्स **222362.00**

89 देवहरि रतनपुरा रोड से अमीर सिंह के खेत की ओर अवशेष मि0ख0कार्य

गुरू रामदास **425352.00**

90 अलसिया बोझ से देवहरि की ओर अवशेष मि0ख0कार्य

गुरू रामदास **441613.00**

91 मोहनपुर उर्फ रामनगर पश्चिम गौटिया (मौर्य वाली)से मुख्य मार्ग की ओर मि0ख0 कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **743547.00**

92 सिसौना अलीगंज मार्ग से कामधेनू डेयरी होते हुए विशारतगंज अलीगंज रोड पर मि0ख0कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **655502.00**

93 बंजरिया स्कूल के पास चौराहे से कीरतपुर मार्ग पर पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य
पटेल कं0 **483409.00**

94 मगनापुर भंडरिया मुख्य मार्ग से गनेशखेड़ा की ओर मि0ख0कार्य
पटेल गर्ग कं0 **466911.00**

95 ग्राम अधकटा के भगवानपुर मार्ग पर मि0ख0कार्य
पटेल गर्ग कं0 **616071.00**

96 चौखण्डी गाँव में गाँव से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेट **568838.00**

97 मेथी नवदिया वाली नहर पर जि0पं0के खड़ंजे से कुँअरपुर तुलसीपट्टी की ओर मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेट **1022995.00**

98 सलारनगला सड़क गौटिया मार्ग से बुचनपुर की ओर मि0ख0कार्य
कमरूद्यीन **665957.00**

99 सलारनगला से भदरक की ओर मि0ख0कार्य
कमरूद्यीन **504254.00**

100 महेशपुर शिव सिंह की पुलिया से भट्टी पुलिया तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **827944.00**

101 ग्राम करनपुर में नरेन्द्र के मकान के पास से पड़ेरा फरीदपुर मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **846496.00**

102 रजपुरिया जवाहरपुर मार्ग से ग्रा मथुरा पुर सम्पर्क मार्ग पर इ0लॉ0 कार्य
अनिल एसोसियेट **373449.00**

103 खुदागंज मार्ग से बकैनिया की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **474274.00**

104 ईशापुर मिलक मार्ग से इकरार हुसैन के खेत की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **762688.00**

105 ग्राम बरा बरौर में बरौर मार्ग से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
रमेश नारायण गुप्ता **387948.00**

106 भोजीपुरा से अंधरपुरा मार्ग पर जि0पं0की पी0सी0से अंधरपुरा की ओर लेपन कार्य
पटेल कं0 **620562.00**

107 खेमगोटिया से शमशान भूमि की ओर मि0ख0 व पुलिया का भुगतान
सुरेन्द्र पाल सिंह **304635.00**

108 अमशाह मेन रोड से सुनौर पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
ओमपाल सिंह **289767.00**

109 विशेषपुर की पुलिया से कमलापुर की ओर मि0ख0कार्य
ओमपाल सिंह **248034.00**

110 रामनगर से सुनरासी मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **94900.00**

111 रहपुरा जागीर मार्ग से आर0सी0सी0 पुलिया तक लेपन मरम्मत कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **280505.00**

योग- माह-दिसम्बर '2018

62974740.00

क्रम कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता
नाम ठेकेदार धनराशि

माह-जनवरी'2019

1 आनन्दपुर के मुकुल के भट्ठे से सरनाम के मकान तक मि0ख0कार्य
कृष्ण पाल सिंह **317886.00**

2 ग्राम सहपुरा मंे कैमरिया तक मि0ख0कार्य
के0पी0सिंह **462081.00**

3 ग्राम भुला से भुलनिया गाँव की ओर मि0ख0कार्य
के0पी0सिंह **869254.00**

4 शाहपुर डाँडी के गाँव से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **453571.00**

5 ग्राम हिमकरा में खड़ंजा मार्ग से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **80269.00**

6 ग्राम हरदुआ से गौंटिया से बिथरी की ओर मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **128436.00**

7 हरसुनगला रोड से गुरदीप सिंह के घर की ओर अवशेष मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **492028.00**

8 पऊनगला धीरपुर मार्ग से सिंहवर सिंह के झाले तक मि0ख0कार्य
कमरूद्यीन **189405.00**

9 ग्राम चठिया में मेन रोड से तालाब की ओर मि0ख0कार्य
कमरूद्यीन **298775.00**

10 ढकनी भिलौआ मार्ग से पिपरथरा पुलिया तक मि0ख0कार्य
कमरूद्यीन **162858.00**

11 पनुआ लाईखेड़ा मार्ग से ग्राम पनुआ के उत्तर की ओर मि0ख0 कार्य
रमेश नारायन गुप्ता **82921.00**

12 ग्राम किशनपुर गाटा खोरिया में मि0ख0कार्य
रमेश नारायन गुप्ता **54696.00**

13 ग्राम भोेजपुर देवहरि से हरहरपुर की ओर मि0ख0कार्य
गुरू रामदास **914986.00**

14 फाजिलपुर से अलसिफा तक मि0ख0कार्य
गुरू रामदास **55596.00**

15 रामनगर में रामनगर शाहाबाद रोड से रम्पुरा मोपतपुर की ओर मि0ख0कार्य
धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता **962608.00**

16 मऊ चन्दपुर में प्रा0वि0से काँधरपुर की ओर मि0ख0कार्य
धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता **124142.00**

17 ग्राम कुँअरपुर में नहर रोड से शमशान भूमि तक मि0ख0व पूलिया कार्य
प्रमोद कुमार **404410.00**

18 मल्साखेड़ा गाँव की ओर लेपन कार्य
प्रमोद कुमार **333973.00**

19 चठिया शाहपुर मार्ग से होेली नगला देव स्थान की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **103128.00**

20 ग्राम विल्सा में मेन रोड की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **197257.00**

21 भगवानपुर मंे नदी की तरफ से राजेन्द्र सिंह के खेत के पूर्व तक मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **83139.00**

22 परोथी में नदी के पुल से शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **318248.00**

23 मेन रोड से ग्राम मितिपुर बाजपुर की ओर मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **56183.00**

24 ग्राम देवीपुरा में फरीदपुर रोड से गुरूद्वारा तक मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **98898.00**

25 ग्राम मोहनपुर में हरईप्पा देवस्थान से हाफिजगंज की ओर मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **177388.00**

26 ग्राम मुरारपुर में गाँव से सरकारी बाग की ओर मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **226682.00**

27 ग्राम अखा में टपरा पुल से गरीबपुरा की ओर मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **111575.00**

28 ग्राम सीकरी मंे पुलिया निर्माण कार्य
एच0एच0इन्टरप्राइजेज **54368.00**

33 ठिरिया कल्याणपुर में कब्रिस्तान से नदी की ओर मि0ख0कार्य
आदि कं0 **163781.00**

34 ग्राम कचोरा मंे पूर्व में भूमसेन से डॉ0मिठई लाल के घर तक जयदेव के घर की ओर सी0सी0 व नाली कार्य सैयद कं0 **147584.00**

35 ग्राम पीताम्बरपुर मेेंं टीकाराम के घर तक तथा मुन्नालाल के घर से अमर सिंह तक सी0सी0कार्य सैयद क0 **70764.00**

37 जनक जागीर से खतौआ की ओर मि0ख0कार्य
यागोस अल मदद **512821.00**

38 जगतपुर पीपल गौटिया मार्ग पर मन्दिर के सामने पुलिया निर्माण का कार्य
बीना इन्टरप्राइजेज **369127.00**

39 ग्राम आनन्दीपुर में गाँव से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
रंजन कुमार **597992.00**

40 त्रिकुनिया में हिम्मतपुर तक मि0ख0कार्य
मोहित गुप्ता **618598.00**

41 मुख्य तिराहे से सिरोही गाँव की ओर मि0ख0कार्य
मोहित गुप्ता **403133.00**

42 फतेहपुर मेन रोड से इटौआ गाँव की ओर मि0ख0कार्य
हनुमान ट्रेडर्स **423674.00**

43 मेन रोड से खप्पु भाई की ओर लेपन कार्य
हनुमान ट्रेडर्स **458783.00**

योग-माह-जनवरी'2019 11699376.00

माह- फरवरी-2019

क्रम कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता
नाम ठेकेदार धनराशि

1 धनेटा शीशगढ़ मार्ग पर इन्टर कॉलेज से महोदा मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **322953.00**

2 ग्राम भगवन्तापुर में अवशेष इन्टरलॉकिंग कार्य
अखिल कुमार **190525.00**

3 भैलिया में बल्लू के खेत से देवेन्द्र के झाले तक मि0ख0कार्य
अखिल कुमार **79245.00**

4 ग्राम सिहौर में भीमसेन के खेत से बुद्धसेन तक मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **617536.00**

5 वरसिया से सियारपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य
रियासत हुसैन **554118.00**

6 ग्राम महेशपुर शिव सिंह की पुलिया से भट्टी पुलिया तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **156197.00**

7 ग्राम फैजनगर से भुता मिर्जापुर मार्ग तक मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **85379.00**

8 दुनका सेलर से मेन रोड तक खड़ंजे तक मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **206487.00**

9 दमखोदा में ग्राम भुलासिया में मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **516911.00**

10 ठिरिया सैदपुर में ब्रह्यजीत से ब्रह्यजीत के झाले तक मि0ख0कार्य
तिरूपति क0 **703559.00**

11 ग्राम पुरनापुर मंे मरघट से उमराव के बाग तक मि0ख0कार्य
पटेल गर्ग क0 **589712.00**

12 बिथरी चैनपुर में बालजीत सिंह/महेन्द्र सिंह के झाले से भंडरिया मार्ग पर मि0ख0कार्य
पटेल गर्ग कं0 **679977.00**

13 अधकटा के भगवान पुर मार्ग पर मि0ख0कार्य
पटेल गर्ग कं0 **238742.00**

14 विक्रमपुर से किशनपुर मार्ग पर मि0ख0कार्य
राकेश कुमार **130833.00**

15 हरहरपुर मटकली में मि0ख0कार्य
राकेश कुमार **760440.00**

16 भड़रिया से सिसैया मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
कुमार एण्ड कं0 **1177139.00**

17 फतेहगंज पं0में मियानगला से बड़ी नहर की पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
यागोस अल मदद **756556.00**

18 विवियापुर चमरौआ मेन रोड पर स्थित मिश्रीलाल के खेत से अधकटा की ओर मि0ख0कार्य
यागोस अल मदद **471551.00**

19 चन्दोखा छेदा में तालाब से नहर की पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
कृष्ण मोहन इन्टर0 **802282.00**

20 करमपुर ठाकुरान से लखनपुर प्रा0पा0 की ओर मि0ख0कार्य
खेमपाल **472578.00**

21 ग्राम जनकजागीर मेंे नेतराम के मकान से शिवपाल के खेत की ओर मि0ख0कार्य
खेमपाल **456445.00**

22 वि0ख0रामनगर के आँवला रामनगर मार्ग से ग्राम चम्पतपुर में लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **45490.00**

23 ग्राम अहमदाबाद रेलवे फाटक से नहर की पुलिया की ओर लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **56030.00**

24 वि0ख0नवाबगंज में सुकटिया को जोड़ने वाले मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **7291.00**

25 ग्राम इटौआधुरा में डॉ0इस्माईल टावर से कब्रिस्तान तक सी0सी0व नाली कार्य
सैयद कं0 **384860.00**

26 ग्राम रजपुरी नवादा मंे राईस मिल से करन सिंह के खेत तक मि0ख0कार्य
शहजादे **173240.00**

27 ग्राम डंडिया वीरम नगला में भवनी नहर की पुलिया से शमशान भूमि व मजार की ओर मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **720395.00**

28 ग्राम कुम्हरा में युवक मंगल दल से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
प्रमोद कुमार **952820.00**

29 ग्राम पंचायत जसनपुर कुँअरपुर सड़क से बरी महाराज की ओर मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **318261.00**

30 नवदिया कसाव गाँव से शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **542786.00**

31 ग्राम फैजुल्लापुर में वंशीधर वाल्मिकि के मकान से नहर की ओर मि0ख0कार्य
ओमपाल सिंह **61676.00**

32 नकटपुर गाँव से लेकर नदी घाट की ओर मि0ख0कार्य
ओमपाल सिंह **144383.00**

33 बबुरी में प्रेमशंकर के खेत से अरविन्द के खेत की ओर मि0ख0कार्य
लालकरन **110427.00**

34 कुलुआ जवेदा मार्ग से माधोपुर की ओर मि0ख0कार्य
लालकरन **1036269.0**0

35 इमरती से गोटिया तक मि0ख0 व पुलिया निर्माण कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **258420.00**

36 औरंगाबाद मंे गाँव के दक्षिण में पुलिया से लेकर मोहनपुर सम्पर्क मार्ग की ओर मि0ख0कार्य ए0के0ट्रेडर्स **101964.00**

37 रामनगर में पांचाल प्रदेश से0स्कूल रेवती में शौचालय व अन्य निर्माण कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **446598.00**

38 ग्राम गुलड़िया में मो0हुसैन में गाँव से शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्रा0 **858440.00**

39 ग्राम राईनवादा मंे मेन रोड से डंडिया नदी की ओर मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्रा0 **1222327.00**

40 ग्राम नदेली सकरस मार्ग से ग्राम भरना तक मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्रा0 **2006481.00**

41 कुण्डरा कोठी में मन्दिर के पास पुलिया निर्माण कार्य
हसीन खाँ **525858.00**

42 ग्राम मुड़िया वीसनपुर से अहिरोला की अेार मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **113537.00**

43 जोखनपुर से मितिपुर बाजपुर तक मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **69017.00**

44 ग्राम गोपालपुर मंे गाँव के पास से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **77811.00**

45 भदपुरा में डहिया गाँव की पुलिया से नदी की ओर मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **110170.00**

46 ग्राम रसूला मेन रोड से सिमरा बहोर नगला की ओर मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **224989.00**

47 हवलदार अब्दूल हमीद स्कूल में कक्ष निर्माण कार्य
श्रद्धा ट्रेडिंग कं0 **342991.00**

48 ग्राम बहेड़ी में पाखड़ महाराज से इटौआ की ओर लेपन कार्य

अखिल कुमार **1090517.00**

49 बिथरी चैनपुर मंे ग्राम सिंघाई कायस्थान से मेन खड़ंजा,एकराम के खेत से राम सिंह के खेत की ओर मि**0**ख**0**कार्य नावेद हमीद **853334.00**

50 ग्राम मोहनदास मंे मन्दिर से कब्रिस्तान की ओर मि**0**ख**0**कार्य

जी.एण्ड टी **103889.00**

51 विसी रम्पुरा में डॉ**0**नरेश के घर से आश्रम तक मि**0**ख**0**कार्य

ओमपाल सिंह **103868.00**

52 मुड़िया अहमदनगर मेन रोड भट्ठे से नहर की ओर लेपन कार्य

कुमार एण्ड कं**0** **684168.00**

योग-माह-फरवरी'2019 **23717472.**00

माह-मार्च'2019

1 रजपुरी जवाहरपुर मार्ग से ग्राम मथुरापुर सम्पर्क मार्ग पर इण्टर लॉकिंग कार्य

अनिल एसोसियेट **280811.00**

2 ग्राम मल्लपुर मेन रोड से शमशान भूमि ग्राम कितुपुरा गाँव की ओर लेपन व मरम्मत कार्य

प्रमोद कुमार **253280.00**

3 ग्राम प्रेमपुर खजुरिया की पुलिया से दाढ़ा रोड की ओर मि**0**ख**0** कार्य

प्रमोद कुमार **614300.00**

4 काँधरपुर मंे मन्दिर के सामने से होते हुए तिराहे की ओर इ**0**लॉ**0**कार्य

प्रमोद कुमार **484031.00**

5 घुन्सा पुलिया से कनैया की पुलिया मोड़ तक मि**0**ख**0**कार्य

ए**0**के**0**ट्रेडर्स **599700.00**

6 ग्राम लालपुर से भुजिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य

ए**0**के**0**ट्रेडर्स **1034291.00**

7 रामनगर मेंे ग्राम अराजी ब्योधन मार्ग पर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य

विजेन्द्र पाल सिंह **534759.00**

8 ग्राम आनन्दपुर में (जिला पंचायत के पूर्व खड़ंजे से) मि**0**ख**0**कार्य

विजेन्द्र पाल सिंह **696751.00**

9 हसनगंज से मठिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसोसियेट **1596085.00**

क्रम कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता

नाम ठेकेदार धनराशि

माह-मार्च**'2019**

10 रसुईया रेलवे फाटक से अहियापुर मन्दिर के पास पुलिया तक मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसोसियेट **1439812.00**

11 भोजीपुरा मंे महेश पट्टी की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **983628.00**

12 ग्राम शिवनगर में अजमेर की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **1789844.00**

13 ग्राम मुन्नापुर टयूबवेल से थिकियापुर मेन रोड की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **1058966.00**

14 ग्राम आमौर के खड़ंजे से मेन रोड तक मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **895461.00**

15 नवादा से ब्रहयपुर की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **1068612.00**

16 रायपुर हंस मन्दिर से दीपपुर सम्पर्क मार्ग पर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **941058.00**

17 ग्राम रूरिया से सारीपुर की ओर मि0ख0कार्य
अनिल एसोसियेट **2074763.00**

18 नगरिया विक्रम में वेदप्रकाश के खेत से तोताराम के खेत की ओर मि0ख0कार्य
रियासत हुसैन **1041490.00**

19 मानपुर से सेमीखेड़ा बरौर मार्ग पर मि0ख0कार्य
राकेश कुमार **814564.00**

20 विशेषरपुर में पुराने खड़ंजे से कमालपुर नहर की पुलिया तक मि0ख0कार्य
राकेश कुमार **1388874.00**

21 ग्राम मुड़िया तेली से लाम्बाखेड़ा बद्रीप्रसाद तक मि0ख0कार्य
राकेश कुमार **1057532.00**

22 कचनारी पक्के रोड से गौशलपुर की ओर मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **442584.00**

23 ग्राम पिताम्बरपुर में शेष पक्के रोड से ग्राम के पास लेपन कार्य
हसीन खाँ **267643.00**

24 सेंथल जादोपुर मार्ग से फरीदपुर नहर ब्रांच से टांडा सादात की ओर लेपन कार्य
हसीन खाँ **482769.00**

25 ग्राम रसूला तालिब में गाँव से कब्रिस्तान की ओर लेपन कार्य
हसीन खाँ **276151.00**

26 वि0ख0नवाबगंज में चुनुआ के पश्चिम में मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **414010.00**

27 ग्राम मधुकरपुर में गाँव के पूर्व से खटौला की ओर मि0ख0कार्य
हसीन खाँ **695130.00**

28 बिकुनापुर रोड मार्ग से जटौआ सम्पर्क मार्ग पर मि0ख0कार्य
कृष्ण मोहन इन्टर0 **337769.00**

29 ग्राम धरौरा में पुलिया से भगवन्तापुर की ओर मि0ख0कार्य
कृष्ण मोहन इन्टर0 **703987.00**

30 ग्राम दियोरिया पचधौरा में अवशेष मि0ख0कार्य का भुगतान
भारत ट्रेडिंग कं0 **700000.00**

31 ग्राम अलीनगर में अहमद खाँ के खेत से जटऊपट्टी की ओर मि0ख0कार्य
भारत ट्रेडिंग कं0 **931593.00**

32 पेडरे से रघौलीकला की ओर मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **592785.00**

33 सिंघौली की गौटिया से नरखेड़ा नदी की ओर मि0ख0कार्य
आदि कं0 **1311529.00**

34 बीथम से बहापुर मिर्जापुर नदी की रोड की ओर मि0ख0कार्य
आदि कं0 **1228033.00**

35 खेमुनगला में देवस्थान से नदी की ओर मि0ख0कार्य
नन्हें लाल **912941.00**

36 लहिया भंडरिया मार्ग से झाला होते हुए नहर तक मि0ख0कार्य
लालकरन **998400.00**

37 कतरोई ठाकुरान से बसंतपुर रोड की ओर मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **975044.00**

39 ग्राम दिलवारी से कसूमरा मार्ग पर पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य
निरंजन कुमार **684468.00**

40 नौगवाँ मंे गुरूदेव के झाले से चौ0इन्द्रपाल के खेत की ओर मि0ख0कार्य
गुरू रामदास **600000.00**

41 बिथरी चैनपुर में कोटा मक्खन मार्ग से भंडरिया मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
शहजादे **1240028.00**

42 ग्राम वलेही से वंशीपुर मार्ग पर मि0ख0कार्य
ए0एम0कं0 **831771.00**

43 ग्राम मंडवा से आनन्दपुर पर अवशेष मि0ख0कार्य
बीना इलेक्ट्रिकल्स **1217481.00**

44 गाम फरीदपुर नवादा में सुरेश के बाग से रसूला की ओर मि0ख0कार्य
श्रीशपाल सिंह **1008725.00**

45 भदपुरा मंे अम्बरपुर से महेशपुर मन्दिर तक मि0ख0कार्य
मो0इजराईल **1047379.00**

46 चौड़ेरा में जि0प0ंके पूर्व खड़ंजे से गुलाबनगर की ओर मि0ख0कार्य
रमेश नारायन **419617.00**

47 दोहना मंे पूर्व खड़ंजे से बैकुण्ठापुर की ओर मि0ख0कार्य
भारत ट्रेडिंग कं0 **108734.00**

48 ग्राम धौरैरा ईदगाह से परसूनगला की ओर मि0ख0कार्य
भारत ट्रेडिंग कं0 **73297.00**

49 ग्राम भदपुरा में नहर की पुलिया से सूरजपाल के खेत की ओर मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेट **103680.00**

50 जिगनिया भगवन्तपुर में नहर की पुलिया से तुलाराम के खेत की ओर मि0ख0कार्य
राधे एसोसियेट **114360.00**

51 लिलौर लोधन खुर्द मार्ग से ग्राम सुनरासी स्कूल तक लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **58385.00**

52 नेशनल हाईवे बरेली दिल्ली मार्ग से ग्राम नौगवाँ तक लेपन मरम्मत कार्य
अखिल कुमार **109332.00**

53 सेंधी से शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य
मोहित गुप्ता **78517.00**

54 खजुरिया कब्रिस्तान के मसीत नहर तक मि0ख0कार्य
कृष्ण पाल सिंह **789184.00**

55 मुड़िया रोड से ग्राम लभेड़ा की ओर मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 **708872.00**

56 इटौआ मंे काशीराम के मकान से शमशान घाट तक मि0ख0कार्य
कृष्ण पाल सिंह **54310.00**

57 ग्राम सहपुरा में कैमरिया तक मि0ख0कार्य
के0पी0सिंह **428205.00**

58 गौरिया न्याज से रहमतनगर की ओर मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **141994.00**

59 ग्राम गोपडंाडी में सोमपाल के खेत से बाबूराम के खेत तक मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **109573.00**

60 ग्राम पंचायत कुँअरगढ़ा में प्रा0वि0 से शमशान भूमि जाने वाले मार्ग पर मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **103236.00**

61 ग्राम सिसई में शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **57186.00**

62 ग्राम शाहपुर में शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **50200.00**

63 ग्राम मानपुर से ऊँचागाँव रूस्तमनगर की ओर मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **168683.00**

64 ग्राम बबूरी भट्ठे से चेना की ओर मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **92188.00**

65 गनेशपुरा मेन रोड से बसेई की ओर मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स **78123.00**

66 सिमरावा से निर्भया गौटिया तक अवशेष मि0ख0कार्य
ए0के0ट्रेडर्स 109342.00
67 जगतपुर पीपल गौटिया मार्ग पर मन्दिर के सामने पुलिया निर्माण कार्य
बीना इलेक्ट्रिकल्स 282649.00
68 दोपहरिया कनमन मार्ग से जि0पं0 के पूर्व खड़ंजे की ओर मि0ख0कार्य
एच0एच0इन्टरप्रा0 316822.00
69 ग्राम घंधोरा मंे रहपुरा मार्ग से मजार की ओर मि0ख0कार्य
युधिष्ठिर देव गंगवार 240767.00
70 दियोसास के खड़ंजे से खुर्द रोड तक मि0ख0कार्य
हसीन खाँ 106632.00
71 ग्राम भोआपुर से अंधरपुरा मार्ग पर जि0पं0 की सी0सी0से अंधरपुरा की ओर अवशेष लेपन कार्य
पटेल कं0 337047.00
72 भौआबाजार गाँव से लेकर नदी की ओर मि0ख0कार्य
ओमपाल सिंह 62835.00
73 ग्राम मिलक पिछोड़ा से तालाब होते हुए शमशान भूमि की ओर मि0ख0कार्य
रंजन कुमार 39268.00
74 वारीनगला कंधरपुर मार्ग से उमरसिया गाँव तक मि0ख0कार्य
धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता 105967.00
75 पचौमी खुदागंज मार्ग पर राजेन्द्र सिंह के झाले की ओर मि0ख0कार्य
हनुमान ट्रेडर्स 551322.00
76 ग्राम रोहनी में डामर रोड से चरन सिंह के खेत तक मि0ख0कार्य
श्री गुरू रामदास 655771.00
77 ग्राम रहपुरा भगवानपुर मार्ग से सिंघाई मुरावान मार्ग पर मि0ख0कार्य
पटेल गर्ग कं0 1024299.00
78 ग्राम तिवरिया मंे भण्डसर खाईखेड़ा मार्ग से रम्पुरा मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
पटेल गर्ग कं0 706916.00
79 ग्राम सिसईया में मुराय मार्ग से प्रा0 स्कूल तक इ0लॉ0कार्य
पटेल गर्ग कं0 759352.00
80 सहकारी बीज भण्डार से गौटिया की पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
पटेल गर्ग कं0 1045692.00
81 देवरहा मकरन्दपुर में टावर से सतुईया कला के गुरूद्वारे की ओर मि0ख0कार्य
तिरूपति कं0 896307.00
82 गैनी अखा मार्ग रफियाबाद में दशीपुर की ओर मि0ख0कार्य
बीना इन्टरप्राइजेज 1069593.00
83 ग्राम बरगापुर से गोपालपुर की ओर मि0ख0कार्य
लालकरन 610195.00

84 अटंगा चाँदपुर की पुलिया से उमरसड़ की तरफ जिला पीलीभीत की सीमा तक मि**0**ख**0**कार्य
रियासत हुसैन **703230.00**

85 बंजरिया जागीर से ग्राम सेड़ा के मजरा अहिरगौटिया की ओर लेपन कार्य
रियासत हुसैन **796817.00**

86 ग्राम चमरपुर में चम्पतपुर तक मि**0**ख**0**कार्य
खूबचन्द शर्मा **952367.00**

87 वि**0**ख**0**रामनगर के ग्राम जगन्नाथपुर से हरदासपुर में देवी मन्दिर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
मोहित गुप्ता **1086400.00**

88 ग्राम प्रेमपुर खजुरिया की पुलिया से मादा रोड की ओर मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **225291.00**

89 ग्राम खोह ढकिया से भड़सर मार्ग तक मि**0**ख**0**कार्य
राधे एसोसियेट **902320.00**

90 मीरगंज के ग्राम खुर्द में प्रा**0**वि**0**से सुम्मेरीलाल के खेत की ओर मि**0**ख**0**कार्य
प्रगति एसोसियेट **510720.00**

91 सलेमपुर में रामवीर के मकान से नदी की ओर मि**0**ख**0**कार्य
प्रगति एसोसियेट **712190.00**

92 हसनपुर में शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य
तिरूपति कं**0** **1062377.00**

93 सेंथल हाफिजगंज मार्ग से लाड़पुर उस्मानपुर की ओर लेपन कार्य
हसीन खाँ **238786.00**

94 ग्राम रसूला तालिब हुसैन में नहर की पुलिया से लक्ष्मीकांत के मकान तक लेपन कार्य
हसीन खाँ **453269.00**

95 ग्राम रजपुरी नवादा में कल्याणपुर मार्ग से बी**0**सी**0**मार्ग की ओर पूर्व खड़ंजे तक मि**0**ख**0**कार्य
पटेल कं**0** **148006.00**

111 ग्राम केरा नहर की पुलिया से ब्रह्यदेव स्थान तक मि**0**ख**0**कार्य
खेमपाल **618458.00**

112 बरेली लाल फाटक बदायूँ मार्ग पर कांधरपुर में नेडा कार्यालय के पास बरेली डामर रोड तक लेपन कार्य
प्रेम बाबू **1435342.00**

113 मुड़िया गाँव से बाहर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
प्रेम बाबू **71711.00**

योग-माह-मार्च'2019 - 61234118.00

<u>सम्पूर्ण योग- - 28,49,92,651.00</u>

उपरोक्त विवरणानुसार कार्यक्षेत्र के भीतर का प्रमाण संलग्न किये बिना ही विभिन्न ठेकेदारों से निर्माण कार्यों को करा कर कुल **28,49,92,651.00** का भुगतान किया जाना अनियमित एवं

आपत्तिजनक रहा। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत-2019-20

प्रस्तर-14

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मृत पशु शव निस्तारण समितियों से **286000.00** की आय हुई है। लेकिन उ**0**प्र**0**सरकार के शासनादेश संख्या **682/**पी**0 /33.3.14(2)84** दिनांक **10.3.1987,**पत्रांक **2203/3.2.797-43** बी **(8)** टी**0**सी**0**दिनांक **30.5.1997** पत्रांक **2967/1132.2.2002/15**बी**/4-02** दिनांक **7.10.2002** एवं पत्रांक **3/138/2001-03/85** दिनांक **13.2.2004** द्वारा जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था,कि मृत पशु शव निस्तारण का आधा भाग (**50**ः) जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें, तथा अब तक समस्त बकाया धनराशि का अविलम्ब भुगतान किया जाये। लेकिन वर्ष में प्राप्त **286000.00** का आधा भाग **143000.00** ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है। अर्थात उक्त शासनादेश का पालन न करते हुए **286000.00** जिला पंचायत के खातें में ही रखा गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ए**0**एम**0**ए**0** की किराये की गाड़ी का **336000.00** के किये गये भुगतान में से मात्र छह महीने की ही **2** प्रतिशत की दर से आय कर **3360.00** की कटौती की गई है। शेष **3360.00** की कटौती(नवम्बर**'19,** दिसम्बर **'19,** फरवरी**' 19,** मार्च**' 20)** नहीं की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इसके अतिरिक्त किराये की गाड़ी का अभिषेक पाठक से किये गये अनुबन्ध का नवीनीकरण कराया गया है या नहीं, कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

शासनादेश संख्या **4/866/33-2-14-93** जी**/2004** टी**0**सी**0** दिनांक **24.06.2014** एवं शासनादेश दिनांक **12.1.2005** द्वारा अनियमितता/भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी रोकने के उद्येश्य से क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य दर्शित किये जाने पर प्रतिबंध है। उक्त शासनादेश के प्रावधानों में ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने पर प्रतिबंध है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने से ग्राम पंचायत द्वारा इसका निर्माण कार्य अपने द्वारा कराया गया दर्शा कर भुगतान प्राप्त करने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए जिला पंचायत को दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित कराया जाना चाहिए। ऐसा किया गया है या नहीं,इस

आशय का प्रमाण पत्र वर्ष आलोच्य **2019-2020** में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं किया गया है। शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत निम्न विवरणानुसार एक ही ग्राम पंचायत में कार्य कराए गए हैं जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता

नाम ठेकेदार धनराशि

माह-मई'2019

1 ग्राम जनक जागीर से कोला की ओर मि**0**ख**0**कार्य

आगोस अल मदद **451344.00**

2 ग्राम जियानगला से बड़ी प्रतिमा की ओर मि**0**ख**0**कार्य

आगोस अल मदद **200799.00**

3 ग्राम चौबारी में मुख्य सड़क की ओर लेपन कार्य

अखिल कुमार **412176.00**

4 ग्राम शाहपुर जी सुखराय मंे रामपाल के मकान से मियाँपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

अखिल कुमार **908945.00**

5 ग्राम कांधरपुर में मन्दिर के सामने से शमशान भूमि होते हुए तिराहे की ओर आई**0**एल**0**कार्य प्रमोद कुमार **144282.00**

6 वि**0**ख**0**शेरगढ़ के ग्राम मल्साखेड़ा में लालताप्रसाद के खेत से वहीद खाँ के खेत की ओर मि**0**ख**0**कार्य प्रमोद कुमार **946400.00**

7 ग्राम प्रेमपुर खजुरिया की पुलियन दादा रोड की ओर मि**0**ख**0** कार्य

प्रमोद कुमार **123641.00**

8 ग्राम डंडिया वीरम नगला में भवन की नहर की पुलिया से शमशान भूमि व मजार की ओर मि**0**ख**0**कार्य प्रमोद कुमार **275444.00**

9 वि**0**ख**0**फतेहगंज पं**0**के पश्चिम के ग्राम मढ़ौली से वीरपुर मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य

खेमपाल सिंह **1064000.00**

10 ग्राम करमपुर ठाकुरान से लखनपुर प्रा**0**पा**0**की ओर मि**0**ख**0**कार्य

खेमपाल सिंह **59203.00**

11 वि**0**ख**0**फतेहगंज पं**0** के ग्राम कौर खजुरिया के खड़ंजे से मुबारकपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य खेमपाल सिंह **896000.00**

12 ग्राम जनकजागीर में नेतराम के मकान से शिवपाल के खेत की ओर मि**0**ख**0**कार्य

खेमपाल सिंह **69013.00**

13 ग्राम राईनवादा मंे मेन रोड से डुडिया नदी की ओर मि**0**ख**0**कार्य

एच**0**एच**0**इन्टरप्रा**0** **174688.00**

14 ग्राम सरकस नदी की मार्ग से ग्राम भरना की ओर मि**0**ख**0**कार्य
एच**0**एच**0**इन्टरप्रा**0** **128710.00**

15 ग्राम गुलड़िया मो**0**हुसैन में गाँव से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य
एच**0**एच**0**इन्टरप्रा**0** **136062.00**

16 ग्राम रामनगर गौटिया से रिछा स्टेशन गिरधरपुर सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य
एच**0**एच**0**इन्टरप्रा**0** **522056.00**

17 ग्राम इनौनिया में जोगिन्दर के मकान से पुराने खड़ंजे तक मि**0**ख**0**कार्य
श्री प्रेम बाबू **267115.00**

18 पुरैनिया रोड से बालाजी मन्दिर के पास से मेथी गाँव की ओर लेपन कार्य
श्री प्रेम बाबू **1043276.00**

19 ग्राम क्यारा में सिंपल गौटिया से डबरी पर मि**0**ख**0** कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **794937.00**

20 पडेरे से रघौली कला की ओर मि**0**ख**0**कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **877752.00**

21 ग्राम मोहम्मदपुर बकुचिया से आसपुर गाँव की ओर मि**0**ख**0**कार्य
मै**0**पटेल गर्ग कं**0** **1041385.00**

22 ग्राम रहपुरा भगवानपुर मार्ग से सिंघाई मुरावान मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य
मै**0**पटेल गर्ग कं**0** **380742.00**

23 ग्राम सिसैइया में मुख्य मार्ग से प्रा**0**स्कूल तक इ**0**ला**0**कार्य
मै**0**पटेल गर्ग कं**0** **189958.00**

24 ग्राम दिलावरी से कसूमरा मार्ग पर पूर्व खड़ंजे तक मि**0**ख**0**कार्य
रंजन कुमार **249962.00**

25 वि**0**ख**0**रामनगर के ग्राम धौरेरा में प्रा**0**पा**0** से कैलाश गिरि मार्ग की ओर मि**0**ख**0**कार्य
रंजन कुमार **1120000.00**

26 ग्राम पुन्नापुर टयूबवेल से विवियापुर मेन रोड की ओर मि**0**ख**0**कार्य
मै**0**अनिल एसो**0** **432874.00**

27 रसुईया रेल के फाटक से महिमापुर मन्दिर की पुलिया तक मि**0**ख**0**कार्य
मै**0**अनिल एसो**0** **557592.00**

28 नवादा से ब्राहिमपुर की ओर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
मै**0**अनिल एसो**0** **429221.00**

29 ग्राम चकरपुर से चम्पतपुर तक मि**0**ख**0**कार्य
खुबचन्द शर्मा **271414.00**

30 वि**0**ख**0**मझगवाँ के ग्राम कमालपुर भिटारीपुर मार्ग से कुडरिया गढ़ी पूर्व खड़ंजे तक मि**0**ख**0**कार्य खुबचन्द शर्मा **1262240.00**

31 बीथम से ग्राम बहादुर पुर मिर्जापुर बरेली रोड की ओर मि**0**ख**0**कार्य
आदि कं**0** **253760.00**

32 सिंघौली की गौटिया से नयीखेड़ा नदी की ओर मि**0**ख**0**कार्य
आदि कं**0** **184605.00**

33 वि**0**ख**0**आ**0**जा**0**बाद मंे ग्राम भमोरा में मि**0**ख**0** एवं पुलिया निर्माण कार्य
बासु इन्टरप्राइ**0** **664160.00**

34 वि**0**ख**0**मीरगंज के ग्राम हुरहुरी दीवना मार्ग से करौरा सम्पर्क मार्ग की ओर मि**0**ख**0**कार्य नवीन कुमार **1064000.**

35 ग्राम बजरिया मंे कब्रिस्तान के बाउन्ड्रीवाल के पास पी**0**सी**0**सी**0**पुलिया निर्माण कार्य
कृष्णपाल सिंह **526100.00**

36 वि**0**ख**0**आ**0**जा**0**बाद के ग्राम सहासा से कुण्डरिया इखलास पुर सम्पर्क मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य नन्हें लाल **907200.00**

37 वि**0**ख**0**मीरगंज के ग्राम मिर्जापुर में मेला स्थल से बहादुरपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्यसु
रेन्द्र पाल सिंह **1008000.00**

38 ग्राम रजपुरी नवादा में कल्याणपुर मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य
राम प्रताप **630693.00**

39 घंघोरा से रहपुरा मार्ग की ओर मजार तक(राशि अहमद के मकान से मजार की ओर) मि**0**ख**0**कार्य राकेश कुमार **112859.00**

40 वि**0**ख**0**शेरगढ़ के ग्राम भदरक की ओर मि**0**ख**0**कार्य
कमरूद्यीन **776944.00**

41 वि**0**ख**0**नवाबगंज के ग्राम टांडा सादात में अवशेष लेपन कार्य
इसराईल **755015.00**

42 ग्राम बहेड़ी में पाकड़ महाराज से इटौआ की ओर लेपन कार्य
अखिल कुमार **460910.00**

43 कमालपुर गुनु नगला के मध्य में डोरा पर आर**0**सी**0**सी**0** पुलिया निर्माण कार्य
अखिल कुमार **672000.00**

44 ग्राम पिताम्बरपुर मंे शेष पक्के रोड से ग्राम के पास विरेन्द्र के घर की ओर मि**0**ख**0**कार्य हसीन खाँ **496801.00**

45 सेंथल जादोपुर मार्ग से नहर ब्रांच से टांडा सादात की ओर लेपन कार्य
हसीन खाँ **299468.00**

46 सेंथल हाफिजगंज मार्ग से लाड़पुर उस्मानपुर की ओर लेपन कार्य
हसीन खाँ **436284.00**

47 कचनारी पक्के रोड से गौसलपुर की तरफ मि**0**ख**0**कार्य
हसीन खाँ **402862.00**

48 चुनुआ के पश्चिम में मि**0**ख**0**कार्य

हसीन खाँ **660066.00**

49 ग्राम पंचायत जखनपुर कुँअर पुर रोड से बरी महाराज तक मि**0**ख**0**कार्य

तिरूपति कं**0** **108828.00**

50 ग्राम बरखन मंे गैस एजेन्सी से मजार की ओर मि**0**ख**0**कार्य

तिरूपति कं**0** **815730.00**

51 ग्राम मानपुर से सेमीखेड़ा बरौर मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य

राकेश कुमार **667313.00**

52 विशेषरपुर में पुराने खड़ंजे से कमालपुर नहर की पुलिया तक मि**0**ख**0**कार्य

राकेश कुमार **785318.00**

53 ग्राम मुड़िया तेली से लाम्बाखेड़ा बद्रीप्रसाद तक मि**0**ख**0**कार्य

राकेश कुमार **728415.00**

54 ग्राम अभौर के खड़ंजे से मेन रोड तक मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **232034.00**

55 ग्राम हसनगंज के मठिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **379108.00**

56 फरीदपुर रोड से सरदार जी के झाले की ओर मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **1427724.00**

57 शुगर फैक्ट्री के सामने ग्राम पंचायत के पूर्व खड़ंजे से बाकरगंज की ओर मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **453514.00**

58 भगवन्तापुर में मेन रोड से ग्राम आड़ी सुकटिया की ओर लेपन कार्य

अनिल एसो**0** **479297.00**

59 ग्राम डंडिया नवाजिस अली में नहर की पुलिया से चुटकुल पुलिया की ओर मि**0**ख**0** कार्य अनिल एसो**0** **1264326.00**

60 ग्राम रूरिया से ग्राम सादीपुर तक मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **952347.00**

61 ग्राम रघौलीकला से मस्तीपुर की ओर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **554912.00**

62 ढंढुरवा में नवादा खड़ंजा से थारमपुर गुलाबनगर सम्पर्क मार्ग की ओर मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **115929.00**

63 शिवनगर में ग्राम अजमेर की ओर मि**0**ख**0** व पुलिया निर्माण कार्य

अनिल एसो**0** **633366.00**

64 रायपुर हंस मन्दिर से दीप पुर सम्पर्क मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **352924.00**

65 ग्राम कुम्हरा में युवक मंगल दल मैदान से शमशान भूमि तक मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **214233.00**

66 ंगिरधरपुर शीशगढ़ देहात मेन रोड से गाँव की ओर लेपन कार्य
प्रमोद कुमार **198479.00**

67 मदनापुर मानपुर मेन रोड से बाजार की ओर मि**0**ख**0** व पुलिया निर्माण कार्य
प्रमोद कुमार **232765.00**

68 शहपुरा हौसपुर रोड से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य
अगोस अल मदद **1108800.00**

69 बुझिया जागीर से शाही बहेड़ी की ओर मि**0**ख**0**कार्य
अगोस अल मदद **1232000.00**

70 दुर्गापुर में प्रा**0**वि**0**से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य
खेमपाल सिंह **906080.00**

71 ग्राम टिटौली में शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य
खेमपाल सिंह **926240.00**

72 केरा नहर की पुलिया से ब्रह्यदेव की सीमा तक मि**0**ख**0**कार्य
खेमपाल सिंह **218751.00**

73 ग्राम घोर सतुईया के खड़ंजे से मुबारक पुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
खेमपाल सिंह **329835.00**

74 मढ़ौली से वीरपुर मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य
खेमपाल सिंह **176399.00**

75 मेन रोड से खजुआई की ओर लेपन कार्य
हनुमान ट्रेडर्स **280483.00**

76 पचोमी खुदागंज मार्ग पर राजेन्द्र सिंह के झाले की ओर मि**0**ख**0**कार्य
हनुमान ट्रेडर्स **631754.00**

77 क्यारा से हरदुआ मार्ग तक मि**0**ख**0**कार्य
लालकरन **227549.00**

78 वरगापुर से गोपालपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
लालकरन **900000.00**

79 लटिया भडरिया डामर रोड से झाला होते हुए नहर तक मि**0**ख**0**कार्य
लालकरन **137124.00**

80 चकदहा भगवतीपुर में अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
जी**0**एण्ड टी**0**इन्टर**0** **19015.00**

81 ग्राम वनईया से जरैल मवई की ओर मि**0**ख**0**कार्य
जी**0**एण्ड टी**0**इन्टर**0** **663353.00**

82 ग्राम तिवरिया मे भड़सर खाईखेड़ा मार्ग से रम्पुरा सऊआ मार्ग पर निर्माण कार्य
मै0पटेल गर्ग कं0 **690980.00**

83 सहकारी बीज भण्डार से गोटिया की पुलिया की ओर मि0ख0कार्य
मै0पटेल गर्ग कं0 **243443.00**

84 परशुराम झाला से परसरामपुर की ओर लेपन कार्य
कुमार एण्ड कं0 **1252509.00**

85 ग्राम भड़रिया से सिसैइया मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
कुमार एण्ड कं0 **1091434.00**

86 कतरोई ठाकुरान से बसंतपुर रोड की ओर मि0ख0कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **506069.00**

87 नौगवाँ में गुरूदेव सिंह के झाले से चौ0इन्द्र पाल सिंह के खेत की ओर मि0ख0कार्य
गुरू रामदास कं0 **746417.00**

88 ग्राम रोहिणी में डामर रोड से चरन सिंह केे खेत तक मि0ख0कार्य
गुरूरामदास कं0 **626400.00**

89 बिहारी पुर से बैरम नगर की ओर मि0ख0कार्य
नवीन कुमार **1512000.00**

90 हुरहुरी दीवना मार्ग से करोरा मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
नवीन कुमार **252061.00**

91 माधोपुर से इस्लामनगर की ओर मि0ख0कार्य
नवीन कुमार **972160.00**

92 कमालपुर बिहारीपुर मार्ग से कुडरिया मढ़ी/पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य
खुबचन्द शर्मा **432937.00**

93 बझेड़ा से जोगीठेर मार्ग पर मि0ख0कार्य
बासु इन्टरप्राइजेज **553514.00**

94 चौड़ेरा में जि0पं0 के पूर्व खड़ंजे से गुलाबनगर की ओर मि0ख0कार्य
रमेश नारायण गुप्ता **154764.00**

95 कोटा मक्खन मार्ग से भड़रिया मार्ग की ओर मि0ख0कार्य
शहजादे **544811.00**

96 फरीदपुर नवादा में सुरेश के बाग से सुराया की ओर मि0ख0कार्य
श्रीशपाल **465298.00**

97 नहर से खजुरिया सम्पर्क मार्ग पर मि0ख0कार्य
कृष्ण मोहन इन्टर0 **1043580.00**

98 नकटिया से कुँअरपुर करीम ताल तक अवशेष मि0ख0कार्य
प्रेम बाबू **70214.00**

99 बलेटी से बंशीपुर मार्ग पर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य

ए**0**एम**0**कं**0** **165126.00**

100 जगन्नाथपुर से हरदासपुर में देवी मन्दिर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

मोहित गुप्ता **703977.00**

101 औरंगाबाद मंे छत्रपाल सिंह के खेत से चन्दुपुरा केसर पुर मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य

विजेन्द्र पाल सिंह **878080.00**

102 धौरेरा प्रा**0**वि**0**से कैलाश गिरि मार्ग की ओर मि**0**ख**0**कार्य

रंजन कुमार **407819.00**

103 धनेटा फाटक पर श्री रामचन्द्र के मन्दिर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

यू**0**के**0**इन्टरप्राइजेज **264320.00**

104 नगरिया विक्रम में वेद प्रकाश के खेेत से तोता राम के खेत की ओर मि**0**ख**0**कार्य

रियासत हुसैन **446364.00**

105 भुड़िया से मिलक तक मि**0**ख**0**कार्य

कृष्णपाल सिंह **924479.00**

106 मण्डन में गाँव से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य

बीना इलेक्ट्रिकल्स **686560.00**

107 ग्राम बहोरन नगला में फकीर चन्द के घर से मोहन स्वरूप के घर की ओर मि**0**ख**0**कार्य मै**0**सैयद कं**0** **650000.00**

108 ग्राम डोहरा में पूर्व निर्मित सी**0**सी**0**से डॉ**0**गंगवार के घर तक सी**0**सी**0**कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **80355.00**

कुल योग-माह- मई**'2019** **6,04,62,575.00**

माह-जून'2019

1 ग्राम लालपुर से भुड़िया तक मि**0**ख**0**कार्य

ए**0**के**0**ट्रेडर्स **400120.00**

2 घुन्सा पुलिया से कनैया पुलिया मोड़ तक मि**0**ख**0**कार्य

ए**0**के**0**ट्रेडर्स **294326.00**

3 सिहौर से भीमसेन के खेत ब्रह्यदेव तक मि**0**ख**0**कार्य

ए**0**के**0**ट्रेडर्स **75308.00**

4 ग्राम अतरपुर मेन रोड से शमशान भूमि/ग्राम चितपुरा ग्राम की ओर लेपन कार्य

प्रमोद कुमार **484438.00**

5 क्यारा गाँव में कश्यप मोहल्ला में तालाब पर पुलिया निर्माण कार्य

प्रमोद कुमार **306137.00**

6 बंजरिया जागीर के ग्राम सेड़ा के मजरे अहीर गौटिया की ओर लेपन कार्य

रियासत हुसैन **659646.00**

7 मुड़िया में ग्राम लवेड़ा की ओर मि**0**ख**0**कार्य

तिरूपति कं**0** **457370.00**

8 बैकनुरा पुरा में रम्पुरा माफी की ओर लेपन कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **1473552.00**

9 भोेजीपुरा के महेशपुर पट्टी में मि**0**ख**0**कार्य

अनिल एसो**0** **549985.00**

10 पड़री गाँव से बिहारी पुर मार्ग तक मि**0**ख**0**कार्य

धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता **117524.00**

11 ग्राम आनन्दपुर के प्रा**0**वि**0** से आनन्दपुर गौटिया की ओर लेपन कार्य

ए**0**के**0**ट्रेडर्स **604800.00**

12 पिपरिया में मेन रोड से मस्जिद तक मि**0**ख**0**कार्य

ए**0**के**0**ट्रेडर्स **35829.00**

13 माधोपुर से इस्लामनगर गौटिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य

नवीन कुमार **269535.00**

14 ग्राम वल्लिया में पं**0**शिवचरन लाल उ**0**मा**0**विद्यालय से फरीदपुर गौटिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य नवीन कुमार **1120000.00**

15 बिहारी पुर से बैरम नगर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

नवीन कुमार **459952.00**

16 औरंगाबाद में क्षत्रपाल सिंह के खेत से चन्दुपुरा केसरपुर मार्ग की ओर मि**0**ख**0**कार्य

विजेन्द्र पाल सिंह **257325.00**

17 दसीपुर रहमान पुर मार्ग से ग्राम जैतपुर शरीफपुर गाँव व प्रा**0**पा**0** तक मि**0**ख**0**कार्य

विजेन्द्र पाल सिंह **1067360.00**

18 संतोषी जी के मन्दिर से स्वामी जी के आश्रम की ओर मि**0**ख**0**कार्य

विजेन्द्र पाल सिंह **413280.00**

19 ग्राम मोहम्मदपुर से बालपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

प्रमोद कुमार **537600.00**

20 सहपुरा हौसपुर रोड से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य

आगोस अल मदद **178063.00**

21 विवियापुर चमरौआ मेन रोड पर स्थित मिश्री लाल के खेत से अधकटा की ओर मि**0**ख**0**कार्य आगोस अल मदद **474693.00**

22 ग्राम खुर्द से प्रा**0**वि**0** से सुम्मेरी लाल के मिल की ओर मि**0**ख**0**कार्य

प्रगति एसो**0** **807530.00**

23 सलेमपुर मंे राम सिंह के मकान से नदी की ओर मि**0**ख**0**

प्रगति एसो**0** **538000.00**

24 हसनपुर गाँव से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य

तिरूपति कं**0** **341279.00**

25 देवरा मकरन्द पुर में टावर से सतुईया कला के गुरूद्वारे की ओर मि**0**ख**0**कार्य

तिरूपति कं**0** **491384.00**

26 धन्तिया से टयूलिया मार्ग पर पूर्व खड़ंजे पर पुलिया निर्माण कार्य

खेमपाल **542080.00**

27 मधुकर पुर गाँव के पूर्व से खतौला की ओर मि**0**ख**0**कार्य

हसीन खाँ **377265.00**

28 दिवना में शमशान भूमि की पुलिया से उदयवीर के खेत तक मि**0**ख**0**कार्य

हसीन खाँ **240817.00**

29 रसूला तालिब हुसैन में नहर की पुलिया से लक्ष्मी कान्त के मकान तक लेपन कार्य

हसीन खाँ **174736.00**

30 कलुआ जवैदा मार्ग से माधोपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

लालकरन **200246.00**

31 हरदुआ से पूर्व खड़ंजे तक मि**0**ख**0**कार्य

लालकरन **299336.00**

32 खजुरिया कब्रिस्तान से मसीत नहर तक मि**0**ख**0**कार्य

कृष्ण पाल सिंह **594188.00**

33 ग्राम पंचायत बकैनिया से हरहरपुर रोड से मरघट तक मि**0**ख**0**कार्य

राधे एसो**0** **62016.00**

34 वरहमण्डन पुर मेन रोड के ठाकुर श्रीपाल के घर होते हुए चरन सिंह के मकान तक मि**0**ख**0**कार्य राधे एसो**0** **324873.00**

35 करूआ गाँव ढकिया बर्कली वाले रोड से पश्चिम के तरफ मि**0**ख**0**कार्य

राधे एसो**0** **71533.00**

36 पदारथपुर स्कूल से नहर तक मि**0**ख**0**कार्य

प्रेम बाबू **102541.00**

37 पुरैनिया रोड से बालाजी मन्दिर के पास मेंथी गाँव की ओर लेपन कार्य

प्रेम बाबू **127184.00**

38 अलीनगर में अहमद खाँ के खेत से जटऊ पट्टी की ओर मि**0**ख**0**कार्य

भारत ट्रेडिंग कं**0** **510210.00**

39 ग्राम देयोरिया पचधौरा में अवशेष मि**0**ख**0**कार्य

भारत ट्रेडिंग कं**0** **194660.00**

40 ग्राम कुम्हरा में करन सिंह के खेत से छोटी नहर तक मि**0**ख**0** कार्य

बीना इलेक्ट्रिकल्स **209965.00**

41 रजपुरी नवादा में कल्याणपुर मार्ग पर लेपन कार्य

राम प्रताप **280784.00**

42 चौबारी मंे मुख्य सड़क की ओर लेपन कार्य

अखिल कुमार **63010.00**

43 बीथम से सुम्मेरीलाल के घर से मकड़ी खो की ओर लेपन कार्य

यू**0**के**0**इन्टरप्राइजेज **739200.00**

44 रम्पुरा कमन गाँव से गौटिया तक मि**0**ख**0**कार्य

कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **121258.00**

45 ग्राम गौटिया मल्लहपुर में अहिवरन के खेत तक मि**0**ख**0**कार्य

सुक्खन लाल **900131.00**

46 मेथी नवदिया वाली नहर पर जि**0**पं**0** के खड़ंजे से तुलसी पट्टी की ओर मि**0**ख**0**

राधे एसोसियेट **135066.00**

47 ग्राम चौखण्डी में गाँव से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य

राधे एसोसियेट **295859.00**

48 अटंगा चाँदपुर गाँव की पुलिया से उमर स**0**की तरफ जि**0**पं**0** पीलीभीत सीमा तक मि**0**ख**0**कार्य रियासत हुसैन **764680.00**

49 क्योलड़िया नहर से भीकमपुर होते हुए लेपन कार्य

ब्रह्यपाल **871235.00**

50 अजमत गंज में गाँव से लेकर दियोरिया तक मि**0**ख**0**कार्य

श्री सोमदत्त **128508.00**

योग-माह-जून**'2019** **2,07,46,417.00**

क्रम **कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता**

नाम ठेकेदार **धनराशि**

1 बढ़ेपुरा पुराने खड़ंजे से कुँअरपुर तुलसी पट्टी से नहर की पुलिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य राधे एसोसियेट **170834.00**

2 इलाका बढ़ेपुरा इलाका बहर में द्वारिका के खेत से कुँअर पुर तुलसी पट्टी तक मि**0**ख**0**कार्य राधे एसोसियेट **152741.00**

3 दलपतपुर हरहरपुर रोड से राजेश यादव के खेत की ओर मि**0**ख**0**कार्य

कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **82152.00**

4 विकनापुर जेड मार्ग से जटौआ सम्पर्क मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य

कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **75614.00**

5 फरीदपुर नहर ब्रांच से इलाका मेहतरपुर करोड़ की ओर मि**0**ख**0**कार्य

कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **150656.00**

6 एन**0**एच**024** से ग्राम मेगी नगला में ग्राम प्रधान लखन सिंह के घर की ओर मि**0**ख**0**कार्य कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **82655.00**

7 ग्राम शिवपुरी में ग्राम हाजीपुर मार्ग पर इन्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य
प्रमोद कुमार **161392.00**

8 ग्राम मदनापुर मानपुर मेन रोड के बाजार की ओर मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **390096.00**

9 ग्राम अराजी मोहनपुर मार्ग पर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
विजेन्द्र पाल सिंह **66134.00**

10 ग्राम आनन्दपुर में जि**0**प**0**के पूर्ण खड़ंजे से मि**0**ख**0**कार्य
विजेन्द्र पाल सिंह **448312.00**

11 बिथरी चैनपुर में सुन्दरपुर से प्रा**0**स्कूल की ओर मि**0**ख**0**कार्य
नवीद हामिद **201266.00**

12 सिंधाई कायस्थान में मेन खड़ंजा से एकराम के खेत होते हुए राजीव के घर तक मि**0**ख**0**कार्य नवीद हामिद **131167.00**

13 मोहनपुर रास मंे मन्दिर से कब्रिस्तान तक मि**0**ख**0**कार्य
जी**0**एण्ड टी**0**इन्टरप्राइजेज **18230.00**

14 गुनाहट्टू पंचायत घर से बिचपुरी तक मि**0**ख**0**कार्य
जी**0**एण्ड टी**0**इन्टरप्राइजेज **104332.00**

15 प्रेमपुर में नहर की पुलिया से हरहरपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
प्रेम बाबू **99629.00**

16 शाहपुर जी सुखराय में रामपाल के मकान से मिर्जापुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
अखिल कुमार **355019.00**

17 अम्बरपुर में महेश मन्दिर तक मि**0**ख**0**कार्य
मो**0**इसराईल **424633.00**

18 खेमूनगला में देव स्थान से नदी की ओर मि**0**ख**0**कार्य
नन्हें लाल **209082.00**

19 रजपुरी नवादा से कल्याणपुर मार्ग पर लेपन कार्य
राम प्रताप **130673.00**

20 ग्राम बरा सिरसा में पुलिया निर्माण कार्य
रियासत हुसैन **307466.00**

21 ग्राम गैनी अखा मार्ग,ग्राम रफियाबाद से वशीपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
बीना इलेक्ट्रिकल्स **355025.00**

22 कीरतपुर घीरी में सरकारी टयूबवेल से सरदार जाल सिंह के झाले की ओर मि**0**ख**0**कार्य अनिल एसोसियेट **497452.00**

23 करतौली में सरकारी स्कूल के सामने सरकारी तालाब की सुरक्षा दिवार निर्माण कार्य
अनिल एसोसियेट **497925.00**

24 भगवन्तापुर में मेन रोड से ग्राम मढ़ी सुकटिया की ओर लेपन कार्य
अनिल एसोसियेट **497343.00**

25 ग्राम रसूला तालिब हुसैन में गाँव से कब्रिस्तान की ओर लेपन कार्य
हसीन खाँ **452956.00**

26 लखनपुर में नहर की पुलिया से मिलक गौटिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य
ए**0**के**0**ट्रेडर्स **483275.00**

27 इमरती से गौटिया तक मि**0**ख**0** व पुलिया निर्माण कार्य
ए**0**के**0**ट्रेडर्स **110945.00**

28 परसरामपुर झाला से परसरामपुर की ओर लेपन कार्य
मै**0**कुमार एण्ड कम्पनी **321994.00**

29 ग्राम भड़रिया से सिसैया मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य
मै**0**कुमार एण्ड कम्पनी **245762.00**

30 ग्राम घघौरा में पुलिया से भगवन्तापुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **498893.00**

31 नहर से खजुरिया सम्पर्क मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य
कृष्ण मोहन इन्टरप्राइजेज **494549.00**

32 मोहम्मदपुर बकुचिया से असपुरा गाँव के घेरे तक मि**0**ख**0**कार्य
पटेल गर्ग कं**0** **318461.00**

33 ग्राम सहौड़ा में तुलसी राम सैनी के खेत से शमशान भूमि तक मि**0**ख**0**कार्य
पटेल गर्ग कं**0** **442400.00**

34 पीपल गौटिया में श्याम पाल के खेत से टपरा की ओर मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **470485.00**

35 सैदपुर सरोरा से नहर पट्टी सम्पर्क मार्ग पर मि**0**ख**0**कार्य
कृष्ण पाल सिंह **424150.00**

36 बंजरिया में कब्रिस्तान के बाउण्ड्रीवाल के पास आर**0**सी**0**सी**0**पुलिया निर्माण कार्य
कृष्ण पाल सिंह **424781.00**

37 ग्राम बोहित में गौतम महाराज मढ़ी से गाँव की ओर लेपन कार्य
कृष्ण पाल सिंह **499520.00**

38 गुनाहट्टू में बाजार की पुलिया से उत्तर दिशा में पुलिया तक मि**0**ख**0**कार्य
एस**0**एस**0**कं**0** **483840.00**

39 ग्राम गौसगंज मे नरेश के मकान के सामने से कब्रिस्तान तक मि**0**ख**0**कार्य
बालाजी कं**0** **441070.00**

40 पीपल गौटिया से डबरी पर पुलिया व मि**0**ख**0**कार्य

सुरेन्द्र पाल सिंह **476984.00**

41 रजपुरी नवादा से कल्याणपुर मार्ग पर लेपन कार्य

नवीद हमीद **114313.00**

42 धनेटा फाटक पर श्री रामचन्द्र के मन्दिर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

यू**0**के**0**इन्टरप्राइजेज **84350.00**

43 जटौआ से धौरा टांडा मार्ग पर वनिया नदी पर आर**0**सी**0**सी**0** पुलिया निर्माण कार्य

भारत ट्रेडिंग कं**0** **451130.00**

44 ग्राम रजपुरी नवादा मार्ग से डिग्री कॉलेज होते हुए संजीव सक्सेना के घर तक मि**0**ख**0**कार्य हनुमान ट्रेडर्स **499520.00**

45 हरहरपुर मटकली में मि**0**ख**0**कार्य

राकेश कुमार **106266.00**

<u>योग-माह-जुलाई**'2019** **13455472.00**</u>

माह-अगस्त**'2019**

1 क्यारा में लालपुर में डबरी के कुण्डा पर पुलिया एवं मि**0**ख**0**कार्य

प्रमोद कुमार **464238.00**

2 आँवला बदायूँ मार्ग पर धरमपुर के पास नील की कोठी के दक्षिण ग्राम गनेशपुर की ओर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य मै**0**निउ कं**0** **343920.00**

3 जिगनिया भगवन्तपुर में पुलिया से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य

राधे एसोसियेट **454462.00**

4 नवदिया इ**0**सहोड़ा में बड़ी नहर की पुलिया के पास से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य बालाजी कं**0** **485013.00**

5 ग्राम लहिया की पुलिया से खजुरिया श्री राम की ओर अवशेष कार्य

लालकरन **19248.00**

6 खगाई नगर में शमशान घाट की ओर मि**0**ख**0**कार्य

लालकरन **66028.00**

7 रूप पुर में नहर की पुलिया से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य

लालकरन **34027.00**

8 ब्योधन से ग्राम अराजी की ओर मि**0**ख**0**कार्य

लालकरन **90828.00**

9 बझेड़ा से जोगीठेर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

लालकरन **34655.00**

10 सियूली मेन रोड से शमशान की ओर मि**0**ख**0**कार्य

भारत ट्रेडिंग कं**0** **54501.00**

11 अलीनगर में साकिर के खेत से इकराम के घर होते हुए ई**0**लॉ**0**कार्य

भारत ट्रेडिंग कं**0** **97544.00**

12 अलीनगर में अफसर खाँ के घर से जटऊ पट्टी की ओर मि**0**ख**0**कार्य

भारत ट्रेडिंग कं**0** **191732.00**

13 दोहना में मागदेव के खेत से दूल्हे खाँ के खेत तक मि**0**ख**0**कार्य

भारत ट्रेडिंग कं**0** **85984.00**

14 परसूनगला मे ईदगाह की ओर मि**0**ख**0**कार्य

भारत ट्रेडिंग कं**0** **70173.00**

15 खितौला गौटिया से ग्राम के बाहर से राजपाल के खेत की ओर मि**0**ख**0**कार्य

आशा इन्टरप्रा**0** **32352.00**

16 वीरपुर में सुरला की ओर मि**0**ख**0**कार्य आशा

इन्टरप्रा**0** **79711.00**

17 ग्राम गोपालपुर में खितौला मार्ग से नदी तक मि**0**ख**0**कार्य

आशा इन्टरप्रा**0** **42040.00**

18 मवई से मुड़िया तक मि**0**ख**0**कार्य आशा

इन्टरप्रा**0** **22630.00**

19 अत्तूनगला (वीसलपुर) में भगवान दास के मकान से निवटिया नदी की ओर मि**0**ख**0**कार्य विद्याश्री कं**0** **116469.00**

20 टांडा मोतीपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

विद्याश्री कं**0** **226690.00**

21 भमोरा मंे संतोष सैनी की दुकान से लेकर आँवला रोड तक मि**0**ख**0**कार्य

विद्याश्री कं**0** **282562.00**

22 खमरिया गोपडांडी से हरहरपुर की ओर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य

हसीन खाँ **21509.00**

23 सहजनपुर इलाका मेहतरपुर करोड़ से बिहारीपुर सम्पर्क मार्ग की ओर मि**0**ख**0**कार्य

कृष्णा मोहन इन्टर **495076.00**

24 मुड़िया अहमदनगर मेंे मेन रोड से भट्ठे से नहर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

कुमार एण्ड कं**0** **153079.00**

25 पऊलाला में शहबाजपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य

नसीम खाँ **142395.00**

26 राजघाट के पुल के पास तपस्वी विद्यालय की ओर मि**0**ख**0**कार्य

राधे एसोसियेट **98880.00**

27 रजपुरी नवादा में कल्याणपुर मार्ग से बीसलपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
पटेल कं**0** **38510.00**

28 धौरेरा माफी में मस्जिद के पास पूर्व खड़ंजे से ग्राम खजुरिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य
रमेश नारायण गुप्ता **282591.00**

29 ग्राम समुहा में आर**0**सी**0**सी**0**पुलिया का निर्माण कार्य
ए**0**के**0**ट्रेडर्स **87535.00**

30 ग्राम नरही में शमशान भूमि के रास्ते पर खरहा में पुलिया निर्माण कार्य
ए**0**के**0**ट्रेडर्स **288057.00**

31 कं ाधर पुर बर्कली गंज में धर्मप्रकाश के मकान से प्यारेलाल तक मि**0**ख**0**कार्य
नसीम खाँ **17328.00**

32 ग्राम असुआ से लेकर महमूदापुर तक मि**0**ख**0**कार्य
इरतिका कं**0** **25983.00**

33 ग्राम बरूआ हुसैनपुर से नगरिया पुर तक मि**0**ख**0**कार्य
आशा इन्टरप्राइजेज **164098.00**

योग-माह-अगस्त**'2019 5109848.00**

माह-जनवरी'2020

1 क्योलड़िया नहर से भीकमपुर होते हुए लेपन कार्य
श्रीशपाल **380820.00**

योग-माह-जनवरी**'2020 380820.00**

माह-फरवरी'2020

1 वहेली से वंशीपुर मार्ग पर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
ए**0**एम**0**कं**0** **83562.00**

2 रम्पुरा तुलसीराम में गाँव से शमशान भूमि तक मि**0**ख**0**कार्य
ए**0**एम**0**कं**0** **395707.00**

3 मढ़वा से आनन्दपुर पर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
ए**0**एम**0**कं**0** **167959.00**

4 गजनेरा भुता सम्पर्क मार्ग से नहर की पुलिया से पड़ौली खड़ंजा कार्य
राधे एसोसियेट **499280.00**

5 जिगनिया भगवन्तापुर में पुलिया से शमशान भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य
राधे एसोसियेट **409415.00**

6 ग्राम राजपुर कला में स्थित पंचायत भूमि की सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य
ए**0**के**0**ट्रेडर्स **479360.00**

7 ग्राम पेहना में बाबूराम की बैठक से ठिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य
मो**0**इसराइल **490560.00**
8 ग्राम वरगापुर में गाँव से शमशान भूमि तक मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **391361.00**
9 ग्राम मोहम्मदपुर से बालपुर की ओर मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **138501.00**
10 ग्राम खजुरिया में पूर्व निर्मित जि**0**पं**0** के े खड़ंजे से प्रा**0**स्कूल तक मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **31073.00**
11 ग्राम मल्हपुर में रतिराम के खेत से राकेश के घर तक मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **470677.00**
12 ग्राम वैशपुर में ख्याली राम के घर से मरघट तक मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **374080.00**
13 सिथरा धर्मपुर मार्ग पर इ**0**ला**0**कार्य
प्रेम बाबू **497461.00**
14 केसरपुर सिसैया ग्राम से लक्ष्मीपुर तालाब से जयपाल सिंह क घर तक मि**0**ख**0**कार्य
प्रेम बाबू **498400.00**
15 नदेली सकरस से ग्राम अखा की ओर मि**0**ख**0**कार्य
एच**0**एच**0**इन्टरप्राइजेज **237244.00**
16 मिन्तरपुर मं े महेन्द्र सिंह के खेत से नदी होते हुए पूर्व खड़जे बिल भुगतान
एच**0**एच**0**इन्टरप्राइजेज **481978.00**
17 वसुपुरा में हाफिजगंज मार्ग से पूर्व खड़ंजे से सिधौरा मार्ग बिल भुगतान
एच**0**एच**0**इन्टरप्राइजेज **496988.00**
18 कनमन की गौटिया से कनमन रेलवे लाइन की ओर मि**0**ख**0**कार्य
एच**0**एच**0**इन्टरप्राइजेज **445760.00**
19 सिधौरा हाफिजगंज ग्राम से रिछा बिजली स्टेशन डामर रोड तक बिल भुगतान
एच**0**एच**0**इन्टरप्राइजेज **500000.00**
20 कमालपुर गुनु नगला के मध्य में डोरा पर आर**0**सी**0**सी**0** पुलिया निर्माण का भुगतान
अखिल कुमार **500000.00**
21 ग्राम खड़सरा मार्ग से लउआ खेड़ा मार्ग तक मि**0**ख**0**कार्य
रियासत हुसैन **500000.00**
22 ग्राम विशेषपुर में पुराने खड़ंजे से कमालपुर नहर की पुलिया का बिल भुगतान
राकेश कुमार **318344.00**
23 कमालपुर बिहारीपुर मार्ग से लुडरिया की ओर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
खूबचन्द शर्मा **259616.00**

24 ग्राम पंचायत परसौना में गाँव के बाहर से नाला निर्माण का बिल भुगतान
नवीद हामिद **482718.00**
25 वसंतपुर खरगपुर मार्ग से भिटौरा की ओर नहर की पुलिया का बिल भुगतान
कृष्णा मोहन इन्टरप्रा**0** **497892.0**0
26 ग्राम कीरतपुर धीरी में पिपस्थरा शाहपुरा वनियान मार्ग बिल भुगतान
हसीन खाँ **426070.00**

योग-माह-फरवरी’**2020** **10074006.00**

माह-मार्च’**2020**

1 ग्राम याकुबपुर मंे सरदार सिंह के घर तक मि**0**ख**0**कार्य
राजेश कुमार **470479.00**
2 ग्रा**0**पं**0**वड़ेपुरा से वमनपुरी शमशान भूमि की पुलिया तक मि**0**ख**0**कार्य
राधे एसोसियेट **451021.00**
3 ढकनी से जाकिब अली के खेत से वकील अहमद तक मि**0**ख**0**कार्य
जय अम्बे **498462.00**
4 गौटिया अहमदनगर में सरकारी नल शमशान की भूमि की ओर मि**0**ख**0**कार्य
अली हसन **394240.00**
5 ग्राम पदमी में मेन रोड से गाँव तक मि**0**ख**0**कार्य
अली हसन **340256.00**
6 राजूनगला तिलमाची मार्ग पर होरीलाल के खेत से फतेहचन्द शर्मा के खेत तक मि**0**ख**0**कार्य -
7 ग्राम तिगरी में ईदगाह से तालाब तक मि**0**ख**0**कार्य
अली हसन **359520.00**
8 ग्राम दुर्गापुर में शवदाह गृह की ओर अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **208040.00**
9 ग्राम घौर सतुईया से मुबारक पुर तक अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **393691.00**
10 ग्राम भंडसर में राम लाल भगत के खेत से मंजू के खेत तक मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **468597.00**
11 ग्राम होलीनगला में अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **261658.00**
12 ग्राम पुरनापुर में बरेली बीसलपुर मार्ग से नहर तक मि**0**ख**0**कार्य
प्रमोद कुमार **482720.00**

13 बरेली बदायूँ मार्ग पर चाड़पुर देवस्थान से रफियाबाद तक लेपन कार्य
अखिल कुमार **367360.00**
14 ग्राम सहोड़ा मंे भुड़ासी मार्ग पर मेवाराम सैनी के खेत से सहोड़ा भुड़ासी कच्चा मार्ग तक मि**0**ख**0**कार्य तिरूपति कं**0** **436694.00**
15 शंकरपुर से डंडिया नवाजिस अली की ओर मि**0**ख**0**कार्य
ए**0**पी**0**कं**0** **497356.00**
16 जटौआ से जाफरपुर तक खड़ंजे पर लेपन कार्य
नईम खान **499520.00**
17 मण्डनपुर मंे गाँव से शमशान भूमि तक अवशेष मि**0**ख**0**कार्य
बीना इलेक्ट्रिकल्स **112661.00**
18 ककराकला प्रधान के टयूबवेल से गाँव तक मि**0**ख**0**कार्य
बीना इलेक्ट्रिकल्स **499520.00**
19 शिवनगर से ग्राम अजमेर की ओर मि**0**ख**0** व पुलिया निर्माण कार्य
अनिल एसोसियेट **335388.00**
20 कोटा मक्खन मार्ग से भंडरिया मार्ग की ओर मि**0**ख**0**
साजिद **499022.00**
21 धन्तिया से टयूलिया की ओर मि**0**ख**0**कार्य
सुरेन्द्र पाल सिंह **244638.00**
22 ग्राम ज्योतिजागीर में नाला निर्माण कार्य
आस्था ट्रेडर्स **94225.00**
23 हरसूनगला में चक्की डेरा से नदी घाट तक मि**0**ख**0**कार्य
ग्लोबल कं**0** **316512.00**
24 नवादा इमामाबाद में गाँव से डंडिया मिश्रा रोड तक मि**0**ख**0**कार्य
राजेश कुमार **499520.00**

योग-माह-मार्च**'2020** **9191980.00**

सर्व योग-माह अप्रैल**'2019** से माह मार्च**'2020** तक **10,07,51,118.00**

उपरोक्त विवरणानुसार जिला पंचायत के कार्यक्षेत्र के भीतर का प्रमाण पत्र संलग्न किये बिना ही **10,07,51,118.00** का निर्माण कार्य का भुगतान करना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकारलेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष में जिला पंचायत के प्रयोग हेतु गाड़ी के किराये का कुल **247333.00** का भुगतान किया गया है। जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ है।

क्रम	प्रमाणक सं0/दिनांक	माह	धनराशि
	प्राप्त कर्ता		
1	**91/1.20**	जुलाई'**19** से नवम्बर'**19** तक	**177333.00**
	एन**0**पी**0**एग्रो		
2	**96/3.20**	दिसम्बर'**19** जनवरी'**20**	**70000.00**
	नवरत्न इन्टरप्राइजेज		
		योग-	**247333.00**

(अ) किराये के अनुबन्ध का नवीनीकरण कराया गया है या नहीं इससे सम्बन्धित कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा।

(ब)किये गये कुल भुगतान **247333.00** पर **2** प्रतिशत की दर से **4946.00** की आय कर की कटौती नहीं की गई है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकारलेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

वर्ष आलोच्य में स्टेशनरी क्रय एवं छपाई पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है। लेकिन प्रमाणकों पर स्टेशनरी पंजिका,एवं प्रयोग योग्य स्टेशनरी पंजिका के पृष्ठ संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। विवरण इस प्रकार है।

क्रम	प्रमाणक सं0/दिनांक	धनराशि	विवरण
प्राप्त कर्त्ता			
1	**44-49/28.8.19**	**24505.00**	प्रपत्र छपाई
ए**0**के**0**ट्रेडर्स			
2	**50-52/28.8.19**	**14840.00**	प्रयोग योग्य स्टेशनरी
	अरोरा बुक डिपा,बरेली		
3	**61-66/22.11.19**	**27732.00**	प्रयोग योग्य स्टेशनरी
	एन**0**के**0**प्रिन्टिंग सेन्टर,बरेली		
4	**67-68/22.11.19**	**9997.00**	लेखन सामग्री
भारत स्टेशनरी मार्ट			
5	**83/21.1.20**	**4975.00**	लेखन सामग्री
भारत स्टेशनरी मार्ट			

6	**2,3/13.2.20**	**8621.00**	प्रयोग योग्य स्टेशनरी
	भारत स्टेशनरी मार्ट		
7	**36/27.2.20**	**2152.00**	प्रयोग योग्य स्टेशनरी
	ए**0**एम**0**ए**0**		
8	**85-95/27.2.20**	**49060.00**	प्रयोग योग्य स्टेशनरी
	एन**0**के**0**प्रिन्टिंग सेन्टर,बरेली		
	योग-	**141882.00**	

(अ) उपरोक्त विवरण के आधार पर एन**0**के**0**प्रिन्टिंग सेन्टर को **76792.00** का भुगतान किया गया है। इस संस्था से किये गये अनुबन्ध के सम्बन्ध में स्थिति अज्ञात रही। अनुबन्ध या लिये गये कोटेशन (तीन दुकानों से) की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भुगतान की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव में भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ब) क्रमांक **7** पर अंकित स्टेशनरी का भुगतान ए**0**एम**0**ए**0**को किये जाने के सम्बन्ध में भी स्थिति अज्ञात रही।

प्रस्तर-19

संख्या **1443-44/21-54/2000-01,**उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम'**1961** की धारा **143** के साथ पठित धारा **239(2)** के अन्तर्गत जिला पंचायत बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्ठा,टाइल्स,खपड़ा/चूना तथा सुर्खी आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्येश्य से उपविधि बनाई गई थी। इसके उपरान्त संशोधित अधिनियम'**1994** की धारा **240** के अन्तर्गत प्रचलित उपविधि में निर्धारित शुल्क में संशोधन कर प्रस्ताव सं**0 4597-48/**इक्कीस-**07/2017-18** जिला पंचायत बरेली द्वारा पास किया गया। यह संशोधित उपविधि दिनांक **2** मार्च **2019** को गजट में प्रकाशित एवं लागू हुयी। जिसके अनुसार जिला पंचायत में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लाइसेंस शुल्क की वसूली हेतु नयी दरें लागू की गई थी। सम्बन्धित शासनादेश में बाजारों के छोटे-बड़े दुकानदारो से टैक्स लिया जाता है तथा उसके एवज में मूलभूत सुविधाएँ यथा नाली,सड़क,पानी,लाइट,व सफाई आदि की सुविधा प्रदान की जानी थी। उक्त शासनादेश के अनुपालन में जिला पंचायत द्वारा दिनांक **28.4.2018** की बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि शासनादेश में वर्णित समस्त सुविधाएँ दुकानदारों को प्रदान की जाएगी। कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत,बरेली की लेखा परीक्षा में देखा गया कि जिला पंचायत द्वारा वर्ष **2019-20** में निम्न विवरणानुसार ग्रामीण दुकानदारों से किराया वसूला गया था।

क्रम	वर्ष	संस्था	कुल सं**0**	संस्था जिन से शुल्क वसूल किया गया	शेष रही संस्था	लाइसेंस शुल्क की नई दर	शुल्क वसूलना रहा

1	**2019-2020**	पेट्रोल पम्प	**123**	**81**	**42**	**4000.00**	**168000.00**
2	**2019-2020**	राईस मिल	**70**	**55**	**15**	**5000.00**	**75000.00**
3	**2019-2020**	ईंट भट्ठा	**337**	**295**	**42**	**10000.00**	**420000.00**
		योग-	**530**	**431**	**99**	**19000.00**	**663000.00**

उपरोक्त विवरणानुसार जिला पंचायत,बरेली द्वारा पेट्रोल पम्प,राईस मिल,और ईंट भट्ठों के व्यवसायों से लाइसेंस शुल्क के रूप में कुल **6.63** लाख की वसूली नहीं की गयी थी। अग्रेतर पाया गया कि जिन व्यवसायों से लाइसेंस वसूला गया था,उनके विरूद्ध न तो चालान की कार्यवाही की गयी थी,और न ही उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम**'1961** की धारा **240** के अधीन लाइसेंस शुल्क वसूल किये जाने से संबंधित उपविधि का उल्लंघन किये जाने पर अर्थदण्ड के प्राविधान के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गयी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस प्रकरण को इंगित करने पर जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि जिन व्यवसायों से लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं हो पायी है,उनके विरूद्ध चालान की कार्यवाही की जा रही है। जिला पंचायत का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि अभी तक ईकाई द्वारा न तो चालान की कार्यवाही की गयी थी,और न ही लाइसेंस मद में कोई लंबित वसूली दर्शायी जा रही थी। अतः विभिन्न व्यवसायों से लाइसेंस शुल्क मद में वसूली न किये जाने के कारण **6.63** लाख की राजस्व हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं जिनके विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न संस्थाओं से किराये की वसूली की गई है। लेकिन पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है।

जैसे,दर,महीना,या वर्ष।

क्रम	नाम संस्था	धनराशि	माह	अभ्युक्ति
1	गोदाम जि**0**पं**0**परिसर दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं	**27664.00**	जून	
2	उपनिदेशक ,अर्थ एवं संख्या दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं	**8700.00**	जून	
3	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	**2400.00**	जून	दर की पुष्टि नहीं

4	अर्बन बैंक नवाबगंज	**58593.00**	जुलाई	दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं
5	डी**0**सी**0**बी**0**श्यामगंज	**86400.00**	जुलाई	दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं
6	गाँधी आश्रम,बहेड़ी	**231335.00**	दिसम्बर	दर,महीना वर्ष अंकित नहीं
7	दुकान नं**0-46** फरीदपुर	**93600.00**	सितम्बर'**19**	दर,महीना, वर्ष अंकित नहीं
8	जि**0**प**0**ंगोदाम नं**0-06**	**91800.00**	सितम्बर'**19**	दर,महीना, वर्ष अंकित नहीं
9	बैंक ऑफ बडौदा	**1200.00**	जनवरी'**20**	दर की पुष्टि नहीं

कुल योग- **601692.00**

उपरोक्त विवरण के आधार पर पूर्ण विवरण अंकित किये बिना ही **601692.00** का भुगतान किया गया है। जिससे यह अज्ञात रहा कि वसूल की गई धनराशि सही ली गई है,कम ली गई है,या अधिक ली गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत वर्ष-2020-21

प्रस्तर-21

ई ग्रामस्वराज पोर्टल के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत बरेली में वर्ष-2019-20 में अंतिम शेष रू0 4894.95 लाख दर्शाया गया था परन्तु 2020-21 में प्रारंभिक शेष रु० 4312.86 लाख दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार दोनों धनराशियों में रू0582.09 लाख का अंतर परिलक्षित हो रहा है। उक्त अन्तर के कारण के रूप में लेखाकार द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: बिना किसी औचित्य के अंतिम शेष से प्रारम्भिक शेष में रू0 582.09 लाख से कम धनराशि का अंकन गम्भीर अनियमितता का विषय है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-22

दिनांक 10-04-2020 को प्रमाणक संख्या 20 से रुपया दस लाख, दिनांक 11-04-2020 को प्रमाणक संख्या 21 से रुपया दस लाख तथा दिनांक 13-04-2022 को प्रमाणक संख्या 22 से रुपया दस लाख कुल 30 लाख रूपये का भुगतान उ० प्र० कोविड-19 केयर फण्ड भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ के खाते में आर० टी० जी० एस० के माध्यम से भुगतान किया गया है। लेकिन उक्त भुगतान से सम्बंधित प्रस्ताव / आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करके अनियमितता की गयी है, जिसके लिए लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता तथा अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-23

दिनांक 05-05-2020 को गाड़ी संख्या यू० पी० 25 बी ०एस० 0077का प्रमाणक संख्या 72 से रुपया 15690.00, प्रमाणक संख्या 73 से रुपया 16428.00 तथा प्रमाणक संख्या 74 से रुपया 15284.00 कुल रू47402.00 0 का भुगतान सैनिक सर्विस स्टेशन को डीजल का भुगतान किया गया, लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त गाड़ी के अनुबंध की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही जो गम्भीररूपसे आपत्तिजनक एवं अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-24

आलोच्य वर्ष 2020-21 में निम्न विवरण के अनुसार कांजी हाउस में गोवंश के भरण पोषण के लिए भूसा चोकर आपूर्ति का भुगतान किया गयाहै।.

क्र0सं0	स्थान	ठेकेदार	प्रमाणक सं0/दिनांक	धनराशि
1	दलेलनगर	आकाश	171/23-06-2020	4650.00
2	बरौर	आदर्श कुमार	17/23-06-2020	3720.00
3	राजपुर कला	दीपक	122,123,124,125/17-06-2020	26650.00
4	कुण्डरा कोठी	तमीजुद्दीन	169,170/23-06-2020	10900.00
5	कुड्डा	सुरजीत कुमार	126,127/17-06-2020	57452.00
	योग			103372.00

उक्त किये गए भुगतान में पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 313(1) सैंतीस -2-2018-5(53)/टी० सी० आई० दिनांक 11-02-2019 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है क्योकि जिला पंचायत के किसी अधिकारी द्वारा गोवंश की संख्या का सत्यापन नहीं कराया गया है जबकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सत्यापित संख्या के आधार पर ही भरण पोषण का भुगतान ठेकेदार को किया जाना था।

(अ) उपरोक्त शासनादेश के अनुसार चौकीदारी की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ब) मौसमी चारा एवं उसकी गुणवत्ता का कोई प्रमाण नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त कोई स्टाक रजिस्टर भी नहीं रखा गया है।

(स) उपरोक्त शासनादेश के अनुसार बिना कोई अनुबंध किये ही उक्त ठेकेदारों को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अतः किया गया समस्त भुगतान रुपया 103372.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-25

जिला पंचायत द्वारा निम्नलिखित मार्ग निर्माण की सामान्य जमानत राशि दिनांक 09-09-2020 को वापस की गई है जैसे-

1-मुंडिया मार्ग निर्माण की वापसी रू० 44000.00
2-हसनपुर मार्ग निर्माण की वापसी रू० 27000.00
3-सुकटीया मार्ग निर्माण की वापसी रू० 80100.00
4-अलीनगर मार्ग निर्माण की वापसी रू० 38560.00
5-बझेडा मार्ग निर्माण की वापसी रू० 40000.00
योग - 229660.00

उक्त जमानत वापसी की पुष्टि में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमानत राशि कब प्राप्त हुयी थी? ठेकेदारों का कोई दायित्व लम्बित तो नहीं है? उनके द्वारा किया गया निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है या नहीं? उक्त की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वापसी बिल के साथ संलग्न किया जाना चाहिये। प्रकरण गम्भीर अनियमितता का है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि मृत पशु शव निस्तारण समितियों से 20000.00 की आय हुई लेकिन उ० प्र० सरकार के शासनादेश संख्या 682/पी० /33.3.14(2)84 दिनांक 10.31987 पत्रांक 2203/3.2.797-43बी (8) टी० सी० दिनांक 30.5.1997 पत्रांक 2967/1132.2.2002/15 दिनांक एवं पत्रांक बी/4-02 दिनांक 7.10.202 एवं पत्रांक 3/138/2001-03/85 दिनांक 13.2.2004 द्वारा जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि मृत पशु शवनिस्तारण समितियों से प्राप्त आय का आधा भाग जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें, तथा अब तक समस्त बकाया धनराशि का अबिलम्ब भुगतान किया जाये। लेकिन वर्ष में प्राप्त 20000.00 का आधा भाग 10000.00 ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है, अर्थात उक्त शासनादेश का पालन न करते हुए रुपया 20000.00 को जिला पंचायत के खाते में ही रखकर गंभीर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27

दिनांक 08-01-2021 को व्यय प्रमाणक संख्या 17,18,19,20,21 से क्रमशः रुपया 5930.00, 2835.00, 4253.00, 2835.00, 2844.00 कुल 18697.00 का भुगतान कार्यालय में लगे जनरेटर के डीजल हेतु सैनिक सर्विस स्टेशन को किया गया लेकिन लेखा परीक्षा में जनरेटर की लाग बुक उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे उक्त की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28

त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग में अवशेष धनराशि ब्याज 0.26 लाख पड़ी हुयी है. इस समय पन्द्रहवां वित्त आयोग का कार्य कराया जा रहा है तथा ब्याज प्राप्ति की स्थिति क्या है बैंक पासबुक से पुष्टि नहीं कराया गया, योजना बंद हो चुकी है। तथा त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के अंतिम अवशेष में योग नहीं करके घोर लापरवाही की गयी है उक्त धनराशि को रोके रखना भी गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-29

उ०प्र०सरकार के शासनादेश संख्या-866/23-2-14-93जी/2004/पंचायती राज अनुभाग3/लखनऊ दिनाँक 24- 06-2014 द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुसार जिला पंचायतों द्वारा दो या दो से अधिक क्षेत्रपंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराना था। शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि कतिपय ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है परन्तु ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य अपने द्वारा कराया गया

दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है जो कि अनुचित है जिसके कारण वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है अतः पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

परन्तु जिला पंचायत में वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से कराये गये अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर ही अधिकांशतः खड़न्जा निर्माण एवं मरम्मत, नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, सी०सी० रोड निर्माण, मार्ग लेपन आदि के रूप में बनाये गये हैं जो कि शासनादेश की व्यवस्था के विरूद्ध हैं। शसनादेश का पालन कड़ाई से किया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियंता, अवर अभियंता उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्य का नाम और प्रकार	व्यय धनराशि
1	भदपुरा के ग्राम बरगापुर से गोपालपुर संपर्क मार्ग पर मि० ख० कार्य	496160.00
2	ग्राम लाईखेड़ा मार्ग सैदपुर के खडंजे तक से मि० ख० कार्य	494368.00
3	ग्राम सोरहा में दाताराम के खेत से महेंद्रपाल गंगवार के खेत तक मि० ख० कार्य	487200.00
4	कार्य भपुरा के ग्राम दैहना में में बाबुराम की बैठक से ढल्लिया की और मि० ख ०	322703.00
5	अरसियाबोझ से दोपहरिया तक अवशेष मि० ख० कार्य	153552.00
6	सिटी जागीर में नहर से सुरजीत सिंह के सामने मि० ख० कार्य	401744.00
7	दोपहरी के सीड प्लांट के पास जसपाल के खेत नाला तक मि० ख० कार्य	499520.00
8	फसिलपुर से सुरेन्द्र के फार्म तक मि० ख ० कार्य	375984.00
9	ग्राम बकैनिया में में पानी टंकी की और मढ़ी तिराहे तक मि० ख० कार्य	358400.00
10	बिथरी ग्राम पुरनापुर बरेली बीसलपुर नहर तक मि० ख० कार्य	124341.00
11	बिथरी चैनपुर के ग्राम मन्नपुर में रतिराम के खेत से राकेश के खेत मि० ख० कार्य	174317.00
12	बिथरी चैनपुर के ग्राम बैरपुर के खयाली राम लेबर से मरघट तक मि० ख० कार्य	70687.00
13	भड्सर में रामपाल के खेत से मंजू के खेत तक मि० ख० कार्य	286312.00
14	भगवान धीमरी में होली चौराहा से नदी तक मि० ख० कार्य	499520.00
15	बसुपुरा में हाफिजगंज मार्ग से पूर्व खडंजे से सिधौरा मार्ग की और मि० ख० कार्य	316624.00
16	कनमन की गौटिया से कनमन रेलवे लाइन की और मि० ख० कार्य	355712.00
17	आ०जा० में बयोना शादीपुर से गंगापुर गौटिया तक मि० ख० कार्य	155456.00
18	शेरगढ़ के ग्राम कमालपुर गखु नगला के मध्य जाने वाले मार्ग पर अतिरिक्त जल निकासी	497820.00
	योग	**6070420.00**

प्रस्तर-30

दिनांक 03-11-2020 को व्यय प्रमाणक संख्या 1 से रुपया 152845.00 का भुगतान यू० पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि० लखनऊ को किया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज अनुभाग-2 उ० प्र० शासन के पत्र संख्या 1748/33-2020-56जी / 17 दिनांक 17-09-2020 के क्रम में निविदा शुल्क वर्ष 2017-18 व 2018-19 का भुगतान यू० पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि० लखनऊ को किया गया है, लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त पत्र प्रस्तुत न करने से किये गए भुगतान की पुष्टि न की जा सकी । अत: पुष्टि के अभाव में भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-31

दिनांक 22-10-2020 को व्यय प्रमाणक संख्या 157 से रुपया 24482.00 का भुगतान अपर मुख्य अधिकारी की गाड़ी का माह सितम्बर 2020 के डीजल की आपूर्ति का सैनिक सर्विस स्टेशन को किया गया, लेकिन लेखा परीक्षा में गाड़ी की लाग बुक की छाया प्रति उपलब्ध न करने से किये गए भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। अत: पुष्टि के अभाव में भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32

दिनांक 10-06-2020 को व्यय प्रमाणक संख्या 21 से रुपया 34598.00 का भुगतान शासन के पत्र संख्या 275टी /33-सेल-2019.341/004 दिनांक 3 अप्रैल 2020 के अनुक्रम में शासन में लगी गाड़ी का किराया संजीवनी इंटरप्राइजेज को किया गया है। शासन में लगी गाड़ी के किराया के भुगतान से सम्बंधित पत्र लेखा परीक्षा में पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया जो आपत्तिजनक है एवं भुगतान अपुष्टित रहा। अत: पुष्टि के अभाव में भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-33

दिनांक 22-03-2021 को व्यय प्रमाणक संख्या 44 से रुपया 4250.00 का भुगतान राजन पाराशरी वनाम अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बरेली की अधिवक्ता फीस शम्स तबरेज को किया गया है। जिला पंचायत और अधिवक्ता के मध्य किये गए अनुबंध की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं होने से किये गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अनुबंध की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। प्रकरण गम्भीर अनियमितता का है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत वर्षः-2021-2022

प्रस्तर-34

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मृत पशु शव निस्तारण समितियों से 247900.00 की आय हुई है। लेकिन उ0प्र0सरकार के शासनादेश संख्या 682/पी0 /33.3.14(2)84 दिनांक 10.3.1987,पत्रांक 2203/3.2.797-43 बी (8) टी0सी0दिनांक 30.5.1997 पत्रांक 2967/1132.2.2002/15बी/4-02 दिनांक 7.10.2002 एवं पत्रांक 3/138/2001-03/85 दिनांक 13.2.2004 द्वारा जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था,कि मृत पशुश्शव निस्तारण समितियों से प्राप्त आय का आधा भाग (50) जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें, तथा अब तक समस्त बकाया धनराशि का अविलम्ब भुगतान किया जाये। लेकिन वर्ष में प्राप्त 123950.00 का आधा भाग 61975.00 ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है। अर्थात उक्त शासनादेश का पालन न करते हुए 123950.00 की धनराशि जिला पंचायत के खातें में ही रखी गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-35

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ए0एम0ए0की किराये की गाड़ी का 369400.00 के किये गये भुगतान पर 7388.00 आय कर होता है। जिसे आय कर केखाते में जमा कराया गया है या नहीं,कोई चालान या विवरण उपलब्ध नहीं रहा। इसके अतिरिक्त किराये की गाड़ी का अभिषेक पाठक से किये गये अनुबन्ध का नवीनीकरण कराया गया है या नहीं, कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा। इसके अतिरिक्त माह दिसम्बर'21 से किराये में की गई 1800.00 की बढ़ोतरी सम्बन्धी प्रस्ताव या अनुबन्ध लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहा। यह

स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36

वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के किराये की गाड़ी का माह नवम्बर एवं दिसम्बर'21 का कुल किराया 73000.00 का भुगतान मै0मंगलम को किया गया है। लेकिन 2 प्रतिशत की दर से आय कर 1460.00 की कटौती कर आय कर खाते में जमा किये जाने सम्बन्धी कोई विवरण या चालान लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे 1460.00 के जमा किये जाने की स्थिति अज्ञात रही। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37

ज़िला पंचायत बरेली द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 मे कराये गए निर्माण कार्य के पत्रवालियों की जांच में निम्न कमियाँ पाई गई ।

1-शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 टी0सी0दिनांक 24.06.2014 एवं शासनादेश दिनांक 12.1.2005 द्वारा अनियमितता/भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी को रोकने के उद्येश्य से क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य दर्शित किये जाने पर प्रतिबंध है। क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने पर प्रतिबंध है,क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने से ग्राम पंचायत द्वारा इसका निर्माण कार्य अपने द्वारा कराया गया दर्शा कर भुगतान प्राप्त करने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए जिला पंचायत को दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित कराया जाना चाहिए। ऐसा किया गया है या नहीं,इस आशय का प्रमाण पत्र वर्ष आलोच्य 2021-2022 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं किया गया है।

2-जिला पंचायत बरेली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई निर्माण कार्य पत्रावलियों में प्रयुक्त सामग्री आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने वाले बैध रवन्ना एवं रायल्टी (राजस्व) के जमा की पुष्टि मे जमा चालान उपलब्ध नही पाये गये। पूरी पत्रावली में नोट सीट से लेकर, कही भी इस सम्बन्ध में एक भी शब्द लिखा नही पाया गया। जबकि शासनादेशो के अनुसार ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्ण बैघ रबन्ना एवं रायल्टी (राजस्व) जमा चालान प्राप्त करना/सुनिश्चित किये जाने का निर्देश है।

1-शासनादेश सं0 594/77-5-2001-2002/77 टी0सी-1 दि0 2 फरवरी 2001

2-सं0 3891/77-5-2002-1(216) /93 दि0 05 अगस्त 2002

3- सं04020/77-5-2003-1(216)/93 दि0 12.08.2003

4-4951-(11) /77-5-06-506/06 दिनाकं 05 10.2006

उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित है कि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उप खनिज यथा गिटटी,बालु,मोरंग आदि की आपूर्ति रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (एम0एम11)के अधार पर ही सुनिश्चित की जाये।रायल्टी जमा के प्रमाण में ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जायेगी।यदि ठेकेदारो से रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये बगैर भुगतान कर दिया जाता है तो भुगतानकर्ता उत्तरदायी होगा।शासनादेश 15.10.2015 में यह भी उल्लिखित है कि निर्माण कार्य में यदि उप खनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम11) एवं एम0एम0सी के किया जाता है तो प्रयुक्त उप खजिनजो की रायल्टी के साथ साथ खनिज मूल्य(समान्यतः खनिज मूल्य का 5 गुणा)की कटौती ठेकेदारों के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक0853-अ-लौहखनन तथा धातुकर्म उधोग-102-खनिज रियायत शूल्क किराया और स्वत्व शूल्क में जमा करा लिया जाये

सन्दर्भ शासनादेश

शासनादेश सं0 3385/86-2015-292/2015 दि0 15.10.2015

3-प्राकंलन के साथ प्रयुक्त होने वाले उप खनिज की मदवार मात्रा श्रमांश की धनराशि नियमानुसार देय रायल्टी का आकंलन अवर अभियन्ता द्वारा संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि सुगमता पूर्वक निर्माण कार्यो से सम्बन्धित नान टेक्निकल लोग यथा अध्यक्ष/ए0एम0ए/बी0पी0डी/लेखाकार और अन्य सम्बन्धित अधिकारी जान सके कि सम्बन्धित निर्माण कार्य पर कितनी मात्रा में कौन कौन सी उप खनिज प्रयुक्त होती है,कितना श्रमाशं लगना है और कितना राजस्व/रायल्टी देय है और कार्य के दौरान उचित मात्रा में सामग्री प्रयुक्त हुई या नही,रायल्टी जमा कराई गई कि नही,रवन्ना आया कि नही ज्ञात हो सके।निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राकंलन/इस्टीमेट में मात्र धनराशियों का आकंलन किया गया है।कितनी मात्रा में उप खनिज प्रयुक्त होना है और उसपर नियमानुसार देय रायल्टी कितनी होती है कही भी इसका आकंलन किया ही नही गया है।

4-निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा पी0डब्लु0डी/आर0ई0एस/मण्डी परिषद/गन्ना परिषद/ग्राम पंचायतें/क्षेत्र पंचायतें से इस आशय की अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिये थी कि इन भागो के किसी भी भाग पर उनके द्वारा पूर्व में कार्य तो नही कराया गया हैअथवा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।उपरोक्त किसी भी व्यवस्था/निर्देश का अनुपालन जिला पंचायतों द्वारा नही किया गया है।

5-ठेकेदारों को भुगतान 2 या 3 बार में पार्ट पेमेन्ट कराया गया है और पेमेन्ट के समय मात्र यह टिप्पणि की गई है कि अवर अभियन्ता द्वारा कार्य प्रगति पर बताया गया हैं।अवर अभियन्ता से इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की गई कि कितना कार्य हो गया है , कितना लेबर/श्रमांश पर खर्च हो चुका है , कितना उप खनिज गया है और कितना उपभोग हो चुका है और उप खनिज आपूर्ति से सम्बन्धित रायल्टी जमा चालान और परिवहन रवन्ना (एम0एम 11) प्राप्त हो गया है जबकि उक्त आशय की आख्या और रायल्टी जमा चालान रवन्ना की प्रति के साथ रिपोर्ट प्राप्त करके पत्रावली में उसका उल्लेख व संज्ञान लेते हुए ही भुगतान किया जाना चाहिये परन्तु किसी भी पत्रावली में रायल्टी और रवन्ना के सम्बन्ध में एक शब्द कही लिखा नही पाया गया और बिना संज्ञान लिये ही सारे भुगतान कर दिये गये है।

6-निविदा प्रक्रिया में कमियाँ. नियमों एवं प्रक्रियाओं को कड़ाई से पालन करना न केवल भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करता है बल्कि व्यवस्था में आवश्यक पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है।लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायतों में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के निविदा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। निविदा पत्रावलियों की जाँच की गयी थी, कार्य के प्राक्कलनए निविदा सूचनाए निविदा अभिलेखए निविदा खोलनाए निविदा दरोंपर कार्य आदेश निर्गत करना एवं अनुबन्ध करना और प्रतिभूति निष्पादन गारण्टी सूचित करने से संबंधित सूचनाए पतरवाली मे संग्रहीत नहीं की गई है ।

7- शासनादेश के अनुसार यदि निर्माण हेतु मिटटी दूर से लायी जाती है तो उसके लिये एल सेक्शन व क्रास सेक्शन अनिवार्य रुप से बनाना चाहिये तथा उसे इस्टीमेट में संलग्न कर देना चाहिये ।दुर से मिटटी विशेष परिस्थितियों में लाया जाना चाहिये ।शासनादेश के अनुसार जिस क्षेत्र से भी मिटटी लायी जाती है वो एरिया शजरा प्लान अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत होना चाहिये परन्तु लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नही रहा इस प्रकार निर्माण कार्यो में नियमों का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट रहा है जिसके लिये अभियन्ता/अवर अभियन्ता जिम्मेवार है।

8-प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने परिपत्र सं0 4619एम टी/2012-13 दिनांक 29 06.2013 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सी0सी0 मार्ग निर्माण के फाउन्डेशन में सब वेस कार्य में आई0आर0सी एस0पी0 62-2004 के अनुसार डब्लू.बी.एम या जी0एस0बी की न्यूनतम 7.5 से0मी0 काम्पैक्टेड मोटाई डाली जायेगी।फाउन्डेशन में सब वेस कार्य के बाद 125 माइक्रेन मुटाई की पालीशीट बिछाने के बाद एम-30 ग्रेड का पी0सी0सी जुडा स्लैब 1:2:4 के अनुपात में 15 से0मी0 मोटाई में कराकर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराया जायेगा तथा निर्माण में प्रयुक्त कंक्रीट के कोर सैम्पिल का परीक्षण अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता की देख रेख में सरकारी प्रयोगशाला में कराकर ही ठेकेदारों को भुगतान किया जायेगा ।ऐसा

किया जाना स्पष्ट नही रहा।जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में करीब एक चैथाई कार्य सी0सी0 रोड निर्माण कार्य किया गया है जिसपर डब्लू.बी.एम या जी0एस0बी से सम्पादन के स्थान पर 1:6:12 मिश्रित सामग्री के उपयोग से कार्य कराया गया इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा कराये गये सी0सी0 रोड निर्माण कार्य प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्देशित आई0आर0सी0एस0पी62-2004 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत न कराये जाने के कारण किए गए व्यय की औचित्यतता स्पष्ट नहीं रही।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बरेली जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो में प्राकंलन(इस्टीमेट) उप खनिज की मात्रा और श्रमांश आदि की गणना करते हुए मात्रा एवं मूल्य के क्रम में देय रायल्टी आदि का स्पष्ट आंकलन करते हुए प्राकंलन(इस्टीमेट) अवर अभियन्ता से प्राप्त नही किया गया है। निर्माण कार्यो में प्रयुक्त हुई उप खनिजों गिटटी,बालु, मोरगं आदि की आपूर्ति की पुष्टि में वैध रवन्ना नही पाया गया। उप खनिजों पर देय रायल्टी की पुष्टि में ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति भी नही पायी गई।यहा तक की किसी भी पत्रावली में देय रायल्टी एवं रवन्ना के सम्बन्ध में नोट शीट से लेकर कही भी कोई टिप्पणि/उल्लेख भी नही पाया गया जबकि इसको प्राप्त किये बिना ठेकेदारो को भुगतान नही दिया जाना था। अधिकांश दर्शित निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर सी0सी रोड एवं लेपन कार्य है जबकि इन संस्थाओं द्वारा कम से कम दो क्षेत्र पंचायतों को लाभ पहूॅचाये जाने वाले कार्य ही कराये जाने थे।निर्माण कार्य पत्रावलियों में पी0सी0आर(प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) संलग्न नही पाये गये और न ही नोट शीट में कार्य समाप्त होने की कोई टिप्पणी ही पाई गई।जनपदो में अन्य कार्यदायी संस्थाए भी है यथा पी0डब्लु0डी,आर0ई0एस,गन्ना सघं मण्डी समिति आदि।इन संस्थाओं से अनापत्ति नही प्राप्त की गई है।ऐसे में यह भी पुष्ट नही किया जा सकता है कि दर्शित निर्माण कार्य जिला पंचायत द्वारा ही कराया गया है अथवा अन्य किसी कार्यदायी संस्था ,द्वारा।

उपरोक्त के आलोक में दर्शित निर्माण कार्य जिला पंचायत द्वारा ही कराये गये है।कार्य वास्तव में हुए भी है अथवा नही यह संदिग्ध है।मूल रुप से क्योकि दर्शित निर्माण कार्यो में प्रयुक्त की गई सामग्री(उप खनिज) की आपूर्ति कहाँ से की गई।सामग्री आई की नही ,आपूर्ति हुई अथवा नही वैध रवन्ना व रायल्टी जमा चालान के अभाव में अपुष्ट व संदिग्ध है।अभियन्ताओं द्वारा प्राकंलन कों स्पष्ट तौर से प्रयुक्त होने वाली उप खनिज की मात्रा ,मद और मजदुरी का उल्लेख न करके गोल मोल तकनीकी भाषा में उपलब्ध कराया गया था।अतएव इनसे संस्थावार निर्माण कार्य में व्यय धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार कितनी सामग्री उपभोग होती व उसपर कितनी रायल्टी देय होती है इसका आकंलन लेखा परीक्षा में स्पष्ट नही रहा।

यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	**कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता**	**नाम ठेकेदार**	**धनराशि**
	माह-जून'2021		
1	रामनगर आँवला मार्ग से अवादानपुर तक लेपन मरम्मत कार्य	सुरेन्द्र पाल	295000.00
2	ग्राम नतहोई बुजुर्ग में गुलड़िया वसन्तपुर बुजुर्ग की ओर लेपन कार्य	सुरेन्द्रपाल	625000.00
3	केसरपुर सिंघाई मुरावान मार्ग से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	वंशीधर	418432.00
4	रम्पुरा प्रवीन में नहर की पुलिया से खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	ए0एम0कं0	480480.00
5	घाटमपुर के खड़ंजे से सफरी की ओर खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	ए0एम0क0	221088.00
6	भण्डसर गाँव से खोह के खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	रियासत हुसैन	754432.00
7	जोगीठेर डामर रोड से हरहरपुर जोगीपुरा मार्ग तक मि0ख0 कार्य	रियासत हुसैन	899800.00
8	नवदिया में चाड़पुर वल्लिया मार्ग से नवदिया गाँव की ओर लेपन कार्य	रंजनकुमार	585000.00
9	बैकपपुर में पूर्व खड़ंजे से महेशपुर शाह इमामुद्यीन पक्के रोड तक मि0ख0कार्य	प्रमोदकुमार	190512.00
10	गहगटा मोड़ मार्ग से धर्मपुर गाँव तक लेपन मरम्मत कार्य	प्रमोद कुमार	550000.00

11 मेहतरपुर करोड में फरीदपुर नहर ब्रांच से बलवंतपुर तक मि0ख0कार्य कृष्णमोहनप्रसाद 362544.00

12 आनन्दपुर में शीशगढ़ मार्ग में सरकारी अस्पताल होते हुए चक मार्ग तिराहे तक मि0ख0कार्य खूबचन्द शर्मा 448000.00

13 दिलवारी के पूर्व खड़ंजे से कसूमरा की ओर पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य खूबचन्दशर्मा 582064.00

14 आनन्दपुर में आनन्दपुर गौटिया से मेडवा के खड़ंजे तक मि0ख0कार्य खूबचन्दशर्मा 599312.00

15 लहिया में पूर्व खड़ंजे से भड़रिया मार्ग की पुलिया तक मि0ख0कार्यजय अम्बे 844144.00

16 करपिया किशानान में प्रा0वि0 के सामने से शमशान भूमि तिराहे तक मि0ख0कार्यधर्मपाल 435904.00

17 रहपुरा जागीर में जि0पं0 के खड़ंजे के पूर्व खड़ंजे से वश्मा सिंह के घर तक मि0ख0कार्य धर्मपाल 439040.00

18 परोरा में वाल्मिकि बस्ती से अनुविरा मार्ग तक मि0ख0कार्य धर्मपाल 280000.00

19 अधकटा रब्बानी बेगम में बृहस्पति आर्य के खेत के पास खड़ंजे से जाकिर हुसैन के खेत तक मि0ख0कार्य साई0कं0 392112.00

20 लम्बाखेड़ा से बद्रीप्रसाद तक अवशेष मि0ख0कार्य राकेश कुमार 369264.00

21 पखुरनी में नहर की पुलिया से खड़ंजे तक मि0ख0कार्य कमरूद्यीन 536480.00

22 औरंगाबाद के प्रा0स्कूल से धनीराम के घर तक मि0ख0कार्य नसीम खाँ 185000.00

23 रजऊपरसपुर के खड़ंजे से रसुइया मार्ग खड़ंजे तक मि0ख0कार्य नसीम खाँ 496384.00

24 केसरपुर खजुरिया मार्ग से फार्म मार्ग भोजपुर अहेरपुर लेपन कार्य सलामत हुसैन 485000.00

25 फरीदपुर बकैनिया मार्ग से एन0एच0तक खड़ंजा मरम्मत कार्य अखिल कुमार 731808.00

26 कुईया उगनपुर से तालाब से मन्दिर खड़ंजे तक मि0ख0कार्य अखिल कुमार 687232.00

27 विक्रमपुर में सुरेन्द्र के खेत से फतेहगंज शाही तक मि0ख0कार्य यागौस अल मद 376096.00

18 परोरा में वाल्मिकि बस्ती से अनुविरा मार्ग तक मि0ख0कार्य धर्मपाल 280000.00

19 अधकटा रब्बानी बेगम में बृहस्पति आर्य के खेत के पास खड़ंजेसे जाकिर हुसैन के खेत तक मि0ख0कार्य साई0कं0 392112.00

20 लम्बाखेड़ा से बद्रीप्रसाद तक अवशेष मि0ख0कार्य राकेश कुमार 369264.00

21 पखुरनी में नहर की पुलिया से खड़ंजे तक मि0ख0कार्य कमरूद्यीन 536480.00

22 औरंगाबाद के प्रा0स्कूल से धनीराम के घर तक मि0ख0कार्य नसीम खाँ 185000.00

23 रजऊपरसपुर के खड़ंजे से रसुइया मार्ग खड़ंजे तक मि0ख0कार्य नसीम खाँ 496384.00

24 केसरपुर खजुरिया मार्ग से फार्म मार्ग भोजपुर अहेरपुर लेपन कार्य सलामत हुसैन 485000.00

25 फरीदपुर बकैनिया मार्ग से एन0एच0तक खड़ंजा मरम्मत कार्य अखिल कुमार 731808.00

26 कुईया उगनपुर से तालाब से मन्दिर खड़ंजे तक मि0ख0कार्य अखिल कुमार 687232.00

27 विक्रमपुर में सुरेन्द्र के खेत से फतेहगंज शाही तक मि0ख0कार्य यागौस अल मद 376096.00

28 नौगवाँ जागीर मार्ग से गौशाला चेना की ओर तिराहे तक लेपन कार्य राहुल गुप्ता 988960.00

29 जियानगला से कुतुबपुर डामर रोड तक मि0ख0कार्य शान कं0 344176.00

30 दभौरा गाँव में वीरपाल के मकान से चक मार्ग तक मि0ख0कार्य शमा परवीन 730800.00

31 गुजराही में जि0पं0के पूर्व खड़ंजे से गौतारा की ओर मि0ख0कार्य श्री कृष्णा कं0 501760.00

32 खिरका में टोकरलाना के पास से एन0एच0से चक मार्ग तक मि0ख0कार्य श्रीकृष्णाकं0 504784.00

33 नवादावन में खड़ंजे से सरदार जसौदा सिंह के झाले होते हुए खड़ंजे तक मि0ख0कार्य श्री कृष्णा कं0 279216.00

34 धमदा इलाका नगरिया कला मे गाँव के खड़ंजे से महेन्द्र सिंह के झाले तक मि0ख0कार्य श्री कृष्णा क्र0 256480.00

35 सुदनपुर पूर्व खड़जे से सेतिया के फार्म तक मि0ख0कार्य श्री कृष्णा कं0 536480.00

36	लालपुर मे डबरी के कुण्डा पर पुलिया निर्माण कार्य	प्रमोद कुमार	353024.00
37	गौटिया में नलकूप/पुराने खड़ंजे से सिली जागीर मि0ख0कार्य	ग्लोबल कं0	762160.00
38	बरेली फरीदपुर मार्ग से प्रेम प्रकाश गुप्ता इ0कार्य	प्रेम बाबू	999600.00
39	हरचन्द्रपुर गाँव से शमशान भूमि होते हुए नहर की पुलिया तक मि0ख0कार्य	जी0एण्ड जी0इन्फ्रा	336896.00
40	महेशपुर शिव सिंह पुलिया से पुराने खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	भारत ट्रेडिंग कं0	370000.00
41	खिजरपुर से फाजिलपुर नहर तक मि0ख0कार्य	जी0एण्ड जी0इन्फ्रा	314736.00
42	चुमखिया मंे खड़जे से अगं्रेज सिंह के मकान की ओर मि0ख0कार्य	ग्लोबलकं0	401408.00
43	पहरापुर सम्पर्क मार्ग से दासपुर गाँव तक लेपन कार्य	राहुल गुप्ता	999040.00
44	विवियापुर चैधरी से एन0एच024 तक लेपन कार्य	नईम खाँ	901600.00
45	एन0एच024 से खटौला लेपन मार्ग पर सरकारी टयूबवेल तक मि0ख0कार्य	नईम खाँ	998480.00

योग- 23849728.00

माह-जुलाई'2021

1	रामनगर के पास लीलौर व्योधन से सुनरासी मार्ग पर लेपन कार्य	अखिल कुमार	476000.00
2	अधकटा रब्बानी बेगम मंे मेन रोड से गाँव के सी0सी0तक लेपन कार्य	साई0कं0	166432.00
3	रहपुरा गिरधारीलाल में केसरपुर सिंघाई शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	श्रीकृष्णकं0	605696.00
4	सिजौलिया में वसीम के खड़ंजे से पंचायत घर रेलवे फाटक तक मि0ख0कार्य	भारत ट्रेडिंग कं0	830256.00
5	नगरिया खुर्द में मन्दिर से नाला तक मि0ख0कार्य	श्री कृष्ण कं0	909104.00
6	रसूला चैधरी में नवोदय विद्यालय से गुरूद्वारा तक मि0ख0कार्य	शानकाॅन्ट्रेक्टर	700000.00
7	डहरिया में मोहनलाल के मकान से सामुदायिक शौचालय तक मि0ख0कार्य	प्रमोद कुमार	144480.00
8	किसुर्रा में नहर की पुलिया से नहर तिराहा तक मि0ख0कार्य	धर्मपाल	447103.00
9	खुजरहाई में जि0पं0के पूर्व खड़ंजे से गौतारा की ओर मि0ख0कार्य	श्री कृष्णा कं0	172680.00
10	अड़ूपुरा पीपल स्थान के पास डामर रोड से शमशान तिराहे तक मि0ख0कार्य	तिरूपतिकं0	566272.00
11	वलपुरा से चन्दन के खेत की ओर मि0ख0कार्य	राकेश कुमार	996800.00
12	सुदनपुर में पूर्व खड़ंजे से सेतिया फार्म की ओर मि0ख0कार्य	श्री कृष्णा कं0	223776.00
13	सरकडा में पुलिया से भंडरिया नहर तक मि0ख0कार्य	प्रमोद कुमार	927584.00
14	जोखनपुर से जू0हा0स्कूल से कुंआडांडा की पुलिया तक मि0.ख0कार्य	ए0एम0कं0	975744.00
15	भंडरिया मंे जग्गी के झाले के पास गनेशखेड़ा मि0ख0कार्य	प्रेम बाबू	668864.00
16	शिवनगर में शिक्षा निकेतन इन्टर काॅलेज तक मि0ख0कार्य	प्रेम बाबू	896000.00
17	दुआवट में शमशान भूमि से मंगली दिवाकर मि0ख0कार्य	रियासत हुसैन	585200.00
18	जोखनपुर मार्ग से सईद अहमद के खेत तक मि0ख0कार्य	ए0एम0कं0	621488.00
19	मोहनपुर (रामनगर)गौटिया की ओर खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	प्रमोद कुमार	958608.00
20	रामनगरिया में राम लाल के मकान से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	जे0पी0कान्ट्रेक्टर	306432.00
21	जोगीठेर डामर रोड से हरहरपुर जोगीपुरा तक मि0ख0कार्य	रियासत हुसैन	559664.00
22	अकट से नगरिया कला तक मि0ख0कार्य	जय अम्बे इन्टरप्राइजेज	918512.00
23	परेवा सेंथल से दुआवट गाँव के खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	रियासत हुसैन	308560.00
24	लाड़पुर गौटिया से फैजुल्लापुर तक मि0ख0कार्य	सुमन इन्टरप्राइजेज	755104.00
25	पालमपुर गौटिया से जि0पं0के खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	जय अम्बे इन्टरप्राइजेज	928256.00

26	करपिया ब्रह्यनान मे डामर रोड से गाड़ी घाट हीरालाल मि0ख0कार्य 777728.00	धर्मपाल	
27	राईनवादा से बरा बरौर मार्ग तक मि0ख0कार्य 839888.00	राकेश कुमार	
28	भीमलौर से बरा सिरसा के खड़ंजे तक मि0ख0कार्य 547120.00	धर्मपाल	
29	कजरौटा में कब्रिस्तान से चक मार्ग तिराहे की ओर मि0ख0कार्य 480816.00	नसीम खाँ	
30	भोआपुर कमालपुर मार्ग से गैस एजेन्सी नदी तक मि0ख0कार्य 752640.00	खूबचन्द	
31	रिछा में आश्रम के सामने डामर रोड दमपुर मि0ख0कार्य 608048.00	शहजादे	
32	पऊनगला में मेन रोड से गुरमीत सिंह की ओर जि0पं0खड़ंजे तक मि0ख0कार्य 150000.00	वंशीधर	
33	भगवानपुर बलरामपुर मंे सुरेश के बाग चक तिराहे तक मि0ख0कार्य 538496.00	नसीमखाँ	
34	कुल्छाखुर्द में हाईवे से गाँव तक मि0ख0कार्य	मेगा कं0	344288.00
35	धनेटा मे नन्हेंलाल के मकान से ब्रह्यदेव तक मि0ख0कार्य	मेगा कं0	320320.00
36	मनकरा में गाँव से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	मेगा कं0	362208.00
37	भुड़वा नहर की पुलिया के आगे बैंकर तिराहे तक मि0ख0कार्य	मेगा कं0	756000.00
38	कुतुकपुर में ओमप्रकाश के मकान से हुरहरी दिवाना तक मि0ख0कार्य 996800.00	श्री कृष्णा कं0	
		योग-	
	23122967.00		

माह-अगस्त'2021

1	हरहरपुर मटकली में सीसी नदी तक सुरक्षा दिवार एवं मि0ख0कार्य 223776.00	राकेश कुमार	
2	सुनरक रोड से नलकुप तक लेपन कार्य 254089.00	नसीम खाँ	
3	सिंधा बरेली बदायूँ मार्ग से नलकूप तक लेपन कार्य 278430.00	नसीम खाँ	
4	पालमपुर गौटिया से रसूला ग्राम तक मि0ख0कार्य 350000.00	नसीम खाँ	
5	करेली के बनवारी लाल के मन्दिर से पूरनलाल साहू के खेत होते हुए मोहनलाल साहू के खेत तक मि0ख0 कार्य 414400.00	आर0के0एसो0	
6	जहानाबाद रोड से मार्ग ग्लोब एग्रो भैरपुरा मि0ख0कार्य 85557.00	शमा परवीन	
7	शिवनगर मेन रोड से खुरा्र तक मि0ख0कार्य 245840.00	धर्मपाल	
8	मिलक में मिलक गोटिया मार्ग पर पुतीराम के खेत जटपुरा चक मार्ग तक मि0ख0कार्य 195664.00	रियासत हुसैन	
9	नरखेड़ा वंशीपुर से बहेड़ी रेतीपुर तक मि0ख0कार्य	श्री कृष्णा कं	924560.00

10	रिछोला मंे फरीदपुर नहर ब्रांच से रीतराम पहलवान के घर केसरपुर नवाबगंज पुलिया निर्माण कार्य	साई कं0	162288.00
11	कीरतपुर परेवा गाँव के खड़ंजे शिवटैर खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	मौ0इसराईल	119392.00
12	गुलड़िया महीपत में कटैया बल्देव सिंह मि0ख0कार्य	साईं कं0	1418256.00
13	टांडा सिकन्दरपुर में तालाब से नदी की ओर मि0ख0कार्य	जय अम्बे इन्ट.	191968.00
14	सहजनपुर फरीदपुर नहर ब्रांच से खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	कृष्ण मोहन	273168.00
15	जागन डाँडी में डामर रोड से घाट तक मि0ख0कार्य	मो0इजराईल	154112.00
16	चठिया में प्राइतरी स्कूल वसुधरन डामर रोड नहर पटरी मि0ख0कार्य	कमरूद्यीन	276192.00
17	सोनहा में डामर रोड से जि0पं0के खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	साई कं0	49616.00
18	हरीमपुर में चाड़पुर वल्लिया मार्ग से प्रा0पा्र0तक मि0ख0कार्य	धर्मपाल	166678.00
19	विशेंषपुर की पुलिया से पूर्व खड़ंजे से कमलापुर डामर रोड तक मि0ख0कार्य	श्री कृष्ण कं0	280000.00
20	वलुपुरा से चन्दन खेड़ा की ओर मि0ख0कार्य	राकेश कुमार	996800.00
21	मण्डनपुर मार्ग से फुलपुर गाँव की ओर मि0ख0कार्य	ग्लोबल कं0	125075.00
22	रम्पुरा कमन गाँव से रम्पुरा कमन गाँव के डामर रोड तक मि0ख0कार्य	तिरूपति कं0	757680.00
23	वहापुर भगौतीपुर से भोजपुर अपेरपुर मार्ग तक लेपन कार्य	रियासत हुसैन	773808.00
24	रिछा में सितारगंज रोड के पास करीम इण्डस्ट्रीज से भैरपुरा तक मि0ख0कार्य	शान कं0	980448.00
25	दुर्गापुर गौटिया से शमशान भूमि होते हुए कालीचरन के खेत तक मि0ख0कार्य	अखिल कुमार	134053.00
26	बड़ेपुरा से नवाबगंज केसरपुर मार्ग तक मि0ख0कार्य	शान कं0	233856.00
		योग-	

10065706.00

माह-सितम्बर’2021

1	वरूआ हुसैनपुर मार्ग से नगीरामपुर गाँव तक लेपन कार्य	परा टैक्नाबिल्ड	2101232.00
2	पहरापुर सम्पर्क मार्ग से दासपुर गाँव तक मि0ख0कार्य	राजुल गुप्ता	1357776.00
3	नवदावन मंे खडंजे से वाहिमपुर चक मार्ग तक मि0ख0कार्य	नसीम खाँ	757680.00
4	मुडिया रोड से चुनुआ की ओर मि0ख0कार्य	मो0अली शान कं0	233083.00
5	कौआखेड़ा गाँव में पुराने खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	वंशीघर	188720.00

6	उँचा गाँव में रूस्तमनगर की ओर खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	मेगा कं0	311024.00
7	मुडिया रोड से चुनुआ की ओर मि0ख0कार्य	मो0अली शान कं0	233083.00
8	गोपालपुर से मरगापुर की ओर पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0काय्र	लालकरन	165648.00
9	सावरखेड़ा मार्ग में प्रा0वि0के पास पुलिया से चैखण्डी मार्ग पर मि0ख0कार्य	कुमार एण्ड कं0	586992.00
10	तहसील नवाबगंज स्थित जि0पं0 के बारात घर में मरम्मत पुताई,रंगाई का भुगतान	रियासत हुसैन	134272.00
11	बहोरनगला में फकीर चन्द के घर से मोहनस्वरूप तक सी0सी0कार्य		241700.00
12	मानपुर सेमीखेड़ा बरौर मार्ग से अवशेष मि0ख0कार्य	राकेश कुमार	94464.00
13	कल्याणपुर लिंक मार्ग से विसीपुर मार्ग की ओर मि0ख0कार्य	प्रमोद कुमार	209952.00
14	उचसिया कजरौटा मार्ग पर कुठला की ओर मि0ख0कार्य	नसीम खाँ	608832.00
15	शिवपुरी नगरिया से जि0पं0के पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	वशीधर	491008.00
16	हौसपुर में हौसपुर शाहपुर मार्ग से शमशान भूमि तिराहे तक मि0ख0कार्य	भारतट्रेडिंगकं0	465248.00
17	गुलडिया कला हुसैन मे समीर के खेत से कर्बला वाले एवं नहर रोड तक मि0ख0	सुमन इन्टरप्राइ0	135901.00
18	रेवती से मउचन्दपुर तक मि0ख0कार्य	विजेन्द्र पाल सिंह	954688.00
19	मुडिया रोड से चुनुआ की ओर मि0ख0कार्य	मो0अली शान कं0	233083.00
20	दलपतपुर गाँव से शमशान भूमि होते हुए गाँव तक मि0ख0कार्य	सुमनइन्टरप्राइजेज	261567.00
21	गोपालपुर मे गाँव से रविन्द्र सिंह के मकान नदी तक मि0ख0कार्य	कृष्णमोहन	187903.00
22	आँवला मिर्जापुर मार्ग पर पुलिया से रामा तारिक के बाग मिर्जापुर नुरपुर तक मि0ख0कार्य	विजेन्रद्र पाल सिंह	431312.00
23	करौंदा मे मेन रोड से दामोदर के घर तक मि0ख0कार्य	धर्मपाल	234304.00
24	रसूला चैधरी में नवोदय विद्यालय से गुरूद्वारा तक मि0ख0कार्य	शान ईंजी0	960400.00
25	कपूरपुर मे श्याम सिंह के मकान से हरि ओम के मकान तक मि0ख0कार्य	जय अम्बे इण्डस्ट्रीज	909328.00
26	श्यामपुर में प्रा0स्कूल से चन्द्रसेन के मकान तक मि0ख0कार्य	प्रमोद कुमार	157248.00

27 कांधरपुर में रिषीपाल के मकान से चनेहटा उमरसिया तक मि0ख0कार्य धर्मपाल 184985.00

28 पिण्डारी अभयचन्द में थाना रोड से वीरपाल के खेत तक मि0ख0कार्य मो0अलीशानकं0 159376.00

योग-

12990809.00

माह-अक्टुबर'2021

1 रूपियापुर गाँव से नहर की पुलिया के पास से डामर रोड तक मि0ख0 कार्यवंशीधर 679504.00

2 भोजीपुरा से नाले तक मि0ख0कार्य नसीम खाँ 776608.00

3 अहमदाबाद से सोरहा मार्ग डामर रोड तक लेपन कार्य सुशील कुमार 1066464.00

4 फरीदपुर में हुलासनगर गाँव से खेेमूनगला गाँव के खड़ंजे तक मि0ख0कार्य कृष्णमोहन क0 143248.00

5 वहेपुरा गिरधारीलाल में केसरपुर सिंघाई मुरावान मार्ग से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य श्री कृष्ण कं0 137424.00

6 अमोख से रम्पुरिया नहर तक मि0ख0कार्य सुशील कुमार 2015888.00

7 गौटिया रूप पुर मंे पैगा पचपेडा मार्ग से सी0सी0तक लेपन कार्य साई0कं0 171472.00

8 फरीदपुर बकैनिया से एन0एच0तक ख0 मरम्मत कार्य अखिल कुमार 206640.00

9 किसुर्री बिहारी पुर से पूर्व खड़ंजे तक अवशेष मि0ख0कार्य धर्मपाल 160944.00

योग-

5358192.00

माह-नवम्बर'2021

1 मढ़ौली घाटमपुर डामर रोड से वैरागी पुलिया तक मि0ख0कार्य आर0के0एसो0 576800.00

2 जादोपुर में नैनीताल रोड से ईदगाह की ओर नाली कार्य भारत ट्रेडिंग कं0 505904.00

योग-

1082704.00

दिसम्बर'20**2**1

1 सजनईया गाँव में नहर की पुलिया से नवादा तक मि0ख0कार्य प्रमोद कुमार 897680.00

2 मुख्य मार्ग अग्रास रोड से बाबू खाँ के घर तक सी0सी0कार्य सैयद कं0 96300.00

3 गोपाल पुर बिहारी पुर में बहेड़ी मुड़िया नवी बख्श रोड से सतेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0कार्य सैयद कं0 63200.00

4 शाहपुर जी सुखराय मे सी0सी0मेन रोड से बालक राम की ओर सी0सी0कार्य सैयदकं0 45850.00

5	मझौआ गंगापुर डामर रोड दरवेश के मकान से राहुल गिहार के चक मार्ग तक मि0ख0कार्य	शशिप्रभा	572992.00
6	महाराणा प्रताप उ0मा0	साई0कं0	455280.00
7	देवहरि में शीड प्लान्ट के पास पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	ग्लोबल कं0	282576.00
8	धिमरा में इन्टरलाकिंग रोड से गौटिया तक मि0ख0कार्य	ए0पी0कं0	703136.00
9	मिनौआ में मिनौआ नगरिया मार्ग से राम प्रताप के मकान तक मि0ख0कार्य	ए0पी0कं0	761152.00
10	बडागाँव में अलीगंज सिरोली मार्ग पर देव स्थान से नत्थू सेठ तक मि0ख0कार्य	रविकुमार	855120.00
11	गौटिया किशन पुर में सरदार के घर से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	रविकुमार	459200.00
12	पुरनापुर मंे मेन रोड से बलवंत के खेत तक मि0ख0कार्य	वैष्णवी कं0	585088.00
13	सिसौना में विकलांग स्कूल होते हुए गोरूम महाराजा देव स्थान तक मि0ख0कार्य	रविकुमार	507360.00
14	बड़ागाँव रूखाड़ा मार्ग से जयवीर लोधी के घर तक मि0ख0कार्य	मै0रोडलाईन्स	493584.00
15	लालू गौटिया में प्रा0पा0 के पास खडंजे की ओर मि0ख0कार्य	तिरूपति कं0	582176.00
16	नथपुरा मंे देवस्थान से राम चन्द्र के खेत के तिराहे तक मि0ख0कार्य	ओमसाई0कं0	685552.00
17	लिलौर व्योधन मार्ग में सुनरासी मार्ग पर लेपन कार्य	अखिल कुमार	59808.00
18	भगवानपुर धिमरी में देवस्थान के पास खडंजे तक मि0ख0कार्य	ए0एम0कं0	342720.00
19	अलीगंज मार्ग से मिलक बहादूरगंज के बीच शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	मै0रोडलाईन्स	452480.00
20	अमरेख से रम्पुरिया तक मि0ख0कार्य	सुशील कुमार	305424.00
21	रामनगर में मेन रोड से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	आर0के0कं0	280336.00
22	डोहरा रोड से धर्मकाँटा से इटौआ तक मि0ख0कार्य	आर0के0कं0	739648.00
23	पहाड़गंज में खूबचन्द जी के मकान से डामर रोड तक मि0ख0कार्य	आर0के0कं0	450016.00
24	बुझिया में पुराने खडंजे से कुलवंत के खेत तक मि0ख0कार्य	मेगा कं0	458080.00
25	अहिर गौटिया में गाँव से धीरपुर की ओर चक तिराहे तक मि0ख0कार्य	जागृतिकं0	565040.00
26	खजुरिया में गुरूदेव के खेत के पास पुराने खड़ंजे से जिगर सिंह तक मि0ख0कार्य	तिरूपति कं0	390880.00

27 ठिरिया खेतल के डामर रोड से तालाब के किनारे आसी तक मि0ख0कार्य यागौस अल मदद 856016.00

28 गुनाहट्टू मेन बाजार से बिहारीपुर तक मि0ख0कार्य कामा डेवलपर्स 525840.00

29 दुनका में वल्लिया शीशगढ़ मार्ग पर पुलिया से सुरेन्द्र गंगवार के खेत तक मि0ख0कार्य तिरूपति कं0 442512.00

30 बफरी अब्दूल नबी से पूर्व खडंजे से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य सुरेन्द्र सोनकर 617904.00

31 बहादुरगंज की पुलिया से भट्टी गौटिया तक मि0ख0कार्य तिरूपति कं0 673680.00

32 वसन्त नगर में नहर की पुलिया से होते हुए शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य तिरूपति कं0 456288.00

33 खुरहरा में एन0एच0से बैरक तक मि0ख0कार्य ए0एम0कं0 422128.00

34 पदारथपुर में घाटा शाह बाबा जी दरगाह से खडंजे तक मि0ख0कार्य 486528.00

35 धमीपुर में पुराने खड़ंजे से सुखदेव सिंह के खेत तक मि0ख0कार्य राकेश कुमार 484960.00

36 अंधरपुरा भोजपुर मार्ग पर चैराहे से अंधरपुरा लेपन कार्य ए0एम0कं0 336000.00

37 नवदिया में चाड़पुर वल्लिया मार्ग से नवदिया की ओर लेपन कार्य रंजन कुमार 235624.00

38 कतराई बुजुर्ग से गुलड़िया बसंतपुर मार्ग तक मि0ख0कार्य सुरेन्द्र सोनकर 188422.00

39 बोहित से गौतम महाराज गद्यी से एन0एच0बाईपास तक लेपन कार्य कृष्णपालसिंह 405040.00

40 वालपुर मे शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य शशिप्रभा 717584.00

41 अभयपुर मंे आरा मशीन से रेलवे लाइन तक मि0ख0 कार्य बेगइन्टरप्राइजेज 170800.00

42 बरखन रोड से खतौला के उत्तर साईड तक मि0ख0कार्य राधे एसोसियेट 448448.00

43 सरारी में मझारा तक लेपन कार्य कुमार एण्ड कं0 142609.00

44 वानीपुर रहमानपुर मार्ग से जैतपुर शरीफपुर लेपन कार्य विजेन्द्र पाल सिंह 264792.00

45 अहियानगला रसुईया रेलवे फाटक मार्ग पर आशीष गुप्ता पुलिया निर्माण कार्य प्रेमबाबू 262405.00

46 जादोपुर में नेशनल हाईवे सेे ईदगाह तक लेपन कार्य नईम खाँ 97285.00

47 तुलसीपुर मे डामर रोड से गाँव तक लेपन कार्य नईम खाँ 307018.00

48 कुरतरा मंे फतेहगंज शाही मार्ग पर पुलिया मि0ख0कार्य सुरेन्द्र पटेल 206718.00

49	डहिया बोझ में करमुद्यीन के खेत से	सुमन इन्टरप्राइजेज	180477.00
50	भुता में बालाजी फार्म से पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	नसीम खाँ	893200.00
51	कपूरपुर मे देशपाल सिंह के घर से निखार सिंह तक मि0ख0कार्य	सुरेन्द्र पटेल	630224.00
52	कमुआ में गाँव के खड़ंजे से चक तिराहे तक मि0ख0कार्य	एस0आर0आर0	817488.00
53	बिचरा बालकिशनपुर में जू0हा0स्कूल सेपक्के रोड तक मि0ख0कार्य	स्वप्निल सिन्हा	778400.00
54	जिया नगला मे डामर रोड से पूर्व खड़ंजा तक मि0ख0कार्य	शशिप्रभा	355040.00
		योग-	**24494108.00**

जनवरी'2022

1	फून्दननगर में शमशान भूमि मार्ग से कब्रिस्तान तक मि0ख0कार्य	वी0के0इन्फ्रा	784000.00
2	बेहटा बुजुर्ग निसाई मार्ग से शमशान भूमि नुरपुर मार्ग तक मि0ख0कार्य	वी0के0इन्फ्रा	759696.00
3	दुआवट में गाँव से परेवा के खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	श्री कान्ट्रैक्टर्स	388528.00
4	सेंथल बरोर मार्ग से बरौर शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	श्री कान्ट्रेक्टर्स	388976.00
5	भौनिया मे नत्थूलाल के घर से शोकत अली के घर तक मि0ख0कार्य	वी0के0इन्फ़्रा	556304.00
6	कनमन शरीफनगर मार्ग से चन्दपुर चुवकिया तक लेपन कार्य	एच0एच0इन्टरप्राइजेज	263984.00
7	झादा में डामर रोड से सी0सी0 रोड तक मि0ख0कार्य	श्यामा इन्टरप्राइजेज	472080.00
8	तिगरी मे पुराने खड़ंजे से तिराहे तक मि0ख0कार्य	सुमन इन्टरप्राइजेज	714224.00
9	आमौर में प्यारेलाल क खेत से खड़ंजे से नेतराम के खेत तक मि0ख0कार्य	सुरेन्द्र पाल सिंह	619024.00
10	मिलक मे रूकम सिंह की जगह से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य	श्रीकान्ट्रेक्टर	609168.00
11	सफरी में मेन रोड से चक तिराहे तक मि0ख0कार्य	ए0एम0कं0	425936.00
12	विक्रमपुर के पूर्व खड़ंजे/पुलिया से कब्रिस्तान की ओर पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	या गौस अल मदद	265776.00
13	जाफरपुर में मेन रोड से बाबू भार्द क मकान तक मि0ख0कार्य	चन्द्रपाल सिंह	583744.00
14	संकटपुरा में प्रा0वि0के पास डामर रोड से संघाई खडंजे तक मि0ख0कार्य	शिवा कान्ट्रेक्टर	698992.00
15	गुनाहट्टू नहर मार्ग से पिचपुरी के पूर्व खड़ंजे तक मि0ख0कार्य	कासा डेवलपर्स	242816.00

16 म्यूड़ी रानी में बिहारी लाल के खेत से डामर रोड तक मि0ख0कार्य शिव श्याम इन्टरप्रा0 720608.00

17 मनपुरिया से धारूपुर परसौना डामर रोड मार्ग से चक तिराहे तक मि0ख0 431632.00

18 केसरपुर खजुरिया मार्ग से भोजपुर अंधरपुरा मार्ग की ओर लेपन मरम्मत कार्य सलामत हुसैन 217464.00

19 पिण्डारी अभयचन्द में पुलिया सं सरकारी नलकुप तक मि0ख0कार्य कृष्णमोहन 896000.00

20 अंगदपुर खमरिया में नहर की पुलिया से गोपालपुर की ओर चक मार्ग तिराहे तक मि0ख0कार्य जी0एण्ड जी0इन्टरप्रा0 1048992.00

21 लमकन में भिटोरा शाही मार्ग में पावर हाऊस तक मि0ख0कार्य जयअम्बेइन्टरप्रा0 470400.00

22 रूपापुर में खड़ंजे से ककराकला मार्ग तक मि0ख0कार्य जय अम्बे इन्टरप्रा0 937328.00

23 नत्थू रम्पुरा से सरकड़ा इस्माइलपुर मार्ग तक मि0ख0कार्य चन्द्रपालंसह 708624.00

24 सिली जागीर मे नहर रोड से सुरजीत सिंह के झाले तक मि0ख0कार्य सलामतहुसैन 306320.00

योग-

13510616.00

माह-फरवरी''2022

1 रहपुरा जागीर मे डामर रोड से ठाकुर दास के मन्दिर क पास सी0सी0रोड तक मि0ख.0कार्य सुरेन्द्र पाल सिंह पटेल 796880.00

2 बहरौली से परोरा तक मि0ख0कार्य सुरेन्द्र पाल सिंह सोनकर 614096.00

3 अचलखिया में मीरानाथ महाराज रोड से .चक मार्ग तक मि0ख0कार्य वैष्णवीकं0 631344.00

4 करनपुर में प्रा0पा0ठिरिया खण्ड पुरी मार्ग तक मि0ख0कार्य कृष्णमोहन 812224.00

5 पुरनापुर की पुलिया से एन0एच0तक मि0ख0कार्य ए0एम0कं0 849968.00

6 रिछोेला मंेंं गाँव की ओर खड़ंजे से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य ए.एम.कं. 413454.00

7 करमपुर चैधरी मंे गाँव से शमशान भूमि होते हुए डामर रोड तक मि0ख0कार्य ए0एम0कं0 666512.00

8 कुम्हरा मंेंं एन0एच0से बेराज तक मि0ख0कार्य ए0एम0कं0 333648.00

9 खमरिया गोपडांडी में पंचमलाल के मकान से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य तिरूपति कं0 402976.00

10 वैरमनगर में जि0पं0केखड़ंजे से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य तिरूपति कं0 581056.00

11 कनमन शरीफनगर मार्ग से चन्दपुर चुवकिया तक लेपन कार्य एच0एच0इन्टरप्रा0 195776.00

12 गौसगंज में सूरजपाल के मकान से खरा्र तक मि0ख0कार्य वंशीधर 527296.00

13 मुड़िया नवीबख्श घाटगाँव मार्ग से मननापुर की ओर मि0ख0कार्य तिरूपति कं0 442736.00

योग- 7267966.00

माह-मार्च'2022

1 खजुरीखेड़ा में मेन रोड से रोशनलाल के खेत तक मि0ख0कार्य तिरूपति कं0 709520.00

2 दुनका में वल्लिया शीशगढ़ मार्ग पर पुलिया से मुनेन्द्र गंगवार के खेत तक मि0ख0कार्य तिरूपति कं0 299264.00

3 खजुरिया में गुरूदेव के खेत के पास पुराने खड़ंजे से जागीर सिंह के घर की ओर लेपन कार्य तिरूपति कं0 388080.00

4 अंधरपुरा में खड़ंजे से चक मार्ग तक मि0ख0कार्य ए0एम0कं0 395248.00

5 मंसूरगंज में ललित कुमार के खेत से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य शानकं0 778288.00

6 रहपुरा करीमबख्श गौटिया से कोडमपुर की ओर खड़ंजे तक मि0ख0कार्य खूबचन्दशर्मा 787472.00

7 बरेली बीसलपुर मार्ग से नहर पटरी पर खडंजे से फरेना गाँव की ओर तक मि0ख0कार्य जय अम्बे इन्ट्ररप्राइ0 1009568.00

8 भीमपुर गोटिया मे पुराने खडंजे से एन0एच0तक मि0ख0कार्य प्रमोद कुमार 279216.00

9 अग्रास में ए0एन0ए0मार्ग से तालाब तक मि0ख0कार्य श्यामा इन्टरप्राइजेज 932512.00

10 ठिरिया खेतल के डामर रोड से तालाब के किनारे से मि0ख0कार्य या गौस अल मदद 112896.00

11 खमरिया आजमपुर में सत्यप्रकाश के खेत से लेखपाल के खेत तक मि0ख0कार्य सुरेन्द्र पाल सिंह पटेल 600320.00

12 अमशाह में सुनील के घर के पास खड़ंजे से शिव मन्दिर नदी घाट तक मि0ख0कार्य साईं कं0 723620.00

13 हुरहुरी के मजार से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य ओम साईं0कं0 524832.00

14 सब्जीपुर खाता में प्रा0वि0के पास खड़ंजे से निर्व्रुरआ तक मि0ख0कार्य जी0एण्डजी0इन्फ्रा 583400.00

15 दिनकरपुर पुलिया से दलपुरा के पास डामर रोड तक मि0ख0कार्य मो0इसराइल 1972656.00

16 रफियाबाद में चाड़पुर राफियाबाद डामर रोड से ओमकार सिंह के खेत के पास तिराहे तक मि0ख0 बंसल एसोसियेटस646912.00

17 जोगीठेर में नकटिया नदी पर पूर्व निर्मित रपटा पूल का इक्टेमेन कार्य अखिलकुमार 806960.00

18 भगवानपुर बलरामपुर में सरकारी नलकूप व खड़ंजे से पुराने

खड़ंजे तक मि0ख0कार्य कृष्णमोहन 251440.00

19 शहबाजपुर में पऊनगला अहिरोली मार्ग से चक तिराहे तक मि0ख0कार्य ए0पी0कं0 553280.00

20 चैबारी में मेन रोड से तिराहे से चैबारी गाँव तक मि0ख0कार्य प्रशान्त सक्सेना 543984.00

21 अंगूरी टांडा में गाँव से मेन रोड स्कूल तक मि0ख0कार्य प्रशान्त सक्सेना 646240.00

22 सुकटिया उर्फ ताशा में मेन रोड सिंह क्रेशर से शमशान भूमि होते हुए टयूबवेल तक मि0ख0कार्य ओम बालाजी कं0 310128.00

23 गुलड़िया आरिल में ब्रजेश ठाकुर के घर से शमशान भूमि तक मि0ख0कार्य ओम बालाजी कं0 619808.00

24 हिम्मतपुर के प्रा0वि0के पास पृथ्वीराज के मकात तक मि0ख0कार्य आर0के0कन्सट्रक्शन 617344.00

25 कनमन शरीफनगर मार्ग चन्दपुर चुवकिया गाँव तक लेपन कार्य कृष्ण मोहन 46144.00

26 धिमरी रोड से पुलिया तक मि0ख0कार्य कृष्ण मोहन 694400.00

27 बरेली फरीदपुर एन0एच0से अंधरपुरा की ओर नहर की पुलिया तक मि0ख0कार्य रियासत हुसैन 624848.00

28 संकटपुरा में प्रा0वि0के पास डामर रोड से सिंघाई खड़ंजे तक मि0ख0कार्य शिवाकान्ट्रेक्टर 285824.00

योग- 16744204.00

सम्पूर्ण योग-

13,84,87,000.00

उपरोक्त विवरणानुसार जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र के भीतर होने का प्रमाण पत्र संलग्न किये बिना ही 13,84,87,000 का निर्माण कार्य का भुगतान करना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38

वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रयोग हेतु किराये की गाड़ी में 120211.00 एवं ए0एम0ए0 के प्रयोग हेतु किराये की गाड़ी में 295067.00 कुल 415278.00 का डीजल डलवाने का भुगतान किया गया है। उक्त किये गये भुगतान की पुष्टि हेतु प्रमाणित लाग बुक की छाया प्रति अनुपलब्ध रही।जिससे यह अज्ञात रहा कि उक्त किये गये भुगतान से की गई यात्राएँ जिला पंचायत के कार्यक्षेत्र के अन्दर,और जिला पंचायत के हित में ही हुई हैं। यह स्थिति आपतिजनक रही। अतः किया गया भुगतान 415278.00 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39

वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में स्टेशनरी क्रय एवं छपाई पर माह दिसम्बर'21 में प्रमाणक संख्या 26 से 33 तक कुल 118991.00,तथा 92929.00 का अदेय प्रमाण पत्र क्रय करने का कुल भुगतान 211920.00 एन0के0 प्रिन्टिंग प्रेस,बरेली को किया गया है। लेकिन उक्त संस्था से किये गये अनुबन्ध की प्रति लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। इसके अतिरिक्त एक लाख से उपर के व्यय पर तीन दूकानों से नियमानुसार कोटेशन भी

नहीं लिया गया है। अतः उक्त संस्था केा किया गया समस्त भुरगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40

वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि जि0पं0कार्यालय स्थित जेनरेटर में डीजल डलवाने का 86714.00 का व्यय किया गया है।लेकिन उक्त व्यय की पुष्टि हेतु प्रमाणित लाग बुक की छाया प्रति अनुपलब्ध रही। जिससे किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। लॉग बुक प्रस्तुत कर उक्त धनराशि के सापेक्ष क्रय की गई मात्रा की भी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41

वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न संस्थाओं से किराये की वसूली की गई है। लेकिन पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है। जैसे,दर,महीना,या वर्ष।

क्रम	नाम संस्था	धनराशि	अभ्युक्ति
1	डी0सी0बी0 जि0पं0परिसर	120000.00	दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं
2	क्षेत्रीय दुग्धशाला अधिकारी,बरेली	14850.00	दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं
3	दुकान न03 एवं 4 फरीदपुर	39489.00	दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं
4	अर्बन बैंक नवाबगंज	58593.00	दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं
5	डी0सी0बी0 श्यामगंज	118332.00	दर,महीना,वर्ष अंकित नहीं
6	अर्बन कोआपरेटिव बैंक,सरकड़ा	185551.00	दर,महीना वर्ष अंकित नहीं
	योग-	**536815.00**	

उपरोक्त विवरण के आधार पर पूर्ण विवरण अंकित किये बिना ही 536815.00 का किराये का भुगतान किया गया है। जिससे यह अज्ञात रहा कि वसूल की गई धनराशि सही ली गई है, कम ली गई है,या अधिक ली गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-42

वर्ष आलोच्य वर्ष 2021-22 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न काँजी हाऊस में गो वंश के भरण पोषण के लिये भूसा,चोकर आपूर्ति का भुगतान किया गया है।

क्रम	स्थान	अवधि	कुल धनराशि	प्राप्त कर्ता
1	काँजी हाऊस,बरौर नवाबगंज	मई'2021 से जुलाई'2021 तक	16554.00	आदर्श कुमार
2	काँजी हाऊस,कुड्डा	मई'2021 से जुलाई'2021 तक	33090.00	सुरजीत कुमार
3	काँजी हाऊस,कुडरा कोठी	मई'2021 से जुलाई'2021 तक	16515.00	तमीजुद्यीन
4	काँजी हाऊस,राजपुर कला	मई'2021 से जुलाई'2021 तक	30360.00	दीपक कुमार
5	काँजी हाऊस,दलेलनगर	मई'2021 से जुलाई'2021 तक	8260.00	आकाश कुमार
		योग-	**104779.00**	

उक्त किये गये भुगतान में पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 313(1) सैंतीस-2-2018-5(53)/टी0सी0आई0दिनांक 11.2.19 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

जिला पंचायत के किसी अधिकारी द्वारा गो वंश की संख्या का सत्यापन नही कराया गया है। जबकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सत्यापित संख्या के आधार पर ही भरण पोषण का भुगतान ठेकेदार को किया जाना था।

(अ) उपरोक्त शासनादेश के अनुसार चैकीदारी की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ब) मौसमी चारा,यथा(बरसीम,ज्वार,बाजरा,मक्का एवं चरी,आदि)एवं उसकी गुणवत्ता का कोई प्रमाण नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त कोई स्टाक रजिस्टर भी नहीं रखा गया है।

(स)उपरोक्त शासनादेश के अनुसार बिना कोई अनुबंध किये ही उक्त ठेकेदारों को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अतः किया गया समस्त भुगतान 104779.00 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-43

वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि प्रमाणक संख्या 50 माह फरवरी'22 द्वारा 65900.00 का भुगतान सैयद कं0 को मिर्जापुर में प्रेम सिंह के मकान से भूपराम के मकान तक व जगदीश के मकान से कृष्णपाल के मकान तक सी0सी0कार्य किया गया है। लेकिन उक्त कार्य तेरहवें वित्त आयोग के ब्याज से कराया गया है। इस प्रति कोई शासनादेश लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-44

वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न ठेकेदारों से जमानत के रूप में 87630.00 प्राप्त किया गया है। तथा 5503362.00 वापस किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु जमानत रजिस्टर पर प्रत्येक ठेकेदार का पृथक पृष्ठ खोल कर विवरण अंकित करते हुए अवशेष अंकित किये जाने के संबंध में स्थिति अज्ञात रही। जिससे उक्त प्राप्ति एवं वापसी जमानत की धनराशि अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही। पुष्टि के अभाव में भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-45

वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 31,32 माह अक्टुबर'21 द्वारा तौहिद आलम को गोदाम संख्या 15 एवं 3 का प्रीमियम कुल 667380.00 वापस किया गया है। लेकिन प्रीमियम लिये जाने की दर एवं वापसी की शर्तें पूरी की गई है या नहीं इसकी जानकारी हेतु प्रीमियम की पत्रावली ही नहीं प्रस्तुत की गई। जिससे 667380.00 की वापसी अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही। यह स्थिति आपत्तिजनक रही जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-46

वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 45 से 55 माह जुलाई'2021 द्वारा इमल्सन का 992687.00 का भुगतान एम0एस0आर0कम्पनी को तथा प्रमाणक संख्या 12 से 21 माह'अगस्त'21 द्वारा 3329506.00 का बिटुमिन का भुगतान इण्डियन आयल को इस प्रकार कुल 4322193.00 का भुगतान कराये गये दस लेपन के कार्यों पर किया गया है। लेकिन मात्रा एवं दर की पुष्टि हेतु स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इसके अतिरिक्त रायल्टी का आकलन किया गया है या नहीं इसकी भी पुष्टि नहीं कराई गई। अतः किया गया समस्त भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इस प्रति सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद- पीलीभीत **मण्डल- बरेली।**

जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ-

प्रस्तर सं0 1- जिला पंचायत पीलीभीत के आय व्यय चतुर्थ प्रगति विवरण के प्रपत्र 01 के निम्न विवरण अनुसार गत वर्षो का बकाया रू 36.43 लाख और आलोच्य वर्ष 2018-19 की मांग अंकन रुपया 113.04 लाख कुल अंकन रुपया 149.47 लाख दर्शित है। जिसके सापेक्ष वसूली रू 116.70 लाख तथा वर्षान्त में बकाया रुपया 32.77 लाख दर्शित है।

क्रम सं0	मद का नाम	मांग की धनराशि			वसूली की धनराशि			शेष धनराशि
		वर्ष की मांग	गत वर्षों का बकाया	योग	वर्ष की मांग	गत वर्ष का बकाया	योग	
1	सम्पत्ति एवं विभव कर	21.34	12.06	33.40	16.32	4.69	21.01	12.39
2	लाइसेन्स	53.76	-	53.76	53.70	-	53.70	0.06
3	मृत पशु शव	1.03	2.68	3.71	1.50	0.55	2.05	1.66
4	सम्पत्ति से आय दुकान/भवन किराया	23.70	9.40	33.10	15.18	10.01	25.19	7.91
5	हाट बाजार एवं तहबाजारी	12.21	3.89	16.10	11.96	0.84	12.80	3.30
6	कृषि एवं तरूपालन	1.00	8.40	9.40	1.83	0.12	1.95	7.45
	योग-	113.04	36.43	149.47	100.49	16.21	116.70	32.77

जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा प्रत्येक मद का संस्थावार सूची अंकित करते हुए पत्रावली /रजिस्टर तैयार कर रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है और जो तैयार किया गया है उसे आधे अधूरे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है बकाया अपुष्टित होने से निजी स्रोत से कुल आय योग्य धनराशि संस्था द्वारा छिपा ली गई प्रतीत होती है ऐसी स्थिति में संभाव्य है की वसूली ज्यादा करके जमा कम किया जा रहा है व धनराशि का योजना बद्ध तरीके से अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि इसी कार्य हेतु संस्था पर विकास खंडवार कर संग्राहक एवं कर निरीक्षक भी तैनात किए गए हैं। इस प्रकार निजी स्रोतों से आय की वर्ष वार मांग गत वर्षों की बकाया सहित एवं वर्ष में वसूली का आकलन बिना वांछित रजिस्टर/ पत्रावली के लेखा परीक्षा में संभव नहीं हो पाया। अपर मुख्य अधिकारी व कर अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अविलंब मद वार रजिस्टर पूर्ण कराकर लेखाबंदी करते हुए बकायादारो की वर्षवर सूची तैयार कर स्थिति प्रकाश में लाई जाए की कितनी वसूली हेतु बकाया शेष पड़ी हुई है तत्पश्चात उसकी वसूली के ठोस प्रयास किए जाएं योजनाबद्ध तरीके से अनियमितता बढ़ाने के उद्देश्य से अभिलेखों को पूर्ण करने शिथिलता बरतने

हेतु अपर मुख्य अधिकारी कर अधिकारी लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत, सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर सं0 2- आलोच्य वर्ष 2018-19 में हड्डी चस्पा मद/ मृत पशु शव निस्तारण मद में जारी किए गये लाइसेंस प्राप्तकर्ता आबंटी से शत प्रतिशत लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जाना चाहिए था परंतु विकास खंडवार जारी किए गए लाइसेंस में विकासखंड पूरनपुर के लाइसेंस प्राप्तकर्ता से पूर्ण वसूली नहीं की गयी है जो गंभीर आपत्तिजनक है।

क्रम सं0	लाइसेन्स प्राप्तकर्ता	वर्ष/ विकासखण्ड	लाइसेन्स शुल्क	प्राप्त धनराशि	बकाया धनराशि
01	श्री अकरम कुरैशी पुत्र श्री सद्दीक कुरैशी शेरपुर कलां, पूरनपुर	2018-19 पूरनपुर	171000.00	50000.00	121000.00

लाइसेंस जारी करने के उपरांत चालू वर्ष के भी लाइसेंस शुल्क शत प्रतिशत वसूल नहीं किया जाना दर्शाता है। अतः संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लक्ष्य वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास नहीं किया जाना दर्शाता है। अतः संबंधित अधिकारी कर्मचारी का दायित्व निर्धारित करते हुए वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर सं0 - 03 आलोच्य वर्ष 2018-19 में लाइसेंस रजिस्टर प्रपत्र- 26 नियम-107 तहसील-पूरनपुर व ललौरीखेड़ा की जांच में पाया गया कि वर्ष दौरान संस्थाओं से लाइसेंस शुल्क वसूल की गयी है। उसमें 30 जून के बाद वसूल होने के उपरांत भी विलंब शुल्क 10% प्रति माह की दर से वह राइस मिल हेतु 30 सितंबर के बाद वसूल होने के उपरांत भी विलंब शुल्क 5% की दर से संस्था से वसूल नहीं किया गया, जो की गंभीर वित्तीय अनियमितता है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं0	नाम संस्था	लाइसेन्स धारी का नाम	वर्ष	रसीद सं0 दिनांक	प्राप्त धनराशि	विलम्ब शुल्क सहित जो वसूल किया जाना था	अन्तर धनराशि
1	कुमार राइस इन्डस्ट्रीज चुर्रा फिरोजपुर पूरनपुर	नवीन कुमार	18-19	090212 09.10.18	10000.00	13000.00	3000.00
2	नवल किशोर एण्ड सन्स राइस मिल बन्डा रोड पूरनपुर	हर्ष गुप्ता	18-19	090220 20.10.18	10000.00	13000.00	3000.00
3	किसान राइस मिल घुंघचिहाई, पूरनपुर	हरिबल्लभ	18-19	090221 20.10.18	10000.00	13000.00	3000.00
4	सरल सीडंस पूरनपुर	हर्ष गुप्ता	18-19	090224 20.10.18	5000.00	6500.00	1500.00
5	नौवा इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	उमेश चन्द्र गुप्ता	18-19	090225 25.10.18	10000.00	13000.00	3000.00
6	के0सी0 इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	मोनिका	18-19	090226	10000.00	13000.00	3000.00

		गुप्ता		27.10.18			
7	देव एग्रो फूड प्रोडक्ट पूरनपुर	नितिन गुप्ता	18-19	090228 30.10.18	20000.00	26000.00	6000.00
8	ओम राइस मिल	राजीव गुप्ता	18-19	090229 30.10.18	10000.00	13000.00	3000.00
9	सीड प्लान	सुनिता अग्रवाल	18-19	088405 10.10.18	5000.00	6500.00	15000.00
10	राइस मिल पूरनपुर	अंकुर अग्रवाल	18-19	090230 01.11.18	10000.00	13500.00	3500.00
11	राइस मिल	रजनी अग्रवाल	18-19	090233 20.11.18	10000.00	13500.00	3500.00
12	फ्लोर मिल	विजय अग्रवाल	18-19	090234 23.11.18	10000.00	13500.00	3500.00
13	फ्लोर मिल	तनु अग्रवाल	18-19	090235 33.11.18	10000.00	13500.00	3500.00
14	राइस मिल	हरजिन्द सिंह	18-19	090248 13.12.18	10000.00	14000.00	4000.00
15	राइस मिल	रामाशंकर गुप्ता	18-19	090263 02.01.19	10000.00	14500.00	4500.00
16	राइस मिल	संजय जायसवाल	18-19	090267 05.01.19	10000.00	14500.00	4500.00
17	गैस एजेन्सी	सुखवीर सिंह	18-19	090240 03.12.18	10000.00	14000.00	4000.00
18	अग्रवाल एग्रो फूड्स आसाम रोड, पूरनपुर	मुनीष अग्रवाल	17-18	290117 11.05.18	10000.00	16000.00	6000.00
19	अग्रवाल राइस मिल पूरनपुर	जगदीश राम अग्रवाल	17-18	290124 15.05.18	10000.00	16000.00	6000.00
20	अग्रवाल फ्लोर मिल पूरनपुर	सुनील अग्रवाल	17-18	290125 15.05.18	20000.00	32000.00	12000.00
21	गंगा राइस मिल पूरनपुर	संदीप	17-18	290142 25.05.18	10000.00	16000.00	6000.00
22	शिरडी राइस इन्डस्ट्रीज बन्डा रोड पूरनपुर	भीमसैन	17-18	290159 20.06.18	10000.00	16000.00	6000.00
23	शिवा राइस मिल पूरनपुर	अकील खां	17-18	290165 01.07.18	10000.00	16000.00	6000.00
24	खण्डेलवाल राइस इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	अशोक खण्डेलवाल	17-18	290202 11.09.18	10000.00	16000.00	6000.00
25	राइस मिल	अकिल खां	18-19	088438 25.10.18	15000.00	19500.00	4500.00
26	राइस मिल	कपिल अग्रवाल	18-19	088460 01.11.18	15000.00	20250.00	5250.00
27	राइस मिल	राकेश कुमार	18-19	088460 01.11.18	15000.00	20250.00	5250.00
28	कुमार राइस मिल	सुशील कुमार	18-19	088495 26.11.18	15000.00	20250.00	5250.00

29	राधेश्याम मिल	रश्मी अग्रवाल	18-19	360202 01.12.18	15000.00	21000.00	6000.00
30	मार्डन राइस मिल	राकेशकुमार	18-19	360242 30.12.18	15000.00	21000.00	6000.00
31	गोपाल राइस मिल	दिलीप कुमार	18-19	360266 10.01.19	15000.00	21750.00	6750.00
32	राइस मिल	मनीष अग्रवाल	18-19	360287 31.01.19	15000.00	21750.00	6750.00
33	सीड्स प्लान्ट	अंकुल अग्रवाल		360288 31.01.19	5000.00	7250.00	2250.00
					375000.00	529000.00	154000.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विलंब शुल्क अंकन रू 154000.00 की वसूली न करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी जो की गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः संबंधित अनुभाग अधिकारी/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली/क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0-24)

प्रस्तर सं0- 4 - वर्ष 2018-19 से निर्माण कार्य पर कुल रू 258074638.00 व्यय किए गए जिसमें रू 33794157.00 की कटौती नियमानुसार आयकर जी.एस.टी., रॉयल्टी एवं लेबर सेस के रूप में जमा की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है- वर्ष 2018-19

1- आयकर कटौती- 3134075.00
2- जी0एस0टी0- 27591688.00
3- रायल्टी सेस - 772351.00
4- लेबर सेस- 2296043.00
योग- 33794157.00

परंतु लेखा परीक्षा में आयकर जी.एस.टी., रॉयल्टी एवं लेबर सेस जमा के संबंधित विभागों के दाखिल रिटर्न अप्रस्तुत रहे। टी.डी.एस., जी.एस.टी., रॉयल्टी व लेबर सेस आदि किस खाते में कब-कब जमा की गयी का विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा लेखा परीक्षा में चेक डिटेल रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण आधे अधूरे प्रस्तुत चलानो के बावजूद उक्त टैक्स की जमा अपुष्टित रही।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0-28)

प्रस्तर सं0- 05 जिला पंचायत पीलीभीत की वर्ष 2018-19 के लाइसेंस एवं विभव कर वसूली के दौरान पाया गया कि जिला पंचायत की उपविधि 12 मई 2012 के अनुसार मोबाइल टावर्स की स्थापना पर लाइसेंस शुल्क हेतु रू 5000.00 निर्धारित कर अनुता पत्र जारी की गयी है, साथ ही विभव कर नियमावली के अनुसार अधिकतम रू 6000.00 कर आरोपित की गयी है, परंतु लेखा परीक्षा वर्ष दौरान जनपद में कुल 45 मोबाइल टावर्स में से किसी भी मोबाइल टावर्स से लाइसेंस की वसूली नहीं की गयी जो की गंभीर वित्तीय अनियमित है। इस प्रकार वर्ष में संस्था को रू 5000.00 x

- 45 नग = रू 225000.00 की राजस्व हानि हुई। इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वसूली न करने वाले उत्तरदायी कर्मचारियों पर विभागीय जांचोंपरांत वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित रहा।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0-34)

प्रस्तर सं0- 6- निर्माण कार्य पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष दौरान जो भी खडन्जा कार्य कराये गए हैं, उसमें मिट्टी भराव कार्य 0.30 मी0 तक किया गया है। नियमित है 0.30 मी0 के मिट्टी भराव कार्य पर 12.5 प्रतिशत मिट्टी सेटलमेंट कटौती का प्रावधान है, परंतु संस्था द्वारा कराये गए सभी खडन्जा कार्य पर जिसमें 0.30 मी0 या उससे अधिक मिट्टी भराव पर 12.5% सेटलमेंट कटौती न कर संबंधित ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी ठेकेदार एवं संबंधित से की जानी अपेक्षित है। उदाहरण स्वरूप-

1- विकास खण्ड मरौरी के ग्राम प्रतापपुर से रेलवे लाइन तक खडन्जा कार्य।

अनुमानित लागत जी0एस0टी0 रहित- 1249970.00
जी0एस0टी0 सहित- 149996.00
योग- 1399966.00
निविदा स्वीकार 0.04 % कम दर पर- 1249500.00
ठेकेदार- श्रीमती कंचनदेवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह
प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी कार्य 745 x 6 x 0.30 = 1341 घन मी0
(-) 12.5% मिट्टी सेटलमेन्ट = 167.625 घन मी0
अधिक व्यय धनराशि = 167.625 घन मी0 x रू 115
= रू 19276.87
(-) निविदा स्वीकार 0.04% = 7.71
अधिक भुगतानित धनराशि = 19269.16

इस प्रकार उक्त कार्य पर मिट्टी सेटलमेन्ट 12.5% कटौती न करके रू. 19269.00 का अधिक भुगतान किए धनराशि की वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता श्री राजीव कुमार एवं ठेकेदार श्रीमती कंचनदेवा से की जानी अपेक्षित है।

2- विकास खण्ड ललौरीखेडा के ग्राम बंजरिया मन्दिर से जतीपुर कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग की ओर खडन्जा व सी0सी0 कार्य।

अनुमानित लागत जी0एस0टी0 रहित- 891000.00
जी0एस0टी0 सहित- 998000.00
निविदा स्वीकार 0.05 % कम दर पर- 890555.00
ठेकेदार- मै0 आर0एस0 एसोसिएट, प्रो0 श्रीमती मीना भटनागर
प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी कार्य 500 x 5 x 0.35 = 875 घन मी0
(-) 12.5% मिट्टी सेटलमेन्ट = 109.375 घन मी0
अधिक व्यय धनराशि = 109.375 घन मी0 x रू 110
= रू 12031.25
(-) निविदा स्वीकार 0.05% = 12025.00

अधिक भुगतानित धनराशि = 19269.16

इस प्रकार उक्त कार्य पर मिट्टी सेटलमेन्ट 12.5% कटौती न करके रू. 12025.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता श्री राजीव कुमार एवं ठेकेदार श्रीमती मीना भटनागर से की जानी अपेक्षित है।

3- विकास खण्ड बीसलपुर के ग्राम कासिमपुर से सावेपुर की ओर नहर के किनारे खडन्जा कार्य।

अनुमानित लागत जी0एस0टी0 रहित- 891000.00

जी0एस0टी0 सहित- 1154000.00

निविदा स्वीकार 0.30 % कम दर पर- 1026910.00

ठेकेदार- मै0 आर0ए0आई0 कन्सट्रक्शन , श्रीमती अन्जुम आरा

प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी कार्य 600 x 6 x 0.35 = 1260 घन मी0

(-) 12.5% मिट्टी सेटलमेन्ट = 151.50 घन मी0

अधिक व्यय धनराशि = 157.50 घन मी0 x रू 115.00

= रू 18112.50

(-) निविदा स्वीकार 0.30% = रू 18058.16

इस प्रकार उक्त कार्य पर मिट्टी सेटलमेन्ट 12.5% कटौती न करके रू. 18059.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता श्री अभय कुमार सक्सेना एवं ठेकेदार श्रीमती अन्जुम आरा से वसूली की जानी अपेक्षित है।

4- विकास खण्ड पूरनपुर के मुझावाला में तराई रोड से नहर की ओर खडन्जा कार्य।

अनुमानित लागत जी0एस0टी0 रहित- 1144000.00

जी0एस0टी0 सहित- 1281000.00

निविदा स्वीकार 0.01 % कम दर पर- 1143886.00

ठेकेदार- श्रीमती कंचन देवी

प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी कार्य 800 x 4.50 x 0.40 घन मी0 = 1440 घन मी0

(-) 12.5% मिट्टी सेटलमेन्ट = 180 घन मी0

अधिक व्यय धनराशि = 180 घन मी0 x रू 110.00

= रू 19800.00

(-) निविदा स्वीकार दर 0.01% = रू 19798.00

इस प्रकार उक्त कार्य पर अधिक धनराशि रू. 19798.00 की वसूली सम्बन्धित अवर अभियन्ता श्री अभय कुमार सक्सेना एवं ठेकेदार श्रीमती कंचना देवी से की जानी अपेक्षित है।

5- विकास खण्ड ललौरीखेड़ा के ग्राम सिकलापुर गांव में नहर की पुलिया के खडन्जे से आगे शमशानघाट तक खडन्जा कार्य-

अनुमानित लागत जी0एस0टी0 रहित- 926000.00

जी0एस0टी0 सहित- 1037000.00

निविदा स्वीकार 0.10 % कम दर पर- 925074.00

ठेकेदार- श्री मोहित अग्रवाल

प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी कार्य

500 x 5.50 x 0.30 घन मी0 = 825 घन मी0

100 x 5.00 x 0.35 घन मी0 = 175 घन मी0

= 1000.00 घन मी0

(-) 12.5% मिट्टी सेटलमेन्ट = 125 घन मी0

अधिक भुगतानित धनराशि = 125 घन मी0 x रू 110.00

= रू 13750.00

(-) 0.10% निविदा स्वीकार = रू 13736.75 = 13737.00

इस प्रकार उक्त कार्य पर अधिक भुगतानित धनराशि रू. 13737.00 की वसूली सम्बन्धित अवर अभियन्ता श्री राजीव कुमार एवं ठेकेदार श्री मोहित अग्रवाल से की जानी अपेक्षित है।

उक्त विवरणों से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा 0.30 मी0 व 0.30 मी0 से अधिक मिट्टी भराव पर सेटलमेन्ट कटौती नहीं की जा रही है। इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, विभागीय जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0-38)

प्रस्तर सं0- 7- जिला पंचायत पीलीभीत को प्राप्त विभिन्न योजनाओं अंतर्गत धनराशि से कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि जिन ठेकेदारों के टेंडर स्वीकृत किए गए हैं उनसे योजना लागत के 0.72% के स्टांप पर अनुबंध न करके रू 100 के स्टांप पर अनुबंध किया गया है साथ ही एक शपथ पत्र भी लिया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि विभाग द्वारा याचिका संख्या- 35097/ 2004 मै0 स्ट्राक कंस्ट्रक्शन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य प्रतिवाद जो न्यायालय में किया जा रहा है इसमें भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश होंगे वह मान्य होंगे, परंतु लेखा परीक्षा दौरान उस पर हुए निर्णय को अवगत नहीं कराया गया। वर्ष आलोच्य में इकाई द्वारा कुल रू 258074638.00 से विभिन्न कार्य करना दर्शाया जा रहा है जिस पर कुल स्टांप योजना लागत के 0.72% की दर से रू 1858137.00 अदा होने थे किंतु कुल रू 25700.00 मूल्य के ही स्टांप प्रयोग किया गया है। इस प्रकार रू 1832437.00 की कम स्टंप लेकर राजकोष में क्षति पहुंचाई गयी है जो कि विगत वर्षों से सतत जारी है।

अतः रू 1832437.00 की वसूली अनाधिकार ठेकेदारों को छूट देने वाले तत्कालीन अभियंता श्री मोहम्मद हारुन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जागन सिंह से राजकीय कोषागार में जमा करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। पदेन दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने के लिए तात्कालिक वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिभुवन लाल के विरुद्ध भी प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0-39)

प्रस्तर सं0- 8- मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या- 3385/86- 2015- 292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किए जाने वाले उप खनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान करके वैध अभिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं। यदि ठेकेदार एम0एम0-11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निर्माण कार्य में प्रयुक्त उप खनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य की कटौती (सामान्यतः रॉयल्टी की पांच गुना) ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वल्व शुल्क में जमा किया जाये। लेखा परीक्षा में उपरोक्त निर्माण कार्य के भुगतान से संबंधित प्रमाणकों/बिलों की जांच में देखा गया के निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों मिट्टी, बालू आदि के सापेक्ष ठेकेदार से प्रपत्र एम0एम0-11 /प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किया गया था और अन्य भुगतान करते समय रॉयल्टी की कटौती की गयी थी। इस प्रकार इकाई अधिकारियों ने भुगतान करते समय शासनादेश रॉयल्टी की कटौती न कर शासकीय कोष को क्षति पहुंचाई है। बिलों के साथ मेटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट संलग्न न होने के कारण निर्माण कार्य में प्रयुक्त उप खनिजों की मात्रा का आंकलन भी नहीं किया जा सका है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों (व्यय प्रमाणकों) के अनुसार प्रयुक्त सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है। उदाहरण स्वरूप-

क्रम सं0	कार्य का नाम	स्टोन ग्रिट घन मी0	स्टोन डस्ट घन मी0	कोट सैण्ड घन मी0	फाइन सैण्ड घन मी0
01	ग्राम परसिया में सुभाष चन्द्रबोस जू0 हा0 स्कूल से बीसलपुर पीलीभीत मार्ग तक सी0सी0 कार्य	68.56	10.27	26.25	2.15
02	ग्राम ज्योहरा कल्याणपुर मार्ग से ज्योहरा कल्याणपुर श्मशान भूमि तक सी0सी0 कार्य	87.79	13.13	33.65	2.75
03	ग्राम अमृतपुर में अभयपुर माधौपुर लिंक रोड से हरदोई ब्रान्च रोड से और सी0सी0 कार्य	148.28	19.86	56.84	5.63
04	ग्राम जिरौनियां में पेन्टिंग मार्ग से चिनौरा की ओर सी0सी0 कार्य	61.80	9.22	24.93	2.65
05	ग्राम माधोपुर कैचुटांडा मार्ग से लक्ष्मीपुर की ओर सी0सी0 कार्य	62.80	8.54	23.84	2.31
06	पुरैनी दीपनगर में मथना पक्के रोड से केसर सिंह के मौजा होतु हुए पुरैनी मथना खडन्जा की ओर सी0 सी0 कार्य	130.59	17.52	50.01	4.95
07	पूरनपुर रोड से जमुनिया खास की ओर पेन्टिंग मरम्मत/सी0सी0 कार्य	133.55	20.73	42.23	1.13
08	ग्राम नौगवा संतोष से धुर्री पट्टी की तरफ सी0सी0कार्य	109.94	16.47	42.98	3.90
09	रम्पुरा राणा में मेन रोड से आश्रम होते हुए खाण्डेपुर गांव की तरफ सी0सी0 कार्य	90.45	13.55	35.40	3.22
10	ग्रा0 मार में मकरन्दपुर सम्पर्क मार्ग पर तालाब	31.88	13.46	34.20	2.70

	के किनारे होते हुए प्रा0 व उ0 वि0 के बीच से ग्राम मार्ग की तरफ सी0सी0 कार्य				
11	वि0ख0 मरौरी के नहर फाटक से मानपुर हटुआ के तरफ खडन्जे के ऊपर सी0सी0 कार्य	120.05	25.65	37.37	7.00
12	घुंघरी तिरकुनिया सरैनी रोड से घेरा शरीफ तक सी0सी0 रोड।	46.71	6.43	17.45	1.37
13	ग्राम गुलैदा गौटिया में गुलेना मटेना सम्पर्क मार्ग पर गांव के तरफ अवशेष सी0सी0 कार्य।	87389	13.17	61.93	2.71
14	चन्दोई मझोला रोड से धनकुना मार्ग तक सी0सी0 कार्य	153.35	20.88	58.11	5.81
15	ग्राम मानपुर बीसलपुर प्रा0 वि0 होतु हुए दिकुली बीसलपुर सम्पर्क मार्ग की तरफ सी0सी0 कार्य।	96.50	14.46	36.06	2.53
		1430.14	223.34	581.25	50.83

उक्त सामग्री पर शासनादेश के अनुसार रायल्टी निम्नानुसार वाजिब होती है।

1- स्टोन ग्रिट- 1430.14 x रू 110 = रू 157315.40

2- स्टोन डस्ट- 223.34 x रू 100 = रू 22334.00

3- कोर्स सैण्ड- 581.25 x रू 65 = रू 37781.25

4- फाइन सैण्ड- 50.83 x रू 55 = रू 2795.65

= रू 220226.30

रायल्टी = 220226.30

खनिज मूल्य (5 x रायल्टी) = 1101131.50

वसूली योग्य धनराशि- = 1321357.80

लेखा परीक्षा में संपूर्ण प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत न होने के कारण उक्त विवरण संपूर्ण नहीं है। वाजिव संपूर्ण रॉयल्टी का आगणन करते हुए दायित्व अवधारित किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। भुगतान के समय वैध रवन्ना एम0एम0-11/ प्रपत्र-सी न लिए जाने से दर्शित कृत कार्यों की निर्धारित गुणवत्ता युक्त होने में संदेह है। वास्तव में वैध रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11/ प्रपत्र- सी से ही दर्शित प्रयुक्त सामग्री के कार्य स्थल पर पहुंचने व प्रयोग होने की पुष्टि होती है।

अतः रॉयल्टी जमा न होने से शासकीय कोष को हुई क्षति पर रू 1321357.80 की वसूली अभियंता श्री मोहम्मद हारुन, लेखाकार श्री आंगनलाल, अपर मुख्य अधिकारी श्री जागन सिंह एवं तत्कालीन वित्त परामर्शदाता श्री त्रिभुवन लाल से कर शासकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। एम0बी0 बुकों से पूर्ण रॉयल्टी से क्षति का आंकलित कर दायित्व निर्धारण अपेक्षित रहा।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0-40)

प्रस्तर सं0- 9- व्यय प्रमाणक संख्या- 58, 59 व 62 दिनांक- 25.04.2018 के द्वारा क्रमशः रू 18007.00 रूपया 17582.00 एवं रू 61655.00 मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स एवं आदर्श प्रिंटिंग प्रेस तखान को भुगतान किया गया है। स्टेशनरी क्रय हेतु क्रय नियमावली के अनुसार कम से कम तीन पार्टियों

से कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है जिससे संस्था हित में मूल्य स्पर्धा का लाभ नहीं लिया गया विवरण निम्न प्रकार है-

प्रमाणक सं0- 58/ दिनांक- 25.04.2018 / मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स

बिल नं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
001/023	27.12.2016	स्टेशनरी क्रय	1312.00
001/022	26.11.2016	स्टेशनरी क्रय	1250.00
001/019	27.09.2016	स्टेशनरी क्रय	1610.00
001/014	26.08.2016	स्टेशनरी क्रय	1980.00
001/013	24.08.2016	स्टेशनरी क्रय	3855.00
001/012	23.08.2016	स्टेशनरी क्रय	3000.00
001/004	08.08.2016	स्टेशनरी क्रय	4500.00
		योग-	18007.00

प्रमाणक सं0- 59/ दिनांक- 25.04.2018 / मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स

बिल नं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
001/043	18.07.17	स्टेशनरी क्रय	1242.00
001/42	29.06.17	स्टेशनरी क्रय	760.00
001/41	31.05.17	स्टेशनरी क्रय	950.00
001/40	03.05.17	स्टेशनरी क्रय	960.00
001/39	30.03.17	स्टेशनरी क्रय	1660.00
001/38	04.03.17	स्टेशनरी क्रय	1090.00
001/28	25.02.17	स्टेशनरी क्रय	3000.00
001/27	24.02.17	स्टेशनरी क्रय	4500.00
001/26	23.02.17	स्टेशनरी क्रय	1260.00
001/25	30.01.17	स्टेशनरी क्रय	1430.00
001/24	04.01.17	स्टेशनरी क्रय	730.00
		योग-	17582.00

प्रमाणक सं0- 62/ दिनांक- 25.04.2018 / मैसर्स आदर्श प्रिटिंग प्रेस तखान, पीलीभीत

बिल नं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
001/001	12.04.17	स्टेशनरी क्रय	3700.00
001/004	18.04.17	स्टेशनरी क्रय	1530.00
001/001	19.04.17	स्टेशनरी क्रय	3660.00
001/010	24.04.17	स्टेशनरी क्रय	4725.00
001/014	26.04.17	स्टेशनरी क्रय	4725.00
001/018	26.04.17	स्टेशनरी क्रय	3450.00
001/022	10.05.17	स्टेशनरी क्रय	2415.00
001/0025	10.05.17	स्टेशनरी क्रय	4970.00
001/030	14.05.17	स्टेशनरी क्रय	3660.00
001/37	12.06.17	स्टेशनरी क्रय	3560.00
001/40	15.06.17	स्टेशनरी क्रय	4330.00

001/044	17.06.17	स्टेशनरी क्रय	4450.00
001/047	19.06.17	स्टेशनरी क्रय	4645.00
001/050	21.06.17	स्टेशनरी क्रय	4645.00
007/331	18.08.17	स्टेशनरी क्रय	4320.00
001/058	04.10.17	स्टेशनरी क्रय	2870.00
		योग-	61655.00

उक्त बिलों की जांच में पाया कि सभी बिल वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 से संबंधित है जबकि भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया है। उक्त भुगतान यदि विगत वर्ष से संबंधित होता तो जिला पंचायत की वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के प्रगति आख्या के देनदारी में प्रदर्शित किया गया होता जो कि नहीं किया गया है, न ही क्रय नियमावली के अनुसार टेंडर/कोटेशन संबंधी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध रही। उक्त कार्य कलाप मात्र जिला पंचायत को क्षति पहुंचाने हेतु पार्टी से साठ गांठ कर भुगतान किया गया है। इस प्रकार उक्त भुगतान को विधिक नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त दोषपूर्ण भुगतान के उत्तरदायी लेखाकार श्री अंगनलाल एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जागन सिंह से जांचोंपरांत रू 97244.00 की क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

(जिला पंचायत पीलीभीत जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0-41)

जनपद-शाहजहाँपुर

मण्डल - बरेली

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2021-22

आवंटन वर्ष-2022-23

मण्डल का नाम-बरेली

जनपद-शाहजहाँपुर

जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ- जिला पंचायत शाहजहाँपुर

वर्ष-2012-13

प्रस्तर-01-अभिलेख अनुसार कुल नौकाघाटों की संख्या 10 दर्शित पायी गयी परन्तु वर्ष-2012-13 मे 02 नौकाघाट(अल्साह गेज घाट,बजीपुर घाट) की नीलामी की गई।

वर्ष-2012-13 में रू0 12000.00 की वसूली हुई जबकी प्रपत्र-01 में मात्र 8000.00 दर्शया जा रहा है। प्रपत्र -3 में वर्ष की मांग शून्य दर्शित है तथा बकाया 2.09 लाख दर्शित है तथा शेष बकाया 2.05 लाख दर्शया गाया है।

उक्त लेख से स्पष्ट है की त्रुटि पूर्ण लेखा किया जा रहा है तथा आकड़ों का खेल खेला जा रहा है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी आपेक्षित है। यह भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि बकाया की वसूली क्यों नहीं की जा रही है तथा बकाया वसूली हेतु क्या क्या कार्यवाही की गई। शेष नौकाघाटों की नीलामी क्यों नहीं की।

लेखापरीक्षा में नीलामी से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई जिससे नीलामी की वैधानिकता स्पष्ट न हो सकी। पत्रावली से पुष्टी करायी जाये व तत्कालीन पटल प्रभारी एवम् कर अधिकरी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0 04)

प्रस्तर-02- गत प्रतिवेदन अनुसार प्रपत्र-8 में वर्ष-2010-11 मे कृषि योग भूमि 55 एकड़ दर्शित है। वर्ष-2012-13 के प्रपत्र-8 में कृषि योग भूमि शून्य दर्शित है जबकि प्रपत्र-1 में कृषि एवं तरूपालन अंतर्गत आय रू.12.62 लाख दर्शित है तथा प्रपत्र-3 में बकाया शून्य दर्शित है

यह स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि त्रुटिपूर्ण विवरण क्यों दर्शित की गई है। लेखापरीक्षा में कृषि योग भूमि मांग वसूली के अवलोकन में पाया गया की तहलीवार विवरण निम्नवत्त है-

नाम तहसील	मांग	गत बकाया	वसूली	वर्ष का बकाया
सदर	215000.00	7700.00	201000.00	21700.00
पुवांया	215500.00	220250.00	186500.00	249250.00
तिलहर	----------	40000.00	----------	40000.00
जलालाबाद	132000.00	----------	41000.00	91000.00
योग	562500.00	267950.00	428500.00	401950.00

पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि-

(01) कृषि योग कितनी भूमि है अंकन नही किया गया।

(02) प्रति एकड़ न्यूनतम मूल्य निर्धारण नही की गई है।

(03) बकाया धन की वसूली हेतु कोई प्रयास नही किया गया।

(04) वर्ष की मांग क सापेक्ष बकाया क्यों पडी जिम्मेदार व्यकित के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई।

(05) उपलब्ध समस्त भूमि की नीलामी क्यों नही की गई।

नियमानुसार बकाया नहीं होनी चाहिए चूंकि

(क) भूमि नीलामी की राशि नीलामी की राशि नीलामी पूर्ण होने के तत्काल बाद सम्पूर्ण राशि जमा कराया जाना चाहिए।

(ख) सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा होने के बाद ही अनुबंध करने के उपरान्त ही कब्जा किया जाना चाहिए। नियमानुसार कार्यवाहियाँ तत्समय पूर्ण कराए बगैर कब्जा लेने के कारण उक्त राशि अवरूद्ध हुई।

अत: उक्त बकाया धनराशि की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त व पटल प्रभारी से दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही जिन कृषि भूमि की नीलामी नहीं की जा रही है उसके संबंध में जांच कर जिम्मेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(सा0 आ0 सं0 05)

प्रस्तर-03- गत वर्ष जिस पर्यटन योजना के अन्तर्गत रू.7.54 लाख विगत वर्षों की भाँति यथावत अवशेष दर्शित था। परन्तु वर्ष 2012-13 में इसे न तो वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध, न ही व्यय दर्शाया गया। प्रपत्र-4 (राजकीय अनुदानों एवं उपभोग का विवरण) में नहीं दर्शाया जाना स्पष्ट करता है कि रू. 7.54 लाख का उपभोग नहीं किया गया व धन का आहरण कर लिया गया तथा छिपाने के उद्देश्य से अंकन नहीं किया गया।

उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है अन्यथा स्थिति में उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त व पटल प्रभारी से वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0 09)

प्रस्तर-04- विभिन्न योजनाओं से प्राप्त धन को बैंक के विभिन्न खातों में रखने से वर्ष 2012-13 में निम्नानुसार ब्याज प्राप्त हुआ-

बी ओ बी ए सी न0-	003	राज्य वित्त	178989-
बी ओ बी ए सी न0-	14719	तेरहवां वित्त	348455-
बी यू जी बी ए सी न0-	7586	जिला निधि	255156-
बी यू जी बी ए सी न0-	2443	जिला निधि	315644-
		योग	1098244-

शासनादेश सं010/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33) 2010 दिनांक-29.05.2015 व शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक-21.03.2012 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा किया जाएगा। परंतु संस्था द्वारा राजकोष में जमा नहीं किया गया है जो तत्समय लागू शासनादेश का उल्लंघन है। उक्त के प्रति जिम्मेदार लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0 11)

प्रस्तर-05- जिला पंचायत द्वारा निजी स्त्रोत से प्राप्त आय को जिला निधि खाते में रखकर वेतन भत्ते व अन्य प्रशासनिक खर्च किए जाने चाहिए। कम पड़ने की स्थिति में 25 प्रतिशत तक की धनराशि राज्य वित्त से ली जा सकती है। किंतु संस्था द्वारा जिला निधि खाते (जो संचालित होना बताया गया) इन खातों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी निम्न विवरणानुसार धनराशि राज्य वित्त से वेतन के नाम पर व्यय की गई। राज्य वित्त से वेतन आदि के नाम पर किए गए व्यय की गई। राज्य वित्त से वेतन आदि के नाम पर किए गए व्यय शासनादेश के विरूद रहा।

जिला निधि खाता	उपलब्ध धन	राज्य वित्त से वेतन पर व्यय
बी.यू.जी.बी-ए/सी 7586	11362146.73	
बी.यू.जी.बी-ए/सी 2443	3404545.00	112.11 लाख
योग-	14766691.73	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला निधि खाते में धनराशि उपलब्ध थी तो वेतन आदि के नाम पर राज्य वित्त से ली गई धनराशि का औचित्य नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपर मुख्य अधिकारी एवं प्रबंध कमेटी द्वारा मनमाने तरीके से शासनादेश के विरूद्ध कार्य किया गया। अत: राज्य वित्त से व्यय धनराशि अंकन रू0 112.11 लाख शासन के पक्ष में देयता सुनिश्चित किया जाए। उक्त के प्रति जिम्मेदार लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-06- वर्ष 2011-12 से 2015-16 की विभाग को उपललब्ध कराई गई सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि संस्था द्वारा वर्ष आलोच्य में 10 बैंक खातों (मय कोषागार) का संचालन किया गया है तथा निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई उसमें राज्यवित्त व तेरहवां वित्त अन्तर्गत कराए गए कार्य अंकित है तथा वेतन आदि पर व्यय दर्शाया गया है के अनुसार स्थिति निम्नवत है-

बैंक खाता संख्या	संचालितबैंक खातों/कोषागार से वर्ष 2012-13 में कुल आहरण	राज्य वित्त/तेरहवें वित्त से कराए गए कार्यों की कुल व्यय व वेतन व्यय	वेतन आदि पर कुल व्यय
10998697851	36.25	427.57 राज्य वित्त 398.50 तेरहवां वित्त 112.11 राज्य वित्त वेतन	94.98 लाख
41160103	45597275		
10470100015909	1057921		
44800101	8517679		
10470100014719	50107002		
56370100007586	9172228		
29	339		
32	339		
56800100002443	10161314		
	124614133.25	938.18 लाख	94.98 लाख
	1246.14 लाख		

इस प्रकार वर्ष 2012-13 में रू0 1246.14 लाख आहरण के सापेक्ष रू0 938.18 लाख निर्माण कार्य पर (सूची अनुसार) एवं रू 94.98 लाख वेतन आदि पर व्यय दर्शित है। इस प्रकार रू0 212.98 लाख आहरित धन कहाँ पर किस रूप में व्यय किया गया से संबंधित विवरण उपलब्ध करा कर स्थिति स्पष्ट की जाए। उक्त के प्रति जिम्मेदार लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा जो सूची उपलब्ध कराई गई उसमें लगभग रू. 87.43 लाख के ऐसे कार्य हैं जिनके पते अस्पष्ट हैं।

(सा0 आ0 सं0 19)

प्रस्तर-07-लेखापरीक्षा में प्रस्तुत संस्था का चतुर्थ त्रैमास समीक्षा पुस्तिका के अनुसार राज्यवित्त एवं तेरहवें वित्त से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपभोग की स्थिति निम्नवत रही-

(आँकड़े लाख रु में)

	01.04.2012 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
राज्य वित्त	308.03	711.24	370.88	648.39
तेरहवां वित्त	138.89	349.08	90.72	397.25
योग	446.92	1060.32	461.60	1045.64

दर्शित आय-व्यय की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। वर्ष आलोच्य में दर्शित उपभोग रू0 461.60 लाख का पुष्टि हेतु निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावलियों की मांग की गई। बार-बार मांग के उपरान्त मात्र तीन कार्यों की पत्रावली प्रस्तुत की गई-

1.विकास खण्ड खुटार के ग्राम महेशपुरी में बंघा भुर्जी के मकान से राम औतार की चक्की तक 140 मी0 सी0 सी0 आरएस 475664.00

2.ग्राम भमौरा में तिराहे से सुधीर के मकान तक 200 मीटर सी0सी0/नाली आरएस 478858.00

3.ग्राम दिलावरपुर में पूर्व प्रधान भगवान के घर वाली गली तक 155 मी0 इन्टरलाकिंग कार्य रू.5,80,000.00

उपरोक्त दर्शित समस्त कार्य वर्ष 2011-12 से संबंधित थे जिनका भुगतान वर्ष 2011-12 व 2012-13 में हुआ। कार्य संख्या (1) की पत्रावली अपूर्ण पायी गई। निर्माण में प्रयुक्त हुई उप खनिजों संबंधित वैध रवन्ना नहीं पायी गई। कार्य प्रारम्भ से पूर्व की सर्वे रिपोर्ट नहीं थी। शपथ पत्र कार्य आदेश के पूर्व के पाये गए शपथ पत्र 02.08.2011 का जबकि कार्य स्वीकृत आदेश 15.10.2011 का था। उक्त कार्य पर हुए भुगतान के सापेक्ष की गई कटौती यथा-टी.डी.एस व्यापार कर,जमानत, लेवर सेस आदि की पुष्टि में जमा चालान उपलब्ध नहीं कराए गए। जमानत पूर्व में न लेकर बिल के भुगतान से कटौती की गई।

कार्य सं0 (2) से संबंधित पत्रावली से स्पष्ट है कि कार्य स्वीकृत होने से पूर्व ही करा ली गई। कार्य स्वीकृत प्रस्ताव सं0 7 से 24.12.2012 को दी गई जबकि दिनांक 27.09.2012 को चेक न0 0001448 से आरएस 611555 का भुगतान भी हो चुका था। एक ही कार्य की एमबी दो बार का गई लेखापरीक्षा में एमबी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। कार्य प्रारम्भ से पूर्व की गई सर्वे रिपोर्ट संलग्न नहीं पायी गई। निर्माण में प्रयुक्त हुई।

उप-खनिजों से संबंधित वैध रवन्ना नहीं पाया गया। भुगतान क समय की गई कटौतियों के जमा की पुष्टि में जमा चालान उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त का फोटो नहीं संलग्न किया गया। जमानत के रूप में रखी गई एफ.डी.आर की फोटो प्रति/ आर0 डी0 आर0 पत्रावली में नहीं पाई गई।

कार्य संख्या (3) अवर अभियंता व अभियनता द्वारा तैयार किया गया। प्राक्कलन पर कार्य का नाम अंकित नहीं है तथा न ही प्रमाण-पत्र पर कार्य का नाम अंकित है। कार्य कहाँ से कहाँ तक स्पष्ट अंकित नहीं। भुगतान के सापेक्ष चेक न0 व दिनांक अंकित नहीं। कार्य क सर्वे रिपोर्ट नहीं। कार्य से संबंधित एम.बी प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त कार्य हेतु किए गये दूतीयभुगतान आदेश पर एम.बी न0 आदि भी अंकित नहीं। जमानत की राशि वापसी प्रार्थन-पत्र में दिलावरपुर में पूर्व प्रधान 155 मी0 सी0सी0 व नाली कार्य पूर्ण होना अंकित पाया गया जबकि इन्टर लांकिग कार्य कराया गया था। अनुबंध पत्र पर रू.58000.00 अंकित जबकि स्टीमेट में कार्य की लागत रू. 5,80,000.00 है।

उपलब्ध पत्रावली में पाई गई अनियमित्ता स्वत: ही बयान करती हे कि कार्य संदिग्ध है। कार्य से संबंधित पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्राक्कलन (स्टीमेट) उप खनिज की मात्रा और श्रमांश आदि की गणना करते हुए मात्रा एवं मूल्य के क्रम में देय रायल्टी आदि का स्पष्ट आकलन करते हुए स्टीमेट अवर अभियंता/अभियन्ता से प्राप्त नहीं किया गय है। निर्माम कार्यों में प्रयुक्त हुई उप-खनिजों,मिट्टी,बालू,मोरंग आदि की आपूर्ति की पुष्टि में वैध रवन्ना नहीं पाया गया। उक्त खनिजों पर देय रॉयल्टी की पुष्टि मे टेजरी चालान की प्रमाणित प्रति भी नहीं पायी गई। यह तक की किसी भी पत्रावली में देय रॉय्लटी व रवन्ना के संबंध नोटसीट से लेकर कहीं भी कोई टिप्पणी/उल्लेख भी नही पाया गया जबकि इसको प्राप्त किये बिना ठेकेदारों को भुगतान नहीं दिया जाना था। लगभग समस्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर सी0 सी0 रोड,इण्टरलाकिंग,नाली एवं लेपन कार्य है,जबकि जिला पंचायत द्वारा कम से कम दो क्षेत्र पंचायतों को लाभ पहुँचाने वाले कार्य भी कराये जाने थे।निर्माण कार्य पत्रावलियों में प्रोजेक्ट कम्पटीशन रिपोर्ट (पी.सी.आर) संलग्न नहीं पाये गये और न ही नोट शीट में कार्य समाप्त होने की कोई टिप्पणी ही पाई गई। जनपद में अन्य कार्यदायी संस्थाएं हैं य़था पी0 डब्लयू डी. आर. ई. एस गन्ना संघ, मण्डी समिति आदि। इन संस्थाओं स अनापत्ति नहीं प्राप्त की गई। ऐसे में यह भी पुष्ट नहीं किया जा सकता है कि दर्शित निर्माण कार्य जिला पंचायत द्वारा भी कराया गया है अथवा अन्य किसी कार्यदायी संस्था द्वारा।

अत: स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा किया गया व्यय नियमानुसार पुष्टित नहीं है तथा संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासन द्वारा समय-समय जारी किये गये शासनादेशों का उल्लंघन किया गया य़था शासनादेश संख्या।

1.शासनादेश सं0 594/77-52001-2002/77 टी.सी-1 दिनांक 02.02.2001
2.सं0 3891/77-5-2002-1(216)/93 दिनांक 5 अगस्त 2002
3.सं0 4020/77-5-2003-1(216)/93 12.08.2003
4.सं0 4951-(11)/77-5-06-506/06 दिनांक 05.10.2006
5. शासनादेश सं0 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015
6. शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005
7. शासनादेश सं0 866(1)/33-2-14 दिनांक 24.06.2014

उपरोक्त के आलोक में दर्शित निर्माण कार्य जिला पंचायत द्वारा कराए गए हैं, कार्य वास्तव में हुए भी हैं अथवा नहीं संदिग्ध हैं। अत: रू.461.60 लाख की वसूली जांचोपरान्त तत्कालीन पटल प्रभारी,अपरमुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त,लेखाकार श्री लाखन,अभियंताश्री ओम प्रकाश मिश्र, अवर अभियंता श्री सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व सज्जाद हुसैन एवं वित्तीय सलाहकार श्री राम विलास से दण्ड ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। शासनादेशों के विपरीत कार्यों के गलत चयन के लिए संस्था अध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं।(सा0आ0सं0 20)

प्रस्तर-08- दिनांक 31.03.2013 को कैश बुक अनुसार निम्नानुसार जमा शेष अंकित किया गया जबकि उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार स्थिति भिन्न पायी गई।

खाता सं0	कैशबुक में अंकन	बैंक स्टेटमेंट अनुसार	अंतर
एस.बी.आई.	440893.75	440929.75	(-) 36
बी.ओ.बी.	35472689.50	---------	(+) 35472689.50
ग्रामीण बैंक	15542218.36	---------	(+)15542218.86
युनाइटेड बैंक	10201.00	अप्राप्त	(+) 10201.00
एक्सिस बैंक	741726.00	अप्राप्त	(+) 741726.00
कोषागार	62923511.59	62923511.59	(-)
बी.ओ.बी.-003	-	2483492.00	(-) 2483492
बी.ओ.बी.-14719	-	811337.50	(-) 811337.50
बी.ओ.बी.-5909	-	782451.00	(-) 782451.00

बी.यू.जी.बी.-7586	-	11362146.73	(-)	11362146.73
बी.यू.जी.बी.-2443	-	3404545.00	(-)	3404545.00
बी.यू.जी.बी-0029	-	231489.00	(-)	231489.00
बी.यू.जी.बी-0032	-	481118.00	(-)	481118.00
बी.यू.जी.बी.-0032	-	62807.00	(-)	62807.00
	115131240.70	82983827.57		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू.32147413.13 अपुष्ट है। साथ ही युनाइटेड बैंक में जमा दर्शित रू.10201.00 एवं एक्सिस बैंक में जमा दर्शित रू.741726.00 भी अपुष्ट है।
जाँच में पाया गया है बी.ओ.बी अन्तर्गत दर्शित जमा में मुख्य अंतर है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि दर्शित जमा काल्पनिक है। अत: अपहृत/अपुष्ट जमा की वसूली तत्तकालीन जिम्मेदार लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त से दण्ड ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।
(सा0आ0सं0 21)

वर्ष-2013-14

प्रस्तर-09-इकाई त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका चतुर्थ त्रैमास वर्ष 2013-14 के प्रपत्र-7 में कृषि योग्य भूमि शून्य दर्शायी गयी है जबकि दूसरी तरफ कृषि एवं परिपालन से वर्ष की कुल आय रू.5.47 (लाख) अंकित की गयी है तथा बकाया शून्य दर्शाया गया है (प्रपत्र)

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत पंजिका के अनुसार कृषि-भूमि नीलामी से आय व बकाया का विवरण तहसीलवार निम्नवत रहा है-

क्र.स.	नाम तहसील	31.03.13 को बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष में वसूली	31.03.2014को शेष
1.	सदर शाह0	24200.00	-------	----------	24200.00
2.	पुवांया	249250.00	524000.00	300000.00	473250.00
3.	जलालाबाद	91000.00	6000.00	6000.00	91000.00
4.	तिलहर	40000.00	---------	---------	40000.00
	योग	404450.00	530000.00	306000.00	628450.00

उपलब्ध विवरण के अनुसार बकायेदार निम्न लोग हैं-

क्र.स.	नाम बकायेदार	जमीन का विवरण	रकबा	बकाया राशि	ठेका अवधि जबका बकाया
1.	खजान सिंह पुत्र बजरंगी	उ0प्र0पा0 बरनई	2.35 एकड़	7700.00	2002-03
2.	अरविन्द कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	उ0प्र0पा0 मिलिकिया	1.90 एकड़	2500.00	2013-16
3.	राकेश कुमार पुत्र बाबू सिंह	उ0प्र0पा0 गंधार	3.00 एकड़	14000.00	2012-15
4.	रामपाल सिंह पुत्र लालता बख्श	उ0प्र0पा0 जेबा	26.30 एकड़	40750.00	2000-03
5.	रणधीर सिंह पुत्र रामेश्वर	उ0प्र0पा0 जेबा	26.30 एकड़	5500.00	2003-06
6.	जोगेन्द्र सिंह पुत्र बैकुठ प्रसाद	उ0प्र0पा0 खुटार	26.30 एकड़	105000.00	2012-15
7.	अनंगपाल सिंह पुत्र इंद्र	उ0प्र0पा0 खुटार	4.00 एकड़	14000.00	2003-06

	विक्रम				
8.	गुरूचरन पुत्र इंदर सिंह	उ0प्र0पा0 देवकली	13.52 एकड़	2500.00	2002-05
9	श्री निवास पुत्र जागेश्वर	उ0प्र0पा0 देवकली	13.52 एकड़	10000.00	2005-08
10.	नरायन पुत्र बंधा	उ0प्र0पा0 देवकली	13.52 एकड़	20000.00	2010-13
11.	प्रदीप गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश	उ0प्र0पा0 देवकली	13.52 एकड़	224000.00	2013-16
12.	सर्वेश पुत्र उमाशंकर	उ0प्र0पा0 हरिहरपुर	अंकन नहीं	18000.00	2000-03
13.	अनीश शर्मा पुत्र यदुनाथ	उ0प्र0पा0 खुटार	2.21 एकड़	30000.00	2009-12
14.	भृगराज सिंह पुत्र रिषीलाल	उ0प्र0पा0 कटौल	0.81 एकड़	3500.00	2012-15
15.	चरन सिंह यादव पुत्र अभिलास	उ0प्र0पा0 कुवेरपुर	1.20 एकड़	6000.00	2013-16 वसूल
16.	जयवीर सिंह पुत्र पहलवान सिंह	उ0प्र0पा0 परौर	11.485 एकड़	91000.00	2012-15
17.	चंद्रपाल सिंह पुत्र श्याम बिहारी	उ0प्र0पा0 कटरा	5.057 एकड़	40000.00	2000-03
	योग-			628450.00	

नियमानुसार:-

1.भूमि नीलमी की राशि नीलामी पूर्ण होने के तत्कालबाद सम्पूर्ण राशि जमा कराया जाना होता है।

2.सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा होने के बाद ही अनुबंध करने के उपरांत ही कब्जा दिया जाता है।

नियमानुसार कार्यवाहियां तत्तसमय पूर्ण कराये बगैर कब्जा देने के कारण उक्त राशि अवरूद्ध हुई है। इकाई द्रारा अंतरिम आपत्तियों का पारिपालन तक नहीं किया गया है।

अत: उक्त बकाया राशि रू.628450.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त,पटल लिपिक/प्रभारी श्री अजीत अग्निहोत्री पर अवधारित करते हुए दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। तत्कालीन वित्त नियंत्रक व अध्यक्ष की भूमिका की जांच अपेक्षित है।(आप0सं0-2)

प्रस्तर-10. वर्ष आलोच्य में कृषि योग्य मात्र तीन जमीनों की निम्नानुसार नीलामी की गयी है-

1-प्रा0पा0 कुबेरपुर-जमीन 1.20 एकड़ नीलामी राशि 6000.00 अवधि 1.5..13 से 30.4.16 नाम-चरन सिंह यादव पुत्र अविलाख।

2-उ0प्र0पा0 देवकली-जमीन 14.30 एकड़ नीलामी राशि 524000.00 नीलामी प्राप्तकर्ता-प्रदीप गुप्ता अवधि-01.05.13 से 30.04.16

3-प्रा0पा0 मिलकिया-जमीन 1.90 एकड़ नीलामी राशि 22500.00 नीलामी प्राप्तकर्ता-अरविंद कुमार मिश्र अवधि 1.5.13 से 30.4.16 उक्त नीलामी मे आपत्तिजनक रहा कि-

4.क्रमांक 1 में दर्शित भूमि का 30.4.16 तक का ठेका उक्त व्यकित चरन सिंह यादव के पास था। 30.04.13 तक बिना ठेका उठाएं उसी को खेती करने का अवसर अविधिक रूप से दिया गया।

पुन: बगैर नीलामी राशि जमा करायें बिना ठेका उक्त के ही नाम स्वीकृत किया गया तथा 1.5.11 से .4.13 तक की अवधि के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

नीलामी धन विलम्ब से देने पर अनुबंध 22.5.14 को किया गया जो कि 1.5.13 से 30.4.16 तक की अवधि का था।

अनुबंध न होने के बावूजूद सतत् कृषि कार्य करते रहना स्वयं स्पष्ट करता है कि उक्त ठेका पूर्णतया सेटिंग का परिणाम है।

नियमानुसार प्रति एकड़ उपज के आधार पर न्यूनतम नीलामी राशि भी इसी कारण तय नहीं की गयी। मू0स0यो0 में न्यूनतम उपज के अनुसार उपज मूल्य आगणन व लागत (अधिकतम)हटाकर आंकलन करने में प्रतिवर्ष लाभ मु0 20160.00 होता है तो तीन वर्षों में 60480.00 होगा। जबकि दरें बढीं है।

इस प्रकार उक्त ठेका उठाने व समय स ठेका न उठाने के कारण जि0प0 को भारी हानि हुई है, जिसके लिए अपर मुख्य अधि0 लेखाकार श्री लाखन, वित्तीय परामर्शदाता श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव प्रमुख उत्तरदायी हैं। वी-क्रम सं0 2 पर अंकित उच्च प्रा0वि0 देवकली से समबद्ध कृषि योग्य भूमि 14.30 एकड़ की नीलामी कार्या पत्रांक सी-1014 दि. 07.02.13 के क्रम मे दि. 05.03.13 को की गयी ।

तथागत रूप से उपस्थित दर्शित मात्र तीन बोली दाताओं में श्री प्रदीप गुप्ता को रू. 524000.00 पर स्वीकृत हुई। 31.03.14 तक मात्र रू.300000.00 की जमा किये। उक्त के बावजूद उन्हें जमीन पर खेती करने दिया गया। इस प्रकार-

ए- बिना सम्पूर्ण राशि जमा कराये ही कृषि भूमि पर कब्जा कर तीन साल तक खेती करने दी गयी।
वी- स्टैम्प अदा न कर राजकोष को क्षति पहुंचयी गयी।

नियमानुसार नीलामी (न्यूनतम) मूल्य भी निर्धारण नहीं किया गया।

मू0स0यो0 में औसत उपज प्रति एकड़ 20 कु0 प्रति सीजन की आंकलन रू. 1400.00 न्यूनतम दर पर करने व 60 प्रतिशत लागत मानने पर तीन वर्ष का न्यूनतम लाभ रू. 960960.00 होगा जबकि दरें बढी है।

इस प्रकार अविधिक कार्यवाही कर इकाई का धन फंसाया गया व न्यूनतम नीलामी राशि निर्धारित न कर इकाई को तथा अनुबंध किये बगैर कब्जा देकर राजकीय कोष को स्टैम्प के रूप में 26200.00 क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए इकाई के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, वित्तीय परामर्शदाता श्री ओम प्रकाश सक्सेना, लेखाकार श्री लाखन प्रमुख उत्तरदायी हैं साथ ही कई प्रबंधन भी उत्तरदायी है। नियमानुसार उक्त अधिकारियो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11- उ0प्र0वि गंधार से सम्बंध कृषि योग्य जमीन 1.20 हे0 1.5.12 से 30.04.15 तक की अवधि के लिए इकाई कार्यालय के पत्रांक-502 दि.22.08.12 से रू.14000.00 पर श्री राकेश कुमार सिंह को दी गयी थी। उक्त धन 31.03.14 तक बकाया रहा है जबकि जमीन पर राकेश कुमार द्वारा खेती की जाती रही है। नीलामी बिना जमानत राशि जमा कराये ही की गयी थी,क्योकि उक्त तक का समायोजन नहीं किया गया है।

उक्त अवधि (01.05.12 से 30.04.15) के पूर्व भी उक्त जमीन का ठेका राकेश कुमार के पास था। गांव के श्री सुनील कुमार पुत्र हरीराम न शिकायत की थी कि श्री राकेश कुमार द्वारा जि0प0 की उक्त जमीन पर लगे जामुन,शीशम व बबूल व यूकेलिप्टस के पेड़ अवैध रूप से कटवा लिये गये जिस पर इकाई कार्या0 पत्रांक 228/जि0प0/2010-11 दि0 03.07.2010 से श्री सत्येन्द्र श्रीवास्तव अवर अभियांता को जांच हेतु पत्र जारी किया गया।

उक्त पत्र में 20 यूकेलिपटस के वृक्ष काटने की जांच को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि शिकायती पत्र में जामुन,शीशम,बबूल व यूकेलिप्टस के पेड़ काटने का सन्दर्भ है, किन्तु जांच हेतु जारी पत्र में 20 यूकेलिप्टस के काटने की जांच हेतु लिखा जाना प्रकरण में मिली भगत को उजागर करता है।

जांच आदेश जारी करने के बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा प्रकरण दवा दिया गया।

शिकायतकर्ता श्री सुनीलकुमार न रू. 30000.00 पर ठेका लेने की सहमति भी दी, किन्तु उसे अवसर नहीं दिया गया और न ही श्री राकेश कुमार से नीलामी राशि जमा करायी।

31.03.2014 को इकाई की चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका में इकाई के पास 2050 पेड़ होना अंकित किया गया है किन्तु उक्त पेड़ कहाँ कहाँ हैं एवं किस प्रजाति के कितने पेड़ है, का कोई विवरण नही है उक्त से स्वत: है कि भारी पैमाने पर गोल-माल कर अवैधानिक कार्य स्वहित मे किये जा रहे हैं।

यूकेलिप्टस के पेड़ लगाये जाते हैं। उक्त पेड़ कब लगवाये गये, अस्पष्ट है। अन्य पेड़ स्वय भी उग आते है।

शिकायती पत्र के बिन्दुओं में हेरीफेरी करना, जांच दबाना, नीलामी राशि जमा न कराना, कोई विधिक कार्यवाही न करना, अवैध वृक्ष कटान के सम्बंध में वन विभाग को सूचित न करना एवं एफ0आई0आर0 न कराना आदि अवैधानिक कृत्य इकाई के कार्यकारी अधि0 व प्रबंध के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। अंतरिम आप0 का भी कोई जवाब न दिया जाना प्रकरण में संलिप्तता को ही प्रकट करता है।

ले0प0 के मौखिक संज्ञान में आया कि काफी पुराने 9-10 शीशम के पेड़ 5-6 पुराने जामुन के पेड़, 8-10 बबूल के पुराने पेड़ व 10-12 यूकोलिप्टस के पेड़ थे, जिनकी अवैध कटान की गयी है जांच पत्र में वन अधिकारी के अन्तर्गत अवैधानिक कृत्य स राकेश कुमार सिंह को अज्ञात कारणों से बचाने के लिये यूकेलिप्टस के पेड़ लिखा गया है।

उक्तानुसार अनुमानित कीमत रू. 600000.00 से700000.00 के मध्य होनी चाहिए। श्री राकेश कुमार को लाभ पहुंचाने में पटल प्रभारी श्री अजीत कुमार अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, श्री सत्येनद्र कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता उत्तरदायी है। अत: औसत मूल्य रू. 650000.00 की वसूली दण्ड ब्याज सहित श्री अजीत कुमार पटल लिपिक, अवर अभियंता सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। इकाई अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच कर कार्यवाही अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-12-ले0प0 मे विगत वर्षों में नीलामी की गयी कृषि योग्य भूमि की निम्न पत्रावलियां प्रस्तुत की गयी-

क्रसं0	नाम स्थान	सम्बद्ध	नीलामी तिथि	ऱाशि	प्रयुक्त स्टैम्प
1.	उ0प्रा0वि0 चित्तरपुर नवदियां (पंत्राक-सी-1485 दि0.13.03.12)	0.789 हे0	05.04.12	15000.00	100+10=110
2.	प्रा0पा0 नवलपुर चिंता (353/सम्पत्ति जि0प0 03.07.2012)	0.3 हे0	03.07.12	17500.00	100+10=110
3.	प्रा0पा0 बरनई	0.9 हे0	03.07.12	6000.00	100+10=110

उक्त में-

1.स्टैम्प डयूटी अनुबंध में मात्र रू. 100.00 ली गयी तथा रू 10 के स्टैम्प पर शपथ पत्र लिया गया है, जबकि नियमानुसार स्टैम्प 5 प्रतिशत की दर से रू. 38500.00 पर रू. 1925.00 के लिये जाने थे। इस प्रकार रू 1595.00 से शासकीय कोष को क्षति जान-बूझकर गयी है।

2- अप्रत्याशित रूप से भी नीलामी मे बोली लगाने वाले मात्र 3 ही लोग रहे हैं।

अत: रू 1925.00 की वसूली दण्ड ब्याज सहित तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्ता व पटल सहायक श्री अजीत कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। साथ ही विगत समस्त भूमि नीलामी पंजिकाओं की जांचकर स्टैम्प कम लगाकर अनुबंध किये जाने पर शासकीय कोष को हुई क्षति का आकंलन कर तथा दायित्व निर्धारण कर दण्ड ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही कर शासकीय कोष को हुई क्षति की पूर्ति की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर 13- इकाई की चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका (2013-14) के प्रपत्र 3 में नौकाघाट से वर्ष आलोच्य मे कुल वसूली 0.16 (लाख) तथा बकाया राशि शून्य दर्शित करने के बाद बकायेदारों की संख्या 51 व आर.सी. के अंर्तगत राशि रू. 1.69 (लाख) दर्शित है। पंजिका की जांच में पाया गया कि 31.03.14 को कुल बकाया रू 276619 है जो काफी पुराना है। जिसकी वसूली के लिए वर्तमान पटल लिपिक द्वारा आर.सी. आदि की कार्यवाही की जा रही हैं। इस प्रकार विवरणी में त्रुटिपूर्ण व मनमानी पूर्वक काल्पनिक विवरण दर्शाया गया है।

कोई भी ठेका सम्पूर्ण राशि जमा करने के बाद दिया जाता है तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व पटल लिपिक द्वारा नियम विरूद कार्य किये जाने के कारण उक्त बकाया पड़ा है।

अत: जांचोपरांत उक्त राशि रू 276619.00 की वसूली दण्ड ब्याज सहित तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त व पटल लिपिक (तत्काल) से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-14- शासनादेश सं0 3891/77-5-200-1 (216) 93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार लेपन कार्य (सड़क निर्माण) के बिलों के भुगतान के पूर्व ठेकेदार से वैद्ध रवन्ना (एम-एम-11) लिया जाना अनिवार्य है। वैध रवन्ना (एम-एम-11) प्रस्तुत न होने पर शासनादेश से निर्धारित दरों के अनुसार बिलों से रायल्टी की कटौती कर शासकीय कोष में निर्धारित शीर्ष में धन जमा कराया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि स्टोन आदि का प्रयोग सड़क निर्माण में ठेकेदारों द्वारा किये जाने के बाद भी वैध रवन्ना (एम-एम-11) प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इकाई अधिकारियों ने भुगतान करते समय शासनादेशानुसार रायल्टी की कटौती न कर शासकीय कोष क्षति पहुंचायी है।

वस्तुत: स्टीमेंट बनाने में ही रायल्टी का शीर्षवार आवेदन करना था तथा पत्रावली प्रस्तुत करने में सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तथा पटल लिपिक का ही दायित्व था कि रायल्टी की कटौती कर भुगतान हेतु पत्रावलियां उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते।

प्रयुक्त सामग्री का लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों (व्यय प्रमाणकों) के अनुसार विवरण इस प्रकार रहा है-

क्रसं.	कार्य का नाम	स्टोन ब्लास्ट 40-90	कोर सेण्ड	स्टोन ब्लास्ट 45-63	स्टोन ब्लास्ट 224-531	स्टोन डस्ट	स्टोन ग्रिट 1321	स्टोन ग्रिट 11-	स्टोन ग्रिट 2-36
1.	नेशनलहाइवेमहेश से फकीरे लालमजरा तक लेपन	210.20	-	127.90	102.30	19.42	23.02	11.50	7.66
2.	ढखना जटिया मेंलेपन	673.10	-	63.95	51.15	9.71	11.51	5.75	3.83
3.	जैतीपुर के ग्राम मुड़िया में लेपन	41	-	30.75	30.75	5.85	5.40	2.70	1.80
4.	खुटार के ग्राम तुलापुरमें लेपन	57.75	-	112.5	100	-	-	-	-
5.	जनकपुरमेंलेपन	911.25	113.40	562.50	418	71.20	33.75	16.87	11.25
6.	खुटार कुइयां मेंलेपन	243	150	150	120	-	-	-	-
7.	पनवाड़ी मार्ग से निमापुर मे लेपन	50	-	150	150	-	-	-	-
8.	खुटार के ग्राम बुझिया में लेपन	486	88.70	300	300	57	27	13.50	9.00
9.	देवकली मार्ग से नरायनपुर गंगा	367	102.06	337.50	306	42.70	20.75	10.12	6.75
10.	रघुनाथपुरसे रायपुरमें लेपन	235	42	148.10	147	27.72	26.07	13.20	8.80
11.	वीरमपुर में लेपन	3340.50	566.60	1725	1725	327.75	124.20	62	41.40

12.	**यावलखेड़मेंलेपन**	**128.85**	**24.50**	**79.92**	**79.12**	**16.93**	**16.04**	**8.02**	**5.34**
13.	**चंदपई में लेपन**	**375.52**	**69.50**	**230.26**	**230.26**	**43.74**	**20.72**	**10.35**	**6.98**
14.	**पहरानपुरमें लेपन**	**485.40**	**90.90**	**300**	**300**	**57**	**54**	**27**	**18**
15.	**मूड़ाखेड़ा में लेपन**	**620.90**	**115.90**	**385.76**	**385.76**	**73.28**	**34.72**	**17.36**	**11.57**
16.	**बुधवानापरौरमार्ग से गिरधरपुर में लेपन**	**-**	**-**	**26.10**	**42**	**8**	**23.10**	**23.10**	**15.80**
17.	**तिलहर स0 मा0 सेबंधागांव**	**106.50**	**-**	**90**	**90**	**17.10**	**16.20**	**8.10**	**7.20**
18.	**चिन्नौर पुवांया रोडसेगुलबड़ी कालोनीहोतेहुए चिन्नौरलेपन**	**138.79**	**33.29**	**85.81**	**85.81**	**-**	**-**	**-**	**-**
19.	**नगरिया बहाव (चिन्नौर) में डाक मरीकण II**	**81.73**	**-**	**50.62**	**50.62**	**-**	**-**	**-**	**-**
20.	**बिलग्राम हाइवें से गिरधारी नगर होते हुए अभी लोन तक 1st**	**235**	**-**	**150**	**147.60**	**14**	**-**	**-**	**-**
21.	**भरगवांपसगंवा रोडसे गैरिया मार्ग पर लेपन 1st**	**415.30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22.	**सिधौली के ग्राम नगरिया में लेपन**	**151.87**	**26.25**	**85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
23.	**सिधौली के ग्राम सेदापुर में लेपन कार्य**	**121.50**	**22.68**	**75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	योग	**9476.28**	**2136.08**	**5266.67**	**4871.37**	**791.40**	**436.59**	**229.57**	**155.30**

उक्त सामग्री पर शासनादेश के अनुसार रायल्टी निम्नानुसार वजिव होती है:-

1.स्टोन ब्लॉस्ट- 1961.32*50=980716

2.स्टोन ग्रिट- 821.38*102=83780.76

3.स्टोन डस्ट- 791.40*102=80722.80

4.कोर सैण्ड- 2136.08*33=70490.64

योग-**1215710.20**

लेखा परीक्षा में सम्पूर्ण प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण उक्त विवरण सम्पूर्ण नहीं है। अंतरिम आय का भी पारिपालन नही किया गया है।

भुगतान के समय वैध रवन्ना (एमएम-11) न लिये जाने से दर्शित कृत कार्यों की निर्धारित गुणवत्तायुक्त होने में संदेह है। एम.वी की सत्यता भी उक्त के कारण पूर्णतया संदिग्ध। वास्तव में वैध रवन्ना (एमएम-11) से ही दर्शित प्रयुक्त सामग्री के कार्यस्थल पर पहुंचने व प्रयोग होने की पुष्टि होती है।

वाजिब सम्पूर्ण रायल्टी की आगणन करने हेतु दायित्व अवधारित किये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अत: रायल्टी जमा न होने से शासकीय कोष को हुई क्षति रू. 1215710.20 की वसूली दण्ड ब्याज सहित श्री अनिल कुमार व्दिवेदी पटल लिपिक, श्री लाखन लेखाकार, श्री सुशील कुमार गुप्ता व श्री प्रदीप कुमार सक्सेना अपर मुख्य अधिकारी(कार्य अवधि के अनुसार) श्री ओम प्रकाश सक्सेना वित्तीय परामर्शदाता व सम्बंधित ए.ई. व जे. ई. पर अवधारित कर वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-15-सिधौल-रक्शा मेन चौराहा परचारों ओर 200 मी0 सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य ठेकेदार श्री मुकेश सक्सेना द्वारा कराया गय जिसका भुगतान दि0. 13.08.13 को रू.754522.00 किया गया है।

ग्राम प्रधान की उक्त स्थल पर लगी 50000 ईटों के गायब करने की शिकायत पर अवर अभियंता द्वारा कुल क्षति 25 % के आधार पर मात्र रू. 10350.00 आंकलित की। पत्रावली में अंकन है कि आंकलित मूल्य रू. 10350.00 की कटौती ठेकेदार को आवंटित कार्य हथौड़ा बुर्जुग में स्टेडियम से गोपाल के मकान तक सी0सी0 रोड़ (टी.एफ.सी. का कार्य) से कर ली है।

उक्त से स्पष्ट है कि-

1.तत्कालीन अवर अभियंता ने बगैर स्थलीय सत्यापन किये स्टीमेंट बनाया व एम.वी. की है।

2.200 मी0 स्थल पर गणनानुसार कुल ईटें खडण्जे में 34800(200*3*58) प्रयोग होंगी तथा नाली भी बनी थी तो संख्या और अधिक होगी।

ठेकेदार द्वारा ईट प्रयोग कर लेने के बाद अवर अभियंता द्वारा 25 प्रतिशत मूल्य आंकलन का कोई आधार नहीं है।

3.गलत कार्य का चयन, बिना स्थलीय सर्वे के स्टीमेंट बनाने से शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी गई व ठेकेदार को लाभ।

4.यदि प्रधान द्वारा शिकायत न की जाती तो वास्तविक तथ्य छिप जाता व ठेकेदार लाभ ले लेता।

अंतरिम आप0 दि0 16.08.2017 का परिपालन नहीं किया गया और ग्राम पंचायत को धन नहीं दिया गया।

5.अवर अभियंता को कैसे पता चला कि हानि मात्र 25 % हुई। कब खडण्जा लगा था यह भी स्पष्ट नहीं है। स्टीमेट में तो कुछ दर्शित ही न था।

6.पत्रावली में **कीप्लान** सर्वे रिपोर्ट **क्रास** सेक्सन, फोटो आदि संलग्न नहीं है।

समय से कार्य पूरा न करने पर ठेकेदार को दिखावे के लिए अति अल्प दण्ड रू.1000.00 आरोपित किया गया है।

अत: खण्डजे पर पूर्व से लगी ईटों का मूल्य रू.191400.00 (दर रू. 5500.00 पर) की वसूली दण्ड ब्याज सहित ठेकेदार श्री मुकेश कुमार सक्सेना व अवर अभियंता श्री सतेंद्र कुमार श्रीवास्तव से करते हुए वसूला गया धन जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहाँपुर की संज्ञानता में लाते हुए ग्राम पंचायत के खाते में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित रहा।

उक्त से यह भी स्पष्ट है कि अभियंता/अवर अभियंताओं द्वारा स्टीमेट बिना स्थलीय सर्वे के काल्पनिक रूप से बनाये जाते हैं व एम.बी. की जाती हैं, जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आश्चर्यजनक व अति गंभीर आपत्तिजनक तथ्य यह रहा कि कल्पित स्टीमेट की संज्ञानता के बाद भी अवर अभियंता के खिलाफ कोई कार्यवाही तक नहीं की गयी।(आप0सं013)

प्रस्तर-16-एस.एफ.सी. योजना से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि जिन ठेकेदार के टेण्डर स्वीकृत किये गये हैं उनसे योजना लागत के 0.72 प्रतिशत लागत के स्टैम्प पर अनुबंध

करने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद अनुबंध मात्र रू. 100.00 मूल्य के स्टैम्प पर किया गया है। जिसमें अंकन है कि-

1.मान0 उच्चतम न्याय द्वारा यदि राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय हो जाता है तो नियमानुसार स्टाम्प अदा कर दूंगा।

2.शासनादेश सं0 रा0वि0का0नि0 5-1712(एल) 11-2000-500 (डब्लू-29)2006 दि0. 02.05.2016 के अंर्तगत रू. 100/शुल्क अदा करना चाहता हूं।

विवादित इस सम्बंध में जब अंतरिम आप0 दि0. 26.08.2017 से वाछित स्पष्टीकरण का इकाई द्वारा कोई परिपालन नहीं किया गया।

जनपद का कोई ठेकेदार ने स्टैम्प की देयता के संबंध में किसी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत नहीं की है और न ही किसी रूप में किसी भी न्यायालय मे पक्षकार है। अत: वह किसी भी रूप में स्टैंम्प से छूट पाने का हकदार नहीं है। अकिंत शासनादेशानुसार भी वह स्टैम्प से मुक्त किये जाने योग्य नहीं है।

सभी ठेकेदारों से मांग के अनुरूप स्टैम्प मूल्य पर ही अनुबंध किया जाना चाहिये थे। इकाई प्रबंधन ने स्टैम्प छूट में किसी भी प्रकार की छूट देने का कोई संकल्प कभी पारित ही नहीं किया।

पटल लिपिक, अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्टैम्प में ठेकेदारों को अनांधिकार छूट देकर शासकीय कोष को क्षति पहुंचायी है। इकाई कार्यालय को यह तक नहीं मालूम कि मा0 उच्चतम न्यायालय में कौन सा वाद चल रहा है तथा वाद संख्या क्या है, निर्णय की स्थिति क्या है।

वर्ष आलोच्य में एस.एफ.सी. योजना से कांट में नहर से सरनाम सिंह यादव के मकान तक 200 मी सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य की लागत रू. 7.55 (लाख) के 0.72 प्रतिशत की दर से अवधारित स्टैम्प मूल्य रू.5400.00 पर ठेकेदार गुप्ता बिलडर से अनुबंध किया गया है।

लेखापरीक्षा को मौखिक रूप से तेरहवे वित्त आयोग के धन से कराये गये कार्यों के पटल प्रभारी श्री अनिल कुमार द्विवेदी द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से यहां इसी तरह से रू 100.00 के स्टैम्प पर अनुबंध ठेकेदार से किया जाता है।

इस प्रकार इकाई द्वारा ठेकेदारों के अनियमित रूप से स्टैम्प में छूट देकर शासकीय कोष को क्षति पहुँचायी जा रही है। नियमानुसार मांग के अनुसार निर्धारित दर पर स्टैम्प पर अनुंबंध किया जाना था।

वर्ष आलोच्य में इकाई द्वारा कुल रू 162721715.00 से विभिन्न कार्य कराना दर्शाया जा रहा है। जिन पर कुल स्टैम्प मूल्य रू.1171596.00 अदा होने थे किन्तु कुल रू. 28500.00 के ही स्टैम्प प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार रू. 1143096.00 की कम स्टैम्प लेकर राजकोष को पहुंचायी गयी है जो विगत वर्षों से सतत जारी है।

अत: रू.1143096.00 की वसूली अनाधिकार ठेकेदारों को छूट देने वाले पटल प्रभारी श्री दिनेश कुमार द्विवेदी श्री दिनेश वर्मा तकालीन अभि0 श्री ओ0पी0 मिश्र अपर मुख्य अधि0 श्री सुशील कुमार गुप्ता व श्री प्रदीप कुमार सस्सेना से दण्ड ब्याज सहित करते हुए धन राजकीय कोषागार में जमा कराते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। पदेन दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने के लिये तकालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री ओम प्रकाश सक्सेना के विरूद्ध भी प्रशासनिक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दूसरी तरफ विभिन्न मेलों के ठेकेदारों से अनुबंध ठेका मूल्य 0.81%, 0.826%, 0.84%, 0.802% आदि की दर से किये गये हैं। (आप0-14)

प्रस्तर-17- दिनांक 26.02.14 को चेक सं0 002245 से रू. 170021.00 का भुगतान (राज्य वि0 आयोग के धन से) एम. एस. ओग ट्रेडर्स को अध्यक्ष के कैम्प कार्यालय पर हुए व्ययों का किया गया है।

भुगतान प्रमाणक के साथ व्यय प्रमाणक संलग्न नही होने से व्यय की वास्तविकता की पुष्टि कराने हेतु दि0. 26.08.17 को जारी अंतरिम आप0 का इकाई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

बिना व्यय प्रमाणकों के धन व्यय किया जाना धन का अपहरण है। अत: अपहरित धन रू.170021.00 की वसूली लेखाकार श्री लाखन व अपर मुख्य अधि0 श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यावाही अपेक्षित रही। (आप0-15)

प्रस्तर-18- विभिन्न योजनाओं से प्राप्त धन को बैंकों के विभिन्न खातों में रखने से निम्नानुसार ब्याज प्राप्त हुआ है-

1.तृतीय राज्य वित्तय आयोग ए./सी.411601000000- 531100.00

2.तेरहवें वित्त आयोग ए.सी. 10470100014719 - 1002715.00

1533815.00

शासनादेश सं0-10/2025/ए-1-502/दस-2015-10 (33) 2010 दि0 29.05.2015 व शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10 (33) 2010 दि0. 21.03.2012 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

इकाई द्वारा उक्त प्राप्त को अपनी आय में दर्शित किया गया है एवं राजकोष में जमा नहीं किया गया हैं. जो कि सर्वथा आपत्तिजनक रहा। उक्त के प्रति जिम्मेदार लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

शासनादेश के अनुसार रू.1533815.00 राजकोष में जमा किया जाना व उत्तरदायी लेखाकार श्री लाखन के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। (आप0-16)

प्रस्तर-19- मृत पशु शव हड्डी चमड़ा नीलामी पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड खुटार, भावलखेड़ा,कलान,मदनापुर व जलालाबाद कुल-05 में नीलामी ही नहीं की गयी और न ही प्रयास किया गया।

जिन विकास खण्डों में नीलामी की गयी है उनका विवरण इस प्रकार रहा-

क्र.सं.	नाम वि0ख0	नीलामी/आवंटी	राशि	पत्रांक/ दिनांक
1.	मिर्जापुर	मृत पशु शव छेदन एवं उपयोग सह0समि0 जरीनपुर	46800.00	788/31.03.13
2.	खुदागंज	मृत पशु शव छेदन एवं उपयोग सह0समि0-अकबरी	160100.00	785/31.03.13
3.	ददरौल	मुन्ना पत्र रफीउल्ला इकनौरा	126500.00	800/31.3.13
4.	निगोही	मो0 अकील पुत्र शब्बीर खेड़ा	67000.00	786/31.3.13
5.	पुवांया	मृत पशुशव छेदन एवं उप0सह0समि0-बडागांव	67000.00	801/31.3.13
6.	सिधौली	मृत पशुशव छेदन एवं उप0सह0समि0-सिधौली	60500.00	787/31.3.13
7.	बण्डा	नदीम पुत्र सद्दीक मुरादियाकर	60500.00	/31.3.13
8.	जैतीपुर	लडड्न कुरैसी पुत्र छेदाबक्श दीनपर	77000.00	782/31.3.13
9.	तिलहर	आजाद कुरैसी पुत्र रियाज मिल्लीपुर	100000.00	783/31.3.13
10.	कांट	मृत पशुशव छेदन एवं उप0सह0समि0-नगरबरेण्डा	234500.00	780/31.3.13
योग-999900.00				

चतुर्थ त्रैमास 2013-14 की समीक्षा पुस्तिका में गत बकायागत 3.98 (लाख) व वर्ष का माग 2.30 लाख दर्शित की गयी है वर्ष आलोच्य में कोई नीलामी नहीं हुई ऐसी अवस्था में वर्ष की मांग का कोई औचित्य नहीं बनता है।

पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

1.कथित दर्शित नीलामी वास्तव में कभी सार्वजनिक रूप से हुई ही नहीं क्योंकि नीलामी बोली राशि कभी खाते में जमा ही नहीं हुई एवं न ही कोई रसीद ही काटी गयी।

2.प्राय: गत ठेकेदारों को ही 10% बढाकर कथित नीलामी पश्चात ठेका दे दिया गया है।

3. सभी पत्रावलियां अपूर्ण पायी गयी। कुछ पत्रावलियां य़था निगोही, पुवांया बण्डा जैतीपुर तिलहर आदि में मात्र दो-दो ही कागज लगे पाये गये।

4. नीलामी का धन नीलामी के बाद कब एवं किस बैंक खाते में जमा हुआ आदि विवरण पटल प्रभारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। कोई स्पष्ट लेखा तक नही रखा गया।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सा0 682 बी/33-3-14(2)/84 दि. 10.031987 एवं शासनादेश सं0 2203/3-2-797-43 बी (8)/95 टी.सी. दि. 30.05.97 के अनुसार पशुसव पशु शव निस्तारण से हुई आय से 50% अंश ग्राम पंचायतों को भी अंतिरित नहीं किया गया।

पांच विकास खण्डों में नीलामी न कर इकाई को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी। जो कि कई लाखों की होगी तथ विधि अनुसार नीलामी न करने से प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप इकाई को संभावित अधिक आय से महरूम होना पड़ा है। जिसके लिये प्रमुख उत्तरदायी पटल प्रभारी लिपिक श्री अनिल कुमार द्विवेदी हैं।

अत: जांचोपरांत आवश्यक वसूली नीलामी न कर इकाई को क्षति पहुंचाने, पंचायतों को अंश न देने के प्रति श्री अनिल कुमार द्विवेदी पटल प्रभारी लिपिक व अपर मुख्य अधि0 श्री सुशील कुमार गुप्ता एवं श्री प्रदीप कुमार सक्सेना के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। सम्यक कार्यवाही समय से न करने के कारण तत्काल वित्तीय परामर्शदाता श्री ओम प्रकाश सक्सेना के विरूद भी प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप0-17)

प्रस्तर-20- चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका 2013-14 के अनुसार सम्पति एवं विभवकर शीर्ष में निम्नानुसार विवरण दर्शित है-(लाख)

		कर पंजिकाओं के अनुसार
1.4.13 को गत बकाया -	98.23	108-205449
वर्ष की कुल मांग -	32.85	27-95150
वर्ष मे वसूली-	13.88	14-83114
वर्षान्त में बकाया-	117.25	122-18985

कर मांग वसूली पंजिका की जांच में पाया गया कि भारी मात्रा में विगत वर्षों में की गई कर वसूली को आलोच्य वर्ष की वसूली में अंकित किय गया है, जिसका योग रू 140700.00 होता है। विकास खंडवार कर संबंधी विवरण इस प्रकार रहा-(पंजिका के अनुसार)

क्र.स.	**नाम विकास खण्ड**	**गत बकाया**	**वर्ष की मांग**	**वसूली**	**अग्रिम वसूली**	**बकाया**
1.	कलान	599412.45	10000	6100	18100	6033312.45
2.	जलालबाद	506408.02	145600	50185.98	3400	601822.04
3.	खुदागंज	584068.67	28300	23300	9700	589068.67
4.	ददरौल	491014.55	292400	125566.19	------	607848.36
5.	निगोही	117283.75	3000	3200	----	117083.75
6.	जैतीपुर	525495.06	41000	-------	5800	566495.06
7.	मिर्जापुर	608159.63	78600	66957.24	8700	619802.39
8.	पुवांया	991366.51	303800	164245	2100	1130921.51
9.	खुटार	1423959.71	349400	89345.11	700	1784014.60
10.	बण्डा	982838.73	485400	291640.62	400	1176598.11
11.	सिधौली	1465607.15	268300	117940.96	3650	1615966.19
12.	भावलखेड़ा	1183204.84	584400	418143.22	-----	1349461.62
13.	तिलहर	617923.84	-------	--------	-------	617923.84

14.	मदनापुर	219822.81	95400	68400	-------	246822.81
15.	कांठ	553984.22	99150	61290.48	-------	591843.74

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि-

1.विकास खण्ड तिलहर के कर निरीक्षक द्वारा न तो कोई मांग लगायी गयी और न ही काई वसूली ही की गयी। बिना कार्य के वर्षपर्यन्त वेतन लिया गया। जो कि अनियमित रहा।

2.विकास खण्ड निगोही में मात्र रू.300.00 मांग लगायी व रू 3200.00 वसूली की स्पष्ट है की स्पष्ट है कि नियमानुसार न तो मांग लगायी गयी और न ही वसूली बिना कार्य किये वर्षपर्यन्त वेतन लिया गया जो कि अनियमति रहा।

3.विकास खण्ड कलान में न तो नियमानुसार मांग लगायी और न ही वसूली की गयी बिना कार्य के वेतन प्राप्त किया गया जो कि अनियमति रहा।

4-वि०ख० खुदागंज, जैतीपुर, कांठ व मिर्जापुर में नियमानुसार सभी पात्रों पर कर की मांग नहीं लगायी गयी और न ही वसूली की गयी। जैतीपुर में भी वसूली नहीं की।

5-बकाया वसूली का प्रयास किसी स्तर से नहीं किया गया और न ही पर्याप्त विधिक कार्यवाहियां ही की गयी है।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि इकाई के टैक्स अधिकारी द्वारा विकास खण्डों में टैक्स के पात्र दुकानों/भवनों/भठठों आदि की कोई प्रमाणित सूची नहीं रखी और न ही टैक्स अवधारण की जांच ही की। यही नहीं इकाई के किसी भी अधिकारी ने टैक्स अवधारण व वसूली की कर्मी कोई समीक्षा भी नहीं की। इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों को भ्रामक आंकडे प्रस्तुत कर भ्रमित किया गया, जबकि इकाई की आय का प्रमुख स्त्रोत कर ही हैं।

अतः भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करने एवं बकाया कर रू0 12218985.14 जान बूझकर वसूली न करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।यदि बकाया वसूली नहीं होती तो उक्त का दायित्व सम्बंधित क्षेत्र के कर संग्रहकर्ताओं, कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप0-18)

प्रस्तर-21-इकाई की चतुर्थ त्रैमास की समीक्षा पुस्तिका के अनुसार सम्पत्ति से आय दुकान व भवन किराये का विवरण निम्नवत् किया गया है-

गत बकाया- 26.44 (लाख)

कुल मांग- 45.00 (लाख)

कुल वसूली- 51.50 (लाख)

वर्षान्त में बकाया- 19.94 (लाख)

ले0प0 में प्रस्तुत पंजिका के अनुसार वास्तविक स्थिति निम्नवत पायी गयी-

नाम तहसील	गत बकाया	वर्ष की मांग	कुल वसूली	बकाया
सदर	296549.00	132718.00	41443.00	379869.00
जलालाबाद	586413.00	235441.00	223017.00	548245.00
पुवांया	556507.00	401051.00	203222.00	793056.00
तिलहर	172002.00	187439.00	58089.00	301829.00
योग	1611471.00	956649.00	525771.00	2023002.00

इस प्रकार गत बकाया रू0 10.33 तथा कुल भांग रू० 35.43 (लाख) व कुल वसूली रू0 46.24 (लाख) अधिक दर्शाया गया। वर्ष में बकाया 0.29 लाख कम दर्शया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा यह जानकारी मांगने की दर्शित वसूली रू0 51.50 (लाख) कहां व किस बैंक खाते में जमा किये गये, स्पष्ट नहीं किया गया।

उक्त के सम्बंध में किराया अनुबंध व आवंटन पत्रावलियां लिखित रूप से मांगने की दर्शित वसूली रू0 51.50 (लाख) कहां व किस बैंक खाते में जमा किये गये, स्पष्ट नहीं किया गया।

उक्त के सम्बंध में किराया अनुबंध व आवंटन पत्रावलियां लिखित रूप से मांगने पर भी पटल लिपिक श्री अनिल कुमार द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अपर मुख्य अधिकारी के निर्देशों के बावजूद श्री अनिल कुमार द्विवेदी द्वारा संगत पत्रायलियां प्रस्तुत नहीं की गयी पंजिका की जांच में पाया गया -

1-भूखण्ड/दुकान/भवन आवंटन पूर्ण।। नियम विरूद्ध किया गया।

2- स्वयं श्री अनिल कुमार द्विवेदी ने चिनौर में अनियमित आवंटन करवाया व आसपास के अन्य आवंटियों से जमीन खरीद कर काबिज हो गये।

इसके अतिरिक्त श्री लाखन, श्री हना सईद खां, श्री श्याम लाल आदि ढेरों कर्मचारियों को भूखण्ड/दुकानें व आवासों का अनियमित रूप से आवंटन किया गया तथा अति अल्प किराया निर्धार किया। प्रीमियम तक नही लिया गया।

जिला पंचायत के डाक बंगला एवं अन्य आवास का आवंटन सम्पूर्ण विधि व्यवस्था के विपरीत जनप्रतिनिधियों एवं प्राइवेट व्यक्तियों को आवंटित किये गये।

4-भूखण्ड/आवास एवं दुकानों के आवंटन में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया जानबूझकर पूर्ण नहीं की गयी, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि कथित आवंटी प्रकरण कोर्ट ले जाकर पूर्णतया काबिज हो सके।

5-जिला पंचायत कार्यालय में अशोक कुमार पुत्र बनवारी को कैण्टीन हेतु जगह 20.7. 98 को आवंटित की गयी थी जिस पर रू0 63500/- किराया बकाया है। अशोक कुमार ने कोर्ट में केस दायर कर रखा है। पहले कैण्टीन कार्यालय प्रांगड़ में थी। मुकदमें के दौरान ही जिला पंचायत के गेट के पास पक्की दुकान बनाकर उसके वहां दुकान दे दी गयी। वाद अभी भी चल रहा है।

6-ऐसा भी पाया गया कि इकाई प्रबंध द्वारा दुकानें व भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया है किन्तु पाया गया कि उक्त का आवंटन पहले ही हो चुका था। उदाहरण स्वरूप इकाई प्रबंध कमेटी ने अपनी बैठक दि० 24.8.13 के प्रस्ताव सं0-5 से पुवायां अस्पताल में दुकाने व भूमि के आवंटन करने का संकल्प पारित किया गया। जबकि दुकान/मूखण्ड आवंटन पंजिका के अनुसार वहां आवंटन 11.9.2012 व 15.7.13 को ही 6 लोगों को 10 वर्ष के लिये किया जा चुका था।

7-जू0ह0 निगोही की जमीन से अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होना प्रबंध कमेटी की बैठक दि० 24.08.13 के प्रस्ताव में अंकन है, किन्तु आगे कार्यवाही शून्य रही। जलालाबाद में नल वाली गली की जमीन की यही स्थिति है।

8-लेखा परीक्षा के संज्ञान में मौखिक रूप से आया कि इकाई की ढेरों दुकानें इकाई कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों आदि के नाम पर ले रखी हैं तथा उसकी कोई बिकी कर रहा है तो काई किराये पर दे रखा है।

इकाई प्रबंध कमेटी की बैठक दिनांक 24.8.13 के प्रस्ताव सं० 5 (4) सें नी अंकन है कि-कुछ दुकानों को मूल आवंटियों ने किराये पर दे रखी हैं। सभी से रू० 15000-25000/- प्रीमियम जमा कराने व 25% किराया बढ़ाने का संकल्प पारित करने के बावजूद कोई कार्यवाही करा पाने में प्रबंध निष्फल रहा है। ?

9-इकाई कर्मचारियों एवं प्राइवेट व्यक्तियों ने इकाई के गोदामों/भवनों / गेस्ट हाउस पर कब्जे कर रखें हैं, किन्तु खाली कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

10- इकाई कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके कब्जे से इकाई अपना भवन खाली कराने में असमर्थ रहा है। उदा० श्री लाखन लेखाकर आदि।

11- आवंटन पंजिका की जांच में पाया गया कि दो-चार आवंटियों को छोड़कर कभी किसी आवंटी का रिनीवल नहीं किया गया जबकि आवंटन 5 से 10 वर्ष का हुआ था।

12- किराया भी बढ़ाने का प्रयास अधिकांश आवंटियों का नहीं किया गया।

13- पंजिका की जांच में यह भी पाया गया कि किराया वाजिब करने के बाद काटा गया है।

14-पंजिका में काफी कटिंग एवं उपरि किया गया एवं काफी कमांक रिक्त छोडे गये हैं।

15- बकाया किराये वसूली के कभी भी परिणामदायक प्रयास नहीं किया गया। जहां भी कोई विधिक कार्यवाही की गयी वही पर सम्यक औपचारिकताएँ पूर्ण न होने के कारण तथा लचर पैरवी के कारण विवादित स्थिति उत्पन्न हुई एवं आवंटी को राहत मिली।

16- इकाई के जितने भी कर्मचारियों को भूमि/भवन का आवंटन किया गया उनसे कभी भी भूमि / भवन खाली नहीं कराया जा सका।

17-, लेखा परीक्षा में ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दुकानो/भवनों / भूखण्डों वः। आवंटन विधि अनुरूप किया गया हो

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्पष्ट है कि पूर्णरूपेण विधि विरुद्ध दुकानों/भूखण्डों/भवनों का आवंटन किया गया। कथित आवंटन में पारदर्शिता का पूर्ण अभाव रहा। लेखा परीक्षा से पत्रावलियां छिपाये रखने का मूल उद्देश्य वास्तविकता तथ्य प्रकाश में आने से रोकने के अतिरिक्त कुछ न था। इकाई के अध्यक्षों की भूमिका भी उक्त में पूर्णतया संदिग्ध रही। संलिप्तता के कारण किसी अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी ने पटल प्रभारी श्री अनिल कुमार द्विवेदी से उक्त पटल को हटाने का प्रयास तक नहीं किया।

उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि अधिसंख्य आवंटन आवंटन न होकर बिक्री किया जाता रहा है। इसी कारण आवंटन के समय गारण्टी के रूप में धन एफ०डी० के रूप में नहीं जमा कराया गया है।

इस प्रकार इकाई की पचासों करोड़ मूल्य की जमीनों को विवादित करवायागया है। जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। नियमानुसार आवंटन का समय पूर्ण चुके आवंटियों से दुकान/भवन/भूखण्ड खाली करवाकर नये सिरे से आवंटन किया जाना चाहिए तथा यदि उसी आधटी का रिन्यूवल किया जाना हो तो स्पष्ट अनुबंध, गारण्टी के रूप में एफ०डी०आर० व वर्तमान बाजार दर पर किराया अवधारण किया जाना चाहिए।

गलत आवंटन करने, अतिअल्प किराया निर्धारण करने, वसूली न करने एवं विवादित स्थिति उत्पन्न होने के लिए प्रमुख रूप से पटल प्रभारी श्री अनिल कुमार द्विवेदी, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त, इकाई अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। सम्यक कार्यवाही न करने के कारण कार्यरत रहे वित्तीय परामर्शदाता श्री ओम प्रकाश सक्सेना भी उत्तरदायी हैं।

उक्त के प्रति प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप-19)

प्रस्तर-22-दिनांक 09.01.2014 को चेक नं0 9120011 को रू0 47500/- का भुगतान अभियंता जिला पंचायत को निम्न खरीदे गये सामानों का किया गया हैः-

1-25 नग यूकेलिप्टस पेड---

व 25 नग बांस मूल्य-35000.00

2- 50 मीटर कपड़ा रू०.9500.00

3-10 ड्रेस रिजेक्टड आर्मी रु० 3000.00

47500.00

प्रयोग के बाद उक्त स्टाक की प्रविष्टि स्टाक रजि० में नहीं पाते हुये जारी अंतरिम आप० दिनांक 22.04.2017 का परिपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया। पेड़ व बांस खरीद का प्रमाणक नियमानुसार न होकर सादे कागज पर है। पेड़ों की दुलाई व कटाई का कोई प्रमाणक नहीं है। कहां प्रयोग हुआ स्पष्ट नहीं है। प्रयोग के बाद उक्त सामग्री स्टाक में भी नही पायी गयी। कि फर्जी खरीद दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित राशि रू0 47500/- की वसूली अभियंता श्री ओ०पी० निश्र एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से दण्ड व्याज सहित करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-23-दिनांक 04.09.13 को चेक नं0 879376 से रू0 57755/- का भुगतान अपर मुख्य अधिकारी के नाम से आहरित किया गया है जिसमें शर्मा बिल्डिंग वर्क्स से मेलो में गेट बनवायी का व्यय रू0 48740/- भी है।

मेला समाप्ति के 7 माह भुगतान नगद करने के सम्बंध में दिनांक 22.04.2017 को जारी अंतरिम आपत्ति का परिपालन नहीं किया गया।

मेला की व्यवस्था हेतु टेण्डर के माध्यम से ठेका दिया गया था, जिसमें गेट बनवायी भी शामिल था। अतः अतिरिक्त से स्वयं इकाई द्वारा गेट बनवाने की कोई आवश्यकता न थी। साथ ही फर्म/दुकान को एकाउन्ट पेई चेक से भुगतान न कर नगद भुगतान करना स्वयं अनियमितता को स्पष्ट करता है। स्पष्ट है कि फर्जी बिल बनाकर एवं भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित रू० 48740/- की वसूली दण्ड व्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, लेखाकार श्री लाखन से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप०-23)

प्रस्तर-24-दिनांक 24.04.2018 को चेक नं0 34367 से रू0 36268 का भुगतान एडवोकेट श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को किया गया है। संलग्न पत्र में अंकन है कि-जि०प० के पत्राक 1195/अधि०जि०प०/2012-13 दिनांक 30.03.13 के कम में मात्रः-

1- पूर्व बकाया बिलो का 50 प्रतिशत-31135.00
न्याय शुल्क- 5133.00
योग- 36268.00

लेखापरीक्षा द्वारा दिनांक 15.06.2017 को अंतरिम आप० जारी कर कथित पूर्व बकाया बिलों व अंकित पत्र की माग की गयी, किन्तु द्वारा कोई बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये यहां तक कि यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किन वादो से सम्बन्धित उक्त भुगतान है। नियमानुसार यदि कोई बकाया बिल थे तो सम्पूर्ण बकाया की भाग बिल के साथ की जाती है। 50 प्रतिशत मांग का कोई औचित्य ही न था।

स्वतः स्पष्ट है कि अज्ञात कारणों से अनियमित रूप से भुगतान किया गया। अतः दुरुपयोगित धन रू0 36268/- की वसूली दण्ड व्याज सहित लेखाकार श्री लाखन व अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्ता से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-25-चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के अनुसार सांसद/विधायक निधि से आय-व्यय शून्य है। जबकि दिनाक 23.10.2013 को विधायक निधि रू० 405000/- प्राप्त हुए है, जिसे खाता सं-56370200000029 में जमा किया गया है। उक्त खाते में प्रा० शेष 01.04.13 का रू0 231376/- व 31.03.14 को शेष रू0 636150/- (कटौती 226/-) रहे हैं। वर्ष दौरान कोई धन प्रयोग नही हुआ तथा प्रारम्भिक शेष में दर्शित राशि किस शीर्ष की थी, अस्पष्ट रहा। श्री अनिल कुमार द्विवेदी लिपिक / पटल प्रभात्री द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्माण कार्य पंचिका के अनुसार कांट के ग्राम मरई में 100 मीटर सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य रू0 682500/- की लागत से कराने का ठेका श्री मनीष अग्रवाल को सौंपा गया था।

उक्त में दिनांक 13.01.14 को रू0 400000.00 मनीष अग्रवाल को भुगतान किया गया। वर्षान्त तक कार्य अपूर्ण रहा है। संगत निर्माण कार्य पत्रावली व रनिग एम०बी० श्री अनिल कुमार द्विवेदी पटल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।

विधायक निधि से प्राप्त धन बैंक खाते में शेष था तथा शीर्ष परिवर्तन का अधिकार किसी को नहीं था। पावली मांग के बावजूद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्य भी अपूर्ण है।

अतः सुस्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है । अतः रू0 400000.00 की वसूली मनीष अग्रवाल से न होंने पर उक्त धन की वसूली श्री अनिल कुमार द्विवेदी पटल अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश सक्सेना, अवर अभियंता / अभियंता व इकाई अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच कर प्रभावी विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप0सं027)

प्रस्तर-26-दिनांक 31.03.2014 को बैंक आफ बडौदा के खाता संख्या 145 में काफी समय से पर्यटन निधि का घन रू0 481005/- अवशेष पड़ा हुआ है। नियमानुसार धन का उपयोग न हो पाने की दशा में अवशेष धन शासन को वापस कर दिया जाना चाहिये था।

इस प्रकार पर्यटन निधि शीर्ष में उक्त धन अनियमित रूप से इकाई द्वारा रोके रखा गया है।

विभागीय उच्चाधिकारियों एवं इकाई प्रबंध का ध्यान नियमानुसार धन वापसी हेतु आकृष्ट किया जाता है व उक्त के प्रति जिम्मेदार लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । (आप0स0-31)

प्रस्तर-27-लेखापरीक्षा में माह जुलाई 13 व दिसम्बर 2013 के प्रमाणक प्रस्तुत न थे। लेखापरीक्षा के मौखिक संज्ञान में जाया गया कि तत्कालीन लेखाकार श्री लाखन ने चार्ज नहीं दिया था। अलमारी खोलने पर उक्त प्रमाणक प्राप्त न होने के कारण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा पर रहे है।

उक्त माहों में योजनागत व्ययो क सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में एस०एफ०सी० व टी०एफ०सी० शीर्ष में समग्र रूप से टिप्पणी अंकित की जा चुकी है तथा वेतन आदि का भुगतान कर्मचारियों के खाते में हुआ है, जिससे पुष्टि होती है। अवशेष निम्न व्यय अप्रमाणित रहे। प्रमाणक न होने से लेखापरीक्षा द्वरा निम्न व्ययों को अपहरण की श्रेणी में विभागीय नियमानुसार वर्गीकृत किया जा रहा है। विवरण इस प्रकार रहाः-

माह जुलाई:-	वाहन पर व्यय	34000.00
	तेल पर व्यय-	22282.00
	वकील की फीस-	7700.00
	जमानत वापसी-	374400.00
	अन्य व्यय-	10950.00
	प्रिटिंग आदि पर-	40000.00
माह-दिसम्बर 2013:-		
	विभिन्न समाचार पत्रों पर-	
	विज्ञापन में-	19934.00
	वाहन किराया-	17000.00
	तेल व्यय-	12367.00
	वकील फीस-	19200.00
	टी०ए०-	4054.00
	अन्य व्यय-	2000.00
	जमानत-	389400.00
	योग-	953287.00

उक्त माहो में उक्त व्ययो की पुष्टि करानी अपेक्षित है। विपरीत स्थिति में उक्त धन रू0 953287/- का दायित्त्व लेखाकार श्री लाखन व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्ता एवं श्री प्रदीप कुमार सक्सेना पर अवधारित कर वसूली करते हुये नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(आप0-37)

प्रस्तर-28-ईकाई प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को निम्न विवरणानुसार बैठक भत्ता का भुगतान किया जाना दर्शित है। नगद धन प्राप्ति की पुष्टि हेतु अंतरिम लेखापरीक्षा आपत्ति दिनांक 05.05.2013 के वावजूद धन प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी।

चेक से भुगतान श्री शैलेन्द्र सिंह नाजिर ने प्राप्त किया है। धन प्राप्ति की रसीद प्रस्तुत न करने से स्वतःस्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। कार्यवाही पंजिका में भी उपस्थिति सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं बनवाये गये है।

अतः अपहरित धन रू० 36300/- की वसूली श्री शैलेन्द्र सिंह नाजिर से करते हुये उक्त के प्रति नाजिर, लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

1-वा०नं०- 29 दिनांक 21.10.2013 चेक नं0 10 879399-11700.00(37-एक्स-300)

2-वा०नं०- दिनांक 25.01.2014 चेक नं० 887923-12000.00(40-एक्स-300)

3-वा०नं०- 16 दिनांक 04.05.2013 -12600.00 (42×300)योग- 36300.00

(आप038)

प्रस्तर-29-इकाई के भरतपुर गोदाम पंजिका के अनुसार 31.03.2014 को निम्न सामाग्रीस्टाक में थीः-

क्रं.सं.	नाम सामग्री	वर्ष में क्रय	31.03.2014 को शेष
1.	फील्ड ऑफिसर काबुल पाल टेण्ट	----	30 नग
2.	शामियानां	----	09 नग
3.	दरियां	----	25 नग
4.	कुर्सी	----	06 नग
5.	तिरपाल	----	03 नग
6.	बाल्टी	----	10 नग
7.	नल	100	250 नग
8.	कनात	----	-------
9.	वाच टावर	03	03
10.	तालो	10	10

उक्त सामान के रहते विभिन्न गेला में टेण्ट हाउस सामान को किराया पर लिया गया है। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार इकाई गोदान में मौजूद उक्त सामान की ढुलाई करनायी पर धन व्यय किये जाने के बाद भी टेण्ट हाउस के सामान को किराये पर लिया जाना दर्शाया गया।

पर्याप्त मात्रा में टेण्ट हाउस का सामान गोदाम में रहते किराये पर टेण्ट हाउस का सामान किराये पर लिये जाने है कि भरतपुर गोदाम से मेला तक कोई औचित्य न था। उल्लेखनीय यह भी सामान ढुलाई का भुगतान ठेकेदार ने ही प्राप्त किया है। स्पष्ट है कि टेण्ट किराये का फर्जी बिल, एम०बी० व स्टीमेट बनाकर इकाई के जिम्मेदार अधिकारियों ने ठेकेदार से मिलकर धन का अपहरण किया गया है।

मेला रमनगरिया ढाईघाट के कार्य पर सामान ढुलाई दर्शित नही है, किन्तु पर्याप्त सामान गोदाम में रहते उक्त का प्रयोग न किया जाना भी मिलीभगत का परिणाम ही है।

उल्लेखनीय यह भी है कि काफी समय से सिविल कान्ट्रेक्टर श्री मनीष अग्रवाल को ही मेले के ठेके दिये जाते रहे है जो कि टेण्ट हाउस एवं बिजली कार्य के ठेकेदार भी नहीं है।

पत्रावलियों की जांच में यह भी पाया गया कि मात्र तीन ठेकेदारों ने ही टेण्डर डाले है, जो कि सेटिंग करके ठेका उठाने को ही स्पष्ट करता है।

विवरण इस प्रकार रहाः-

चेक नं0 882007 दिनांक 16.12.2013 को अन्य व्ययों के साथ रू0 38000 (टैक्स रू0 851+ 3749) का भुगतान ठेकेदार श्री मनीष अग्रवाल को भरतपुर गोदाम से मेला स्थल तक सामान ढुलाई भांडा का भुगतान किया गया है।

टेण्ट हाउस के सामान किराये का भुगतान श्री मनीष अग्रवाल ठेकेदार को निम्नवत किया गया-

1- मेला रमनगरिया ढाई घाट में-

वा०नं0-64 दिनांक 13.03.2014 चेक नं0-521564- 220610.00

2- मेला कार्तिक-

चेक नं० 882007 दिनांक 16.12.2013- 119575.00

कुल व्यय- 340185.00

वा०नं०-58 दिनांक 11.03.2014 चेक नं० 526720 से सामान पैकिंग पर 2 श्रमिकों को 20 दिन की मजदूर भुगतान रू० 7000/- से भी यही स्पष्ट होता है कि गोदाम में मौजूद टैण्ट हाउस के सामान का प्रयोग हुआ है। 20 दिनों तक पैंकिग कार्य चलते संभव नहीं है। टेण्ट लगवायी एवं उखडवायी दोनो कार्यों पर उक्त यथासंभव है। किसी कार्य के फोटोग्राफ भी नहीं है। स्पष्ट है कि गोदाम में मजूद टेण्ट हाउस के सामान का प्रयोग किया गया किन्तु किराये पर लेना दर्शया गया है। इसके लिये फर्जी एम०बी० भी बनायी गयी है।

अतः अपहरित राशि रू० 340185 की वसूली श्री मनीष अग्रवाल ठेकेदार से दण्ड ब्याज सहित न हो पाने पर उक्त धन रू0 340185/ की वसूली श्री प्रदीप कुमार सक्सेना अपर मुख्य अधिकारी, अमियता श्री ओ०पी० मिश्रा एवं अवर अभियंता श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त में वित्तीय परामर्शदात्ता व इकाई अध्यक्षा की भी भूमिका की जांचकर दायित्व निर्धारण अपेक्षित रहा। (आप0सा039)

प्रस्तर-30-आलोच्य वर्ष में 13वें वित्त आयोग की प्रथम किस्त के रूप में कुल रुपए 19723106.00 प्राप्त हुए हैं जिसका उपभोग सड़क निर्माण, सीसी रोड निर्माण, खड़ंजा निर्माण के कार्यों पर किया गया है ।

पंचायती राज अनु0-03 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 2566/33-3/2010-142/ दि0 23-12-2010 के प्रस्तर 2(2) के अनुसार 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त निधि की प्रथम किस्त से स्वच्छता सुविधाएँ तथा सभी के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु पुरानी जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्वास व नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना था ।

इस प्रकार 13वें वित्त आयोग से प्राप्त प्रथम किस्त का उपभोग शासनादेश के विपरीत किया जाना अनियमित रहा

अतः जांचोपरांत उक्त अनियमित व्यय रु0 19723106.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्ता व प्रदीप कुमार सक्सेना, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री ओम प्रकाश सक्सेना व इकाई अध्यक्ष से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही ।

वर्ष-2014-15

प्रस्तर-31-इकाई द्वारा शासनादेशों के विपरीत राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवे वित्त आयोग से प्राप्त धन को एफ़ डी आर में विनियोजित कर रखा गया एवं व्याज कमाया गया। शासनादेश सं0-10/2015/ए1/502/दस-2015-10(33)/2010 दि० 29.05. 2015 में शासनादेश सं०- ए1/22/1-2012-10(33)/2010 दि० 21/3/12 अनुसार उक्त पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे निर्धारित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जायेगा। किन्तु इकाई द्वारा अर्जित ब्याज कोषागार में जमा नहीं किया गया है। जो कि गंभीर आपत्ति का विषय है। अर्जित ब्याज शासकीय कोष में जमा करते हुए, धन को एफ़ डी आर में विनियोजित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्नवत् है-

(एफ़ डी आर ले०प० में प्रस्तुत न थे)

क० सं०	एफ़ डी आर **बनवाने की तिथि**	**राशि जिसकी** एफ़ डी आर **बनी**	**परिपक्वता तिथि**	**प्राप्त धन**	**अर्जित ब्याज**	**अन्य विवरण**

1	15.10.11	10000000.00	30.12.11	10123288.00	123288.00	तेरहवां वित्त आयोग
2	15.10.11	10000000.00	18.04.12	10425982.00	425982.00	तेरहवां वित्त आयोग
3	30.12.11	10123288.00	27.02.12	10260535.00	137247.00	तेरहवां वित्त आयोग
4	28.12.12	18000000.00	01.10.14	20131732.00	2131732.00	तेरहवां वित्त आयोग
5	03.01.12	13000000.00	04.04.12	13225336.00	225336.00	राज्य वित्त आयोग
6	09.04.12	13279393.00	11.05.12	13374997.00	95604.00	राज्य वित्त आयोग
7	11.05.12	13374997.00	11.07.12	13555888.00	180891.00	राज्य वित्त आयोग
8	11.07.12	12500000.00	05.10.12	13715913.00	1215913.00	राज्य वित्त आयोग
9	05.10.12	13500000.00	01.10.14	15385642.00	1885642.00	राज्य वित्त आयोग
				योग	**6421635.00**	

प्रस्तर-32-चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका में वर्ष आलोच्य में कृषि एवं तरूपालन से कुल आय रू0 5.01 (लाख) दर्शित है। जबकि कृषि योग्य नीलामी पंजिका में मांग एवं वसूली तथा बकाया का विवरण निम्नवत दर्शित है-

तहसील	**2014-15 की मांग**	**गत बकाया**	**वसूली मांग**	**बकाया वसूली**	**शेष**
सदर	9000.00	23700.00	9000.00	16000.00	7700.00
पुवाया	222000.00	473250.00	222000.00	203000.00	270250.00
तिलहर	92000.00	4000.00	92000.00	-	40000.00
जलालावाद	410000.00	-	410000.00	-	-
योग	**733000.00**	**536950.00**	**733000.00**	**219000.00**	**317950.00**

वर्ष आलोच्य में मात्र 04 कृषि योग्य जमीनों की नीलामी हुई है। जिनका विवरण निम्नवत् है

जमीन विवरण	**रकबा**	**नीलामी वर्ष**	**नीलामी प्राप्तकर्ता**	**नीलामी राशि**	**वसूली विवरण**	
प्रा०पा० जमुका	0.773 हे०	2014-17	वीरपाल सिंह	9000	04-06-14	9000
उ०प्र०पा०ल कमानपुर बहेडा	2.00 एकड़	2014-17	सुवेग सिंह	32000	08-05-14 12-06-14	25000 7000
प्रा०पा० नाहिल	1.75 एकड़	2014-17	सुदीप तिवारी	10000	25-08-14	10000
उ०प्रा०पा० परोर	1.17 हे०	2014-17	सत्यवीर सिंह	73000	04-06-14 16-07-14	30000 43000
			योग	**124000**		**124000**

उक्त के अतिरिक्त उ०प्रा०पा० समधना की 5.073 हेक्टेयर जमीन जिसकी नीलामी 2013-14 में हुई थी का धन रू0 11500/- दि० 25.08.14 को प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार उक्त वसूली मात्र रु० 135500/- ही हुई है। स्वतः स्पष्ट है कि इकाई द्वारा फर्जी आय दर्शायी जा रही है।

नीलामी पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि

1- नीलामी में मात्र 3 ही बोलीदाता रहे हैं।

2- नीलामी हेतु बोली की निर्धारित जमा जमानत राशि जमा होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

3- इकाई द्वारा न्यूनतम नीलामी राशि का निर्धारण नहीं किया गया।

प्रा०पा० परोर की 1.117 हेक्टेयर जमीन की नीलामी राशि रू0 73000/-रही है जबकि इससे 4 1/2 गुना जमीन उ०प्रा०पा० समधना की नीलामी राशि मात्र रू० 92000/- रही है। नियमत 4 1/2 गुना लगभग रू0 328500/- तो होना ही था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा फर्जी व कल्पित आंकड़े मात्र उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने तथा चहेतों को फर्जी / काल्पनिक नीलामी दर्शाकर दूषित स्वार्थपूर्ति कर जमीनें अति अल्प राशि पर तीन वर्षों के लिए दी गयी हैं।

कृषि विभाग के अनुसार प्रति एकड़ औसत उत्पादन धान व गेहूं का 17.50 कु० तथा औसत दर रू0 1500/- के आधार पर तीन वर्षों में कुल रू0 3326400/- का धान व गेहूं का उत्पादन होगा अधिकतम 40% उत्पादन व्यय घटाने पर लाभ रू0 1995840/-होगा। पुवाली व भूसा अलग है। इस प्रकार न्यूनतम नीलामी राशि कम से कम रू० 997920/- होना चाहिए जबकि मात्र रू0 216000/- में नीलामी की गयी है। इस प्रकार न्यूनतम हानि रू0 781920/- की हुई है। गर्मी की फसल या गन्ने की फसल लेने पर हानि और अधिक होगी। अतः रू०-781920/- की वसूली जांचोपरांत अनिल कुमार द्विवेदी पटल लिपिक, अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से करते हुए प्रशासनिक कार्यगाही अपेक्षित रहीं इकाई अध्यक्षा श्रीमती नीतू सिंह की भूमिका की जाँचकर कार्यवाही अपेक्षित रही। (अप०-11)

प्रस्तर-33-वर्ष आलेच्य में जिला पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग तथा तेरहवे वित्ता आयोग के धन को बैंक खातों में रखकर निम्नानुसार ब्याज कमाया गया हैः-

राज्य वित्त आयोग 2438846.00

तेरहवें विरा आयोग - 2022023.00

योग- 4460869.00

शासनादेश सं० ए1-122/दस-2012-10(33)/2010 दि० 21.03.2012 के, अनुसार उक्त ब्याज से आय संस्था की न होकर राज्य सरकार की आय है। अतः उक्त धन शासकीय कोष में जमा किया जाना था । किन्तु इकाई द्वारा उसको निजहित में प्रयोग किया गया है। जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है एवं वित्तीय अनियमितता है।

अतः ब्याज से हुई आय रू०. 4460860/- को शासकीय कोष में जमा करते हुए उत्तरदाई अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, लेखाकार श्री लाखन व वित्तीय परामर्शदाता श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ आवश्यक प्रशासनिक कार्ययाही अपेक्षित रही। एफ डी पर प्राप्त ब्याज रु 6421035/- भी उक्त में शामिल कर जमा कर दिया जाना चाहिए।

(आप०-12)

प्रस्तर-34- आलेच्य वर्ष में मिट्टी पर रॉयल्टी का धन रू0 1772619/- शासकीय कोष में जमा किया गया है। बिलों की जांच में पाया गया कि मिट्टी पर वाजिब रॉयल्टी का भुगतान पहले ठेकेदार को करना इकाई द्वारा दर्शाया जाता है तथा बाद में उक्त की कटौती ठेकेदारों के बिलों से दर्शायी जाती है। टेण्डर आमंत्रण में जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। नियमानुसार यदि ठेकेदार द्वारा मिट्टी कहीं से खरीदी गयी होती तो रॉयल्टी की रसीद

प्रस्तुत की जानी थी।इस प्रकार रु0 1772619/- से ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया तथा रु० 1772619/- से इकाई को हानि पहुँचाई गयी है।

अत्त- रू0 1772619/- की वसूली ठेकेदारों से न हो पाने पर उक्त की वसूली अभियंता श्री ओम प्रकाश मिश्र, श्री मनोज शर्मा, अवर अभियंता श्री प्रदीप कुमार सक्सेना अपर मुख्य अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से अपेक्षित है। (आ0-13)

प्रस्तर-35- वर्ष आलोच्य में सेस के रूप में रू0 2092132 अदा किया गया है। बिलों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारो के बिलों में इकाई द्वारा पहले वाजिब सेस जोड़ा गया एवं बाद में उसी धन की कटौती दिखायी गयी है।। जवकि नियमानुसार सेसो का दायित्व ठेकेदार का था न कि इकाई का क्योंकि टैण्डर में उक्त के संबंध मे ऐसी कोई व्यवस्था न थी।इस प्रकार रू0 2092132 से ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया तथा इकाई को रू0 2092132 की क्षति हुई है।

अतः रू0 2092132 की वसूली ठेकेदारों से न हो पाने पर उक्त की वसूली अभियता श्री ओम प्रकाश मिश्र, अवर अभि० श्री मनोज शर्मा व अपर मुख्य अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से अपेक्षित है। नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही भी अपेक्षित रही। (आप० 14)

प्रस्तर-36-इकाई कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से निम्न विवरण के अनुसार भविष्य निधि की कटौती की जा रही है-

क्र०सं०	**नाम कर्मचारी**	**भ०नि० कटौती**	**क्र०सं०**	**नाम कर्मचारी**	**भ०नि० कटौती**
1	श्री रामचंद्र	1300	15	श्री अतुल कुमार	800
2	श्री हरिश्चंद	1400	16	श्री ओम प्रकाश मिश्र	1000
3	श्री तुलसीराम	2000	17	श्री अनिल द्विवेदी	1400
4	श्री रजनीश	800	18	श्री असगर खा	1100
5	श्री अतुल कुमार श्रीवा०	1000	19	श्री गुच्छन खां	1000
6	श्री सोहनलाल	900	20	श्री राजाराम	1000
7	श्री सुरेश कुमार	900	21	श्री समयपाल	1400
8	श्री किशन लाल	700	22	श्री हसन सईद खां	1400
9	श्री जयप्रकाश	1000	23	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	1000
10	श्री नरेन्द्र कुमार	1900	24	श्रीमती मनोरमा सिंह	900
11	श्री कमलेश चंद	1000	25	श्री आशारानी	1000
12	श्री रामकुमार	1500			
13	श्री महेन्द्र प्रसाद	1000			
14	श्री राजपाल	800			
				योग	**29000**

ले0प0 में पाया गया कि भविष्य नि० को कटौती के धन का विनियोजन नियमानुसार न कर करपोरेशन बैंक में कर्मचारियों के खुले बचत खाते में धन जमा किया जा रहा है।

जबकि नियमानुसार शासन द्वारा अनुमन्य पी०पी०एफ०, भविष्य निधि ट्रस्ट या शारान द्वारा अधिसूचित अन्य प्रकार से भविष्य नि० की कटौती का धन जमा किया जाना था। किन्तु नियमों की पूर्ण जानकारी के बावजूद नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गयी।

उक्त के कारण कर्मचारियों को ब्याज की हानि हुई है तथा आयकर विवरणी भरने में छूट भी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। आयकर गणना अभिलेख ले०प० में प्रस्तुत न होने से तत्तसंबंधी टिप्पणी न की जा सकी।

इकाई कार्यालय में यह प्रक्रिया विगत काफी वर्षों से यथावत चली आ रही है।

पी०एफ० आदि खातों पर चकवृद्धि ब्याज अनुमन्य होता है। जबकि बचत खातों पर सामान्य अतिअल्प ब्याज दर देय होती है। अंतरिम आप० के बाद भी नियमानुसार कार्यवाही नहीं हुई।
इस प्रकार इकाई प्रबंधन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अतः वर्ष आलोच्य में जमा किया गया धन रू० 348000/- पूर्णतया दुर्विनियोजित रहा है।

इकाई कर्मचारियों/अधि० के भविष्य निधि खाते अनियमित रूप से बैंक में बचत खाते में खोलने तथा कर्मचारियों को शासन द्वारा अनुमन्य भविष्य निधि पर चकवृद्धि ब्याज न मिलकर बचत खाते की दर पर सामान्य ब्याज मिलने से हुई क्षति का आंकलन खाते खुलने के समय से कर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारियों एवं वर्तमान अपर मु० अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, इकाई अध्यक्ष व वित्तीय सलाहकार/परामर्शदाता से वसूली कर सम्बंधित कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। साथ ही जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हों उन्हें भुगतान किया जाना चाहिऐ। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि के खाते नियमानुसार शासकीय व्यवस्थानुसार खोले जाने अपेक्षित रहे।(आप० 16)

प्रस्तर-37-वर्ष आलोच्य 2014-15 की चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका में सम्पत्ति एवं विभव कर शीर्षान्तगत विवरण निम्नवत दर्शित है- (लाख में)

वर्ष की मांग-32.85

गत वर्ष की बकाया-98.28

वर्ष में वसूली-

अ-मांग की-15.24

ब-बकाया की-3.50

31.03.15 को कुल बकाया 112.39 जबकि विगत वर्ष 2013-14 में 31.03.14 को बकाया रु 117.25 (लाख) दर्शित था। इस प्रकार दर्शित बकाया रु० 18.97 (लाख) से कम दर्शाया जा रहा है।

अब दर्शित बकाया में-

1-10 वर्षों से अधिक के बकाया-39.00

2-अपलेखन योग्य-20.01

3-आर०सी० के अंर्तगत-41.35

दर्शित है। उक्त का आधार कुछ नहीं हैं। काल्पनिक विवरण हैं।

विभव एवं सम्पत्ति कर की मांग एवं उगाही पंजिका व प्रस्तावित कर सूची पंजिका की जांच में पाया गया कि जिन करदाताओं द्वारा केस फाइनल नहीं करायें हैं, उन पर दसों वर्षों से कर बकाया होते हुए भी बकाया में नहीं दर्शाया जा रहा है। इकाई कर्मचारी एवं प्रबंध भी इस प्रति उदासीन है। उक्त के कारण दर्शित बकाया वास्तविक नहीं है। उक्त' के कारण इकाई की भारी राशि डूबने की ओर है। इकाई कर्मचारी कर वसूली के प्रति पूर्णतया उदासीन है। नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है व उक्त के प्रति जिम्मेदार लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार गुप्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । कुछ उदा०-

नाग बकायेदार	**वि०ख०**	**कुल बकाया**	**वर्ष का विवरण**
सर्राफा / मनोज कुमार	पुवांया	10000.00	2008-9 से 2014-15
जनरल स्टोर/ओमकार	पुवांया	4500.00	2012-12 से 2014-15
जूता चप्पल / जहीर	पुवांया	4800.00	2010-11 से 2014-15
मिठाई की दुकानें / सुंदरलाल	पुवांया	11600.00	1998-99 से 2014-15
मिठाई की दुकानें / सिंहराज	पुवांया	9800.00	2005-06 से 2014-15
मेडिकल स्टोर/रंजीत कुमार	पुवांया	9100.00	2008-09 से 2014-15
जनरल स्टोर/संतोष कुमार	पुवांया	8600.00	1998-99 से 2014-15
पालेसर/राम रामऔतार	पुवांया	12300.00	2002-03 से 2014-15

किराना/नन्हें	पुवांया	10800.00	2002-03 से 2014-15
गल्ला/आढ़त / प्रमोद कुमार	बण्डा	11600.00	1998-99 से 2014-15
गल्ला / मेवाराम	बण्डा	11600.00	1998-99 से 2014-15
पालेशर / रामविलास	बण्डा	12000.00	2004-05 से 2014-15
पालेशर/ सोनू	बण्डा	6800.00	2007-08 से 2014-15
किराना/ गंगा राम	बण्डा	6400.00	2007-08 से 2014-15

प्रस्तर-38-माघ मेला रामनगरिया घाट का ठेका प्रथागत रूप से श्री मनीष अग्रवाल को दिया गया।

प्रभा0सं0 115 दि० 24.02.2015 से रू0 18000/- चेक से भुगतान श्री मनीश अग्रवाल को किया गया है जबकि मुख्य द्वार गांधी चौक का फ्लेक्सी कराने का कार्य में० डी०एस० प्रिन्टर्स द्वारा कराना लिखा गया है। फर्म का बिल भी संलग्न नहीं है। यदि मे० डी०एस० प्रिंन्टर्स द्वारा उक्त कार्य किया गया है तो फर्म को भुगतान न कर श्री मनीष अग्रवाल को भुगतान नहीं किया जा सकता था। श्री मनीष अग्रवाल को सम्पूर्ण कार्यों का ठेका दिया गया था। अतः अलग से व्यय का कोई औचित्य न था। अनियमित भुगतान फर्जीवाड़े को ही स्पष्ट करता है।

अतः अपहरित धन रू0 18000/- की वसूली अपर मुख्य अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना व लेखाकार श्री लाखन से दण्ड व्याज सहित करते हुऐ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। इकाई अध्यक्ष का भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा। (आप० 21)

प्रस्तर-39-दिनांक 31.3.15 को रू0 8325/- का भुगतान अधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को किया गया है। प्रमाण पत्र के साथ विल संलग्न नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन केसों की पैरवी के लिये उक्त भुगतान किया गया है। बिना प्रमाणक के भुगतान अनियमित रहा। अतः जांचोंपरांत रू0 8325/-की वसूली अपर मु०अधि० श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व लेखाकार श्री लाखन से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप० 22)

प्रस्तर-40-वर्ष आलोच्य में मेला/प्रदर्शनी पर चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के अनुसार कुल व्यय रु० 15.89 (लाख) दर्शित है, जबकि आय रु० 17.80 (लाख) दर्शित की गयी है। क्लासीफाइड पंजिका अपूर्ण पायी गयी। ले०प० में मांग के बावजूद मेला/प्रदर्शनी से सम्बंधित पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयीं, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। प्रथागत रूप से ठेका श्री मनीष अग्रवाल को ही दिया जाना, अनियमितता की ही पुष्टि करता है।

मांग के बावजूद मेलों के ठेके संवधी पत्रावलियां प्रस्तुत न करना वित्तीय अनियमितता को ही स्पष्ट करता है। संगत अभिलेखों के अभाव में दर्शित व्यय कुल रु० 15.89 (लाख) को ले0प0, द्वारा अनियमित आंकलित किया जा रहा है।

अतः जांचोपरांत रू0 15.89 (लाख) की वसूली अपर मुख्य अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, पटल लिपिक व इकाई अभियंता श्री ओम प्रकाश मिश्र से करते हुए नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप० 23)

प्रस्तर-41-कसरक मुख्य मार्ग से राकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य का भुगतान चंक नं0 202520 से दि.21.08.14 को रू0 624851/- का भुगतान ठेकेदार श्री रामचंद्र को किया गया है।

प्रमाणक में उक्त मार्ग पर पूर्व में लगे खडण्जे का मूल्य रू0 10462-(2250 एक्स 4620) आंकलित कर ठेकेदार के बिल से कटौती की गयी है।

उक्त मार्ग पर लगभग 28710 ईट माप के अनुसार लगी थीं जिनका मूल्य रू0 130000 होता है। इस प्रकार रू0 10462 मूल्य आंकलन त्रुटिपूर्ण रहा। लगे खडण्जे को उखाड़ने के सम्बंध में ग्राम पंचायतों से अनापत्ति भी नहीं ली गयी। इस प्रकार जान बूझकर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचायी गयी कार्य का चयन भी नियम विरूद्ध रहा है।

ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिये ईटों का अतिअल्प मूल्य आंकलित किया गया है तथा ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति (ईट मूल्य) का अपहरण किया गया है एवं रू0 10462 को स्वहित में स्वयं अपने पास (इकाई के खाते में) रख लिया गया है।

अतः दुरूपयोगित धन रू0 624851/- तथा अपहरित धन रू0 119538/-(ईट मूल्य) की वसूली अपर मुख्य अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, अवर अभि० श्री मनोज शर्मा, अभियंता श्री ओम प्रकाश मिश्र व इकाई अध्यक्षा श्रीमती नीतू सिंह (गलत कार्य का चयन करने के लिये) से दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही ईट मूल्य ग्राम पंचायत के खाते में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित रहा।(आप० 24)

प्रस्तर-42-जिला पंचायतों को अपनी निजी पूंजी में वृद्धि कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ करने के लिए निर्धारित राजस्व वसूली शत-प्रतिशत की जानी चाहिए। ले०प० में पाया गया कि इकाई प्रबंध एवं कर्मचारी इस तरफ पूर्णतया उदासीन है। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धन से वेतन आदि प्राप्त किया जाता है। अनियमित रूप से ब्याज का भी उपभोग किया गया है।

इकाई की शराब की दुकानों से प्राप्त शुल्क की पत्रावली की जांच में पाया, गया कि इकाई द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 160/ला०/जि०प०/2013-14 दि० 29.05.2014 से 214 दुकानों से रू० 6000/- की दर से विभव कर की मांग की गयी। किन्तु वसूली रू0 2000/- की दर से की गयी। इस प्रकार कुल हानि रु0 856000/- पहुंचायी गयी है।

उक्त हानि पहुंचाने के लिये कोई तर्क संगत तथ्य इकाई द्वारा नहीं दिया गया है।

अतः रू0 856000/- की वसूली इकाई के कर निरीक्षण अधिकारी श्री रामपाल शास्त्री (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार सक्सेना अपर मुख्य अधिकारी से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप० 25)

प्रस्तर-43-शासनादेश सं0 3891/77-5-200-1 (216)93 दि० 05.08.2002 के अनुसार बिलों के भुगतान के पूर्व ठेकेदारों से वैध रवन्ना (एम.एम.-11) लिया जाना अनिवार्य है। वैध रवन्ना न होने की स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बिलों से रायल्टी की कटौती कर शासकीय कोष में जमा किया जाना अनिवार्यता है।

लेखा परीक्षा में लिखित व मौखिक रूप से कई बार निर्माण कार्य पत्रावलियों की मांग किये जाने के बाद भी पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी। ले०प० में प्रस्तुत बिलों के अनुसार निम्नवत सामग्री क्रय की गयी हैः-

	मात्रा	**रायल्टी दर**	**वाजिब रायल्टी**
स्टोन बैलास्ट	25635-38 घन मी^{3}.	50	1281769
स्टोन ग्रिट	19542-52 घन मी^{3}.	102	1993337-04
स्टोन डस्ट	1058-29 घन मी^{3}.	102	107945-58
फाइन सैण्ड	3435-46 घन मी^{3}.	33	113370-18
फाइन सैण्ड	2448-59 घन मी^{3}.	33	80803-47
		योग	**3577225-27**

ले0प0 पत्रावलियां प्रस्तुत न होने से उक्त विवरण पूर्ण नहीं है। बिलों के भुगतान के समय वैध रवन्ना (एम.एम.-11) न लिये जाने से कृत कार्यो की निर्धारित गुणवत्तायुक्त होने में संदेह है। एम०वी० की स्थिति भी उक्त से संदिग्ध है। वास्तव में वैध रवन्ना (एम.एम.-11) से ही वास्तविक मात्रा में खरीद की पुष्टि होती है एवं कार्यस्थल में पहुँचने व प्रयोग की पुष्टि होती है।

निर्माण कार्य की पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में छिपाने से और भी स्पष्ट हो जाता है कि कराए गए दर्शित कार्य, अधोमानक है तथा या तो कराए ही नहीं गएं व कल्पित एम. बी. तैयार की गयी है।

अतः रॉयल्टी न जमा होने से शासकीय, कोष को. जानबूझकर पहुँचायी गयी क्षति रु० 3577225-27 की वसूली दण्ड ब्याज सहित पटल प्रभारी श्री अनिल कुमार द्विवेदी व श्री दिनेश, लेखाकार श्री लाखन, अभियंता श्री ओम प्रकाश मिश्र, अवर अभियंता श्री मनोज शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार

सक्सेना से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न करने के सम्बंध में वित्तीय सलाहकार श्री ओम प्रकाश सक्सेन के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही। एम. बी. प्रस्तुत न होने से स्पष्ट व पूर्ण गणना संभव न हो सकी। जाँचोंपरान्त कार्यवाहीं अपेक्षित रही। (आपत्ति सं)-26)

प्रस्तर-44-गत वर्षानुसार पाया गया कि वर्ष आलेच्य में भी. ठेकेदारों से अनुबंध नियमानुसार कुल लागत के 0.72 प्रतिशत के मूल्य के स्टाम्प पर न कर मात्र रू0 100/- के, स्टाम्प पर लिया गया है। रू0 100 के स्टैम्प के साथ गत वर्षानुसार ही एक शपथ पत्र भी लिया गया है जिसमें अकन है कि-

क -मान० उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि राजय सरकार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है तो नियमानुसार स्टैम्प अदा कर दूँगा।

ख- शासनादेश सं०रा०का०नि० 5-1712. (1) 11-2000-500 (डब्ल्यू-29) 2006 दि० 02.05.2006 के अन्तर्गत रू0 100/ शुल्क अदा करना चाहता हूँ।

जनपद का कोई ठेकेदार स्टैम्प संबंधी किसी केस का उच्च न्यायालय में पक्षकार नहीं है. और न ही इकाई के अधिकारियों की ही किसी केस के संबंध में जानकारी है। यह भी ज्ञात हुआ कि अन्य विभागों में नियमानुसार ही मूल्य के स्टैम्प पर अनुबंध हो रहे है। अंकित शासनादेशानुसार स्टैम्प पर छूट नहीं दी जा सकती है।

वर्ष आलेच्य में कुल रू0 2327-19 (लाख) धन निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। अतः वाजिब स्टाम्प रू0 1675577- के लिए जाने थे जबकि लिये मात्र 23600/- के है। इस प्रकार रू० 1651977/- से शासकीय कोष की क्षति हुई है। उक्त हानि इकाई के अधिकारियों की ठेकेदारों से दुरभिसंधि का परिणाम है विडम्बना यह है, कि ठेकेदारों को अनुबंध करने के लिए 0-72 प्रतिशत मूल्य के स्टैम्प पर करने के निर्देश दिए गए हैं। सुस्पष्ट अधिकारी स्वयं जानते हैं। वाजिब स्टाम्प किस मूल्य का होना चाहिए एवं यदि कोई केस या परिणाम राज्य सरकार के पक्ष में आ चुका है

अतः रु० 1651977/- की वसूली अनाधिकार ठेकेदारों को छूट देने वाले पटल प्रभारी श्री अनिल कुमार द्विवेदी व श्री दिनेश वर्मा, अभियंता श्री ओम प्रकाश मिश्रा व अपर मुख्य अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से दण्ड, ब्याज सहित करते हुए धन राजकीय कोषागार में जमा कराते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। पदेन दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने के लिए तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश सक्सेना के विरूद्ध भी प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (अप० 27)

प्रस्तर-45-वर्ष आलेच्य में तेरहवें वित्त आयोग की प्रथम क़िस्त के रूप में रू0 11958069/- प्राप्त हुए हैं. जिसका उपभोग सड़क निर्माण, सी०सी० रोड' निर्माण, खड़ज़ा निर्माण के कार्यों पर किया गया है।

उ०प्र० शासन के पंचायती राज अनुभाग-3 के द्वारा जारी शासनादेश सं0 2566/33-3/2010-142/दि० 23.12.2010 के प्रस्तर 2 (2) के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त निधि की प्रथम किस्त से स्वच्छता सुविधाएं तथा सभी के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु पुरानी जलापूर्ति योजनाओं का पुर्वयास व नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना था।

इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त प्रथम किस्त, का उपभोग शासनादेश के विपरीत किया जाना अनियमित रहा।

अतः जाँचोंपरान्त उक्त अनियमितिता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना व इकाई अध्यक्षा श्रीमती नीतू सिंह व वित्त परामर्शदाता श्री ओम प्रकाश सक्सेना से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (आप० 44)

प्रस्तर-46-वाउचर नं-40 दि० 08.09:2014 से चेक नं0 002561 से 70000/- का भुगतान श्री मनीष अग्रवाल की रा०वि०आ० के धन से ढाईघाट में पक्के मार्ग से. गंगा जी के तट पर कांवरियों के आवागमन हेतु कच्चा मार्ग निर्माण का किया गया है। कार्य की माप अवर अभि० श्री सत्येन्द्र श्रीवास्तव द्वारा दि० 18.07.2014. को किया जाना दर्शित है।

पाया गया किं तत्स्मय कोई कांवर यात्रा या मेला न था और न ही जिला प्रशासन द्वारा जिला पंचायत को ऐसा कोई निर्देश ही दिया था। वर्षा काल में मार्ग कच्चा निर्माण का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्य की पत्रावली ले0प0 से छिपायी गई हैं, मांग पर भी प्रस्तुत नहीं की गयी। बिल के साथ मिट्टी खरीद की रायल्टी (एम.एम.-11) की रसीद भी नहीं है। उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि मिल जुलकर धन का अपहरण किया गया है। रा०वि० आयोग के धन से कच्चा कार्य अनुमन्य ही नहीं है।

अतः अपहरित धन रू0 70000/- की वसूली दण्ड ब्याज सहित अपर मु०अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना अपर अभि० श्री सत्येन्द्र श्रीवास्तव से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। इकाई अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच अपेक्षित रही। (आप० 29)

प्रस्तर-47-प्रमाणक सं० 53 दि0 25.08.14 से चेक सं0-526738 से इकाई अध्यक्ष एवं कार्यालय जनरेटर के लिए खरीदे गये डीजल मूल्य का भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

वाहन में:-

रसीद नं०	बिल दि०	तेल डलवाने की तिथि	मात्रा	दर
1420	04-07-14	2/7 - 3/7	26+40=66	63.00
1421	07-07-14	6/7	47	63.00
1422	14-07-14	13/7	51	63.00
1423	17-07-14	16/7	49	63.00
1424	24-07-14	23/7	51	63.00
1425	29-07-14	28/7	43	63.00
1426	31-07-14	30/7	52	63.00
			359	**मूल्य-22652.90**

जनरेटर हेतु-

रसीद नं0	तेल डलवाने की तिथि	मात्रा	दर
1427	1/7	10	63-10
	4/7	20	63-10
	5/7	20	63-10
	10/7	15	63-10
	11/7	10	63-10
		75	**मूल्य-4732.50**

उक्त में रसीद नं0 1420 दि० 31.07.14 को निर्गत है जबकि 1427 दि० 12 07.14 को निर्गत है। जो संभव नहीं है। उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी बिल एवं रसीदें बनायी गयी हैं। उक्त को समायोजित करने के लिए फर्जी अभिलेख बनाये गये हैं।

अतः अपहरित धन के रू0 27385.40 की वसूली अपर मुख्य अधि० श्री प्रदीप कुमार सक्सेना एवं संगत पटल लिपिक से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही फर्म के 'विरूद्ध फर्जी बिल बनाने के प्रति भी कार्यवाही की जानी चाहिए। (आप० 30)

वर्ष- 2015- 16

प्रस्तर-48-आलोच्य वर्ष 15- 16 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये कार्यों की अधिकांश पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया कतिपय पत्रावलियों के अवलोकन से तथा व्यय प्रमाणकों की जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयीः-

(1) उ०प्र० पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं० 830/33.02.2004-93 जी०/2004 दि० 12.01.2005 के चयन सम्बन्धीजारी मार्गदर्शन सिद्धातों के विपरीत अधिकांश कार्य गांव के अन्दर करवाये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति विशेष का लाभ / सुविधा प्रदान करने वाले कार्य करवाये गये है।
(2) कार्य का चयन जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा किया गया है, जो कि शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी0/2004 दि० 12.01.2005 प्रस्तर 4 के विपरीत रहा उसके कारण शासन की मंशा लोकतांत्रित व पारदर्शी भ्रष्टाचार मुफ्त का उलंघन हुआ है। उक्त के कारण स्वेच्छाचारिता एवं एकाधिकार को बढावा मिला एवं परिणामस्वरूप अनियमितायें हुई।
(3) उ०प्र० शासन के शासनादेश सं0 2566/33-3/2010-142/2010 लखनऊ दि० 23.12.2010 के प्रस्तर 2(1) के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त निधि के प्रथम किस्त के धन से स्वेच्छता सुविधायें सनी के लिए पेय जल आपूर्ति हेतु पुरानी जलपूर्ति योजनाओं का पुर्नवास, सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट, स्ट्रीट लाइंट आदि नागरिक सुविधाओं के रखरखाव / अनुरक्षण व पर व्यय किया जायगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तर-2(2) के अनुसार आवंटित धनराशि से स्वच्छता सुविधायें तथा सभी के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु पुरानी योजनाओं का पुर्नवास एवं नवीन योजनाओं का कियान्वयन किया जाना था। किन्तु इकाई अध्यक्ष द्वारा मात्र सडक निर्माण सी०सी०रोड निर्माण, खडंजा निर्माण एवं इण्टरलॉकिंग मार्ग निर्माण आदि कार्य करवाये गये है, इस प्रकार कराये गये कार्य शासनदेश के अनुरूप नहीं रहें।
(4) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धन का उपयोग शासनादेश सं0-1719/33-3/2010-48/2007 दि० 30.09.2010 के अनुसार नहीं किया गया है।
(5) जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कब और किस आधार पर कार्य योजना बनाई कब अपर मुख्य अधिकारी व अभियन्ता ने कार्ययोजना स्वीकृत की अदि अस्पष्ट रहा।
(6) अवर अभियन्ता को कब स्टीमेट बनाने के आदेश दिये गयेनव स्थलीय सत्यापन व माप की गयी आदि अस्पष्ट रहा।
(7) कराये गये कार्यों के चयन के पूर्व ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों मण्डी समिति तथा गन्ना विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।
(8)सी०सी०रोड की क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं ली गयी है, जिसे गुणवत्ता संदिग्ध रही।
(9) इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण के कम्प्रहेन्सिव स्ट्रेन्थ रिपोर्ट नहीं ली गयी है, जिससे उन कार्यों की गुणवत्ता अप्रमाणित रही निम्न व अधोमानके गुणवत्ता की इण्टरलॉकिंग ईंट प्रयोग किए जाने की सूचना प्राप्त हुयी है।
(10) रायल्टी की रसीद नहीं ली गयी है, रवन्ना (एम.एम.-11) लिया जाना था।
(11) टेण्डर प्रक्रिया दूषित रही। समस्त कार्यों के मात्र तीन ही टैण्डर प्राप्त थे जिससे स्पष्ट है कि सेटिंग की गयी है।
उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से पूर्णतया तथा स्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग से प्रयुक्त धन रू० 1597.46 लाख एवं तेहरवें वित्त आयोग से प्राप्त धन 454.52 लाख, कुल 2051.98 लाख का पूर्णतया दुरूपयोग एवं अनियमितता की गयी है।

अतः उक्त धन का जाचोपरांत अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, अभियंता श्री राकेश कुमार वर्मा अवर अभियंता श्री मनोज शर्मा लेखाकार श्री लाखन तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पर पर दायित्व का निर्धारण किया जाना अपेक्षित रहा। साथ ही दायित्वों का निर्वाहन न करने के कारण तत्कालीन वित्तीय परार्मशदाता श्री राधेश्याम गुप्ता एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उच्च स्तरीय जांच एवं भौतिक सत्यापन आपेक्षित रहा।

प्रस्तर-49-दिनांक 24.09.2015 को वाउचर संख्या-91 से रूपया 871909.00 का भुगतान किया गया जिसमें रूपये 19531.00 टी०डी०एस०, 34876.00 रूपये वैट, 31593.00 रू० लेवर सेस 1000.00 अर्थ दण्ड तथा 784909.00 रूपये ठेकेदार को दिया गया जिसमें रायल्टी नहीं काटकर जमा की गयी। इस कार्य में ठेकेदार द्वारा 2379.68 घन मीटर मिट्टी खरीद की गयी थी। जिस पर 14 रू0 प्रति मी० की दर पर मिट्टी रायल्टी

2379.18×14 = 33316 रू० होता है। रायल्टी का भुगतान श्री मुकेश सक्सेना को कर दिया गया। इसकी वसूली की जिम्मेदारी वर्तमान प्रशासन की है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन लेखाकार श्री लाखन एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कमार सक्सेना से वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा वित्तीय परामर्शदाता पर भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-50-ठेकेदारों के बिलों से उपखनिजों की रायल्टी की वूसली नहीं की गयी है। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के पत्रांक 3891/77-5/ (216) 93 दि० 05.08.2002 के अनुसार उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध रवन्ना (एम०एम०-11) के आधार पर ही परिवहन किया जाय। निर्माण फाईलो में वैध रवन्ना एवं रायल्टी जमा के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान का प्रमाणित प्रति नहीं लगी थी। निर्माण फाइल_एवं पेमेन्टशीट के आधार पर निम्न विवरण अनुसार उपखनिजों की आपूर्ति की रायल्टी निर्धारित की जाती है

वर्ष	क्र.सं	उपखनिजों के नाम	मात्रा धन मी0	दर/धन मी0	धनराशि(रूपये में)
15-16	1. 2. 3.	मोरंग बालू आदि स्टोन व्लॉस्ट स्टोन ग्रिट	12144.07 9089.50 3142.82	33 प्रति घनमी 50 प्रति घनमी 102 प्रति घनमी	400754.00 454475.00 320567.00
		योग--			1175796.00

क्र.सं.	**नाम ठेकेदार**	**धनराशि-**
1.	गुप्ता बिल्डर्स	6072.00
2.	भूपेन्द्र सिंह	62541.00
3.	मलक हवीवुर्रमान	20818.00
4.	इवरत वली	19251.00
5.	राम कुमार	1853.00
6.	राम चन्द्र सिंह	345220.00
7.	आनन्द देव मिश्र	21063.00
8.	खान कांस्ट्रक्शन	7151.00
9.	मुकेश कुमार सक्सेना	97688.00
10.	विमलेश कुमार	10848.00
11.	सरनाम सिंह	3454.00
12.	अजीत कुमार सिंह	967.00
13.	सन्तोष कुमार सिंह	98873.00
14.	मनोज वर्मा	15662.00
15.	अशोक कुमार	5211.00
16.	अनिल दत त्रिपाठी	4891.00
17.	अली कांस्ट्रक्शन	11177.00
18.	आर0के0 कांस्ट्रक्शन	3768.00
19.	बाला जी कांस्ट्रक्शन	7941.00
20.	वैण्णों कांस्ट्रक्शन	3032.00
21.	पंकज गुप्ता	6630.00
22.	मनीष अग्रवाल	59059.00
23.	शिव कांस्ट्रक्शन	5249.00
24.	ओम साई कम्पनी	2530.00

25.	प्रदीप चतुर्वेदी	7068.00
26.	प्रताप सिंह	1420.00
27.	कृण्णा कांस्ट्रक्शन	146804.00
28.	जय सिंह	81677.00
29.	न्यू राज कांस्ट्रक्शन	5351.00
30.	सुल्तान एशोसियेट	48299.00
31.	श्री कांस्ट्रक्शन	8559.00
32.	छविनाथ सिंह	870.00
33.	श्रीमती शीला देवी	1182.00
34.	शम्मन लाल	4629.00
35.	रमाकान्त बाजपेयी	2652.00
36.	कन्हैया कांस्ट्रक्शन	2967.00
37.	ब्रिजेश गुप्ता	27698.00
38.	अशेखर सिंह	2894.00
39.	अजय मिश्र	3210.00
40.	अजीफुद्दीन	3830.00
41.	मिथिलेख कुमार सिंह	823.00
42.	मनीष कालरा	1625.00
43.	अशवनी कुमार	3489.00
	योग	**1175796.00**

उपरोक्त ठेकेदारों से रू0 1175796.00 रायल्टी का राजस्व जमा कराया जाय। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार श्री लाखन विपिन चन्द्र पन्त, अवर अभियन्ता मनोज शर्मा, अभियन्ता राजेश कुमार वर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना की है। वित्तीय परामर्शदाता की भूमिका भी सही नही पायी गयी। उक्त अधिकारियो के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51-आलोच्य वर्ष में मिट्टी पर रायल्टी का धन 1136349.00 शासकीय कोष में जमा किया गया है। बिलों की जांच में पाया गया कि मिट्टी पर वाजिव रायल्टी का भुगतान पहले ठेकेदार को करना इकाई द्वारा दर्शाया गया है। तथा बाद में उक्त की कटौती ठेकेदार के बिलों से दर्शायी जाती है। टेण्डर आमान्त्रण में ऐसे कुछ नहीं होता है। नियमानुसार यदि ठेकेदार द्वारा मिट्टी कही से खरीदी जाती है तो रायल्टी का रसीद प्रस्तुत की जाती थी।

इस प्रकार ठेकेदार को मिट्टी खरीद से लाभ पहुंचाया गया है तथा संस्था को रायल्टी के धन रू० 1136349.00 से हानि पहुंचायी गयी है। अतः रू0 1136349.00 की वसूली अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा, अवर अभिन्ता श्री मनोज शर्मा, तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना एवं लेखाकार श्री लाखन से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52-आलोच्य वर्ष में सेस के रूप में रू0 1721278.00 जमा किया गया है। बिलों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारो के बिलों में इकाई द्वारा पहले वाजिव सेस जोडा गया एवं बाद में उसी धन की कटौती कर जमा किया गया है। जबकि नियमानुसार सेस का दायित्व ठेकेदार का था न कि इकाई का क्योकि टेण्डर में उक्त के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार रू0 1721278.00 से ठेकेदारो को लाभ पहुंचाया गया तथा इकाई को उतने से हानि हुई है।

अतः रू0 1721278.00 की वसूली ठेकेदारों से न हो पाने पर उक्त की वसूली अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा अवर अभियन्ता श्री मनोज शर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-53-आलोच्य वर्ष में मार्च के 2016 में रू0 4000000.00 सीधे आयकर विभाग द्वारा पेनाल्टी काट ली गयी है दिखाया गया है। किससें इस प्रकार की गलती हुई जिससे यह धनराशि सीधे काटी गयी। लेखाकार श्री लाखन के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त धनराशि का समायोजन किस प्रकार किया गया जिसका स्पष्टी कारण अपेक्षित है।

प्रस्तर-54-दिनांक 02.09.15 को वा० स० (23) से सुल्तान एशोसियट द्वारा लालपुर खुटार में इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया जिसकी लागत रू0 702040.00 आयी जिसमें लेवर सेस 1 प्रतिशत रू0 6951 जोडा गया था। बाद में विवरण बनाते समय लेवर सेस विवरण में केवल रू0 695 रखा गया। अन्तर की राशि रू० 6256 सुल्तान एशोसियेट के चेक में जोड कर चेक काट दिया गया। इस प्रकार लेवर सेस रू0 6256 कम जमा कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया इसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री लाखन ,अवर अभियन्ता श्री मनोज शर्मा, अभियन्ता श्री राजेश वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से की जानी अपेक्षित हैं व वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार गुप्ता की भूमिका भी संदिग्ध है, इन पर भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-55-आलोच्य वर्ष 15-16 में जनवरी 2016 से मिट्टी की रायल्टी की दर 14 रूपये प्रतिधन मी० से बढ़कार 30 रूपये प्रतिधन मीटर कर दी गयी परन्तु जनवरी 16 व फरवरी 16 में पूर्व दर पर ही रायल्टी जमा करायी जाती रही थी जिससे निम्न विवरण अनुसार रायल्टी राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी-

क्रं.सं.	**वा0सं0/दिनांक**	**रॉयल्टी जमा 14 रू प्रति धन मी. की दर से**	**30 रू प्रति धन मी. की दर से रॉयल्टी**	**अन्तर**
1.	81/23/01/16	1268.00	2717.00	1449.00
2.	82/29/01/16	1221.00	2616.00	1395.00
3.	83/29/01/16	1245.00	2775.00	1480.00
4.	84/29/01/16	1123.00	2406.00	1283.00
5.	85/29/01/16	1091.00	2338.00	1247.00
6.	86/29/01/16	1142.00	2447.00	1305.00
7.	87/29/01/16	998.00	2138.00	1140.00
8.	88/29/01/16	6460.00	13842.00	7383.00
9.	21/02/02/16	2459.00	5269.00	2810.00
10.	22/02/02/16	351.00	752.00	401.00
11.	23/02/02/16	1812.00	3883.00	2071.00
12.	24/02/02/16	1473.00	3156.00	1683.00
13.	25/02/02/16	1632.00	3497.00	1865.00
14.	27/23/02/16	2573.00	5513.00	2940.00
योग		**24898.00**	**53350.00**	**28452.00**

उपरोक्त विवरण अनुसार रू0 28452:00 की रायल्टी कम जमा की गयी है, इतनी धनराशि से ठेकेदारों को भुगतान अधिक कर दिया गया है, इसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री लाखन, अवर अभियन्ता श्री मनोज शर्मा, अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना की जानी अपेक्षित है। वित्तीय परामर्शदाता श्री सन्तोष कुमार गुप्ता पर भी विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-56- आलोच्य वर्ष 15-16 की चतुर्थ त्रैमासिक पुस्तिका के प्रपत्र-3 में सम्पत्ति एवं विभवकर प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.15 को रू0 110.50 लाख अंकित है, परन्तु गत वर्ष का अन्तिम अवशेष दिनांक 31.03.15 का रू0 112.39 लाख था इस प्रकार रू0 1.89 लाख से बकाया कम कर दिया गया है जो गम्भीर

आपत्ति का विषय है। रूपया 1.89 लाख बकाया वसूल कर उसका अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली कर निरीक्षक अनु० मु० लिपिक कर, लेखाकार तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से की जानी अपेक्षित है। वित्तीय परामर्शदाता पर भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-57- दिनांक 31.03.15 को मृत पशु शव निस्तारण मद में प्रपत्र के अनुसार बकाया अवशेष रू0 4.59 था। परन्तु आलोच्य वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष में यह धनराशि रू0 3.48 लाख अंकित की गयी है। इस प्रकार रू0 1.11 लाख की वसूली न जमा कर उसका अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली तत्कालीन सम्बन्धित कर निरीक्षक, अनु०मु० लिपिक कर, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-58- दिनांक 31.03.15 को दुकान व भवन किराया का अवशेष रू0 61.04 लाख गत वर्ष के प्रपत्र-3 में अंकित था। आलोच्य वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष दि० 01.04.15 को यह बकाया रू0 19.94 लाख अंकित किया गया इस प्रकार रू0 41.10 लाख किराया कम अंकित किया गया। रू0 41.10 लाख किराया वसूल कर अपहरण तत्कालीन कर निरीक्षक, अनु० मु० लिपिक कर, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया गया है। इसकी वसूली उक्त से की जानी अपेक्षित है एवम वित्तीय परामर्शदाता पर भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-59- दिनांक 31.03.15 को नौका घाट का बकाया रू0 2.25 लाख गत वर्ष के प्रपत्र-3 में अंकित था। जिसे आलोच्य वर्ष में शून्य कर दिया गया। इसे वसूल कर इसका अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली तत्कालीन कर निरीक्षक अनु० मु० लिपिक कर लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी से की जानी चाहिए। वित्तीय परामर्शदाता पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-60- शासनादेश संख्या-3891/77:5-200-1(216)93 दिनांक-05.08.2002 के अनुसार लेपन कार्य (सड़क निर्माण) एवं अन्य कार्यों के बिलों के भुगतान से पूर्व वैध रवन्ना (एम् एम्-11) लिया जाना अपरिहार्य है । वैध रवन्ना प्रस्तुत न होने पर शासनादेश से निर्धारित दरों पर रॉयल्टी की कटौती बिलों से कर शासकीय कोष में जमा कराना चाहिए । लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों की जांच में पाया गया की विभिन्न कार्यों पर स्टोन, मौरंग, बालू आदि का प्रयोग ठेकेदारों द्वारा किए जाने के बाद भी वैध रवन्ना (एम् एम्-11) के बगैर बिना रॉयल्टी की कटौती किए ही ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार जानबूझकर शासकीय कोष को क्षति पहुंचाई गई है । वस्तुत: एस्टीमेट बनाने में ही रॉयल्टी का सामग्रीवार/शीर्षवार आगणन करना चाहिए था तथा पत्रावली प्रस्तुत करने में सहायक अभियंता/ अवर अभियंता तथा पटल लिपिक का ही दायित्व था की रॉयल्टी की कटौती कर भुगतान हेतु पत्रावलियां उच्च अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

लेखा परीक्षा द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निम्नवत रॉयल्टी का आगमन किया जाता है-

स्टोन ब्लास्ट - 29035.80×50 = 1451790.00

स्टोन प्रिंट - 1653.45×102 = 168651.90

स्टोन डस्ट - 1978.50×102 = 201807.00

कोर सैंड - 805340.20×33 = 176226.60

योग- 1998475.50

कुल वाजिब संपूर्ण रॉयल्टी का आगणन तकनीकी अभियंता, सहायक अभियंता/ अवर अभियंता से करवाया जाना चाहिए। वैध रवन्ना (एम् एम्-11) से ही ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु सामग्री खरीद की पुष्टि होती है ।

अतः रॉयल्टी जमा न होने से शासकीय कोष को हुई क्षति रुपए- 1998475.50 की वसूली दंड ब्याज सहित पटल लिपिक अनिल कुमार द्विवेदी व दिनेश वर्मा, वित्तीय परामर्शदाता श्री अमरेशपाल, संबंधी सहायक अभियंता व अवर अभियंता तथा श्री शिशुपाल सिंह यादव अपर मुख्य अधिकारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-61-वित्तीय वर्ष-2017-18 में विधायक निधि का धन रुपए- 23.12 लाख प्राप्त हुआ है, जिसका उपभोग 31.03.2018 तक नहीं किया गया है ।

विधायक/सांसद निधि से धन किसी कार्य विशेष के लिए प्राप्त होता है। विधायक निधि से प्राप्त धन किस /किन कार्यों के लिए प्राप्त हुआ का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से तत्संबंधी तथ्य अज्ञात रहे। प्राप्त धन का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर ना कर धन खाते में जमा कर रखे रहना आपत्तिजनक रहा । नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-62- मेला माघ

दिनांक-23.02.2018 को मेला ढाई घाट संबंधी निम्न व्यय किए गए हैं-

वाउचर नंबर-138- मयूर इंटरप्राइजेज काबुल पाल टेंट आपूर्ति - 680355.00

वाउचर नंबर- 139 मयूर इंटरप्राइजेज समियाना, स्विस कॉटेज, कनात, दरी आदि- 941148.00

1621503.00

वाउचर नंबर-30 दिनांक-23.03.2018 विमलेश कुमार मेला ढाई घाट मार्ग निर्माण - 300000.00

वाउचर नंबर-31 दिनांक-23.03.2018 लाइट व्यवस्था - 190000.00

वाउचर नंबर-33 विमलेश कुमार मेला स्थल टेंट की आपूर्ति पर किराया - 200000.00

वाउचर नंबर-106 दिनांक-17.02.2018 इकबाल अली खान सड़के मरम्मत- 47892.00

कुल व्यय- 2359395.00

उक्त मेले के प्रवेशद्वार की नीलामी से हुई आय नीलामी पाने वाली ममता को चेक नंबर-521485 दिनांक-20.01.2018 को रुपए- 63200.00 जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अवैध पाते हुए वापस करवा दिया था। जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा उक्त मेला फर्रुखाबाद जनपद के क्षेत्र अंतर्गत होने के कारण उक्त नीलामी निरस्त की गई थी। ऐसी स्थिति में मेला के नाम पर किया गया व्यय गलत व अवैधानिक है।लेखा परीक्षा में उक्त की पत्रावली भी प्रस्तुत न थी। अंत जांचोंपरांत दर्शित व्यय रुपया- 2359315.00 की वसूली प्रचलित दंड ब्याज सहित भुगतान स्वीकृत कर्ता श्री शिशुपाल सिंह यादव, अपर मुख्य अधिकारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-63- रोकड़ बही में 31.05.2016 की मासिक बंदी के विवरण में रुपए 4000000.00 आयकर विभाग द्वारा बैंक खाते से सीधे काटे जाने का विवरण अंकित है तथा 30.06.2016 को निम्नवत आयकर विभाग द्वारा बैंक खातों से आयकर की कटौती किए जाने का विवरण अंकित किया गया है-

बैंक ऑफ़ बड़ोदा राज्य वित्त आयोग - 4000000.00

बैंक ऑफ़ बड़ोदा 13वां वित्त आयोग - 7000000.00

कुल- 11000000.00

उक्त के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में ठेकेदारों के बिलों से की गई आयकर की कटौती के धन को गलत शीर्ष में जमा किए जाने के कारण आयकर विभाग द्वारा उक्त कटौती की गई है। अपने कथन की पुष्टि में इकाई द्वारा संतुष्टि परक साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।अभी तक उक्त धन की वापसी भी नहीं हुई है। धन वापस न होने से ब्याज के रूप में भी इकाई को सतत क्षति हो रही है।

वाजिब आयकर की कटौती करने एवं सही शीर्ष में जमा कराने का दायित्व इकाई के अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार का होता है। इकाई के वित्तीय परामर्शदाता का भी दायित्व सतत निरीक्षण व पर्यवेक्षण का है। उक्त में किसी के द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया।

अतः आयकर विभाग द्वारा कटौती किए गए धन रुपए- 11000000.00 पर हो रही ब्याज की हानि का दायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह यादव, लेखाकार श्री लाखन पर अवधारित कर

वसूल किया जाना अपेक्षित रहा तथा संपूर्ण राशि जब तक वापस नहीं होती उस समय तक उक्त राशि रुपए- 11000000.00 पर ब्याज उक्त दोनों से ब्याज की भी वसूली की जाए।

प्रस्तर-64- वाउचर नंबर-118 व 119 से दिनांक-27.10.2016 को विजिटर चेयर रुपए-104424.00 मूल्य की मेसर्स खंडेलवाल इंडस्ट्रीज से क्रय की गई है। स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न था । पहले से ही पर्याप्त फर्नीचर के रहते इस प्रकार के व्यय अपरिहार्य़ नहीं है । लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उक्त व्यय अनियमित है। उक्त का प्रयोग कहां हो रहा है, स्पष्ट नहीं किया गया। अंत जांचोंपरांत रुपया-104424.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-65- दिनांक-02.05.2016 को ढाई घाट मेले में अधिकारियों के रहने के लिए स्विस कॉटेज का भुगतान रुपया-304181.00 का भुगतान मेसर्स कपूर इंडस्ट्रीज को किया गया है। मेले में उक्त कॉटेज में किसी भी अधिकारी के रहने के कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रकाश में नहीं आए। मेले में विशिष्ट व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

इस प्रकार उक्त व्यय पूर्णतया धन की अनावश्यक बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उक्त से कोई आय भी नहीं हुई है। अंत जांचोंपरांत उक्त की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय उक्त व्यय की स्वीकृति इकाई प्रबंधन द्वारा पारित नहीं है।

प्रस्तर-66- दिनांक-14.04.2016 को अध्यक्ष कक्ष हेतु एयर कंडीशन की खरीद का भुगतान रुपए-47800.00 मेसर्स संत इलेक्ट्रिकल, बजाज भवन, गोविंदगंज को किया गया है, तत्पश्चात दिनांक-16.09.2016 को उक्त एयर कंडीशन की मरम्मत पर रुपए-2750 तथा 11.09.2017 को उक्त मरम्मत पर पुनः रुपए-4680.00 व्यय किया गया है। नई खरीद पर एक लंबे समय की गारंटी/वारंटी होती है, ऐसी स्थिति में मात्र 5 माह बाद मरम्मत का कोई प्रश्न नहीं है। अग्रेतर अध्यक्ष कक्ष में पूर्व से लगा एयर कंडीशनर कहां गया, स्पष्ट नहीं किया गया। नए एयर कंडीशनर खरीद के गारंटी/वारंटी कार्ड लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न थे । खरीद के 5 माह बाद तथा पुन 1 वर्ष बाद मरम्मत होना स्पष्ट करता है कि खरीदे गए नए एयर कंडीशनर का प्रयोग या तो अन्यत्र किया गया या खरीद फर्जी है। इसी कारण पुराने एयर कंडीशनर का विवरण सुलभ नहीं रहा । अंत जांचोंपरांत रुपए-47800.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह यादव व स्टोर इंचार्ज से करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई अपेक्षित रही।

प्रस्तर-67- किसी भी विज्ञापन/टेंडर/अन्य सूचना का प्रकाशन बहुप्रसारित समाचार पत्रों में किए जाने के निर्देशों/आदेशों का उल्लंघन कर निम्न व्यय अल्प प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गए विज्ञापनों का किया गया है-

23.06.2017-सी0एम0वाई क प्रिन्टेक लिमिटेड में गड्ढा युक्त रोड के विज्ञापन का- 30404.00

26.08.2017-डी0ए0 चेतना प्रकाशन उपविधियां प्रकाशन का- 5000.00

27.11.2017-मिडडे इनफोर मीडिया लि0- उपविधियां प्रकाशन -29991.00

23.07.2016-मेसर्स तरुण मित्र निविदा प्रकाशन- 10010.00

शासनादेशों के अनुसार उक्त व्यय ना होने के कारण उक्त व्यय अनियमित है ।

अतः उक्त अनियमित व्यय रुपए-75405.00 की वसूली स्वीकृत कर्ता श्री शिशुपाल सिंह यादव, अपर मुख्य अधिकारी से जांचोंपरांत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-68- वर्ष आलोच्य में निम्न व्यय दर्शित है-

02.11.2017-ए0सी0 रिपेयर व एल0इ0डी0 -13020.00

02.11.2017-10 एल0इ0डी0 बल्ब खरीद-14300.00

एक एल0इ0डी0 की कीमत रुपए 1430.00 हो यह संभव नहीं है उक्त क्रय के कोटेशन आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न थे । उक्त क्रयित एल0ई0डी कहां लगवाए गए, स्पष्ट नहीं किया गया। पूर्व से लगे एल0ई0डी0 खराब होने की सूचना कब व किसे प्राप्त हुई, अस्पष्ट रहा। नवंबर माह में ए0सी0 की रिपेयर की

कोई आवश्यकता न थी। अन्य ए0सी0 की मरम्मत पहले ही हो चुकी थी। इस प्रकार उक्त व्यय वास्तविक नहीं है।

अतः जांचोंपरांत उक्त राशि रुपया-27320.00 की वसूली स्वीकृत कर्ता अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह यादव व केयर टेकर से अपेक्षित रही।

प्रस्तर-69- इकाई की निजी स्रोत से आय की जांच में पाया गया कि दिनांक-31.03.2016 की बकाया मांग को 01.04.2016 को कम करके दर्शाया गया है, विवरण निम्नवत रहा-

(लाख में)

क्रम संख्या	शीर्ष	31.03.2016 को बकाया	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	अंतर
01	संपत्ति एवं विभव कर	168.47	145.93	22.54
02	दुकान एवं भवन किराया	21.94	19.94	2.00

इकाई द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि लिपिकीय त्रुटिवश ऐसा हुआ है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि उक्त का सुधार 31.03.2018 तक नहीं किया गया। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि जिला पंचायत की निजी परिसंपत्तियों का रख-रखाव पूर्णतया अनियमित है तथा यह भी संभव है कि कुछ खास व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए आंकड़ों व अभिलेखों में हेरा-फेरी की गई हो । उक्त से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की आय के कोई प्रामाणिक विवरण व अभिलेख नहीं रखे गए हैं इस प्रकार इकाई को रुपए - 24.54 लाख की हानि पहुंचाई गई है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह यादव, वित्तीय परामर्शदाता व पटल लिपिक उत्तरदायी हैं।

अतः रुपए 24.54 लाख की वसूली जांचोंपरांत श्री शिशुपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्री अमरेश बहादुर पाल, वित्तीय परामर्शदाता तथा श्री अनिल कुमार द्विवेदी पटल लिपिक से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-70- वित्तीय वर्ष-2016-17 में मेला एवं प्रदर्शनी की व्यवस्था पर कुल व्यय रुपए- 2245000.00 किए गए हैं । जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में मेले की व्यवस्था जनपद सीमा के बाहर अन्य जनपद की सीमा में पाते हुए गेट नीलामी से हुई आय लौटवा दी थी।

अतः दूसरे जनपद के क्षेत्र में मेला लगवाने पर व्यय नियमानुसार नहीं है,अतः व्यय अनियमित है । अतः जांचोंपरांत रुपए- 2245000.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह यादव व वित्तीय परामर्शदाता श्री अमरेश बहादुर पाल से करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई अपेक्षित रही।

जनपद - बस्ती **मण्डल-बस्ती**

प्रारूप -2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ)

प्रस्तर संख्या -01- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2021-22 की जाँच में पाया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा कार्यों की डुप्लीकेसी से बचने के लिए शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के माध्यम से निर्माण कराए जाने सम्बन्धी जारी किए गए दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया था कि जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो उसी स्तर पर कराया जाये और जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्य न कराए जावें एवं जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित करायेगी|

संस्था की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में पाया गया कि जिला पंचायत राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य सम्पादित कराया गया है जिसका लाभ एक से अधिक ग्राम पंचायतों को नही मिल सकता है|

कार्यों का नाम -

क्र० स०	कार्य का नाम	31.03.2022 तक भुगतान
01	ग्रा० बसडीला में मुख्य मार्ग से हरीश चौधरी के घर तक सी०सी०रोड	756000.00
02	ग्रा० डुहवा मुख्य मार्ग से प्रा० स्कूल तक सी०सी०रोड	710080.00
03	एन०एच०28 से महू घाट गाँव में मस्जिद होते हुए पिच मरम्मत कार्य	489440.00
04	ग्रा० सिहोंरवा पश्चिम मुख्य मार्ग से कोहडवा गाँव तक सी०सी०रोड	834400.00
05	सिकरा हकीम में रोड से उत्तर की तरफ पिच मरम्मत कार्य	590240.00
06	गऊखोर के संपर्क मार्ग पर सी०सी०रोड	805280.00
07	भटिया में इन्टरलाकिंग	185920.00
08	चन्द्रिका प्रधान के घर से इन्द्रपाल के घर होते हुए प्रा०प० रेवरादास तक सी०सी०रोड	212800.00
09	ग्रा० घघौरा में नाली निर्माण	226240.00
10	हथिनहा सं०मा० पर मरम्मत	83216.00
11	ग्रा० गोटवा में नहर पुल से भावो प्रसाद के घर पर पिच मरम्मत	255360.00
12	चरथी भट्ट के आलिमपुरवा में वर्मा के घर तक सी०सी०रोड	1120000.00
13	ग्रा० मस्जिदिया में सं०मा० पर सी०सी०रोड	383040.00
14	एन०एच०28 से आर०के० सिंह के मकान तक पिच मरम्मत	1573357.00
15	गौर सं०मा० से संथुआ में पिच मरम्मत	143461.00
16	अवधेश के दुकान से भट्ट पिकौरा पिच मरम्मत	526076.00
	योग-	9994910.00

इस प्रकार शासनादेश के बिपरीत ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य पर रु० 9994910.00 व्यय कर अनियमितता की गयी है इस प्रति कार्य अवधि अनुसार अ०मु०अधि० श्री विकास मिश्र अभियंता 1 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव 2 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है| इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -02- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2021-22 की जाँच में पाया गया है कि जिला पंचायतों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुद्रढ़ करने हेतु प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रावधानित राजस्व की वसूली अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए |

जिला पंचायत के संपत्ति एवं विभव कर लाईसेन्स शुल्क आदि से सम्बंधित प्रस्तुत माँग के सापेक्ष वसूली अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान माँग एवं वसूली की स्थिति निम्नवत थी-

(धनराशि रु० लाख में)

मद	वर्ष के दौरान माँग	वसूली	वसूली प्रतिशत	अवशेष वसूली
सम्पति एवं विभव कर	180.00	42.03	23.35	137.97
लाईसेन्स	90.00	43.03	48.68	46.18
संपति से आय दुकान भवन,किराया व मरम्मत प्रीमियम	200.00	21.57	10.78	178.43
कृषि तथा तरुपालन	16.50	0.82	0.61	15.68
योग-	486.50	108.24	22.24	378.26

उपरोक्त विवरण के अनुसार संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त मद में बजट में प्रावधानित धनराशि की माँग रु० 486.50 लाख के सापेक्ष केवल रु० 108.24 लाख अर्थात 22.24 प्रतिशत की ही वसूली की जा सकी एवं रु० 378.26 लाख की वसूली लम्बित पायी गयी |

उक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर संस्था द्वारा बताया गया कि वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी |

संस्था का उत्तर मान्य नही है क्योकि माँग के सापेक्ष वसूली बहुत ही कम है एवं यह संस्था की स्वयं की आय है जिसे वसूली किया जाना संस्था का कार्य है| जिला पंचायतों को अपनी आर्थिक स्थिति सुद्रढ़ करने हेतु प्रत्येक प्रावधानिक राजस्व की वसूली अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए |

इस प्रकार संपत्ति एवं विभव कर, लाईसेन्स शुल्क आदि की लंबित वसूली रु० 378.26 अर्थात रु० 37826000.00 वसूली न होने के प्रति अ०मु०अधि० श्री विकास मिश्र एवं कर अधिकारी अमित कुमार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -03- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2021-22 की जाँच में पाया गया है कि जिला पंचायत का किराये पर दिए गए भवनों/कमरों की किराये की वसूली विगत कई वर्षों से नही हो पा रही है जिसका विवरण दिनांक 31.03.2022 को बकाया वसूली रजिस्टर के अनुसार निम्नवत है-

क्र० स०	बकायेदार/कार्यालय/व्यक्ति का नाम	31.03.2022 को बकाया धनराशि
01	कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती	2977247.00
02	कार्यालय उप विद्यालय निरीक्षक बस्ती	651037.00
03	कार्यालय अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बस्ती	7921177.00
04	श्री कृष्ण गोपाल सिंह	1422.00
05	श्री विद्या प्रसाद पाण्डेय	4400.00
06	प्रबंधक पी०एन०बी०बैंक	93125.00
07	यू०पी० एग्रो बस्ती	14997.00
08	प्रदीप कुमार सिंह	2199.00

09	अवधेश कुमार पाण्डेय	12314.00
10	श्रीमती किरन पाण्डेय	12312.00
11	खादी ग्रामोंद्योग	2930.00
12	पंकज कुमार	9726.00
13	श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	87996.00
14	श्री मजहर आजाद पत्रकार	109162.00
15	जिला निर्वाचन	38088.00
16	श्री राम नरेश त्रिपाठी	6860.00
17	श्री शब्बीर खान	5292.00
18	श्रीमती गीता यादव	329550.00
19	श्री राम प्रताप सिंह	26000.00
20	श्रीमती कान्ती देवी	2750.00
21	श्री राधेश्याम सिंह लेखाकार (वर्तमान में सन्तकबीर नगर)	172927.00
22	जिला प्रोबेशन अधिकारी	28183.00
23	श्री कौशल किशोर राव	36393.00
24	श्री राजेश कुमार चौधरी	16740.00
	योग-	12562827.00

अतः दिनांक 31.03.2022 को बकाया अवशेष रु० 12562827.00 की वसूली क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 158(2) एवं रेवेन्यू रिकवरी उ०प्र० रिकवरी एक्ट 1890 उपबंधों के अधीन आर०सी० की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

31.03.2022 को बकाया अवशेष धनराशि रु० 12562827.00 रहने का मुख्य कारण कर वसूली कर्मचारियों द्वारा वसूली कार्य में रुची न लेना, कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा वसूली की समीक्षा नही कराना कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्यवाही एवं बकायादार पर वसूली हेतु विधिक कार्यवाही न किया जाना रहा| अतएव इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विकास मिश्रा रवन कर अधिकारी श्री अमित कुमार एवं वसूली कर्मचारी 1 श्री महमूद अहमद रा०नि० 2 श्री राजेंद्र प्रसाद सहायक राजस्व निरीक्षक 3 श्री राजकुमार गौतम सहायक राजस्व निरीक्षक जिम्मेदार है इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -04- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2021-22 की जाँच में पाया गया है कि निम्नलिखित कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में या उससे पूर्व प्रारम्भ किए गए थे दिनांक 31.03.2022 तक अपूर्ण पाए गए जिससे दर्शित कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता अलाभकारी रही |

विवरण निम्नवत है:- (आंकड़े लाख में)

क्र० स०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत +जी०एस०टी०	दिनांक 31.03.2022 तक व्यय	अभियुक्ति
01	ग्रा० भानपुर में रघुनाथ सिंह के घर से पद्द्मा तिवारी के घर तक इन्टर लकिंग	7.11	4.93	अपूर्ण
02	रेणवल मीरपुर मार्ग से घोरसाये मार्ग पर बढयी के घर की तरफ संपर्क मार्ग पर इन्टर लकिंग	6.30	5.60	अपूर्ण

03	जय विजय नगरा बौडिहार संपर्क मार्ग पिच मरम्मत	8.00	7.06	अपूर्ण
04	ग्रा० गजियापुर से बरहपुर संपर्क मार्ग पर 2 मी० आर०सी०सी० पुलिया	10.00	6.46	अपूर्ण
05	ग्रा०पं० भवन बरसांवा मार्ग पर राजेंद्र सिंह के घर की तरफ 4 मी० स्पान पुलिया	8.00	4.63	अपूर्ण
06	ग्रा०पं० रसूलपुर में ग्राम बेलडाडी में जगराम घर से राम अचल के घर तक नाली निर्माण	8.74	7.82	अपूर्ण
07	सिसवा बररुआर से जंगल संपर्क मार्ग 2 मी० स्पान पुलिया	6.00	3.96	अपूर्ण
08	ग्रा० सभा बीजलपुर 4 मी० पुलिया	8.50	5.41	अपूर्ण
09	ओरीजोत ग्रा० सभा में इन्टर लकिंग	5.57	3.65	अपूर्ण
10	काजी हाउस असनहरा में बाउन्डरीवाल व सेड निर्माण	4.89	3.59	अपूर्ण
11	काजी हाउस सोनहा का बाउन्डरीवाल व सेड निर्माण	8.35	4.48	अपूर्ण
12	चौरी बाज़ार में डॉ अशोक शुक्ला के घर के सामने तालाब तक नाली निर्माण	20.72	9.69	अपूर्ण
13	ग्रा०पं० रमनातौफीर में बाउन्डरीवाल निर्माण	26.73	21.99	अपूर्ण
14	चरथी भट्ट के झालिया बाबा के पुरवा में इंटर लाकिंग रोड से शिव कुमार वर्मा के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	14.11	11.20	अपूर्ण
15	बंधुआ मोड़ से समय माता मंदिर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी से लेपन कार्य	7.50	4.01	अपूर्ण
16	ग्रा० तिनौता में बेलवरिया बाग से दक्षिण पिच का अवशेष भाग कार्य	9.87	6.50	अपूर्ण
17	शेरा पार में सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० रोड निर्माण	9.98	2.90	अपूर्ण
18	घाटपुर रानीपुर पिच मार्ग से रानीपुर अन्दधनपुर सम्पर्क मार्ग पर पिच रोड निर्माण	9.56	5.94	अपूर्ण
19	रुदलपुर से जसोवर तक पिच मरम्मत	7.28	5.22	अपूर्ण
20	बस्ती डुमरियागंज मार्ग से मोहम्मदपुर मिल से शनिचरा मार्ग पर पिच मरम्मत	6.67	5.43	अपूर्ण
21	महराजगंज दुबैलिया मार्ग से सिकटिहवा सम्पर्क मार्ग का सामान्य मरम्मत	6.68	5.99	अपूर्ण
	योग-		136.46	

उपरोक्त दर्शित कार्य पर व्यय रु० 136.46 लाख अर्थात रु०13646000.00 व्यय कर गम्भीर अनियमितताए की गयी तथा व्यय अलाभकारी रहा जिसके लिए श्री विकास मिश्र अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी अमित कुमार, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अभियंता विशेष रूप से जिम्मेदार है इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है |

जनपद- संतकबीर नगर **मण्डल -बस्ती**

<u>प्रारुप 02 (जिला पंचायत)</u>

प्रस्तर संख्या -01 जिला पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश सं. 1838/33-3-2015-03/2014 दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार जिला पंचायत 1 से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित कराने वाले कार्य सम्पादित करेगी परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश के विपरीत एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा किसी भी दशा में ग्राम सभा के अन्दर कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव अनुमन्य नही होंगे। गांव के अन्दर निर्माण कार्य कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों का है तथा उन्ही के द्वारा भुगतान भी किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों के जांच में पाया गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत संतकबीरनगर द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त उस कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नही कराया है। उदाहरणार्थ –

क्रम सं.	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय लाख रु. में
1	अजांव गाव से प्रा0 विद्यालय बालगोविन्द मार्ग का अवशेष भाग का लेपन / पैच मरम्मत कार्य	2021-22	238560.00
2	ग्राम गड़सरपार पिच रोड से हरिशंकर मिश्रा के खेत के तरफ जाने वाले सम्पर्क पर पिच / पैच मरम्मत कार्य	2021-22	192640.00
3	ग्राम सभा पंचायत कुड़ीमनमन में पिच रोड / सज्जाद के खेत से चड़ियवा गांव के तरफ जाने वाले रोड़ पर अवशेष का लेपन कार्य	2021-22	114240.00
4	ग्राम भैंसामथान में परसा कला कौड़िया पिच से भैसा मथान कोमल चौरसिया के घर के तरफ सी0सी0 निर्माण कार्य	2021-22	890848.00
5	ग्रामसभा करही में अबरार के दुकान से कब्रिस्तान / मदरसा के तरफ पिच मरम्मत कार्य	2021-22	1986880.00
6.	चिलौना में अमरनाथ के खेत से सुरेन्द्र यादव के खेत तक मिट्टी / खडंजा कार्य	2021-22	291200.00
7	ग्राम धौरहरा में पी0डब्लू0 डी0 सड़क से शोहराम के मकान से प्रा0 विद्यालय होते हुए मो0 हुसैन के मकान तक पिच कार्य	2021-22	1995392.00
8	ग्राम पंचायत उचहरा कला में मोहरविया कब्रिस्तान से विकवा टोला राम शब्द के घर तक पिच निर्माण कार्य	2021-22	1630720.00
9	ग्राम सभा चन्द्रौटी में मुख्य मार्ग से प्रवेश यादव के घर के तरफ सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	2021-22	1676640.00
10	जंगलऊन में पानी टंकी से बलुअर तक पिच कार्य	2021-22	2392320.00
11	खजुहा में अवधेश याद व के घर से रामदयाल शर्मा के घर तक सी0सी0 निर्माण	2021-22	1296960.00
12	ग्राम पंचायत महुआरी में बाघनगर – बुढ़ानगर पिच / पुलिया से महुआरी गांव शरीफ के घर इंटर रोड तक पिच कार्य	2021-22	1494080.00

13	ग्राम मानपुरा में आरिफ के घर से आलम के घर होते हुए पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	1794240.00
14	ग्राम मनपुर जुबेर के घर से जावेद के घर होते हुए तालाब तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	789600.00
15	ग्राम सभा गुलरिहा में राजमन के घर से गांव के पूरब तक मंदिर नाली निर्माण	2021-22	1715840.00
16.	ग्राम लौकी लाला में पुराना नाला लाल मोहम्मद के घर से नहर के तरफ नाली निर्माण कार्य	2021-22	995904.00
17	ग्राम नगवां काली स्थान से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	1496320.00
18	ग्राम कड़सरा में नाली निर्माण	2021-22	1095360.00
19	ग्राम सभा पड़ोखर में घुरहु के घर पुलिया से पूरब तालाब के तरफ नाली निर्माण कार्य	2021-22	579040.00
.20	ग्राम मझगांवा में कृष्ण चौरसिया के चाय के दुकान से बड़ौदा यूपी बैंक तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	1107680.00
21	ग्राम सभा हुजरा सुहावा में पेड़हिया गड़ही से सदरवा गड़ही तक नाली निर्माण	2021-22	1877120.00
22	सड़हरा में सागर के घर से पूरब पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	400400.00
23	ग्राम सभा बरडाड में यादवापुरवा मुन्शी के खेत से लेदुरा ताल तक नाला निर्माण कार्य	2021-22	1793120.00
.24	ग्राम सभा मलौली में सुरज पाल के घर के घर से जब्बार अली के घर तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	997360.00
25	ग्राम सभा दुल्हीपार में दीनानाथ नाई के घर से बघौली –दुधारा मार्ग पुलिया / जगदीश के घर तक नाला निर्माण कार्य	2021-22	3039680.00
26	ग्राम सभा अगया में वाकर हाजी के घर से मो0 युनुस के घर एवं मस्जिद से यासीन के घर के तरफ नाली निर्माण कार्य	2021-22	4369120.00
27	ग्राम हरिवंशपुर में श्री महेश के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	1699600.00
28	ग्राम सभा बौरब्यास में जिला पंचायत पिच के आगे से बौर ब्यास पिच रोड / भगौती गुप्ता के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	2021-22	946736.00
29	पन्द्रहवा वित्त आयोग से ग्राम पंचायत हरपुर में पक्का नाला से बस्ती महुली पी0डब्लू0डी0 रोड के नाला तक निर्माण कार्य	2021-22	1196160.00
30	ग्राम नाथ नगर में नन्द लाल के खेत से काली मंदिर तक निर्माण कार्य	2021-22	815360.00
31	नहराडिह भान सिंह के घर से पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	996800.00
32	ग्राम सभा सोनहा में दक्षिम नाला तक निर्माण कार्य	2021-22	1699040.00
33	ग्राम केरमुआ में प्राथमिक विद्यालय से मुख्य नाले तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	2044630.00
34	ग्राम सभा चन्दौली माफी गोविन्दगंज बाजार में नाली निर्माण	2021-22	2043903.00

	कार्य		
35	ग्राम सभा गोनदौरा में ननकू के घर से पोखरे तक ढक्कन सहित नाली निर्माण	2021-22	1700160.00
36	ग्राम सभा महुआरी में महुआरी प्रसादपुर पिच रोड से महुआरी गांव के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच कार्य	2021-22	997248.00
37	ग्राम दलेलगंज में प्राथमिक विद्यालय पिच से पूर्व विधायक द्वारिका प्रसाद जी के ट्यूबेल के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच कार्य	2021-22	997920.00
38	ग्राम सभा नन्दौर में बखिरा नन्दौर पिच से इ0ला0 रोड के आगे पंचराम यादव के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच कार्य	2021-22	648256.00
39	ग्राम पंचायत भाटपारा में सम्पर्क मार्ग पर खडंजा	2021-22	997920.00
40	ग्राम सभा ढोढ़ई में पिच रोड ह्यूम पाईप / मो0 इरफान के खेत लक्ष्मी यादव के खेत / ताल के तरफ नाली निर्माण	2021-22	1611456.00
41	ग्राम सभा बधवा उर्फ मधुवन में बनकटिया पिट रोड़ पर उत्तर तरफ दशरथ के पूरब नाला तक नाला निर्माण कार्य	2021-22	922880.00
	योग		55569333.00

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय उक्त के अतिरिक्त निम्न आपत्तियाँ है।

(1). उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं. -39 के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रुप से भुगतान किये जाने के पूर्व अधिशासी अभियन्ता द्वारा एव 10 लाख रु. से अधिक की लागत से सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रुप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियंता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्यों के अन्तिम रुप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया है।

(2.) शासनादेश संख्या – 1838/33-3-2015-03-2015 पचायती राज अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वें आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले 10 लाख से अधिक लागत के कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी। किन्तु जिला पंचायत संतकबीरनगर ने अधिकांश निर्माण कार्य रु. 10 लाख की लागत से कम लागत का कराया है। जो आपत्ति जनक है। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य में व्यय धनराशि रु. 55569333.00 अनियमित रहा। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार मद्धेशिया उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	55569333.00	55569333.00

प्रस्तर सं. 02 जिला पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार सी0पी0 टैक्स के आय का विवरण निम्न प्रकार है।

2017-18-3113974.00

2018-19-1879180.00
2019-20-1931966.00
2020-21- 1251177.00
2021-22 – 1513840.00
इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2021-22में सी0पी टैक्स में 3113974-1513840.00 1600134 कम आय हुई है। उक्त आय में कमी के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक कुमार मद्धेशिया व कर अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह तथा करमसाहर्ता श्री राम प्रकाश तिवारी , श्री आशीष कुमार, श्री नीरज कुमार, श्री रामजतन मौर्य व राजस्व निरीक्षक श्री रामशब्द व श्री कमलेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। प्रकरण गंभीर अनियमितता का है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	1600134.00	1600134.00

प्रस्तर सं..03- जिला पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार लाइसेंस से आय का विवरण निम्न प्रकार रहा।
2017-18 – 1455170.00
2018-19 - 1451146.00
2019-20 - 1345800.00
2020-21 - 1199400.00
2021-212- 1227494.00
इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2021-22 में लाइसेंस टैक्स में 1455170-1227494=227676.00 कम आय हुई है। उक्त आय में कमी के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक कुमार मद्धेशिया व कर अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह तथा करसमाहर्ता श्री राम प्रकाश तिवारी , श्री आशीष कुमार , श्री नीरज कुमार , श्री रामजतन मौर्य व राजस्व निरीक्षक श्री रामशब्द व श्री कमलेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। प्रकरण गंभीर अनियमितता का है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	227676.00	227676.00

प्रस्तर सं. 04- जिला पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत संतकबीरनगर के वर्ष 2020-21 के निर्माण पत्रावलियों के जांच में पाया गया कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों से बना अर्थ दण्ड लिए समय वृद्धि कर दिया गया है। जो अनियमित है। उदाहरणार्थ –

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत टेंडर की धनराशि मय जीएसटी / निविदा की	ठेकेदार कानाम	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्त तिथि	समय वृद्धि पश्चात समाप्ति	अर्थदण्ड जो काटा गया	समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण

		धनराशि				तिथि		अर्थदंड की धनराशि
1	ग्राम हरिवंशरपुर में श्री महेश के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य	1700713.56	श्री वंशीधर पाण्डेय	3-6-2021	3-9-2021	30.6.2022	1000	16007.00
2	ग्राम नाथनगर में नंदलाल के खेत से काली मंदिर तक नाली निर्माण कार्य	816136.54	श्री कौशल किशोर शर्मा	7.1.2022	6.7.2022	30.8.2022	1000	7161.00
3	ग्राम मझंगांवा में कृष्ण चौरसिया के चाय के दुकान से बडौदा यूपी बैंक तक नाली निर्माण कार्य.	11096001.93	मालती एसोसिएट	7.1.2022	6.7.2022	30.7.2022	1000	10960.00
4	नहराडींह भान सिहं के घर से पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	998936.06	चतुर्वेदी टेड्र्स	7.1.2022	6.7.2022	30.8.2022	1000	8989.00
5	ग्राम पंचायत हरपुर से पक्का नाली बस्ती महुली पीडब्लू डी रोड के नाला तक निर्माण कार्य	1077600.00	श्री सज्जाद अली	22.3.2021	21.6.2021	30.12.2022	1000	9776.00
6	पापलपुर एकमा पिच से महसिन नहरपट्टी पर पिच निर्माण कार्य	1187500	श्री केसरी नन्दन राय	16-4-2022	15.10.2022	20.11.2022	1000	10875.00
7	ग्राम कुईकोल से घनश्यामपुर तक पिच रोड मरम्मत	892800	श्री सुभाष चन्द्र यादव	19.4.2022	18.10.2022	25.11.2022	1000	7928.00
8	समदा प्रतापपुर पिच रोड से जसवल संपर्क मार्ग पर पिच मरम्मत कार्य	1923019	श्री केसरी नन्दन राय	1.12.2021	31.12.2021	28.3.2022	1000	19230.00
				योग				90926.0

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि नियमानुसार एक प्रतिशत अर्थदण्ड न वसूल कर रुपया 90926.00 की क्षति जिला पंचायत संतकबीरनगर की हुई है। (जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 अध्याय -2 (ठेके की शर्ते) के अनुसार परियोजना लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलंब शुक्ल काटे जाने का प्रावधान है उक्त अर्थदंड की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारो से की जानी अपेक्षित है अन्यथा स्थित में उत्तरादियत्व अपर मुख्य अधिकारी संतकबीरनगर श्री अशोक कुमार मद्धेशिया का होगा।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	90926.00	90926.00

प्रस्तर स. 5-जिला पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत दुकानो की लेखा बन्दी के अनुसार किराये का विवरण निम्न प्रकार रहा।

1. वर्ष 2021-22 की मांग -376368.00
2. गत वर्ष का बकाया – 346769.00

योग - 723137

3. वर्ष के मांग के सापेक्ष वसूली -289170.00
4. गत वर्ष बकाये के सापेक्ष वसूली – 45556.00

योग - 334726.00

5. वर्ष के मांग के विरुद्ध अवशेष – 87198.00
6. गत वर्ष के बकाये के विरुद्ध अवशेष – 301213.00

अब तक कुल बकाया योग -388411.00

इस प्रकार दिनांक 31.3.2022 को दुकानों से बकाया कुल किराया 388411.00 है। उक्त बकाये के वसूली के सम्बन्ध में किये गये कार्यवाही का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार मद्धेशिया व श्री मति सुधा सिंह उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	388411.00	388411.00

प्रस्तर सं. 06- जिला पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण पत्र के प्रपत्र -8 (अचल सम्पत्ति का विवरण) के अनुसार आवासीय भवन की संख्या - 08 है। जबकि सम्बन्धित पंजिका के अनुसार कुल आवास की संख्या -10 है। जिन पर दिनांक 31.3.2022 को रु. 879201.00 किराये का बकाया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	आवास	किराया प्रतिमाह	मांग	गत वर्ष की बकाया	योग	वसूली	अवशेष
1	श्री अर्जुन राम त्रिपाठी	300	3600	44800	48400	0.00	48400
2	श्री रामनरायन त्रिपाठी	300	3600	7810	81702	0.00	81702.00
3	कार्यालय सुपरिटेन्डेन्ट	315	3780	71660	75440	0.00	75440
4	श्री प्रेम कुमार सिंह	375	4500	114297	118797	0.00	118797
5	श्री विरेन्द्र प्रसाद चौधरी	375	4500	56850	61350	0.00	61350
6	श्री अशोक कुमार तिवारी	380	45600	72142	117742	0.00	117742

7	श्री राजेन्द्र प्रसाद	375	4500	17555	22055	0.00	22055
8	श्री चन्द्रवली यादव	375	4500	39650	44150	10000	34150
9	श्री बृजभूषण तिवारी	300	3600	105330	108930		108930
10	प्रभारी अधिकारी मेहदावल टाउन एरिया		6780	203855	210635	0.00	210635
	योग		84960	804241	889201	10000	879201

उपरोक्त विवरण में 10 आवासों का उल्लेख है। किन्तु लेखा परीक्षा में मौखिक रुप से अवगत कराया गया कि क्रमांक 10 पर अंकित आवास इस समय जिला पंचायत के पास नही है। किन्तु उसकी पुष्टि में कोई आदेश / अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विवरण के अनुसार गत वर्ष का बकाया 804241.00 है तथा आलोच्य वर्ष की मांग 84960.00 है। इस प्रकार दोनों के योग करने पर 889201.00 के सापेक्ष मात्र 10000 रु. आलोच्य वर्ष में आवास के किराये की वसूली हुई है। इस प्रकार दिनांक 31.3.2022 को 879201.00 की वसूली आवास का बकाया है जो यह स्पष्ट करता है कि आवास के किराये की वसूली नही की जा रही है। तथा लेखा परीक्षा में उपरोक्त आवासों के आवंटन की पत्रावली नही प्रस्तुत की गयी जिससे जिला पंचायतों के स्वामित्व के आवासीय भवनों के आवंटन की जांच न की जा सकी। शासनादेश संख्या 6280/33 -2-2019-174 जी /2018 दिनांक 27.12.2019 के प्रस्तर 2 में उल्लेख है खि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जिलापंचायतों के नियंत्रण अधीन आवासीय भवनों / अतिथि गृहों व अन्य परिसम्पत्तियों को कतिपय जिला पंचायतों द्वारा शासनादेश का अनुपालन न करते हुए स्वस्तर से आवास आवंटित किये गये है जिनमे से कतिपय आवासों को अत्यन्त कम दरों पर आवंटित किया गया है। इससे जिला पंचायतों को आर्थिक क्षति हो रही है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर -2 में गी डिसा पंटाचों ते निंच्कणाझीन आवासीय भवनों/ गेस्ट हाउस / डाक बगला पर अनाधिकृत रुप से अध्यासित गैर सरकारी व्यक्तियों से उक्त आवासों को सम्बन्धित जिला प्रशासन की सहायता से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए खाली भी कराये जाने का उल्लेख है। जिला पंचायत संतकबीरनगर द्वारा बहुत कम दरों पर आवास का किराया रखने के वावजूद भी किराया का बकाया होना गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार मद्धेशिया उत्तरदायी है। तथा उपरोक्त आवासों के आवंटन की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही की भी जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	879201.00	879201.00

प्रस्तर सं. 07–जिला पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण पत्र के प्रपत्र -5 (अन्तोदय स्थानीय विकास व स्पेशन कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत वितरित ऋणों की धनराशि का विवरण) के अनुसार निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	योजना का नाम	शासन से प्राप्त कुल धनराशि	वितरित की गयी कुल धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	अनुदान (सब्सिडी) के रुप में समयोजित धनराशि	शासन को वापस की गयी धनराशि	ऋण के रुप में वसूली की जाने वाली कुल बकाया धनराशि	वित्तीय वर्ष में वसूली की गयी धनराशि	वसूली हेतु अवशेष धनराशि ब्याज सहित	जिला पंचायत के सम्बन्धित खाते में जमा धनराशि

1	अन्तोदय	37.23	37.23	12.55	18.62	0	37.71	0	0	35141.00
2	स्थानीय विकास	21.34	21.34	300	7.11	0	44.69	0	0	0
3	स्पेशल कम्पोनेन्ट	10.24	10.24	144	5.12	0	15.36	0	0	0
	योग	68.81	68.81	456.55	30.85	0	97.76	0	0	351141.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अन्तयोदय योजना में शासन से प्राप्त कुल धनराशि 37.23 लाख का वितरण 1255 सदस्यों में किया जाना तथा 18.62 लाख में अनुदान में समायोजित है व दिनांक 31.3.2022 को बकाय ब्याज सहित 37.71 लाख की धनराशि वसूली हेतु अभिलेखों में अंकित है। आलोच्य वर्थष में इस मद में कोई वसूली नही की गयी है। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 31.3.2013 व दिनांक 31.3.2014 को उक्त मद में 23.21 लाख वसूली हेतु अवशेष धनराशि अभिलेखों में अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि वसूली न होने से 23.21 लाख की धनराशि बढ़कर 37.71 लाख हो गया है। इसी प्रकार स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोनेन्ट का दिनांक 31.32022 को ऋण के रुप में वसूली की जाने वाली बकाया धनराशि क्रमशः44.69 लाख व 15.36 लाख अंकित है। इस प्रकार दिनांक 31.3.2022 को ऋण के रुप में वसूल की जाने वाली कुल बकाया धनराशि 97.76 लाख हुआ। प्रकरण गंभीर अनियमितता का है इसके लिए अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक कुमार मद्धेशिया उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	9776000.00	9776000.00

प्रस्तर सं. 08 जिला पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत त्रैमासिक प्रमाण पत्र वर्ष 2018-19 के प्रपत्र 3 में संपत्ति एवं विभव कर का दिनांक 31.3.2019 को अवशेष वसूली की धनराशि 550.42 लाख अंकित है इस प्रकार के धनराशि 550.42 लाख दिनांक 1.4.2019 को गत वर्षों की सम्पत्ति व विभव कर के बकाये की धनराशि हुआ। लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 का त्रैमासिक विवरण पत्र मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आय विवरण पत्र के अनुसार सम्पत्ति एवं विभवकर से रु. 1931966 की आय हुई है। इस प्रकार कम से कम दिनांक 31.3.2020 को संपत्ति एवं विभवकर से बकाया की धनराशि 550.42 (लाख) अर्थात 55042000 - 1931966 = 53110034 सम्पत्ति एवं विभव कर से बकाया की धनराशि हुआ किन्तु वर्ष 2020-21 के त्रैमासिक विवरण पत्र में दिनांक 1.4.2020 को बकाया कि धनराशि 22.89 लाख अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है की दिनांक 31.3.2020 तो 53110034-2289000 = 50821034(5 करोड़ आठ लाख इक्कीस हजार चौतीस) की धनराशि सम्पत्ति एवं विभवकर से बकाया की धनराशि कम अंकित किया गया है। वर्ष 2020-21 त्रैमासिक विवरण पत्र में वर्ष 2020-21 की मांग सम्पत्ति व विभव कर से 35 लाख दर्शित है। इस प्रकार गत वर्ष का बकाया रु. 50821034 में 35 लाख योग करने पर कुल धनराशि रु. 54321034(पाँच करोड़ तैतालिस लाख इक्कीस हजार चौतीस रुपये) हुआ। जिसमें से वर्ष 2020-21 की सम्पत्ति व विभव कर से आय रु. 1251177 की वसूली / आय को घटाने पर रु. 53069857(पांच करोड़ तीस लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ सत्तावन) सम्पत्ति व विभव कर से वसूली योग्य धनराशि दिनांक 31.3.2021 को होगा वर्ष 2021-22 की माँग 30,00000(तीस लाख रु.) अंकित है। जिसको गत वर्ष की बकाये रु 53069857 में योग करने पर वर्ष की कुल मांग 56069857 (पाँच करोड़ साठ

लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ सत्तावन) हुआ। जिसमें से वर्ष, 2021-22 की सम्पत्ति व विभव कर से कुल आय 1513840 को घटाने पर (56069857-1513840=54556017) पाँच करोड़ पैतालिस लाख छप्पन हजार सत्रह वसूली योग्य धनराशि दिनांक 31-3.2022 को होगा। इस प्रकार सम्पत्ति व विभव करके गत वर्षों के बकाया की बिना वसूली किये धनराशि को घटाकर अपहरण किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक कुमार मद्देशिया उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व भी इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत की गयी थी। किन्तु इसके बाद भी गत वर्षों के बकाया की धनराशि को घटाकर ही अंकित किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त धनराशि मात्र अनियमितता ही नही अपितु अपहरण है।जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार मद्देशिया का उत्तरदायित्व है। नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
54556017.00	-	-	54556017.00

जनपद-सिद्धार्थनगर मण्डल -बस्ती

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष -2021-22

जिला-सिद्धार्थनगर मण्डल-बस्ती जिला पंचायत की आपत्तियॉ

प्रारूप-01

प्रस्तर-01-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3373/33-2-2017-62जी/2017 दिनांक 13.09.2017 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या 1152/33-2-2017-62जी/17 पंचायतीराज अनुभाग-2 दिनाक 04 अप्रैल 2018 द्वारा प्रदेश के सभी जिला पंचायतों में विभिन्न प्रकार के उ़द्योगों से लाइसेंस फीस की दरों में एकरूपता लाये जाने के संबंध में प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों को अपने उपविधियों में लाइसेंस फीस संशोधन करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा अपने उपविधियों में संशोधन न किये जाने के कारण जिला पंचायत सूची के अनुसार संचालित ईंट भट्ठे पर चार वर्षों में कुल लाईसेंस शुल्क रू0 8320000 के स्थान पर रू0 1917760 अवधारित करके संस्था को रू0 6402240.00 राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद/ श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रसं.	वर्ष	सूची के अनुसार कुल संचालित ईंट भट्ठा	शासनादेश के अनुसारलाईसेंस शुल्क प्रति ईट भट्ठा	शासनादेश अनुसार कुल लाईसेंस शुल्क	जिला पंचायत द्वाराअवधारित लाईसेंसशुल्क प्रतिईंट भट्ठा	कुल अवधारित लाईसेंस शुल्क	अंतर
1	21.22	213	10000.00	2130000.00	2305.00	490965.0	1639035.00
2	20.21	208	10000.00	2080000.00	2305.00	479440.0	1600560.00
3	19.20	205	10000.00	2050000.00	2305.00	472525.0	1577475.00
4	18.19	206	10000.00	2060000.00	2305.00	474830.0	1585170.00
	योग			8320000.00		1917760.00	6402240.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	6402240.00	6402240.00

प्रस्तर-02 वर्ष 2021-22 में राज वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास खंड खेसरहा में पचमोहनी पिच मार्ग छपवा से वेलौहा भरवटिया सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 कार्य की निर्माण पत्रावली की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त परियोजना के एम0बी0 के पश्चात् भुगतान प्रस्ताव सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया गया है । उक्त स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार परियोजना की मापन का विवरण निम्नलिखित है-
एम0बी0 सं0 201 पृष्ठ सं0 133-134 दिनांक 23.12.2020
एम0बी0 सं0 201 पृष्ठ सं0 162-63 दिनांक 12.01.2021
एम0बी0 सं0 201 पृष्ठ सं0 162-63 दिनांक 12.01.2021
उपरोक्त एम0बी0 के अनुसार परियोजना दिनांक 12.01.2021 को पूर्ण हो गयी है। परन्तु इस परियोजना में उपयोगित समस्त उपखनिज मात्रा (बालू,गिट्टी,मोरंग) के सापेक्ष संलग्न एम0एम0 11 दिनांक 15.02.2021 से 04.04.2021 तक निर्गत किये गये है,जो इस परियोजना के पूर्ण होने की तिथि के बाद के हैं। स्पष्ट है इन उपखनिजों का उपयोग परियोजना में नहीं किया गया है एवं उपयोगित उपखनिज का रायल्टी से संबंधित एम एम 11 वैध नहीं है। अतः शासनादेश संख्या-2146/86-2019-52(सा0)/2019 दिनांक 30 सितम्बर 2019 के अनुसार प्रयुक्त उपखनिज के रायल्टी का पांच गुना ठेकेदार के बिल से कटौती किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि इस परियोजना में उपयोगित उपखनिज पर निर्धारित रायल्टी रू0 27369 का पांच गुना रू0 136845.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिए पटल प्रभारी श्री अरबिंद कुमार एवं श्री लवलेश पाण्डेय ,लेखाकार श्री नथुनी सिंह,अभियंता श्री मिठाई लाला यादव , अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद एवं त्रिस्तरीय कमेटी के सदस्य श्रीमती किस्माती ,2- श्रीमती कुसुमलता ,3-श्रीमती सुजाता सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	136845.00	136845.00

प्रस्तर-03-जिला पंचायत के वर्ष 2021.22 के अभिलेखों की संवीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि,वर्ष में दिनांक 31.03.2022 तक डिस्ट्रिक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी0पी0आ0सी0) निर्माण में रू0 14855120.00 भुगतान किया गया है,परन्तु यह परियोजना अभी तक अपूर्ण है। जबकि इस परियोजना का टेन्डर ओपेन दिनांक 01.02.2019 द्वारा प्रथम न्यूनतम दर निर्धारित कर दिनांक 01.07.2019 को अनुबंध एवं कार्यादेश मेसर्स अमन इलेक्ट्रीकल्स को निर्गत किया गया था। अनुबंध एवं कार्यादेश के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने की तिथि दिनांक 31.12.2019 निर्धारित की गई थी। कई बार मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर एवं प्रशासक होने के दौरान जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने के कडे निर्देश दिये जाने के बावजूद आज तक परियोजना पूर्ण नहीं किया गया है। इस प्रकार कार्य समाप्ति के निर्धारित तिथि के चार वर्ष बीत जाने के वावजूद उक्त परियोजना पूरी नहीं की गयी हैं। इतनी लम्बी अवधि तक परियोजना के अपूर्ण रहने के कारण उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। जिससे इन परियोजना की वांछित उद्देश्यो की पूर्ति नहीं हो सकी। इस प्रकार इस परियोजना पर किया गया व्यय/ भुगतान रू0 14855120.00 अलाभकारी एवं राजकीय धन का दूरूपयोग है। जिसके लिए ठेकेदार श्री नीरज सिंह (मे० अमन इलेक्ट्रिकल)अवरअभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम ,अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद , अभियंता श्री मिठाईलाल एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद एवं संतोष कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त कार्मिको से दुरूपयोगित धनराशि की वसूली बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	**दुरूपयोग**	**अनियमितता**	**योग**
00	14855120.00	00	14855120.00

प्रस्तर-04-दिनांक 14.06.2021 को वाउचर सं0 48 द्वारा काजी हाउस कैथवलिया(प्राक्कलन -18.36 लाख)विकास खंड डुमरियागंज के निर्माण टेण्डर के साथ 2 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि के रूप में रू0 327867.00 चतुर्थ लोयेस्ट दाता फर्म मे0 वैभवी किसान सेवा केन्द्र को वापस भुगतान किया गया है। जबकि इसी परियोजना पर दिनांक 14.09.2021 को वाउचर सं0 49 द्वारा द्वितीय लोयेस्ट दाता फर्म श्री अमरनाथ को निर्माण टेण्डर के साथ 2 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि के रूप में मात्र रू0 32786.00 ही भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में न तो जमानत रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया और न ही वाउचर पर जमानत रजिस्टर पृष्ठ संख्या अंकित कर

प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार एक ही परियोजना पर चतुर्थ लोयेस्ट दाता फर्म मे0 वैभवी किसान सेवा केन्द्र को 2 प्रतिशत जमानत धनराशि रू0 327867.00 भुगतान किया गया है एवं द्वितीय लोयेस्टर दाता फर्म श्री अमरनाथ को 2 प्रतिशत जमानत धनराशि रू0 32786.00 भुगतान किया गया है जबकि टेन्डर धनराशि की 2 प्रतिशत जमानत धनराशि एक समान रू0 32786.00 है। स्पष्ट है कि में0 वैभवी किसान सेवा केन्द्र को रू0 327867-32786.00 = रू0 295081 ज्यादा भुगतान करके धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए निर्माण पटल प्रभारी श्री अरबिंद कुमार एवं श्री लवकेश पाण्डेय ,लेखाकार श्री नथुनी सिंह ,वित्तीय परामर्श दाता श्री श्रवण सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद संयुक्त रूप से उत्तरदायी है उत्तरदायी है।जिसकी वसूली उपरोक्त कार्मिको से अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
295081.00	**00**	00	295081.00

प्रस्तर-05-दिनांक 01.11.2021 को वाउचर सं0 01 द्वारा चतुर्थ राज वित्त मद से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री लाडला प्र0 मिश्रसेवानिवृत कार्य अधिकारी को विलम्ब से आनुतोषिक भुगतान किये जाने के दंड स्वरूप रू0 99372.00 दंड ब्याज के रूप में भुगतान किया गया है। स्पष्ट है तात्कालिक पटल प्रभारी,अपर मुख्य अधिकारी द्वारा श्री मिश्र को समय से आनुतोषिक भुगतान न किये जाने के कारण संस्था को रू0 99372.00 की आर्थिक क्षति उठानी पडी,जिसके लिए तात्कालिक पटल प्रभारी श्री भीम सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी श्री हरिओम नारायण चन्द संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । संबंधित उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरादायित्व निर्धारित करते हुए संस्था को हुए आर्थिक क्षति रू0 99372.00 की वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	99372.00	00	99372.00

प्रस्तर-06- जिला पंचायत के वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की संवीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि, वर्ष 21-22 मेंनिम्नलिखित परियोजनाओं पर कराये गये कार्यों के सापेक्ष कुल रू0 14246824.00 का भुगतान लेखा परीक्षा तिथि तक किया गया है। वर्क रजिस्टर अनुसार उक्त समस्त परियोजना अपूर्ण थी। इस प्रकार कार्य समाप्ति के निर्धारित तिथि के एक वर्ष बीत जाने के वावजूद उक्त परियोजनायें पूरी नहीं की गयी हैं। काफी समय से अपूर्ण परियोजनाओं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। जिससे इन परियोजनाओं की वांछित उद्देशयों की पूर्ति नहीं हो सकी। इस प्रकार इन परियोजनाओं पर किया गया व्यय/ भुगतान अलाभकारी एवं राजकीय धन का दूरूपयोग है। जिसके लिए ठेकेदार सूची अनुसारअवर अभियंता श्री गौरव प्रसाद ,अवर अभियंता श्री दुर्गा पांडेय ,अवर अभियंता श्री विजय पांडेय ,अभियंता श्री मिठाई लाल एवं अपर मुख्य अधिकारीश्री हरिओम नारायण चंद एवं श्री संतोष कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त दुरुपयोगित धनराशि की नियमानुसार वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत धनराशि	कार्य समाप्ति निर्धारित तिथि	कुल भुगतान की गयी धनराशि
1	ग्राम सभा करमा मेन रोड पक्कीसडक से समय माता के स्थान तक सीसी रोड निर्माण	में0 सागर कन्सट्रक्षन	11.1	22.01.2021	281120
2	बढनी में चंदवा मेन पक्की सडक से मोहन कोला ग्राम तक सी सी रोड निमार्ण	में0 राज एंड ब्रदर्ष	10	02.03.2021	332640
3	ग्राम पं0 बसौनी के टोला बसौना में पुराने सी0सी0रोड से पुराने	अजीत कुमार सिंह	15.3	05.02.2021	356160

	इ0लार्किंग तकसी0सी0				
4	बांसी/ मर्चा ग्राम से बिहरा चौराहा पर जाने वाले मार्ग पर सी सी कार्य	श्री मेहताब आलम	15	10.02.2021	1132320
5	ग्र्ाम सभा जुडही कुइया के ग्राम विषुनपुर औरंगाबाद में सीसी कार्य	श्री प्रका'श	3.5	28.01.2021	113120
6	ग्राम शीतल मिटा में पिच रोड से मंदिर तक सी सी कार्य	मे0 वैभवी कन्सं0	5.5	11.02.2021	440160
7	ग्राम डिहवा पर सीसी निमाणकार्य	में0 वैभवी कन्सट्रक्सन	9.5	11.02.2021	759360
8	ग्राम सिकन्दरपुर श्री काली जी के स्थान तक सीसी कार्य	में0 वैभवी कन्सट्रक्सन	6.85	15.01.2021	165760
9	ग्राम डोमसरा में सीसी रोड से दातादीन बाबा के घर तक सीसी कार्य	श्री प्रकाश	5	28.01.2021	431200
10	ग्राम कुर्सीडीहा पिच रोड से मंदिर तक गांव की ओर सी सी कार्य	में0 वैभवी कन्सट्रक्सन	7.1	15.01.2021	546560
11	ग्राम पिपरा में मझिगंवा तक सीसी कार्य	में0 राज इन्टरप्राईजेज	10	18.03.2021	459200
12	महादेवा गजपुर में श्री शंकर जी के स्थान से श्री कालीजी के स्थान तक सीसीकार्य	श्री अमरनाथ	8.23	26.01.2021	722400
13	ग्राम भडरी उर्फ मिश्रौलिया विहरा पी0डब्लू0डी0 रोड से जूनियर हाई स्कूल तकसी0सी0 कार्य	मे0 पार्वती कन्सट्रक्शन	14.45	20.01.2021	1226600
14	मसिना मार्ग से मनिकौरा नानकार शर्मा पुरवा तक लेपन कार्य	मे0 रवि त्रिपाठी	23.75	28.02.2021	1771840
15	महदेवा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से तखवा पिच रोड के बीच लेपन कार्य एवं पुलियानिर्माण	मे0 शिवांस इन्टरप्रा0	17.35	31.01.2021	1333024
16	सियरापार बंधे से सियरापार घाट तक सी सी कार्य	श्री सत्य प्रकाश मिश्र	16.71	07.02.2021	1442560
17	गोपिया बंधे से गांव तक लेपन कार्य	मे0 राज एंड ब्रदर्श	14	28.01.2021	368480
18	कठौतिया महुआ मार्ग से गनवरिया को जोडने हेतु लेपन कार्य	श्री प्रकाश	14.86	18.03.2021	367360
19	भनवापुर/नहर से गडाकरगांव तक लेपनकार्य	श्री राज एंड ब्रदर्श	9.97	18.03.2021	376320
20	ग्राम मुडिला से चनरैया तक खंडजे से लेपन कार्य	श्री मारकण्डेय सिंह	21	28.02.2021	1620640
	योग				14246824

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	14246824.00	00	14246824.00

प्रस्तर-07- शासनादेश सं0 -8307/33-2-2004-93जी/2004दिनांक 12.01.2015 के द्वारा तीनों पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत,क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत का निर्धारण किया गया है जिसमें जिला पंचायत को अपने कार्य क्षेत्र के अलावा दो विकास खण्डों को जोडने वाली सडक एवं अन्य कार्य कराना निर्धारित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लिए गॉव के अंदर के कार्य एवं सडक का निर्माण कराना निर्धारित है एवं क्षेत्र पंचायत के लिए दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराना निर्धारित है। जिला पंचायत के कार्य रजिस्टर एवं उपलब्ध पत्रावली के संविक्षा मेंयह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिला पंचायत द्वारा राज वित्त/केन्द्रीय चित्त मद से गॉव के अंदर सडक निर्माण एवं इन्टरलार्किंग का कार्य कराया गया है। उक्त परियोजनाओं में अधिकांश में कहां से कहां तक भी अंकित नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग के शासनादेषों का उल्लंघन किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है,जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी हैं। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के अंदर कराये गए कार्यों से संबंधित गॉव पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों से संदर्भित परियोजनाओ के ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र एवं सहमति भी नहीं ली गयी है।इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री हरी ओम चंद उत्तरदायी है | इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है-

क0सं0	कराये गए कार्यों का नाम	धनराशि
1	ग्रा0पं0बसौनी के टोला बसौना में पुरानी इ0ला0 से भीमापार कोडरा सम्पर्क मार्ग तक	663264.00
2	भनवापुर/ ग्राम पिपरा कानूनगो में सी सी कार्य	859936.00
3	भनवापुर/ग्राम अहेरोली पकडी शंकर भगवान के मंदीर तक सीसी कार्य	904868.00
4	उसका/लोहरौला गांव के पिच से पूरब सीसी कार्य	493136.00
5	भनवापुर/ग्राम सिकटा में सीसी कार्य	940800.00
6	भनवापुर/मनिकौरा मुस्लिम बस्ती से नहर के तरफ सी सी कार्य	342328.00
7	बढनी/ग्राम स0 हलौरा सम्पर्क मार्ग पर सी सी कार्य	1093232.00
	योग	5297564.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	5297564.00	5297564.00

प्रस्तर-08-वर्ष 2021-22 में राज वित्त के अन्तर्गत कराये गए निम्न पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अनुबंध एवं कार्यादेश के अनुसार निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों से अर्थदंड की निर्धारित न्युनतम धनराशि प्राकलन का न्युनत्तम 1 प्रतिशत की वसूली नहीं की गयी है। ठेकेदारों से वसूली गयी अर्थदंड की धनराशि में एकरूपता नहीं है एवं निर्धारित न्युनतम धनराशि से कम अर्थदंड की वसूली करके संस्था को रू0 687580.00 क्षति पहुचाई गई है जो निर्माण कार्य नियमावली 1984 के विपरित है। इस अनियमितता लिए लेखाकार श्री नथुनी सिंह ,अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण एवं श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। प्रकरण अत्यंत गंभीर है । प्रकरण अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	प्राकलन की धनराशि	न्यूनत्तम अर्थदंड1 प्रतिसत	वसूल अर्थदंड	कम वसूल
1	ग्रा0 पं0 बसौनी के टोला केसारी में शकरूनिशा के घर से नाला तक सीसी कार्य	विश्वकर्मा ट्रडर्स	10 लाख	10000	1000	9000
2	बसौनी से बचडा बचडी सम्पर्क मार्ग पर सीसी कार्य	श्री मेहताब आलम	10 लाख	10000	1000	9000
3	केसारी नहर पुल के दक्षिण	विश्वकर्मा ट्रडर्स	10 लाख	10000	1000	9000

	महदेवा लाल सम्पर्क पर खडंजा					
4	भीमापार वलुरी सम्पर्क मार्ग गोरखपुरी डीह से बलुरी सम्पर्क मार्ग पर सीसी कार्य	श्री अजीत कु0 सिंह	10 लाख	10000	1000	9000
5	करीमपुर से टिकरीया(कोडराग्रांट) पिच का अवशेष लेपन कार्य	श्री मेहताब आलम	10 लाख	10000	4000	6000
6	काशीराम आवास के दक्षिण पीडब्लूडी रोड से राय साहब के मकान के आगे तक सीसी	मे0 सागर कन्सट्र0	15.20 लाख्	15200	1000	14200
7	ग्रा0पं0 बचडा पिताम्बर के घर से पिच रोड तक सीसी कार्य	श्री राम भरोसा चौहान	10 लाख	10000	1000	9000
8	ग्रा0 प्र0 बसौनी के टोला बसौना में पुरानी इ0ला0 से भीमापार कोडरासम्पर्क तक खडंजा	श्रीअनिरूद्ध त्रिपाठी	6.7 लाख	6700	3000	3700
9	ग्रा0पं0 बसौनी मे समय जी के स्थान से शंकरजी के स्थान तक खडंजा	मे0कृष्णा ट्रडर्स	10 लाख	10000	3000	7000
10	ग्रा0पं0 वउर्पुर न0 14 के टोला फसादीपुर से अमारी तक सीसी रोड	श्री मेहताब आलम	10 लाख	10000	5500	4500
11	विकास भवन धेन्सा मार्गसे कन्नौजिया केखेत सेधेन्सा पोखरे से मांकालीजीस्थान तक सीसी	विश्वकर्मा ट्रडर्स	10 लाख	10000	00	10000
12	गोठहाघाट में जिगनिहवा डडवा सम्पर्कमार्ग से समयमाताकेस्थान होते हुए पिचरोड तक खडंजा	श्री मेहताब आलम	9 लाख	9000	1000	8000
13	मझरिया से बेलौहादेवरी मार्ग पर लेपन कार्य	श्रीमति उषा सिंह	20.90 ,,	20900	2000	18900
14	महुलानी महुली सम्पर्क मार्ग से बनौली पिच मार्ग तक लेपन कार्य	श्रीमति उषा सिंह	13.50 ,,	13500	1000	12500
15	विशुनपुर पिपरा करदंग पी0डब्लू0डी0 मार्ग से बोइनिया ग्राम जोडने वाले मार्ग पर सी0सी0	श्रीमति उषा सिंह	17.00 ,,	17000	1000	16000
16	बांसी धानी मार्ग हास्पिटल से सकारपार गांव को जोडने वाले मार्ग पर सी सी	श्री सत्य प्रकाशमिश्र	19.00 ,,	19000	3000	16000
17	ग्राम निहठा मंदिर से मिरवापुर प्राप0वि0 तक खडंजा/मिटटी कार्य	श्री अजित कु0 सिंह	20.35 ,,	20350	500	19850
18	टिकुइया सेमरहना मार्ग से श्री रामकृष्ण आश्रम तक सी सी	में0 शौर्य कन्सट्र0	11.80 ,,	11800	1000.	10800

	कार्य					
19	टीकुर कुडजा मार्ग से महुलानी मार्ग पर सीसी	में0 देव कन्सट्र0	17.00 ,,	17000	2000	15000
20	पगारे बस्ता सम्पर्क मार्ग से दक्षिण बस्ता गांव को जोडने हेतु लेपन	में0 देव कन्सट्र0	15.45 ,,	15450	4000	11450
21	चिताही सिकटा मार्ग पर पुल से ग्राम कटरिया बालू तक खडंजा	मे0 वैभवी कन्सट्र0	10.80 ,,	10800	1000	9800
22	ग्राम डिहवा पर सी सी निर्माण	मे0 वैभवी कन्सट्र0	9.50 ,,	9500	1000	8500
23	ग्राम सिकन्दरपुर में पिचरोड से हरिजन बस्ती तक सी सी कार्य	मे0 वैभवी कन्सट्र0	06.91 ,,	6900	1000	5900
24	ग्राम गेरूइया में पिचरोड से हरिजन बस्ती तक सी सी कार्य	मे0 वैभवी कन्सट्र0	23.61 ,,	23610	2000	21610
25	ग्राम अहिरोल्ी पकडी शंकर भगवान के मंदिर तक सी सी कार्य	मे0 वैभवी कन्सट्र0	09.25 ,,	9250	5000	4250
26	ग्राम मछली गांव में पिचरोड से गांव की ओर सी सी कार्य	मे0 वैभवी कन्सट्र0	14़.15 ,,	14150	5000	9150
27	ग्राम उवारे में श्री सरवन यादव के घर से पिचरोड तक सी सी कार्य	मे0 वैभवी कन्सट्र0	11.55 ,,	11550	5000	6550
28	ग्राम विशुनपुर में पिचरोड से पुल तक सी सी	मे0 वैभवी कन्सट्र0	10.75 ,,	10750	2000	8750
29	चेतिया मिश्रौली मार्ग अशोगवा होते हुए बंधे तक सी सी कार्य	श्रीसुनिलकु0जयसवाल	14.00 ,,	14000	2000	12000
30	गोल्हौरा चौराहा इण्टर लार्किंग से सोनफेरवा मंदीर तक सी सी कार्य	श्रीसुनिलकु0जयसवाल	10.00 ,,	10000	2000	8000
31	सेमरहना रोड से टिकुनिया मार्ग के बीच लेपन कार्य	श्री मनोज तिवारी	11.60 ,,	11600	3000	8600
32	बांसी धानी मार्ग पर अदिलापुर ग्राम से हरैया तक लेपन कार्य	श्रीसुनिलकु0जयसवाल	22.60 ,,	22600	5000	17600
33	महुई केवटडीह से नरसिंह गढी तक सी सी	मे0 श्रीनेत्र ट्रेडर्स	20.00 ,,	20000	2000	18000
34	सेमरा से बांसी पनघटिया बांध तक लेपन कार्य	श्रीसुनिलकु0जयसवाल	25.15 ,,	25150	6000	19150
35	टीकुर कुडजा मार्ग से डुमरियागंज तक सी सी कार्य	श्रीसुनिलकु0जयसवाल	18.65 ,,	18650	5000	13650
36	ग्राम पुरैना पक्की सडक से गांव के बाहर तक सी सी कार्य	मे0शिवानंद शुक्ला	11.50 ,,	11500	6000	5500
37	पल्टा देवी से भरवटिया कुर्मी सम्पर्क मार्ग का लेपन	मे ओम ट्रेडर्स	34.00 ,,	34000	3000	31000
38	सोहास सोमाली मार्ग से दहला तक सी सी कार्य	श्रीसुनिलकु0जयसवाल	13.70 ,,	13700	5000	8700
39	ग्राम मुडिला से चनरैया तक खडंजा से लेपन कार्य	मे0मारकण्डेय सिंह	21.00 ,,	21000	7000	14000

40	ग्राम दुर्जनपुर सिसवा पी0डब्लू0डी मार्ग से राजकिशोर के मकान तक लेपन कार्य	श्री सुधीर कु0 सिंह	17.20 ,,	17200	5000	12200
41	काशीराम महुआ पी0डब्लू0डी रोड से खखरा होते ग्राम पडहरा तक लेपन	में शिवांस इन्टरप्रा0	21.65 ,,	21650	4000	17650
42	पल्टादेवी मार्ग पर मेखडा पुल से बिहारीपुर तक लेपन कार्य	श्री सुधीर कु0 सिंह	37.25 ,,	37250	5000	32250
43	भीमापार रेहरा पी0डब्लू0डी0 सडक पर एस0एस0बी0 पिपरी गांव तक लेपन	मे0 शिवमंगल	37.27 ,,	37270	5500	31770
44	जगदीशपुर खुर्द तेतरीबाजार में पुजारी मौलाई के घर से पश्चिम सडक से पवन सिंह के घर तक लेपन कार्य	मे0 वैभवी कन्सट्र्0	12.46 ,,	12460	1000	11460
45	ग्राम सेमरियाव से कपिला रावत (नहर की पट्टी सी सी कार्य	में0 सत्य प्रकाशमिश्र	24.70 ,,	24700	5000	19700
46	महरिया से कोन्हुआ सम्पर्क मार्ग पर सी सी	मे0 शिवमंगल	10.00 ,,	10000	5000	5000
47	फुलपुरवा से हुसैन वक्स सम्पर्क मार्ग पर सी सी कार्य	मेरामभरोसा चौहान	10.00 ,,	10000	1000	9000
48	ग्राम पंचायत हलौरा सम्पर्क मार्ग पर सी सी कार्य	मे0 राज0 ब्रदर्श	10.99 ,,	10990	2000	8990
49	लोहरौला गांव से पिच से पूरब सी सी कार्य	मे0 राज0 ब्रदर्श	04.95 ,,	4950	500	4450
50	कुशभौना पिच रोड से गनेरा तक सी सी कार्य	मे0निष्ठा इन्टर प्रा0	21.00 ,,	21000	5000	16000
51	ग्रा0पं0केरमुहिया के टोला लौकिया तथा ग्रा0पं0 जोगिया बुजूर्ग के मध्य खडंजा	मे0रामभरोसा चौहान	07.20 ,,	7200	500	6700
52	बांसी बस्ती मार्ग से जिगना बुजूर्ग सम्पर्क मार्ग पर सी सी कार्य	मे0 सत्य प्रकाश मिश्र	16.00 ,,	16000	4000	12000
53	ग्रा0पं0 बरगदवा से पश्चिम तरफ बाग तक सी सी कार्य	श्रीसुनिलकु0जयसवाल	11.00 ,,	11000	3000	8000
54	बासा पिच रोड से बन्ने के मकान तक सी सी कार्य	मे0 मेहताब आलम	08.90 ,,	8900	1000	7900
55	लटिया पूरवाडीह मेन रोड से गांव तक पिच कार्य	मे0 मेहताब आलम	06.35 ,,	6350	1000	5350
56	बांसी बसंतपुर से महरवा जोत तक सी सी कार्य	मे0सत्यप्रकाश मिश्र	11.00 ,,	11000	5000	6000
57	बांसी तिलकपुर से सोनखर सरहद तक सी सी कार्य	मे0 शिवमंगल सहनी	10.00 ,,	10000	1000	9000
58	करोदा मसिना पेट्रोल पंप के	मे0 शिवमंगल सहनी	10.00 ,,	10000	1000	9000

	सामने बगल से वालेडिहा सम्पर्क मार्ग पर सी सी					
59	वर्डपुर से गोसाईगंज रोड से शंकरपुर नंदुपुर मार्ग पर खडंजा	मे0 अजीत कु0 सिंह	06.50 ,,	6500	1000	5500
	योग					687580

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	687580.00	687580.00

प्रस्तर-09-वर्ष 21-22 में विकास खंड खेसरहां में दुर्गवा टिकुइया मार्ग से देउरगांवा तक शून्य से लेपन कार्य की निर्माण पत्रावली की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 07.10.2020 को टेण्डर ओपनिंग तिथि को टेन्डरों के तुलनात्मक चार्ट प्रपत्र सं0 नि.का.- के अनुसार टेण्डर कमिटि अभियंता,वित्तीय परामर्शदाता.अपर मुख्य अधिकारी एवं एस0डी0एम0 नौगढ द्वारा में0 जगदीश त्रिपाठी को परियोजना की प्राक्कलन धनराशि रू0 2044766.00 से - 3.05 प्रतिशत दर रू0 1982400.63 की धनराशि अन्य तीन प्रतिस्पर्धी में सबसे कम (लोयेस्ट एमाउण्ट होने) के कारण लोयेस्ट प्रथम घोषित किया गया। परन्तु दिनांक 27.10.2020 को पत्रांक 276 द्वारा कार्यादेश द्वितीय लोयेस्ट दाता फर्म में0 शौर्य कन्सट्रक्शन कम्पनी को परियोजना की प्राक्कलन धनराशि रू0 2044766.00 से - 0.50 प्रतिशत दर रू0 2034542.17 को निर्गत करके परियोजना को में0 शौर्य कन्सट्रक्शन कम्पनी से कराया गया है। इस प्रकार परियोजना को न्युनतम प्रतिस्पर्धी लोयेस्ट प्रथम से न कराकर संस्था को 3.05-00.50= 02.55 प्रतिशत (कुल निर्माण लागत का) का नुकसान पहुंचाया गया है। रू0 2256593 का 2.55 प्रतिशत रू0 57543.00 नियम विरूद्ध अधिक भुगतान करके संस्था को नुकसान पहुंचाया गया है,जिसके लिए अभियंता श्री मिठाई लाल यादव ,वित्तीय परामर्शदाता श्री श्रवण कुमार सिंह ,तत्कालीन उप जिला अधिकारी नौगढ़ श्री विकास कश्यप एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चन्द उत्तरदायी है। संबंधित से वसूली किया जाना अपेक्षित है।टेंडर का तुलनात्मक चार्ट का विवरण निम्नलिखित है

क्र०स०	फर्म का नाम	बिडिंग की धनराशि	
1	जगदीश त्रिपाठी	1982400.00	एल1
2	शौर्य कंस्ट्रक्शन	2034542.00	एल2
3	अनिरुद्ध नाथ त्रिपाठी	2038631.00	एल3
4	विजय लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन	2044009.00	एल4

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	57543.00	57543.00

प्रस्तर-10-वर्ष 21-22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास खंड भनवापुर में ग्राम मछलीगांव में पिच रोड से गांव की ओर तक सी0 सी0 कार्य की निर्माण पत्रावली की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि परियोजना के प्राकलण में परियोजना की कुल लम्बाई 200 मीटर एवं चौडाई 3 मीटर अंकित है। परन्तु मापन पुस्तिका में उसी परियोजना की कुल लम्बाई 159.40 मीटर एवं चौडाई 3.85 मीटर अंकित किया गया है। इस प्रकार प्राक्कलन में किसी स्थान की लम्बाई 200 मीटर एवं चौडाई 3 मीटर को मापन पुस्तिका में उसी स्थान की लंबाई को कम करके 159.40 मीटर एवं चौडाई 3.85 मीटर किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्राक्कलन एवं मापन एक ही अवर अभियंता द्वारा तैयार किया गया है। प्राक्कलन प्रतिवेदन में प्राकलन स्थलीय सर्वेक्षण के उपरान्त तैयार किया गया है,अंकित है। संबंधित परियोजना की लम्बाई घटाने और चौडाई बढाने के लिए न तो संशोधित प्राक्कलन बनाई गई है और न ही संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृत लिया गया है। इस प्रकार प्राक्कलन

एवं स्वीकृत प्रस्ताव से चौडाई को 0.82 मीटर बढाकर इसपर लागत मूल्य रू0 296871.00 का अनियमित भुगतान किया गया है,जिसके लिए अवर अभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम,अभियंता श्री मिठाई लाल यादव , अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चन्द ,त्रिस्तरीय कमेटी के सदस्य श्रीमती किस्माती ,2- श्रीमती कुसुमलता ,श्रीमती सुजाता सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	296871.00	296871.00

प्रस्तर-11- वर्ष 21.22 में विकास खंड नौगढ में भीमापार रेहरा पी0डब्लू0डी0 सडक पर एस0एस0बी0 कैम्प से पिपरी गांव तक लेपन कार्य की निर्माण पत्रावली की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 16.07.2020 को टेण्डर ओपनिंग तिथि को टेन्डरों के तुलनात्मक चार्ट प्रपत्र सं0 नि.का.-2 के अनुसार टेण्डर कमेटी ,अभियंता,वित्तीय परामर्शदाता,अपर मुख्य अधिकारी एवं एस0डी0एम0 नौगढ द्वारा में0 कृष्णा ट्रेडर्स को परियोजना की प्राकलन धनराशि जी0एस0टी0 छोडकर रू0 3328377.00 से - 05.11 प्रतिशत कम दर रू0 3158296.93 की धनराशि अन्य तीन प्रतिस्पर्धी में सबसे कम (लोयेस्ट एमाउण्ट होने) के कारण लोयेस्ट प्रथम घोषित किया गया। परन्तु दिनांक 22.10.2020 को पत्रांक 246 द्वारा कार्यादेश द्वितीय लोयेस्ट दाता फर्म में0 श्री शिवमंगल सहनी को परियोजना की प्राक्कलन धनराशि रू0 3328377.00 से - 02.00 प्रतिशत कम दर रू0 3261809.46 को निर्गत करके परियोजना को में0 श्री शिवमंगल सहनी से कराया गया है। पत्रावली के अनुसार द्वितीय लोयेस्ट से कार्य कराये जाने का कारण प्रथम लोयेस्ट का अस्वस्थ होने के कारण कार्य करने में असमर्थता अंकित है। जिसके सापेक्ष मे0 कृष्णा ट्रेडर्स की प्रो0 श्रीमति पूनम मिश्रा के अस्वस्थ होने का शपथपत्र संलग्न किया गया है। परन्तु अस्वस्थ संबंधि संलग्न शपथपत्र पर श्रीमति पूनम मिश्रा का हस्ताक्षर, उनके द्वारा टेण्डर भरे जाने के समय दिये गये शपथ पत्र एवं उनके द्वारा जमा जमानत वापसी प्रार्थनापत्र पर अंकित हस्ताक्षर से बिल्कुल भिन्न है। अभिलेखों एवं पत्रावलियों से स्पष्ट है गलत ढंग से प्रथम लोयेस्ट से कार्य न कराकर उंची दर पर द्वितीय लोयेस्ट से कार्य कराया गया है। इस प्रकार परियोजना को न्यूनतम प्रतिस्पर्धी लोयेस्ट प्रथम से न कराकर संस्था को 05.11-02.00 = 03.11 प्रतिशत (कुल निर्माण लागत का) का नुकसान पहुंचाया गया है। मापन के अनुसार कुल मापन की धनराशि जी0एस0टी0 सहित रू0 3595814.00 (भुगतान रू0 3194240.00$बिटुमिन मूल्य कटौती रू0 401574) भुगतान किया गया है। रू0 3595814.00 का 03.11 प्रतिशत रू0 111830.00 नियम विरूद्ध अधिक भुगतान करके संस्था को नुकसान पहुंचाया गया है,जिसके लिए अभियंता श्री मिठाई लाल ,वित्तीय परामर्शदाता श्री श्रवण कुमार सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	111830.00	00	111830.00

प्रस्तर- 12- वर्ष 21.22 में विकास खंड बांसी में इटवा मार्ग से एकडेंगवा चौराहे से एकडेंगवा गांव तक सी0सी0 कार्य की निर्माण पत्रावली की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि, निर्माण पत्रावली के अनुसार उक्त परियोजना से संबंधित अंतिम भुगतान हेतु दिनांक 07.06.2021 को मापन पुस्तिका सं0 165 पृष्ठ संख्या 106.107 में परियोजना को पूर्ण अंकित कर रू0 769664 जी0एस0टी0 सहित देय धनराशि अंकित किया गया है। परन्तु इसके सापेक्ष मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्रांक 161(2)/जि0पं0सि0नगर/2021-22दिनांक 16-06-2021 के तालिका के क्रमांक 5 पर वर्णित कार्य का स्थलीय सत्यापन करने के अनुपालन में अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लो0नि0वि0बांसीसिद्धार्थनगर द्वारा संलग्न सत्यापन रिपोर्ट पत्रांक-314/एस0टी0/21 दिनांक 01.07.2021 में कार्य को असंतोषजनक बताते हुएजी0एस0बी0 एवं जी0-3 लेयर की मोटाई आगणन के अनुरूप नहीं बताई गई, जिसके कारण सी0सी0रोड में क्रेक होने की संभावना व्यक्त करते हुए कार्य को 90 प्रतिशत बताया गया। परन्तु दिनांक 24.03.2022 को लगभग 09 माह बाद वाउचर सं0 86 दिनांक 24.03.2022 द्वारा सत्यापन रिपोर्ट पत्र सं0-314/एस0टी0/21 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा संबंधित परियोजना के कृत कार्य की गुणवत्ता को संतोषजनक

बताकर रू0 769664 का भुगतान कर दिया गया। जबकि उस सत्यापन रिपोर्ट में जी0एस0बी/जी03 की मोटाई को आगणन से कम बताकर 90 प्रतिशत ही कार्य होना बताया गया था। इस प्रकार इस परियोजना पर मापन के अनुसार कुल भुगतान रू0 993664 का 90 प्रतिशत रू0 894298 के स्थान पर अनियमित रूप से रू0 99366 का ज्यादा भुगतान किया गया है। जिसके लिए ठेकेदार श्रीमती सरोज तिवारी ,अवर अभियंता श्री गौतम प्रसाद ,अभियंता श्री मिठाई लाल यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष सिंह उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	99366.00	99366.00

प्रस्तर-13-जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के कर अनुभाग के पत्रावली एवं अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि, जिला पंचायत में विगत कई वर्षों से विकास खंडवार कर निर्घारण रजिस्टरकर वसूली रजिस्टर नहीं बनाया गया है/अपूर्णहै। जबकि विकास खंडवार कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है। सम्पत्ति एवं विभव कर का कार्य विवरण पत्र भी नहीं बनाया गया है। बार -बार सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर/कार्यविवरण पत्र मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख एवं पत्रावली अनुपलब्ध रहा/आधा अधूरा प्रस्तूत किया गयाजिससे उसकी जांच नहीं की जा सकी। वर्ष 21-22 के सम्पत्ति एवं विभवकर की प्राप्त करदाताओं की सूची के अनुसार प्रस्तावित कुल कर रू0 9116820.00 की स्वीकृति कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत द्वारा की गयी। वर्ष में इसके सापेक्ष नोटिस/समाधान संबंधित कोई विवरण/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है,वर्ष की कुल मांग रू0 9116820.00 रही। परन्तु दिनांक 31.03.22 के त्रैमासिक विवरण पत्र 03 में रू0 9116820.00 के स्थान पर वर्ष की सम्पति एवं विभव कर की कुल मांग मात्र रू 3889000.00 अंकित किया गया है जो वास्तविक अनुमोदित मांग से रू0 5227820.00 कम है। इस प्रकार सम्पत्ति एवं विभव कर को वर्ष की वास्तविक मांग से रू0 5227820.00 कम करके संस्था को नुकसान पहुचाया गया है जो एक प्रकार की गंभीर वित्तीय अनियमितता है ,जिसके लिए पटल प्रभारी श्री अजय कुमार सिंह ,श्री कृष्ण कान्त यादव ,श्री पवन कुमार श्रीवास्तव ,कर अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री श्रवण सिंह /अतुल कुमार पांडेय एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी है। जिसकी वसूली संबंधित कार्मिकों से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	5227820.00	5227820.00

प्रस्तर-14-लेखा परीक्षा में दुकान किराया रजिस्टर की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिला पंचायत के विभिन्न विकास खंडों में स्थित दुकानों को आवंटित किया गया है। जिनसे नियमानुसार प्रत्येक माह किराया वसूल किया जाना है। परन्तु कई आवंटियों द्वारा विगत कई वर्षो से किराया जमा नहीं किया जा रहा हैजिससे जिला पंचायत को राजस्व की क्षति हो रही है। जबकि आवंटन अनुबंध के अनुसार लगातार तीन महीने किराया न देने वाले आवंटियों से दूकान खाली कराने का स्पष्ट प्रावधान है। उक्त नियम का कडाई से पालन करके किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा किराया वसूल न होने की समस्त जिम्मेवारी सहा0राजस्व निरीक्षकराजस्व निरीक्षक,पटल सहायक,कर अधिकारीएवं अपर मुख्य अधिकारी की है। विवरण निम्नलिखित हैः-

कसं.	दूकान का नाम एवं दूकान संख्या	विकासखंड	आवंटी का नाम	31.03.22 को बकायाकिराया	बकाया विवरण कितने माह से
1	बांसी चीर घर /02	बांसी	श्री अनीस अहमद	44299	192 माह
2	बांसी चीर घर /04	बांसी	श्री अनुपम कुमार अग्रहरी	45399	192 माह
3	बांसी चीर घर /05	बांसी	श्री अषोक कुमार गुप्ता	45399	192 माह
4	बांसी चीर घर /08	बांसी	श्री राजेश कुमार	44999	192 माह
5	बांसी चीर घर /09	बांसी	श्री विनोद कुमार	44999	192 माह
6	बांसी चीर घर /10	बांसी	श्री अमित कुमार	45329	192 माह
7	बांसी चीर घर /11	बांसी	श्री आलोक कुमार	45329	192 माह
8	बांसी चीर घर /12	बांसी	श्री रामदेव गुप्ता	45499	192 माह

9	बांसी चीर घर /13	बांसी	श्री अब्दुल करीम	44999	192 माह
10	बांसी चीर घर /15एवं16	बांसी	श्रीसुनील कुमार अग्रहरी	89934	192 माह
11	मानवअस्पताल बांसी/02	बांसी	श्रीरामउजागीर विश्वकर्मा	33726	31 माह
12	मानव अस्पताल बांसी/गैलरी नं0 01	बांसी	श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा	36588	96 माह
13	मानव अस्पताल बांसी/7×18 भूमि	बांसी	श्री अनिल कुमार विष्वकर्मा	23316	96 माह
14	मानव अस्पताल बांसी/खपरैल आवास	बांसी	श्री रामलखन पाठक	36146	96 माह
15	जु0हा0स्कुल नौगढ/01	नौगढ	श्री अषुन मेकरानी	19704	26 माह
16	जु0हा0स्कुल नौगढ/02	नौगढ	श्री अल्ताफ अहमद	25527	36 माह
17	जु0हा0स्कुल नौगढ/03	नौगढ	श्री हफीजूदिन	12527	17 माह
18	जु0हा0स्कुल नौगढ/04	नौगढ	श्री शमसुद्दीन	11140	14 माह
19	जु0हा0स्कुल नौगढ/05	नौगढ	श्री मो0 अली	8504	11 माह
20	जु0हा0स्कुल नौगढ/08	नौगढ	श्री अली राजा	14546	18 माह
21	जु0हा0स्कुल नौगढ/09	नौगढ	श्रीमति सुरसती देवी	48431	63 माह
22	कार्यालय कैम्पस नौगढ/01	नौगढ	श्री विनय सिंह	37563	61 माह
23	कार्यालय कैम्पस नौगढ/02	नौगढ	श्री मिथलेश सिंह	10728	17 माह
24	कार्यालय कैम्पस नई दुकान01	नौगढ	श्री विशाल जयसवाल	13500	11 माह
25	कार्यालय कैम्पस नई दुकान02	नौगढ	श्री जुबैदा खातुन	20000	18 माह
26	कार्यालय कैम्पस नई दुकान03	नौगढ	श्री अनिल कुमार मित्तल	43500	35 माह
27	कार्यालय कैम्पस नई दुकान05	नौगढ	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	28500	23 माह
28	कार्यालय कैम्पस नई दुकान06	नौगढ	श्री विवेक जयसवाल	12500	10 माह
29	कार्यालय कैम्पस नई दुकान07	नौगढ	श्री हिमांषु जययसवाल	26700	21 माह
30	कार्यालय कैम्पस नईगैलरी 09	नौगढ	श्री रवि श्रीवास्तव	58000	58 माह
31	जू0हा0स्कूलवर्ड्रपुर/ 20एवं21	वर्डपुर	श्री प्रमोद कुमार मिश्र	48439	47 माह
32	जू0हा0स्कूलवर्ड्रपुर/ 06	वर्डपुर	श्रीमति कौशल्या देवी	6296	05 माह
33	जू0हा0स्कूलवर्ड्रपुर/ 12	वर्डपुर	श्री राजेन्द्र प्रसाद	21093	28 माह
34	जू0हा0स्कूल शोहरतगढ/01	शोहरतगढ	श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी	64352	84 माह
35	जू0हा0स्कूल शोहरतगढ/04	,,	श्री रामलखन मिस्त्री	54695	84 माह
36	छात्रावास/छात्रावास 01	,,	श्री योगेन्द्र सिंह	35835	67 माह
37	आवास/02	,,	श्री राकेष प्रताप सिंह	17484	33 माह
38	आवास/03	,,	श्री योगेन्द्र सिंह	22504	68 माह
39	आवास/2का1/2	,,	श्री युगुल किशोर बक्शी	5450	43 माह
40	इटवा दुकान सं0 01	इटवा	श्री समीउल्लाह	9474	13 माह

41	इटवा दुकान सं0 02	इटवा	श्री कौशल किशोर सिंह	16474	21 माह
42	इटवा दुकान सं0 04	इटवा	श्री सुरजीत सिंह	34137	46 माह
43	इटवा दुकान सं0 06	इटवा	श्री चन्द्रप्रकाश दूबे	42094	54 माह
44	इटवा दुकान सं0 12एवं13	इटवा	श्रीमति सैहरूनिषा	20738	14 माह
45	इटवा दुकान सं0 15	इटवा	श्री चन्द्रप्रकाश दूबे	25053	30 माह
46	इटवा दुकान सं0 16	इटवा	श्री किशोरी लाल	3602	05 माह
47	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ पुरानी दुकान 01	डुमरियागंज	श्री अजय कुमार	8910	08 माह
48	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ पुरानी दुकान 03	डुमरियागंज	श्री मलिक जफर	8097	11 माह
49	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ पुरानी दुकान 06	डुमरियागंज	श्री अ0 अख्तर	7865	10 माह
50	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ पुरानी दुकान 08	डुमरियागंज	श्रीमति चंपा देवी	19741	28 माह
51	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ पुरानी दुकान 12	डुमरियागंज	श्री रणविजय सिंह	51761	73 माह
52	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ पुरानी दुकान 13	डुमरियागंज	श्री रमेशचन्द्र अग्रहरी	54375	43 माह
53	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/नई12	डुमरियागंज	श्री सुनील कुमार	7640	10 माह
54	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/नई15	डुमरियागंज	श्री चंद्रप्रकाश	7336	10 माह
55	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/नई16	डुमरियागंज	श्री तरकीब हसन	31448	42 माह
56	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 17	डुमरियागंज	श्री ओमप्रकाश मिश्र	14151	19 माह
57	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 20	डुमरियागंज	श्री खुशनिहाल	10579	14माह
58	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 21	डुमरियागंज	श्री वसी हैदर	7713	10 माह
59	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 22	डुमरियागंज	श्री गणेश प्रसाद	13416	18 माह
60	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 24	डुमरियागंज	श्री जहीर अहमद	9168	12 माह
61	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 25	डुमरियागंज	श्री फजल्लुरर्हमान	27807	37 माह
62	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 26	डुमरियागंज	श्रीमती रायशा खातुन	8832	09 माह
63	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 30	डुमरियागंज	श्री अब्दुल मन्नान	24752	33 माह
64	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 31	डुमरियागंज	श्री ललीत कुमार	29722	40 माह
65	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 34	डुमरियागंज	श्री जाकिर इत्मुल्लाह	9168	12 माह
66	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 38	डुमरियागंज	श्री मल्लिक मुष्ताक	18336	24 माह
67	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 40	डुमरियागंज	श्री सुजीर	11421	15 माह
68	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 41	डुमरियागंज	श्री मसौब्बर अली	49922	44 माह
69	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 42	डुमरियागंज	श्री पटेष्वरी प्रसाद	12360	16 माह
69	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 43	डुमरियागंज	श्री बगीशचंद श्रीवास्तव	14266	19 माह
70	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 48	डुमरियागंज	श्री सैयद वजीर हैदर	19817	26 माह
71	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 49	डुमरियागंज	श्री याकुब मल्लिक	33306	44 माह
72	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ नई 50एवं51	डुमरियागंज	श्री मो0 हनीफ	45954	30 माह
73	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 52	डुमरियागंज	श्री विसमिल्लाह	33306	44 माह
74	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 55	डुमरियागंज	श्री नजीर अहमद	19950	26 माह

75	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 57	डुमरियागंज	श्री अजीम मुहम्मद	17360	23 माह
76	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 58	डुमरियागंज	श्री शमीस अहमद	10000	13 माह
77	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 59	डुमरियागंज	श्री कमाल अहमद	27306	36 माह
78	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 60	डुमरियागंज	श्री मुस्तफा	27596	37 माह
79	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 64	डुमरियागंज	श्रीमति इन्दु निशा	18496	24 माह
80	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 67	डुमरियागंज	श्री असगर अब्बास	16667	22 माह
81	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 68	डुमरियागंज	श्री मुहम्मद बसीर	11870	16 माह
82	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 70	डुमरियागंज	श्रीमति कमरूजमा	9320	12 माह
83	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ नई 71एवं72	डुमरियागंज	श्री वासदेव	18336	24 माह
84	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 73	डुमरियागंज	श्री नजीर अहमद	89174	116 माह
85	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 74	डुमरियागंज	श्री अली हैदर	34517	55 माह
86	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 75	डुमरियागंज	श्री षकील	57519	86 माह
87	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/गैलरी 01	डुमरियागंज	श्री अब्दुल अजीज	11082	36 माह
88	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/गैलरी 02	डुमरियागंज	श्री अब्दुल कादीर	9399	25 माह
89	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ गैलरी 03	डुमरियागंज	श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव	13665	36 माह
90	राज0कन्या इण्टर कालेज डुमरियागंज	डुमरियागंज	राज0कन्या इण्टर कालेज डुमरियागंज	32949	20 माह
91	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ दुकान 13 के उपर	डुमरियागंज	श्री रमेश चंद्र अग्रहरी	21897	28 माह
92	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 02	डुमरियागंज	श्रीमति पुश्पा श्रीवास्तव	29725	41 माह
93	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 04	डुमरियागंज	मो0 षोयब	29299	85 माह
94	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 06	डुमरियागंज	श्री काजी अनीस अहमद	21646	37 माह
95	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 10	डुमरियागंज	श्री दिनेश कुमार अग्रहरी	17052	44 माह
96	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 11एवं12	डुमरियागंज	श्री संतोष कुमार अग्रहरी	41381	56 माह
97	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 15	डुमरियागंज	श्री चन्द्रप्रकाश	13296	35 माह
98	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 16एवं19	डुमरियागंज	श्री अब्दुल गनी	9789	14 माह
99	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 17	डुमरियागंज	श्री ओम प्रकाश मिश्र	45315	88 माह
100	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 22	डुमरियागंज	श्री शाहिद रिजवी	61315	124 माह
101	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 24	डुमरियागंज	श्रीमति स्नेहलता पाल	12983	33 माह
102	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 25एवं26	डुमरियागंज	श्री शिवबालक	17822	19 माह
103	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 28एवं29	डुमरियागंज	श्री मो0 मुस्तफा	39045	53 माह
104	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल	डुमरियागंज	श्री षेख मु0 मुस्तफा	29306	54 माह

	30				
105	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 31 एवं32	डुमरियागंज	श्रीमति मेहरू निषा	122656	124 माह
106	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 33एवं34	डुमरियागंज	श्रीमति पुष्पा श्रीवास्तव	86063	86 माह
107	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 35	डुमरियागंज	श्रीमति तस्कीम फातिमा	61315	124 माह
108	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 38	डुमरियागंज	श्री अजय कुमर गुप्ता	34632	85 माह
109	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 41	डुमरियागंज	श्री जावेद	18194	42 माह
110	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 42	डुमरियागंज	श्री पटेष्वरी प्रसाद वर्मा	61315	124 माह
111	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 43	डुमरियागंज	श्री अब्दूल हई	33194	77 माह
112	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 44	डुमरियागंज	श्री मुनिव	33194	77 माह
113	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 46	डुमरियागंज	श्री गुफरान	33194	77 माह
114	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 47	डुमरियागंज	श्री शिवपुजन लाल	33194	77 माह
115	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 50	डुमरियागंज	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	11256	24 माह
116	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 51एवं52	डुमरियागंज	श्री ऐनुल हक	46388	53 माह
117	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 53	डुमरियागंज	श्री विश्णु बिहारी श्रीवास्तव	23194	55 माह
118	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 54	डुमरियागंज	श्रीमति नीलम	33194	77 माह
119	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 55	डुमरियागंज	श्री सहज राय	23194	50 माह
120	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 56	डुमरियागंज	श्री सत्यनारायण	5628	12 माह
121	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 57	डुमरियागंज	श्री शकील अहमद	33194	77 माह
122	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 58	डुमरियागंज	श्री श्रवण कुमार चौरसिया	14194	43 माह
123	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 59	डुमरियागंज	श्री अवधेश प्रसाद सिंह	33194	77 माह
124	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 63	डुमरियागंज	श्री महेश कुमार गुप्ता	33194	77 माह
125	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 64	डुमरियागंज	श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव	27194	66 माह
126	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 65	डुमरियागंज	श्री योगेश चंद्र	21194	53 माह
127	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल	डुमरियागंज	श्री सिराज अहमद	63315	124 माह

	66				
128	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 67	डुमरियागंज	श्री विशाल कृष्ण श्रीवास्तव	23194	65 माह
129	जू0हा0स्कुलमरियागंज/ उपरी तल 69	डुमरियागंज	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव	26194	65 माह
130	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 70	डुमरियागंज	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	27194	66 माह
131	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 71	डुमरियागंज	श्री संजय श्रीवास्तव	27194	64 माह
132	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 72	डुमरियागंज	श्री अष्टभूजा श्रीवास्तव	19160	52 माह
133	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 73एवं74	डुमरियागंज	श्री अनिरूद्ध सिंह	37320	50 माह
134	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 75एवं76	डुमरियागंज	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	53388	67 माह
135	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 77	डुमरियागंज	श्री रामाषीश यादव	22382	48 माह
136	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 78	डुमरियागंज	श्री धीरेन्द्र प्रताप	27382	63 माह
			योग	3999989.00	

उपरोक्तानुसार बडे बकायेदार के पास रू0 3999989.00 दुकान किराया बकाया है। स्पष्ट है दुकानों से किराया वसूली में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है जिससे दुकानों से किराया वसूल नहीं हो पा रहा है जो गंभीर अनियमितता का विषय है,जिसके लिए संबंधित सह0 राजस्व निरीक्षक श्री नरेंद्र कुमार ,श्री शमशाद अहमद ,श्री कमलेश कान्त यादव ,श्री मो० अली ,श्री बुद्धेश भारती ,श्री राजन सिंह ,राजस्व निरीक्षक श्री रवि सिंह,पटल प्रभारी श्री नरेंद्र पाल ,अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद एवं श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।इस वित्तीय अनियमितता के लिए उक्त कर्मचारी गण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । उपरोक्त बकायादारों से दंड ब्याज सहित कडाई से किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	3999989.00	3999989.00

प्रस्तर-15- वर्ष 21-22 में बिजली किराया एवं विद्युत बिल संबंधित व्यय प्रमाणकों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ किवर्ष में जिला पंचायत द्वारा कुल रू0 256758.00 बिजली उपभोग पर व्यय किया गया है। जिसमें कार्यालय एवं परिसर के आवसीय भवनों का एक ही मीटर है,जिसका समस्त भार जिला पंचायत द्वारा वहन किया जाता है। जबकि नियमों के अन्तर्गत कार्यालय का विद्युत मीटर अलग तथा आवसीय भवनों के प्रत्येक आवास के लिए अलग अलग मीटर होना चाहिए। आवास विशेष का उपयोग कर रहे अधिकारी/कर्मचारी को संबंधित उपयोगित बिजली के बिल का भुगतान करना चाहिए अन्यथा की स्थिति में बडे पैमाने पर संस्था के राजकीय राजस्व की क्षति हो रही है। इस प्रकार की गंभीर अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओमनारायण चंद एवं श्री संतोष कुमार सिंह तथा आवास उपयोग करने वाले संबंधित कर्मचारी/अधिकारीउत्तदायी हैं। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि वर्ष 21-22 के लिए उक्त का आकलन कर समस्त भुगतान का आधा रू0 128379.00 कार्यालय के नाम तथा आधा रू0 128379.00 आवासीय भवनों के नाम की सूची तैयार कर भवन उपयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। विगत कई वर्षो से आपत्ति किए जाने पर भी नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गयी है जो गंभीर आपत्तिजनक है। प्रकरण अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग

00	00	128379.00	128379.00

प्रस्तर-16-वर्ष 2021-22 में राज वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास खंड भनवापुर में ग्राम विशुनपुर में पिच रोड से पुल तक सी सी कार्य की निर्माण पत्रावली की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त परियोजना के एम0बी0 के पश्चात् भुगतान प्रस्ताव सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया गया है उक्त स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार परियोजना की मापन का विवरण निम्नलिखित है-

एम0बी0 सं0 201 पृष्ठ सं0 44.45 दिनांक 05.12.2020

एम0बी0 सं0 201 पृष्ठ सं0 184.185 दिनांक 29.01.2021

एम0बी0 सं0 165 पृष्ठ सं0 97.98 दिनांक 04.06.2021

द्वितीय मापन 201/184.185/29.01.2021 में अर्थ वर्क-113 घन मीटरजी एस बी -04.70 घन मीटर,जी 3 - 41.85 घन मीटर एवं सी सी- 70.55 घन मीटर उपखनिज का समस्त कार्य पूरा हो चुका था। जिसके आधार पर ठेकेदार को उसका भुगतान भी हो गया था। परन्तु उपखनिज के आमद/रायल्टी की पुष्टि में पत्रावली में संलग्न समस्त एम0एम0 11 दिनांक 29.01.2021 के बाद का है। स्पष्ट है इन उपखनिजों का उपयोग परियोजना में नहीं किया गया है एवं उपयोगित उपखनिज का रायल्टी से संबंधित एम एम 11 वैध नहीं है। अतः शासनादेश संख्या-2146/86-2019-52(सा0)/2019 दिनांक 30 सितम्बर 2019 के अनुसार प्रयुक्त उपखनिज के रायल्टी का पांच गुना ठेकेदार के बिल से कटौती किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट हैइस परियोजना में उपयोगित उपखनिज पर निर्धारित रायल्टी रू0 22925 का पांच गुना रू0 114625.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिए पटल प्रभारी,अभियंता,लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उक्त की वसूली हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	114625.00	114625.00

प्रस्तर-17- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि निम्न परियोजनाओ में अन्य प्रदेश से मंगाये गये खनीज (बालू,गिट्टी,जी एस बी,मोरंग) मात्रा पर अन्य प्रदेश रायल्टी की कटौती नहीं की गई है। निम्न परियोजनाओं की पत्रावलियों में प्रयोग में लाये गए उपखनीज के प्रमाणस्वरूप लगाये गये एमएम 11 से स्पष्ट है कि उक्त खनिज उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रदेश से लाये गये हैं। नियमानुसार अन्य प्रदेश से मंगाये गये खनीज की मात्रा पर 50 रू0 प्रति घनमीटर की अन्य प्रदेश रायल्टी कटौती का प्रावधान है,जो अन्य परियोजनाओं की पत्रावलियों में खनीज पर अन्य प्रदेश रायल्टी की कटौति से स्पष्ट है। इसप्रकार अन्यप्रदेश रायल्टी रू0 128483 की कटौती न करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिए अभियंता,लेखाकार,वित्तीय परामर्श दाता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त की वसूली हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रसं	परियोजना का नाम	खनीज का नाम	मात्रा	अन्य प्रदेश रायल्टी	कटौति	कटौति जो नहीकी गयी
1	कुशमौना पिच रोड से गनेरा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी,ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	173 घन० मी	8650.00	00	8650
2	ग्राम मछलीगांव में पिच रोड से गांव की ओर तक सी0 सी0 कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	145.67	7283.00	00	7283
3	ग्रा0पं0 बसौनी के टोला केसारी में शकरूनिशा के घर से नाला तक सी0सी0	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	135 ,,	6750.00	00	6750
4	बसौनी से बचडा-बचडी सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	78 ,,	3900.00	00	3900
5	भीमापार बलुरी सम्पर्क मार्ग गोरखपुरी डीह से बलुरी सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	63 ,,	3150.00	00	3150
6	विकास भवन धेन्सा मार्ग से कन्नौजिया के खेत से धेंसा पोखरे से काली जी के स्थन तक	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	70 ,,	3500.00	00	3500

	सी0सी					
7	दुर्गवा टिकुइया मार्ग से देउरगांवा तक लेपन	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	156 ,,	7800	00	7800
8	पगारे बस्ता सम्पर्क मार्ग से दक्षिण बस्ता गांव को जोडने हेतु लेपन	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	106 ,,	5300	00	5300
9	ग्राम शाहिबगंज पिच रोड से गांव तक सीसी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	46 ,,	2300	00	2300
10	ग्राम पिपरा कानुनगो में सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	53 ,,	5650	00 00	2650
11	ग्राम अहिरौली पडरी शंकर भगवान के मंदिर तक सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	74 ,,	3700	00	3700
12	ग्राम उवारे में श्री सरवन यादव के घर से पिच रोड तक सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	75 ,,	3750	00	3750
13	ग्राम विशुनपुर में पिच रोड से पुल तक सी सी	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	67 ,,	3350	00	3350
14	ग्राम पचहरी पक्की सडक से गांव तक लेपन कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	42 ,,	2100	00	2100
15	बांसी धानी मार्ग पर अदिलापुर ग्राम से हरैया तक लेपन कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	126 ,,	6300	00	6300
16	महुई केवटडीह से नरसिंह गढी तक सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	164 ,,	8400	00	8400
		सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी			00	
17	सेमरा से बांसी पनघटिया बांध तक लेपन कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	83 ,,	4150	00	4150
18	टिकुर कुडजा मार्ग से डुमरियागंज तक सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	85 ,,	4250	00	4250
19	पकडिहवा कला प्रा0वि0 पक्की सडक तक लेपन	00	40 ,,	2000		2000
20	दुर्जनपुर सिसवा पी0डब्लू0डी मार्ग से राजकिशोर के मकान तक लेपन	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी गिट्टी	43 ,,	2150	00	2150
21	पल्टादेवी मार्ग पर मेखडा पुल से बिहारीपुर तक लेपन कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	63 ,,	3150	00	3150
22	ग्राम सेमरियाव से कपिया रावत मार्ग पर सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	111 ,,	5550	00	5550
23	महरिया से काल्हुआ सम्पर्क मार्ग पर सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	46 ,,	2300	00	2300
24	ग्राम पं0 कोटिया दिगर से नदवलिया सरहद तक सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	133 ,,	6650	00	6650
25	पिच रोड से जीवाराई गांव तक सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	57 ,,	2850	00	2850
26	बांसी बस्ती मार्ग से जिगिना बुजूर्ग सम्पर्क	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी	135 ,,	6750	00	6750

	मार्ग पर सी सी कार्य	ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी				
27	लटिया पूर्वाडीह मेनरोड से गांव तक पिच कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	43 ,,	2150	00	2150
28	बसंतपुर से महरवाजोत पर सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	59 ,,	2950	00	2950
29	करौंदा मसिना पेट्रोल पंप के सामने बगल से बालेडीहा सम्पर्क मार्ग पर सी सी कार्य	सैंड स्टोन/क्रा0 ब्लास्ट गिट्टी ग्रेनाईट एंड डोलोस्टोन गिट्टी	94 ,,	4700	00	4700
		योग-				128483

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	128483.00	128483.00

जनपद-बाँदा मण्डल-चित्रकूट

प्रारूप-2
जिला पंचायत

प्रस्तर-1 बी0आर0जी0एफ0 (विकास अनुदान) मद का 01.04.2021 का प्रारम्भिक अवशेष रूपये 9,52,231.00 बैंक स्टेटमेन्ट एवं रोकड़बही जो अलग से चलायी जा रही है, में दर्शित थी। आलोच्य वर्ष में मद में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। ब्याज के रूप में 28,310.00 रूपये प्राप्त हुए हैं। वर्ष दौरान मद का व्यय नहीं किया गया है। फलतः दिनाँक-31.03.2022 को रूपये 9,80,361.00 अवशेष के रूप में जमा रहा। उक्त योजना शासन द्वारा बन्द कर दी गयी है अथवा रोक दी गयी है। अतः नियमानुसार उक्त धनराशि सरकार को वापस न करके अनियमितता बरती जा रही है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी-श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं श्री भगत सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

प्रस्तर-2 बी0आर0जी0एफ0 (नोडल) मद बैंक स्टेटमेंट एवं रोकड़बही के अनुसार जो अलग से चलायी जा रही है, का 01.04.2021 को प्रारम्भिक अवशेष 1,11,04,165.60 रूपये जमा दर्शित है। आलोच्य वर्ष में इस मद में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं है। ब्याज के रूप में मु0 3,29,428.00 रूपये प्राप्त हुआ है। इस मद से कोई व्यय /ट्रान्सफर नहीं हुआ है। बैंक सरचार्ज कटौती के रूप में मात्र 70.80 रूपये व्यय के उपरान्त 31.03.2022 को अवशेष के रूप में मु0 1,14,33,522.80 रूपये शेष बैंक में जमा रहा। उक्त योजना मद में सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी अथवा बन्द कर दी गयी, इकाई द्वारा अनुदान की धनराशि ब्याज सहित सरकार को वापस न करके अनियमितता की जा रही है जिसके लिए इकाई के तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी-श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं श्री भगत सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अस्तु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

प्रस्तर-3 इकाई द्वारा विगत कई वर्षों से पेयजल व्यवस्था का 12.459 लाख रूपये अवशेष के रूप में दर्शित है। जिले में पेयजल को देखते हुए विभागीय उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर उपभोग किये जाने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है। संस्था उक्त कार्य के सम्पादन के लिए स्वयं को अक्षम पा रही है। उक्त अनुदान शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए इकाई के तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी-श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं श्री भगत सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अस्तु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

प्रस्तर-4 मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक अवशेष के रूप में 164.318 लाख रूपये दर्शित था। इस मद में आलोच्य वर्ष में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। ब्याज के रूप में 4.566 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं। वर्षान्त में 168.884 लाख रूपये ब्याज सहित अनुदान अवशेष जमा रहा। उक्त धनराशि को रोककर अनियमितता बरती जा रही है। अवशेष धनराशि को नियमानुसार शासन को भेजने हेतु इकाई के तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी-श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं श्री भगत सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अस्तु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

प्रस्तर-5 इकाई द्वारा आलोच्य वर्ष में मृत पशु शव निस्तारण (हड्डी, चमड़ा) में मु0 5,85,600.00 रूपये की आय अर्जित की गयी है, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 862बी/33-3-14(2)164 दिनाँक-30.05.1997 के प्रावधानों के क्रम में अर्जित आय का 50प्रतिशत अर्थात 2,92,800.00 रूपये का ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों हेतु हस्तान्तरित किया जाना चाहिए था। किन्तु इकाई द्वारा शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है। अनुपालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी-श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं श्री भगत सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

जनपद चित्रकूट मण्डल- चित्रकूट

जिला पंचायत चित्रकूट के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नवत् अपहरण / दुरूपयोग / गम्भीर अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाश में आये ।

क्र० आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर सं0 1 आलोच्य वर्ष 2021-22 में मृत पशु शव निस्तारण (ह0च0) मद में रूपया 10,33,200/- की आय जिला पंचायत को हुई है । उ०प्र० के शासनादेश संख्या 862 बी / 33-3-14 (2) / 84 दिनांक 30.05.1997 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण की आय रू0 10,33,200.00 का 50 प्रतिशत रूपया 5,16,600 / - ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु हस्तांतरित किया जाना चाहिए, किन्तु आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हुई । उक्त नियम का पालन न करने के लिए श्री भगत सिंह अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चित्रकूट उत्तरदायी रहे हैं । अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

प्रस्तर सं0 2 दिनांक 31.03.2022 को सम्पत्ति व विभवकर मद का रू0 39,54,900 /वसूली हेतु अवशेष रहा । उक्त धनराशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। जबकि उ०प्र० जिला पंचायत (सम्पत्ति एवं विभवकर का आरोपण, निर्धारण और वसूली) नियमावली 1965 के नियम संख्या 15 (क), (ख) एवं उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 8 की धारा 147 से 155 के उपबन्धों के अधीन नियत रीति से या अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित तरीके से बकाया सम्पत्ति एवं विभवकर करदाताओं से वसूल किया जाना अपेक्षित है, किन्तु उक्त धनराशि की वसूली न कर जिला पंचायत को राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त नियमावली के नियम संख्या 5 के अनुसार करदाताओं से सम्पत्ति एवं विभवकर वसूल करवाने के लिए श्री आत्माराम सिंह कार्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं । अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर सं0 3 दिनांक 31.03.2022 को मृत पशु शव निस्तारण (ह०च०) मद का रूपया 11,97,452 / - वसूली हेतु अवशेष रहा, किन्तु उक्त धन की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। जबकि उ०प्र० जिला पंचायत (रिकवरी आफ एरियाज आफ टैक्स एण्ड रेन्ट ऑन लैण्ड) नियमावली 1975 के | नियम संख्या 4 व 5 के तहत उक्त धनराशि की वसूली करवाने के लिए श्री आत्माराम सिंह कार्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

प्रस्तर सं0 4 दिनांक 31.03.2022 को सम्पत्ति किराया मद में (कर्मचारी आवास, सरकारी कार्यालय एवं दुकानें) रूपया 5,41,200.74 वसूली हेतु अवशेष रहा, किन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त धन की वसूली हेतु कोई ठोस

कार्यवाही नहीं की गयी जबकि उ०प्र० जिला पंचायत (रिकवरी आफ एरियाज आफ टैक्स एण्ड रेन्ट ऑन लैण्ड) नियमावली 1975 के नियम संख्या 4 व 5 के तहत उक्त धन की वसूली करवाने के लिए श्री आत्माराम सिंह कार्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0 5 दिनांक 31.03.2022 को विगत वर्षों की भांति मत्स्य आखेट मद का बकाया रूपया 1,45,000/- दर्शित है। उक्त बकाये धनराशि की वसूली श्री शंकर दयाल पुत्र छेदी लाल निवासी सैदपुर, तहसील खागा, जनपद फतेहपुर से होनी थी, किन्तु उक्त बकाये की धनराशि की वसूली हेतु कोई वैधानिक कार्यवाही जिला पंचायत द्वारा नहीं की गयी। उक्त बकायेदार से बकाया धनराशि की वसूली हेतु जिला पंचायत से सम्बन्धित श्री भगत सिंह अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री आत्माराम सिंह कार्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

प्रस्तर सं0 6 बी०आर०जी०एफ० (विकास अनुदान) मद का दिनांक 01.04.2021 को 4,55,13,812/- प्रारम्भिक अनुदान अवशेष था। आलोच्य वर्ष में उक्त अनुदान जमा धनराशि पर बैंक से रू0 11,32,343 / - ब्याज प्राप्त हुआ, किन्तु वर्ष में कुछ भी धनराशि व्यय नहीं की गयी । फलतः दिनांक 31.03. 2022 को उक्त अनुदान मद का रूपया 4,66, 46, 155 / - धनराशि अवशेष जमा दर्शायी जा रही है। चूंकि उक्त अनुदान योजना सरकार द्वारा बन्द कर दी गयी है। इसलिए उक्त अवशेष जमा धनराशि को नियमतः शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था, किन्तु अनुदान धनराशि सरकार को वापस न करके अनियमितता बरती जा रही है जिसके लिए श्री भगत सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं । अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर सं0 7 बी०आर०जी०एफ० (नोडल) अनुदान मद का दिनांक 01.04.2021 को प्रारम्भिक अवशेष रूपया 5,04,89,459.29 अवशेष था। आलोच्य वर्ष में उक्त अनुदान जमा राशि पर बैंक से रू0 23,89, 915 / - ब्याज प्राप्त हुआ । आलोच्य वर्ष में उक्त मद से कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी, केवल रू० 236.00 बैंक चार्ज काटा गया है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को वर्षान्त रू0 5,28,79,138.29 उक्त अनुदान बैंक जमा दर्शाया गया है। उक्त अनुदान योजना सरकार द्वारा कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गयी है, किन्तु उक्त अनुदान धनराशि को सरकार को वापस न करके अनियमितता बरती जा रही है, जिसके लिए श्री भगत सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0 8 बी०आर०जी०एफ० (क्षमता विकास) अनुदान मद का दिनांक 01.04.2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू0 6,96,173 / - अवशेष था। आलोच्य वर्ष में उक्त अनुदान जमा धनराशि पर बैंक से रू0 20,410 / - ब्याज प्राप्त हुआ । आलोच्य वर्ष में उक्त मद से कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को वर्षान्त रू0 7,16,583 / - उक्त अनुदान बैंक जमा दर्शाया गया है। उक्त अनुदान योजना सरकार द्वारा कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गयी है, किन्तु उक्त अनुदान धनराशि को सरकार को वापस न करके अनियमितता बरती जा रही है जिसके लिए श्री भगत सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0 9 राष्ट्रीय सम विकास योजना मद का दिनांक 01.04.2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू० 2,11,025 / - अवशेष था। आलोच्य वर्ष में उक्त जमा धनराशि पर बैंक से रू0 7,200/- ब्याज प्राप्त हुआ । आलोच्य वर्ष में उक्त मद से कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को वर्षान्त रू० 2,18,225 / - उक्त अनुदान मद की धनराशि बैंक जमा दर्शायी गयी है। उक्त अनुदान योजना सरकार द्वारा कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गयी है, किन्तु उक्त अनुदान धनराशि को सरकार को वापस न करके अनियमितता बरती जा रही है जिसके लिए श्री भगत सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0 10 दिनांक 31.03.22 को समाप्त होने वाले वर्ष 2021-22 के वि०खं० पहाड़ी की सी०पी० टैक्स के निर्धारण एवं जमा धनराशि की विवरण रजिस्टर में 2018 में दिया गया लाइसेन्स पेट्रोल पम्प में० चन्द्रपाल किसान सेवा केन्द्र गढ़वारा के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त पेट्रोल पम्प से सी०पी० टैक्स की

डिमान्ड भी नहीं किया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 कुल 4 वर्ष दर 6000=24000.00 की वसूली अंकित न कर जिला पंचायत को राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। उक्त टैक्स की वसूली करवाने के लिए आत्माराम सिंह कार्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर सं0 11 आलोच्य वर्ष में मांग व वसूली रजि० (सम्पत्ति किराया) के विवरण सूची अनुसार अपरमुख्य अधिकारी को आवास नं० -2 आवंटित किया गया है, 31. 03.2022 तक रू0 3072 बकाया दर्शित है, उक्त की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री भगत सिंह से की जानी अपेक्षित है ।

जनपद-हमीरपुर मण्डल- चित्रकूट

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ
आपत्ति का विवरणः-

प्रस्तर- 1 दिनांक 31.03.2022 को मृत पशु शव निस्तारण (ह0च0) मद में विगत वर्षो की भाॅति रू0 666000=00 वसूली हेतु अवशेष रहा, किन्तु उक्त मद की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी जिससे संस्था को अकारण हानि उठानी पड़ रही है। जबकि उ0प्र0 जिला पंचायत (रिकवरी आॅफ एरियर आॅफ टैक्स एण्ड रेण्ट आॅन लैण्ड) नियमावली 1975 के नियम सं0 4 व 5 के तहत् उक्त धनराशि की वसूली करवाने हेतु कर अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार शर्मा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह उत्तरदायी है। अतएव आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 2 उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल सम्पत्ति) मैनुअल 1965 के नियम सं0 3 (1) के अनुसार जिला पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्गो के साथ-2 अन्य श्रजित सम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने के लिए परिसम्पत्ति पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है तथा नियम 4 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा निर्मित सडकों का विवरण तथा नव निर्माण/अनुरक्षण का वर्ष स्थान लम्बाई-चैड़ाई आदि की सूचना के अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रखरखाव किया जाना अपेक्षित था तथा नियमानुसार जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्यो को सम्पादित किया जा सकता था जिससे एक से अधिक क्षेत्र पंचायते लाभान्वित हो। किन्तु दौरान लेखा परीक्षा परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही जिला पंचायत द्वारा अलग से मार्ग पंजिका का रख-रखाव ही किया गया है। जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि आलोच्य वर्ष में निर्मित सडके जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन थी। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में सडक मार्गो के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि रू0 19,91,09795=00 नियमानुसार रही या नहीं की जाॅच न की जा सकी। अतएव परिसम्पत्ति पंजिका एवं मार्ग पंजिका प्रस्तुत कर पुष्टि/जाॅच करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 3 आलोचय वर्ष 2021-22 में माह मई 2021 में अदेय प्रमाण पत्र से रू0 983500=00 की आय कैशबुक के अनुसार दर्शित है। अदेय प्रमाण पत्र के लिए निर्गत की गयी रसीद बुकें दौरान लेखा परीक्षा उपलब्ध नहीं करायी गयी। साथ ही सम्बन्धित रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया है। जिससे अदेय प्रमाण निर्गत करने से प्राप्त वास्तविक आय की जानकारी न की जा सकी। सम्बन्धित रसीद बुके एवं रजिस्टर उपलब्ध न कराकर अनियमितता की गयी है। अतः रसीद बुके एवं सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 4 दिनांक 31.03.2022 को जिला पंचायत हमीरपुर के सम्पत्ति किराया मद में रू0 5581144=00 बकाया दर्शित है। उक्त बकायेदारों में आवासीय भवन, सरकारी कार्यालय एवं दुकानें शामिल है। दर्शित बकाये की धनराशि की वसूली हेतु ठोस वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए। शासनादेश सं0 6336/33-3-97-185 जी/97 दिनांक 27 दिसम्बर 1997 के पैरा 6 के अनुसार निर्धारित किराये में प्रत्येक 3 वर्ष बाद 25ः बढोत्तरी किया जाना चाहिए था, जिसका शत प्रतिशत पालन किया जाना आवश्यक है। जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों व जिला पंचायत प्रशासन का ध्यान अवशेष किराया की वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, जिससे जिला पंचायत को सम्भावित हाॅनि से बचाया जा सके। अतः अवशेष किराये की वसूली हेतु ठोस वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह एवं कर अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार शर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 5 संपत्ति एवं विभव कर जिला पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है किंतु जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा संपत्ति एवं विभव कर की वसूली नहीं की जा रही है जो गंभीर आपत्ति का विषय है इससे संस्था को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी कर अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी हैं संपत्ति एवं विभव कर की वसूली हेतु तत्काल ठोस प्रयास किए जाने चाहिए इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी , कर अधिकारी वित्तीय परामर्शदाता एवं जिला पंचायत सदन का ज्ञान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है

प्रस्तर- 6 शासनादेश सं0 1/2017 सी0ए0 400/10-2013 मित0-1/2017 दिनांक 24.10.2017 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित होता है उन्हें रू0 800/माह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बन्धित मद में जिससे किराया दिया जाता है, जमा किया जाना चाहिए, किन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-2022 में वाहन कटौती की कोई भी धनराशि जमा नहीं की गयी है। अतः दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक 12 माह की कुल धनराशि रू0 9600=00 की कटौती अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 7 बी.जी.आर.एफ अनुदान मद के 7 खातों में दिनांक 01.04.2021 का प्रारम्भिक शेष रू0 30607847=90 था। आलोच्य वर्ष में उक्त अनुदान जमा राशि पर बैंक से रू0 832772=33 ब्याज प्राप्त हुआ। आलोच्य वर्ष में उक्त मद में कोई धनराशि व्यय नही की गयी केवल रू0 666=70 बैंक चार्ज काटा गया है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को रू0 31439953=53 उक्त अनुदान बैंक जमा दर्शित है। विवरण निम्नवत है-

क्र स	मद विवरण	बैंक का नाम एवं खाता सं0	01.04.21 को प्रारम्भिक षेष	वर्ष मे प्राप्त ब्याज	व्यय	31.03.22 को अवषेष
1	बी.जी.आर.एफ नोडल	पी0एन0बी0 - 25837	13358663=12	396313=00	-	13754976=12
2	बी.जी.आर.एफ वेतन	युनियन बैंक- 01159	1237664=00	37229=00	-	1274893=00
3	बी.जी.आर.एफ कन्टीजेन्सी	इण्डियन बैंक- 15325	3650468=00	107020=00	-	3757488=00
4	बी.जी.आर.एफ प्रशिक्षण	इण्डियन बैंक- 92702	2381982=00	69832=00	-	2451814=00
5	बी.जी.आर.एफ श्रम विकास	इण्डियन बैंक- 57812	16275=00	478=00	-	16753=00
6	बी.जी.आर.एफ निर्माण	इण्डियन बैंक- 13734	9962795=78	221900=33	10109085=69 118- कटौती	75492=42

7	बी.जी.आर.एफ निर्माण	बी0ओ0बी0-14080	शून्य	10109085=69	548=70 – कटौती	10108536=49
	योग-	-	30607847.90	832772=33	666=70	31439953.53

उक्त योजना सरकार द्वारा कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गयी है, किन्तु उक्त अनुदान धनराशि को सरकार को वापस न करके अनियमितता बरती जा रही है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह उत्तरदायी रहे है। अतएव आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद- महोबा मण्डल -चित्रकूट

जिला पंचायत महोबा वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-1 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि शासनादेश सं0 1/2017 सी0ए0-400/10-2013 मित0 1/2017 दिनांक 24-10-2017 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित होता है उन्हें मु0 800.00 रू0 प्रतिमाह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बन्धित मद में जिससे किराया दिया जाता है जमा किया जाना चाहियें किन्तु जिला पंचायत महोबा में वर्ष 2020-21 में कोई भी वाहन कटौती की धनराशि जमा नही की गयी। अतः दिनांक 01-04-2020 से दिनांक 31-03-2021 तक कुल 12 माह की धनराशि मु0 9600.00 रू0 की कटौती की ब्याज सहित धनराशि कि कटौती तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत महोबा द्वारा विभिन्न अनुदानों से प्राप्त धनराशियों से मु0 10 लाख रूपयों से कम व्यय की गयी लागत के निर्माण कार्य हेतु एक ही ग्राम पंचायत को लाभन्वित करने वाले कार्य,एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये है। जबकि उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मार्ग दर्शक सिद्वान्त निर्धारित किये गये है जो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानो के अनुरूप् हो कराया जाना चाहिए था। जिसका उल्लंघन करके एक ही ग्राम पंचायत को लाभन्वित करने वाले मु0 437.73 लाख रू0 के कार्य आलोच्य वर्ष 2020-21 में कराये गये है। जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनक है जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता,अभियंता उत्तरदायी है। वर्ष 2020-21 मे मु0 10 लाख रू0 से कम लागत के निर्माण कार्यो की सूची संलग्न है।

जिला पंचायत महोबा वर्ष 2020-21 जिलानिधि एवं राज्य वित्त से 10 लाख रू0 से कम के कराये गये निर्माणकार्य-

आकड़े लाखो में

क्र0सं0	**कार्य का नाम व पूर्व विवरण राज्य वित्त**	**अनुमानित लागत लाख रू0में)**	**व्यय धनराशि**
1	श्रीनगर टंकी रोड से कछियन खोडा तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया का निर्माण कार्य	8.10	8.05
2	गुगोरा में तालाब के किनारे से मन्दिर की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	9.90	9.69
3	महुआ में मन्दिर से शवदाह ग्रह के आगंे सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	9.92	9.77
4	ग्राम पंचायत छतेतर में सठ नाले के खोत से काली माता मन्दिर की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण	9.95	9.93
5	पनवाडी में बुडेरा रोड से विद्यालय की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	9.90	9.39
6	पनवाडी में महोबा रोड से रोहित के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	9.46	8.92
7	जैतपुर से ईदगाह से सी0सी0 रोड निर्माण की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	9.84	9.72
8	जैतपुर में हनुमान मन्दिर से ईदगाह की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	9.84	9.51

9	पनवाडी में विद्यालय से लोधीपुरा की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	9.90	9.76
10	ग्राम पंचायत छतेसर में गांव से राठ वाले खेत के ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	9.95	9.93
11	15 वी(अनटाइट) योग-	96.76	94.67
12	ग्राम धवर्रा में ओपिन जिम स्थापित करने का कार्य	7.33	7.31
13	ग्राम श्रीनगर में ओपिन जिम स्थापित करने का कार्य	7.33	7.31
14	ग्राम ग्योड़ी में ओपिन जिम स्थापित करने का कार्य	9.69	9.65
15	ग्राम जैतपुर में ओपिन जिम स्थापित करने का कार्य	9.79	9.70
16	ग्राम पनवाड़ी ओपिन जिम स्थापित करने का कार्य	9.87	9.84
17	ग्राम सूपा में ओपिन जिम स्थापित करने का कार्य	9.72	9.69
18	ग्राम सिगौन में चश्तरे सहित टीन शैड का निर्माण कार्य	9.23	9.18
19	ग्राम बिलखी में चश्तरे सहित टीन शैड का निर्माण कार्य	9.23	9.13
20	ग्राम किड़ारी में रेलवे क्रासिंग के पास चश्तरे सहित टीन शैड का निर्माण कार्य	9.62	9.47
21	ग्राम सुगिरा में चश्तरे सहित टीन शैड का निर्माण कार्य	9.23	8.84
	15वाँ वित्त(टाइट) योग-	91.04	90.12
22	ग्राम पनवाड़ी बाईपास रोड से हरिजन बस्ती की ओर नाला निर्माण कार्य	9.77	9.66
23	ग्राम जैतपुर रेलवे क्रासिंग से से हरिजन बस्ती के बीच पड़ने वाले नाले रपटा निर्माण कार्य	9.81	9.66
24	ग्राम जैतपुर में जुझार सिंह के मकान से अमर सिंह कुशवाहा के मकान की ओर नाला निर्माण कार्य	9.70	9.61
25	ग्राम पनवाड़ी में नेहरू इण्टर कालेज रोड के किनारे नाला निर्माण कार्य	9.77	9.62
26	ग्राम पठारी खमा में ग्यासी राजपूत के खेत में से कुशवाहा से खेत की ओर नाला निर्माण कार्य	9.78	9.42
27	ग्राम जगतपुर गडिया में अन्नू चैरसिया के खेत से द्विवेदी जी के खेत की ओर नाला निर्माण कार्य	9.78	9.52
28	ग्राम रिवई में वी0एस0एन0एल0बवर से जानकी साहू के मकान तक नाला निर्माण कार्य	9.64	9.51
29	ग्राम शहपहाडी से बीजा नगर सम्पर्क मार्ग तक नाला निर्माण कार्य	9.78	9.74
30	ग्राम विलखी में मेन रोड से चित्तापुरी मन्दिर की ओर नाला निर्माण कार्य	9.66	9.28
31	ग्राम श्रीनगर निर्माण से शंकर विश्वकर्मा की ओर नाला निर्माण कार्य	9.66	9.57
32	ग्राम सिजहरी में दयालशंकर के मकान से देवीदीन अहिरवार के पास की पुलिया तक नाला निर्माण	9.93	9.83
33	ग्राम टिकरिया जैतपुर में नाला निर्माण कार्य	9.73	9.61
34	ग्राम खैराकलां में गौशाला से नदी की ओर नाला निर्माण	9.80	9.72
35	ग्राम पनवाडी में धन्नु के मकान से मंसाराम के मकान से ओर नाला निर्माण	9.99	9.79
	जिला निधि	136.80	134.54
36	ग्राम वरा में गौहाई नाला के आगे सी0सी0 से तुलसिया खेडा की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण	9.36	9.72
37	ग्राम इमिलिया डांग में जि.पं. की सी.सी. से तला नावा के स्थान की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.99	9.85
38	ग्राम गोरखा में जि.पं. की सी.सी.से गुरू गोरख नाथ के स्थान की ओर सी.सी. राड निर्माण कार्य	9.99	9.93
39	पनवाडी में नयी वस्ती में आत्माराम अहिरवार के पेट्रोल पम्प की ओर सी.सी. रोड का निर्माण कार्य	9.90	9.85
40	ग्राम भरवारा में रिछा सम्पर्क मार्ग से वीरेन्द्र लोधी के वाडे की ओर सी.सी. रोड का निर्माण कार्य	9.95	9.95
41	ग्राम कोटरा में बजभान दादी की पुलिया से हनुमान मंदिर गौरईया मार्ग पर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	9.99	9.95
42	ग्राम कैथोरा में वारात शाला में रामनरेश के खेत की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	9.85	9.81
43	ग्राम पुरवा खण्ड में मियाजी के खलियान से तलैया की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	9.86	9.80
44	जिला पंचायत महोबा में अध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में फर्निशिंग का कार्य	9.98	9.95

45	जिला पंचायत महोबा में अपर अभियंता कक्ष में फर्निशिंग का कार्य	9.98	9.88
46	जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में फर्निशिंग का कार्य	9.96	9.91
47	जिला पंचायत महोबा के कार्यालय भवन में 3 प्रवेश द्वार एवं कार्यालय की मरम्मत खिडिकियो का कार्य निर्माण	9.98	9.83
	योग	119.39	118.40
	कुल योग	443.99	437.73

जिला पंचायत महोबा
वर्ष 2021-22

प्रस्तर संख्या-3 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि शासनादेश सं0 1/2017 सी0ए0-400/10-2013 मित0 1/2017 दिनांक 24-10-2017 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित होता है उन्हें मु0 800.00 रू0 प्रतिमाह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बन्धित मद में जिससे किराया दिया जाता है जमा किया जाना चाहियें किन्तु जिला पंचायत महोबा में वर्ष 2021-22 में कोई भी वाहन कटौती की धनराशि जमा नही की गयी। अतः दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 31-03-2022 तक कुल 12 माह की धनराशि मु0 9600.00 रू0 की कटौती की ब्याज सहित धनराशि तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत महोबा द्वारा विभिन्न अनुदानों से प्राप्त धनराशियों से मु0 10 लाख रूपयों से कम व्यय की गयी लागत के निर्माण कार्य हेतु एक ही ग्राम पंचायत को लाभन्वित करने वाले कार्य,एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये है। जबकि उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मार्ग दर्शक सिद्वान्त निर्धारित किये गये है जो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानो के अनुरूप् हो कराया जाना चाहिए था। जिसका उल्लंघन करके एक ही ग्राम पंचायत को लाभन्वित करने वाले मु0 363.29 लाख रू0 के कार्य आलोच्य वर्ष 2021-22 में कराये गये है। जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनक है जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियंता उत्तरदायी हैं। वर्ष 2021-22 मे मु0 10 लाख रू0 से कम लागत के निर्माण कार्यो की सूची संलग्न है सम्बंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यवाही अपेक्षित है ।

जिला पंचायत महोबा वर्ष 2021-22 जिलानिधि एवं राज्य वित्त से 10 लाख रू0 से कम के कराये गये निर्माण कार्य-

आकड़े लाखो में

क्र0सं0	कार्य का नाम व पूर्व विवरण राज्य वित्त	अनुमानित लागत लाख रू0में)	व्यय धनराशि
1	ग्राम छानीकलां मे लिलवाही सं मार्ग से क0 पाठशाला के आगे की ओर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	7.48	7.44
2	ग्राम छानीकलां में कल्लू कहार के मकान से मुन्ना अनुरागी के मकान की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण	8.30	8.17
3	ग्राम छानीकलां में मेन रोड से कन्या पाठशाला की ओर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	9.74	9.68
4	ग्राम सुनैचा सम्पर्क मार्ग से छिवलहा वावा की ओर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	9.14	9.09
5	ग्राम कालीपहाड़ी से पूर्व मा0वि0 से गॉव की ओर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	9.47	9.33
6	ग्राम चन्दौली मे संतोष के मकान से पुलिया की ओर इण्टरलांकिग का कार्य	9.96	9.87
7	ग्राम चन्दौली मे लीला वहन के मकान से जयहिन्द पाठक के मकान की ओर इण्टरलांकिग का कार्य	9.98	9.87
8	ग्राम टिकरी में तालाब के पास मुख्य सड़क से देवी के मन्दिर की ओर इण्टरलांकिग का कार्य	9.97	5.78
9	ग्राम कुरारा डांग मे मदारन देवी के स्थान पर इण्टरलांकिग सड़क का निर्माण कार्य	9.89	9.64
10	ग्राम गौरहारी हरदौल लाला मन्दिर से तालाब धार तक इण्टरलाकिंग सडक का निर्माण कार्य	9.97	9.94
11	ग्राम हितरवारा मे मुख्य मार्ग से राज नारायण पाठक के खेत तक इण्टरलांकिग रोड निर्माण कार्य	9.99	9.95

12	ग्राम हितरवारा में राज नारायण पाठक के खेत से सागर सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण	9.99	9.95
13	ग्राम अमानपुरा मे जू0हा0 से देवेन्द्र सिंह के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य	9.98	9.78
14	ग्राम किल्हौआ मे खेल के मैदान से देवी जी मन्दिर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	9.99	9.92
15	ग्राम हत्तेसर से जिला पंचायत की सी0जी0 से काली माता मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	9.98	9.91
16	ग्राम सुचौरा से जिला पंचायत की सी0सी0 से काली माता मन्दिर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	9.97	9.96
17	ग्राम सुरहा में गांव की सी0सी0 से गौशाला के सी0सी0 के आगे की ओर निर्माण कार्य	9.92	9.89
18	ग्राम कहरा में मेन रोड सें शिवगजाधर जू0 हा0 स्कूल का ओर इण्टर लाकिंग का निर्माण कार्य	9.19	9.16
19	ग्राम सिलारपुरा में बब्लू कुशवाहा के मकान से कारक देव की ओर इण्टर लाकिग का निर्माण	9.94	9.88
20	ग्राम मामना में मेन रोड में सुदामा के मकान की ओर इण्टर लाकिंग का निर्माण	9.97	9.92
21	ग्राम शाहपहाडी मेंन रोड से गांव की ओर इण्टर लाकिंग निर्माण का कार्य	9.97	9.96
22	ग्राम जतौरा में रामप्रकाश अहि0 के मकान से धनिराम अहिरवार मकान की ओर इण्टर लाकिंग	9.94	9.54
23	वरय में इन्द्रपाल सिंह के दरवाजे की ओर इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	9.97	9.92
24	वरांय में बगिया से इन्द्रपाल सिंह के दरवाजे से बाबा की ओर इण्टर लाकिंग निर्माण कसर्य	9.97	9.94
25	ग्राम बरदा में बडे हनुमान जी मंदिर की ओर इण्टर लाकिंग निर्माण	9.96	9.88
26	ग्राम इमली खेडा मे डामर रोड से वजरंग वाली मंदिर तक इण्टर लाकिंग सडक निर्माण कार्य	9.96	9.77
27	ग्राम वम्हौरी कला में भवानीदीन के मकान के समाधि स्थल तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	9.86	9.80
28	ग्राम पनवाडी में बुडेरा सं0 मार्ग से नारायन के खेत तक इण्टर लाकिंग का निर्माण कार्य	9.98	9.52
29	ग्राम पनवाडी में नारायन के खेत से पानी की टंकी तक इण्टर लाकिंग का निर्माण कार्य	9.98	9.88
30	ग्राम धरवार में सिद्व बाबा रोड से शमशान घाट तक इण्टर लाकिंग का निर्माण कार्य	9.99	9.96
	योग-	**292.4**	**284.3**
	जिला निधि		
31	ग्राम श्रीनगर में ग्यादीन के खुडे से ग्यासी कुशवाहा के खुडे की ओर इएटर लाकिंग कार्य	9.94	9.82
32	ग्राम अतरा माफ में श्यामलाल कुशवाहा के मकान से सरमन की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	9.96	9.94
33	ग्राम अस्थौन में मैन रोड से जवाहार कें मकान की ओर इण्टर लाकिंग सडक निर्माण कार्य	9.87	9.84
34	ग्राम कुशरमा में मैन रोड से राम प्रकाश के घर की ओर इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	9.89	9.72
35	ग्राम वासी मैन रोड से गौरइया माता मंदिर की ओर लाकिंग का निर्माण	9.96	9.88
36	ग्राम सिजहरी में बाबू पाल के मकान से रामपाल के मकान की ओर इण्टर लाकिंग	9.97	9.93
37	ग्राम सिजहरी मे पवा रोड से पप्पू ढीमर के मकान की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	9.97	9.95
38	ग्राम बरभोली में मेंन रोड से ओमप्रकाश के खेत की ओर इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	9.94	9.91
	योग-	**79.5**	**78.99**
	कुल योग-	**371.9**	**363.29**

जनपद-बहराइच मण्डल - देवीपाटन

वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत बहराइच में उदघटित अपहरण, दुरूपयोग तथा अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरण:-

आपत्तियों का विवरण वर्ष 2021-22

प्रस्तर-1 लखनऊवा कोठार में सियारामपुरवा खड़ण्जा से कोठार रिक्खीरामपुरवा तक सोलिंग निर्माण कार्य पर बिल सं0 14 दिनांक 01.2021 से रु0 649712.00 एवं बिल सं0 39 दिनांक 03.2022 से रु0 227248.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री सरताज ट्रेडर्स की निविदा जो विभागीय दर से 01 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार ह्वील ट्रेक नहीं पाया गया। जबकि इस्टीमेट में इस पर 1161.16 घनमी0 मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इसप्रकार 1161.16 घनमी0, रु0 86.00 प्रति घनमी0 की दर से रु0 99860.00 का व्यय संदिग्ध है।

3. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार साइड पैट्रेस पर मिट्टी नहीं डाली गयी है।जबकि इस्टीमेट में इस पर 162 घनमी0

मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इसप्रकार 162 घनमी0, रु0 86.00 प्रति घनमी0 की दर से रु0 13932.00 का

व्यय संदिग्ध है।

4. मिट्टी के कार्य में स्लोप नहीं लिया गया है।

5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान रु0 876960.00 जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किया गया जो अनियमित एवं वसूली योग्य है। उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2)के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति सं0 22)

प्रस्तर-2 ग्राम भग्गड़वा (मासूपुर) में शीमल के मकान मस्जिद होकर हरीशचन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर वायचर सं0 5 दिनांक 26.07.21 से रु0 419440.00 एवं प्रथम बिल से रु0 562020.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री फरीद अहमद की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.02 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. कार्य के पूर्व एवं कार्य के समय का फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं लगाया गया है।

3. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ, कार्य पूर्ण होने के बाद का ही प्राप्त रहा। कार्य से पूर्व का फोटोग्राफ पतावली में नहीं लगाया गया है जिससे निर्मित मार्ग की वास्तविक स्थिति अज्ञात रही।

4. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 20 रोड वर्क के क्र0सं0 8 अनुसार इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड का शिड्यूल आफ रेट 718.00 प्रति वर्गमी0 रहा। जबकि बिल में इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड रु0 821.00 प्रति वर्गमी0 की दर से गणना किया गया है। इस प्रकार 577.70x103.00=59503.00 अधिक व्यय दर्शाया गयाहै। जो अपहरण एवं वसूली योग्य है।

5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया कुल भुगतान 981460.00 में से अधिक भुगतान रु0 59503.00 अपहरण एवं वसूली योग्य है जबकि रू0- 921957.00 अनियमित भुगतान है। जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार अपहरण/अनियमित एवं वसूली योग्य है।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अपहरण/अनियमित हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता,अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 23)

प्रस्तर-3 समय ठेके का सारतत्व है। ठेकेदार टेण्डर में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा। इस अवधि की गणना उस दिनांक से की जाएगी जब ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया जाय। निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित अधिकांश परियोजनाएं समय से पूर्ण नहीं हुई हैं। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-2 खण्ड-2(ग) के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूरा न होने पर ठेकेदार विलम्ब के लिये प्रतिकर के रुप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो सम्पूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत की धनराशि के एक प्रतिशत के बराबर होगी। प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि टेण्डर में दिखाई गयी निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत से अधिक न होगी। अधिकांश निर्माण कार्यों का समय, स्थल-विवाद दर्शाकर बढ़ाया गया है। किन्तु विवाद सम्बन्धी कोई प्रपत्र/सहमति पत्र/समझौता प्रपत्र आडिट दौरान पत्रावलियों में नहीं मिला।

क्रम	परियोजना का नाम	वाउचर/बिल सं0/दिनांक	निर्माण पर लागत की धनराशि	प्रतिकर की कटौती जो बिल से की गयी	प्रतिकर की कटौती जो बिल से कम की गयी
1	ग्रा0पं0 सिसैया में नान्दभार से मिश्रनपुरवा जाने वाले मार्ग पर होली यादव के खेत के पास आर.सी.सी .पुलिया निर्माण	17/15.01.22 16/15.03.22	983136.00	1000.00	8831.00
2	ग्रा0पं0 रमवापुर खुर्द में चहलारीघाट मार्ग से झूनेदास कुट्टी सम्पर्क मार्ग पर जिलेराम यादव के घर के पास आर.सी.सी . पुलिया निर्माण	28/15.01.22 52/25.03.22	962640.00	1000.00	8626.00
3	ल्खनऊवा कोठार में सियारामपुरवा खड़ण्जा से कोठार रिक्खीरामपुरवा तक खड़ण्जा निर्माण	14/01.2021 39/03.2022	965888.00	1000.00	8659.00
4	ग्रा0पं0 केवलपुर में डामर रोड से केवलपुर सी.सी .रोड तक खड़ण्जा निर्माण	87/08.01.21 52/10.2021	603767.00	1000.00	5037.00
5	ग्रा0पं0 हरदी में लखनापुर हरदी सम्पर्क मार्ग से जिला पंचायत काजी हाउस के मुख्य गेट तक इण्टरलाकिंग निर्माण	21/04.2022	368816.00	-	3688.00
				योग	34841.00

अतः ठेकेदारों से विलम्ब प्रतिकर के रुप में रु0 34841.00 की कटौती न करके संस्था को क्षति पहुचायी गयी है। जो दुरुपयोग है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 24)

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत सोनरहा में जोलाही से लालपुर जाने वाले मार्ग पर बाबू शुक्ला के खेत के पास आर.सी.सी. पुलिया पर बिल सं0 20 दिनांक 15.01.22 से रु0 628208.00 एवं बिल सं0 41 दिनांक 03.2022 से रु0 341152.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स जी0एन0 का0 की निविदा जो विभागीय दर से 0.5 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में एमएम 11 गिट्टी 18 घनमी0 दिनांक 13.08.21 का लगा है जिसका डिलिवरी एड्रेस जनपद गोण्डा है। जबकि कार्य जनपद बहराइच में कराया जा रहा है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. मेसर्स का जो पंजीयन प्रमाण पत्र पत्रावली में लगा है उसकी वैद्यता दिनांक 22.10.20 तक ही है जबकि कार्य अवधि बाद की तिथियों का है। इसप्रकार कार्य की स्वीकृति ही अनियमित रही।

4. मेसर्स का जो हैसियत प्रमाण पत्र पत्रावली में लगा है उसकी वैद्यता दिनांक 22.10.20 तक ही है जबकि कार्य अवधि बाद की तिथियों का है। इसप्रकार कार्य की स्वीकृति ही अनियमित रही।

5. मेसर्स का जो चरित्र प्रमाण पत्र पत्रावली में लगा है उसकी वैद्यता दिनांक 08.09.21 तक ही है जबकि कार्य दिनांक 31.03.22 तक कराया गया है। इसप्रकार कार्य की स्वीकृति ही अनियमित रही।

6. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान रु0 969360.00 जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किया गया जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति सं0 25)

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत केवलपुर डामर रोड से केवलपुर सी.सी. रोड तक खड़ण्जा निर्माण कार्य पर बिल सं0 87 दिनांक 08.01.21 से रु0 498736.00 एवं बिल सं0 52 दिनांक 10.2021 से रु0 104944.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स ए0 एस0 कां0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.005 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में कार्य से पूर्व एवं पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। कार्य के दौरान का फोटोग्राफ अप्राप्त रहा जिससे ह्वील ट्रेक पर 823.23 घनमी0 मिट्टी पटायी पर व्यय धनराशि रु0 70798.00 संदिग्ध एवं अनियमित पाया गया। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. स्थल विवाद दर्शाकर कार्य को समय से पूर्ण नहीं किया गया। जो आपत्तिजनक रहा।

4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान रु0 603680.00 जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किया गया जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति सं0 26)

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत हरदी में लखनापुर हरदी सम्पर्क मार्ग से जिला पंचायत काजी हाउस के मुख्य गेट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर बिल सं0 21 दिनांक 04.2022 से रु0 368816.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.34 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। कार्य से पूर्व एवं कार्य के उौरान का फाटोग्राफ प्राप्त नहीं रहे जी0एस0बी0 लगाते समय का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। जिससे जी0एस0बी0 पर व्यय धनराशि रु0 103121.51 संदिग्ध एवं अनियमित पाया गया। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. कार्य के दौरान का फोटोग्राफ अप्राप्त रहा जिससे ह्वील ट्रेक पर 124.25 घनमी0 मिट्टी पटायी पर व्यय धनराशि रु0 20016.68 संदिग्ध एवं अनियमित पाया गया। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

4. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान रु0 368816.00 जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किया गया जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति सं0 27)

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत केवलपुर हाइवे रोड से खुशली गांव जाने वाले मार्ग पर बाग खड़ण्जा तक सोलिंग निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 11 दिनांक 09.2021 से रु0 116032.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स ए0एस0 कां0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.005 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में कार्य से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। फोटोग्राफ अनुसार ह्वील ट्रेक नहीं पाया गया किन्तु ह्वील ट्रेक पर 1158.31 घनमी0 मिट्टी पटायी गयी जिस पर रु0 99614.66 का व्यय किया गया जो संदिग्ध एवं अनियमित है एवं वसूली योग्य है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. स्थल विवाद दर्शाकर कार्य को समय से पूर्ण नहीं किया गया। जो आपत्तिजनक रहा।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रु0 116032.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 28)

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत डढैला के रानीपुर बन्धा डामर रोड से अकबरपुर मार्ग पर बन्धा के किनारे आर.सी0सी. पुलिया निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 06 दिनांक 08.2021 से रु0 189056.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स अवध कान्स0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.019 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में एमएम 11 गिट्टी 18 घनमी0 दिनांक 13.08.21 का लगा है जिसका डिलिवरी एड्रेस जनपद गोण्डा है। जबकि कार्य जनपद बहराइच में कराया जा रहा है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. मेसर्स का जो पंजीयन प्रमाण पत्र पत्रावली में लगा है उसकी वैद्यता दिनांक 22.10.20 तक ही है जबकि कार्य अवधि बाद की तिथियों का है। इसप्रकार कार्य की स्वीकृति ही अनियमित रही।

4. मेसर्स का जो हैसियत प्रमाण पत्र पत्रावली में लगा है उसकी वैद्यता दिनांक 22.10.20 तक ही है जबकि कार्य अवधि बाद की तिथियों का है। इसप्रकार कार्य की स्वीकृति ही अनियमित रही।

5. मेसर्स का जो चरित्र प्रमाण पत्र पत्रावली में लगा है उसकी वैद्यता दिनांक 08.09.21 तक ही है जबकि कार्य दिनांक 31.03.22 तक कराया गया है। इसप्रकार कार्य की स्वीकृति ही अनियमित रही।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रु0 189056.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है। उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अयिमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 29)

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत बसहिया जगत जहांगीरपुरवा डामर रोड से लोनियनपुरवा जाने वाले मार्ग पर खड़ण्जा निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 5 दिनांक 08.2021 से रु0 276080.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स अवध कां0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.018 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में कार्य से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। मिट्टी डालते समय का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। जिससे मिट्टी पर व्यय धनराशि रु0 85176.00 का भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित पाया गया। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रु0 276080.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता,अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 30)

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत गुलरा के मजरा मुडकोटवा गुजरा से गोशाईपुरवा मार्ग पर कोरी लाल मौर्या के बगल गावट माता स्थान से अनिल कुमार मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 60 दिनांक 07.2021 से रु0 56000.00 एवं प्रथम बिल से रु0 414493.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स राम चरन ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.10 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में कार्य से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। जी0एस0बी0 लगाते समय का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। जिससे जी0एस0बी0 पर व्यय धनराशि रु0 124439.99 संदिग्ध एवं अनियमित पाया गया। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 20 रोड वर्क के क्र0सं0 8 अनुसार इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड का

शिड्यूल आफ रेट 718.00 प्रति वर्गमी0 रहा। जबकि बिल में इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड रु0 814.70 प्रति वर्गमी0 की दर से गणना किया गया है। इसप्रकार 321.72x96.70=31110.00 अधिक व्यय दर्शाया गयाहै। जो अपहरण एवं वसूली योग्य है।

4. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रु0 31110.00 अपहरण एवं वसूली योग्य है।कुल भुगतान 470493.00 में से रू0-439383.00 उक्त कार्य पर अनियमितता के रूप में हैजो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अपहरण/अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह,अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 31)

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत कलुआपुर में बड़हिनपुरवा से प्राथमिक विद्यालय बलचन्दपुर तक खड़ण्जा निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 12दिनांक 07.2021 से रु0 996128.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स उग्रसेन सिंह ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.27 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। जिससे ह्वील ट्रेक की स्थिति अज्ञात रही किन्तु ह्वील ट्रेक पर 1823.44 घनमी0 मिट्टी पटायी गयी जिस पर रु0 133693.00 का व्यय किया गया जो संदिग्ध रहा जो अनियमित एवं वसूली योग्य है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रु0 996128.00 अनियमित एवं वसूली योग्य हैं।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 32)

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत नरायनपुरकला में डामर रोड से तपसी बाबा कुट्टी तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 53 दिनांक 07.2021 से रु0 523264.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स बदलूराम ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.12 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में कार्य से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। जी0एस0बी0 लगाते समय का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। जिससे जी0एस0बी0 पर व्यय धनराशि रु0 135385.56 संदिग्ध एवं अनियमित व वसूली योग्य है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रु0 523264.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है।उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत

(बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 33)

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत गौरिया के नौवनपुरवा में डामर रोड से राममिलन के घर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर बिल सं0 68 दिनांक 29.01.22 से रु0 801472.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स महादेव सिंह ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.05 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. पत्रावली में कार्य के पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। बिक्र मसोनरी वर्क लगाते समय का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। जिससे बिक्र मसोनरी वर्क पर व्यय धनराशि रु0 101252.90 संदिग्ध एवं अपहरण योग्य है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये कुल भुगतान रू0-801472.00 में सेरु0 101252.00 अपहरण एवं वसूली योग्य हैं एवं शेष धनराशि रू0-700220.00 अनियमितता के रूप में है। उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2)के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अपहरण/अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति सं0 34)

प्रस्तर-14 ग्राम सोनरई में रमजान खां के मकान से मस्जिद होकर शहजाद के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 03 दिनांक 26.07.21 से रु0 470064.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1.उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री एस.के. ट्रेडर्स की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.02 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 20 रोड वर्क के क्र0सं0 8 अनुसार इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड का शिड्यूल आफ रेट 718.00 प्रति वर्गमी0 रहा। जबकि बिल में इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड रु0 815.00 प्रति वर्गमी0 की दर से गणना किया गया है। इसप्रकार 548.52x97.00=53306.00 अधिक व्यय दर्शाया गया है। जो अपहरण एवं वसूली योग्य है।

3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये कुल भुगतान रू0-470064.00 में से रु0 53306.00 अपहरण एवं वसूली योग्य है एवं शेष धनराशि रू0- 416758.00 वित्तीय अनियमितता के रूप में है जोउ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अपहरण/अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह,अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 36)

प्रस्तर-15ग्राम पचपुरवा में प्रधान के मकान से सिकन्दर की दुकान होकर जलील खां, सुबराती तथा गुलाम रसूल के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 06 दिनांक 26.07.21 से रु0 399168.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री फरीद अहमद की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.04 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 20 रोड वर्क के क्र0सं0 8 अनुसार इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड का शिड्यूल आफ रेट 718.00 प्रति वर्गमी0 रहा। जबकि बिल में इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड रु0 815.00 प्रति वर्गमी0 की दर से गणना किया गया है। इसप्रकार 578.28x97.00=56093.16 अधिक व्यय दर्शाया गया है। जो अपहरण एवं वसूली योग्य है।

3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये कुल भुगतान रू0-399168.00 में से रु0 56093.00 अपहरण एवं वसूली योग्य है एवं शेष भुगतान की धनराशि रू0- 343075.00 वित्तीय अनियमितता के रूप में है जोउ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अपहरण/अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 37)

प्रस्तर-16 ग्राम इटकौरी में डामर रोड से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 07 दिनांक 26.07.21 से रु0 281232.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1. उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री फरीद अहमद की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.07 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 20 रोड वर्क के क्र0सं0 8 अनुसार इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड का शिड्यूल आफ रेट 718.00 प्रति वर्गमी0 रहा। जबकि बिल में इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड रु0 815.00 प्रति वर्गमी0 की दर से गणना किया गया है। इसप्रकार 397.60x97.00=38567.20 अधिक व्यय दर्शाया गया है। जो अपहरण एवं वसूली योग्य है।

3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये कुल भुगतान रु0- 281232.00 में से रू0- 38567.20 अपहरण एवं वसूली योग्य है शेष धनराशि रू0- 242665.00 वित्तीय अनियमितता के रूप में है जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अपहरण/अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह,अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति सं0 38)

प्रस्तर-17ग्राम बलिदानपुरवा में डामर रोड से महफूज के मकान तक, बालू के मकान तक तथा आरिफ के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 10 दिनांक 26.07.21 से रु0 256496.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी -

1.उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री फरीद अहमद की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.05 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

2. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 20 रोड वर्क के क्र0सं0 8 अनुसार इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड का शिड्यूल आफ रेट 718.00 प्रति वर्गमी0 रहा। जबकि बिल में इण्टरलाकिंग 80 एमएम रबर मोल्डेड रु0 815.00 प्रति वर्गमी0 की दर से गणना किया गया है। इसप्रकार 412.60x97.00=40022.20 अधिक व्यय दर्शाया गया है। जो अपहरण एवं वसूली योग्य है।

3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तें का प्रारुप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किया गया कुल भुगतान रु0- 256496.00 में से रू0- 40022.20 अपहरण एवं वसूली योग्य है एवं शेष धनराशि रू0- 216474.00 वित्तीय अनियमितता के रूप में है जोउ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अपहरण हेतु उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति सं0 39)

जनपद- बलरामपुर मण्डल -देवीपटन

परिशिष्ट-1

जिला पंचायत- बलरामपुर (ऑडिट वर्ष - 2021-22)

प्रस्तर संख्या-1

01 -आलोच्य वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा निम्न विवरण के अनुसार डेली वेज बेलदार व मजदूर / मेट रखकर कार्य कराया गया है तथा मजदूरी का भुगतान किया गया है -

उक्त भुगतान की गई धनराशि पर लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां हैं-

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01-09-2008 से कर्मकारों के वेतन/मजदूरी का भुगतान संस्था द्वारा सीधे उनके खाते में किया जाना था किन्तु जिला पंचायत द्वारा समस्त कर्मकारों की मजदूरी का भुगतान अभियन्ता के नाम चेक जारी करके किया गया है। जो राज्य सरकार की वर्णित व्यवस्था के प्रतिकूल रहा ।

(2) जिला पंचायत द्वारा समस्त कार्य निविदा के आधार पर ठेकेदारों से कराया गया है। किन्तु बिना कोई आधार या औचित्य स्पष्ट किये पटरी संरक्षण का कार्य अभियन्ता के देख-रेख में मेट/मजदूरों से कराकर भुगतान किया गया ।

(3) कराये गये कार्यो की न तो कोई योजना बनाकर बोर्ड की बैठक में पारित कराया गया और न ही कराये गये कार्यो की नियोजन/निर्माण समति के संज्ञान में लाकर नियमित पुष्टि कराई गई है।

(4) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के प्रस्तर 49 (1) के प्रावधान के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा दैनिक श्रमिकों द्वारा किये गये कार्यों के लिए निर्धारित प्रारूप (निर्माण कार्य 12) में श्रमिक-चिट्ठों का रख-रखाव किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिये एक या एक से अधिक श्रमिक चिट्ठे रखे जा सकते है किन्तु श्रमिक चिट्ठों को कभी भी दो प्रति में नहीं बनाया जाना चाहिए। श्रमिकों को कार्य-स्थल पर कार्य अवधि में उनकी उपस्थिति के सत्यापन के पश्चात ही

भुगतान करना चाहिए। अग्रेतर कार्य की प्रत्येक अवधि के भुगतान के लिए आवश्यक रूप से पृथक श्रमिक- चिट्ठा बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त जांच सुनिश्चित किये बिना श्रमिक चिट्ठों पर भुगतान को प्राधिकृत करने के परिणामस्वरूप, श्रमिक चिट्ठे की दोहरी प्रति बनाने एवं श्रमिकों को संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

अस्तु उपरोक्त दर्शित कार्यो पर व्यय रू0 620700.00 का भुगतान अनियमित रहा जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्याका दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या-2</u> शासनादेश संख्या 315/10-02-(9) दिनांक 19-03-1997 के द्वारा सरकारी स्थानीय निकायों तथा सर्वजनिक उपक्रमों में ऐसे अध्किारियों जिन्हे राजकीय / संस्था वाहन (बोलेरो) आवंटित है के वेतन से प्रतिमाह रूपये 800 कटौती करके राजकीय कोष/ जिला निधि कोष जमा करने का प्राविधान है । लेकिन जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में अपर मुख्य अधिकारी को उपलब्ध कराये गये बोलेरो वाहन के लिए प्रतिमाह वेतन से रूपये 800.00 की कटौती करके जिला निधि में जमा नही कराया गया है । इस धनराशि के स्थान पर रूप ये 400.00 की कटौती प्रतिमाह की गई हैा अस्तु रूपये 400.00 प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह का रू0 4800.00 की अवशेष कटौती कर जिला निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार वेतन बिल से कटौती न किय जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्या का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या- 03</u>- लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत प्रांगण में स्थित कर्मचारी /अधिकारी वर्ग के आवासों की साज-सज्जा एवं मरम्मत पर 1801914.00 रू0 का व्यय किया गया हैा

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तिया रही–

(i) संदर्भित कार्य पर व्यय राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किया गया। अनुदान क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्राप्त हुआ था न कि साज-सज्जा पर व्यय किये जाने के लिए प्राप्त था।

(ii) उक्त प्रकार के कार्य निजी स्रोत से प्राप्त धनराशि से कराया जाना चाहिए।

(iii) आवास विशेष पर इतनी बड़ धनराशि व्यय करके प्राप्त अनुदान का दुरूपयोग किया गया है

अस्तु स्पष्ट है कि विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग नियम विपरीत कार्य करके राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान का दुरूपयोग किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्या का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या- 04</u>- दौरान लेखा परीक्षा तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत प्रांगण में कुल 19 अधिकारी और कर्मचारी आवास आवंटित हैं। जिसमें जिला पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी रहते हैं। आवासों में न तो सरकारी आवासों की भाँति बिजली के सब मीटर लगाकर बिजली का बिल वसूल किया

जा रहा है और ना ही वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जा रहा है। जिससे जिला पंचायत को हजारों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंच रही है। प्रकरण गंभीर है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार वर्ष में रू0 581071.00 का विघुत बिल का भुगतान संस्था द्वारा किया गया बिघुत बिल में कर्मचारी / अधिकारी आवासों का भी बिजली बिल सम्मिलित है। कर्मचारी / अधिकारी आवासों से बिजली बिल के सापेक्ष नाममात्र की वसूली की जा रही हैा कार्यालय के अतिरिक्त आवासों में भी एयरकण्डीशनर लगाया गया है जिससे संस्था द्वारा अधिक बिजली बिल का भुगतान किया जा रहा हैा यदि कार्यालय का अनुमानित बिघुत बिल रू0 20000.00 प्रतिमाह मान लिया जाये तो आवासीय विघुत बिल का भुगतान संस्था द्वारा किये जाने से संस्था को लगभग अनुमानित रू0 341071.00 की क्षति हो रही है। इस प्रकार संस्था को रू0 341071.00 का अधिक भुगतान कर संस्था की छति की गयी है।जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्या का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या- 05</u>- पंचायती राज अनुभाग दो के शासनादेश संख्या 866 /33-2-14-93G/2004 टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या (03) के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदान उसे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराएंगे। साथ ही तीनों पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अतिक्रमण की संभावना व्यक्त करते हुए अतिक्रमण की दशा में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में अन्तरिम आपत्ति के क्रम में अवगत कराया गया कि उक्त कार्य बोर्ड द्वारा पारित है संस्था का उत्तर मान्य नहीं रहा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम से सम्बन्धित विषयों को शामिल करते हुये प्रत्येक वर्ष एक जिला विकास योजना तैयार किया जाना था। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनायी गयी योजनाओं को जिला पंचायत से स्वीकृत कराने हेतु, जिला पंचायत को योजनाओं को समेकित करना था। राज्य सरकार ने जनवरी 2005 और जून 2014 में निर्देश जारी किये कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्यों का चयन संबंधित पंचायत की बैठकों में प्रस्तावों की स्वीकृति के द्वारा नियमानुसार किये जायेंगे और ऐसे प्रकरण अध्यक्ष या पंचायत के कुछ सदस्यों के विवेक पर नहीं छोड़ा जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायतों द्वारा संसाधनों के उपभोग हेतु वर्ष के प्रारम्भ में एक वार्षिक योजना तैयार करने के स्थान पर केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान के प्रत्येक किश्त (वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त दो किश्तों एवं राज्य सरकार से प्राप्त दो किश्तों) हेतु अलग से कार्ययोजना बना रहे थे। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को भी शामिल करते हुए वार्षिक जिला विकास योजना समेकित किया जा रहा था। लेकिन इस योजना में वित्त आयोग के अनुदान से कराये गये कार्यों के साथ अपने स्वयं के संसाधनों से कराये गये कार्यों को शामिल नहीं किया गया था । साथ ही योजनायें, योजना समितियों के माध्यम से नहीं बनायी गयी थी इस प्रकार किया गया कुल व्यय रू0 2494076.00 अनियमित है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्या का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा

क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या- 06</u> आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि काजी हाउस में निरूद्व पशुओं के चारा व मजदूरी मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय/ भुगतान किया गया है।

उक्त व्यय धनराशि एवं विवरण से स्पष्ट है कि काजी हाउस के संचालन पर उपलब्ध प्रदत्त लेखों के अनुसार चारा-भूसा मद में 1500930.00 रुपया एवं मजदूरी मद में 496196.00 का भुगतान किया गया जिस पर लेखा परीक्षा की प्रमुख आपत्ति निम्नवत है-

i- चारा भूसा का भुगतान संबंधित किसान/फर्म को एकाउंट पेयी चेक द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा ना करके लेखा मैनुअल में विहित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है और भुगतान नियमों का उल्लंघन करके चारा-भूसा पर व्यय धनराशि का भुगतान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर को कर दिया गया।

ii- काजी हाउस में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान उनके खाते में ना करके अपर मुख्य अधिकारी को किया गया जो समय-समय पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित विनियमों के विपरीत रहा।

इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 1997126.00 का अनियमित भुगतान किया गया है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्या का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या- 07</u> उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119 के 1961 अन्तर्गत जिला पंचायतें, सम्पत्ति एवं विभव कर, कर योग्य आय को तीन प्रतिशत की दर से ऐसे व्यक्तियों पर आरोपित करेंगे व वसूलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहतें या व्यवसाय करते हों। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अभिरोपण), निर्धारण तथा सम्पत्ति एवं विभव कर का संग्रहणनियम 1994 के नियम 8 (के अनुसार कर अधिकारी, जिला पंचायत में अनुमोदन एवं तत्पश्चात् बिलों को निर्गत किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष एक सूची तैयार करता है। जिला पंचायत के अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति को अपील दाखिल करने के लिये एक माह का नोटिस जारी किया जाये, यदि कोई हो । लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत में सम्पत्ति एवं विभव कर लागू कर सही तरीके से वसूल नही किया गया था। सम्पत्ति एवं विभव कर का निर्धारण और वसूली किया गया लेकिन अधिकश बकाया रह गया । निर्धारित कर एवं कम निर्धारित राजस्व के राजस्व की हानि हुई हैा जिला पंचायत बलरामपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सी0पी0 टैक्स के अर्न्तगत 1066550.00 की वसूली दर्शित है । लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खण्डवार मॉग व वसूली रजिस्टर कर अनुभाग द्वारा तैयार नही किया गया है । जबकि विगत वर्ष में सम्पत्ति एवं विभव कर के अर्न्तगत 1245120.00 की वसूली हुई थी । इस प्रकार गत वर्ष तुलना में रू0 178570.00 की कम वसूली व अगले वित्तीय वर्ष में उक्त बकाया धनराशि को डिमाण्ड में न पकडकर रू0 178570.00 की क्षति की गयी है जिस हेतु कर अधिकारी गौरव वाजपेयी व पटल सहायक सौरभ शुक्ला उत्तरदायी है। तत्कालीन कर अधिकारी का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली

1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या- 08</u> लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष 2021-22 के लाइसेन्स रजिस्टर की जाच में पाया गया कि वर्ष 2021-22 में रूपये 2418945.00 की वसूली हुई है जिसके सापेक्ष वर्ष 2020-21 में लाइसेंस मद से प्राप्त 2771605.00 की धनराशि अभिलेखों में दर्शित की गई है। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में रू0 352660.00 लाइसेंस शुल्क मद में कम वसूली की गई है। संस्था कद्वारा कम वसूली किये जाने का काई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार गत वर्ष तुलना में रू0 352660.00 की कम वसूली व अगले वित्तीय वर्ष में उक्त बकाया धनराशि को डिमाण्ड में न पकडकर रू0 352660.00 की क्षति की गयी है जिस हेतु कर अधिकारी गौरव वाजपेयी व पटल सहायक सौरभ शुक्ला उत्तरदायी है। तत्कालीन कर अधिकारी का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 09 पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1870/ 33-3-2020-33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 द्वारा 15 वें वित्तष आयोग के अर्न्ततगत जिला पंचायतों , क्षेत्र पंचायतों एंव ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैा 15 वे वित्त आयोग की संस्तुततियों के अर्न्तगत ग्रामीण निकायों को दो भागों में 50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अनटाईड ग्रान्टक (बेसिक अनुदान) के रूप में तथा 50 प्रतिशत धनराशि टाईड ग्रान्ट के रूप में अनुमन्य की गयी है। वित्त आयोग प्रभाग ,वित्त मंत्रालय ,भारत सरकार के पत्रांक-15 (2) एफ/ एफ.सी.एक्स./बी./एफ.सी.डी/2021 दिनांक 01-06-2020 तथा पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 जी.-39011/2 /2017 एफ.डी. दिनांक 02.07.2020 के अनुपालन में टाईड ग्रान्ट का उपभोग के क्षेत्र निर्धारित किये गये है जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये कार्यो की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत 15 वें वित्त आयोग की कैशबुक के अनुसार टाइड ग्राण्ट के अर्न्तगत ग्राम पंचायत नथइपुर कुंवर मे पुलिया एप्रोच निर्माण कार्य कराया गया है जो शासनादेशों के विपरीत है। स्पपष्टीकरण आपेक्षित रहा। टाइड ग्राण्ट से मात्र सेनिटेशन एवं पेयजल पर ही धनराशि व्यय की जा सकती है। इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 898163.00 का अनियमित भुगतान किया गया है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय लेखाकार श्री राजपति मौर्याका दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या- 10</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणकों की जाचं में पाया गया कि व्यय प्रमाणक सं0 188 दिनांक 20-01-2022 द्वारा रू0 23332.00 का भुगतान चेक सं0 533536 द्वारा किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय प्रमाणक सादे पन्ने का पाया गया संलग्न व्यय प्रमाणक के अनुसार उक्त भुगतान आडिट कार्यालय में वाटर सप्लाई कार्य के बावत किया गया है। समुचित व्यय प्रमाणक व स्वीकृति के अभाव में उक्त व्यय अनियमित रहा। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्याका दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत)

करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। ***(मूल आपत्ति सं0-12)***

<u>प्रस्तर संख्या- 11</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणकों की जाचं में पाया गया कि व्यय प्रमाणक सं0 16 दिनांक 01-02-2022 द्वारा रू0 11450.00 का भुगतान चेक सं0 533558 द्वारा किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय प्रमाणक सादे पन्ने का पाया गया संलग्न व्यय प्रमाणक के अनुसार उक्त भुगतान जिला पंचायत कार्यालय में सबमर्सिबल पम्प कार्य के बावत किया गया है। समुचित व्यय प्रमाणक व स्वीकृति के अभाव में उक्त व्यय अनियमित रहा। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्या का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या-</u><u>12</u> लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि व्यय प्रमाणक सं0 328 दिनांक 22-02-22 द्वारा श्रावस्ती टाइम्स को रू0 37500.00 का भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष श्रावस्ती टाईम्स द्वारा प्रस्तुत बिल सं0 474 / 06.01.2022 पर अपरलेखन पाया गया है। प्रस्तुत बिल में विज्ञापन की माप लम्बाई / चौडाई व दर की पुष्टि नहीं की जा सकी। शासन के निर्देशों के अनुसार सभी निविदा सूचनाओं को केवल निदेशक सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से ही प्रकाशित कराया जाना था जिसके लिये भुगतान भी सूचना विभाग से सत्यापन के उपरान्त ही किया जाना था। जिसका परिपालन नहीं किया गया। भुगतान के सापेक्ष प्रस्तुत बिल में समाचार पत्र की प्रति भी संलग्न नहीं रही। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि उक्त समाचार पत्र डी0ए0वी0पी0 के पैनल पर रजिस्टर्ड नहीं पाया गया जिससे समाचार पत्र की सरकुलेशन संख्या की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 37500.00 का अनियमित भुगतान किया गया है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्याका दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या- 13</u> उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अधिरोपड (निर्धारण तथा सम्पत्ति एवं विभव कर का संग्रहरण 1994 नियम) नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया निम्न लिखित ईट भठठो से सम्पत्ति व विभव कर की वसूली करते हुये रजिस्टर में लेखा नहीं किया गया था संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टर पर ईट भठठों से वसूली का विवरण अपूर्ण है जो आपत्ति जनक रहा।

सम्पत्ति व विभव कर की वसूली न किये जाने से रू0 6000.00 प्रति भठठा की दर से रू0 48000.00 की क्षति की गयी है। जिस हेतु कर अधिकारी गौरव वाजपेयी व पटल सहायक सौरभ शुक्ला उत्तरदायी है। तत्कालीन कर अधिकारी का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या-14</u> विकास खण्ड तुलसीपुर में ग्राम पंचायत ललिया रोड के दक्षिणी महाराजगंज बेला मार्ग से रामस्वरूप पुरवा की ओर अनुरक्षण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य के सापेक्ष कुल 06 निविदायें प्राप्त हुयी जिसके सापेक्ष चार्ट के अनुसार सबसे कम दर के आधार पर श्री रामगोपाल वर्मा आर0 जी0 कान्ट्रक्सन ठेकेदार को रू0 735920.00 का ठेका स्वीकृत किया गया था। 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि 16000.00 यू0टी0आर0 से जमा है। ठेकेदार को 8 प्रतिशत धरोहर राशि एवं 1.25 प्रतिशत स्टाम पेपर जमा करने हेतु कार्यक्रय के पत्र सं0 228 / 19.12.2020 द्वारा सूचित किया गया था। किन्तु ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य की असमर्थता व्यक्त करते हुए निविदा वापस लेने का अनुरोध किया गया जिस पर टेन्डर को नियमानुसार निरस्त किया जाना था,एवं आर0जी0 कान्सटक्सन के विरूद्ध ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही एवं रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाना चाहिए था। पुन निविदा कराने के स्थान पर द्वितीय निविदादाता श्री विलाल अहमद को ही ठेका प्रदान कर दिया गया,जो नियमों के विरूद्ध रहा। इस प्रकार ठेकेदार श्री बिलाल अहमद द्वारा उक्त कार्य को रू0 782000.00 में पूर्ण किया गया इस प्रकार रू0 46080.00 का अधिक भुगतान किया गया। साथ ही ठेकेदार की जमानत राशि रू0 16000.00 का भुगतान कर संस्था को कुल रू0 62080.00 की क्षति पहुचायी गयी है। जिस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार मालवीय व तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती रमावती जिम्मेदार है।

जनपद-गोण्डा **मण्डल-देवीपटन**

प्रारूप 02

ज़िला पंचायत गोंडा

प्रस्तर संख्या- 01

विभिन्न विभागों को आवंटित भवन के किराया पावने का विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	कार्यालय /व्यक्ति	01.04.2021 को किराया अवशेष	वर्ष की मांग	योग	कुल वसूली	अवशेष
1	बी0 एस0 ए0 गोंडा	100103.00	2388.00	102491.00	0.00	102491.00
2	प्रधानाचार्य राजकीय बलिका इ0 कालेज	67626.00	2808.00	70434.00	0.00	70434.00
3	प्रबंधक आदर्श विद्या आदर्श विद्या समिति, नवाबगंज	4314.00	8328.00	129:42.00	0.00	12942.00
4	बी0 एस0 ए0 गोंडा	350467.00	8712.00	359179.00	0.00	359179.00

5 अर्जुन प्रसाद तिवारी	15345.00	1500.00	16845.00	0.00	16845.00
6वीरेन्द्र	5441.00	1704.00	7145.00	0.00	7145.00
	543296.00	25740.00	569036.00	0.00	569036.00

शासनादेश सं0-3689/33-3-217 जी0/96 पंचायतीराज अनुभाग-3, दिनांक 09.07.1996 के बिन्दु (च) में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्धारित अवधि में आवास/ निरीक्षण गृह खाली न किए जाने पर मानक किराया का चार गुना या बाजार मूल्य किराया का दूना, जो भी अधिक हो आवंटियों से वसूल किया जाना था। उपरोक्त वर्णित किराएदारों से वसूली नहीं हो रही है, न तो उनके विरूद्व आवास खाली कराए जाने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है। इस कारण संस्था को रू0 569036.00 की क्षति उठानी पड़ रही है। रू0 543296.00 की आपत्ति वर्ष 2020-2021 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की जा चुकी है। संस्था द्वारा बताया गया कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 25740.00 की वर्ष की वसूली न करने के कारण संस्था को रू0 25740.00 आर्थिक क्षति हुई है। अतः उ0 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत रू0 25740.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। इनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 02

जिला पंचायत गोंडा के विभिन्न विकास खण्डों में स्थित ईंट भटठों के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत के राजस्व निरीक्षकों/सहायक राजस्व निरीक्षकों/कर समाहर्ताओं द्वारा अपने - अपने विकास खण्डों में स्थित ईंट भटठों से सम्पत्ति एवं विभव कर के बकाए की वसूली नहीं की जा रही है। कर लिपिक द्वारा जो रजिस्टर तैयार किया गया है उसमें कुछ फर्मों में पिछले बकाए के विवरण को नहीं दर्शाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिला पंचायत गोंडा के विभिन्न विकास खण्डों में स्थिर्त इंट भटठों पर 31.03.2021 को बकाया, वर्ष की मांग, वर्ष की वसूली एवं वर्षान्त में अवशेष का विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	वि0 ख0 में स्थित ईंट भटठाकी सं0	31.03.2021 को बकाया	वर्ष की माँग	योग	वर्ष की वसूली	अवशेष
1	छपिया	37	396000.00	202000.00	598000.00	190000.00	408000.00
2	बभनजोत	28	306000.00	168000.00	474000.00	76000.00	398000.00
3	इंटियाथोंक	14	150000.00	84000.00	234000.00	42000.00	192000.00
4	रूपई डीह	17	84000.00	102000.00	186000.00	48000.00	138000.00
5	मुजेहना	36	456000.00	216000.00	672000.00	82000.00	590000.00

6	कटरा बाजार	20	348000.00	120000.00	468000.00	72000.00	396000.00
7	हलधरमउ	16	96000.00	96000.00	192000.00	42000.00	150000.00
8	झंझरी	34	296000.00	202000.00	498000.00	96000.00	402000.00
9	पडरी कृपाल	9	42000.00	54000.00	96000.00	48000.00	48000.00
10	मनकापुर	15	208000.00	90000.00	298000.00	226000.00	72000.00
11	नवाबगंज	2	22000.00	6000.00	28000.00	0.00	28000.00
12	तरबगंज	5	68000.00	30000.00	98000.00	18000.00	80000.00
13	वजीरगंज	11	124000.00	66000.00	190000.00	106000.00	84000.00
14	करनैलगंज	9	0.00	54000.00	54000.00	54000.00	0.00
15	परसपुर	19	78000.00	114000.00	192000.00	78000.00	114000.00
16	बेलसर	21	234000.00	126000.00	360000.00	90000.00	270000.00
योग		293	2880000.00	1758000.00	4638000.00	1268000.00	3370000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि करनैलगंज विकास खण्ड को छोड.कर शेष विकास खण्डों के सम्पत्ति एवं विभव कर के बकाया की वसूली नहीं की जा रही है। विकास खण्ड छपिया, मुजेहना ,बभनजोत, इटियाथोंक, झंझरी, बेलसर, कटराबाजार इत्यादि में कुछ फर्मों से वसूली 6 वर्ष से अधिक का बकाया है। इससे स्पष्ट है कि सम्पत्ति एवं विभव कर के बकाया की वसूली नहीं की जा रही है। अतः आंकड़ों से स्पष्ट है जो वर्ष की मांग लगी है उसकी भी वसूली नहीं हो पा रही है। जबकि पिछला बकाया ही 2880000.00 है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनवर्ष 2020-21 में रू0 1722000.00 की अनियमितता की आपत्ति की जा चुकी है। इस प्रकार रू0 3370000.00 -रू0 1722000.00 अर्थात रू0 1648000.00 की धनराशि की वसूली फर्म मालिकों से न कर संस्था को रु0 1648000.00 की क्षति पहुँचाई गयी। जो उ0 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 1648000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चैधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 03

कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत गोण्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे मोबाईल टावरों को नियंत्रित करने हेतु सं0-2493/एल0बी0ए0 (उप दरों/(संशोधन-2013, उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम,1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत दिनांक 04.09.2013 को उपविधि में संशोधन किया गया था। इस संबंध में टावरों को नियंत्रित करने एव संशोधित दरों को लागू करने हेतु सं0-2990/एल0बी0 एस0/ उप विधि/2014 दिनांक 31.05.2014 द्वारा प्रकाशन किया गया था। मोबाईल टावरों को नियंत्रित करने हेतु उपविधि के बिन्दु सं0 08 के अनुसार प्रत्येक टावर प्रोपराईटर को रु0 25000.00 प्रतिवर्ष

लाइसेंस शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात ही जिला पंचायत के परिधिगत मोबाईल टावर लगाए जाने की स्वीकृति प्राप्त होनी थी। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 240 में निहित प्रावधानों के अनुरुप उपविधि का उल्लंधन करनें एवं न्यायालय द्वारा दोष सिद्व होने पर जिला पंचायत द्वारा रु0 1000.00 का अर्थदण्ड लगाया जाना था।तथा प्रथम दोष सिद्व होने पर प्रत्येक दिन के लिए रु0 50.00 का अर्थदण्ड लगाया जाना था, एवं अर्थदण्ड जमा न किए जाने की स्थिति में तीन माह के कारावास का भी प्रावधान था।जिला पंचायत गोण्डा द्वारा ,जिला पंचायत के परिधिगत स्थापित टावरों की सूची एवं अपने स्तर से सर्वे कराकर सूचना भी एकत्र नहीं की गयी है। इस संबंध में भारतीय दूर संचार निगम लि0 पत्रांक डी-0जी0 एम ओ)0पी0) /आडिट/21-22 दिनांक 09.11.2021 द्वारा प्राप्त विवरण के आधार पर माह फरवरी 2013 तक ग्रामीण अंचलों में 83 टावर स्थापित किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2021-20212 में लाइसेंस शुल्क के संबंध में लागू उपविधि के अनुसार 83 टावरों से रु0 25000.00 प्रति टावर की दर से रु0 2075000.00 वसूल किया जाना चाहिए था। जो उ0 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचाय (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम 2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 2075000..00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चैधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 04

जिला पंचायत गोण्डा का भवन दुकान के रूप में किराए पर आवंटित है। आवास दुकान एवं भूखण्ड रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि वर्ष में मांग एवं वसूली का रजिस्टर तैयार किया गया है। दिनांक 31.03.22 को दुकानों पर किराया का बकाया रहा, जिसको अगले वित्तीय वर्ष में जमा किया गया है। किन्तु कतिपय दुकानदारों द्वारा किराया की धनराशि जमा नहीं की जा रही है। जिसका विवरण निम्नवत रहा-

क्र.सं.	दुकानदार का नाम	31.03.2022 को बकाया किराया	वर्ष की मांग	योग	वर्ष की वसूली	अवशेष
	मलवीय नगर बोर्डिंग हाउस					
1	श्री मसूद आलम	35949.00	5628.00	41577.00	0.00	41577.00
2	श्री मसूद आलम	126684.00	14076.00	140760.00	0.00	140760.00
3	श्री जमीलुर्रहमान	13971.00	4476.00	18447.00	0.00	18447.00
	योग	176604.00	24180.00	200784.00	0.00	200784.00
	आवास सराय तरबगंज					
1	श्री अर्जुन प्रसाद तिवारी	10494.00	1500.00	12494.00	0.00	12494.00

2 श्री राम लखन पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	33807.00	1416.00	35223.00	0.00	35223.00
योग	44301.00	2916.00	47217.00	0.00	47217.00

जिला पंचायत दुकान बहराइच रोड

9 श्री शब्बीर खा	9672.00	18300.00	27972.00	0.00	27972.00
योग	9672.00	18300.00	27972.00	0.00	27972.00
कुल योग	230577.00	45396.00	275973.00	0.00	275973.00

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि 31.03.2021 को बकाया किराया रु0 230577.00 था, वर्ष की मांग रु0 45396.00 सहित कुल मांग रु0 275973.00 थी। वर्ष में कोई वसूली नहीं हुई है। इससे स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा दुकानों के किराया वसूली हेतु ठोस एवं सक्रिय प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिससे संस्था को वर्ष 2021-2022 में रु0 45396.00 के राजस्व की क्षति हुई है। उ0 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 45396.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चैधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 05

समय ठेके का सार तत्व है। ठेकेदार टेन्डर में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करेगा। इस अवधि की गणना कार्यादेश के दिनांक से की जाएगी। जिला पंचायत ,गोण्डा की निर्माण पत्रावलियों की जाॅच में पाया गया कि वर्ष 2021-2022 की परियोजनाएं समय से पूर्ण नहीं हुई। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय- 2 के खण्ड- ग के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूरा न होने पर ठेकेदार प्रतिकर/विलम्ब के लिए प्रतिकर के रुप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो सम्पुर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के 1 प्रतिशत के बराबर होगी। प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि टेण्डर में दर्शित निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। संस्था द्वारा ठेकेदार के बिलों से 1 प्रतिशत की कटौती न कर नाम मात्र की कटौती की गयी है। और ठेकेदारों को जो समय वृद्वि दी गयी है उसका उचित कारण नहीं दर्शाया गया है। ठेकेदारों को समय वृद्वि प्राकृतिक आपदा,अतिवृष्टि आदि परिस्थितियों में दी जाती है। जबकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि	कार्य की लागत	1प्रतिशत अर्थ दंड	वास्तविक अर्थदण्ड	अन्तर

1. गोंडा पी0डी0 बंधा मुख्य मार्ग से हनुमंत नगर बाजार में नाला निर्माण

08.01.22	18.11.22	94.04	94040.00	2500.00	91540.00

2. बेलसर बाजार में नाला निर्माण

08.01.22	30.01.23	191.62	191620.00	3000.00	188620.00
		योग	286660.00	5500.00	280160.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ठेकेदारों से नाम मात्र का जुर्माना वसूल कर संस्था को रु0 280160.00 की क्षति पहुंचायी गयी है। उ0 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 280160.00 दुरुपयोति रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी हैं। इनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 06

पंचायती राज संस्थओ को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हाने वाली धनराशि के उपभोग संम्बंधी शासनादेश सं0-1838 / 33-3-2015- 03 /2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रस्तर-3 द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिला पंचायतें विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को एक से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभान्वित करने वाले कार्यों को ही सम्पादित कराएगी। ऐसे आदेश इसलिए निर्गत किए गए थे क्याकि ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार अनुदान प्रश्नगत कार्यो को कराए जाने हेतु प्राप्त होते है, से प्रश्नगत कार्यों को कराए जाने जाएगा। क्षेत्र पंचायत एवं जिलापंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 33 -2 में वांछित रोड रजिस्टर जिसमें दो या दो से अधिक गाँवो को जोड.ने वाली सड.क अथवा जनपद सड़क के रूप में नक्शे सहित वर्गाकरण हो को ही बनाए जाने की अनुमति है। वित्तीय वर्ष 2021.2022 में निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत के भीतर हा कराए गए है।

क्रमांक	विकास खण्ड	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकत लागत लाख रू0 में	लम्बाई मी0 में	कार्यादेश का दिनांक	ब्यय धनराशि लाख रू0 में
1	छपिया	ग्राम पंचायत चारू में राम अजोरे के दुकान से सतीश श्री वास्तव के घर वाले मार्ग पर सी0 सी0 रोड	21.61	300	08.01.22	21.61
2	तरबगंज	ग्राम पंचायत रामपुर टेगरुहा में पाम्डेय पुरवा से फकीरन पुरवा मोड तक खडंजा कार्य।	16.00	700	08.01.22	16.00
3	बभनजोत	ग्राम पंचायत देवरिया मद्दो के मजरे पूरे सीर में रामलाल यादव केघर से तुलसीराम यादव केघर वाले मार्ग पर सी0 सी0 कार्य।	12.13	140	08.01.22	12.13
4	झंझरी	ग्राम पंचायत दौलतपुर में पक्की सड.क से जगदम्बा प्रसाद मिश्रा के घर होते हुए राजेश मिश्रा के घर तक सी0सी0 कार्य।	12.58	181	08.01.22	12.58
5	झंझरी	ग्राम पंचायत बनघुसरा मैंलड्डन के दुकान से आनन्द सिंह के दुकान वाले मार्ग पर नरम्मत कार्य।	18.31	470	08.01.22	18.31
6	करनैलगंज	ग्राम पंचायत हीरापुर कमियार में पाण्डेय पुरवा से हीरापुर कमियार की तरफ लेपन मरम्मत कार्य।	21.58	760	08.01.22	21.58
			102.21	2551		102.21

शासनादेश के उद्देश्यों कि कतिपय ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है जो अनुचित है तथा अधिकांश कार्यों में अनियमितता एवं डुप्लीकेशी की संभावना विद्यमान रहती है। उपरोक्त कराए जाने वाले निर्माण कार्यो में अनियमितता एवं डुप्लीकेशी रोकने हेतु कोई सर्वे या जाँच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उपरोक्त शासनादेश का पालन न कर एवं एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कार्य कराकर रु0 102.21 लाख की अनियमितता जिला पंचायत गोण्डा द्वारा की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद-श्रावस्ती मण्डल- देवीपटन

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन (जिला पंचायत), वर्ष 2021-22

जिला पंचायत - श्रावस्ती **जनपद - श्रावस्ती**

प्रस्तर - 1

आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पत्ति एवं विभवकर रजिस्टर के अनुसार विकास खण्डवार कुल मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति निम्न प्रकार रही:-

क्र0सं0	विकास खण्ड	गत वर्ष के बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष में कुल वसूली	अवशेष/हानि की धनराशि
1	हरिहरपुर रानी	69136.00	410250.00	411559.00	67827.00
2	सिरसिया	217594.00	470552.00	478352.00	209794.00
3	इकौना	394701.00	212188.00	212188.00	394701.00
4	जमुनहा	137488.00	302393.00	306721.00	133160.00
5	गिलौला	326490.00	353008.00	357296.00	322202.00
		1145409.00	1748391.00	1766116.00	1127684.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बकाया एवं मांग की कुल धनराशि रू0 2893800.00 के सापेक्ष वर्ष में कुल वसूली 1766116.00 ही हुई। जिससे संस्था को रू0 1127684.00 की हानि सम्पत्ति एवं विभवकर की वसूली न कर पाने के कारण पहुचाई गयी। जिला पंचायत में सम्पत्ति एवं विभवकर के अभिलेखों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं है। वसूली में शिथिलता के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही करके वसूली बढाई जानी अपेक्षित है। प्रपत्र 3 में वर्ष की मांग 25 लाख दर्शायी गयी है। जबकि रजिस्टर में 17.48 लाख दर्शित है। अतः समीक्षा पुस्तिका में काल्पनिक रूप से बढाकर दर्शाया जाना लापरवाही का द्योतक है। अतः रु.1127684.00 विगत वर्षों की बकाया धनराशि वसूल न होने की स्थिति में/इंगित कार्यवाही नहीं करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई है ,जिसके लिए पटल सहायक श्री योगेन्द्र यादव एवं सुरेश चन्द्र राव तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय उत्तरदायी है, जो उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य)नियमावली 1965के नियम 179(2)डी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 1127684.00 की वसूली ब्याज सहित उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्ति-पटल सहायक श्री योगेन्द्र यादव एवं श्री सुरेश चन्द्र राव तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 2

आलोच्य वर्ष 2021-22 के तहबाजारी बकायेदार रजिस्टर की जांच से ज्ञात हुआ कि दिनांक 31.03.2022 के विगत वर्षो का बकया का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष की मांग	बकाया	वसूली	अवशेष
-	113100	0.13	1.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 113100 जिला पंचायत श्रावस्ती का विगत वर्षो से बकाया चला आ रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्था द्वारा इसकी वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नही किया गया। जिससे उक्त धनराषि संस्था की डंप पडी हुई है। जिसकी वसूली हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर

विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अतः रु.1.00 लाख विगत वर्षों की बकाया धनराशि वसूल न होने की स्थिति में/इंगित कार्यवाही नहीं करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई है ,जिसके लिए पटल सहायक सुरेश चन्द्र राव तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय उत्तरदायी है जो उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2)डी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 1.00 लाख की वसूली ब्याज सहित उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्ति पटल सहयक श्री सुरेश चन्द्र राव तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 3

कार्यदायी संस्था जिला पंचायत श्रावस्ती वर्ष 2021-22 के काजी हाऊस/पौण्ड से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 को विकास खण्डवार स्थिति निम्न प्रकार रही:-

क्र0सं0	विकास खण्ड	गत वर्ष के बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष में कुल वसूली	अवशेष/हानि की धनराशि
1	जमुनहा	138335	51000	51000	138335
2	सिरसिया	48650	5600	5600	48650
3	इकौना	3000	-	-	3000
4	गिलौला	87850	-	-	87850
5	हरिहरपुर रानी	158915	-	-	158915
		436750	56600	56600	436750

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जो धनराशि वसूल हुई उसी धनराशि को डिमांड के रूप में दर्शाया गया है। विगत वर्ष की बकाया धनराशि ज्यों का त्यों बनी हुई है। जिसकी वसूली हेतु संस्था द्वारा कोई ठोस प्रयास किये जाने की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखों से नही हो सकी। फलतः कुल रू0 436750 संस्था का बकाया है, जिससे भारी आर्थिक क्षति हो रही है। जिसकी वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अतः रु.436750.00 विगत वर्षों की बकाया धनराशि वसूल न होने की स्थिति में/इंगित कार्यवाही नहीं करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई है ,जिसके लिए पटल सहायक श्री योगेन्द्र यादव तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय उत्तरदायी है जो उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य)नियमावली 1965के नियम 179(2)डी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 436750.00 की वसूली ब्याज सहित उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्ति पटल सहायक श्री योगेन्द्र यादव तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 4

कार्यदायी संस्था जिला पंचायत श्रावस्ती की वर्ष 2021-22 पशु शव निस्तारण अभिलेखों की जॉच में मांग एवं बकाया के सापेक्ष वसूली बहुत ही कम हुई। विवरण इस प्रकार है:-

क्र0सं0	विकास खण्ड	गत वर्ष के बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष में कुल वसूली	अवशेष/हानि की धनराशि
1	सिरसिया	175400	13500	72500	116400
2	जमुनहा	14000	-	-	14000
3	इकौना	24960	9000	9400	24560
4	गिलौला	52325	-	6575	45750

5	हरिहरपुर रानी	68200	-	-	68200
		334885	22500	88475	268910

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बकाया एवं मांग के सापेक्ष मात्र रू० 88475.00 की ही वसूली हुई है, जो संस्था के हित में नहीं है। इससे निजी स्रोत की आय में कमी हो रही है। इससे स्पष्ट है कि जिला पंचायत प्रबन्ध तंत्र द्वारा वसूली हेतु कोई ठीक प्रयास नहीं किया जा रहा है।अत: रू० 268910.00 विगत वर्षों की बकाया धनराशि वसूल न होने की स्थिति में/इंगित कार्यवाही नहीं करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई है, जिसके लिए पटल सहायक श्री योगेन्द्र यादव तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं सुभाष चन्द्र भारतीय उत्तरदायी हैं। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) डी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 268910.00 की वसूली ब्याज सहित उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्ति पटल सहायक श्री योगेन्द्र यादव तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 5

भवन दुकान का किराया रजिस्टर एवं पत्रावली की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड वार दुकानों के किराया की वसूली वर्ष में बहुत कम रही। जिसकी वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास किये जाने की भी पुष्टि नहीं हो सकी। विवरण इस प्रकार है:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड	बाजार का नाम	गत वर्ष की बकाया	गत वर्ष की मांग	वर्ष में कुल वसूली	अवशेष/हानि की धनराशि	अधिक
1	सिरसिया	सिरसिया	139359	178860	171480	146739	-
2	गिलौला	गिलौला	697528	131880	168060	661348	-
3	इकौना बाजार	इकौना	14000	74836	71700	18200	1064
4	जमुनहां	जमुनहां बाजार	66658	150900	156090	65378	3910
5	जमुनहां	हरदत्तनगर	150635	92160	85770	157025	-
6	जमुनहां	नासिरगंज	35160	76115	61925	49350	-
7	इकौना	पुरानाऔषधालय	-	9420	9420	-	-
8	गिलौला	चेतिया मुरार	2507	-	-	2507	-
9	हरिहरपुररानी	खरगौरामोड	-	86400	79200	7200	-
10	हरिहरपुररानी	खरगौरामोड	-	47400	47400	-	-
11	हरिहरपुररानी	खरगौरामोड	13875	27750	41625	-	-
			1119722	875721	892670	1102773	4974

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मांग एवं बकाया के सापेक्ष वसूली वर्ष में 08.93 लाख रही। वसूली हेतु पत्राचार एवं कोई ठोस प्रयास किये जाने की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखों से नही की जा सकी। यह सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारी की घोर लापरवाही का द्योतक है। अतः रु. 1102773.00 विगत वर्षों की बकाया धनराशि वसूल न होने की स्थिति में/इंगित कार्यवाही नहीं करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई है, जिसके लिए पटल सहायक श्री रोशन लाल सरोज तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय उत्तरदायी हैं। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) डी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 1102773.00 की वसूली ब्याज सहित उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्ति पटल सहायक श्री रोशन लाल सरोज तथा तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 6

शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93 जी0/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं उसी क्रम में शासनादेश सं0 866/33-2-14-93 जी0/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों में कराये जाने वाले निर्माण कार्य का विभाजन किया गया है। जिला पंचायत को बडे कार्यो एक क्षेत्र पंचायत से दूसरे क्षेत्र पंचायत को जोडने हेतु निर्धारित किया गया है। जिससे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल न किया जाय तथा कार्य की पुनरावृत्ति (एक ही कार्य दो संस्थाओं द्वारा किया जाना) न हो सके। ज्यादातर कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराया गया है तथा ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी नही लिया गया है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो का विवरण इस प्रकार है:-

1	ग्राम पंचातय अमवा में मजरा कोडरी में शोभाराम के खेत तक खडंजा	69278
2	धूमबोझी दुर्गापुर में खडंजा निर्माण	267900
3	हसनापुर ऊँचे गॉव तक खंडजा निर्माण	220287
4	ग्राम पंचायत गोडारी में खंडजा निर्माण	787010
5	भगवानपुर में पावर हाऊस के पास से पालसिंह के खेत तक खंडजा	435525
6	ग्राम पंचायत दिकौली में मजरा मियां गाँव से सिपाही लाल के खेत तक खडंजा	718423
7	ग्राम पंचायत मोहनीपुर में सहजराम यादव के घर तक खंडजा	985744
योग: -		3484167

इस प्रकार उक्त कार्य ग्राम पंचायत में कराना दर्शाकर रू० 3484167.00 का व्यय किया गया है जो उक्त शासनादेश एवं निमयो का उल्लंघन है। तथा संस्था द्वारा अनियमितता किया जाना दर्शाता है जो उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य)नियमावली 1965 के नियम 179(2)(क)से (ड) के अंतर्गत अधिभार योग्य है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं तत्कालीन अभियंता श्री संदीप श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 7

आलोच्य वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत श्रावस्ती द्वारा संचालित काजी हाऊस/गौशाला में मवेशियों के चारे-भूसे के रूप में कुल रू० 1127700.00 का भुगतान दर्शाया गया है, किन्तु व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित मुख्य अभिलेख एवं प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत नही रही। भुगतान की अप्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए निम्न आपत्तियॉ प्रकाश में आयी उसका निदान कराया जाना आवश्यक है:-

1- मवेशियों के चारा-भूसा खरीद के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए।

2- मवेशियो की प्रमाणित सूची अप्राप्त रही।

3- मवेशियों का स्टाक रजिस्टर अर्थात लाइव स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

4- मवेशियो को दिये गये आहार की दैनिक आहार पंजिका प्रस्तुत नहीं रही।

5- काजी हाउसों/गौशालाओं के किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में पंजिका के अभाव में कोई जानकारी नही हो सकी।

6- पशुओं की टैगिंग सम्बन्धी पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे तत्संबंधी कोई जानकारी नहीं हो सकी।

इस प्रकार उपरोक्त आधार पर रु० 1127700.00 चारा-भूसा खरीद के प्रमाणक एवं अन्य विवरण के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जो उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2)(क)से (ड) के अंतर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीय तथा श्री सूरज सहायक कर निरीक्षक, श्री पंकज सिंह कर निरीक्षक तथा श्री लवलेश कुमार

कर निरीक्षक उत्तरदायी हैं। अत: रु.1127700.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से दायित्व का निर्धारण करते हुए की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 8

आलोच्य वर्ष 2021-22 में यू०पी० 32 एल०एन०-3482 नम्बर की गाडी जो राधेश्याम सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह सरोजनी नगर लखनऊ के नाम की है, उस पर कुल रू० 750 प्रतिदिन के हिसाब से 358 दिवस हेतु वर्ष में रू० 268500.00 का कुल भुगतान किया गया है। जिसकी पत्रावली जॉचने पर ज्ञात हुआ कि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा 700 प्रतिदिन की दर से स्वीकृति दी गयी थी। अतः रू० 50.00 की दर से 358 दिन का रु.17900.00 का अधिक भुगतान करके धन का अपहरण/दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे उत्तरदायी हैं, जो उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य)नियमावली 1965 के नियम 179(2)(क)से (ङ) के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे उत्तरदायी हैं। अत: रु० 17900.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 9

जिला पंचायत श्रावस्ती में वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि 15वां वित्त आयोग अनुदान टाइड में निम्न विवरणानुसार रू० 5445127.00 का व्यय दर्शित है।

1	विकास खण्ड गिलौला के ग्राम पंचायत रायपुर विलैला के मजरा रैमुनिया मे औरैया नाला तक नाला निर्माण	रू० 2234485.00
2	विकास खण्ड सिरसिया के ग्राम पंचायत पिपरह का जोगा गॉव में उमर के खेत के पास नाला निर्माण	रू० 1842854.00
3	विकास खण्ड इकौना में ग्राम पंचायत बीरपुर खैरहनिया में जिला पंचायत काजी हाउस से बसहवा तालाब तक नाला निर्माण	रू० 1367788.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा टाइड फण्ड अनुदान के उपभोग के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किये गये है जिससे स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। टाइड फण्ड को जिसमें पेयजल तथा स्वच्छता पर प्रत्येक पर 50 प्रतिशत की धनराशि व्यय की जायेगी। पेयजल जिसमें प्रत्येक घर में नल से जल आपूर्ति जल संचयन एवं जल का पुनचक्रण से सम्बन्धित कार्य योजना तैयार की जायेगी तथा स्वच्छता के अन्तर्गत ओ०डी०एफ० की स्थिति का रख रखाव, प्लास्टिक अपशिष्ट, मानव मल कीचड सहित घरेलू कचरे का निस्तारण आदि है। इसके अतिरिक्त स्कूल आंगनबाडी केन्द्र आदिवासी आवासीय विद्यालयों स्वास्थ्य केन्द्रों पंचायत भवनों साप्ताहिक बाजार/हाट मेला ग्राउण्ड बस स्टैण्ड खेल के मैदान/परिसर आदि स्थनों पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवा का प्रावधान है। अतः स्पष्ट है कि दिए गये निर्देशो के विपरीत कार्य योजना बनाकर धन का दुरुपयोग किया गया है जो नियमों के अवहेलना की गंभीर अनियमितता को दर्शाता है जो उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य)नियमावली 1965 के नियम 179(2)(क)से (ङ) के अंतर्गत अधिभार योग्य है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री कान्त दूबे,अभियंता श्री संदीप श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह उत्तरदायी है, अतः रू0 5445127.00 की वसूली व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

जनपद- देवरिया **मण्डल - गोरखपुर**

प्रारूप - 02

वार्षिक प्रतिवेदन-2021-2022

जिला पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरणः-

जिला पंचायत देवरिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में अपहरण दुरूपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण निम्नवत है:-

प्रस्तर संख्या-01- दिनांक 27-7-2021 को भुगतान प्रमाणक संख्या 112 द्वारा राज्य वित्त योजना की धनराशि से जिला पंचायत देवरिया कार्यालय हेतु इन्वर्टर ;एसी. क्रय किया गया है |जेम पोर्टल के माध्यम से कुल रु० 356017.00 की सामग्री क्रय की गयी है |उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां है |

(अ) उक्त सामग्री क्रय जिला निधि की धनराशि से किया जाना चाहिए जबकि नियमविरुद्ध राज्य वित्त की धनराशि से किया गया है ;जिसकी स्वीकृति मंडलायुक्त महोदय से नही ली गयी है |

(ब) स्टॉक पंजिका प्रस्तुत कर पुष्टि नही करायी गयी है |

(स)नियमानुसार बिल की धनराशि पर टी.डी.एस. 2% रु० 7120.00 तथा जी.एस.टी.2% रु० 7120.00 कुल धनराशि रु० 14240.00 की कटौती नही करके केन्द्रीय राजस्व एवं राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है| उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

(सामान्य आपति संख्या -31)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**0**0.00	**14240.00**

प्रस्तर संख्या-02- दिनांक 27-07-2021को भुगतान प्रमाणक संख्या 113 द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय हेतु रु० 484099.00 का भुगतान रोकडवही में दर्शित है| उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां है:-

(अ) सामग्री क्रय (कुर्शी, डबल बेड आदि) जिला निधि की धनराशि से किया जाना चाहिए, जबकि उक्त सामग्री राज्य वित्त योजना की धनराशि से किया गया है,(अ) जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नही ली गयी है|

(ब)सामग्री क्रय की प्रविष्टी स्टॉक बुक में कर ली गयी है;उक्त की पुष्टि में स्टॉक बुक अप्राप्त रहा |

(स) बिल की धनराशि पर टी. डी.एस. दर 2 % 9682.00 तथा जी.एस.टी. दर 2 % 9682.00 कुल धनराशि रु० 19364.00 की कटौती नही करके केन्द्रीय करों तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह

तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है|आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |**(सामान्य आपति संख्या -32)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.**00**	**19364.00**

<u>प्रस्तर संख्या-03-</u> दिनांक 12-10-2021 को भुगतान प्रमाणक संख्या 68 द्वारा 65300.00 का भुगतान देवी एसोसिएट 1 लखना यू०आर०एफ० भाटपाररानी;देवरिया को किया गया रोकड़वही में दर्शित है | इस सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां है |

(1) उक्त भुगतान सोफासेट क्रय हेतु किया गया है|उक्त सामग्री क्रय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गयी है |

(2) उक्त सामान की प्रविष्टी स्टॉक बुक में नहीं की गयी है |

(3) प्रस्तुत बिल पर 2% की दर से टी. डी. एस.कटौती रु० 1306.00 तथा जी.एस.टी. दर 2% रु० 1306.00 कुल धनराशि रु० 2612.00 नहीं की गयी है | इस प्रकार रु० 2612.00 केन्द्रीय राजस्व एवं राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है | उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानधन सिंह तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है| आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है | **(सामान्य आपति संख्या -31)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.**00**	**2612.00**

<u>प्रस्तर संख्या-04-</u> दिनांक29--06-2021 तथा 07-07-2021 को क्रमशः भुगतान प्रमाणक संख्या 74एवं 43 द्वारा क्रमशः धनराशि रु. 500000.00 एवं 440000.00 कुल धनराशि रु.940000.00 अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग (विद्युत्/यांत्रिक खण्ड) गोरखपुर ट्रान्सफर किया गया रोकडवही में दर्शित है|उक्त धनराशि जिला निधि से ट्रान्सफर किया गया है; जिला निधि की धनराशि कर्मचरियों के वेतन एवं भत्ते के लिए भी प्रयाप्त नही है|जिला पंचायत देवरिया के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते हेतु आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त योजना से धनराशि ट्रान्सफर किया गया है | अभियंता लोक निर्माण विभाग (विद्युत्/यांत्रिक खण्ड) गोरखपुर से उक्त धनराशि की प्राप्ति रसीद भी अप्राप्त रहा | पत्रावली भी अप्रस्तुत रहा |उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है| आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है | **(सामान्य आपति संख्या -31)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**940000.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-05-</u> दिनांक 08-07-2021 को भुगतान प्रमाणक संख्या 62 द्वारा रु. 9500.00 का भुगतान शिव कृपा इलेक्ट्रॉनिक्स कोतवाली रोड देवरिया को किया गया कोषवही में दर्शित है | कैम्प कार्यालय देवरिया में आर. ओ. लगाने हेतु उक्त भुगतान किया गया है |जिला पंचायत देवरिया की स्वामित्व की उक्त संस्था नही है| अत: रु. 9500.00 दुरुपयोगित है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है | **(सामान्य आपति संख्या - 31)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**9500.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-06-</u> दिनांक 25-05-2021 को भुगतान प्रमाणक संख्या 91 द्वारा 120 ड्रम (2400 मै० टन) विटूमीन इमल्सन की आपूर्ति हेतु मेसर्स वी. आई. पी.इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड इस्पातनगर कानपूर को रु.717600.00 का भुगतान किया गया है |उक्त धनराशि पर दर 2 %से टी.डी.एस. रु० 14352.00 तथा जी.एस.टी. दर 2% से रु० 14352.00 कुल धनराशि रु० 28704.00 की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है | उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की खाली ड्रम की बिक्री से कोई आय नहीं दर्शायी गयी है | अतः 120 खाली ड्रम का मूल्य दर 300.00 से रु० 36000.00 की वसूली संबधित अवर अभियंता एवं जिला अभियंता से अपेक्षित है | **(सामान्य आपति संख्या -31)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
36000.00	00**.00**	**28704.00**

<u>प्रस्तर संख्या-07-</u> दिनांक 17-09-2021 को भुगतान प्रमाणक संख्या 73 द्वारा 8070.00का भुगतान रोकड़वही में विविध सामग्री क्रय हेतु किया गया दर्शित है | नियमानुसार उक्त सामग्री जेम पोर्टल से क्रय किया जाना चाहिए | उक्त सामान क्रय की पुष्टि में स्टॉक बुक अप्राप्त रहा |स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर पटल सहायक से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है |

(सामान्य आपत्ति संख्या -31)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**00.00**	**8070.00**

<u>प्रस्तर संख्या-08-</u> दिनांक 28-01-2022 को भुगतान प्रमाणक संख्या170 द्वारा कुर्सी; मेज; आदि क्रय हेतु रु० 271999.00 का भुगतान रोकड़वही में दर्शित है |उक्त भुगतान पर दर 2%से टी.डी.एस. रु० 5440.00 तथा जी.एसटी. दर 2% से रु० 5440.00 कुल

धनराशि रु० 10880.00 कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है | अत: रु० 10880.00 की वसूली संबंधित फर्म से अपेक्षित है | उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानधन सिंह तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है |

(सामान्य आपति संख्या -31)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.**00**	**10880.00**

<u>प्रस्तर संख्या-09-</u> दिनांक 12-10-2021 को भुगतान प्रमाणक संख्या 69 द्वारा विभिन्न सामग्री क्रय हेतुरु.834300.00 का भुगतान रोकड़वही में दर्शित है |उक्त भुगतान पर/2%से टी. डी. एस.रु. 16686.00 तथा जी.एस.टी. दर 2% से रु० 16686.00 कुल धनराशि रु० 33372.00 कटौती नहीं करके केन्द्रीय करो तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है| अत: रु० 33372.00 की वसूली संबंधित फर्म से अपेक्षित है | उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानधन सिंह तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है |

(सामान्य आपति संख्या -31)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.**00**	**33372.00**

<u>प्रस्तर संख्या-10-</u> स्टॉक पंजिका वी. जी. 10 मैक्सफाल्ट की जाँच में पाया गया की पृष्ट संख्या 14 पर प्रारम्भिक शेष वी. जी. 10,7.91 मैट्रिक टन दर्शित है | दिनांक 11-06-2021 को अभिनव इन्टरप्राइजेज को बैंकुंठपुर में धर्मेन्द्र पटेल के घर तक लेपन कार्य हेतु 2.07 मैट्रिक टन वी.जी. 10 ख़ारिज होने के उपरांत अवशेष वी. जी. 10 , 5.84 मैट्रिक टन दर्शित होना चाहिए| जबकि अवशेष वी. जी. 10, 4.84 मैट्रिक टन दर्शित है | इस प्रकार 1.00 मैट्रिक टन वीजी 10 कम दर्शाकर स्टॉक का अपहरण किया गया है | अत: 1 मैट्रिक टन वीजी -10 का मूल्य रु० 44364.00 की वसूली अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता जिला पंचायत श्रीमती सुकृति मिश्रा से अपेक्षित है| **(सामान्य आपति संख्या - 31)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
44364.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-11-</u> दिनांक 12-06-2021 को 0.41 मैट्रिक टन वीजी-10 बिना कार्य में प्रयुक्त हुए ही स्टॉक रजिस्टर से ख़ारिज कर दिया गया है | अत: 0.41 मैट्रिक टन वीजी -10 का

मूल्य रु० 18189.00 की वसूली अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता श्रीमती सुकृति मिश्रा से अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
18189.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-12- दिनांक 17-05-2021 को भुगतान प्रमाणक संख्या 75 द्वारा रु० 36113.00 का भुगतान डीजल क्रय हेतु किया गया रोकड़वही में दर्शित है |उक्त डीजल क्रय विभागीय जनरेटर हेतु किया गया है |जेनरेटर की लोग बुक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा|अंत: उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | लागबुक प्रस्तुत कर पटल सहायक से जाँच करायी जानी अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	36113.00	0.00

प्रस्तर संख्या-13- दिनांक 14-02-2022 को भुगतान प्रमाणक संख्या 42 द्वारा मेसर्स श्रीनाथ को निर्माण कार्य भेडापाकड में तपनारायण पाण्डेय के घर से हरिजन बस्ती तक सी.सी.रोड कार्य हेतु रु.896000.00 का भुगतान रोकड़वही में दर्शित है | बिल की जाँच में पाया गया की रोड स्लैब हेतु 74.52 वर्ग मीटर हेतु दर 9369.10 से कुल रु० 712426.36 दर्शित है | जबकि गणनानुसार रु० 698185.33 होता है | इस प्रकार वास्तविक धनराशि को काट कर तथा 712426.36 दर्शाकर धनराशि रु.14241.00 का ज्यादा भुगतान किया गया है | अत: रु० 14241.00 की वसूली मेसर्स श्रीनाथ से अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	14241.00	00.00

प्रस्तर संख्या-14- दिनांक 28-01-2022 को भुगतान प्रमाणक संख्या 176 द्वारा रु.2850.00 का भुगतान रोकड़वही में दर्शित है ;उक्त भुगतान फ़ोटोस्टेट हेतु आर.आर .फोटोकापियर्स को किया गया है|जिला पंचायत देवरिया में फोटोस्टेट मशीन होते हुए बाहर से फ़ोटोस्टेट कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है |उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानधन सिंह तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है| आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	2850.00

प्रस्तर संख्या-15- दिनांक 22-03-2022 को भुगतान प्रमाणक संख्या 110 द्वारा आवास संख्या -39 के मरम्मत कार्य पर अंतिम भुगतान के रूप में 46880.00 का भुगतान रोकड़वही में दर्शित है |बिल की धनराशि रु.39000.00 दर्शित है|जिसपर 12 % जी.एस.टी.

जोड़कर रु. 46880.00 का भुगतान किया गया है;जबकि भुगतान 43680.00 किया जाना चाहिए | इस प्रकार रु 3200.00 का ज्यादा भुगतान किया गया है |अत: रु.3200.00 की वसूली ठीकेदार श्री हेमंत कुमार शाही से अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	3200.00

<u>प्रस्तर संख्या-16-</u> दिनांक 30-03-2022 को भुगतान प्रमाणक संख्या 160 द्वारा स्टेशनरी क्रय हेतु प्रशांत एजेन्शी देवरिया को बिल संख्या 106 दिनांक 14-12-2021 तथा बिल संख्या 110 दिनांक 22-12-2021 हेतु रु.83726.00 का भुगतान रोकड़वही में दर्शित है |सम्बन्धित बिल की धनराशि पर दर 2%से टी. डी.एस रु.1675.00 तथा जी. एस. टी.दर 2 % से रु.1675.00 कुल धनराशि रु.3350 .00 की कटौती नहीं करके केंद्रीय करो तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है | अंत: प्रशांत एजेंशी देवरिया से रु.3350.00 की वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	0**0.00**	3350.00

<u>प्रस्तर संख्या-17-</u> दिनांक 08-12-2021 को भुगतान प्रमाणक संख्या 33 द्वारा वी.वी प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स देवरिया को रु०34425.00 का भुगतान रोकड़वही में दर्शित है | उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां है|

(1) स्टेशनरी क्रय की प्रविष्टी स्टॉक बुक में नही की गयी है |

(2) भुगतान की गयी धनराशि पर 2 % की दर से टी.डी. एस. रु.689.00 तथा जी.एस.टी.दर 2% से 689.00 कुल धनराशि रु.1378.00 की कटौती नही की गयी है |

इस प्रकार कुल धनराशि रु.1378.00 की कटौती नहीं करके केंद्रीय करो तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है | अंत: वी.वी.प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स देवरिया से रु.1378.00 की वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	1378.00

<u>प्रस्तर संख्या-18-</u> शासनादेश संख्या 8307/33-2-04-93 जी /2004 दिनांक 12-01-2015 के अनुसार जिला पंचायते प्राप्त अनुदान से दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को जोरने वाली परियोजनाओ पर कार्य कराएगी जिसके विपरीत जिला पंचायत देवरिया द्वारा ग्राम पंचायतों में लोगों के घर को सड़क से जोरने वाले कार्य को कराया गया है जो शासनदेश का उल्लंघन है | विवरण निम्न प्रकार रहा -

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	ग्राम चूरिया में सी.सी. मरम्मत कार्य ।	8.2 लाख
2	प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा से भूपेन्द्र यादव के घर तक सी.सी. कार्य ।	6.48 लाख
3	मिसरौली गुन्नी टोला पर स्थित खड़ंजे से उत्तर ग्राम कौलाराय के टोले की ओर मिट्टी एवं खड़ंजा कार्य ।	8.34 लाख
4	ग्राम समोगर टोला चकिया में इन्टरलॉकइंग के आगे रामनवल प्रजापति के घर की ओर मिट्टी/ खड़ंजा कार्य ।	1.77 लाख
5	समोगर में अवशेष सी.सी. मरम्मत कार्य ।	1.81 लाख
6	ग्राम सभा गौरकोठी के चौबेटोला में नहरपुलिया से प्रेम चौबे के घर की ओर सी.सी. कार्य ।	4.35 लाख
7	ग्राम सभा बहोर धनौतो में पिच मार्ग से दक्षिण पंचायत भवन होते हुए रामानुज मणि के घर के पीछे होते हुए पिच मार्ग की ओर सी.सी. कार्य ।	13.66 लाख
8	ग्राम साण्डा में जोगिया संपर्क मार्ग से उद्भव सिंह के दरवाजे तक सी.सी. कार्य ।	9.95 लाख
9	ग्राम बोरिया अनंत में केदार पल के घर के पास खड़ंजे से अनिरुद्ध राव के घर के पीछे तक मिट्टी/ खड़ंजा कार्य ।	7.39 लाख
10	ग्राम सभा हरपुर में अवशेष सी.सी. कार्य ।	2.58 लाख
11	ग्राम पांडेपुर में सी.सी. मरम्मत कार्य ।	5.82 लाख
12	मदरापाली में अवशेष लेपन मरम्मत कार्य ।	18.92 लाख
13	ग्राम सभा कुसम्हा में पिच रोड से गाँव की ओर सी.सी. कार्य ।	8.85 लाख
14	ग्राम सभा चरियाव बुजुर्ग में शिवमंदिर से वशिष्ठ राव के दरवाजे की ओर सी.सी. कार्य ।	8.95 लाख
15	ग्राम केवटलिया में विनोद पासवान के घर से में रोड तक सी.सी. कार्य ।	7.75 लाख
	योग:-	**114.82 लाख**

इस प्रकार जिला पंचायत देवरिया द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्य कराकर अनियमितता कर शासनदेश का उल्लंघन किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं श्री ज्ञानधन सिंह उत्तरदायी है । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**00.00**	**11482000.00**

<u>प्रस्तर संख्या-19-</u> निम्न विवरणानुसार माह अप्रैल 2021 एवं मई 2021 में प्रशांत एजेंसी सिवल लाइंस रोड देवरिया से स्टेशनरी क्रय किया गया रोकर बही में दर्शित है :-

क्रमांक	प्रमाणक सं0 एवं तिथि	बिल सं0	तिथि	विवरण	धनराशि
1	19/ 03-04-2021	57	26.02.2021	आदेयता प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, फाइल कवर	49960
2	19/ 03-04-2021	56	24.02.2021	आदेयता प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, फाइल कवर	49960
3	17/07-05-2021	55	22.02.2021	आदेयता प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, फाइल कवर	49960
4	1.	59	01.03.2021	आदेयता प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, फाइल कवर	49960
					199840

10 दिनों के अंतराल में रु0 199840 की स्टेशनेरी क्रय की गई है | उक्त के संबंध में निम्नलिखित आपत्तिया है

1. निविदा आमंत्रित कर उक्त स्टेशनेरी की खरीद नहीं की गई है; जिससे संस्था को आर्थिक क्षति हुई है |
2. मांग पत्र अप्रस्तुत रहा; जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने आदेयता प्रमाण पत्र तथा कितने आवेदन पत्र एवं फाइल कवर की आवश्यकता थी |
3. भुगतान एकसाथ नहीं करके वित्तीय नियमों की अवहेलना की गई है |

श्रोत पर आयकर कटौती एवं जीएसटी की कटौती न करके केन्द्रीय करो तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गई है टी.डी.एस मद में रु0 3997 तथा जीएसटी मद में रु0 3997 की कटौती की जानी आपेक्षित है | उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
<u>00.00</u>	00.**00**	**7994.00**

<u>प्रस्तर संख्या-20-</u> निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में प्रशात एजेंसी देवरिया से स्टेशनेरी क्रय किया गया रोकर बही में दर्शित है :-

क्रमांक	प्रमाणक सं0 एवं तिथि	बिल सं0	तिथि	विवरण	धनराशि
1	57/08-07-2021	76	02.06.2021	लिफाफा छोटा टिप एवं आखयाये रजिस्टर	12224.64
2		85	14.06.2021	रजिस्टर साधारण, रेंट रजिस्टर, वही रजिस्टर, फैन्सी रजिस्टर	10781.76
3		73	28.05.2021	पी.एल.आर. रजिस्टर, डिमांड रजिस्टर	68700.00
					91706.40

1-उपरोक्त के संबंध में निम्नलिखित आपतियां है :-

2-निविदा आमंत्रित कर उक्त स्टेशनेरी की खरीद नहीं की गई है; जिससे संस्था को आर्थिक क्षति हुई है |

3-बजट के अनुसार सामग्री क्रय नहीं गया है |

4-वित्तीय वर्ष में 2.50 लाख से ज्यादा स्टेशनेरी एक ही फर्म से की गई है; परंतु टी.डी.एस 2% तथा जीएसटी 2% बिलों से कटौती नहीं गई है | बिलों पर क्रमश 1834 रु0 टी.डी.एस एवं 1834 रु0 जीएसटी कुल कटौती रु0 3668 नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गई है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानधन सिंह एवं लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.**00**	**3668.00**

<u>प्रस्तर संख्या-21-</u> रेंट रजिस्टर वर्ष 2021-22 की जांच में पाया गया है की दिनांक 31-03-2022 को रु० 11112149.29 रेंट की वसूली बकाया दर्शित है | विवरण निमन्वत है;-

क्र0	विवरण	मांग	बकाया	कुल मांग	वसूली	छूट	अवशेष
1	कार्यालय परिषद	2475006	2788625.91	5263631.91	2502033	25773	2735825.91
2	पुराना जिला पंचायत हाता	1288726	2013300.13	3302026.13	1541226	12172	1748628.13
3	पुराना ट्रेनिग स्कूल	753870	1177283.40	1931153.40	1054296	13736	863121.40

4	पुराना डाक बंगला	1646076	3680361.85	5326437.85	1571247	14767	3740423.85
5	मालवीय रोड	1927752	2231063	4158815	2075690	58975	2024150
	योग	**8091430**	**11890634.29**	**19982064.29**	**8744492.00**	**129443**	**11112149.29**

अतः रु0 11112149.29 बकाया रेंट की वसूली शीघ्र कार्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**00.00**	**11112149.29**

<u>प्रस्तर संख्या-22-</u> मुख्यालय रेंट रजिस्टर जिला पंचायत देवरिया वर्ष 2021-22 की जांच में पाया गया है की निम्नलिखित किरायेदारों से कोई वसूली /(अत्यंत न्यून की गयी है) नही की गई है |

क्रमांक	नाम किरायेदार	चालू मांग	बकाया	कुल मांग	वसूली	अवशेष
1	रामेश्वर सिंह	19272	20557	39829	-	39829
2	शिवदास त्रिपाठी	-	93279	93279	-	93279
3	भास्कर उपध्याय	-	8398	8398	-	8398
4	राजकुमार	4596	29542	34138	-	34138
5	छँगुर प्रसाद	3312	16587	19899	-	19899
6	रीजेनल मैनेजर सहारा इंडिया	130500	148918	279418	-	279418
7	अधीक्षक डाक घर	22872	158947	181819	-	181819
8	सहायक डाक अधीक्षक	-	54877	54877	-	54877
9	रविप्रकाश सिंह	34920	189373	224293	38460	185833
10	कृष्ण विहारी श्रीवास्तव	-	692	692	-	692
11	श्रीमती अंजू राव	24216	24216	48432	-	48432
12	राजेश्वर पांडे	-	1010	1010	-	1010
13	राजकिशोर यादव	780	-	780	-	780
14	आनंद सिंह यादव	13788	87026	100814	19225	81589
15	नरेंद्र द्विवेदी	-	1298	1298	-	1298

16	जयचंद्र	-	2808	2808	-	2808
17	श्रीमती रत्ना पांडे	-	56154	56154	-	56154
18	शिव प्रताप सिंह	-	26280	26280	-	26280
19	हरि प्रसाद वर्मा	-	1038.25	1038.25	-	1038.25
20	केशरी प्रसाद पांडे	-	1089.55	1089.55	-	1089.55
21	संजय मिश्रा	-	70115	70115	-	70115
22	राम लक्षन	-	1252	1252	-	1252
23	श्रीमती विमला देवी	-	1368.05	1368.05	-	1368.05
24	सहारा इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय	18300	10004	28304	-	28304
25	सहारा इंडिया	2976	4152	7128	-	7128
26	सहायक प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम	-	100320	100320	-	100320
27	शशिभूषण सिंह	1716	18640	20356	-	20356
28	शेषनाथ त्रिपाठी	2412	20919	23331	-	23331
29	अनिल शर्मा	6792	16189	22981	-	22981
30	मुकेश कुमार	14016	78596	92612	-	92612
31	मथुरा प्रसाद	8556	-	8556	-	8556
32	सुदामा	6792	43366	52158	-	52158
33	संदीप तिवारी	56340	263326	319666	-	319666
34	रामलाल गुप्ता	2592	1080	3672	-	3672
35	अब्दुल हसन	4668	30022	34690	-	34690
36	मुंशी अंसारी	4392	27818	32210	-	32210
37	शकील अहमद	3888	14368	18256	-	18256
38	कौशल किशोर सिंह	15672	57417	73089	-	73089
39	राजेश सिंह	29976	-	29976	14238	15738
40	काशीनाथ दुबे	4200	4200	8400	-	8400
41	रामनरेश कुशवाहा	2772	20457	23229	-	23229
42	शिवनरेश पांडे	12540	33241	45771	-	45771
43	पूनम सिंह	5520	5520	11040	-	11040

44	नंदलाल	2676	3808	6484	-	6484
45	अशोक कुमार	9060	12835	21895	-	21895
				2232205.65	**70923**	**2161281.85**

अतः रु० 2161281.85 बकाया रेंट की वसूली अपेक्षित है | उक्त के लिए कार्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह उत्तरदायी है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**00.00**	**2161281.85**

<u>प्रस्तर संख्या-23-</u> आलोच्य वर्ष 2021-2022 में किराये के वाहन संख्या यू.पी.52ती.8957 हेतु मेसर्स एस.डी. इन्टरप्राइजेज को 12 माह का किराया रु. 307883.00 भुगतान किया गया रोकड़वही में दर्शित है|परन्तु उक्त भुगतानित धनराशि पर टी. डी.एस. दर 2 %से रु० 6158.00 तथा जी . एस. टी .दर 2% से रु.6158.00 कुल धनराशि रु.12316.00 की कटौती नहीं करके केन्द्रीय करो तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है |अत: रु0 12316.00 की वसूली मेसर्स एस डी. इन्टरप्राइजेज देवरिया से अपेक्षित है तथा संबन्धित शीर्षो में जमा किया जाना अपेक्षित है|उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं श्री ज्ञानधन सिंह एवं लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.**00**	**12316.00**

जनपद का नाम – गोरखपुर **माडल- गोरखपुर**

परिशिष्ट 'क'

जिला पंचायत

जनपद का नाम - गोरखपुर **मण्डल का नाम- गोरखपुर**

जिला पंचायत गोरखपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में गंभीर प्रकृति के अपहरण / दुरुपयोग/गंभीर अनियमितता सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में आये| जिस हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है | विवरण निम्नवत रहा-

प्रस्तर संख्या 1 - आलोच्य वर्ष 2021-22 के कार्य रजिस्टर/प्रस्तुत पूर्ण एव अपूर्ण कार्य की सूची के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कुल स्वीकृत 339 परियोजनाओ में कार्य समाप्ति की

अवधि 3 माह निर्धारित की गयी है | नियमानुसार कार्यादेश निर्गत होने के बाद एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसी वित्तीय वर्ष के अंत में कार्य को पूर्ण हो जाना चाहिए, परन्तु संदर्भित प्रकरण में कार्य लंबित रखा गया एवं अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुआ एवं कुछ अद्यतन अपूर्ण रहा | कतिपय कार्यों पर किया गया भुगतान रू० 7701093 अलाभकारी रहा |

अतः अलाभकारी कार्य पर किया गया भुगतान रू० 7701093 पर 1 प्रतिशत अर्थदण्ड रु0 77011 काटा जाना चाहिये जो ठेकेदारों के बिलों से नही काटा गया। उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क)से (ड.) के अंतर्गत अनियमित रहा | जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

मद का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (लाख में)	व्ययित धनराशि	समाप्ति तिथि
पंचम राज्य वित्त	1	ग्राम सभा जंगल धुसड टोला बैतालगढ़ में प्रेम के घर से लालमन चौहान के घर होते हुए नगर रोड पुलिया तक सी०सी० कार्य	20.00	1783600	01/05/2022
	2	रामपुर गोपाल टोला शिवपुर में धर्मराज केवट के घर से निरंजन पासी के घर तक सी०सी० कार्य	10.00	899360	18/05/2022
	3	ग्राम विशुनपुरा लीलावती के घर से रमेश भारती के घर तक सी०सी० कार्य	10.00	899360	14/05/2022
अनटाइड ग्रांट	1	ग्राम पंचायत डोमिनगढ़ में बंधे मेन रोड से पप्पू राजभर के घर तक सी०सी० कार्य	10.00	843923	28/05/2022
	2	लोहरपुरवा के हनुमान नगर में दिलीप शर्मा के घर से प्राथमिक विद्यालय तक लेपन	33.51	2475170	28/05/2022
टाइड ग्रांट	1	ग्राम सभा जंगल गौरी नं० 1 झंगहा बाजार जल निकासी कार्य	10.00	799680	25/05/2022
	योग			7701093	
		अर्थदण्ड 7701093 का 1 प्रतिशत- 77010.93 अथवा रु0 77011			

प्रस्तर संख्या 2 –

आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने पर ठेकेदारों के बिलों से रू० 500 से 2000 तक विलम्ब शुल्क काटा गया है |

जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 ठेका की शर्तों खण्ड 2 क (भुगतानों से कटौती) के अनुसार समय ठेके का सार तत्व है| निर्माण कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने के लिए अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चित दिनांक तक ठेके के अन्तर्गत आने वाले निर्माण कार्य को ठेकेदार प्रारम्भ और पूरा कराएगा और उन दिनांकों के अन्तराल में ऐसे प्रगति विवरण पत्र में दिखाए गये परिमाण की अनुसूची और दिनांक तक निर्माण कार्य पूरा करेगा जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा एवं टेंडर के साथ संलग्न किया जायेगा| यदि निर्माण कार्य चाहे परिमाण में या समय में प्रगति विवरण पत्र में बकाये में रह जाय तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें निर्माण कार्य बकाये में रहे ठेकदार प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि की एक प्रतिशत के बराबर या ऐसी धनराशि का देनदार होगा जैसा मुख्य अधिकारी सम्पूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पर निश्चित करे, जिसका लिखित रूप से निर्णय अन्तिम होगा| प्रतिबन्ध सदैव यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की धनराशि निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के 10% से अधिक न हो जैसा कि टेंडर में किया गया है| ठेकेदारों द्वारा शपथ पत्र (एफिडेविट) में यह स्वीकार किया गया है कि यदि मेरे द्वारा अनुबंध में दी गयी समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं किया जाता है तो सक्षम अधिकारी मेरे भुगतान की धनराशि से 1% अर्थदण्ड की कटौती कर ले, किन्तु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा बिना किसी लिखित निर्णय या आदेश के कटौती की गयी है जो औचित्यहीन है| लेखा परीक्षा के अनुसार बिना लिखित रूप से निर्णय के पेनाल्टी काटना निर्णय नहीं करना है| संस्था का यह कथन कि इसमें समय सीमा बढाई गयी है जो लिखित नहीं प्रस्तुत रहा| अत: उत्तर अमान्य रहा| इस प्रकार नियमानुसार कटौती न कर रू० 334317.00 की अनियमितता की गयी है विवरण निम्नवत रहा –

दिनांक	प्रमाणक	लागत मूल्य	काटना चाहिए	काटी गयी धनराशि	कम काटी गयी
06/09/2021	15	1964600	19646	500	19146
	21	624937.96	6249	500	5749
13/09/2021	60	712954.66	7129	1500	5629
26/11/2021	35	1889730.40	18897	500	18397

	36	3170970	31709	1500	30209
22/12/2021	48	2537988.90	25379	500	24879
28/12/2021	64	793225	7932	1000	6932
राज्य वित्त मई 21	17	886766	8867	1000	7767
	18	713813.92	7138	1000	6138
	19	955051.53	9550	500	9050
	58	624016.50	6240	500	5740
	59	1335949.40	13359	500	12859
	65	892740.60	8927	200	8727
	67	893752.03	8937	500	8437
	68	2677468.98	26774	500	26274
	69	2675955	26759	500	26259
	73	893193	8931	500	8431
	76	582332	5823	500	5323
	80	89253	8925	500	8425
जनवरी 22	31	1020826.50	10208	1500	8708
	48	890737.77	8907	500	8407
	49	810703.30	8107	1000	7107
राज्य वित्त, अप्रैल	14	2118166.24	21181	1000	20181
	16	1433322.03	14333	1500	12833
	19	885760	8857	500	8357
	21	620478.10	6204	500	5704

	22	92296350	9229	500	8729
15 वां वित्त आयोग अनटाइड, अगस्त 21	3	459179.76	4591	500	4091
	4	622928	6229	500	5729
	योग				334317

इस प्रकार रु 334317.00 पेनाल्टी और जमा कराई जानी थी परन्तु ऐसा न करके उपरोक्त निर्माण कार्य नियमावली के ठेके की शर्त खण्ड 2 क का उल्लंघन किया गया है साथ ही विभिन्न स्टेजों पर मानिटरिंग भी नहीं की गयी है जिससे कार्यों में विलम्ब हुआ है, जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य उत्तरदायी रहे| आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या 3 –शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31/07/2015 के प्रस्तर 3 अनुसार जिला पंचायत प्राप्त अनुदान से एक से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओ पर कार्य करायेगी जिसके विपरीत जिला पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर लोगों के घरों को जोड़ने का कार्य किया है जो शासनादेश का उल्लंघन किया गया है | विवरण निम्नवत हैं-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्ययित धनराशि
1	बांसगांव- धनौड़ा खुर्द चौराहा सी०सी० रोड से भृगुनाथ के घर से जयचंद के घर तक सी०सी० कार्य	898486
2	ब्रह्मपुर- ग्राम खैरखुटा में टिकरी गुप्ता के घर से सीताराम के घर तक सी०सी० रोड	898240
	योग	1796726

इस प्रकार इन्टरलॉकिंग कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों को न जोड़कर व्यक्तियों के घरों को जोड़ने का कार्य कर रु० 1796726 की अनियमितता की गयी है| जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य उत्तरदायी रहे| आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या 4-

जिला पंचायत द्वारा ठेकेदारों को आपूर्ति किये गये बी०जी० 10 एवं इमल्सन के मूल्यों का उनके बिलों से समायोजन किया जाना चाहिये था किन्तु प्रमाणकों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न कार्यों पर जिला पंचायत द्वारा आपूर्ति की गयी बी0जी0 10 एवं इमल्सन के मूल्. का ठेकेदारों के बिलों से कटौती योग्य धनराशि से कम कटौती की गयी इस प्रकार रु0 375471.14 ठेकेदारों को देय धनराशि से अधिक भुगतान किया गया है। पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में यह कहा गया कि सम्बन्धित पत्रावली में सुरक्षित शेड्यूल सी के अनुसार ठेकेदारों को विटुमिन एवं इमल्सन निर्गत की गयी है उसी का मूल्य ठेकदारों से समायोजन कर भुगतान

किया गया है| शेड्यूल सी केवल दर का निर्धारण है प्रयुक्त मात्रा का नही। अत: इकाई के कथन की पुष्टि नहीं होती जिस अनियमितता हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य एवं सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी रहे|जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	माह	प्रमाणक	समायोजन जो होना चाहिए था						कुल धनराशि	समायोजित धनराशि	कम समायोजित
			प्रयुक्त बी०जी० 10			प्रयुक्त इमल्सन					
			मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि			
1	6/9/21	20	1.28	43266.84	55381.55	0.390	51915.8	20247.16	75628.71	73812	1816.71
2	6/9/21	21	1.295	”	56030.55	0.390	”	20247.16	76277.71	73812	2465.71
3	13/9/21	60	0.959	”	48619.80	0.292	”	15911.93	64531.73	62470.70	2061.03
4	26/12/21	48	4.710	”	203786.81	1.436	”	74551.08	278337.89	277159.91	1177.97
5	मई	17	3.498	”	151347.40	1.066	”	55342.24	206689.64	178083.55	28606.09
6	”	19	1.139	”	49280.93	0.347	”	18014.78	67295.71	65677.56	1618.15
7	”	64	1.592	”	68880.80	0.710	”	38860.21	107741.01	90598.68	17142.33
8	”	68	1.935	”	83721.33	0.590	”	30630.32	114351.65	104616.83	9734.82
9	”	71	3.103	”	134257	0.946	”	49112.34	183369.34	178861.05	4508.29
10	जनवरी 22	49	1.710	”	33986.29	0.521	”	27048.13	101034.42	93757.70	7276.72
11	28/6/21	73	2.468	41036.84	101278.92	-	-	-	101278.92	95205	6073.92
12	”	69	0.959	43266.84	41492.89	0.292	”	15159.41	56652.30	49842.24	6810.06
13	26/6/21	46	1.684	”	72861.35	0513	”	26632.80	99494.16	96050.18	3443.97
14	”	44	2.173	”	94018.14	0.662	”	34368.25	128387.09	120666.99	7720.10
15	”	38	3.783	”	163678.45	1.153	”	59858.91	223537.36	223386.49	150.87
16	11/6/21	27	3.679	”	157015.36	1.106	”	57418.87	214434.23	211483.51	2950.72
17	”	26	2.605	”	112710.19	0.794	”	41221.14	153931.25	135422.12	18509.13
18	अनटाइड	11	1.283	48612.24	62369.50	0.391	54492.97	21306.73	83676.23	81472.60	2203.63
21	मई 21	2	1.070	41263.41	44151.84	-	-	-	44151.84	40025.50	4126.34
22	”	3	7.598	”	313519.58	-	-	-	313519.58	89200	224319.58
23	22/4/21	14	3.69	43266.84	159654.63	1.125	51915.80	58405.27	218050.90	216934.10	1116.80
24	”	15	1.879	”	81298.39	0.572	”	29695.83	110994.22	109117	1877
25	”	16	2.768	”	119762.61	0.843	”	43765.01	163527.62	158959	4568.62
26	”	20	1.759	”	76106.33	0.536	”	27836.86	103933.23	96915.18	7018.05
27	17/8/21	3	1.158	41263.41	47783.02	-	-	-	47783.02	42501.31	5281.71
28	”	14	2.634	53580.14	141129.82	-	-	-	141129.82	138237	2892.82
योग											**375471.14**

प्रस्तर संख्या 5-ठेकेदारों को आपूर्ति किये गये बी०जी० 10 एवं इमल्सन जो ड्रम में किये जाते हैं के मूल्य का समायोजन उनके बिलों से जो किया गया है वास्तविक मूल्य से कम किया गया है| लेखा परीक्षा में बी०जी० 10 के ड्रम का एवं इमल्सन के ड्रम की दर क्रमश: प्रति ड्रम 200 एवं 150 रु० आकलित की गयी एवं अन्तरिम आपत्ति जारी की गयी किन्तु संस्था द्वारा अपने अनुपालन में बी०जी० 10 के खाली ड्रम 180 एवं इमल्सन का खाली ड्रम 200

का आकलन स्थानीय बाजार मूल्य पर ठेकेदारों के बिलों से कटौती को स्वीकार किया गया जिसके आधार पर खाली ड्रमों के मूल्यों का आकलन किया गया| इस प्रकार रु० 18210 से कम खाली ड्रमों के मूल्य का समायोजन कर जिला पंचायत की क्षति की गयी है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य एवं सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी रहे| आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है| विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	माह	प्रमाणक	प्रयुक्त बी०जी० 10				इमल्सन				कुल योग	समायोजित धनराशि	कम समायोजित
			मात्रा	ड्रम	दर	धनराशि	मात्रा	ड्रम	दर	धनराशि			
1	22/4/21	16	2.768	18	180	3240	0.843	5	200	1000	4240	3860	380
2	”	20	1.759	12	”	2160	0.536	3	”	600	2760	2400	360
3	18/5/21	3	7.598	49	”	8820	-	-	-	-	8820	-	8820
4	”	4	0.290	2	”	360	-	-	-	-	360	-	360
5	”	6	0.219	5	”	900	-	-	”	-	900	-	900
6	8/5/21	2	1.070	7	”	1260	-	-	-	-	1260	1080	180
7	18/5/21	7	1.108	8	”	1440	-	-	-	-	1440	1260	180
8	”	10	1.172	8	”	1440	-	-	-	-	1440	1260	180
9	मई	17	3.498	23	”	4140	1.066	6	200	1200	5340	4560	780
10	”	20	1.439	10	”	1800	0.438	3	”	600	2400	2020	380
11	”	27	0.811	6	”	1080	0.247	2	”	400	1480	1100	380
12	”	41	1.586	11	”	1980	0.483	3	”	600	2580	2200	380
13	”	64	1.592	11	”	1980	0.710	4	”	800	2780	2200	580
14	”	67	1.623	11	”	1980	0.495	3	”	600	2580	2200	380
15	”	69	3.257	22	”	3960	1.023	6	”	1200	5160	4780	380
16	”	71	3.103	20	”	3600	0.946	5	”	1000	4600	4420	180
17	11/6/21	25	1.60	11	”	1980	0.488	3	”	600	2580	2200	380
18	”	26	2.605	17	”	3060	0.794	4	”	800	3860	3300	560
19	”	27	3.629	24	”	4320	1.106	6	”	1200	5220	5140	80
20	26/6/21	38	3.783	25	”	4500	1.153	6	”	1200	5700	5530	170
21	”	46	1.684	11	”	1980	0.513	3	”	600	2580	2200	380
22	28/6/21	69	0.959	7	”	1260	0.292	1	”	200	1460	1100	360
23	”	73	2.468	16	”	2880	-	-	-	-	2880	2700	180
24	17/8/21	3	1.158	8	”	1440	-	-	-	-	1440	1260	180
25	6/9/21	21	1.295	9	”	1620	0.394	2	200	400	2020	1840	180
26	13/9/21	60	0.959	7	”	1260	0.292	2	”	400	1660	1280	380
27	26/11/21	19	1.874	13	”	2340	0.571	3	”	600	2940	2760	180
28	”	48	4.710	31	”	5580	1.436	8	”	1600	7180	6800	380
	योग												18210

प्रस्तर संख्या 6- आलोच्य वर्ष 2021-22 के जिला पंचायत गोरखपुर के दुकान किराया रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायतों के प्रांगण/बाजारों में स्थित दुकानों में अधिकांशत: दुकानों का किराया जमा नहीं हो रहा है एवं अधिकांश दुकानों के किराया

वसूली नाम मात्रिक या शून्य हो रही है| जिससे स्पष्ट होता है की सम्बन्धित क्षेत्र के कर समाहर्ता/प्रभारी कर अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किया जा रहा है जिससे संस्था को वित्तीय/आर्थिक क्षति हो रही है जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक के प्रावधानों के विपरीत रहा|

किराया जमा न होने के कारण विगत वर्षों तक के बकाये किराये की वसूली हेतु रु० 10557826 का अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जा चुका है किन्तु कार्यवाही/अनुपालन न किये जाने से आलोच्य वर्ष में कुल रु० 11874280 बकाया किराया रहा| अत: किराया जमा न होने के लिए संलग्न तालिका के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूली के प्रति लापरवाही के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है| विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	क्षेत्र पंचायत कानाम	आपत्ति सं०	स्थल का नामजहां दुकान स्थित है	वर्ष की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 21-22 मेंव सूली	31/03/22 कोअवशेष	जिम्मेदारव्यक्ति का नाम	गत वर्ष कीधनराशि जिस पर अधिकार कार्यवाही हो चुकी है
1	गगहा	-	जूनियर हाईस्कूल का प्रांगण	328440	1304735	1633175	37000	1596175	रामशीष कर निरीक्षक,राजी व शुक्ल प्रभारी कर अधिकारी,अशोक कुमारसिंह अपर मुख्य अधिकारी	1289294
2	गगहा	-	मवेशी खानाहाटा बाजार	244800	1029158	1273958	64000	1209958	उपरोक्त	1014739
3	गगहा	-	मवेशी खानामझगावा	46020	172637	218657	0	218657	उपरोक्त	172637
4	खजनी	-	जूनियर हाईस्कूल खजनीका प्रांगण	200052	340303	540355	154000	386355	दयाशंकर यादव कर समाहर्ता,राजी व शुक्ल प्रभारी कर अधिकारी,अशोककुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी	340306
5	कौड़ीराम	-	जूनियर हाई स्कूल कौड़ीराम का प्रांगण	342701	814117	1156818	420952	735866	राजेश सिंह कर निरीक्षक,राजी व शुक्ल प्रभारी कर	839595

									अधिकारी,अशोक कुमारसिंह अपर मुख्य अधिकारी	
6	कौड़ीराम	-	पुरानेदुकानों के छत के उपर	91680	245891	337571	72100	265471	उपरोक्त	245891
7	कौड़ीराम	-	पुरानेदुकानों के छत के नीचे	86280	261826	348106	133200	214906	उपरोक्त	261826
8	बांसगांव)क(	-	बोर्डिंगहाउस बांसगांव के प्रांगण में	240660	817757	1058417	149351	909066	सन्तोष सिंह कर अधिकारी	794779
	बांसगांव (ख(	-	नार्मलस्कूल बांसगांव खजनी रोड	184755	694111	878866	52124	826742	उपरोक्त	665886
		-	योग	425415	1511868	1937283	201475	1735808		5624953
9	उरुवा	-	प्रा०पा० माल्हनपार केप्रांगण में	194856	1237552	1432408	291614	1140794	उपरोक्त	1059910
10	उरुवा	-	सिकरीगंज	216324	496452	712776	94454	618322	उपरोक्त	496452
11	पाली	-	प्रा०पा०घघसरा बाजार	198444	516012	714456	115525	598931	अनिरुद्ध सिंह कर समाहर्ता	516012
	पाली	-	मवेशी खानाघघसराबाजार	203448	689500	892948	125475	767473	उपरोक्त	689500
		-	योग	401892	1205512	1607404	241000	1366404		1205512
12	चरगावां	-	पादरी बाजार	146676	97202	243878	145545	98333	धरीक्षण कर समाहर्ता	101092
13	बडहलगंज	-	बडहलगंज	777092	1175451	1952543	560798	1391745	पंचदेव चतुर्वेदी कर निरीक्षक	1175421
	योग			3502228	9892704	13394932	2416138	10978794		1276513
14	सहजनवां	-	मवेशीखाना	0	895486	मांग, वसूली नहीं		895486	अनिरुद्ध प्रसाद शर्मा	895486
	योग			3502228	10788190	13394932	2416138	11874280		

विस्तृत विवरणक्षेत्र पंचायतवार/स्थलवार निम्नवत है-

जूनियर हाई स्कूल काप्रांगण

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 कीमांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	संजय कुमारसिंह	7140	47181	54321	0	54321

2	2	पन्नेलाल	7140	45164	52304	0	52304
3	3	परमहंससिंह	7140	34437	41577	0	41577
4	4	छेदीसिंह	7140	33788	40928	0	40928
5	5	शिवेंद्रसिंह	7140	22923	30063	0	30063
6	6	जय सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह	7140	22923	30063	0	30063
7	7	सुनीलकुमार सिंह	7140	25049	32189	0	32189
8	8	शिवाजीसिंह	7140	32274	39414	0	39414
9	9	इन्द्रसेनसिंह	7140	47520	54660	0	54660
10	10	योगेश्वरसिंह	7140	46199	53339	0	53339
11	11	सत्यप्रकाशभारती		32395		0	0
12	12	सतीशसिंह	7140	21246	28386	0	28386
13	13	रामानंदसिंह	7140	21246	28386	0	28386
14	14	मंगनीसाहू	7140	20720	27860	0	27860
15	15	दयाशंकर	7140	35815	42955	0	42955
16	16	आनंद शंकरसिंह	7140	36992	44132	0	44132
17	17	रामअवधयादव	7140	44103	51243	0	51243
18	18	राधिकादेवी	7140	18035	25175	0	25175
19	19	श्रीमतीकिशोरीलाल	7140	36049	43189	0	43189
20	20	विनय कुमारसिंह	7140	37990	45130	0	45130
21	21	बालमुकुन्दचंद	7140	35308	42448	0	42448
22	22	उमेश कुमारसिंह	7140	38934	46074	0	46074
23	23	रणवीरसिंह	7140	14488	21628	0	21628
24	24	श्रीराममूरत	7140	57714	64854	0	64854
25	25	श्रीपूजन	7140	27116	34256	0	34256
26	26	श्रीराजाराम पटवा	7140	35722	42862	0	42862
27	27	रामसिंहासनसिंह	7140	27994	35134	10000	25134
28	28	अवधेशसिंह	7140	16216	23356	0	23356
29	29	सुरेन्द्रसिंह	7140	12424	19564	0	19564
30	30	श्रीमतीसुधा सिंह	7140	11424	18564	0	18564
31	31	दिनेशसिंह	7140	38896	46036	0	46036
32	32	अच्छेलाल	7140	10588	17728	0	17728
33	33	श्री रामनारायण	7140	16019	23159	0	23159

34	34	शान्तिसिंह	7140	8243	15383	0	15383
35	35	श्री रामसुन्दर प्रसाद	7140	14742	21882	0	21882
36	36	रामचन्द्रगुप्ता	7140	25528	32668	0	32668
37	37	रामेश्वरसिंह	7140	44792	51932	0	51932
38	38	अंगनू	7140	26904	34044	0	34044
39	39	मदनेशभारती/रूद्र प्रताप सिंह	7140	34416	41556	0	41556
40	40	परमेश्वरसाहू	7140	21708	28848	0	28848
41	41	सूर्यनाथसिंह	7140	19708	26848	0	26848
42	42	श्रीमतीचांदमती देवी	7140	26582	33722	0	33722
43	43	श्रीमतीसोना देवी	7140	20875	28015	2500	25515
44	44	रामबली	7140	40681	47821	0	47821
45	45	श्रीदेवीलाल	7140	15986	23126	1000	22126
46	46	श्रीमतीदुर्गावती देवी	7140	15990	23130	0	23130
47	47	अलमबरदार	7140	15993	23133	23500	367 अधिक
		योग	328440	1304735	1633175	37000	1596175

नोट-क्रमांक 11 पर सत्यप्रकाश भारती पर पिछला बकाया 32935 था किन्तु आलोच्य वर्ष मेंअवधारण वसूली नहीं दिखाया जा रहा है|

मवेशी खाना हाटाबाजार

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 कीमांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	गौरीशंकर	24480	72431	96911	4000	92911
2	2	रामदेवतिवारी	24480	91568	116048	6000	110048
3	3	श्री निवासशाही	24480	91568	116048	5000	111048
4	4	अविनाशचन्द्र पाण्डेय	24480	128931	153411	13000	140411
5	5	श्री रामजीदूबे	24480	150614	175094	7000	168094
6	6	श्रीपृथ्वीराज सिंह	24480	118706	143186	4000	139186
7	7	श्रीराधेश्याम चौरसिया	24480	111939	136419	6000	130419
8	8	श्री आशिकअली	24480	94921	119401	7000	112401
9	9	श्रीसुल्तान मोहम्मद	24480	79176	103656	5000	98656
10	10	श्रीइस्लाम अन्सारी	24480	89304	113784	7000	106784
		योग	244800	1029158	1273958	64000	1209958

मवेशी खानामझगांवा

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार / दुकानदार	वर्ष 21-22 कीमांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	हरिरामसिंह	9204	44049	53253	-	53253
2	2	राजमंगल	9204	35914	45118	-	45118
3	3	रामसिंहासनसिंह	9204	30414	39618	-	39618
4	4	परमात्माहलवाली	9204	28114	37318	-	37318
5	5	अशोक कुमारहलवाई	9204	34146	43350	-	43350
		योग	46020	172637	218657	-	218657

जूनियर हाई स्कूलखजनी का प्रांगण

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 21-22 कीमांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	सुशीलादेवी	17184	28396	45580	14000	31580
2	2	प्रेमनारायणतिवारी	17184	28393	45577	14000	31577
3	3	रामदेव	17184	28396	45580	14000	31580
4	4	चंद्रप्रकाश	17184	28396	45580	14000	31580
5	5	श्रीमतीसुलमा देवी	17184	28396	45580	14000	31580
6	6	दिनेशकुमार त्रिपाठी	17184	26564	43748	14000	29748
7	7	शिवदत्तराम त्रिपाठी	17184	26564	43748	14000	29748
8	8	वीरेन्द्रकुमार	17184	28396	45580	14000	31580
9	9	श्रीमतीचंपा देवी	17184	28396	45580	14000	31580
10	10	श्रीसच्चिदानंद	17184	28396	45580	14000	31580
11	11	श्री राकेशकुमार तिवारी	17184	28396	45580	14000	31580
12	12	श्रीप्रदीप कुमार गुप्ता	5514	15807	21321	0	21321
13	13	श्रीजनार्दन यादव	5514	15807	21321	0	21321
		योग	200052	340303	540355	154000	386355

जूनियर हाई स्कूलकौड़ीराम का प्रांगण

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 21-22 कीमांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	श्रीरामवृक्ष	9168	13204	22372	22472	100 अधिक
2	2	श्रीशम्भूशरण पाण्डेय	9168	1688	10856	9600	1256
3	3	श्री अजीतकुमार मिश्र	9168	3544	12712	9000	3712
4	4	श्रीयागवेंद्र सिंह	9168	20478	29646	6000	23646
5	5	श्री जयगोविन्द	9168	9332	18500	16168	2332
6	6	श्री कृष्णमुरारी पाण्डेय	9168	33390	42558	10000	32558
7	7	श्री राघवराम	9168	54593	63761	17000	46761
8	8	श्रीरामजतन	9168	28096	37264	10000	27264
9	9	श्रीभैरवनाथ गुप्ता	9168	14687	23855	7332	16523
10	10	श्रीसुभाषचन्द्र सिंह	9168	38364	47532	0	47532
11	11	श्री सुनीलराय	9168	45094	54262	17000	37262
12	12	श्री संजयकुमार राय	9168	45030	54198	0	54198
13	13	श्रीरामदरश राय	9168	7932	17100	13752	3348
14	14	श्रीरामनिवास राय	9168	7332	16500	7332	9168
15	15	श्री अनिलकुमार तिवारी	9168	16128	25296	0	25296
16	16	श्रीहौसिला प्रसाद	9168	26472	35640	10000	25640
17	17	श्री विजयनारायण	9168	9872	19040	17332	1708
18	18	श्री रामनारायण यादव	9168	11180	20348	9168	11180
19	19	श्रीमतीकलावती देवी	9168	38364	47532	0	47532
20	20	श्रीहौसिला प्रसाद मिश्र	9168	7344	16512	16512	0
21	21	श्रीभोजनाथ राय	9168	38264	47432	38264	9168
22	22	श्रीदिवाकर पाण्डेय	9168	44764	53932	44765	9167
23	23	श्री अनिलकुमार राय	8092	0	8092	8092	0
24	24	श्रीमुरारी गुप्ता	9168	7332	16500	0	16500
25	25	श्रीराधेश्याम जायसवाल	9168	33264	42432	2000	40432
26	26	श्रीमतीलीलावती देवी	9168	732	9900	9900	0
27	27	श्रीब्रह्मनंद राय		[38132]	0	0	0

28	28	श्रीबैजनाथ राम	9168	7332	16500	10000	6500
29	29	श्रीकेशभान राय	9168	27664	36832	5000	31832
30	30	श्रीसदावृक्ष मद्धेशिया	9168	7332	16500	7332	9168
31	31	श्रीरामप्रवेश	9168	46464	55632	0	55632
32	32	अश्वनीपाण्डेय/श्री भगवान चौधरी	9168	1039	10207	8414	1793
33	33	श्रीमतीफूलवासी देवी	9168	27864	37032	13000	24032
34	34	श्रीरविन्द्र सिंह	9168	34364	43532	4000	39532
35	35	श्रीमतीरीता देवी	9145	0	9145	9145	0
36	36	श्रीरामभवन यादव	9168	35584	44752	40040	4712
37	37	श्रीरामवृक्ष	9168	2980	12148	7332	4816
38	38	श्रीप्रेमसागर	4584	31792	36376	15000	21376
39	39	श्रीमुक्तिबाथ राय	9168	35222	44390	0	44390
		योग	342701	814117	1156818	420952	735866

नोट-क्रम संख्या 27 पर ब्रह्मानन्द पर गत बकाया 38132 था| आलोच्य वर्ष में न अवधारणएवं न वसूली न शेष दर्शाया जा रहा है|

पुरानी दुकानों के छतके उपर

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 की मांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	सुरेश राय	9168	26324	35492	2500	32992
2	2	चन्द्रभान राय	9168	43990	53158	5000	48158
3	3	कन्हैया	9168	30930	40098	40100	2 अधिक
4	4	श्री कैलाश	9168	17524	26692	3500	23192
5	5	श्री मोतीलाल	9168	32845	42013	1500	40513
6	6	श्री काली प्रसाद	9168	16384	25552	0	25552
7	7	श्री यागवेन्द्र सिंह	9168	57090	66258	0	66258
8	8	श्री अनिल कुमार गुप्ता	9168	7332	16500	16500	0
9	9	श्री सच्चिदानंद तिवारी	9168	0	9168	0	9168
10	10	श्री परमेश्वर गौड़	9168	13472	22640	3000	19640
		योग	91680	245891	337571	72100	265471

पुरानी दुकानों के छतके नीचे

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार / दुकानदार	वर्ष 21-22 कीमांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	सुरेशराय	8628	38202	46830	8000	38830
2	2	चन्द्रभानराय	8628	40252	48880	13000	35880
3	3	श्रीसुभाष	8628	24115	32743	32750	7 अधिक
4	4	श्रीभोलानाथ	8628	32691	41319	11200	30119
5	5	श्रीमोतीलाल	8628	4844	13472	14200	728 अधिक
6	6	श्रीदुर्गा	8628	11844	20472	14844	5628
7	7	श्रीयागवेन्द्र	8628	75812	84440	2000	82440
8	8	श्री अनिलकुमार राय	8628	6900	15528	15528	0
9	9	श्रीशिवानन्द तिवारी	8628	8050	16678	16678	0
10	10	श्रीदिनेश	8628	19116	27744	5000	22744
		योग	86280	261826	348106	133200	214906

बोर्डिंग हाउस बासगांव के प्रांगण में

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 कीमांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	मानवेन्द्र सिंह	9168	26760	35928	0	35928
2	2	श्री धर्मपाल सिंह	9168	40961	50129	0	50129
3	3	श्री शम्भुनाथ सिंह	9168	14169	23337	3666	19671
4	4	श्री मंजर आलम	9168	9168	18336	9170	9166
5	5	श्रीमती पूनम सिंह	9168	37960	47128	47128	0
6	6	श्री धर्मपाल सिंह	9168	47761	56929	0	56929
7	7	श्रीपवन कुमार सिंह व श्री लक्ष्मीकांत सिंह	9168	32291	41459	0	41459
8	8	श्रीमती कमलावती	9168	25224	34392	0	34392
9	9	श्रीमती गीता देवी	9168	12096	21264	21265	1 अधिक
10	10	श्री मुन्ना लाल	11460	32146	43606	0	43606
11	11, 12	श्री शिवाजी सिंह	18336	68244	86580	0	86580
12	13	श्री वेद प्रकाश शाही	9168	60511	69679	0	69679
13	14	श्री अमरनाथ गुप्ता	9168	24976	34144	4332	29812

14	10	मुन्ना लाल	9168	32146	41314	0	41314
15	15	श्री शम्भूनाथ सिंह	9168	13924	23092	3666	19426
16	16	श्रीमती कमलावती	9168	59336	68504	0	68504
17	17	श्री सुरेश सिंह	9168	53675	62843	0	62843
18	18	श्री हरिश्चन्द्र सिंह	9168	44163	53331	2000	51331
19	19	श्री दीनानाथ गुप्ता	9168	9164	18332	0	18332
20	20	श्री संजय सिंह	9168	57286	66454	1000	65454
21	21	श्री शिवाजी पाण्डेय	9168	30165	39333	4000	35333
22	22	श्री सोमनाथ गुप्ता	9168	40011	49179	4000	45179
23	23	श्रीमती सुन्द्रावतीदेवी	9168	18415	27583	21472	6111
24	24	श्री सन्तकुमार सिंह	9168	3669	12837	7652	5185
25	25	श्री सुभाषसिंह	9168	23536	32704	20000	12704
		योग	240660	817757	1058417	149351	909066

नार्मल स्कूल बांसगांव खजनी रोड

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार / दुकानदार	वर्ष 21-22 कीमांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	51	श्री सुनीलकुमार सिंह	9168	9168	18336	7332	11004
2	52	श्री अशोकसिंह	9168	42838	52006	0	52006
3	53	श्री सोनूसिंह	9168	13539	22707	0	22707
4	54	श्रीकृष्णकांत सिंह	3264	3641	6905	0	6905
5	55	श्री बलरामसिंह	3174	614	3788	0	3788
6	56	श्रीअभिषेक कुमार सिंह	3666	35053	38719	0	38719
7	57	श्रीमतीराय कुमारी पत्नी रविन्द्र सिंह	9168	16500	25668	0	25668
8	58	श्रीमतीअनीता सिंह	9168	43346	52514	0	52514
9	59/1	श्री तीरथसिंह	3072	0	3072	0	3072
10	59/2	श्रीप्रकाश	3072	4974	8046	0	8046
11	59/3	श्री गोधनगुप्ता	3072	7004	10076	0	10076
12	60	श्रीमोतीलाल	9168	44372	53540	0	53540
13	61	श्रीरामचन्द्र पाण्डेय	9168	42770	51938	0	51938
14	62	श्री दानबहादुर सिंह	9168	8900	18068	0	18068
15	63	श्री महदेवसिंह	9168	73028	82196	0	82196

24	81	महेशप्रसाद	7932	43552	51484	0	51484
25	82	श्रीप्रकाश	7932	28552	36484	0	36484
26	84	राकेश पुत्र राजेन्द्र	3972	10319	14291	14292	1 अधिक
16	64	श्रीओमप्रकाश हलवाई	9168	49960	59128	5000	54128
17	65	श्री सुरेशसिंह	9168	15960	25128	20000	5128
27	85	राकेशसिंह	7935	25379	33314	0	33314
18	66	श्री आनन्दसिंह	9168	50832	60000	4500	55500
19	67	श्रीरामजतन सिंह	9168	35974	45142	1000	44142
20	68/1	श्रीमोतीलाल	4656	20944	25600	0	25600
21	68/2	श्री राणाप्रताप सिंह	4656	19722	24378	0	24378
22	69	श्रीइन्द्रसेन सिंह	9168	47170	56338	0	56338
23	84	श्री रमेशसिंह		[7332}		0	0
	70	निर्माण नहीं					
	83	श्री श्रवण					
		योग	184755	694111	878866	52124	826742

नोट-क्रमांक 27,28,29 अपूर्ण है स्पष्टीकरण अपेक्षित है|

प्रा०पा० माल्हनपार के प्रांगण में (जमा नहीं है समायोजन है)

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 की मांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	श्री विद्यापुरी	8472	104078	112550	1978	110572
2	2	श्री ब्रह्मचर्यपाण्डेय	8472	112550	121022	10450	110572
3	3	श्री रामसुमेर मौर्य	8472	64316	72788	16990	55798
4	4	श्रीमती शान्ति देवी	8472	67666	76138	16990	59148
5	5	श्री रामचन्द्र गुप्ता	8472	81382	89854	16990	72864
6	6	श्री राम बहादुर चंद	8472	67410	75882	19818	56064
7	7	श्री सत्य नारायण चंद	8472	25724	34196	16990	17206
8	8	श्री घनश्याम शुक्ल	8472	72068	80540	16990	63550
9	9	श्रीश्याम नारायणनारदपाण्डेय	8472	67362	75834	16990	58844
10	10	श्री कालिका प्रसाद	8472	80202	88674	16990	71684
11	11	श्री रामनंदन मौर्य	8472	87502	95974	16990	78984

12	12	श्री पुरुषोत्तम राम	8472	40820	49292	16990	32302
13	13	श्री राजेन्द्र सिंह	8472	63794	72266	16990	55276
14	14	श्री चन्द्र देव राय	8472	69252	77724	16990	60734
15	15	श्री राकेश	8472	73958	82430	16990	65440
16	16	श्री विजय शंकर यादव	8472	64842	73314	16990	56324
17	17	श्री दीनदयाल पाण्डेय	8472	56502	64974	16990	47984
18	03एफ.एफ	श्री रामसुमेर मौर्य	8472	6354	14826	2982	11844
19	4एफ.एफ	श्रीभूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी	8472	6354	14826	6430	8396
20	5एफ.एफ	श्रीरामचंदर गुप्ता	8472	6354	14826	0	14826
21	9एफ.एफ	श्री श्यामनारायण शुक्ला	8472	6354	14826	5694	9132
22	10एफ.एफ	श्रीकालिका प्रसाद	8472	6354	14826	4990	9836
23	11एफ.एफ	श्रीरामनंदन मौर्य	8472	6354	14826	1412	13414
		योग	194856	1237552	1432408	291614	1140794

सिकरीगंज मेंस्थित

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 की मांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	श्री मोती लाल पुत्र रामभृगु	13740	17984	31724	7000	24724
2	2	श्री रामदेव प्रसाद	10932	9902	20834	4000	16834
3	3	श्रीमती अनारी देवी	10944	30459	41403	3000	38403
4	4	श्री रामवृक्ष	10944	1818	12762	4916	7846
5	5	श्रीमती मजिबुन निशा	10944	43158	54102	2000	52102
6	6	श्री राधेश्याम सिंह	10944	48166	59110	2500	56610
7	7	श्री सत्यानन्द	10944	50234	61178	1500	59678
8	8	श्री दिलीप कुमार	10944	14480	25424	14380	11044
9	9	श्री सरिक अन्सारी	10944	9632	20576	8930	11646
10	10	श्री उदयराज गुप्ता	13752	17220	30972	6622	24350
11	11	श्री केदार प्रसाद	13740	27212	40952	11000	29952
12	12	श्री उमेश प्रताप सिंह	10944	31332	42276	2000	40276

13	13	श्री जगदीश प्रसाद	10944	14262	25206	5106	20100
14	14	श्री त्रियुगी नारायणओझा	10944	49565	60509	0	60509
15	15	श्री रामलाल	10944	57192	68136	1000	67136
16	16	श्री हरिराम	10944	27587	38531	11000	27531
17	17	श्री रामसिंहासन मिश्र	10944	0	10944	0	10944
18	18	श्री रविन्द्रनाथ	10944	17786	28730	6500	22230
19	19	श्री विद्यासागर सिंह	10944	28463	39407	3000	36407
		योग	216324	496452	712776	94454	618322

प्रा०पा० घघसराबाजार

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 की मांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	राजेश कुमार	8628	2344	10972	8000	2972
2	2	रामललित	8628	16184	24812	6600	18212
3	3	जगदम्बा मौर्य	8628	4916	13544	8000	5544
4	4	बलराम मौर्य	8628	12260	20888	7200	13688
5	5	दिनेश कुमार विश्वकर्मा	8628	15436	24064	8000	16064
6	6	अश्विनी कुमार पुत्र रामउग्रह	8628	8634	17262	8000	9262
7	7	लालमन सिंह	8628	3596	12224	10500	1724
8	8	रामदरश गिरी	8628	42724	51352	5000	46352
9	9	धर्मेन्द्र मद्वेशिया	8628	17354	25982	7200	18782
10	10	रामकेवल	8628	0	8628	3500	5128
11	11	कृष्ण मुरारी यादब	8628	0	8628	6325	2303
12	12	राजाराम सिंह रमेश पुत्र शिवप्रसाद	8628	0	8628	6900	1728
13	13	चंद्रेश सिंह	8628	45978	54606	1000	53606
14	14	रामलौट पाण्डेय	8628	65134	73762	0	73762
15	15	फेरई प्रसाद	8628	16514	25142	3000	22142
16	16	हरिराम सिंह	8628	45334	53962	3000	50962
17	17	जंगली सिंह	8628	41104	49732	0	49732
18	18	रामजीवन	8628	21464	30092	7200	22892
19	19	द्वारिका प्रसाद	8628	28652	37280	1800	35480
20	20	विष्णु सिंह	8628	37004	45632	7000	38632

21	21	अमर सिंह	8628	37834	46462	0	46462
22	22	प्रदुम्न सिंह	8628	43314	51942	3000	48942
23	23	चक्रधारी	8628	10232	18860	4300	14560
		योग	198444	516012	714456	115525	598931

मवेशी खानाघघसरा

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 की मांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	सत्य नारायण संजय राय	17184	8502	25686	15515	10171
2	2	कृष्णमुरारी	14328	56855	71183	7000	64183
3	3	भानमती देवी	14328	48385	62713	10000	52713
4	4	बनारसी पाण्डेय	14328	39461	53789	5000	48789
5	5	पत्थर गुप्ता	14328	61566	75894	4000	71894
6	6	राधेश्याम	14328	101741	116069	0	116069
7	7	लालचंद गुप्ता	14328	87651	101979	6000	95979
8	8	सुनील दत्त मिश्र	14328	65609	79937	11500	68437
9	9	अशोक कुमार	14328	56059	70387	5000	65387
10	10	राम सिंह	14328	11110	25438	12000	13438
11	11	सरोज पाण्डेय	14328	31909	46237	22000	24237
12	12	त्रियुगी नारायण दूबे	14328	49498	63826	2000	61826
13	13	गोपाल	14328	57859	72187	13000	59187
14	14	संजय राय पुत्र नागेश्वरराय	14328	13295	27623	12460	15163
		योग	203448	689500	892948	125475	767473

विकास क्षेत्र चरगांवा
पादरी बाजार

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 की मांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1 व 2	उषा देवी	17256	6210	23466	16410	7056
2	3 व 4	सन्तोष कुमार वर्मा	17256	3600	20856	18720	2136
3	5	अवध बिहारी पुत्र माताप्रसाद	8628	4870	13498	5500	7998
4	6	अकरम खान	8628	3431	12059	6500	5559
5	7 व 8	शंकर प्रसाद	8628	6925	15553	8350	7203

6	9	अलोक कुमार वर्मा	8628	10755	19383	22780	3397 अधिक
7	10	मुखराम	8628	295	8923	8205	718
8	11	सी० के० सिंह	8628	10220	18848	6000	12848
9	12	राजकुमार	8628	6900	15528	12040	3488
10	13	मदन मोहन पुत्र गणेश प्रसादश्रीवास्तव	8628	14600	23228	8050	15178
11	14	भोला प्रसाद साहनी	8628	14160	22788	10000	12788
12	15	बबिता सिंह	8628	2295	10923	12640	1717 अधिक
13	16	रमाकांत चौहान	8628	288	8916	0	8916
14	17	विजय कुमार	8628	5728	14356	2000	12356
15	8	अखिलेश कुमार पुत्र स्व०शंकर	8628	6925	15553	8350	7203
		योग	146676	97202	243878	145545	98333

बडहलगंज

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 की मांग	पिछला मांग	योग	वसूली	31/03/22 कोअवशेष
1	1	ज्वाला प्रसाद दूबे	16296	14314	30610	17000	13610
2	2	ओमप्रकाश शुक्ल	16296	16503	32799	11000	21799
3	3	सत्य प्रकाश	16296	31736	48032	11000	37032
4	4	दयाशंकर	16296	7032	23328	14032	9296
5	5	मोहर्रम अली	16296	13032	29328	14400	14928
6	6	राजाराम	16296	13032	29328	21720	7608
7	7	वकील अहमद	16296	34455	50751	18500	32251
8	8	प्रभावती देवी पत्नी राजबहादुर	16296	37800	54096	0	54096
9	9	ओम प्रकाश चौरसिया	16296	10296	26592	18462	8130
10	10	मुहम्मद हुसैन	16296	20311	36607	17000	19607
11	11	छविनाथ	16296	46987	63283	10000	53283
12	12	किशुन	16296	54764	71060	4000	67060
13	13	शिवपूजन	16296	55164	71460	3000	68460
14	14	राधेश्याम	16296	35313	51609	3000	48609
15	15	विद्या निवास शुक्ल	16296	27267	43563	17000	26563
16	16	हरिहर प्रसाद पुत्र भगवाननाथ	16296	0	16296	6184	10112

17	17	प्रशांतकुमार चौरसिया	16296	16818	33114	4000	29114
18	18	कैलाश	16296	11996	28292	15000	13292
19	19	ओम प्रकाश चौरसिया	16296	11996	28292	15000	13292
20	20	प्रमोद कुमार	16296	14496	30792	14000	16792
21	21	हरिशंकर	16296	20336	36632	12000	24632
22	22	आकाश कुमार चौरसिया	12876	27868	40744	12000	28744
23	23	फूलचंद	12876	14451	27327	20000	7327
24	24	नागेन्द्र सिंह	16296	7235	23531	17000	6531
25	25	प्रदीप कुमार मोदनवाल	16296	24580	40876	11500	29376
26	26	मुहम्मद इस्माइल	16296	51210	67506	0	67506
27	27	अशोक कुमार गुप्ता	16296	31710	48006	5500	42506
28	28	शशिकला तिवारी	16296	28370	44666	16700	27966
29	29	कृष्ण कुमार पुत्र शंकरलाल	16296	34645	50941	12600	38341
30	30	सोमा देवी	16296	53744	70040	3800	66240
31	31	अम्बिका प्रसाद मौर्य	16296	10032	26328	10500	15828
32	32	निवास शुक्ला	16296	54563	70859	12000	58859
33	33	राधेश्याम	16296	55882	72178	14500	57678
34	34	नैय्यर सुल्तान	24000	2762	26762	26500	262
35	35	आफताब आलम	24000	8762	32762	29000	3762
36	36	अभिनव दूबे 'अनुरागदूबे	13032	31599	44631	16000	28631
37	37	सुरेश नाथ	0	24595	24595	10000	14595
38	38	सुभाष	16296	0	16296	0	16296
39	39	दीपनारायण पाण्डेय	13304	50138	63442	4000	59442
40	40	देवनारायण शाही पुत्र विजय प्रताप शाही	16296	0	16296	10500	5796
41	41	श्री राजबहादुर	16296	36203	52499	10000	42499
42	42	बलवंत शाही	16296	0	16296	11000	5296
43	43	धनंजय कुमार पुत्र रामआधार	16296	0	16296	0	16296
44	44	सन्तोष दूबे	12876	20450	33326	6000	27326
45	45	श्रवण कुमार शाही	12876	0	12876	15300	2424 अधिक

46	46-47/1	श्रीमती विंध्यवासिनी	19476	41656	61132	10000	51132
47	47/2	रामप्रीतशाही पत्नी दिग्विजय शाही	6456	16167	22623	0	22623
48	47/3	सुरेन्द्रसिंह	6456	12286	18742	0	18742
49	47/4	ध्रुवनारायण	6456	9989	16445	10000	6445
50	48	विनोदकुमार चौरसिया	12876	22378	35254	12100	23154
51	49	कृष्णचौरसिया	12876	10528	23404	8000	15404
		योग	777092	1175451	1952543	560798	1391745

सहजनवां मवेशीखाना मासिक किराया प्रतिमाह-764

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार /दुकानदार	वर्ष 21-22 की मांग	पिछलामांग	योग	वसूली	31/03/22 को अवशेष
1	16	सुमनदेवी	0	81125	0	0	0
2	17	रामसहाय	0	92861	0	0	0
3	18	फूलचन्द्रअग्रहरि	0	92861	0	0	0
4	19	सुनीलकुमार	0	86848	0	0	0
5	20	नाम अंकितनहीं	0	85848	0	0	0
6	21	मीराश्रीवास्तव	0	86848	0	0	0
7	22	मालाश्रीवास्तव	0	77680	0	0	0
8	23	चंद्रभानयादव	0	22005	0	0	0
9	24	रमेशत्रिपाठी	0	86848	0	0	0
10	25	रामप्रीतयादव	0	92781	0	0	0
11	26	रामबरनयादव	0	89781	0	0	0
		योग	0	895486	0	0	0

नोट-1 मवेशी खाना सहजनवां का रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाय क्योंकि अवधारण वसूली अवशेष की पुष्टि हो सके|

2- अनावश्यक रूप से गत बकाया धनराशियों में परिवर्तन किया गया है| स्पष्टीकरण अपेक्षित|

3- वर्षांत में बकायाकी धनराशि की वसूली न कर अनियमितता की गयी है|

आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या 7-

जिला पंचायत गोरखपुर के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में संचालित ईंट भट्ठों के रजिस्टर की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शेष ईंट भट्ठों पर गत वर्ष के बकाया की डिमांड नहीं लगाई जा रही है जबकि गत वर्ष की बकाया+वर्ष की मांग एवं वर्ष में वसूली पुन: अन्तिम शेष(बकाया) दिखाया जाना चाहिए जो नहीं दर्शाया जा रहा है साथ ही कतिपय ईंट भट्ठों पर न तो डिमांड लगाई गयी है न ही वसूली की गयी है एवं कतिपय ईंट भट्ठों के आगे लिखा है "बंद हैं" किन्तु तिथि नहीं अंकित है कि कब से बंद हैं| | कुल 190 ईंट भट्ठों का निम्न विवरणानुसार लाइसेंस जारी नहीं किया गया है जिनकी धनराशि (न्यूनतम दर से आकलित लेखा परीक्षा में की गयी) रु० 1909500 अवशेष है| संस्था द्वारा यह उत्तर दिया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग ईंट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर तैयार किये जाते हैं जिसमें गत वर्ष का बकाया अंकित नहीं रहता है| ईंट भट्ठा की जो डिमांड रहती है वही वसूली की जाती है| जिन ईंट भट्ठों की गत वर्ष का लाइसेंस वसूली हेतु शेष रह जाता है उनकी वसूली आगामी वित्तीय वर्ष में की जाती है| संस्था का उत्तर अमान्य रहा| अत: अवशेष ईंट भट्ठों की धनराशि रु० 1909500 की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है| विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	वि०ख० का नाम	कुल ईंट भट्ठों की सं०	लाइसेंस जारी	बन्द ईंट भट्ठों की सं०	ईंट भट्ठों की संख्या जिनका लाइसेंस जारी नहीं है	दर	धनराशि
1	चरगावां	39	28	3	8	10050	80400
2	जंगल कौड़िया	25	9	3	13	"	130650
3	खजनी	38	6	1	31	"	311550
4	गोला	12	2	-	10	"	100500
5	पिपराइच	32	15	-	17	"	170850
6	भटहट	38	26	3	9	"	90450
7	खोरावार	13	-	-	13	"	130650
8	पिपरौली	34	25	-	9	"	90450
9	पाली	19	13	-	6	"	60300
10	सरदारनगर	26	19	1 टाउन एरिया में	6	"	60300
11	ब्रह्मपुर	19	12	-	7	"	70350
12	सहजनवां	30	16	-	14	"	140700
13	कौड़ीराम	14	-	-	14	"	140700
14	बॉसगाँव	20	16	1	3	"	30150

15	गगहा	2	1	-	-	"	10050
16	बड़हलगंज	14	2	-	12	"	120600
17	उरुवा	11	5	1 टाउन एरिया में	5	"	50250
18	बेलघाट	24	13	2	9	"	90450
19	कैम्पियरगंज	14	10	1 टाउन एरिया में	3	"	30150
	योग	424	218	16	190	10050	1909500

प्रस्तर संख्या 8-

मोतीराम अड्डा कोइरान टोला में जिला पंचायत द्वारा निर्मित मार्ग पर लेपन मरम्मत की कार्य पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आपूर्ति की गयी गिट्टी हेतु एमएम 11 बाह्य जनपदों को किये गये आपूर्ति के संलग्न हैं जो अवैध परिवहन की श्रेणी में माने जायेंगे| अत: बिना वैध परिवहन के एमएम 11 संलग्न कर रायल्टी की क्षति की गयी है| विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	एम एम 11 का नम्बर	मद	मात्रा (मी^{3} में)	गंतव्य स्थल/ जनपद
1	आई एस टी बी एन 20662022010501012220	गिट्टी	27	महाराजगंज
2	92422022010466004 49	गिट्टी	27	महाराजगंज
3	20662022010501014 49	गिट्टी	27	महाराजगंज
	योग		81	

इस प्रकार 81 घन मीटर रायल्टी की दर 160 से शासनादेश के अनुसार पांच गुना रु० 81x160x5=64800 की वसूली अपेक्षित है| जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी रहे |

उपरोक्त के सम्बन्ध में संस्था का यह कथन कि प्रयुक्त एमएम 11 जनपद के सटे सीमावर्ती जनपद महाराजगंज का है | ठेकेद्वर द्वारा गिट्टी की खरीदारी ट्रांसपोर्टर से की जाती है, रायल्टी प्रपत्र उसी से प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है जिसका भूतत्व एवं खनिजकर्म निदेशालय की वेबसाईट पर स्वीकृति एवं सत्यापन प्रमाण पत्र है| संस्था का यह कथन मान्य नहीं है क्योंकि यह एमएम 11 जनपद महाराजगंज में भी प्रयुक्त किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता एवं वेबसाइट पर तो दिखेगा ही | अत: वसूल किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या 9-

जिला पंचायत गोरखपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में मूल अनुदान (अनटाइड ग्रांट) एव सशर्त अनुदान (टाइड ग्रांट) शीर्षों के अन्तर्गत निम्नानुसार धनराशियाँ प्राप्त हुईं-

मद	प्राप्त अनुदान	ब्याज	अन्य	योग

मूल अनुदान(अनटाइड ग्रांट)	172512795.00	4584470.00	28704.00	177125969.00
सशर्त अनुदान(टाइडग्रांट)	140076106.00	4968496.00	-	145044602.00
योग	312588901.00	9552966.00	28704.00	322170571.00

मूल अनुदान(अनटाइड ग्रांट) से प्राप्त धनराशि से मरम्मत लेपन कार्य पर व्यय 52530599 एवं नव निर्माण कार्य पर व्यय 65320241 कुल रु०117850840 व्यय किया गया है एवं प्राप्त सशर्त अनुदान(टाइडग्रांट) की धनराशि को पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा स्वच्छता चिन्हित कार्यों पर किया जाना था किन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त अनुदान 140076106 में से रु० 1756160 अनुदान रजि0/ कैशबुक/ टाइड अनुदान से कराये गये कार्यों की सूची के अनुसार व्यय टाइड फण्ड से भारत सरकार द्वारा अनुमन्य चिन्हित कार्यों पर व्यय न करके दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्यों पर किया गया है -

1. ग्राम सुरसा देउर बाबा टोला में लेपन/ मरम्मत/नाली रु०- 969920
2. ग्राम समधिया में नाली/इंटरलॉकिंग कार्य रु०- 786240

योग रु० – 1756160

लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली/माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी। चूंकि संदर्भित कार्य लेपन/मरम्मत/ इण्टरलार्किंग/नाली में से टाइड फण्ड के अन्तर्गत केवल नाली पर अनुमन्य है, शेष कार्यों पर भुगतान फण्ड डायवर्जन की श्रेणी में आयेगा। निर्माण पत्रावली एवं माप पुस्तिका प्रस्तुत नही करने से लेखा परीक्षा में लेपन/मरम्मत/ इण्टरलार्किंग पर हुए व्यय का आंकलन सम्भव नही रहा। इस प्रकार इकाई द्वारा धन का आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध मनमाने ढंग से व्यय किया जाना घोर अनियमितता है|उक्त अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी रहे| जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 10-

शासनादेश संख्या 677- रा०नि०आ०अनु० 3/पं०नि०/2021-13/2021 दिनांक 23/03/2021 के आलोक में जिला पंचायत गोरखपुर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रत्याशियों के लिये अदेय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कर्मचारियों को आदेशित किया गया। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक महोदय जिला पंचायत गोरखपुर के आदेश दि0 01.04.2021 के अनुसार जिला पंचायत गोरखपुर द्वारा जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को ही अदेय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय, जिस हेतु जिला पंचायत द्वारा पत्रांक 2(1)/जि0प0गो0/2021-22 दि0 02.04.2021 को जारी कर उक्त कार्य में लगे सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचित/हस्तगत कराया गया। पुन: उक्त तिथि में ही जिला पंचायत गोरखपुर का संशोधित आदेश पत्रांक 2(2)/जि0प0गो0/2021-22 दि0 02.04.2021 यह उल्लिखित करते हुए निर्गत किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक महोदय जिला पंचायत गोरखपुर के आदेश/अनुमोदन दि0 01.04.2021 के आलोक में केवल जिला पंचायत सदस्यों के लिये ही अदेय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय, परन्तु ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य को अदेय प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही किया गया है के क्रम में आदेशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य को अदेय प्रमाण पत्र नि:शुल्क निर्गत किया जाय।

उक्त के क्रम में कर्मचारियों द्वारा निर्गत शुल्क रसीदों पर बिना नाम, बिना दिनांक, कतिपय रसीदों पर मुद्रित धनराशि को शून्य लिख करके, कतिपय बिना मुद्रित धनराशि को बिना शून्य किये, आगे एवं पीछे

के क्रमांक की रसीदों पर मुद्रित धनराशि को काटकर शून्य करके, बीच के क्रमांक की रसीदों पर मुद्रित धनराशि को बिना शून्य किये रसीदें जारी की गयीं।

इस प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक महोदय जिला पंचायत गोरखपुर के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए आदेश की अवहेलना एवं अधिकारातीत कार्य करते हुए रसीदें निर्गत करायी गयीं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से यह घोषणा प्रसारित की गयी थी कि ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य से निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी केवल उसी से अदेय प्रमाण पत्र की मांग करेंगे जिसका नाम बकाया/देयता सूची में होगा। इसके बावजूद भी रसीदें निर्गत की गयीं। विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	रसीद संख्या	जारी करने का दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1	सन्तोष सिंह	258	2-4-21 से 3-4-21	50000	बीच की 18 रसीदें शून्य क्यों की गयी हैं
		40001 से 4100	2-4-21	10000	सभी शून्य करके काटी गयी
		2601 से 2700	31-3-21 से 2-4-21	7300	दिनांक 2-4-21 करके शून्य काटी गयी
		21501 से 21600	1-4-21 से 2-4-21	11000	शून्य करके काटी गयी 34 रसीदें
		601 से 700	2-4-21 से 4-4-21	3300	शून्य करके
		4101 से 4200	2-4-21 से 3-4-21	4900	300 जमा नहीं शेष शून्य करके
		20201 से 20300	2-4-21	50000	42000 जमा नहीं 8000 शून्य करके
			योग	136500	
2	विजय कुमार साहनी	221	2-4-21	50000	
		3701 से 3800	4-4-21	7900	
		242	3-4-21	50000	39000 शून्य करके
		299	कैम्पियरगंज की बिना दिनांक के	49500	बिना दिनांक की कटी है
		298	3-4-21	17000	
		235	2-4-21	50000	
		222	2-4-21	48500	31000 शून्य करके
		223	2-4-21	50000	
		224	2-4-21	49500	
		53	2-4-21	9800	
		52	2-4-21	6200	5 रसीदें बिना नाम दिनांक की
			3-4-21	3700	
			2-4-21	2700	15 रसीदें बिना नाम दिनांक की
		51	3-4-21	7300	
		3801 से 3900	4-4-21	10000	
		3601 से 3700	2-4-21	9800	
		293	2-4-21	50000	

			योग	471900	
3	रमाकान्त	57	5-6-21	3300	शून्य करके काटी गयी
		230	2-4-21 से 16-6-21	50000	कतिपय बिना दिनांक, बिना नाम के, कतिपय शून्य करके बिना नाम दिनांक के
		231	2-4-21 से 4-4-21	50000	
			योग	103300	
4	शुभम	269	5-6-21 से 3-7-21	42000	कतिपय शून्य करके निरस्त, कतिपय शून्य करके दी गयी
5	वी के एस	4958	-	500	मीरा पत्नी छविनाथ दोनों प्रति है निरस्त नहीं एवं जमा नहीं की गयी है
6	रुक्मिणी	282	4-4-21	5000	
		(1 से 12)	8-7-21	1000	
			योग	6000	
7	लेखाकार	21401 से 21500	-	50000	99 रसीद पर नाम 1 पर नाम नहीं| सभी बिना दिनांक के काटी गयी हैं|
8	संजय सहाय	75	3-4-21 व 4-4-21	5800	
		241	3-4-21 व 4-4-21	50000	
		1201 से 1300	2-4-21	10000	
		74	3-4-21 व 4-4-21	10000	
		73	2-4-21	10000	
		296	3-4-21 व 4-4-21	8500	कुल 17 रसीदें
			योग	94300	
9	अजय सिंह	3401 से 3500	2-4-21	1100	क्रमांक 90 से 100 तक
		96,97,98	2-4-21	30000	
		262,263,264,265	2-4-21 से 4-4-21	182000	क्रमांक 263 में 64 रसीदें कटी हैं
		20501 से 20600	2-4-21	50000	
		20601 से 20700	2-4-21	50000	
		3501 से 3600	2-4-21	9900	
		4401 से 4500	1-4-21 एवं 2-4-21	10000	दिनांक 1-4-21 को कटी रसीद भी नहीं जमा बिना शून्य कर दी गयी
		4901 से 5000	2-4-21	10000	
			योग	343000	

10	धरीक्षण	20901 से 21000	2-4-21	38500	77 रसीदें हैं
		77,78,79	2-4-21 एवं 3-4-21	30000	
		234, 242	2-4-21 एवं 4-4-21	90000	क्रमांक 242 में 80 रसीदें हैं
		8401 से 8500	4-4-21	9500	क्रमांक 82 से 100
			योग	168000	
11	अवधेश	245,246	3-4-21 एवं 4-4-21	37500 1 0500	75 रसीदें एवं 21 रसीदें
		3201 से 3300	2-4-21	10000	
		3101 से 3200	2-4-21	10000	
		3001 से 3100	2-4-21	9700	
		15201 से 15300	2-4-21	10000	
		86,87	2-4-21 एवं 3-4-21	19700	रु० 4500 दिनांक 2-4-21 एवं शेष 3-4-21 को कटी हैं
			योग	107400	
12	दयाशंकर यादव	17901 से 18000	1-4-21 एवं 2-4-21	40500	क्रमांक 1 से 18 एवं क्रमांक 73 की रसीदों की धनराशि जमा है| क्रमांक 19 से 72 की धनराशि क्यों नहीं जमा कर 73 की क्यों हुई| क्रमांक 75 से 100 दिनांक 2-4-21 को कटी हैं व जमा नही है
13	दिनेश पाण्डेय	501 से 600	2-4-21	8600	क्रमांक 86 से 100
		18901 से 19000	2-4-21	45500	क्रमांक 9 से 100
		232	2-4-21 से 4-4-21	42000	84 रसीदें
		67,68	3-4-21	19800	
		82,83	2-4-21	13200	क्रमांक 83 की 33 रसीदें
		401 से 500	2-4-21	10000	
		20801 से 20900	2-4-21	36500	73 रसीदें
			योग	175600	
14	पंचदेव चतुर्वेदी	226	2-4-21	50000	
		17101 से 17200	2-4-21	49500	केवल क्रमण 17167 की धनराशि जमा है
		17001 से 17100	2-4-21	50000	
			योग	149500	
15	राजेश सिंह	4701 से 4800	2-4-21	10000	
		256	-	44000	बिना दिनांक के काटी गयी है
		93	-	9800	बिना दिनांक के काटी गयी है

		4501 से 4600	2-4-21	10000	
		255		50000	कतिपय पर दिनांक नही कतिपय 3-4-21 को
			योग	123800	
16	राजीव शुक्ल	2401 से 2500	2-4-21	10000	
		4201 से 4300	2-4-21	9900	
		4301 से 4400	2-4-21	10000	क्रमांक 32 से 100 बिना नाम व दिनांक के कटी हैं
			योग	29900	
17	महेश	90	2-4-21	31000	क्रमांक 1 से 31
		251	4-4-21	6000	क्रमांक 1 से 12
		250	2-4-21	49000	
		249	2-4-21	49000	क्रमांक 1 की जमा है शेष 98 की धनराशि शून्य कर दिया गया है
			योग	135000	
18	शिवव्रत खरवार	59	2-4-21	10000	
		21801 से 21900	2-4-21	50000	
		बुक सं० B58	2-4-21	10000	कतिपय पर शून्य कुछ पर धनराशि नहीं कटी है
		बुक सं० B60	2-4-21	9900	
		बुक सं० B61	2-4-21	10000	कुछ पर हस्ताक्षर नहीं कुछ पर शून्य भी नहीं
		ए 142 क्रमांक 14101 से 14200	2-4-21 एवं 3-4-21	33000	66 रसीदें
		ए 220 क्रमांक 21901 से 22000	2-4-21 एवं 3-4-21	49500	
		ए 142 क्रमांक 5901 से 6000	2-4-21	49500	
			योग	221900	
19	गायत्री शाही	80 एवं 81	2-4-21	19700	
20	सन्तोष कुमार गौतम	16501 से 16600	2-4-21	44500	89 रसीदें
		301 से 400	27-3-21	3400	34 रसीदें
			योग	47900	
			कुल योग	2466700	

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 2-4-21 को आदेश निर्गत है तब तक रसीदें काटी जा चुकी थीं एवं 1-4-21 तथा 27-3-21 की भी कटी रसीदों की धनराशि जमा नहीं की गयी है| साथ ही बिना नाम, दिनांक की भी रसीदें काटी गयी हैं| इस प्रकार धनराशि कुल रु० 2466700.00 वसूल कर दुरुपयोगित कर ली गयी है| जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी एवं तम्बन्धित पटल सहायक उत्तरदायी हैं जिनसे सम्बन्धित धनराशि ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या 11-

आलोच्य वर्ष 21-22 में अपर मुख्य अधिकारी के लाग बुक की जाँच में निम्न कमियां/त्रुटियाँ पायी गयीं जो आपत्तिजनक एवं वसूली योग्य रहीं| विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	**दिनांक**	**स्थान, यात्रा कहां से कहां तक**	**यात्रा का उद्देश्य**	**कुल दूरी**	**अधिक दर्शित दूरी**
1	27.09.21	गोरखपुर कार्यालय से लखनऊ, लखनऊ से वापस कार्यालय गोरखपुर	लखनऊ बैठक हेतु	550 किमी	45 किमी
2	08.12.21	कार्यालय से लखनऊ व लखनऊ स्थानीय वापस कार्यालय गोरखपुर	उद्देश्य अंकित नही	610 किमी	60 किमी
3	19.12.21	कार्यालय से लखनऊ व लखनऊ स्थानीय वापस कार्यालय गोरखपुर	उद्देश्य अंकित नही	645 किमी	95 किमी
4	26.01.22	कार्यालय से लखनऊ व लखनऊ स्थानीय वापस कार्यालय गोरखपुर	T.S. हेतु	550 किमी	45 किमी
				योग-	**200 किमी**

उक्तानुसार लागबुक में क्रमांक 2 एवं 3 पर अंकित यात्राओं का उद्देश्य अंकित नही है तथा गोरखपुर से लखनऊ की दूरी एवं आना जाना अधिकतम 550 किमी है (जैसा कि क्रमांक 1 पर अंकित है) । इस प्रकार 200 किमी दूरी अधिक दर्शित है। लागबुक के अनुसार 09 किमी प्रति लीटर ईंधन खपत दर्शायी गयी है। इस प्रकार (200/9=) 22.23 लीटर डीजल औसत दर रु0 85 प्रति लीटर की दर से कुल रु0 1890 अधिक दर्शाया गया है जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी रहे जिनसे धनराशि की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 12-

प्रपत्र 5 के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वास्तविक धनराशि से कम धनराशि जिला निधि/कोष बही में जमाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है| विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	नाम कर समाहर्ता	रसीद संख्या	वास्तविक	जमा की गयी	कम जमा

			धनराशि	धनराशि	
1	दयाशंकर यादव	35982 से 36000	26220	25210	1010
2	विजय कुमार साहनी	59326 से 59340	44685	43730	955
3	पंचदेव चतुर्वेदी	40750 से 40766	19285	18730	555
4	अनिरुद्ध प्रसाद शर्मा	47901 से 47919	48220	42820	5400
5	राजेश कुमार सिंह	14101 से 14139	51175	46870	4305
6	राजीव शुक्ला	38828 से 38833	54077	47190	6887
				योग	19112

प्रस्तर संख्या 13-

शासनादेश संख्या 1/2017-सी०ए०/400/10/2017- मित०/1/2014 दिनांक 24/02/2017 के अनुसार राजकीय वाहन के उपयोग हेतु प्रतिमाह कर के लिए 1000 तथा जीप के लिए 800 की धनराशि राजकीय कोष में जमा की जाएगी किन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है| श्री अशोक कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी दिनांक 01.07.2017 से संस्था पर कार्यरत हैं अत :1000x57 माह(=रु0 57000) ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह से जमा कराकर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है| संस्था का यह कथन कि सरकारी वाहन निजी प्रयोग में नहीं किया जाता है केवल सरकारी कार्यों में प्रयोग होता है एवं कटौती के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग से कोई भी आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं है| इसलिए कटौती नहीं की जा सकती है| उत्तर मान्य नहीं है|अद्यतन भी कटौती नही की जा रही है, कटौती की जानी अपेक्षित है|

जनपद - कुशीनगर मण्डल - गोरखपुर

परिशिष्ट 'क'

जिला पंचायत

जनपद का नाम - कुशीनगर **मण्डल का नाम- गोरखपुर**

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर- 1

जिला पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों के किराया के विवरण से स्पष्ट है कुल मांग रुपया 10356543 के सापेक्ष रुपया 1482522 की वसूली हुई जो सिर्फ 14.31% है दुकानों का किराया मांग व वसूली का विवरण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रावली व किराया उपरोक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दुकानों से किराया के कुल मांग रुपया 10356543 के सापेक्ष वसूली रुपया 1482522 हुई है बकाया रुपया 8874021था इस प्रकार

आलोच्य वर्ष 2021-22 का कुल किराया बकाया रू0 8874021 था । इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा तथा कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।अ.जिला पंचायतों से जिन दुकानदारों को दुकानें किराये पर आवंटित की गयी थी उनको निर्धारित किराये का भुगतान किया जाना था। किराये को प्रत्येक तीन वर्ष में 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ संशोधित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वसूली में शिथिलता के कारण, जिला पंचायतों के स्वयं की दुकानों के किराये की वसूली नहीं हुयी थी। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

रजिस्टर के अनुसार निम्नवत् है:-					
क्रम सं	वर्ष की मांग	पिछला बकाया	कुल मांग	वसूली	अवशेष
1	464698	356606	821304	323569	497735
2	561935	993604	1555539	185506	1370033
3	736741	4064005	4800746	77377	4723369
4	131543	659913	791456	50040	741416
5	1037550	1349948	2387498	846030	1541468
योग	2932467	7424076	10356543	1482522	8874021

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	8874021	8874021

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**
प्रस्तर- 2

वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत अध्यक्ष,कुशीनगर तथा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा वाहन संख्या क्रमशः यूपी57एटी011 दिनांक 15-12-2018 से मई 2021 तक यूपी57एटी4900 दिनांक 22-05-2021 से वर्तमान समय तक तथा यूपी57एटी7656 दिनांक 22-05-2021 से वर्तमान समय तक उपयोग किया जा रहा है निम्नलिखित आपतिया पायी गयी ---क. उक्त हेतु टेंडर प्रक्रिया के द्वारा क्रमशःआर्यन ब्रिक फील्ड, पिपराजटानपुर को दर रुपया 30000 प्रति माह तथा खान ट्रेवल्स,फाजिलनगर/स्टार इंटरप्राइजेज को दर रुपया 27000 प्रति माह ठेका दिया गया परन्तु टेंडर पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट रूप से गंभीर अनियमितता प्रकट होता है क्योकि आर्यन ब्रिक फील्ड ईट तथा पेबर्स ब्लॉक का निर्माण कर सकता है परन्तु वाहन चालने हेतु संबिदा नही कर सकता ,बाद में उक्त फर्म का नाम उज्जवल एसोसिएट रख दिया गया जिसका जी एस टी एन o 09बीएक्सएफपीएस7491एन2जेडडी है।. खान ट्रेवल्स जिनका जी एस टी एन 09बीएटीपीके8438जी1जेडआई है उन्हें दिनांक 15-12-2018 से मई 2021 तक वाहन चलवाने हेतु संबिदा दिया गया परन्तु उक्त फर्म का जी एस टी एन इनवैलिड है। स्पष्ट रूप से गंभीर अनियमितता कर अनुबन्ध दिया गया जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार जिम्मेवार है। स्टार इंटरप्राइजेज जिसका जी एस

टी एन 09बीएचयूपीए9587क्यू1जेडजेड को दिनांक 22-05-2021 से वर्तमान समय तक वाहन चलवाने हेतु संबिदा दिया गया उक्त फर्म के जी एस टी एन के जाँच से स्पष्ट है फर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है परन्तु वाहन चालने हेतु संबिदा नही कर सकता अतः समस्त टेंडर प्रक्रिया में मनमानी कर उक्त फर्मो को ठेका दिया गया है। ख. फर्म द्वारा टेंडर के समय गलत जी एस टी एन या फर्जी जी एस टी एन दे कर संविदा प्राप्त करने में सम्बद्ध अधिकारियों की संलिप्तता प्रदर्शित होती है।आलोच्य वर्ष में कुल रुपया 678300 व्यय हुआ अतः सम्पूर्ण व्यय अनियमित है । जिसके लिए श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री अभय सिंह तथा भीम सिंह लेखाकार जिम्मेवार है. संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है.

क्र.सं.	दिनांक	गाड़ी नं0	किराया लिया गया
1	मई 2021तक, दिनांक22-05-2021से वर्तमान समय तक	यूपी57एटी 0011/4900दर रुपया 30000प्रति माह	357000
2	दिनांक 22-05-2021से वर्तमान समय तक	यूपी57एएन7656 दर रुपया27000प्रतिमाह	321300
योग			678300

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	678300	678300

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर- 3

पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत रघुनाथपुर पिच मार्ग से लखिमा में वंशराज सिंह के तरफ सी सी कार्य में इस कार्य हेतु लगाये गए रॉयल्टी के पेपर्स के जाँच में पाया गया कि कुल गिट्टी 220 घन मी तथा 86 घन०मी, मोरम 306 घन०मी एम एम-11/फॉर्म-3c के पेपर इनवैलिड था क्योकि ट्रक से यह सामग्री किसी दूसरे जिले में भेजा गया ।अतः 306*6*160=रुपया 293760 की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है ।परन्तु ठेकेदार से मिलीभगत तथा कूटरचना कर यह भुगतान किया गया अतः अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश,श्रीमती सावित्री / जयसवाल लिए जिसके,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,सुनील प्रताप सिंह जे०ई०जिम्मेवार है। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	293760	293760

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर -4

वर्ष 2021-22 में व्यय प्रमाणको की जाँच में पाया गया कि प्रकीर्ण विधि व्यय के अंतर्गत जिला पंचायत कुशीनगर के वादों के निस्तारण हेतु हाई कोर्ट तथा जिला न्यायालय में गत वर्ष 2020-21 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 100580.00 का भुगतान किया गया है ।जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194(सी)के अनुसार रुपया 30000 या उससे ऊपर के विधिक सेवा के भुगतान पर 2% टीडीएस की कटौती किया जाना अपेक्षित है लेकिन जिला पंचायत द्वारा उक्त कटौती न कर जिला पंचायत को रुपया 2012.00 की हानि पहुंचाई गयी है ।जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा तथा लेखाकार श्री अभय सिंह तथा भीम सिंह जिम्मेदार है । संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2012	2012

जिला पंचायत- कुशीनगर

जनपद-कुशीनगर

प्रस्तर- 5

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा किराये की गाड़ी एवं ईंधन पर किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् रहाः-

क्र.सं.	दिनांक	गाड़ी नं0	माह	डीजल/ पेट्रोल पर व्यय	कुल व्यय
1		यूपी57एटी0011/4900		142895	142895
2		यूपी57एएन7656		200058	200058
योग				342953	342953

उपरोक्त विवरणानुसार ईधन मद में रू0 342953.00 व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में वाहन करारनामा, लागबुक, तथा सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा।परन्तु मूवमेन्ट रजिस्टर से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी अतःकुल रु 342953.00 की अनियमितता की गई । जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा लेखाकार श्री भीम सिंह तथा अभय सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	342953	342953

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**
प्रस्तर- 6

शासनादेश सं0-04/866/33-2-14-93जी0/2004टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग-2 दिनांक 24.6.2014 तथा शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 जिसके अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित करेगी का पालन नहीं किया गया है। अधिकांश कार्य या तो एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत या एकही ग्राम पंचायत के भीतर स्थित है। जो अनियमितता है।जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश अध्यक्षा श्रीमती सावित्री जयसवाल तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा जिम्मेवार है . संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

क्योकि राज्य वित्त (चतुर्थ/ पंचम तथा 15 वा वित्त) के गाइडलाइन्स के अनुरूप ही कार्ययोजना का निर्माण किया जाना चाहिए। विवरण निम्न रहा।

क्रमांक	कार्य का नाम	लागत	कुल व्यय
1	धर्मपुर बुजूर्ग सम्पर्क मार्ग का पिच मरम्मत	3466400	3445120
2	महुअवा प्रा०वि०के पास से महुअवा जाने वाली मार्ग पर सी०सी०	998368	990864
3	पटहेरवा में योगेन्द्र श्रीवास्तव के घर से जि०प० जानेवाली मार्ग पर सी०सी०	999488	974400
4	मधुरिया में प्रा०वि० से मधुरिया गाँव के तरफ सी०सी०	997136	997024
5	लाला गुरवलिया में नगेन्द्रयादव के घर के पास पुराने सी०सी०रोड	996128	995904
6	भटहीबुजूर्ग नहर के पास गया गोंड के घोटठा के पास पुलिया	430528	430304
7	ग्राम सभा बरहज छठ घाट पर सी०सी०	345128	341488
8	भटहीखुर्द अलाउद्दीन के घर से नूर अंसारी के घोटठा तक सी०सी०	994000	993104
9	झनकौल में पीच रोड से हनुमान मंदिर के तरफ सी०सी०	741776	741664
10	गजरा काली मन्दिर के तरफ सी०सी०	980000	978880
11	बेलवा सुदामा पिच मार्ग से बेलवा गाँव के तरफ सी०सी०	920640	918400

12	नारायणपुर प्रा०वि० से पिच रोड तरफ सी०सी०	815360	812000
13	लक्ष्मीपुर मेन पिच रोड से रिलायंस टावर के तरफ सी०सी०	907200	906080
14	बडहरा पिच मार्ग से बडहरा मार्ग के तरफ सी०सी०	898240	897120
15	भटही पिच मार्ग से भटही शिव मन्दिर के तरफ सी०सी०	481600	480480
16	महुआडीह पिच मार्ग से महुआडीह लौंगरापुर प्रा वि० तरफ सी०सी०	729120	728560
17	परसौनी पडरी पिच मार्ग से पडरी गोदाम टोला के तरफ सी०सी०	871360	870240
18	बरवा महादेव टोला झुगिया पट्टी से बरवा बाजार के तरफ सी०सी०	844480	844480
19	पडरी पिच मार्ग से पडरी गाँव तक सी०सी०	700000	698880
20	रामघाट से रामजानकी मंदिर के तरफ सी०सी०	529760	529200
21	पकनहा में रोड से गाँव जानेवाली मार्ग पर सी सी	999040	995676
22	पकहा में छठी माई के स्थान से मेन पिच तक सी०सी०	994560	993440
23	खिरिया में सी०सी०रोड से बबलू के घर के तरफ सी०सी०	945280	944720
24	खिरिया में इ०ला०से मनेजर साहब के घर के तरफ सी०सी०	959840	958720
25	महुअवाखुर्द पिच रोड से इन्द्रजीत प्रसाद के घर तक सी०सी०	995680	995568
26	ग्राम सभा मोहनपुर में रामायण यादव के घर से भट्टे तरफ खडंजा	646240	643104
27	बलियवा में रामईश्वर के खेत से ड्रेन जानेवाली मार्ग तक खडंजा	997920	997136
28	पकड़ी में छठ घाट पर सी सी	2704576	2702560
29	असनाटोला हनुमानगढ़ी से हनुमान मंदिर के तरफ सी सी	1321600	1318240
30	महुई ई०ला० से महई प्रा०वि०के तरफ सी सी	1787520	1784160
31	गुनई छपरा पिच मार्ग से गुनई छपरा गाँव के तरफ सी सी	1416800	1414560

32	परसौनी बुजूर्ग में पिच रोड मौर्या बस्ती से गाँव की तरफ सी०सी०	999040	999480
33	अमवादीगर बाजार टोला में मेन पिच से मौर्य बस्ती तक सी०सी०	995456	994224
34	ग्राम सभा असना बड़े टोले इ०ला० से चौराहे तक सी०सी० कार्य	999499	996800
35	महुअवा बुजूर्ग में सुरेश वर्मा के घर से हरगोविन्द के घोट्ठा	468944	468384
36	धुनवलिया में गोरख यादव घोट्ठा से कुर्मी टोला जानेवाले मार्ग सीसी	996800	996576
37	धर्मपुरबुजूर्ग में पुराने इ०ला० के आगे छठ स्थान होकर सी सी	999040	997920
38	किन्नरपट्टी बाजार में मंदिर के चारो तरफ सी सी कार्य	999040	998480
39	बढवलिया खुर्द में सा०सह०समि० से सलाउद्दीन के घर तक सी०सी०	999040	996128
40	लोहेपार में रामजियावन के घर से मेन रोड के तरफ सी०सी०	954240	950880
41	लक्ष्मीपुर पिच से मुन्ना प्रधान के घर के तरफ सी०सी०	583520	582400
42	रामपुर भाठ गैस एजेंसी से जयप्रकाश के घर के तरफ सी०सी०	997920	987056
43	कोटवा में पंचायत भवन से बनवारी यादव के घर के तरफ सी०सी०	999040	997360
44	कोइन्दी गोसाईपट्टी में अवशेष सी०सी०	499520	498064
45	दोमाड कोठी बांका गिरी के घर से दुर्गा मंदिर तक सी०सी०	999040	995792
46	मठिया आलम में सी०सी०	999040	998368
47	घिनहुआ में सी०सी०	924000	922320
48	फरदहा टोला में नहर की पटरी खडंजा/	672000	667520
49	माघी मठिया में सी०सी०	999040	997920
50	राजपुर पुराने इ०ला० से गाँव के तरफ सी०सी०	999040	995904

51	जंगल विसूनपूरा में पिच से गाँव के तरफ सी०सी०	997920	992320
52	ठाढ़ीमार में पिच से से गाँव के तरफ सी०सी०	995680	990080
	योग		51346052

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	51346052	51346052

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**
प्रस्तर- 7

पन्द्रहवे वित्त के अंतर्गत अनटाइड मद साखोपार में एन०एच०-28बी से ब्रजेश जायसवाल के घर होते हुए अवधेश सिंह के घर से विजय पटेल के घर तक सम्पर्क मार्ग की कुल लागत रुपया (12%जी०एस०टी सहित) 3707200.00 है ।इस पर निम्नलिखित आपत्तियां पायी है - अ. इस कार्य हेतु दिनांक 16-11-2020 को निविदा आमंत्रित की गयी जिसमे तीन ठीकेदार (क्रमशःनीरज कुमार सिंह ने टेंडर प्रपत्र रुपया 3808.00 दिनांक 11-11-2020 परन्तु जमानत की धनराशि से सम्बंधित प्रपत्र नहीं पाया गया आई पी एड्रेस 103.82.82.199/दिनांक 15-11-2020 पाया गया ,फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन ने टेंडर प्रपत्र रुपया 3808.00 दिनांक 11-11-2020 जमानत की धनराशि रुपया 66500.00 पाया गया आई पी एड्रेस 103.82.82.199/दिनांक 15-11-2020 पाया गया तथा योगेन्द्र सिंह ने टेंडर प्रपत्र रुपया 3808.00 दिनांक 11-11-2020 परन्तु जमानत की धनराशि से सम्बंधित प्रपत्र नहीं पाया गया आई पी एड्रेस 103.82.82.199/दिनांक 15-11-2020 पाया गया) ने निविदा प्राप्त करने हेतु टेण्डर डाला है.दिनांक 21-11-2020 को ई-टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट के तहत फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन की सबसे कम बोली पाई गई, जिसे माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 23-12-2020 को टेंडर की स्वीकृति प्रदान किया गया परन्तु पत्रावली जाँच पर पता चला कि इन तीनों निविदाकर्ताओं के आई पी एड्रेस 103.82.82.199/दिनांक 15-11-2020 समान पाया गया है इसका अर्थ है कि एक ही कम्पूटर से तीनों निविदाकर्ताओं के अभिलेख अपलोड किया गया।स्पष्ट रूप से मिलीभगत तथा कूटरचना करके एक ही कम्पूटर से तीनों निविदाकर्ताओं के अभिलेख अपलोड कर पारदर्शिता भंग कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा अभियंता कर्ण सिंह जिम्मेवार है। सी. इस कार्य के अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 11-

01-2021 से 31-3-2021 तक किया जाना है।इस कार्य का एमबी जे०ई०महेश सिंह ने किया इस कार्य में बहुत ज्यादा विलम्ब किया गया फिर भी उक्त ठीकेदार पर कोई दंडात्मक कार्यवाही न कर उसे कार्य करने दिया गया जो विभागीय अधिकारीयों की ठीकेदार से संलिप्तता प्रदर्शित करता है ठीकेदार द्वारा समयावधि दिनांक 31-10-2021 तक बढाने की मांग की गयी जबकि उक्त तिथि तक रुपया 3125920.00 का भुगतान कर दिया गया। स्पष्ट रूप से गंभीर अनियमितता की गया है।डी. इस कार्य हेतु रुपया 58475.00 रॉयल्टी लिया जाना है जबकि रुपया 24860.00 जमा किया गया रुपया 33615.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।ई .इसके अतिरिक्त इस कार्य में 519 घन०मी मिटटी सड़क के किनारे पटरी पर उपभोग किया गया जिस पर रुपया 44716.00 व्यय हुआ परन्तु त्रिस्तरीय फोटो के अनुपस्थिति में उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी इसकी वसूली जे०ई०महेश सिंह विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल से किया जाना अपेक्षित है। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	3204251	3204251

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**
प्रस्तर-8

आलोच्य वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवा वित्त में टाइड मद के अंतर्गत सेवरही के विद्यालयों में मल्टीपल हैण्डवाश यूनिट की स्थापना पर कुल रुपया 898398.00 व्यय हुआ है

1. दिनांक 21-01-2022 रुपया 122259 31 विद्यालयों में
2. दिनांक 21-01-2022 रुपया 101209 31 विद्यालयों में
3. दिनांक 21-01-2022 रुपया 133348 45 विद्यालयों में
4. दिनांक 21-01-2022 रुपया 211385 45 विद्यालयों में
5. दिनांक 08-02-2022 रुपया 189291 46 विद्यालयों में
6. दिनांक 08-02-2022 रुपया 97811 46 विद्यालयों में
7. दिनांक 08-02-2022 रुपया 43095 14 विद्यालयों में

इस पर निम्नलिखित आपत्तियां है - ए. सरकारी दर सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी जिससे क्रय दर की पुष्टि नही की जा सकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। बी. इंस्टालेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो नही पाया गया। सी.

कार्यस्थल/विद्यालयों के नाम इत्यादि की सूची विवरण सहित संलग्न करके नही रखा गया है । डी. उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया जो अपेक्षित था । ई. त्रिस्तरीय फोटो/जिओटैग प्रस्तुत नही रहा ।पुष्टि ना होने के कारण संबंधित भुगतान अनियमित रहा ।जिसके लिए अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,महेश सिंह/सुनील प्रताप सिंह जे०ई०जिम्मेवार है। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	898398	898398

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**
प्रस्तर-9

चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य जो वर्ष 2019-20 के कार्ययोजना में था परन्तु ये कार्य आलोच्य वर्ष में भी अपूर्ण पाए गए ये कार्य सरकार के लिए अलाभकारी हो गए हैं ।तथा संबधित अधिकारी इस विलम्ब के लिए जिम्मेवार है क्योकि चतुर्थ राज्य वित्त के समयावधि के समाप्ति के पश्चात तथा पंचम वित्त के आने के बाद ये कार्य अब भी अपूर्ण है तो यह जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकरी तथा अभियंताओं के द्वारा लापरवाही का नतीजा है। विलम्ब के कारण ठीकेदारों पर कोई कड़ा कदम नहीं लिया जाता अपितु अर्थदण्ड के नाम पर रुपया 1000/2000 वसूला जाता है तथा कार्य के व्यय तथा गुणवत्ता पर भी असर होता है स्पष्ट रूप से कार्य न करा कर सरकारी धन रुपया 10560368.00 का दुरुपयोग किया गया है ।जिसके लिए जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती सावित्री देवी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा जिम्मेवार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है अन्यथा के स्थिति में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

क्रमांक	कार्य का नाम	लागत	2021-2022 व्यय तक
1	फाजिलनगर में जौरा गोविन्द टोला हनुमानगंज पुलिया के पास से पूरब रामऔतार के पकडी से पूर्व यू०पी०एस० के तरफ पिच निर्माण	1163680	885920
2	फाजिलनगर में भलुही में पिच रोड पेट्रोल पंप से गाँव की तरफ जाने वाली मार्ग पर सी सी	1309280	791840
3	बेलवनिया पिच से जू०हा०स्कूल होते कोडरा मार्ग के तरफ पिच	1919680	1317120
4	कसया मधवापुर में प्रकाश चौबे के घर से	2520000	1172640

	माताकोट स्थान पर पिच		
5	बघौच फाजिलनगर मुख्या मार्ग से प्रा० वि०	3045280	2721600
6	रहसु में संजय सिंह के खेत से मठियाटोला पिच तक पुराने इंटरलॉकिंग से आगे पिच	4655840	3187520
7	मंगरुआ पिच मार्ग से मंगरुआ सिवान के तरफ नाली निर्माण	1896496	483728
		16510256	10560368

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	10560368	0	10560368

जिला पंचायत-कुशीनगर **जनपद-कुशीनगर**
प्रस्तर-10

संस्था द्वारा निजी स्रोतों से आय से सम्बन्धित रजिस्टर (विभव कर) विकास खण्डवार मांग-वसूली रजिस्टर तैयार किया गया है। किन्तु यह रजिस्टर केवल तीन-तीन वर्षों हेतु अलग-अलग तैयार किये गये है। किन्तु किसी भी वर्ष के पिछला बकाया की धनराशि को वर्ष की मांग के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही बकाया के सापेक्ष वसूली दर्शित है। अर्थात संस्था द्वारा मात्र वर्ष की मांग के सापेक्ष वसूली की धनराशि को ही संस्था को आय की धनराशि में सम्मिलित किया जा रहा है तथा बकाया को धनराशि के विलुप्त कर वर्ष-प्रतिवर्ष संस्था को व्यापक क्षति पहुंचायी जा रही है। उक्त पंजिका में मदवार योग भी अंकित नहीं है। अर्थात वर्षालोच्य में कुल कितनी मांग लगायी गयी व उसके सापेक्ष की गयी कुल वसूली की धनराशि मांग के अभाव में स्पष्ट नहीं है। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि संस्था द्वारा निजी स्रोत को आय के सापेक्ष वसूली एवं अवशेष की स्थिति भ्रामक एवं अधूरी रखकर व्यापक अनियमितता की जा रही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मदवार कितनी इकाइयां स्थित है और समस्त इकाइयों के सापेक्ष मांग लगायी गयी अथवा नहीं। उपरोक्त की समीक्षा से (विभव कर मांग-वसूली रजिस्टर के अवलोकन से) यह भी स्पष्ट हुआ कि मात्र 30 प्रतिशत इकाइयों से वसूली आयी है। अर्थात 70 प्रतिशत इकाइयों से मांग की धनराशि वसूल न कर और न ही बकाये में दर्शित कर संस्था को आर्थिक क्षति की गयी है। इससे स्पष्ट है कि संस्था के अधिकारी/ कर्मचारी वसूली के प्रति सम्यक् सचेष्ट नहीं है तथा न ही बकाया की वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही लेखा परीक्षा में परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए विगत वर्षों से मांग वसूली एवं बकाया की स्थिति अंकित कराकर बकाया को वास्तविक धनराशि प्रदर्शित करते हुए उनकी वसूली के प्रति सम्यक् कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।लेखा परीक्षा में

लेखा परीक्षा गणनानुसार कतिपय विकास खण्डों के वर्ष 2021-22 की कुल विभव कर की मांग तथा उसके सापेक्ष वसूली तथा दिनांक 31.03.2022 को बकाया का विवरण निम्नवत् रहा:-

क्रम सं	विकास खण्ड का नाम	वर्ष की मांग	गत वर्ष का बकाया	कुल योग	वसूली	शेष
1	कसया	54000	2087374.62	2141374.62	96000	2045374.62
2	हाटा	54300	1492350	1546650	54300	1492350
3	खड्डा	105900	767900	873800	137300	736500
4	बिसुनपुरा	43200	614243	657443	79350	578093
5	तमकुही	336000	1452518	1788518	456900	1331618
6	रामकोला	180000	1074127	1254127	273700	980427
7	सुकरौली	108000	2650100	2758100	108000	2650100
8	नेबुआनौरंगिया	190500	1103274	1293774	190500	1103274
9	सेवरही	135200	2048304	2183504	160400	2023104
10	कप्तानगंज	308100	1464200	1772300	308100	1464200
11	फाजिलनगर	246300	2488744	2735044	292100	2442944
12	पड़रौना	312000	3846736.97	4158736.97	531150	3627586.97
13	दुदही	56700	1341160	1397860	49800	1348060
14	मोतीचक	243600	1796600	2040200	243600	1796600
		2373800	24227631.59	26601431.59	2981200	23620231.59

उपरोक्त विवरणानुसार रू0 26601431.59 की वसूली न करने के कारण संस्था की व्यापक आर्थिक क्षति हुई है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा एवं कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं सम्बंधित विकास खण्ड के राजस्व निरीक्षक संयुक्त रूप से जिम्मेदार है संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	23620231.59	23620231.59

प्रस्तर-11

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनको सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के उपाय उपलब्ध कराने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार

ने शासकीय अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह आदेश नवंबर 2009 भी जारी किया गया था कि नियोक्ता द्वारा निर्माण कार्य लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर काटा जाये निर्माण कार्य में लगे सभी विभागों को ठेकेदारों के देयकों से निर्धारित दर पर उपकर काटना आवश्यक था एवं उसे बोर्ड को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऐसी कटौती के 30 दिन के अन्दर प्रेषित करना था । जिला पंचायत, के अभिलेखों के जांच में पाया गया की ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्य कराये गये थे एवं उनको ₹568906281.00 का भुगतान किया जबकि आलोच्य वर्ष में कुल रुपया 5057390.00 लेबर सेस काटा गया था । यह पाया गया कि ठेकेदार के देयकों से एक प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी थी । प्राक्कलनों में ऐसा कोई प्रावधान न होने के कारण रू. 631673.00 उपकर की कम कटौती की गयी ।जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा, बृजलाल वितीय परामर्शदाता तथा लेखाकार भीम सिंह जिम्मेवार है जिससे उक्त जमा राजकीय राजस्व की पुष्टि न हो सकी।अलग शीर्ष बनाया जाना चाहिए था जो आपत्तिजनक रहा। व्याज सहित वसूली के साथ संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	631673	631673

प्रस्तर-12

केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत (अनटाईड)सुकरौली में मिश्रौली वृन्दावन पिच मार्ग मोहनापुर पिच मार्ग के तरफ लेपन कार्य का लागत (रुपया 3985290+12%जी०एस०टी 478234)=4463000 था इस कार्य का क्षेत्रफल 704*3.75*.075 *.45*.125= इस कार्य की एमबी जे०ई०सुनील सिंह द्वारा किया गया।निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयी-(क). पत्रावली में 7 ठीकेदार द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेना दिखाया गया परन्तु सिर्फ दो ठीकेदार के संबंधित पत्रावली मानक के अनुसार पाए गए जबकि अन्य ठीकेदारो की पत्रावली आधी -अधूरी लगी है,टेण्डर प्रक्रिया में घोर अनियमितता की गयी क्योकि में० कैलासी देवी द्वरा हॉटमिक्स प्लांट हेतु रुपया 400000 प्रति माह भाडा की संबिदा रंजीत सिंह से गयी जो संबिदा मूल्य के दसवां भाग है ।इसके अतिरिक्त किरण जयसवाल/राजकुमार द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र लगाया गया है जबकि इनके द्वारा टेण्डर प्रपत्र फॉर्म-5 नहीं लिया गया है ।मनीष सिंह प्रेम इंटरप्राइजेज तथा महावीर ईट उद्योग द्वारा भी इस टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना दिखाया गया है परन्तु पत्रावली में संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं लगा है। माँ अम्बे कंस्ट्रक्शन की बोली ऊँची होने के कारण उनकी निविदा को निरस्त कर दिया गया इस कार्य

का ठेका श्री कंस्ट्रक्शन(जितेन्द्र प्रताप सिंह) को दिया गया तथा ठीकेदार द्वारा जमानत का 10%तथा सम्बद्ध धनराशि जमा कर दिया।(ख). परन्तु लेपन कार्य हेतु बिटुमिन तथा इमल्शन क्रय से संबंधित अभिलेख पत्रावली में नहीं रहा जिससे व्यय की पुष्टि नही हो सकी ।लेपन कार्य बिना बिटुमिन तथा इमल्शन के नहीं हो सकता।(ग). इसके अतिरिक्त निर्माण हेतु 574 घन मी० सैंड स्टोन/ बलास्ट(गिट्टी)की आपूर्ति किया जाना था परन्तु पत्रावली में एम एम-11/फार्म-3सी से संबंधित सिर्फ एक इंटर स्टेट ट्रांजिट पास नंबर 2111453441 दिनांक 14-3-2022से 24.5घन मी०पहाड़ी (मध्य प्रदेश)से महाराजगंज आपूर्ति पाया गया।(नियमानुसार संबंधित ठेकेदार द्वारा एम एम-11/ फॉर्म -3सी अपने हस्ताक्षरोपरांत ही विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत एम एम-11/ फॉर्म 3सी पर संबंधित अवर अभियंता से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाए कि अमुक एम एम11 /फॉर्म 3सी उसी कार्य से संबंधित हैं तथा ठेकेदार से प्राप्त एम एम-11 औरफार्म -3सी की ऑथैंटिसिटी के सत्यापन की जिम्मेवारी संबंधित सहायक अभियंता की होगी। सहायक अभियंता से पारित बीजक में संलग्न एम एम-11 और फॉर्म-3सी और उपरोक्तानुसार कार्यवाही के उपरांत पीएसी, प्रखंडीय लेखा अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता द्वारा भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। एम एम -11 और फॉर्म-3सी का बिना सत्यापन तथा फर्जी एम एम-11 /फॉर्म- 3सी या डुप्लीकेट एम एम-11/फार्म- 3सीके आधार पर ठेकेदार को भुगतान करने पर परिलक्षित शासकीय क्षति के लिए संबंधित सहायक अभियंता, पीएसी, प्रखंड लेखाधिकारी बराबर के जिम्मेदार होंगे।)जबकि संलग्न रॉयल्टीप्रपत्र के अनुसार 574.929 घन मी० की आपूर्ति किया गया अतः भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा सब डिवीज़न लेवल रिपोर्ट गलत/फर्जी है अतः 574*160*6=रुपया 551040 की वसूली सम्बद्ध ठीकेदार से किया जाना अपेक्षित है क्योकि नियमविरुद्ध उक्त रॉयल्टी प्रपत्र को सही ठहरा कर सरकार को हानि पहुचाई गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा सुनील प्रतापसिंह जे०ई०जिम्मेवार है।(घ).यह कार्य अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 31-3-2021 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन यह कार्य दिनांक 31-3-2022 तक पूर्ण कियागया परन्तु ठीकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए समयावधि बढाने हेतु कोई भी पत्र नहीं लिखा गया न ही जिला पंचायत द्वारा कार्य में विलम्ब से सम्बंधित कोई नोटिस ही दिया गया इसकी जानकारी (दिनांक 6-4-2022 को रुपया 1300320.00 का भुगतान किये जाने पर) मिली जिसमे रुपया 2000.00 अर्थदण्ड वसूला गया था ।जबकि यह लागत के 1% होना चाहिए परन्तु माननीय अध्यक्षा के विवेकाधिकार द्वारा इसे कम कर दिया गया स्पष्ट रूप से मिलीभगत तथा कूटरचना कर रुपया 3958080.00 का भुगतान कर व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।(च). जे० ई०द्वारा कार्य सम्बन्धी कोई आख्या भी नहीं दिया गया । संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-13

अहिरौली मेन रोड से बेन्दुआर बाजार होते हुए जी०एस० वर्ल्ड स्कूल के तरफ सी सी कार्य की कुल लागत रु 2022720 थी जिसके संबंध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयी -

(अ)एम बी तथा कॉनजमसन ऑफ़ मटेरियल के अनुसार/रॉयल्टी चार्ट के पेपर के अनुसार दर्शित है--

उपखनिज के नाम	बिल ऑफ़ क्वांटिटी	वैलिड क्वांटिटी	इनवैलिड क्वांटिटी
सैंड स्टोन / क्वार्टजाइट बलास्ट (गिट्टी)	94.13	100	120
ग्रेनाइट/डोलोस्टोन गिट्टी	42.53	90	36
मोरंग	42.53	48	138
	179.19	238	294

जबकि पत्रावली में एम एम-11/फॉर्म-3c से संबंधित प्रपत्र तथा सिर्फ 3 गाड़ियों के ट्रांजिटपास नंबर 31412107090044000 15,31382107990110002 11, 31622003157 200257 पाए गए जिसके अनुसार 42.53 घनमी मोरम के सापेक्ष 48 घन मी मोरुम तथा 42.53 घन मी ग्रेनाइट डोलोस्टोन बलास्ट (गिट्टी) के सापेक्ष 20 घन मी गिट्टी आपूर्ति किया गया जबकि बिल ऑफ़ क्वांटिटी के अनुसार 94.13 घन मी सैंड स्टोन / क्वार्टजाइट बलास्ट (गिट्टी) के सापेक्ष शून्य आपूर्ति रही। स्पस्ट रूप से बिना सामग्री के निर्माण किया गया।

(ख) संलग्न रॉयल्टी प्रपत्र के अनुसार 179.19 घन मी० की आपूर्ति किया जाना था जबकि पत्रावली में संलग्न रॉयल्टी प्रपत्र के अनुसार 238 घनमी वैलिड क्वांटिटी आपूर्ति पाया गया तथा 294 घनमी इनवैलिड क्वांटिटी पाया गया अतः भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा सब डिवीज़न लेवल रिपोर्ट गलत/फर्जी है। नियमविरुद्ध उक्त रॉयल्टी प्रपत्र को सही ठहरा सरकार को हानि पहुचाई गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा सुनील प्रताप सिंह जे०ई०जिम्मेवार है।अतः परियोजना पर व्यय किया गया कुल रुपया 2022720.00 अनियमित रहा जिसकी वसूली सम्बद्ध ठीकेदार से किया जाना अपेक्षित है ।

(ग) अनुबन्ध पत्र के अनुसार कार्य दिनांक 31-3-2021 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन यह कार्य दिनांक 31-3-2021 तक अपूर्ण रहा ठीकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए समयावधि बढाने हेतु कोई भी पत्र नहीं लिखा गया न ही जिला पंचायत द्वारा कार्य में विलम्ब से सम्बंधित कोई नोटिस ही दिया गया ।इस

सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में यह तथ्य तब प्रकाश में आया जब जिला पंचायत द्वारा दिनांक 18-09-202 को रुपया 219520.00 का भुगतान किये जाने के सापेक्ष रुपया 1000 अर्थदण्ड वसूला किया गया ।उल्लेखनीय है कि जे० ई० द्वारा कार्य सम्बन्धी कोई आख्या नहीं दिया । स्पष्ट है कि व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है तथा आपसी मिलीभगत तथा कूटरचना कर रुपया 219520.00 का भुगतान किया गया है जिसके लिए अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा सुनील प्रताप सिंह जे०ई०जिम्मेवार है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बंधित पक्षों से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है । संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-14

चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत सपहा रजवाबर मार्ग पिच से मैनपुर दीनापट्टी पिच मार्ग तक पिच कार्य की लागत रुपया (जी एस टी 12%सहित) 1893000 है ।इस कार्य की लम्बाई 297 मी० है तथा इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति दिनांक 16-12-2019 को दिया गया । इस कार्य का एम० बी० जे०ई० श्री महेश सिंह द्वारा बनाया गया है। इस कार्य से सम्बंधित निम्नलिखित आपतिया है --

(अ) इस कार्य हेतु दिनांक 15-10-2020 को निविदा खोली गयी जिसमे तीन ठीकेदार क्रमशः योगेन्द्र सिंह ,ईश्वरी प्रसाद मिश्र तथा ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया ,परन्तु पत्रावली की जाँच में पाया गया कि योगेन्द्र सिंह तथा ईश्वरी प्रसाद मिश्र द्वारा ई-टेंडरिंग में निविदाकर्ताओं के आई पी एड्रेस से संबंधित पत्रावली नहीं पाई गई जबकि ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जिनका आई पी एड्रेस 103.82.80.91 दिनांक 14-10-2020 पाया गया,को कार्य का अनुबन्ध दिया गया तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 28-10-2020 को यह अनुबन्ध स्वीकार किया गया स्पष्ट रूप से टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता किया गया है इसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा अभियंता कर्ण सिंह जिम्मेवार है।

(ब)इस कार्य के पत्रावली में ईश्वरी प्रसाद मिश्र द्वारा लेबर सेस जमा करना दिखाया गया है जो अमान्य है क्योंकि इस कार्य का अनुबन्ध ज्ञानेन्द्र कुमार यादव को दिया गया था ।

(स)इस कार्य को दिनांक 31.07.2021 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु कार्य में विलम्ब होने के कारण जिला पंचायत द्वारा ठीकेदार को दिनांक 27-01-2021 तथा अन्य तिथियों में नोटिस दिया गया एवं कार्य पूर्ण कराये जाने की अवधि दिनांक 31-12-2021 तक बढ़ा दी

गयी ,परन्तु ठेकेदार द्वारा पुनः दिनांक 31-07-2022 तक समयावधि बढाने हेतु बार बार आवेदन गया जबकि इस दौरान जिला पंचायत द्वारा न ही कोई नोटिस नही दिया गया न ही ठीकेदार को ब्लैक लिस्ट ही किया गया ,इसके अतिरिक्त विलम्ब होने के कारण अर्थदण्ड के रूप में मात्र रुपया 2000 की वसूली की गयी जो नियमानुसार भुगतान के धनराशि के 1% होना चाहिए परन्तु माननीय अध्यक्षा के विवेकाधिकार के अनुसार इस धनराशि को कम करके वसूला गया।स्पष्ट रूप से जे०ई० महेश सिंह द्वारा आख्या देने के कारण तथा मिलीभगत करके सम्पूर्ण धनराशि रुपया 1892688.00 का भुगतान किया गया जिसके लिए सम्बद्ध अधिकारी गण तथा अध्यक्ष श्री विनयप्रकाश/अध्यक्षाश्रीमती सावित्री जिम्मेवार है।इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पस्ट है कि चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत सपहा राज्वावल मार्ग पिच से मैंनपुर दीनपटी मार्ग पर कुल रुपया 1892688.00 भुगतान पर गंभीर अनियमितता बरती गयी है जिसके अध्यक्ष विनय प्रकाश तथा सावित्री जयसवाल अपर मुख्य अधिकारी विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल जेई महेश सिंह जिम्मेवार है. संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1892688.00	1892688.00

प्रस्तर-15

माघी कोठिलवा सम्पर्क मार्ग से प्रा०विद्यालय बलुआ धुमनगर होते हुए माघी कोठिलवा अरनहवा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य की कुल लागत रुपया (12%जी एस टी सहित)13161495 है इस पर निम्नलिखित आपत्तियां पायी है -

(क)इ-टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में अंकित इंटरप्राइजेज,मुरारी इंटरप्राइजेज तथा स्टार इंटरप्राइजेज द्वारा भाग लेना दिखाया गया जबकि पत्रावली में 4 ठेकेदारों की पत्रावली पाया गया जिसमे मुरारी इंटरप्राइजेज तथा सदाशिवमणि त्रिपाठी से सम्बंधित कोई अभिलेख नहीं पाया गया न ही जमानत की धनराशि और सत्यंकार धनराशि ही जमा कराया गया । जबकि पत्रावली में श्री इंटरप्राइजेज द्वारा टैंडर जमानत की धनराशि और सत्यंकार धनराशि जमा कराया गया ।परन्तु इ-टेंडरिंग प्रक्रिया का उलंघन कर अंकित एंटरप्राइजेज को ठेका देकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा,अभियंता श्री कर्ण सिंह तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री ब्रजलाल जिम्मेवार है ।

(ख) पत्रांक 653 दिनांक 4-6-2022 को कार्य में अनियमितता को लेकर सुचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी भी मांगी गयी।

(ग) इस कार्य का एमबी जे०ई०विनोद कुमार द्वारा किया गया इस कार्य में बहुत ज्यादा विलम्ब किया गया फिर भी उक्त ठीकेदार पर कोई दंडात्मक कार्यवाही न कर उसे कार्य करने दिया गया जो विभागीय अधिकारीयों की ठीकेदार से संलिप्तता दर्शित

करता है क्योकि यह कार्य दिनांक 31-3-2021 को समाप्त करना था जबकि विभिन्न कारणोंवश ठीकेदार को बार-बार समयावधि बढाई गयी अंतिम बार समयावधि 15-6-2022 को बढाया किया। अर्थदण्ड के नाम पर नोमिनल अर्थदण्ड रुपया 2000/1000 लगाया गया है जबकि नियमानुसार पेमेंट का 1%अर्थदण्ड वसूला जाना चाहिए परन्तु माननीय अध्यक्ष द्वारा विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर रुपया 2000/1000 कर दिया जाता है जो सम्बद्ध ठीकेदार से संलिप्तता दर्शाता है।

(घ) इस कार्य हेतु बिटुमिन तथा इमल्शन क्रय/आपूर्ति(रुपया 1869850.00) ठीकेदार को न करके दुसरे को देकर गंभीर अनियमितता किया गया क्योकि इमल्शन की आपूर्ति प्राइवेट एजेंसी जी०आर० इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हरदोई द्वारा संजीव कुमार यादव को किया गया जबकि बिटुमिन की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रम इंडियन आयल कारपोरेशन,मथुरा द्वारा संजीव कुमार यादव को किया गया।स्पस्ट रूप ये सामग्री की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रम से न करके प्राइवेट एजेंसी से कर नियमविरुद्ध कार्य किया गया इसके अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति दुसरे ठीकेदार को कर गंभीर अनियमितता किया गया।

(ड) कार्य के एमबी/ कॉनजमसन ऑफ़ मटेरियल के अनुसार कुल गिट्टी 1996 घन मी का इस्तेमाल किया जाना था जिसके सापेक्ष संलग्न रॉयल्टी प्रपत्र के जाँच में 113 ट्रांजिट पास नंबर पाए गए परन्तु एम एम-11/फॉर्म-3सी के अनुसार 144 प्रपत्र पाए गये जबकि 2707.05 घन मी गिट्टी मात्रा की आपूर्ति की गयी । स्पष्ट है कि नियमविरुद्ध उक्त रॉयल्टी प्रपत्र तथा उपरोक्त कारणों(मिलीभगत तथा कूटरचना कर सारे भुगतान किया गया है) से सरकार को हानि पहुचाई गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा कर्ण सिंह तथा विनोद कुमार जे०ई०जिम्मेवार है।अतः कुल रुपया 13161495 की वसूली सम्बद्ध ठीकेदार से किया जाना अपेक्षित है ।

(च)त्रिस्तरीय फोटोग्राफी कार्य के सापेक्ष जिओटैग असंबद्ध पाया गया क्योकि दो फोटो दिनांक 15-7-21 तथा 13-9-21 का है इसमें प्रारम्भिक तौर पर सड़क की पहचान तथा उस पर गिट्टी डालना दर्शित है परन्तु एम एम-11/फॉर्म-3सी के अनुसार तीन तिहाई से अधिक सामग्री की आपूर्ति वर्ष 2022 में की गयी जबकि अभिलेख के अनुसार बिटुमिन तथा इमल्शन क्रय/आपूर्ति दिनांक 5-5-2022 के पश्चात की गयी है जबकि कार्य के सापेक्ष कुल रुपया 9823520 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है (दो अन्य फोटो दिनांक 15-6-22 का लिया गया जिसमे पिच रोड का फोटो दर्शित है)।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	13161495.00	13161495.00

प्रस्तर-16

पंद्रहवा वित्त के अंतर्गत सुकरौली से पिपरा हुमेल पिच मार्ग से देवतहा पीच के तरफ लेपन कार्य की लागत रुपया 2605000.00 है निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयी।

(क).इस टेण्डर प्रक्रिया में तीन निविदाएँ प्राप्त हुई माँ अम्बे कंस्ट्रक्शन ,मनीष सिंह तथा प्रेम इंटरप्राइजेज ने भाग लिया परन्तु पत्रावली के जाँच में पाया गया कि टेण्डर प्रक्रिया में सम्बंधित अभिलेख नहीं लगाये गए है जबकि प्रेम इंटरप्राइजेज द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा स्पष्ट रूप से टेंडर प्रक्रिया में मनमानी किया गया है कार्य का ठेका मनीष सिंह को दिया गया।

(ख).टेंडर प्रक्रिया दिनांक 23-12-2020 को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया तथा दिनांक 4-1-2021 को ठीकेदार को सूचित किया गया।प्राप्त पत्रावली के अनुसार दिनांक 8-11-2020को बिटुमिन तथा इमल्शन एच पी सी एल भटिंडा से क्रय किया गया जबकि (शासनादेश के अनुसार बिटुमिन तथा इमल्शन सरकारी उपक्रम मथुरा या हल्दिया से क्रय किया जाना अपेक्षित है क्योकि ये दोनों रीफाइनरी की दुरी कार्यक्षेत्र से नजदीक है)इस प्रकार सामग्री का क्रय ठेकेदार द्वारा ठेका प्राप्त करने के पहले ही कर लिया गया जो मान्य नहीं है ।इसके अतिरिक्तदिनांक 8-11-2020 को एच पी सी एल भटिंडा से बिटुमिन तथा इमल्शन संजीव कुमार यादव द्वारा क्रय कर ठीकेदार मनीष सिंह को दिया गया जो अनुमन्य नहीं है क्योकि बिटुमिन तथा इमल्शन आपूर्ति सम्बद्ध ठीकेदार को ही आपूर्ति किया जाना है।

(ग)अनुबन्ध के अनुसार यह कार्य दिनांक 31-3-2021 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन यह कार्य दिनांक 31-3-2022 तक पूर्ण किया गया परन्तु ठीकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए समयावधि बढाने हेतु कोई भी पत्र नहीं लिखा गया न ही जिला पंचायत द्वारा कार्य में विलम्ब से सम्बंधित कोई नोटिस नही दिया गया,जे०ई०द्वारा कार्य सम्बन्धी कोई आख्या भी नहीं दिया है ।जबकि रुपया 2000 अर्थदण्ड वसूला गया, स्पस्ट रूप से ठेकेदार से मिलीभगत तथा कूटरचना कर रुपया 2476320 का भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(घ)इस कार्य हेतु लगाये गए रॉयल्टी के पेपर्स के जाँच में पाया गया कि 130 घन मी डोलोस्टोन से एम एम-11/फॉर्म-3सी के पेपर इनवैलिड था अतः 130*6*160=रुपया 124800 की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है जिसके सापेक्ष मात्र रुपया 91200 की वसूली की गयी है शेष रुपया 33600 की रॉयल्टी की वसूली नहीं किया गया है जिसके लिये अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री

बृजलाल तथा सुनील प्रताप सिंह जे०ई०जिम्मेवार है । संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष 2021-22 के अंतर्गत पन्द्रहवा वित्त में टाइड मद के अंतर्गत 69 पेय जल की व्यवस्था हेतु सोलर पंपो की स्थापना की कुल लागत रुपया(12%जी एस टी सहित)27588960 था कुछ पत्रावली के जाँच में पाया गया कि ये सारे टेण्डर विन्दु देवी ,जागृति इंटरप्राइजेज,राजेश वर्मा ,ओम साईंकंस्ट्रक्शन,वर्मा ग्लोबल को दिया गया. सम्बंधित कार्य के पत्रावली के जाँच में पाया गया कि टेण्डर प्रक्रिया में भारी अनियमितता पाई गयी क्योकि निविदा कब आमंत्रित की गयी कब स्वीकार किया गयी कम्पेरेटिव चार्ट में कोई तिथि अंकित नहीं रहा न ही किसी अधिकारियों के हस्ताक्षर/तिथि अंकित रहा , टेंडर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है टेंडर दिनांक 18-12-2020 को स्वीकार किया गया परन्तु ठीकेदार को संबिदा हेतु करीब 3 से 9 माह बाद सुचना दी गयी जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है।एमबी तथा कॉनजमसन ऑफ़ मटेरियल के अनुसार प्रत्येक सोलर पंप के स्थापना हेतु मोरम 4.8 घनमी तथा 4.39 घनमी गिट्टी आपूर्ति किया जाना था परन्तु एम एम-11/फॉर्म-3सी से सम्बंधित कोई अभिलेख नहीं पाया गया अर्थात निर्माण सामग्री की आपूर्ति नहीं किया गया अतः 69*4.8 घन०मी मोरम =331.2 घन०मी मोरम (कुल देय रायल्टी = 331*2*160*6=317952) तथा 69*4.39=302.91 घनमी गिट्टी(कुल देय रायल्टी =302.91*160*6=290793.60)अतः कुल रॉयल्टी रुपया317952+290793.60=608745.60 की वसूली किया जाना अपेक्षित है सभी सम्बद्ध ठीकेदारों से ये वसूली किया जाना अपेक्षित है परन्तु जे० ई० द्वारा कार्य सम्बन्धी आख्या देने के कारण तथा मिलीभगत कूटरचना कर भुगतान किया गया है।

(ख)अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 31-3-2021 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन यह कार्य दिनांक 31-3-2021 तक अपूर्ण रहा परन्तु ठीकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए समयावधि बढाने हेतु कोई भी पत्र नहीं लिखा गया न ही जिला पंचायत द्वारा कार्य में विलम्ब से सम्बंधित कोई नोटिस ही दिया गया और न ही जे० ई० द्वारा कार्य सम्बन्धी कोई आख्या ही दिया ।इसकी जानकारी तब मिली जब कार्य का भुगतान किया गया जिसमे अर्थदण्ड भी वसूला नहीं गया , स्पस्ट रूप से मिलीभगत तथा कूटरचना कर भुगतान कर कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,महेश सिंह/सुनील प्रताप सिंह जे०ई०जिम्मेवार है।जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(ग)कार्य के सापेक्ष त्रिस्तरीय फोटो उपलब्ध नहीं रहा न ही इन कार्यों में सबमर्सिबल/सोलर पैनल स्थापना सम्बन्धी कोई भी फोटो/प्रमाणक ही संलग्न पाया गया जिससे कार्य तथा व्यय की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है।आलोच्य वर्ष में प्रत्येक कार्य का जियोटैग कराया नहीं कराया गया है जिससे वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। समस्त कार्य की उच्चस्तरीय समिति द्वारा जाँच किया जाना अपेक्षित है संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-18

1. आलोच्य वर्ष 2021-22 के अंतर्गत पन्द्रहवा वित्त में टाइड मद के अंतर्गत पडरौनामें पिपराजटामपुर में पोखरे पर पेय जल की व्यवस्था हेतु सोलर पंप की स्थापना कार्य की लागत रुपया (12%जी एस टी सहित) 399840.00 जिसमे सिविल कार्य हेतु रुपया 107148,सबमर्सिबल पर रुपया 80000,सोलर पैनल पर रुपया 55000 तथा अन्य इंस्टालेशन/ट्रांसपोर्ट पर रुपया 114852.00 अनुमानित था।निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयी---

   (क)टेण्डर प्रक्रिया में भारी अनियमितता पाई गयी क्योकि निविदा कब आमंत्रित की गयी कब स्वीकार किया गयी इसका विवरण कम्पेरेटिव चार्ट में को अंकित नहीं है, न ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर/तिथि अंकित है । टेंडर प्रपत्र का क्रय एक ही साथ बहुत सारे कार्यों का पाया गया किसी कार्य विशेष का नहीं जो गलत है । 2% सत्यंकार राशि एक साथ बहुत सारे कार्यों में समायोजित किया गया है जो टेंडर पत्रावली के अवलोकन से स्पस्ट है । टेंडर दिनांक 18-12-2020 को स्वीकार किया गया परन्तु ठीकेदार श्रीमती विन्दु देवी को पत्रांक 09 दिनांक 10-08-2021 को संबिदा हेतु करीब 9 माह बाद सुचना दी गयी जो गंभीरअनियमितता का द्योतक है।

   (ख)अनुबन्ध के अनुसार कार्य 11-11-2021 तक किया जाना था परन्तु प्राप्त जिओटैग के अनुसार कार्य दिनांक 25-02-22 को समाप्त हुआ , यहाँ फोटो किसी दुसरे कार्य झंगुआ में सोलर पंप की स्थापना का लगा हुआ पाया गया।कार्य में सबमर्सिबल/सोलर पैनल स्थापना सम्बन्धी कोई भी फोटो/प्रमाणक नही पाया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो पाई।

   (ग) कॉनजमसन ऑफ़ मटेरियल के अनुसार प्रत्येक सोलर पंप के स्थापना हेतु मोरम 4.8घन०मी तथा 4.39 घन०मी गिट्टी आपूर्ति किया जाना था परन्तु एम एम-11/फॉर्म-3c से सम्बंधित कोई अभिलेख नहीं पाया गया अर्थात निर्माण हेतु सामग्री की आपूर्ति नहीं किया गया परन्तु रॉयल्टी रुपया 1422 वसूला गया ।जबकि 4.8*6*150=4320,4.39*6*160=4214 कुल रुपया 8534 की वसूली किया जाना चाहिए अतः रुपया 8534-1422=रुपया 7112 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।अतः कम वसूली कर सरकार को क्षति पहुचाई गई इसके अतिरिक्त नियमविरुद्ध उक्त रॉयल्टी

प्रपत्र को सही ठहरा सरकार को हानि पहुचाई गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,महेश सिंह जे०ई०जिम्मेवार है।

(घ)अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 10-11-2021 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन यह कार्य उक्त तिथि तक अपूर्ण रहा परन्तु ठीकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए समयावधि बढाने हेतु कोई भी पत्र नहीं लिखा गया न ही जिला पंचायत द्वारा कार्य में विलम्ब से सम्बंधित कोई नोटिस ही दिया गया इसकी जानकारी तब मिली जब कार्य का भुगतान रुपया 398720,दिनांक 9-3-22 को किया गया जिसमे अर्थदण्ड रुपया 1000 वसूला गया ,जबकि जे० ई० द्वारा कार्य सम्बन्धी कोई आख्या भी नहीं दिया गया । स्पष्ट रूप से मिलीभगत तथा कूटरचना कर भुगतान किया गया इस गंभीर अनियमितता लिए अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,महेश सिंह जे०ई० संयुक्त रूप से जिम्मेवार है।जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है । संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-19

आलोच्य वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवा वित्त में टाइड मद के अंतर्गत जलपा माई स्थान पर शौचालय निर्माण की कुल लागत रुपया (12% जी एस टी सहित) 999040.00 (जिसमे सिविल कंस्ट्रक्शन पर रुपया 711401,बिजलीफिटिंग पर रुपया 86415 तथा प्लंबिंग पर रुपया 94061)था। जे०ई० श्री महेश सिंह द्वारा एमबी किया गया।इस कार्य के एमबी/ कॉनजमसन ऑफ़ मटेरियल के अनुसार मोरम 35.92 घन०मी,गिट्टी 38.90 घन०मी का इस्तेमाल किया जाना था परन्तु पत्रावली में संलग्न रॉयल्टी प्रपत्र के जाँच में ट्रांजिट पास नंबर 31412107021216438 तथा 314121070221216401 से 43 घन०मी वैलिड क्वांटिटी आपूर्ति पाया गया जबकि पत्रावली में भिन्न ट्रांजिट पास नंबर (--7700462 दिनांक 19-12-20 जो टेंडर स्वीकार/कार्य प्रारंभ से पहले का था ,--6400216 दिनांक 29-07-21)पाया गया । नियमविरुद्ध उक्त रॉयल्टी प्रपत्र को सही ठहरा सरकार को हानि पहुचाई गयी ।अतः 43 घनमी मोरम की आपूर्ति संदिग्ध रहा 43*150*6=रुपया 38700 की वसूली सम्बद्ध ठीकेदार से किया जाना अपेक्षित है क्योकि बिना मोरम के कोई भी कार्य नही किया जा सकता जबकि बिजली फिटिंग तथा पानी के समुचित व्यवस्था से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नही रहा । कार्य के सापेक्ष त्रिस्तरीय फोटो उपलब्ध नहीं रहा जिससे कार्य तथा व्यय की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है।कार्य के प्रत्येक स्तर पर जियोटैग कराया नहीं कराया गया है जिससे वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके।

स्पष्ट रूप से रुपया 977648 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराशि की वसूली सम्बद्ध ठीकेदार तथा अन्य **(अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा महेश सिंह जे०ई०जिम्मेवार स्पष्ट रूप से मिलीभगत तथा कूटरचना कर भुगतान किया गया है) से किया जाना अपेक्षित है** । संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-20 बिसुनपुरा मंशाछापर में सूर्यनगर सम्पर्क इन्द्रजीत चौक से अकबरपुर मार्ग पर पिच निर्माण कार्य की लागत रुपया (12%जी एस टी सहित)7911680 है इस पर निम्नलिखित आपत्तियां पायी है -

(क)इस कार्य पर तीन टेंडर डाले गए इस कार्य का ठेका ज्ञानेन्द्र कुमार यादव को दिया गया जिसे माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23-12-2020 को स्वीकार किया गया (इसके अतिरिक्त ठीकेदार द्वारा हॉटमिक्स प्लांट हेतु संजीव कुमार यादव से करार किया गया) तथा अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 23-3-2021 को समाप्त किया जाना था ।इस कार्य का एमबी जे०ई०विनोद कुमार द्वारा किया गया ।इस कार्य में बहुत ज्यादा विलम्ब किया गया फिर भी उक्त ठीकेदार पर कोई दंडात्मक कार्यवाही न कर उसे कार्य करने दिया गया जो विभागीय अधिकारीयों की ठीकेदार से संलिप्तता दर्शित करता है जिसे अंततः अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जे०ई० के आख्या पर ध्यान देते हुए दिनांक 3-6-2022 तक बढाया गया।

(ख)इस कार्य हेतु बिटुमिन तथा इमल्शन क्रय/आपूर्ति (रुपया 1869850)ठीकेदार संजीव कुमार यादव को दिनांक 5-5-2022 को किया गया । इमल्शन की आपूर्ति प्राइवेट एजेंसी जी०आर० इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हरदोई द्वारा दिनांक 5-5-2022 को किया गया जबकि बिटुमिन की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रम इंडियन आयल कारपोरेशन,मथुरा द्वारा संजीव कुमार यादव को दिनांक 5-5-2022 को किया गया।स्पस्ट रूप ये इमल्शन की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रम से न करके प्राइवेट एजेंसी से कर नियमविरुद्ध कार्य किया गया,(उक्त दिनांक 5-5-2022 तक कार्य के सापेक्ष रुपया 5834080 का भुगतान कर किया गया जबकि बिटुमिन तथा इमल्शन क्रय/आपूर्ति भी नहीं हो पाया था जो फर्जी तथा भ्रामक है) इसके अतिरिक्त इसी प्रमाणक से (बिटुमिन तथा इमल्शन की आपूर्ति)माघी कोठिलवा सम्पर्क मार्ग से प्रा०विद्यालय बलुआ धुमनगर होते हुए माघी कोठिलवा अरनहवा सम्पर्क मार्ग तक लेपन में भी किया गया ।स्पस्ट रूप से फर्जी प्रमाणक का इस्तेमाल किया गया।

(ग)कार्य के एमबी/ कॉनजमसन ऑफ़ मटेरियल न के अनुसार कुल 1335 घन मी गिट्टी का इस्तेमाल किया जाना था,उसे काट कर 1345+137=1482 घन मी कर दिया गया तथा संलग्न रॉयल्टी प्रपत्र के जाँच में 55 ट्रांजिट पास नंबर पाए गए,परन्तु एम एम-11/फॉर्म-3सी के अनुसार 07 प्रपत्र ही पाए गये जिसमे 126 घन मी गिट्टी आपूर्ति की गयी ,अब कुल

1482 घन मी गिट्टी का इस्तेमाल किया जाना था।अतः भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा सब डिवीज़न लेवल रिपोर्ट गलत/फर्जी है । नियमविरुद्ध उक्त रॉयल्टी प्रपत्र तथा उपरोक्त कारणों(मिलीभगत तथा कूटरचना कर सारा भुगतान किया गया है) से सरकार को हानि पहुचाई गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जायसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा कर्ण सिंह तथा विनोद कुमार जे०ई०जिम्मेवार है अतः कुल रुपया 7911680 की ब्याज सहित वसूली सम्बद्ध व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	7911680.00	7911680.00

प्रस्तर-21

झंगरौली रामपुर गोनहा पिच रोड से लखुआ गडहवा टोला में पिच कार्य की कुल लागत रुपया (12%जी एस टी सहित)11764480 है इस पर निम्नलिखित आपत्तियां पायी है -

(क)इस कार्य हेतु 4 व्यक्तियों ने आवेदन किया परन्तु पत्रावली में सिर्फ 2 ठीकेदार के ही प्रपत्र ठीक पाए गए, ठीकेदार मनीष सिंह को यह अनुबन्ध दिया गया,जबकि माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23-12-2020 को टेण्डर स्वीकार किया गया तथा अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 23-3-2021 को समाप्त किया जाना है । ई-टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट तथा आई पी एड्रेस से सम्बंधित कोई भी प्रपत्र पत्रावली में नही पाया गया । स्पस्ट रूप से टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता की गयी।इस कार्य का एमबी जे०ई०विनोद कुमार ने किया इस कार्य में बहुत ज्यादा विलम्ब किया गया फिर भी उक्त ठीकेदार पर कोई दंडात्मक कार्यवाही न कर उसे कार्य करने दिया गया (जो विभागीय अधिकारीयों के साथ ठीकेदार की संलिप्तता दर्शित करता है) जिसे अंततः अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जे०ई० के आख्या का ध्यान देते हुए दिनांक 3-6-2022 तक बढाया गया।

(ख)उक्त ठीकेदार द्वारा हॉट मिक्स प्लान्ट हेतु राज कंस्ट्रक्शन से करार किया गया,परन्तु पत्रावली के अनुसार दिनांक 28-4-22 को फ्रेंड कंस्ट्रक्शन द्वारा 23820 किलो बिटुमिन क्रय रुपया 1391326 में नियति अस्फल्ट्स,लखनऊ से किया गया, जबकि खादियर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मेहसाना द्वारा रुपया 3855000.00 के इमल्शन की आपूर्ति दिनांक 18-8-18 को सदाशिव मणि त्रिपाठी को किया गया । स्पष्ट रूप से तमाम शासनादेशों का उलंघन कर बिटुमिन तथा इमल्शन का क्रय प्राइवेट फर्म से कर गंभीर अनियमितता की गयी है यहाँ इमल्शन का क्रय कार्य प्रारंभ होने के पहले किया गया है जबकि बिटुमिन क्रय कार्य समाप्त होने के समय किया गया है । जो लेखा परीक्षा में अमान्य है। बिटुमिन के क्रय

से पहले ही कार्य के सापेक्ष रुपया 6646080.00 का भुगतान कर दिया गया है।स्पष्ट रूप से कार्य में गंभीर अनियमितता प्रकट होता है।

(ग)कार्य के एमबी/ कनजम्पसन ऑफ़ मटेरियल के अनुसार कुल 1980 घन०मी गिट्टी का इस्तेमाल किया जाना था जबकि संलग्न रॉयल्टी प्रपत्र के जाँच में 106 ट्रांजिट पास नंबर पाए गए परन्तु एम एम-11/फॉर्म-3c के अनुसार 100 प्रपत्र पाए गये जो गत वर्षों के थे जो कार्य प्रारंभ करने के पहले का था अतः भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा सब डिवीज़न लेवल रिपोर्ट गलत/फर्जी है । नियमविरुद्ध उक्त रॉयल्टी प्रपत्र तथा उपरोक्त कारणों(मिलीभगत तथा कूटरचना कर सारा भुगतान किया गया है) से सरकार को हानि पहुचाई गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा कर्ण सिंह तथा विनोद कुमार जे०ई०जिम्मेवार है । अतः कुल रुपया 11764480.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बद्ध व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	11764480	11764480

प्रस्तर-22

रामनगर मिश्रौली में मेन पिच रोड से चन्द्रिका यादव के खेत से सिसवागोईली वाली मार्ग पर पिच कार्य की कुल लागत रुपया (12%जी एस टी सहित)2254560.00 है इस पर निम्नलिखित आपत्तियां पायी है -

(क)इस कार्य हेतु तीन ठीकेदारों (में० स्टार इंटरप्राइजेज,माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन और देवांश ट्रेडर्स ने दिनांक 13-10-2020 को निविदा प्रपत्र ,2% सत्यंकार राशि तथा जमानत की धनराशि जमा कर अनुबन्ध के लिए बोली लगाई)ने ई-टेण्डर प्रक्रिया में भाग लिया,दिनांक 16-10-2020 को इनकी निविदा आमंत्रित किया गया तथा दिनांक 21-10-2020 को ई-टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट में माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन की निविदा सबसे कम (जिसे माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 9-12-2020 स्वीकृति प्रदान किया इसके पश्चात रुपया 201300 जमानत का बैंक एफडीआर माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन द्वारा जमा किया गया) होने के कारण ठेका दिया गया । परन्तु पत्रावली की जाँच में इन तीनों निविदाकर्ताओं के आई पी एड्रेस 103.82.82.222 समान पाया गया है ,इसका अर्थ हुआ कि एक ही कम्पूटर से तीनों निविदाकर्ताओं के अभिलेख अपलोड किया गया स्पस्ट रूप से मिलीभगत तथा कूटरचना कर एक ही कम्पूटर से तीनों निविदाकर्ताओं के अभिलेख अपलोड कर पारदर्शिता भंग कर गंभीर अनियमितता की गयी । जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा कर्ण सिंह जिम्मेवार है।

(ख)इस कार्य का एमबी जे०ई०विनोद कुमार ने किया इस कार्य में बहुत ज्यादा विलम्ब किया गया फिर भी उक्त ठीकेदार पर कोई दंडात्मक कार्यवाही न कर उसे कार्य करने दिया गया (जो विभागीय अधिकारीयों के साथ ठीकेदार की संलिप्तता दर्शित करता है) जिसे अंततः अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जे०ई० के आख्या का ध्यान देते हुए दिनांक 30-11-2021 तक समयावधि बढाया गया। दिनांक 11-09-2021 को प्राप्त फोटो में सिर्फ गिट्टी बिछाया गया है जबकि उक्त तिथि तक रुपया 1489600 का भुगतान किया जा चुका है, स्पस्ट रूप से गंभीर अनियमितता दर्शित हो रहा है । जबकि बिटुमिन तथा इमल्शन पर कोई व्यय नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे पटरी पर मिटटी कार्य पर रुपया 30041 व्यय दर्शित है परन्तु उक्त की पुष्टि नही हो पायी।

(ग)पत्रावली में एम एम-11/फॉर्म-3c से सम्बंधित प्रपत्र नही पाया गया जबकि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा सब डिवीज़न लेवल रिपोर्ट के अनुसार 438.242 तथा 48.075घनमी गिट्टी (सैंडस्टोन तथा ग्रेनाइट)का उपयोग किया जाना था जबकि 120.9 तथा 48.075घनमी(सैंडस्टोन तथा ग्रेनाइट)की आपूर्ति गलत पाया गया इसलिये रुपया 80596 रॉयल्टी वसूला गया स्पस्ट रूप से कुल व्यय रुपया 2250528 के भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा कर्ण सिंह तथा विनोद कुमार जे०ई०जिम्मेवार है अतः यह ब्याज सहित वसूली सम्बद्ध व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	2250528	2250528

प्रस्तर-23

15वा वित्त के अंतर्गत गणेशीपट्टी विश्वालाला होते हुए मोतिछापर सम्पर्क मार्ग की लागत रुपया (जी०एस०टी 12%सहित) 6990000.00 है।इस सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 800 मी० है। इस कार्य की एम० बी० जे०ई०श्री महेश सिंह द्वारा बनाया गया है इस कार्य से सम्बंधित निम्नलिखित आपतिया है - ए- इस कार्य हेतु दिनांक 18-11-2020 को निविदा खोली गयी जिसमे तीन ठीकेदार क्रमशः अजय लोहिया ,संजीव कुमार यादव ,ओम कंस्ट्रक्शन ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया परन्तु पत्रावली की जाँच में पाया गया कि अजय लोहिया तथा ओम कंस्ट्रक्शन द्वारा टेंडर सम्बंधित कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया है। ,इसके अतिरिक्त ई-टेंडरिंग में तीनों निविदाकर्ताओं के आई पी एड्रेस से संबंधित पत्रावली भी नहीं पाई गई स्पस्टरूप से टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता कर संजीव कुमार यादव को इस कार्य का अनुबन्ध दिया गया।इसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा कर्ण सिंह अभियन्ता जिम्मेवार है।बी-

पत्रांक 2245 दिनांक 11-01-2021 को कार्यआदेश दिया गया परन्तु श्रम विभाग के यहाँ दिनांक 18-2-2021 को पंजीकृत किया गया जबकि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन किया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह आदेश (नवम्बर 2009) भी जारी किया गया था कि नियोक्ता द्वारा निर्माण कार्य लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर काटा जाये निर्माण कार्य में लगे सभी विभागों को ठेकेदारों के देयकों से निर्धारित दर पर उपकर काटना आवश्यक था एवं उसे बोर्ड को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऐसी कटौती के 30 दिन के अन्दर प्रेषित करना था ।जिला पंचायत, के अभिलेखों के जांच में पाया गया की ठेकेदार ने 38 दिन के बाद कराया ।सी- कार्य में विलम्ब होने के कारण समयावधि बढाने हेतु ठीकेदार द्वारा बार बार आवेदन गया जिसे जिला पंचायत द्वारा बढाया गया तथा अंतिम नोटिस दिनांक 3-11-2021को दिया इस क्रम में जिला पंचायत द्वारा तीन नोटिस दिया गया जिसमे दिनांक /पत्रांक तथा अपर मुख्य अधिकारी का हस्ताक्षर भी नहीं पाया गया इसके अतिरिक्त विलम्ब होने के कारण अर्थदण्ड के रूप में कुल रुपया 5000 की वसूली की गयी जो नियमानुसार भुगतान के धनराशि के 1% होना चाहिए परन्तु माननीय अध्यक्षा के विवेकाधिकार के अनुसार इस धनराशि को कम करके वसूला गया स्पस्टरूप से जे०ई० महेश सिंह द्वारा आख्या देने के कारण तथा मिलीभगत करके कुल रुपया 6227200.00 का भुगतान किया गया जिसके लिए सम्बद्ध अधिकारी गण तथा अध्यक्ष श्री विनयप्रकाश/अध्यक्षाश्रीमती सावित्री जिम्मेवार है. डी. उक्त ठीकेदार द्वारा हॉट मिक्स प्लान्ट हेतु बिटुमिन (22.891*26730जी एस टी सहित रुपया 7220014) दिनांक 22-08-2020 को आई ओ सी मथुरा से क्रय किया गया जो कार्य प्रारंभ होने से 13 महीने की तिथि है जो मान्य नहीं है ,जबकि इमल्शन 27.09 मीट्रिक टन*रुपया 38490 जी एस टी =रुपया 1042694 की आपूर्ति दिनांक 16-7-2021 को हिंदुस्तान कोलस प्राइवेट लिमिटेड,झांसी द्वारा किया गया स्पस्टरूप से तमाम शासनादेशों का उलंघन कर इमल्शन का क्रय प्राइवेट फर्म से कर गंभीर अनियमितता की गयी है।ई. कार्य के एमबी/ कनजम्पसन ऑफ़ मटेरियल के अनुसार कुल 1185.42 घन मी गिट्टी का इस्तेमाल किया जाना था तथा संलग्न रॉयल्टी प्रपत्र के जाँच में 52 ट्रांजिट पास नंबर पाए गए परन्तु एम एम-11/फॉर्म-3सी के पत्रावली के अनुसार 43 प्रपत्र पाए गये जो कार्यसमाप्ति के समय/बाद का है जो अमान्य है।अतः भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा सब डिवीज़न लेवल रिपोर्ट गलत/फर्जी है अतः कुल रुपया रुपया 6986672 का भुगतान में गंभीर अनियमितता किया गयाहै ब्याज सहित वसूली सम्बद्ध ठीकेदार से किया जाना अपेक्षित है परन्तु नियमविरुद्ध रॉयल्टी प्रपत्र तथा उपरोक्त कारणों(मिलीभगत तथा कूटरचना कर सारा भुगतान किया गया है) से सरकार को हानि पहुचाई गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल ,अभियंता कर्ण सिंह तथा महेश सिंहजे०ई०जिम्मेवार है अतः ब्याज सहित वसूली सम्बद्ध व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	6986672	6986672

प्रस्तर-24

पन्द्रहवा वित्त के अंतर्गत करहिया से नादह सिवान सम्पर्क मार्ग पर पिच कार्य की लागत रुपया 8461600 था। इसका लम्बाई 2400 मी था। इस कार्य का एम० बी० जे०ई० श्री महेश सिंह द्वारा बनाया गया है। इस कार्य से सम्बंधित निम्नलिखित आपतिया है --- (क). इस कार्य हेतु दिनांक 21-11-2020 को निविदा खोली गयी जिसमे तीन ठीकेदार क्रमशः संजीव कुमार यादव ,में० कैलाशी देवी तथा महावीर ईट उद्योग ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया परन्तु पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संजीव कुमार यादव तथा महावीर ईट उद्योग के ई-टेंडरिंग में निविदाकर्ताओं के आई पी एड्रेस से संबंधित पत्रावली भी नहीं पाई गई जबकि में० कैलाशी देवी जिनका आई पी एड्रेस 103.82.80.202 दिनांक 15-11-2020 पाया गया, परन्तु महावीर ईट उद्योग को कार्य का अनुबन्ध दिया गया तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23-12-2020 को यह अनुबन्ध स्वीकार किया गया स्पष्ट रूप से टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता किया गया है इसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी , वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल तथा कर्ण सिंह जिम्मेवार है ।
ख. दिनांक 15-11-2021 तक कार्य पूर्ण किया जाना थाकार्य में विलम्ब होने के कारण जिला पंचायत द्वारा ठीकेदार को दिनांक 23-06-2021 तथा अन्य तिथियों में नोटिस दिया गया परन्तु ठीकेदार द्वारा समयावधि बढाने हेतु कोई आवेदन नही दिया जबकि विलम्ब होने के कारण अर्थदण्ड के रूप में मात्र रुपया 2000 की वसूली की गयी जो नियमानुसार भुगतान के धनराशि के 1% होना चाहिए । माननीय अध्यक्षा के विवेकाधिकार के अनुसार इस धनराशि को कम करके वसूला गया। स्पस्टरूप से जे०ई० महेश सिंह द्वारा आख्या देने के कारण तथा मिलीभगत करके धनराशि रुपया 8299048 का भुगतान किया गया जिसके लिए सम्बद्ध अधिकारी गण तथा अध्यक्ष श्री विनयप्रकाश/अध्यक्षा श्रीमती सावित्री जिम्मेवार है।
(ग). दिनांक 15-01-2022 को बिटुमिन तथा इमल्शन का क्रय क्रमशः आई०ओ०सी० मथुरा तथा पानीपत से क्रय किया गया।कार्य के एमबी/ कनजम्पसन ऑफ़ मटेरियल के अनुसार कुल गिट्टी 1282.937 घन मी का इस्तेमाल किया जाना था तथा संलग्न रॉयल्टी प्रपत्र के जाँच में 56 ट्रांजिट पास नंबर पाए गए परन्तु एम एम-11/फॉर्म-3सी के पत्रावली में 63 प्रपत्र पाए गये स्पस्टरूप से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा सब डिवीज़न लेवल रिपोर्ट गलत/फर्जी है क्योकि सारा गिट्टी फ़रवरी ,मार्च 2022 तथा कार्य समाप्त होने के बाद आया है जबकि अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रथम भुगतान(दिनांक 7-6-2021 को रुपया 2592800) गिट्टी बिछाने के बाद किया गया था स्पस्टरूप से बिना गिट्टी लगे ही सारा भुगतान रुपया 8299048 कर गंभीर अनियमितता किया गया है । नियमविरुद्ध उक्त रॉयल्टी प्रपत्र तथा उपरोक्त कारणों(स्पस्ट रूप से मिलीभगत तथा कूटरचना कर सारे भुगतान किया गया है) से सरकार को हानि पहुचाई गयी जिसके लिए अध्यक्ष श्री विनय प्रकाश/श्रीमती सावित्री जयसवाल ,विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी , वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजलाल ,अभियंता कर्ण सिंह तथा महेश सिंह जे०ई०जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली सम्बद्ध ठीकेदार से किया जाना अपेक्षित है । संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	8299048.00	8299048.00

जनपद- महराजगंज **मंडल-गोरखपुर**

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(जिला पंचायतों से संबन्धित आपत्तियां)

जनपद- महराजगंज मंडल-गोरखपुर

प्रस्तर-01 - उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के ठेका शर्तों के नियम खंड- 2(ग) के अनुसार विलम्ब के लिए प्रतिकार के संबंध मे उल्लेख है कि परियोजना के लागत मू0 का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क की कटौती की जानी चाहिए तथा ठेकेदार द्वारा शपथ-पत्र (एफिडेविड) मे यह स्वीकार किया गया है की यदि अनुबंध मे दी गयी समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी मेरे भुगतान की धनराशि से 1 प्रतिशत अर्थदंड की कटौती कर ले | परंतु संस्था द्वारा नियमनुसार कटौती नहीं की गई है विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	लागत मूल्य	विलम्ब शुल्क कटौती	अपेक्षित कटौती	अंतर की राशि
1	11	06/04/2021	1990000	5000	19900	14900
2	14	06/04/2021	2306300	5000	23063	18063
3	16	06/04/2021	1795000	5000	17950	12950
4	51	27/05/2021	873000	5000	8730	3730
5	56	27/05/2021	679400	5000	6794	1794
6	59	27/05/2021	785000	5000	7850	2850
7	27	16/06/2021	1100000	5000	11000	6000
8	29	16/06/2021	770000	5000	7700	2700
9	30	16/06/2021	820000	5000	8200	3200
10	31	16/06/2021	1516000	5000	15160	10160
11	33	16/06/2021	680000	5000	6800	1800
12	34	16/06/2021	791700	5000	7917	2917
13	35	16/06/2021	417500	2000	4175	2175
14	37	16/06/2021	889800	5000	8898	3898
15	41	16/06/2021	2295000	5000	22950	17950
16	47	30/06/2021	746500	3000	7465	4465
17	50	30/06/2021	797000	1000	7970	6970
18	52	30/06/2021	400000	2000	4000	2000
19	53	30/06/2021	530000	2000	5300	3300

20	36	28/07/2021	211800	1000	2118	1118
21	46	28/07/2021	1715500	5000	17155	12155
22	47	28/07/2021	1890000	3000	18900	15900
23	48	28/07/2021	1115000	2000	11150	9150
24	49	28/07/2021	870000	1000	8700	7700
25	34	10/08/2021	262900	500	2629	2129
26	76	10/08/2021	204100	500	2041	1541
27	79	17/08/2021	1008500	2000	10085	8085
28	80	17/08/2021	505900	2000	5059	3039
29	20	03/09/2021	1162400	3000	11624	8624
30	21	03/09/2021	2455300	2000	24553	22553
31	22	03/09/2021	1238000	1000	12380	11380
32	24	03/09/2021	519300	1000	5193	4193
33	27	03/09/2021	1360000	2000	13600	11600
34	31	03/09/2021	853500	2000	8535	6535
35	19	04/10/2021	891000	2000	8910	6910
36	24	04/10/2021	760900	1000	7609	6609
37	56	06/10/2021	2201700	5000	22017	17017
38	84	25/10/2021	328400	1000	3284	2284
39	88	27/10/2021	280100	500	2801	2301
40	92	27/10/2021	1077500	1000	10775	9775
41	93	27/10/2021	285700	500	2875	2375
42	94	27/10/2021	333000	1000	3330	2330
43	43	20/11/2021	404800	1000	4048	3048
44	44	20/11/2021	230300	1000	2303	1303
45	46	20/11/2021	375400	1000	3754	2754
46	52	20/11/2021	346000	2000	3460	1460
47	56	16/12/2021	929000	2000	9290	7290
48	75	23/12/2021	569200	1000	5692	4692
49	78	23/12/2021	294500	1000	2945	1945
50	82	27/12/2021	1528600	2000	15286	13286
51	83	27/12/2021	5326400	2000	53264	51264
52	84	27/12/2021	4120900	2000	41209	39209
53	23	05/01/2022	522900	2000	5229	3229
54	25	05/01/2022	2233400	2000	22334	20334
55	91	12/01/2022	164400	1000	1644	644

56	96	12/01/2022	171600	1000	1716	716
57	98	12/01/2022	335600	1000	3356	2356
58	99	12/01/2022	265800	1000	2658	1658
59	103	12/01/2022	327500	1000	3275	2275
60	106	12/01/2022	718300	2000	7183	5183
61	112	13/01/2022	285800	2000	2858	858
62	127	22/01/2022	314900	1000	3149	2149
63	128	22/01/2022	286700	2000	2857	867
64	46	11/03/2022	206700	500	2067	1567
65	48	11/03/2022	835000	1000	8350	7350
66	65	11/03/2022	921300	1000	9213	8213
67	163	30/03/2022	633600	500	6336	5836
68	170	30/03/2022	718200	1000	7182	6182
69	172	30/03/2022	122600	500	1226	726
70	174	30/03/2022	1480500	2000	14805	12805
71	175	30/03/2022	4017900	2000	40179	38179
72	180	30/03/2022	4054000	2000	40540	38540
73	149	30/03/2022	216100	1000	2161	1161
74	150	30/03/2022	184500	500	1845	1345
					योग-	**585549.00**

इस प्रकार लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क न काटकर रु0- 585549/- से जिला पंचायत को क्षति पहुचाई गईजिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार , सिंह एवं निर्माण प्रभारी श्री राजकुमार जयसवाल जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-02 -</u> लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है कि गैंग फरेन्दा द्वारा विभिन्न तिथियों में अवास्तविक रूप से कराये गये कार्यों का परिश्रमिक दिया जा रहा है। दर्शित कार्यों की व्यय पत्रावली की माँग करने पर बताया गया है उक्त कार्यों की अभी तक कोई पत्रावली नहीं बनायी गई है। जिस कारण कार्यों की न तो स्टीमेट है और न ही कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ही है। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी अप्राप्त रहा। भुगतान प्रमाणकों के साथ संलग्न मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर / अगूंठा निशानी नहीं है जिसके कारण श्रमिकों की उपस्थिति अपुष्टि रही। प्राप्त एम०बी०बुक में कार्य की माप अंकित नहीं है, न ही मिटटी कार्य की मात्रा ही अंकित है |

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गैंग फरेन्दा द्वारा किया गया दर्शित कार्य पूर्णतः अवास्तविक है जो वस्तुतः हुआ ही नहीं है। इस प्रकार उ0प0 जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1984 की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर अवास्तविक कार्यो पर भुगतान कर रू0 371450 /- के राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह, अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं लेखाकार श्री पुरूषोत्तम कुमार जिम्मेदार है। नियमानुसार

आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। प्राप्त एम०बी०बुक रोकड़ वही एवं भुगतान प्रमाणकों के अनुसार माहवार व्यय विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	प्रमाणक सं0	भुगतान का दिनांक	कार्य अवधि	धनराशि	कार्य का विवरण
1	28	06/04/2021	01/03/2021 से 31/03/2021	31030	मिट्टी कार्य रोड पटरी मरम्मत कानापार पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग से रामपुर गुलहरिया तक
2	12	10/05/2021	01/04/2021 से 30/04/2021	29960	मिट्टी कार्य रोड पटरी मरम्मत कोल्हुई से सोनारडीह तक
3	-	-	01/05/2021 से 31/05/2021	31070	मिट्टी कार्य रोड पटरी मरम्मत भागवत नगर पालिका से हसमौला मार्ग
4	-	-	01/06/2021 से 30/06/2021	21600	मिट्टी कार्य सड़क मरम्मत बागापार बरईठवा संपर्क मार्ग
5	85	15/09/2021	01/07/2021 से 31/07/2021	30950	मिट्टी कार्य रोड पटरी मरम्मत बरातगाड़ा से सेखुआन टोला तक
6	86	15/09/2021	01/08/2021 से 31/08/2021	33170	मिट्टी कार्य बगला चौराहा से भैसासुर करमहा लहड़ा मार्ग
7	67	11/10/2021	01/09/2021 से 30/09/2021	32100	मिट्टी कार्य सिकंदराजीतपुर धानी मार्ग
8	18	01/11/2021	01/11/2021 से 30/11/2021	33170	मिट्टी कार्य रनियापुर पड़हड़वा मार्ग करमहा बुजुर्ग तक
9	08	06/12/2021	01/12/2021 से 31/12/2021	32100	मिट्टी कार्य रोड पटरी मरम्मत ग्राम बनकासिया
10	51	11/01/2022	01/01/2022 से 31/01/2022	33170	मिट्टी कार्य रोड पटरी मरम्मत सेमरी से उसरी गाँव तक
11	67	08/02/2022	01/02/2022 से 20/02/2022	33170	मिट्टी कार्य रोड पटरी मरम्मत भगवत नगर परसिया से हसमौला

12	83	16/03/2022	01/03/2022 से 31/03/2022	29960	मिट्टी कार्य रोड पटरी मरम्मत बड़हरा चरगहा मार्ग से रमरता घाट तक
		योग		**371450**	

इस प्रति संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका | उल्लेखनीय है कि वर्ष 20-21 तक इस संबंध में रु० 4362665.00 का अधिभार प्रतिवेदन भी निर्गत किया जा चुका है l

<u>प्रस्तर-03 -</u> उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल- अचल संपत्ति) नियमानुसार 1965 के प्रस्तर -5 के अनुसार संस्था अचल संपत्ति पंजिका का प्रत्येक तीन वर्ष मे कम से कम एक बार परीक्षण कराएगी और परीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही करेगी | परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप संस्था का विकास खण्ड सिसवा के टाउन एरिया में जो निरीक्षण गृह स्थित है उसमें विगत कई वर्षों से पुलिस चौकी संचालित है। लेखा परीक्षा में अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। इस हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष / अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किराया जमा कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, महराजगंज से अनुरोध भी किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा तिथि तक तत्सम्बन्धी कोई कार्यवाही वसूली नहीं हुई है, प्रदत्त सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक अवशेष किराया रू0-2421970 बकाया था वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0-65415/- प्रति माह की दर से 12 माह का किराया रू०-784950/- अवधारित करते हुये दिनांक 31 मार्च 2022 तक कुल अवशेष किराया रू0-3206920/- बकाया आकलित रहा। नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय के साथ-साथ तत्सम्बन्ध में शासन को अवगत कराते हुए विधिक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य अधिकारी के साथ ही मुख्य अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ताकि जिला पंचायत को हो रही आर्थिक क्षति की पूर्ति सम्बन्ध हो सके एवं भविष्य में निजी स्रोत से अर्जित आय में वृद्धि हो सके। बकाया घन वसूल कर गम्भीर अनियमितता हो रही है। आर्थिक क्षति के लिये सम्बन्धित पटल प्रमुख एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-04 -</u> उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल- अचल संपत्ति) नियमानुसार 1965 के प्रस्तर -5 के अनुसार संस्था अचल संपत्ति पंजिका का प्रत्येक तीन वर्ष मे कम से कम एक बार परीक्षण कराएगी, परंतु जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है | परिणाम स्वरूप जनपद- महराजगंजमे स्थित जिला पंचायत के समस्त दुकानों का बकाया किराया दिनांक 31.03.2022 को रु0- 7432996.00 /- रहा, जिसकी वसूली हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा रही है | वसूली न होने के लिये समस्त कर समाहर्ता पटल प्रमुख एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह उत्तरदायी है| नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	अचल संपत्ति (दुकान जहा स्थित है)	वसूली प्रभारी	दुकानों की संख्या	वार्षिक किराया	विगत वर्षों का वाकया किराया	कुल योग	कुल जमा	31 मार्च 2022 तक कुल वाकया
1	मेन रोड, महराजगंज	श्री शिवमूर्ति सिंह	127	832620	538964	1371584	331135	1040449
2	मेन रोड छत, मह0	श्री शिवमूर्ति सिंह	127	305784	1116014	1421798	210877	1210921
3	व्यापारिक प्रतिष्ठान मह0	श्री शिवमूर्ति सिंह	186	1555068	2760166	4315234	514808	3800426
4	जिला पंचायत परिसर, मह0	श्री शिवमूर्ति सिंह	06	109296	47718	157014	69161	87853
5	नौतनवा मेन रोड	श्री रविन्द्र सिंह	31	280644	139542	420186	113602	306584
6	निरीक्षण गृह नौतनवा	श्री रविन्द्र सिंह	24	138120	112470	250590	74843	175747
7	मवेशीखाना नौतनवा	श्री रविन्द्र सिंह	16	206280	17184	223464	00	223464
8	निचलौल मेन रोड	श्री रामायण सिंह	16	56352	66600	122952	15580	107372
9	निचलौल मवेशीखाना	श्री रामायण सिंह	12	42336	34323	76659	7820	68842
10	ठुठीबारी रोड साइड	श्री रामायण सिंह	16	53184	74248	127432	12004	115428
11	ठुठीबारी मवेशीखाना	श्री रामायण सिंह	18	118776	151483	270259	37000	233259
12	पनियरा	श्री	15	82788	35666	118454	55800	62654

	मेन रोड	रामायण सिंह						
	योग-		**594**	**3781248**	**5094378**	**8875626**	**1442630**	**7432996**

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की मांग 3813828.00 और वसूली 3047670.00 और वसूली का प्रतिशत 79.91 एवं आलोच्य वर्ष में मांग 3781248.00 वसूली 1442630.00 और वसूली का प्रतिशत 38.15 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में मांग गत वर्षो की तुलना में कमी आई है एवं वसूली में कमी का प्रतिशत 41.76 है। जिसका कारण मांग अवधारण रूचीपूर्ण एवं कर समाहर्ताओं द्वारा वसूली में रूचि न लेना है जो संस्था हितो के प्रतिकूल रहा।

<u>प्रस्तर 5-</u> राज्य वित्त आयोग के पत्रांक-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के बिन्दू-2 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतों सब्सीडियरिटी के आधार पर कार्यो का चयन करे, अर्थात जो कार्य नीचे के स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से कराया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाए। प्रस्तर-03 के अनुसार जिला पंचायते प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभन्वित करने वाले कार्यो को संपादित कराएगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा शासनादेश के विपरीत एक ही ग्राम सभा के अंदर कार्य कराकर नियमों का परिपालन नही किया गया और न ही ग्राम सभा द्वारा अनापतित प्रमाण-पत्र ही लिया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 106.50 लाख की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अभियंता श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह एवं निमार्ण अनुभाग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	**विकास खंड**	**कार्य का विवरण**	**व्यय की धनराशि (आकडे लाख रु0 मे)**
1	निचलौल	ग्राम सभा छितौना मे दिनेश प्रधान के घर के आगे से सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	2.78
2	निचलौल	ग्राम पंचायत लालपुर के सुस्व पी0डब्लूडी0 मेन रोड से अंदर गाँव मेसी.सी.रोड निर्माण कार्य।	4.94
3	निचलौल	ग्राम पंचायत रामपुर (छोटा टोला) संगम यादव के घर से सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	6.96
4	मिठौरा	मिठौरा के अंतर्गत खोस्ता खास यादव टोला संपर्क पर लेपन अनुरक्षण/ पैच मरम्मत कार्य।	3.28
5	नौतनवा	ग्रामसभा राजाबारी के पजरफोरवा टोला मे सी.सी. रोड से सी.सी. रोड के बीच खरंजा स्तर से सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	5.12
6	नौतनवा	ग्राम सभा पिपरा टोला मुंडेरी मे ईदगाह जाने वाले मार्ग पर सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	6.89
7	नौतनवा	ग्राम पंचायत निपनिया मे नागेंद्र के घर से समय	4.05

		माता स्थान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	
8	नौतनवा	ग्राम सभा हरिलालगढ़ मेन रोड से मदरसा रोड मार्ग पर सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.47
9	नौतनवा	ग्राम सभा जिगिनीहवा मे अहीर टोले पर बलवन्त के घर से ओमप्रकाश के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4.62
10	नौतनवा	ग्राम सभा शीशगढ़ मे टोला खैरहवा ओमप्रकाश दुबे के घर से काली स्थान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	7.33
11	लक्ष्मीपुर	ग्राम पंचायत भैसहिया मे नहर से मस्जिद के आगे तक आर0सी0सी0 रोड कार्य।	3.92
12	लक्ष्मीपुर	ग्राम पंचायत बैजनाथपुर उर्फ चरवा मे पी0डब्लूडी0 रोड से पश्चिम टोले तक आर0सी0सी0 निर्माण कार्य।	8.52
13	लक्ष्मीपुर	ग्राम पंचायत परसा पाण्डेय मे इन्टरलाकिंग से सुबाष के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4.33
14	लक्ष्मीपुर	ग्राम पंचायत गजपति मे रेलवे ढाले बगल सी.सी. रोड के आगे सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	7.72
15	लक्ष्मीपुर	ग्राम सभा रामपुर बुजुर्ग मर पी0डब्लूडी0 रोड से निरुल्लाह के मिल तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	7.99
16	सदर	ग्राम पंचायत चेहरी के कोल्हूआजोत पी0डब्लूडी0 रोड से उत्तर मुन्नीलाल के खेत मार्ग पर खण्डजा कार्य।	2.19
17	सदर	विश्वनाथपुर पडवनिया मे पिच मार्ग से विन्धयाचल सोखा के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	6.31
18	सदर	ग्राम सभा धनेवा धनेई के टोला सुकढिया मे साबिर टेण्टवाले के घर तक अवशेष सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	6.94
19	फरेंदा	गोपालपुर दुबे मे सी.सी. रोड पर रवींद्र दुबे के घर से अरुण दुबे के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.93
20	फरेंदा	सेमरा महराज गाँव मे सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	3.36
21	पनियरा	ग्राम सभा रामनगर मे पी0डब्लूडी0 रोड से लालमन के घर तक खड़ंजा कार्य।	3.85
		योग	**106.50**

<u>प्रस्तर-06 -</u> शासनादेश संख्या:- 1838 /33-3-2015-03/ 2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर-7 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार जिला पंचायतों को अपनी कार्ययोजना मे रु0-10.00 लाख तक परियोजनाओ तथा पंचयतीराज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-866 /33-2-

14-93 जी/ 2004 टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 के प्रस्तर-3 के अनुसार एक से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों की कार्ययोजना मे सम्मिलित कर निर्माण कार्य संपादित करनी चाहिए। परंतु संस्था द्वारा उक्त दोनों शासनादेशो के विपरीत एवं एक ही विकास खंड के अंदर कार्य संपादित कराकर उक्त कार्यों पर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई। जिसके लिये सम्पूर्ण अभियंत्रण विभाग उत्तरदायी है। इस प्रकार समस्त कार्यों के स्थान का पता कर यह जांच किया जाना आवश्यक है। की उक्त कार्य किसी और दूसरे कार्यदायी संस्था द्वारा तो नहीं कराया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	विकास खंड	कार्य विवरण	व्यय धनराशि (लाख रु0 मे)
1	निचलौल	ग्राम पंचायत कटहरी खुर्द मे पी0डब्लूडी0 रोड से जितेंद्र शर्मा के घर के तरफ जाने वाले रोड पर सी.सी. रोड निर्माण कार्य |	8.15
2	निचलौल	ग्राम पंचायत कटहरी खुर्द मे पी0डब्लूडी0 रोड से जखरू के घर के तरफ जाने वाले रोड पर सी.सी. रोड निर्माण कार्य |	3.83
3	निचलौल	निचलौल कस्बे से परागपुर गाँव तक लेपन अनुरक्षण/पैच मरम्मत कार्य |	1.84
4	निचलौल	टिकुलहिया मार्ग से टोंगरी से पिपरहवा तक लेपन अनुरक्षण/पैच मरम्मत कार्य |	2.53
5	निचलौल	निचलौल के अंतर्गत संपर्क मार्ग भरवलिया लेपन अनुरक्षण/पैच मरम्मत कार्य |	6.49
6	मिठौरा	मिठौरा के अंतर्गत संपर्क मार्ग खेन्हौली लेपन अनुरक्षण/सामान्य मरम्मत |	7.63
7	नौतनवा	ग्राम सभा बरगदवा से देव घट्टी का लेपन अनुरक्षण/पैच मरम्मत कार्य |	6.41
8	नौतनवा	ग्राम सभा गंगापुर गांगवलिया पिच मार्ग पर कटे भाग पर मिट्टी स्तर से सी.सी. निर्माण कार्य |	6.24
9	बृजमनगंज	बृजमनगंज के खडखोडी पिच मार्ग से कोमरवा गाँव तक गड़ढामुख्त/पैच मरम्मत कार्य |	8.30
10	बृजमनगंज	बृजमनगंज के लेदवा चौराहे से पृथ्वीपालगढ़ मार्ग से हरैया तक गड़ढामुख्त/पैच मरम्मत कार्य |	3.99
11	फरेंदा	फरेंदा सोनौली मार्ग से ग्राम सभा उदितपुर टोला जुगुलपुर तक मिट्टी स्तर से सी.सी. निर्माण कार्य |	5.98
12	फरेंदा	एस.एन.जी. मार्ग भगवतनगर पिच से उदितपुर टोला भगवतनगर जगदीश सिंह के घर जाने वाले मार्ग पर मिट्टी स्तर से सी.सी. निर्माण कार्य |	5.99
13	फरेंदा	फरेंदा जमुहरा पिच मार्ग से जमुहरा इन्टरलॉककिंग रोड तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य |	8.60

14	फरेंदा	सिसवा के खजुरिया संपर्क मार्ग पर गड़ढामुख्त/पैच मरम्मत कार्य |	3.18
15	फरेंदा	सिसवा के बलूही घुस चिउटहा मुख्य मार्ग (पड़री भीरगंज) से मुंडेरी गाँव तक गड़ढामुख्त/पैच मरम्मत कार्य |	6.36
16	परतावल	परतावल के गोरखपुर महराजगंज मेन रोड से बलुआ चौराहे से बलुआ नहर तक अनुरक्षण कार्य |	6.56
		योग	**92.08 लाख**

इस प्रकार एक ही क्षेत्र पंचायत में कार्य कराकर रू0 92.08 लाख की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह, अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं अभियन्त्रण अनुभाग जिम्मेदार है।

<u>प्रस्तर-07 -</u> जिला पंचायत कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन सं0- यू0पी0 56/टी0सी0-8054 के वर्ष 2021-22 के लॉग बुक की जांच में पाया गया कि उक्त वाहन की विभिन्न तिथियों में काजी हाउस निरीक्षण, निमार्ण कार्य निरीक्षण एवं वसूली हेतु चलाया जाना दर्शित है। उक्त की पुष्टि में निरीक्षण आख्या, वसूली प्रगति रिपोर्ट एवं भ्रमण पंजिका बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से मांग िकये जाने के बावजूद भी अप्राप्त रहा। संस्था द्वारा बताया गया कि उक्त अभिलेख तैयार नही किया गया है। लॉगबुक के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यात्राए निजी हित में करके अवास्तविक रूप से शासकीय हित में दर्शित करते हुए मीटर रीडिंग को समायोजित किया गया है। मीटर रीडिंग को रजिस्टर किया गया है क्योकि एक ही स्थान की यात्रा को अल्प अन्तराल में ही कईबार दुहराया गया है। इस प्रकार की गई यात्राये राजकीय हित में प्रतीत नही होती है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	**दिनांक**	**यात्रा स्थल**		**दूरी**	**यात्रा का उदेश्य**
		कहा से	**कहा तक**		
1	03/04/21	जि0पं0म0	निचलौल	50 कि0मी0	का.हा.नि.
2	11/04/21	जि0पं0म0	पनियरा	65 कि0मी0	नि.का.नि.
3	18/05/21	जि0पं0म0	नौतनवा क्षेत्र	170 कि0मी0	नि.का.नि.
4	19/05/21	जि0पं0म0	बृजमनगंज क्षेत्र	120 कि0मी0	नि.का.नि.
5	25/05/21	जि0पं0म0	निचलौल झुलनीपुर	100 कि0मी0	नि.का.नि.
6	28/05/21	जि0पं0म0	पकड़ी/ पनियरा	60 कि0मी0	नि.का.नि.
7	30/05/21	जि0पं0म0	बृजमनगंज ब्लॉक	120 कि0मी0	नि.का.नि.
8	02/06/21	जि0पं0म0	मु./ चौक	40 कि0मी0	नि.का.नि.
9	03/06/21	जि0पं0म0	घानी/ बृजमनगंज	145 कि0मी0	नि.का.नि.
10	08/06/21	जि0पं0म0	बृजमनगंज,बहुदरी बाजार	143 कि0मी0	नि.का.नि.
11	16/06/21	जि0पं0म0	मु./ नौतनवा	170 कि0मी0	नि.का.नि.
12	23/06/21	जि0पं0म0	मुख्यालय/ लक्ष्मीपुर	140 कि0मी0	आ.वा./ नि.का.नि.
13	26/06/21	जि0पं0म0	मनिकापुर, बहुदरी बाजार	175 कि0मी0	नि.का.नि./ का.हा.नि

14	29/06/21	जि0पं0म0	मुख्यालय/ नवावीथार	160 कि0मी0	का.हा.नि.
15	05/07/21	जि0पं0म0	सरडीहा लक्ष्मीपुर	160 कि0मी0	नि.का.नि.
16	09/07/21	जि0पं0म0	बहदूरी हँखुई गीरहारपुर	165 कि0मी0	नि.का.नि.
17	16/07/21	जि0पं0म0	सिसवा बुजुर्ग नौतनवा	210 कि0मी0	नि.का.नि.
18	24/07/21	जि0पं0म0	पचखखी,गिरहारपुर	90 कि0मी0	नि.का.नि.
19	25/07/21	जि0पं0म0	सेमरा महराज, बड़हरा बहुदरी आदि	172 कि0मी0	नि.का.नि.
20	29/07/21	जि0पं0म0	मुख्य. नौतनवा झिगटी	165 कि0मी0	नि.का.नि.
21	01/08/21	जि0पं0म0	नवावीधार	120 कि0मी0	का.हा.नि.
22	03/08/21	जि0पं0म0	मु./ अमहवा	105 कि0मी0	नि.का.नि.
23	04/08/21	जि0पं0म0	बारीटोला,नारायणपुर, मोहनपुर	110 कि0मी0	नि.का.नि.
24	05/08/21	जि0पं0म0	बृजमनगंज	105 कि0मी0	का.हा.नि.
25	09/08/21	जि0पं0म0	बहदूरी, सौदहा, बृजमनगं0	128 कि0मी0	नि.का.नि.
26	10/08/21	जि0पं0म0	अमहवा, परसौनी, नटवा मुजुरी	119 कि0मी0	नि.का.नि.
27	11/08/21	जि0पं0म0	लक्ष्मीपुर नईकारे	90 कि0मी0	का.हा.नि.
28	12/08/21	जि0पं0म0	मुख्य./ नौतनवा	170 कि0मी0	का.हा.नि.
29	19/08/21	जि0पं0म0	सिंहापार	170 कि0मी0	का.हा.नि.
30	25/08/21	जि0पं0म0	झुलनीपुर/ अड्डाव	190 कि0मी0	नि.का.नि.
31	28/08/21	जि0पं0म0	फरेंदा, बृजमनगंज	110 कि0मी0	का.हा.नि.
32	04/09/21	जि0पं0म0	चौक, नौतनवा शेग	205 कि0मी0	का.हा.नि./नि.का.नि
33	06/09/21	जि0पं0म0	बृजमनगंज, पिपरा पर	115 कि0मी0	का.हा.नि.
34	07/09/21	जि0पं0म0	बहदूरी बाजार	135 कि0मी0	नि.का.नि.
35	08/09/21	जि0पं0म0	चौक, ढूढीवारी	105 कि0मी0	नि.का.नि.
36	11/09/21	जि0पं0म0	बहुदारी बाजार, बृजमनगं आदि	145 कि0मी0	नि.का.नि.
37	16/09/21	जि0पं0म0	झिगटी	155 कि0मी0	का.हा.नि.
38	17/09/21	जि0पं0म0	चंदन चाकी, बृजमनगंज	125 कि0मी0	का.हा.नि.
39	18/09/21	जि0पं0म0	सिहापार/ नौतनवा	165 कि0मी0	का.हा.नि.
40	19/09/21	जि0पं0म0 आदि	पुटैना, हडहोडिया, खुउरी, सिसवा	135 कि0मी0	नि.का.नि.
41	23/09/21	जि0पं0म0	नौतनवा , सोनौली	205 कि0मी0	नि.का.नि.
42	28/09/21	जि0पं0म0	नवावीघाट, नईकोर्ट	130 कि0मी0	का.हा.नि.
43	29/09/21	जि0पं0म0	वेलवा लक्ष्मीपुर	125 कि0मी0	नि.का.नि.

44	30/09/21	जि0पं0म0	बहुदारी बाजार, नौसाग्म, बृजमनगंज क्षेत्र	135 कि0मी0	नि.का.नि.
45	01/10/21	जि0पं0म0	मुख्य./ नई कोर्ट	125 कि0मी0	आ.का./ का.हा.नि.
46	02/10/21	जि0पं0म0	मु./ लुकढहवा, अमहवा	110 कि0मी0	नि.का.नि.
47	06/10/21	जि0पं0म0	धनेवा धनई/ नौतनवा क्षेत्र	170 कि0मी0	नि.का.नि.
48	07/10/21	जि0पं0म0	परतावल/ पनियरा	90 कि0मी0	का.हा.नि.
49	09/10/21	जि0पं0म0	मु0, दूढीवारी,बृजमनगंज	220 कि0मी0	नि.का.नि.
50	11/10/21	जि0पं0म0	लक्ष्मीपुर झिगटी	160 कि0मी0	का.हा.नि.
51	12/10/21	जि0पं0म0	सोनौवली क्षेत्र	205 कि0मी0	नि.का.नि.
52	16/10/21	जि0पं0म0	फरेंदा/ बृजमनगंज क्षेत्र	110 कि0मी0	का.हा.नि.
53	18/10/21	जि0पं0म0	निचलौल, रतनपुर ब्लॉक नौतनवा	175 कि0मी0	नि.का.नि.
54	20/10/21	जि0पं0म0	घानी क्षेत्र	100 कि0मी0	नि.का.नि.
55	21/10/21	जि0पं0म0	पिपरा परसौनी/ सिहापार	160 कि0मी0	का.हा.नि.
56	22/10/21	जि0पं0म0	बैढवलिया/ चंदन चाफी	110 कि0मी0	का.हा.नि.
57	25/10/21	जि0पं0म0	लक्ष्मीपुर क्षेत्र	125 कि0मी0	नि.का.नि.
58	28/10/21	जि0पं0म0	मंगलपुर,परसौनी,वारवागंज	116 कि0मी0	नि.का.नि.
59	02/11/21	जि0पं0म0	मु0,सवना,खेमपिपरा नौतनवा	180 कि0मी0	नि.का.नि.
60	03/11/21	जि0पं0म0	मु0/ ढूढीवारी	100 कि0मी0	आ./ दौरा
61	08/11/21	जि0पं0म0	बृजमनगंज, लेहड़ा	110 कि0मी0	नि.का.नि.
62	09/11/21	जि0पं0म0	अमहवा, ढूढीवारी, लेदी, शीतलपुर आदि	185 कि0मी0	नि.का.नि.

63	10/11/21	जि0पं0म0	सिसवा टौफिक	146 कि0मी0	नि.का.नि.
64	11/11/21	जि0पं0म0	नई कोर्ट	125 कि0मी0	का.हा.नि.
65	12/11/21	जि0पं0म0	सेखुई, गिरधारपुर,पचरुखी लेदवा	127 कि0मी0	का.हा.नि.
66	13/11/21	जि0पं0म0	झिगटी, नौतनवा, सोनौवली	205 कि0मी0	का.हा.नि.
67	16/11/21	जि0पं0म0	लुकढहवा, सिसवा हौफिक	166 कि0मी0	नि.का.नि.
68	17/11/21	जि0पं0म0	कोलहूई, बड़हरा	122 कि0मी0	नि.का.नि.
69	18/11/21	जि0पं0म0	निचलौल/ कतरारी	140 कि0मी0	नि.का.नि.
70	20/11/21	जि0पं0म0 टौफिक	सोनौवली, बरवाभोज, सिसवा	220 कि0मी0	नि.का.नि.
71	22/11/21	जि0पं0म0	सेमरा महराज,बृजमनगंज	110 कि0मी0	का.हा.नि.
72	23/11/21	जि0पं0म0	सिहापार, झिगटी	165 कि0मी0	का.हा.नि.
73	24/11/21	जि0पं0म0	खेमपिपरा,सतगुरु,परतावल	112 कि0मी0	नि.का.नि.
74	25/11/21	जि0पं0म0	घानी, मह0, सिसवा	160 कि0मी0	नि.का.नि.
75	26/11/21	जि0पं0म0	नवावीघाट	120 कि0मी0	का.हा.नि.
76	27/11/21	जि0पं0म0	बैढवलिया, ढूढीवारी	100 कि0मी0	का.हा.नि.
77	28/11/21	जि0पं0म0	नौतनवा क्षेत्र	165 कि0मी0	नि.का.नि.
78	29/11/21	जि0पं0म0	परतावल, पिपरा परसौनी	185 कि0मी0	का.हा.नि.
79	30/11/21	जि0पं0म0	कोलहूई क्षेत्र	120 कि0मी0	नि.का.नि.
80	01/12/21	जि0पं0म0	नई कोर्ट/ लक्ष्मीपुर	120 कि0मी0	का.हा.नि.
81	02/12/21	जि0पं0म0	निचलौल लुकडहा	110	का.हा.नि.

				कि0मी0	
82	03/12/21	जि0पं0म0	मु0/ नौतनवा	165 कि0मी0	नि.का.नि.
83	04/12/21	जि0पं0म0	मु0/ पिपरा परसौनी	105 कि0मी0	का.हा.नि.
84	06/12/21	जि0पं0म0	झिगटी/ नौतनवा	172 कि0मी0	का.हा.नि.
85	09/12/21	जि0पं0म0	मु0/बृजमनगंज/कोलहूई	125 कि0मी0	नि.का.नि.
86	10/12/21	जि0पं0म0	धनेवा धनाई,निचलौल,नई कोर्ट	175 कि0मी0	का.हा.नि.
87	11/12/21	जि0पं0म0	लुकढहवा,नौतनवा,सोनौली	195 कि0मी0	नि.का.नि.
88	13/12/21	जि0पं0म0	मु0 धानी,बृजमनगंज क्षेत्र	155 कि0मी0	नि.का.नि./ का.हा.नि
89	14/12/21	जि0पं0म0	नवावीघाट	125 कि0मी0	का.हा.नि.
90	15/12/21	जि0पं0म0	सेमरा ढाला, ढूढीवारी	105 कि0मी0	नि.का.नि.
91	16/12/21	जि0पं0म0	मु0 सिसवा घूघली	95 कि0मी0	नि.का.नि.
92	17/12/21	जि0पं0म0	बृजमनगंज क्षेत्र	105 कि0मी0	का.हा.नि.
93	22/12/21	जि0पं0म0	निचलौल,चरगहा,सिसवा घूघली	116 कि0मी0	नि.का.नि./ का.हा.नि
94	23/12/21	जि0पं0म0	पिपरा परसौनी, नई कोर्ट	125 कि0मी0	का.हा.नि.
95	24/12/21	जि0पं0म0	देउरवा,हरदी,रतनपुरवा, पचमा,वरोहिया चौक	95 कि0मी0	नि.का.नि.
96	25/12/21	जि0पं0म0	सेमरा महराज, झिगटी	165 कि0मी0	का.हा.नि.
97	28/12/21	जि0पं0म0	डोरवार,लेदवा,पिपरहना, सौरहा, इनायतनगर, बड़हड़ा	195 कि0मी0	नि.का.नि.
98	30/12/21	जि0पं0म0	मिझौलिया, रतनपुरवा क्षेत्र	175 कि0मी0	नि.का.नि.
99	31/12/21	जि0पं0म0	पिपरा परसौनी, नवावीघाट	145 कि0मी0	नि.का.नि.
100	03/01/22	जि0पं0म0	जोगिया नरायनपुर, पौहरिया,	118	नि.का.नि.

			पुरैना खंडी	कि0मी0	
101	04/01/22	जि0पं0म0	मु0,चंदन चाफी,कमहिन खुई	85 कि0मी0	नि.का.नि.
102	11/01/22	जि0पं0म0	नौतनवा	165 कि0मी0	का.हा.नि.
103	21/01/22	जि0पं0म0	मु0/ नवावीघाट	120 कि0मी0	का.हा.नि.
104	20/01/22	जि0पं0म0	नौतनवा	165 कि0मी0	नि.का.नि.
105	26/01/22	जि0पं0म0	झिगटी, सिहापार	165 कि0मी0	का.हा.नि.
106	28/01/22	जि0पं0म0	ढूढीवारी क्षेत्र	100 कि0मी0	नि.का.नि.
107	29/01/22	जि0पं0म0	मु0/ नई कोर्ट	125 कि0मी0	विवरण अंकित नहीं
108	31/01/22	जि0पं0म0	सिसवा/ परतावल	90 कि0मी0	-
109	02/02/22	जि0पं0म0	मु0/ लक्ष्मीपुर	125 कि0मी0	का.हा.नि.
110	07/03/22	जि0पं0म0	सिसवा, घूघली क्षेत्र	85 कि0मी0	नि.का.नि.
111	08/03/22	जि0पं0म0	कोलहूई क्षेत्र	125 कि0मी0	वसूली कार्य
112	09/03/22	जि0पं0म0	सेमरा महराज, पिपरा परसौनी	110 कि0मी0	का.हा.नि.
113	11/03/22	जि0पं0म0	घानी क्षेत्र	95 कि0मी0	वसूली कार्य
114	12/03/22	जि0पं0म0	चौक,परसौनी,टीकर,सेखुई वरोहिया, झवनपुर , महराजगंज	98 कि0मी0	नि.का.नि.
115	14/03/22	जि0पं0म0	नौतनवा, निचलौल क्षेत्र	201 कि0मी0	का.हा.नि.
116	15/03/22	जि0पं0म0	बृजमनगंज	110 कि0मी0	-
117	16/03/22	जि0पं0म0	लक्ष्मीपुर क्षेत्र	125 कि0मी0	-
118	21/03/22	जि0पं0म0	नौतनवा क्षेत्र	165 कि0मी0	नि.का.नि.
119	23/03/22	जि0पं0म0	सिसवा/ निचलौल	95 कि0मी0	का.हा.नि.
120	24/03/22	जि0पं0म0	अमहवा	110 कि0मी0	नि.का.नि.
121	25/03/22	जि0पं0म0	झिगटी/ सोहापार	170	का.हा.नि.

				कि0मी0	
122	28/03/22	जि0पं0म0	नौतनवा/ सोनौवली क्षेत्र	210 कि0मी0	नि.का.नि.
123	29/03/22	जि0पं0म0	पिपरा परसौनी	110 कि0मी0	का.हा.नि.
124	30/03/22	जि0पं0म0	मोहनापुर ढाला	120 कि0मी0	वसूली कार्य
125	31/03/22	जि0पं0म0	रतनपुर ब्लॉक, नौतनवा, मह0, सिसवा क्षेत्र	220 कि0मी0	नि.का.नि.
			योग	**17131**	

अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 मे इस प्रकार की गयी यात्रा कुल 17131 किमी0 आकलित है, जिसका 10 किमी0 प्रति लीटर की दर से 1713.10 लीटर ईधन व्यय हुआ है जिसका मूल्य रू0 90.24 प्रति लीटर की दर से रू0 26791360.00 आंकलित है, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिसके लिए लेखाकार श्री पुररूषोत्तम कुमार, अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह एवं पटल प्रमुख श्री बी0बी0 सिंह जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-08 -</u> जिला पंचायत के चिमनी ईट भटठा के लाइसेन्स शुल्क की मॉग एवं वसूली की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2021-22 में लाइसेन्स शुल्क बकाया रू0 3819590.00 रहा उक्त बकाया में रू0 735000.00 आलोच्य वर्ष की बकाया धनराशि है एवं रू0 3084590.00 विगत वर्षो का बकाया है जिस पर विगत वर्षो के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में अधिभार आपत्ति निर्गत की गयी है। ये धनराशियों मुख्यत: पूर्व वर्षो की बकाया धनराशियों है। नियमानुसार विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान मॉग की वसूली कर ली गयी है, परन्तु विगत वर्षो के बकाया/ विलम्ब शुक्ल की वसूली हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही नही की जा रही है। ज्ञातब्य है की स्वीकृत 12 पदो के सापेक्ष 10 कर समाहर्ता नियुक्त है। आलोच्य वर्ष में वसूली (बकाया सहित)रू0 3075020.00 रहा। इस प्रकार बकाया के सापेक्ष वसूली वृद्धि अत्याधिक न्यूनतम है। मॉग में वृद्धि कर एवं बकाया के वसूली हेतु समुचित वैधानिक कार्यवाही आवश्क है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश सिंह, प्रशासनिक अधिकारी एवं वसूली अधिकारी जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2021-22 के चिमनी ईट भटठा का लाईसेन्स शुल्क का विवरण वर्ष 2021-22

क्र0सं0	**क्षेत्र पंचायत का नाम**	**कर समाहर्ता का नाम**	**वर्तमान मांग**	**पुराना बकाया**	**कुल योग**	**वसूली**	**शेष धनराशि**
1	पनियरा	श्री रामायण सिंह	196150	94100	290250	154150	136100
2	सिसवा	श्री सुशील त्रिपाठी	538410	276600	815010	443420	371590
3	परतावल	श्री शैलेश सिंह	269220	16100	285320	248220	37100
4	सादर(मह0)	श्री शिवमूर्ति	428320	177400	605720	365320	240400

		सिंह					
5	धानी	श्री गोपाल यादव	64040	34500	98540	64040	34500
6	मिठौरा	श्री शैलेष पटल	295220	300000	595220	232220	363000
7	घुघुली	श्री अवनीन्द्र प्रताप मिश्र	317270	483700	800970	275270	525700
8	बृजमनगंज	श्री जियालाल	236160	112500	348660	194160	154500
9	फरेंदा	श्री संदीप सिंह	188180	6900	195080	188180	6900
10	लक्ष्मीपुर	श्री रवींद्र सिंह	295880	67500	363380	300480	62900
11	नौतनवा	श्री रवींद्र सिंह	364200	388900	753100	217200	535900
12	निचलौल	श्री रामायण सिंह	602360	1141000	1743360	392360	1351000
	योग		**3795410**	**3099200**	**6894610**	**3075020**	**3819590**

<u>प्रस्तर- 09-</u> वर्ष के सपत्ति कर, विभव कर के मांग वसूली एवं बकाया की जांच में 2021-22 -/ पाया गया की वषोलोच्य में रु0-2007947.00की डिमांड लगी और जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु0- की वसूली की गई | इस प्रकार 1770758.00 दिनांक को रु0- 237189.00 31.03.2022 वर्षालोच्य का बकाया अवशेष रहाविगत वर्षों के अवशेष बकाया को विगत वर्षों के अधिभार प्रतिवेदन में | संमलित किया जा चुका है | निम्न विवरणानुसार दर्शित ब्लाकवार आंकडो से विदित होता है कि जितने की वसूली होती है लगभग इतना ही डिमांड में दर्शाया गया है बकाये की वसूली हेतु केवल | नोटिस दिया गया है लेकिन उसके बाद बिल डिमांड जारी नहीं किया गया है और न ही कोई वैधानिक कार्यवाही ही की गई है | जिसके लिये संबंधितकर समाहर्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	**विकास खंड का नाम**	**कर समाहर्ता का नाम**	**वर्तमान मांग**	**वसूली**	**शेष धनराशि**
1	सिसवा	श्री सुशील त्रिपाठी	198780	169230	29550
2	बृजमनगंज	श्री जियालाल	189747	142608	47139
3	सदर	श्री शिवमूर्ति सिंह	324560	270300	54260
4	पनियरा	श्री रामायण सिंह	162300	123930	38370
5	लक्ष्मीपुर	श्री रविन्द्र सिंह	170840	166110	4730
6	निचलौल	श्री रामायण सिंह	160500	140100	20400
7	घुघुली	श्री अवनीन्द्र मिश्र	302290	302290	-

8	फरेंदा	श्री संदीप सिंह	143260	117130	26130
9	नौतनवा	श्री रविन्द्र सिंह	144300	129570	14730
10	धानी	श्री गोपाल यादव	78460	76720	1740
11	मिठौरा	श्री शैलेश पटेल	132910	132770	140
12	परतावल	श्री शैलेश सिंह	अभिलेख अप्रस्तुत		
		योग:-	2007947	1770758	237189

विकास खंड परतावल अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण आकडे उपलब्ध नहीं हो सका उसके लिये संबंधित कर समाहर्ता एवं पटल सहायक जिम्मेदार है |